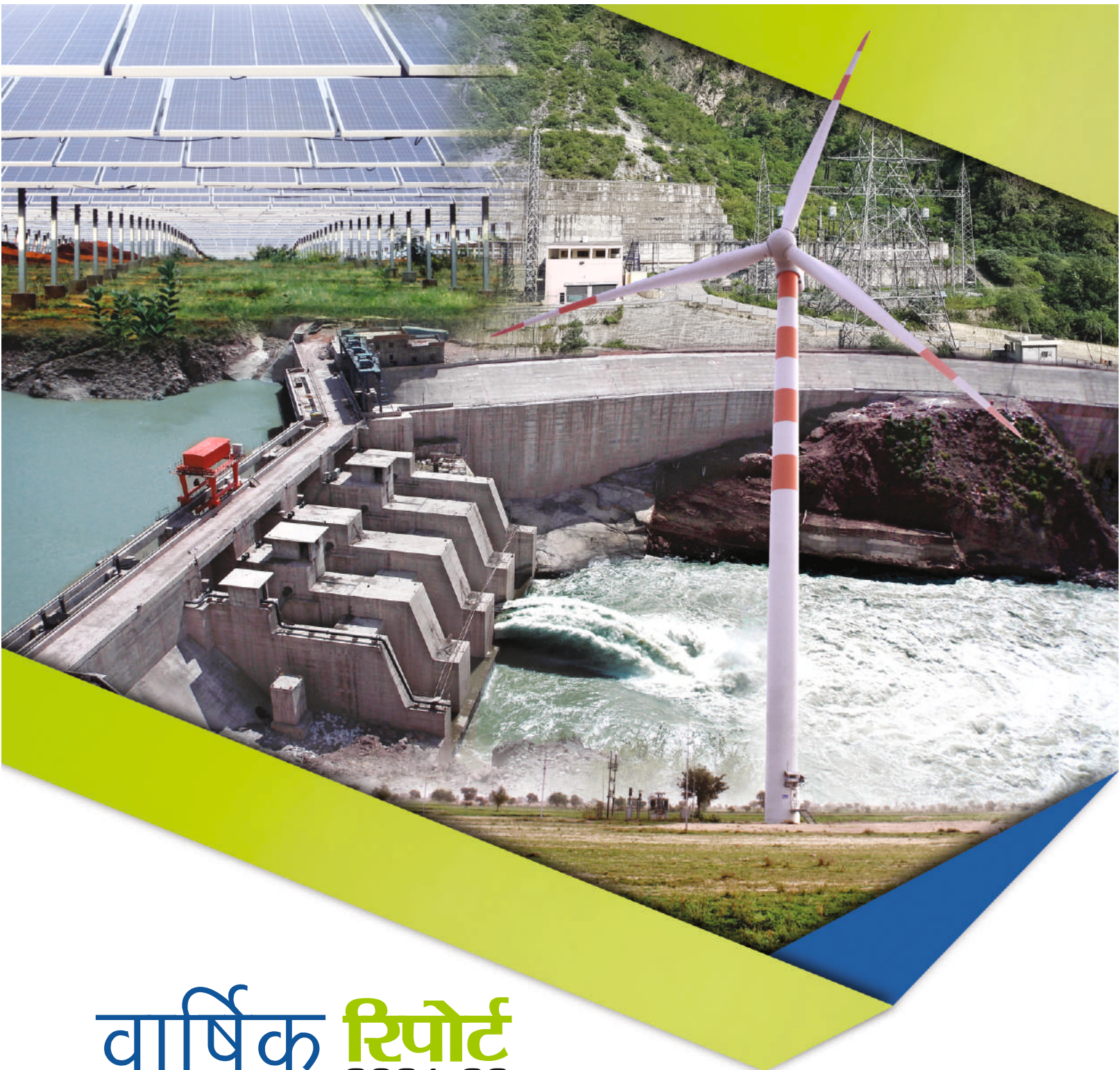


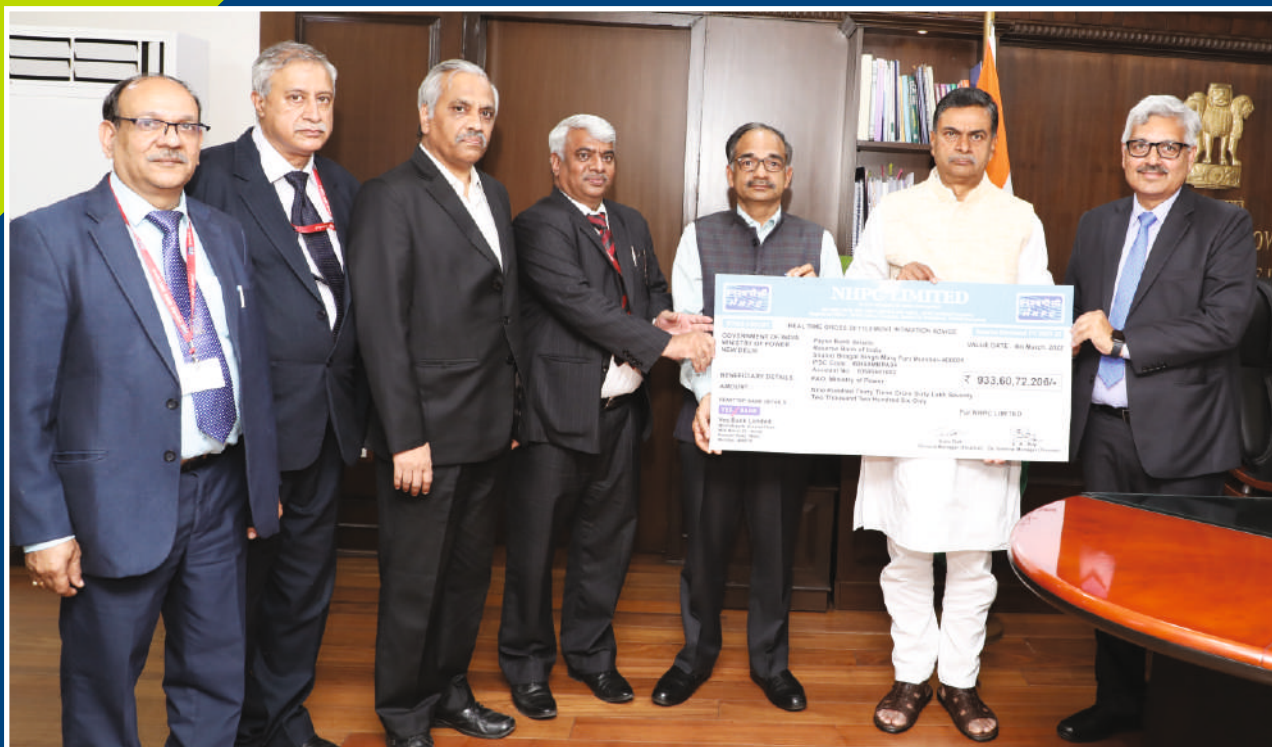


निगम का दृष्टिकोण

दक्ष, उत्तरदायी और उन्नत मूल्यों के माध्यम से स्वच्छ विद्युत के संधारणीय विकास हेतु एक वैश्विक अग्रणी संगठन बनना।

निगम का लक्ष्य

- ✓ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्वच्छ विद्युत के विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- ✓ पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक-आर्थिक तौर पर उत्तरदायी तरीके से कुशल और दक्ष अनुबंध प्रबंधन और उन्नत अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से परियोजनाओं को निष्पादित और प्रचालित करना।
- ✓ मानव पूंजी की पूर्ण संभाव्यता का लाभ लेने के लिए उसे विकसित, पोषित तथा सशक्त बनाना।
- ✓ एक सशक्त कारपोरेट पहचान बनाने के लिए कारपोरेट अभिशासन की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और दक्ष मूल्य आधारित प्रबंधन को अपनाना तथा कर्मचारियों, ग्राहकों, पर्यावरण तथा समाज के लिए अधिक सरोकार रखना।
- ✓ प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से नवाचारी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना और प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना।



श्री ए. के. सिंह (दाएं), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, 933.61 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश भुगतान एडवाइस को श्री आर. के. सिंह, माननीय केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री को सौंपते हुए। साथ में श्री आलोक कुमार, सचिव (विद्युत), भारत सरकार और श्री आर.पी. गोयल, निदेशक (वित्त), श्री वाई. के. चौबे, निदेशक (तकनीकी), श्री संजय कुमार मदान, कार्यपालक निदेशक (वित्त) और श्री के. के. गोयल, कार्यपालक निदेशक (वित्त), एनएचपीसी उपस्थित हैं।

विषय-सूची

एनएचपीसी	
निदेशक मंडल	2
संदर्भ सूचना	3
महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों का सार	5
शेयरधारकों को पत्र	7
एनएचपीसी का निष्पादन	11
निदेशकों का प्रोफाइल	12
एनएचपीसी के पावर स्टेशन	17
वार्षिक आम बैठक की सूचना	18
निदेशकों की रिपोर्ट	40
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट	101
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	135
कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	141
कारपोरेट अभिशासन से संबंधित अनुपालन प्रमाण-पत्र	168
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	171
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	184
सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	185
वित्तीय विवरण	204
समेकित	
सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	357
वित्तीय विवरण	369

निदेशक मंडल

(02 जुलाई, 2022 की स्थिति के अनुसार)



श्री अमय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री यमुना कुमार चौबे
निदेशक (तकनीकी)



श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)



श्री विश्वजीत बासु
निदेशक (परियोजनाएं)



श्री रघुराज माधव राजेंद्रन
सरकारी नामिती निदेशक



डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर
स्वतंत्र निदेशक



प्रो. (डॉ.) अमित कंसल
स्वतंत्र निदेशक



डॉ. रश्मि शर्मा रावल
स्वतंत्र निदेशक



श्री जीजी जोसफ
स्वतंत्र निदेशक

संदर्भ सूचना

पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003
टेलीफोन : +91 129 2588500, +91 129 2588110
फैक्स : +91 129 2278018
वेबसाइट : www.nhpcindia.com
सीआईएन : L40101HR1975GOI32564

कंपनी सचिव

श्रीमती रुपा देब

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स पी. सी. बिंदल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार,
कृष्ण निवास,
मकान सं. 153,
राजबाग, श्रीनगर-190001

मैसर्स के. जी. सोमानी एंड कंपनी, एलएलपी
सनदी लेखाकार,
3/15, चौथा तल, आसफ अली रोड,
निकट डिलाइट सिनेमा, नई दिल्ली - 110002

मैसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार,
60, बेंटीक स्ट्रीट,
कोलकाता - 700069

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स
सी-40, वेस्ट गोरख पार्क एक्सटेंशन शाहदरा,
नई दिल्ली - 110032

मैसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स
103, अग्रवाल टावर, एच-6, नेताजी सुभाष प्लेस,
पीतमपुरा, दिल्ली-110034

मैसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी
16, कुतुब व्यू अपार्टमेंट्स,
कुतुब क्लेरियन होटल के सामने,
शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016

मैसर्स आर. एम. बंसल एंड कंपनी
प्लैट नं 260, पॉकेट - ए,
सरिता विहार, नई दिल्ली-110076

मैसर्स के. जी. गोयल एंड कंपनी
प्लॉट नं. 8, चित्रगुप्त नगर प्रथम, ज्योति नगर,
रेलवे क्रासिंग, जयपुर, राजस्थान-302005

मैसर्स एजेएस एंड एसोसिएट्स
5, बंगाली मुहल्ला, करनपुर
देहरादून, उत्तराखंड-248001

मैसर्स बंधोपाध्याय भौमिक एंड कंपनी
126-डी, सत्येन रॉय रोड कोलकाता,
पश्चिम बंगाल -700034

मैसर्स वाई एस ठाकर एंड कंपनी
नीमा कॉलोनी, स्टेशन रोड
बराकर, आसनसोल, जिला बर्दवान
आसनसोल, पश्चिम बंगाल-713324

सचिवालयी लेखापरीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
डी-427, दूसरा तल, पालम एक्सटेंशन,
रामफल चौक, सेक्टर-7,
द्वारका, नई दिल्ली - 110075

आंतरिक लेखापरीक्षक

श्री कुपिले लक्ष्मणन आचार्युलु,
महाप्रबंधक (वित्त)-आंतरिक लेखापरीक्षा

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
आईसीआईसीआई बैंक लि.
बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
एचडीएफसी बैंक
इंडसइंड बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
कोटक महिन्द्रा बैंक
यस बैंक लि.
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
केनरा बैंक
आईडीएफसी बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
फेडरल बैंक
आरबीएल बैंक
आईडीबीआई बैंक

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

इक्विटी शेयरों हेतु:

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
अलंकित हाउस, 4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली – 110055
दूरभाष: 011 4254 1234, 011 2354 1234
फैक्स: 011 4254 1201, 011 2355 2001
ई-मेल आईडी : alankit.nhpc@alankit.com
टोल फ्री नंबर : 1860 121 2155

कर मुक्त बॉण्ड हेतु:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,
सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32,
गाचीबाउली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली हैदराबाद
रंगारेड्डी, तेलंगाना- 500032
दूरभाष नं.: 040 6716 2222 फैक्स: 040 2300 1153
टोल फ्री नंबर: 1860 309 4001
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट : www.kfintech.com

अन्य बॉण्ड हेतु:

आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
बी-25/1, प्रथम तल, ओखला फेज-II
नई दिल्ली – 110020
दूरभाष सं.: 011-26387320
ई-मेल : investor.services@rcmcdelhi.com

मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी

श्री के. के. गोयल,
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

प्रतिभूतियों का सूचीकरण

शेयर और कर मुक्त बांड :

बीएसई लिमिटेड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

निजी स्थापन पर जारी अन्य बॉण्ड (थोक ऋण बाजार खंड के अंतर्गत)

‘वाई1’, ‘एए’ ‘एए1’ ‘एबी’ और ‘एसी’ सीरीज बॉण्ड –
बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया
लिमिटेड
‘वी’, ‘वी2’ ‘डब्ल्यू1’ और ‘डब्ल्यू2’ सीरीज बॉण्ड – बीएसई
लिमिटेड
अन्य सभी बॉण्ड – नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया
लिमिटेड

डिपोजिटरीज

नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड
सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड

डिबेंचर ट्रस्टी

9% पी सीरीज बॉण्ड,
9.25% क्यू सीरीज बॉण्ड,
कर मुक्त बॉण्ड
एनएचपीसी 2013
(8.18% 1ए सीरीज,
8.43% 1बी सीरीज,
8.54% 2ए सीरीज,
8.79% 2बी सीरीज,
8.67% 3ए सीरीज और
8.92% 3बी सीरीज),
8.49% एस1 सीरीज बॉण्ड,
8.54% एस2 सीरीज बॉण्ड,
8.50% टी सीरीज बॉण्ड,
6.84% वी सीरीज बॉण्ड,
7.52% वी2 सीरीज बॉण्ड,
6.91% डब्ल्यू1 सीरीज बॉण्ड,
7.35% डब्ल्यू2 सीरीज बॉण्ड,
8.65% एक्स सीरीज बॉण्ड,
8.12% भारत सरकार पूर्णतः
सेवित बॉण्ड,
7.50% वाई सीरीज बॉण्ड,
7.38% वाई1 सीरीज बॉण्ड,
7.13% एए सीरीज बॉण्ड,
6.89% एए-1 सीरीज बॉण्ड,
6.80% एबी सीरीज बॉण्ड

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि.
एशियन बिल्डिंग, भूतल,
17, आर, कमानी मार्ग,
बलार्ड एस्टेट, मुंबई-400001
टेलीफोन :+91 22 40807000
ई-मेल : itsl@idbitrustee.com

8.70% आर1 सीरीज बॉण्ड,
8.85% आर2 सीरीज बॉण्ड,
8.78% आर3 सीरीज बॉण्ड,
8.24% यू सीरीज बॉण्ड,
8.17% यू1 सीरीज बॉण्ड,
6.86% एसी सीरीज बॉण्ड

एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी
लिमिटेड
चौथा तल, मिस्ट्री भवन,
122, दिनशा वाचा मार्ग,
चर्चगेट, मुंबई-400020
टेलीफोन: +91 22 43025555 / 66
ई-मेल : corporate@sbicaptrustee.com

महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों का सार (एकल लेखे)

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
ए ऊर्जा की बिक्री	8,180.57	8,094.06	8,301.03	8,095.13	6,868.64
बी अन्य प्रचालनरत आय, विद्युत व्यापार से राजस्व और संविदाओं से राजस्व, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य	173.23	412.52	434.38	66.05	65.39
सी अन्य आय	1,026.18	1,155.98	1,036.18	924.78	1,491.00
डी कुल आय (ए) + (बी) + (सी)	9,379.98	9,662.56	9,771.59	9,085.96	8,425.03
ई विद्युत की खरीद	44.58	212.37	234.13	12.68	-
एफ उत्पादन व्यय	841.24	854.37	901.67	796.85	716.39
जी कर्मचारी हितलाभ व्यय	1,440.78	1,393.91	1,515.52	1,704.65	1,585.33
एच मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	1,126.22	1,228.65	1,545.34	1,589.99	1,405.89
आई वित्त लागत	531.75	571.49	795.42	894.88	922.32
जे अन्य व्यय	1,348.55	1,419.61	1,514.95	1,165.53	989.18
के कुल व्यय (ई) + (एफ) + (जी) + (एच) + (आई) + (जे)	5,333.12	5,680.40	6,507.03	6,164.58	5,619.11
के ¹ अपवादात्मक मद	-	185.00	-	-	-
एल कर पूर्व लाभ और दर विनियमित आय (डी) - (के) - (के ¹)	4,046.86	3,797.16	3,264.56	2,921.38	2,805.92
एम वित्त लागत के कारण दर विनियमित आय	-	-	157.61	76.78	331.39
एन अन्य के कारण दर विनियमित आय (टिप्पणी 16 देखें)	42.85	128.03	186.00	746.62	388.43
ओ कुल दर विनियमित आय (एम) + (एन)	42.85	128.03	343.61	823.40	719.82
पी कर पूर्व लाभ (एल) + (ओ)	4,089.71	3,925.19	3,608.17	3,744.78	3,525.74
क्यू आयकर व्यय (टिप्पणी 16 देखें)	552.00	680.13	601.00	1,114.23	767.09
आर कर पश्चात लाभ (पी) - (क्यू)	3,537.71	3,245.06	3,007.17	2,630.55	2,758.65
एस अन्य व्यापक आय	12.76	7.20	(0.62)	(12.41)	5.88
टी कुल व्यापक आय (आर) + (एस)	3,550.47	3,252.26	3,006.55	2,618.14	2,764.53
यू प्राधिकृत शेयर पूंजी	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
वी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,045.03	10,259.32
डब्ल्यू अन्य इक्विटी (आरक्षित एवं अधिशेष)	23,441.07	21,558.08	19,938.78	19,169.70	18,068.83
एक्स पट्टा दायित्व सहित दीर्घावधिक/गैर-वर्तमान उधार	23,179.49	21,241.22	20,889.74	17,044.63	16,728.20
वाई अन्य दीर्घावधिक देयता और दीर्घावधिक प्रावधान	4,162.25	4,117.51	4,169.54	3,910.44	1,688.94
जेड आस्थगित कर देयताएं	2,100.74	3,589.36	3,641.19	3,610.63	1,076.64
जेड ¹ विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	1,313.27	-	-	-	-
एए संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, निवेश संपत्ति और उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	20,815.27	20,935.53	23,295.52	23,851.84	19,994.31
एबी चल रहे पूंजीगत कार्य	20,573.84	17,852.56	16,097.65	14,898.11	18,813.96
एसी निवेश (गैर-वर्तमान)	5,414.34	3,921.68	3,400.74	2,361.66	2,209.56
एडी अन्य दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	9,283.85	9,421.25	7,397.07	6,428.38	3,882.86
आई विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	6,948.11	6,902.93	6,836.22	6,492.61	3,600.46
एएफ कार्यशील पूंजी	1,206.44	1,517.25	1,657.08	(252.17)	(679.22)
एजी सकल नियोजित पूंजी (एए)+(एबी)+(एसी)+(एडी)+(आई)+(एफ)	64,241.85	60,551.20	58,684.28	53,780.43	47,821.93
एएच पट्टा दायित्वों सहित दीर्घावधिक उधारों की वर्तमान परिपक्वताओं सहित अल्पावधिक उधार	2,851.03	2,121.56	2,334.09	2,011.16	1,873.90
एआई भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के निमित्त देय राशि	2,017.20	2,017.20	2,017.20	2,017.20	-
एजे निवल मूल्य (वी) + (डब्ल्यू)	33,486.10	31,603.11	29,983.81	29,214.73	28,328.15
एके अदा किया गया लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) (टिप्पणी 1 देखें)	1,667.48	1,577.07	1,938.69	1,000.46	1,251.65
एएल मूल्य अभिवृद्धि (टिप्पणी 2 देखें)	7,145.44	6,992.91	7,427.06	7,254.20	6,900.19
वितरण:-					
i) कर्मचारियों को (टिप्पणी 3 देखें)	1,557.31	1,393.91	1,479.92	1,480.12	1,257.62

ii) पूंजी प्रदाताओं को

— वित्त लागत (टिप्पणी 3 देखें)

531.75 571.49 637.81 818.10 590.93

— लाभांश (भुगतान के आधार पर) (टिप्पणी 1 देखें)

1,667.48 1,577.07 1,938.69 1,000.46 1,251.65

iii) सरकार को-आयकर और लाभांश कर (टिप्पणी 3 और 4 देखें)

590.80 749.31 956.03 909.19 893.95

iv) व्यापार में प्रतिधारित

— मूल्यहास (टिप्पणी 3 देखें)

927.87 1,033.14 1,346.13 1,416.24 1,399.04

— प्रतिधारित आय

1,870.23 1,667.99 1,068.48 1,630.09 1,507.00

अनुपात	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
नियोजित पूंजी पर आय [(पी)+(आई)-(एम)]/(एजी) (टिप्पणी 5 देखें) (% में)	7.19	7.43	7.24	8.48	8.61
निवल मूल्य पर आय (टिप्पणी 6 देखें) (% में)	10.87	10.55	10.16	9.14	9.98
प्रचालनरत लाभ अनुपात (टिप्पणी 6ए देखें) (% में)	43.50	42.24	37.49	40.51	38.21
निवल लाभ अनुपात (आर)/(क+ख) (टिप्पणी 7 देखें) (% में)	42.35	38.15	34.43	32.23	39.78
प्रति शेयर बही मूल्य (टिप्पणी 8 देखें)	33.34	31.46	29.85	29.08	27.61
प्रति शेयर अर्जन (टिप्पणी 9 देखें)	3.52	3.23	2.99	2.57	2.69
प्रति शेयर लाभांश (अंतरिम+वर्ष के लिए प्रस्तावित)	1.81	1.60	1.50	1.46	1.40
ऋण इक्विटी अनुपात [(एक्स)+ (एएच)+ (एआई)]/(एजे) (टिप्पणी 10 देखें)	0.84	0.80	0.84	0.72	0.66
वर्तमान अनुपात (टिप्पणी 11 देखें)	1.20	1.27	1.28	0.96	0.88
अर्जन अनुपात की कीमत (टिप्पणी 12 देखें)	7.90	7.57	6.67	9.63	10.28
ईबीआईटीडीए (टिप्पणी 13 देखें)	5704.66	5599.00	5648.36	5421.66	5272.81
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (टिप्पणी 14 देखें)	3.62	3.03	3.01	2.72	3.18
ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (टिप्पणी 15 देखें)	7.18	6.60	6.47	6.12	8.04
प्रचालन निष्पादन	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
उत्पादन (एमयू)	24855	24471	26121	24193	22625
क्षमता (मेगावाट में)	5551.2	5551.2	5551.2	5551.2	5551.2
संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	88.19	85.76	84.04	84.84	85.32
जनशक्ति (संख्या)	5092	5569	6131	6753	7351

टिप्पणी:-1 क्रम संख्या-“एके” पर दिया गया लाभांश वर्ष के दौरान अदा किया गया वास्तविक लाभांश है।

टिप्पणी:-2 मूल्य अभिवृद्धि = कर पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यहास और परिशोधन + कर्मचारी हितलाभ व्यय। इसके अतिरिक्त, वित्त लागत, मूल्यहास और कर्मचारी हितलाभ व्यय को आरडीए संचलन का निवल माना गया है।

टिप्पणी:-3 मूल्य अभिवृद्धि के वितरण में, वित्त लागत, मूल्यहास और परिशोधन, कर्मचारी हितलाभ व्यय और करों के निमित्त वितरण को आरडीए संचलन का निवल माना गया है।

टिप्पणी:-4 मूल्य अभिवृद्धि के वितरण में, सरकार के निमित्त वितरण में कर भाग के आरडीए संचलन के आस्थगित कर निवल और लाभांश वितरण कर सहित आयकर व्यय और लाभांश वितरण कर शामिल हैं। लाभांश वितरण कर वित्तीय वर्ष 2019-20 तक लागू है। इसके बाद लाभांश प्राप्तकर्ता के हस्तगत कर योग्य है।

टिप्पणी:-5 नियोजित पूंजी पर आय = (कर पूर्व लाभ + वित्त लागत - वित्त लागत के आरडीए में संचलन)/कुल परिसंपत्तियां - वर्तमान देयताएं)

टिप्पणी:-6 निवल मूल्य पर आय = कर पश्चात लाभ/औसत शेयरधारकों की इक्विटी)

टिप्पणी:-6ए प्रचालनरत लाभ अनुपात = प्रचालनरत लाभ/प्रचालनों से राजस्व

टिप्पणी:-7 निवल लाभ अनुपात = कर पश्चात लाभ/प्रचालनों से राजस्व

टिप्पणी:-8 प्रति शेयर बही मूल्य = (इक्विटी शेयर पूंजी + अन्य इक्विटी)/इक्विटी शेयरों की संख्या

टिप्पणी:-9 प्रति शेयर अर्जन = कर पश्चात लाभ/इक्विटी शेयरों की संख्या। कर पश्चात लाभ में आरडीए में संचलन शामिल है।

टिप्पणी:-10 ऋण इक्विटी अनुपात = कुल ऋण/(इक्विटी शेयर पूंजी + अन्य इक्विटी)। कुल ऋणों में भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बांडों के लिए पट्टों, देय राशियों और अल्पावधिक उधारियों सहित दीर्घावधिक उधार की वर्तमान परिपक्वताएं शामिल हैं।

टिप्पणी:-11 वर्तमान अनुपात = वर्तमान परिसंपत्तियां/वर्तमान देयताएं

टिप्पणी:-12 आय अनुपात की कीमत = वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर की बाजार कीमत/प्रति शेयर आय

टिप्पणी:-13 ईबीआईटीडीए = कर पूर्व लाभ + वित्त लागत + मूल्यहास - वित्त लागत और मूल्यहास के लिए आरडीए संचलन

टिप्पणी:-14 ऋण सेवा कवरेज अनुपात = कर पश्चात लेकिन ब्याज पूर्व लाभ और ब्याज के आरडीए का निवल मूल्यहास एवं मूल्यहास (पुट विकल्प के तहत भुगतान को छोड़कर मूलधन का पुनर्भुगतान + ब्याज भाग के आरडीए का निवल ब्याज)।

टिप्पणी:-15 ब्याज सेवा कवरेज अनुपात = कर पश्चात लेकिन ब्याज पूर्व लाभ और ब्याज के आरडीए का निवल मूल्यहास एवं मूल्यहास/ब्याज भाग के आरडीए का निवल ब्याज।

टिप्पणी:-16 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभार्थियों को दिए गए 1313.27 करोड़ रुपये की राशि के एमएटी ऋण के समायोजन को, कर व्यय और विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन में समायोजित किया गया।

टिप्पणी:-17 वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए आंकड़े संबंधित वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट से लिए गए हैं।



हम उन चीजों को सही
तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं,
जिसमें व्यापारिक निर्णय लेना तथा नैतिकता
एवं लागू कानूनों के अनुरूप कार्य करना
शामिल है।

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय सदस्यो,

आपकी कंपनी के लिए एक और शानदार वर्ष के बाद आपके साथ फिर से जुड़ना और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना बहुत प्रसन्नता की बात है। इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की विकट परिस्थिति में हुई और हमें पूरे वर्ष महामारी की अनिश्चितताओं से जूझना पड़ा। इस दौरान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अपने कर्मचारियों के लिए उचित स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना, हमारे लाभार्थियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमारे संयंत्रों का सुचारु प्रचालन तथा स्थानीय समुदायों और बड़े पैमाने पर समाज को आवश्यक समर्थन एवं सहायता प्रदान करना रही है। हमने दृढ़ता, परिस्थिति अनुरूप ढलने और विकास उन्मुखी अपनी क्षमता से हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। एनएचपीसी की आज की स्थिति हमारे कर्मचारियों के अथक प्रयासों और वर्षों से हमारे हितधारकों द्वारा दिए गए अमूल्य समर्थन का परिणाम है।

वर्ष के दौरान, हमारे पावर स्टेशनों ने उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और हमने अपना अब तक का उच्चतम

वार्षिक पीएएफ तथा अब तक का दूसरा सबसे बड़ा वार्षिक विद्युत उत्पादन हासिल किया है। हमारी निर्माण परियोजनाओं में महामारी के कारण कई चुनौतियाँ आने के बावजूद, हमारा ध्यान प्रगति में तेजी लाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित रहा है। परियोजनाओं में निर्माण क्रियाकलापों की गति में बहुत सुधार हुआ है तथा यह हासिल किए जा रहे विभिन्न लक्ष्यों से सिद्ध होता है। सबसे मुश्किल समय में भी हमारी सफलता की नींव हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों और चुनौतियों को स्वीकार करके उन पर विजय प्राप्त करने की प्रकृति में निहित है। आगे चलकर ये मूलभूत मूल्य आपकी कंपनी को समृद्ध करते रहेंगे और इसे विकास के पथ पर ले जाएंगे।

दृष्टिकोण और निष्पादन

भारतीय विद्युत क्षेत्र तीव्र गति से विकसित हो रहा है और विद्युत की मांग तेजी से बढ़ी है और आने वाले वर्षों में यह और बढ़ने की उम्मीद है। 400 गीगावाट से अधिक की संस्थापित विद्युत क्षमता के साथ भारत दुनिया में विद्युत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ग्रिड में बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और पवन के एकीकरण

के साथ, ग्रिड को संतुलित करने और विद्युत की अधिकतम मांग को पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण जल विद्युत की भूमिका ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। नीति निर्माताओं के बीच जलविद्युत ज्यादा आकर्षण प्राप्त कर रहा है और अब इस क्षेत्र के बारे में एक सकारात्मक माहौल है। यह आपकी कंपनी को आगे बढ़ने के कई अवसर देता है और इस प्रकार आने वाले लंबे समय तक जलविद्युत विकास के लिए शीर्ष संगठन के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है।

आपकी कंपनी ने केंद्रित निष्पादन और वित्तीय विवेक से प्रेरित होकर शानदार प्रदर्शन करना जारी रखा है।

प्रचालनात्मक निष्पादन का अवलोकन:

मुझे आपके साथ यह बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि महामारी के कारण उत्पन्न सभी कठिनाइयों के बीच, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी के सभी पावर स्टेशनों का कुल संचयी विद्युत उत्पादन 24855 एमयू था, जो हमारे पावर स्टेशनों से अतिरिक्त पर्यावरण प्रवाह छोड़ने के बावजूद हमारा दूसरा सबसे बड़ा वार्षिक विद्युत उत्पादन है। हमारे संयंत्रों के पीएफ में काफी सुधार हुआ है और हमने इस क्रियाविधि की शुरुआत से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अपना उच्चतम वार्षिक समग्र पीएफ 88.19% दर्ज किया है। आपकी कंपनी के 20 जलविद्युत स्टेशनों में से, 16 पावर स्टेशनों ने अपने संबंधित एनपीएफ (मानक पीएफ) हासिल कर लिए हैं।

वित्तीय निष्पादन का अवलोकन:

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रशंसनीय वित्तीय परिणाम भी प्राप्त किए हैं। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में एकल आधार पर 3,537.71 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक निवल लाभ (कर पश्चात) अर्जित किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 3,245.06 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल आय 9,379.98 करोड़ रुपये थी। पूर्व वित्तीय वर्ष में कुल व्यापक आय 3,252.26 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 3,550.47 करोड़ रुपये हो गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रचालन से राजस्व 8,353.80 करोड़ रुपये था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 502.25 करोड़ रुपये की राशि के लिए 0.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। उपर्युक्त लाभांश मार्च, 2022 में भुगतान किए गए 1,315.90 करोड़ रुपये की राशि के प्रति इक्विटी शेयर 1.31 रुपये के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल लाभांश 1.81 रुपये प्रति इक्विटी शेयर 1,818.15 करोड़ रुपये है। यह लगातार 13वां वर्ष है जब कंपनी ने सूचीबद्ध होने के बाद से लाभांश का भुगतान किया है।

प्रौद्योगिकी लहर की ओर बढ़ते हुए

विश्व ने पिछले दशक में काफी तकनीकी परिवर्तन देखे हैं और

इनमें से कई अत्याधुनिक तकनीकों को जलविद्युत उद्योग द्वारा भी अपनाया जा रहा है। इनमें से कुछ का प्रदर्शन और चर्चा 27वीं कांग्रेस और बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीओएलडी) की 90वीं वार्षिक बैठक में की गई थी। यह दशक और अधिक तकनीकी सफलताओं को देखने जा रहा है और एक संगठन के रूप में हमें अपने कामकाज में दक्ष बनने के लिए उन्हें अपनाना चाहिए। आगे चलकर, प्रौद्योगिकी हमें लगातार बदलते व्यापारिक परिदृश्यों का प्रतिउत्तर देने में मदद करेगी, मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करेगी और इस प्रकार कंपनी प्रतिस्पर्धियों से आगे रहेगी।

वर्ष की मुख्य विशेषताएं

आपकी कंपनी भारत में सबसे बड़ी जलविद्युत कंपनी है। विगत वर्ष में, एनएचपीसी ने अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास से कई लक्ष्य पार किए हैं।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. एनएचपीसी ने "ओडिशा में विभिन्न जल निकायों पर 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं के विकास" के लिए ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (जीईडीसीओएल) के साथ प्रमोटर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएचपीसी और जीईडीसीओएल के बीच संयुक्त उद्यम में इक्विटी भागीदारी 74:26 के अनुपात में प्रस्तावित है। इसके पूरा होने पर यह परियोजना विश्व में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं में से एक होने जा रही है।
2. माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 850 मेगावाट की रतले जलविद्युत परियोजना (रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एनएचपीसी की सहायक कंपनी है, के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है) और 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना (चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एनएचपीसी की सहायक कंपनी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है) की आधारशिला रखी।
3. एनएचपीसी ने "राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड और राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ राजस्थान में 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पार्क/परियोजनाओं के विकास" के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
4. एनएचपीसी ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) द्वारा आयोजित ई-रिवर्स नीलामी में सीपीएसयू स्कीम, फेज-II, ट्रेच-III के अंतर्गत 44.90 लाख रुपये/मेगावाट की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) पर 1000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना हासिल की।

5. आंध्र प्रदेश सरकार ने एनएचपीसी और राज्य सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित की जाने वाली 6600 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली सात पम्पड स्टोरेज परियोजनाएं आवंटित करने के लिए सहमति दी है।
6. एनएचपीसी ने जेकेएसपीडीसी लिमिटेड से 1856 मेगावाट की सावलकोट जलविद्युत परियोजना को अपने हाथ में लिया।
7. एनएचपीसी ने अपने चमेरा-I पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश के इक्विटी पर आय के प्रतिभूतिकरण के माध्यम से भावी नकदी प्रवाह के मुद्रीकरण के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। चमेरा-I पावर स्टेशन के 10 वर्षों के भावी नकदी प्रवाह के लिए मुद्रीकरण सौदे से 1,016.39 करोड़ रुपये का वर्तमान मूल्य प्राप्त हुआ है।
8. एनएचपीसी ने विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप करने के लिए एनआईटी दुर्गापुर की सेवाएं लेने हेतु एनआईटी दुर्गापुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
9. 1000 मेगावाट की पकल दुल जलविद्युत परियोजना, 624 मेगावाट किरु जलविद्युत परियोजना और 120 मेगावाट रंगित-IV जलविद्युत परियोजना का नदी मोड़ कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
10. ऊर्जा बाजार में विशेषज्ञता रखने वाली एक स्वतंत्र यूएस परामर्शी फर्म एनर्जी इंटेलिजेंस द्वारा प्रकाशित "टॉप 100 ग्रीन यूटिलिटीज" में एनएचपीसी का 25वां स्थान है।
11. जिला प्रशासन, फरीदाबाद, हरियाणा ने स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए एनएचपीसी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और अभिशासन

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता एनएचपीसी व्यावसायिक नीति का अभिन्न अंग रहा है। एनएचपीसी निम्नलिखित के अनुरूप उच्च स्तर की संगठनात्मक अखंडता और नैतिक व्यवहार को बनाए रखते हुए सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से अपने व्यवसाय का प्रचालन करती है:

- (i) इसके क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में निष्पादन की रिपोर्टिंग और प्रकटन करने में पारदर्शिता के अपेक्षित मानक,
- (ii) सामाजिक कल्याण को महत्व देना,
- (iii) सर्वोत्तम प्रबंधन परिपाटियों को अपनाना, और
- (iv) सभी हितधारकों आदि का विश्वास जीतने के लिए प्रभावी प्रचालनात्मक पद्धतियां।

हमारे कार्य हमारे मूल्यों और सिद्धांतों से शासित होते हैं जिन्हें कंपनी के भीतर सभी स्तरों पर बल दिया जाता है। हम उन चीजों को सही तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें

व्यापारिक निर्णय लेना तथा नैतिकता एवं लागू कानूनों के अनुरूप कार्य करना शामिल है।

आपकी कंपनी एक कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपनी भूमिका के प्रति पूरी तरह से जागरूक और संवेदनशील है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता संबंधी सुगठित नीति के माध्यम से समाज के हाशिए के वर्गों तक पहुंचती है। एनएचपीसी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता, महिला सशक्तिकरण, खेल, कला एवं संस्कृति आदि के संवर्धन के क्षेत्रों में अपनी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/यूनिटों में और उसके आसपास रहने वाले समुदाय के लिए कई सीएसआर पहलों को लागू किया जिससे काफी सामाजिक-आर्थिक विकास हुआ है।

महामारी प्रभावित वर्ष में आपकी कंपनी ने आम जनता के स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को कम करने के लिए शुरु से ही कई पहलों की हैं। इसने राज्य/केंद्र सरकार तथा देश भर में अपने प्रतिष्ठानों के आसपास रहने वाले समुदाय को भी हर संभव सहायता प्रदान की। परियोजना/पावर स्टेशनों के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित स्थानीय गांवों के निवासियों के लिए कई टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीके प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचें। समय बीतने के साथ, आपकी कंपनी की सीएसआर पहल के पदचिह्न अब तक अछूते क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर और एसडी क्रियाकलापों पर व्यय 105.29 करोड़ रुपये था जिसमें पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपये का अंशदान शामिल है।

आपका प्रबंधन निगमित अभिशासन के मानदंडों और परिपाटियों का पालन करने के लिए जिम्मेदारी, महत्ता और आवश्यकता को पहचानता है तथा तदनुसार कंपनी के सभी प्रचालन और प्रक्रियाएं की जाती हैं। आपकी कंपनी सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी सीपीएसईज के लिए निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित निगमित अभिशासन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की परिधि के अंतर्गत आने वाले अनुपालनों की सीमा तक हमेशा निष्ठापूर्वक प्रयास करती है। वर्ष 2021-22 के दौरान, डीपीई द्वारा निर्धारित 'निगमित अभिशासन ग्रेडिंग सिस्टम' के अनुसार आपकी कंपनी के 'निगमित अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों' के अनुपालन को 'उत्कृष्ट' रेटिंग दी गई है।

पुरस्कार और सम्मान

आपकी कंपनी द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की विभिन्न स्तरों पर सराहना की गई है। आपकी कंपनी को निम्नलिखित सम्मान प्राप्त हुए:-

1. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 'वित्तीय

रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता' के लिए गोल्ड शील्ड "इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर-500 करोड़ रुपये के टर्नओवर के बराबर अथवा उससे अधिक" की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। कंपनी ने "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों" की श्रेणी में साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स (एसएएफए) से 'सर्वोत्तम प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट' के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया।

2. एनएचपीसी की राजभाषा पत्रिका 'राजभाषा ज्योति' को वर्ष 2019-20 के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'क' क्षेत्र में 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (गृह पत्रिका)' के अंतर्गत 'प्रथम पुरस्कार' प्रदान किया गया। एनएचपीसी को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत राजभाषा के कार्यान्वयन में सराहनीय कार्य के लिए द्वितीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया है।
3. एनएचपीसी को नई दिल्ली में ईक्यू के पीवी इन्वेस्ट टेक इंडिया सम्मेलन और पुरस्कारों के दौरान ईक्यू इंटरनेशनल द्वारा गोल्ड श्रेणी में "पीएसयू डेवलपर ऑफ द एयर" पुरस्कार प्रदान किया गया था।
4. वाटर डाइजेस्ट वाटर अवाइर्स, 2021-2022 में एनएचपीसी को 'बांध पुनरुद्धार परियोजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन' की श्रेणी में 'विजेता' घोषित किया गया था।
5. एनएचपीसी को आईओएचडी (एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, दिल्ली) द्वारा एनवायरनमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ (ईएनओसीएच) के क्षेत्र में अपने अनुकरणीय योगदान देने के लिए 'आईओएचडी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक्सेलेंस अवार्ड - सार्वजनिक क्षेत्र' प्रदान किया गया है।
6. 120 देशों में प्रचालनरत लंदन स्थित गैर-लाभकारी सदस्यता संघ, इंटरनेशनल हाइड्रोपावर एसोसिएशन (आईएचए) द्वारा एनएचपीसी के 510 मेगावाट के तीस्ता-V पावर स्टेशन को प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार प्रदान किया गया है।

समापन विचार

पिछले कुछ वर्ष पूरी मानवता के लिए बहुत कठिन रहे हैं, फिर भी आपकी कंपनी ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और इसके सभी सदस्यों ने एक टीम के रूप में कार्य किया। इस अशांत अवधि के दौरान हमने अपने पावर स्टेशनों के प्रचालन और रखरखाव को सुदृढ़ करते हुए अपनी परियोजना निष्पादन क्षमताओं में सुधार किया है। इससे हमें अब तक के उच्चतम

कैपेक्स के साथ-साथ अब तक के उच्चतम पीएफएफ हासिल करने में मदद मिली है। अनुकरणीय और उत्कृष्ट प्रयास आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त त्वरित व्यापार संचय में परिलक्षित हो रहे हैं। आपकी कंपनी की निर्माणाधीन परियोजना क्षमता रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कई नए अवसरों की शुरुआत हो रही है और निश्चित रहें कि हम उन सभी में उत्कृष्टता हासिल करेंगे। आने वाला समय चुनौतियों और अवसरों से भरा है। एनएचपीसी की टीम आपके सहयोग से नई चोटियों पर परचम फहराने के लिए तैयार है।

मैं अपने साथी बोर्ड सदस्यों द्वारा दिए गए योगदान और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए सराहना करना चाहूंगा।

मैं भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय के साथ-साथ केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों तथा विभिन्न राज्य सरकारों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समय-समय पर भारी समर्थन के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

मैं बैंकरों, निवेशकों, शेयरधारकों, ग्राहकों, परामर्शदाताओं, संविदाकारों, विक्रेताओं आदि सहित हमारे मूल्यवान हितधारकों को विश्वास करने के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यह हमें अपने सभी कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और शेयरधारकों के साथ-साथ राष्ट्र के लिए लगातार प्रतिष्ठा बनाने के लिए प्रेरित करता है। हम हर दिन आपका निरंतर विश्वास अर्जित करने का लक्ष्य और आकांक्षा रखते हैं।

अंत में, मैं एनएचपीसी के हमारे कर्मचारियों को एक और सफल वर्ष के दौरान कड़ी मेहनत करने और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं।

एनएचपीसी ने हमेशा संगठन की प्रमुख क्षमताओं को सुदृढ़ करने को महत्व दिया है, ताकि यह सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को बेहतर बनाता रहे। मैं फिर से पुष्टि करता हूं कि हम सुधार करते रहेंगे और उत्कृष्टता के नए लक्ष्य सृजित करेंगे।

धन्यवाद सहित,



(अनंद कुमार सिंह)

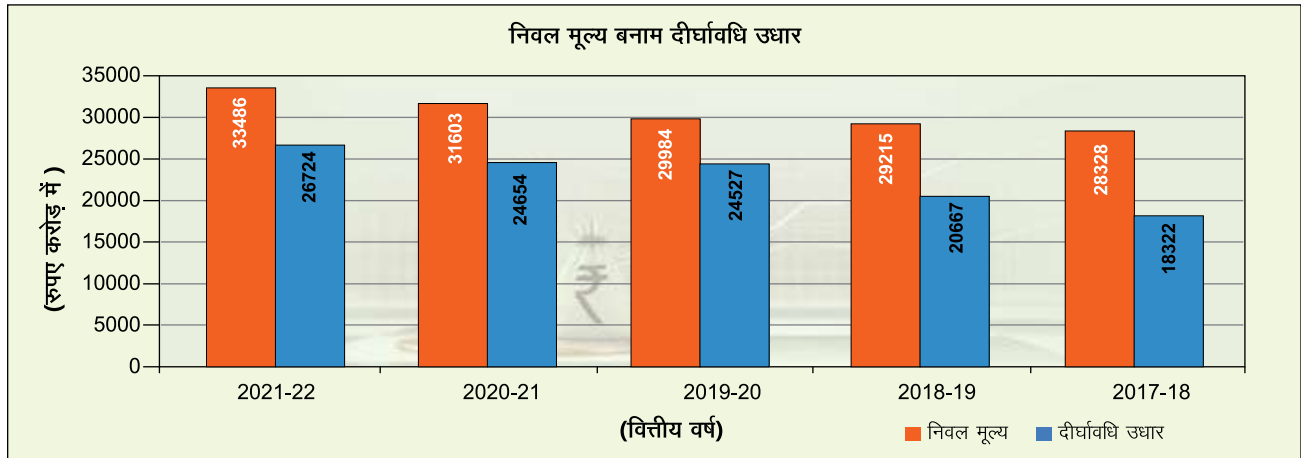
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन 08646003

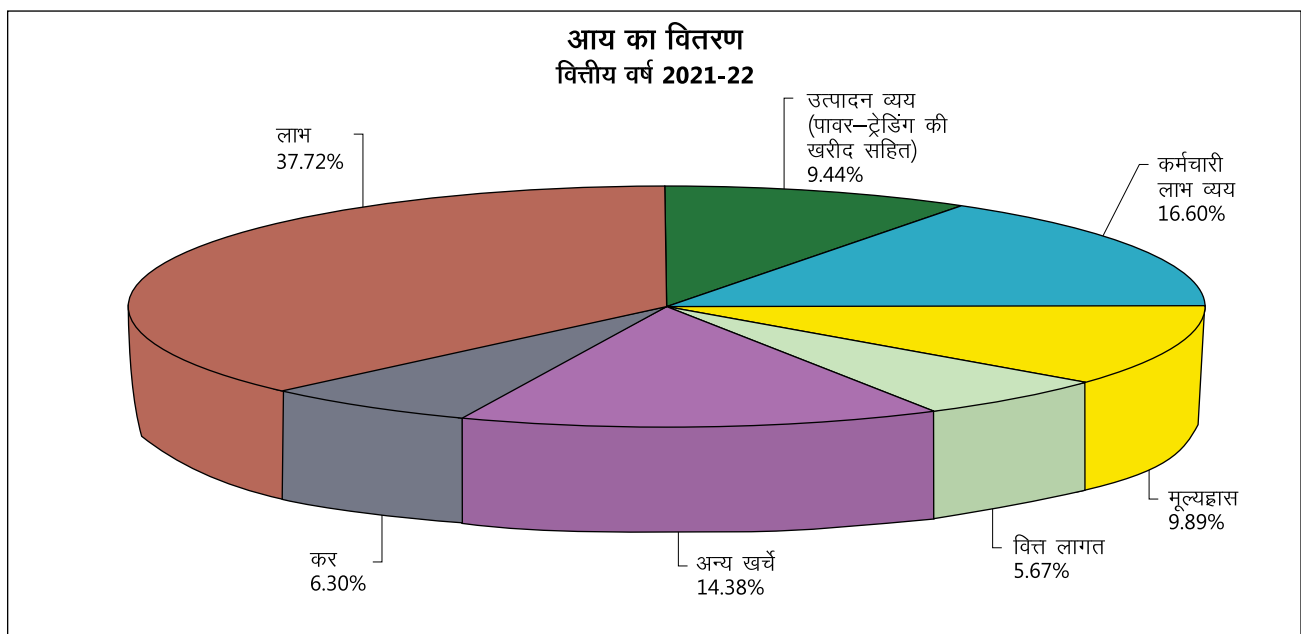
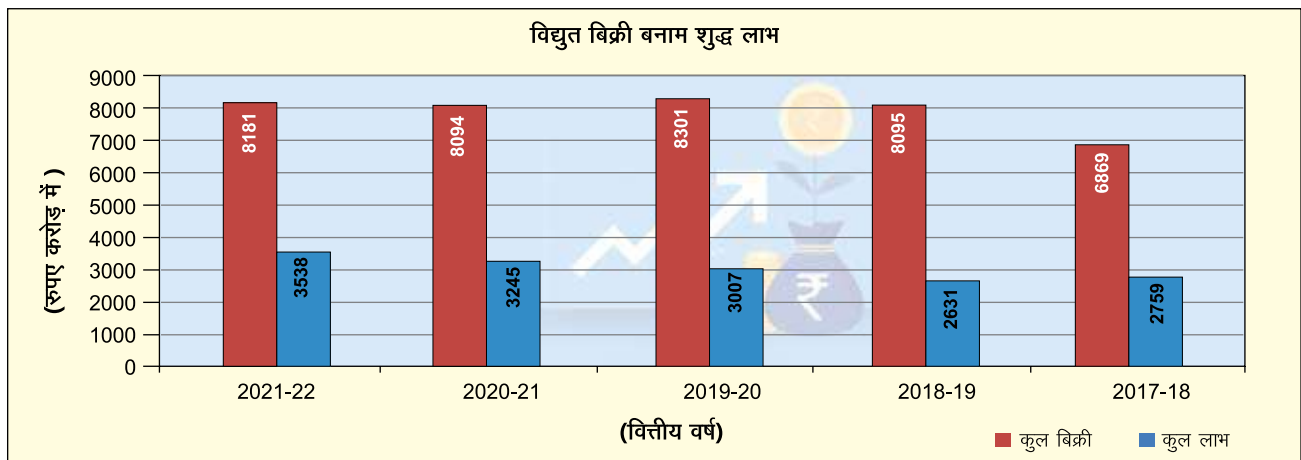
दिनांक: 25 जुलाई, 2022

स्थान: फरीदाबाद

एनएचपीसी का निष्पादन



दीर्घावधि उधारों में तत्संबंधी, उनकी वर्तमान परिपक्वताओं सहित पट्टे की बाध्यताएं और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय राशि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के आंकड़े संबंधित वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट से लिए गए हैं।



टिप्पणी – वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभार्थियों को दी गई 1313.27 करोड़ रुपये की एमएटी क्रेडिट का समायोजन कर व्यय में समायोजित किया गया।

निदेशकों का प्रोफाइल



श्री अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08646003

श्री अभय कुमार सिंह (59 वर्ष) एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। वे एनएचपीसी लिमिटेड और लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं।

श्री अभय कुमार सिंह रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर (अब एनआईटी) से 1983 बैच के सिविल इंजीनियरिंग स्नातक हैं तथा उन्हें जल-विज्ञान क्षेत्र में 37 वर्ष का व्यापक अनुभव है। श्री सिंह ने 1985 में एनएचपीसी में परीक्षा कार्यपालक के रूप में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। सफलता पाने के जुनून और अपेक्षित प्रतिभा रखने के कारण, श्री सिंह ने लगातार वरिष्ठ पद प्राप्त किए और इस अवधि के दौरान वे कई सफल परियोजनाओं से जुड़े रहे जिन्होंने देश में प्रमुख जलविद्युत विकासकर्ता के रूप में एनएचपीसी के दर्जे को विशिष्ट रूप से दर्शाया। उन्होंने टनकपुर, धौलीगंगा, तीस्ता लो डैम स्टेज-IV पार्वती-II, पार्वती-III और किशनगंगा जैसी परियोजनाओं के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख के रूप में, उन्होंने सौर और पवन क्षेत्रों में विविधीकरण लाने के प्रयासों में एनएचपीसी के प्रयासों को गति दी।

एनएचपीसी के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान, श्री सिंह ने उल्लेखनीय योगदान देते हुए संगठन की सेवा की है। श्री सिंह जल-विद्युत विकास के सभी पहलुओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उन्होंने परियोजना निर्माण के अपने विशेषज्ञता क्षेत्र के अलावा अनेक अन्य समकक्ष क्षेत्रों जैसे परियोजना निगरानी और आयोजन, व्यवसाय विकास आदि में भी कार्य किया है। उन्होंने हमेशा संगठन की परियोजना निष्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर दिया है।

एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभालने के समय से, श्री सिंह ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने तथा समय और लागत वृद्धि को कम करने पर जोर देते हुए, एनएचपीसी के व्यापार पोर्टफोलियो को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस अवधि में, एनएचपीसी ने न केवल 3000 मेगावाट से अधिक की कुल संस्थापित क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, बल्कि आवंटन के लिए विचाराधीन 10000 मेगावाट से अधिक क्षमता के साथ अपना विस्तार कर रही है। संगठन ने नवीकरणीय ऊर्जा में भी विशेष रूप से सौर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति में जबरदस्त वृद्धि की है। 3000 मेगावाट से अधिक की सौर परियोजनाएं पहले ही आवंटित की जा चुकी हैं जबकि लगभग 1000 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति में है। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए डिस्कॉम के साथ बहुत अधिक अनुसरण पर भी बल दिया है, जिसके फलस्वरूप अधिकतम वार्षिक राजस्व की वसूली हुई है।

श्री अभय कुमार सिंह ने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा टीम के दृष्टिकोण और मजबूत टीमों के विकास पर जोर दिया है। वे सर्वोत्तम प्रथाओं को संस्था में अपनाने और अभिनव पहल के कार्यान्वयन में दृढ़ विश्वास रखते हैं। श्री सिंह के पास तकनीकी और लोक प्रबंधन कौशल का एक उत्कृष्ट मिश्रण है तथा वे त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने के लिए कार्मिकों को सशक्त बनाने में विश्वास करते हैं। श्री सिंह जल विद्युत विकास और इन परियोजनाओं द्वारा परियोजना क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में निभाई जा रही मुख्य भूमिका को लेकर बेहद गंभीर हैं।



श्री यमुना कुमार चौबे
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन: 08492346

श्री यमुना कुमार चौबे (59 वर्ष) आईआईटी, खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और एनएचपीसी लिमिटेड में 540 मेगावाट चमेरा जलविद्युत परियोजना, (वर्तमान में चमेरा-I पावर स्टेशन), हिमाचल प्रदेश में परीक्षा कार्यपालक (सिविल) के रूप में शामिल हुए और तब से लेकर अब तक वे अपने करियर में निरंतर आगे बढ़ते हुए आज इस पद पर पहुंच गए हैं।

1 अप्रैल, 2020 से निदेशक (तकनीकी) के रूप में एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में शामिल होने से पूर्व, श्री चौबे एनएचपीसी लिमिटेड में कार्यपालक निदेशक थे और वे निगम मुख्यालय के सिविल संविदा विभाग और ई एंड एम संविदा विभाग के प्रभारी थे। वह बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट

लिमिटेड और रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में क्रमशः दिनांक 01.10.2020 और 01.06.2021 से नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं।

एनएचपीसी के विभिन्न विभागों जैसे संविदा, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग और निर्माण परियोजनाओं में 34 से अधिक वर्षों तक कार्य करते हुए उनके पास जलविद्युत के विकास के सभी पहलुओं में अवधारणा से लेकर स्थापना तक का अगाध अनुभव है और उन्होंने एनएचपीसी लिमिटेड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पूर्व, वे कार्यपालक निदेशक (संविदा) के पद पर थे। वह प्रमुख संविदाओं अर्थात् सिविल, हाइड्रो-मैकेनिकल, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, सोलर आदि को अंतिम रूप देने और उनके कार्य करने के लिए उत्तरदायी थे जिसमें कार्य प्रदान किए जाने के पूर्व और बाद के चरणों से संबंधित संविदात्मक मुद्दों का निपटान भी शामिल था।

श्री चौबे का करियर डिजाइन और इंजीनियरिंग विभाग में 25 वर्ष से अधिक का रहा है जहां उन्होंने पीएफआर/ एफआर/ डीपीआर के लिए आयोजना एवं लेआउट इंजीनियरिंग और हाइड्रो-इलेक्ट्रिक/रिवर वैली परियोजनाओं के निर्माण के लेआउट इंजीनियरिंग में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्हें अनेक प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं जैसे 540 मेगावाट की चमेरा-I परियोजना, हिमाचल प्रदेश, 60 मेगावाट की कुरिचू परियोजना, भूटान, 231 मेगावाट की चमेरा-III परियोजना, हिमाचल प्रदेश, 2000 मेगावाट की सुबानसिरी लोअर परियोजना, अरुणाचल प्रदेश, 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की डिजाइनिंग और आयोजना का श्रेय प्राप्त है।

उन्होंने एनएचपीसी की दो प्रतिष्ठित परियोजनाओं के निर्माण में भी अपनी सेवाएं दी हैं अर्थात् 540 मेगावाट की चमेरा-I परियोजना, हिमाचल प्रदेश जिसे कनाडा के एसएनसी/एसीआरईएस के सहयोग से निष्पादित किया गया और 480 मेगावाट की उड़ी एचई परियोजना, जम्मू और कश्मीर जिसे उड़ी सिविल – स्वीडिश कंसोर्टियम द्वारा टर्नकी आधार पर निष्पादित किया गया।

उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में वर्ष 2014 में बीजिंग, चीन में आयोजित तीसरी चीन-भारत रणनीति आर्थिक वार्ता के लिए नामित कार्य-दल के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में भी अपना योगदान दिया। पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के अनुरोध पर, उन्होंने 2017 में कॉफर बांध की वैकल्पिक व्यवस्था वाली पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के लिए एनएचपीसी विशेषज्ञ दल का नेतृत्व किया।

वह वर्ष 1993 में प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम के तहत स्टॉकहोम, स्वीडन गए। उन्होंने सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित आईसीओएलडी-2004 और जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीओएलडी-2016 में भाग लिया।



श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल

निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 08645380

श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल (57 वर्ष) ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 को एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री गोयल ने दिनांक 18 नवंबर, 1988 को वरिष्ठ लेखाकार के रूप में एनएचपीसी में अपनी सेवा की शुरुआत की। उन्होंने आरंभ में जम्मू व कश्मीर में सलाल पावर स्टेशन में कार्यभार ग्रहण किया और उसके बाद विभिन्न पदों पर चमेरा-I परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू और कारपोरेट

कार्यालय, फरीदाबाद में कार्य किया। श्री गोयल सेवा प्रभाग, कारपोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू में वित्त प्रमुख रहे हैं। निदेशक (वित्त) का कार्य-भार ग्रहण करने से पूर्व वे मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में कार्य कर रहे थे और कारपोरेट लेखा एवं नीति, कराधान, बैंकिंग, स्थापना और निवेशक संबंध अनुभाग के प्रमुख थे।

श्री गोयल लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लि. (एलडीएचसीएल), चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल), रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनियां) के बोर्ड में नामिती निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। श्री गोयल स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (स्कोप), नई दिल्ली के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में भी चुने गए हैं।

श्री गोयल को नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनपीटीआई), फरीदाबाद के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

श्री गोयल भारतीय लागत लेखा संस्थान के एक एसोसिएट्स सदस्य हैं और इनके पास राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से वाणिज्य में परा-स्नातक की डिग्री भी है। श्री गोयल को हाइड्रो परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालनों में निहित वित्तीय, संविदागत और विनियामक मुद्दों की गहरी समझ और विस्तृत ज्ञान के साथ वित्त के मुख्य क्षेत्रों में एनएचपीसी लिमिटेड में 33 वर्षों से अधिक का विशाल अनुभव है। उनके नेतृत्व गुणों, अवधारणात्मक स्पष्टता और पेशेवर तरीके से कार्य करने की क्षमता उत्कृष्ट है।

एनएचपीसी में अपनी सेवा के दौरान, श्री गोयल ने कंपनी में जिम्मेदारी, नैतिकता और समर्पण की अत्यधिक भावना के बल पर पेशेगत सोपान तक पहुंचे हैं। उन्होंने अपने आप को एक उत्कृष्ट पेशेवर के रूप में साबित किया है और एनएचपीसी के निरंतर विकास में अपना स्थान बनाया है।



श्री बिश्वजीत बासु
निदेशक (परियोजनाएं)
डीआईएन: 09003080

श्री बिश्वजीत बासु (58 वर्ष) ने दिनांक 1 जनवरी, 2021 को एनएचपीसी के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने वर्ष 1986 में विद्युत अभियांत्रिकी में त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज (अब एनआईटी, अगरतला) से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इन्हें जलविद्युत के क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक का विविध अनुभव है।

श्री बिश्वजीत बासु, वर्ष 1987 से एनएचपीसी लिमिटेड से जुड़े हुए हैं और ये धीरे-धीरे जिम्मेदारी, नैतिकता और समर्पण की अत्यधिक भावना के साथ इस पद तक पहुंचे हैं। निदेशक (परियोजनाएं)

के रूप में अपने वर्तमान कार्य भार में, श्री बासु एनएचपीसी की सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रभारी हैं जिसमें हाइड्रो तथा नवीकरणीय परियोजनाएं शामिल हैं। कारपोरेट कार्यालय के विभिन्न विभागों के मुख्य कार्य अर्थात् परियोजना मॉनिटरिंग एवं समर्थन समूह (पीएमएसजी), आईटीएंडसी, निर्माण उपकरण योजना एवं मॉनीटरिंग (सीईपीएम), मध्यस्थता, नवीकरणीय ऊर्जा, सीएसआर-एसडी, कारपोरेट संचार तथा एस्टेट प्रबंधन सेवाएं भी उनके कार्य-क्षेत्र में आते हैं।

एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पूर्व, श्री बासु ने एनएचपीसी में विभिन्न पदों पर कार्य किया है और निर्माण और ओएंडएम चरण के दौरान एनएचपीसी की अधिकांश परियोजनाओं में योगदान किया है। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं अर्थात् चुटक पावर स्टेशन, लोकतक पावर स्टेशन, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना और धौलीगंगा पावर स्टेशन के परियोजना प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। टीएलडीपी-III पावर स्टेशन को चालू किए जाने के दौरान, वे परियोजना चालू करने वाले दल के प्रभारी थे। उन्होंने लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) के सीईओ के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीडन और फ्रांस जैसे देशों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

श्री बासु एक उत्साही खिलाड़ी हैं और वे अखिल भारतीय विद्युत क्षेत्र फुटबाल टूर्नामेंट में लोकतक पावर स्टेशन में अपने कार्यकाल (1988-1994) के दौरान एनएचपीसी फुटबाल टीम के कप्तान थे।

वर्तमान में श्री बासु लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल), जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) और एनएचपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) (एनएचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के बोर्ड में नामित निदेशक - अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही वे बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (एनएचपीसी और यूपीएनईडीए का संयुक्त उद्यम) तथा रतले-हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी का संयुक्त उद्यम) के बोर्ड में नामित निदेशक हैं।



श्री रघुराज माधव राजेंद्रन
सरकारी नामिती निदेशक
डीआईएन: 07772370

श्री रघुराज माधव राजेंद्रन (43 वर्ष), संयुक्त सचिव (विद्युत मंत्रालय), भारतीय प्रशासनिक सेवा (2004 बैच) के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। वह केरल के निवासी हैं और मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट (पूर्वनाम रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कालीकट) से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटेशन इंजीनियरिंग में बी.टेक डिग्री प्राप्त की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में, श्री रघुराज माधव राजेंद्रन को मंत्रिमंडल संबंधी मामलों, सामाजिक न्याय और

अधिकारिता, ग्रामीण रोजगार, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। दिसंबर, 2017 से वह भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

उन्होंने निदेशक - पीएमओ; मंत्री के निजी सचिव - इस्पात मंत्रालय; उप निदेशक, एलबीएसएनएए, मसूरी, आदि जैसे भारत सरकार और मध्य प्रदेश, राज्य सरकार में प्रशासनिक पदों का कार्य भार संभाला है।

वर्तमान में श्री रघुराज माधव राजेंद्रन पीटीसी इंडिया लिमिटेड और एसजेवीएन लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।



डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन: 07592413

डॉ. निर्गुडकर (57 वर्ष) पुणे विश्वविद्यालय से विपणन प्रबंधन में एमबीए और पीएचडी हैं।

उन्हें आईटी, आईटी सक्षम सेवाओं, शिक्षा, अवसंरचना, वित्त, मीडिया और अर्थशास्त्र में 28 से अधिक वर्षों का विविध अनुभव है। वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों में शीर्ष पदों पर रहे हैं और प्रबंधन कौशल पर अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में आयोजित कार्यशालाओं में उनका प्रतिनिधित्व किया है।

विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रौद्योगिकी और शिक्षा पर उन्होंने लेख लिखे हैं। उन्होंने आईटी, टीक्यूएम, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग के सामरिक उपयोग पर चार पुस्तकों का संकलन किया है। डॉ. निर्गुडकर ने वैश्वीकरण और भारत के बदलते स्वरूप विषय पर 'लोकल टू ग्लोबल' और 'ऑल अबाउट विनिंग इंडियन इलेक्शन' नामक पुस्तकें लिखी हैं।

आईटी और आईटीईएस कंपनियों में सीईओ के रूप में बड़ी कंपनियों का नेतृत्व किया है। देश भर में प्रौद्योगिकी अवसंरचना और कौशल विकास में बड़े पैमाने पर प्रोजेक्टों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया है।

वह एक बड़ी समाचार मीडिया कंपनी में सीईओ एवं प्रधान संपादक के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट डोमेन में उसके दर्शकों एवं व्यवसाय को संचालित किया। पत्रकारिता को और अधिक सकारात्मक बनाकर तथा 'धागा शौर्य का, राखी अभिमान की' व 'आपला सैनिक, आपली दिवाली' जैसे सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत करके पत्रकारिता में एक बड़ा बदलाव लाए।

उन्होंने करंट अफेयर्स पर एक दैनिक डिबेट शो और सप्ताहांत पर विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों के साक्षात्कार की श्रृंखला की एंकरिंग की। यह शो बेहद लोकप्रिय था और इसे सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाचार चैनल के लिए कई सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोजेक्टों का संचालन किया।

मुंबई में आतंकी हमलों के बाद स्थापित किए गए फोर्स वन कमांडो यूनिट के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

डॉ. निर्गुडकर 15 नवम्बर, 2021 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुए। डॉ. निर्गुडकर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में डॉ. निर्गुडकर निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।



प्रो. (डॉ.) अमित कंसल, पीएचडी

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन: 07722428

प्रो. (डॉ.) अमित कंसल, पीएचडी (46 वर्ष) का जन्म 24 सितंबर, 1975 को पंजाब के संगरूर जिले में हरियाणा की सीमा के पास शहीद उधम सिंह वाला, सुनाम के नाम से मशहूर शहीद भूमि पर हुआ था, डॉ. अमित कंसल ने अपनी पूरी शिक्षा के दौरान उत्कृष्ट अकादमिक साख हासिल की है। उन्होंने पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस शोध कार्य "1967 से पंजाब में अकाली गठबंधन" पर थी, जिसे विभिन्न राजनीतिक विद्वानों द्वारा विभिन्न प्लेटफार्मों पर

सराहा गया। उन्होंने विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों और विश्वविद्यालयों से राजनीति विज्ञान, पत्रकारिता और जनसंचार एवं दूरस्थ शिक्षा में तीन मास्टर डिग्री पूरी की। हमेशा सीखने की प्रवृत्ति के साथ, शिक्षा के निरंतर उन्नयन के माध्यम से अपने विश्लेषणात्मक कौशल को प्रखर करने में उनकी गहरी रुचि रही है। हाल ही में, उन्होंने लॉ (एलएलबी) की डिग्री हासिल की है।

उनकी सम्पूर्ण स्कूली शिक्षा ऊधम ज्योति पब्लिक स्कूल, सुनाम से हुई है। अपने स्कूल के दिनों से ही, सामयिक राजनीति और समाज के जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में उनकी गहरी रुचि थी। चूंकि उनका पूरा परिवार सामाजिक कार्यों में सत्यनिष्ठा से लगा हुआ है, इसीलिए वे भी परिवार की इस विरासत को विस्तृत रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। स्थानीय और राज्य स्तर पर विभिन्न प्रसिद्ध संस्थाओं और क्लबों ने उन्हें सम्मानित किया है और उनके कार्यों की सराहना की है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय और राज्य प्रशासन द्वारा उनके प्रयासों की काफी सराहना की जाती है।

वर्तमान में, डॉ. कंसल नेहरू मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज, मानसा, पंजाब के वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर और राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रशंसित और प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं और कार्यक्रम अधिकारी के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, यूजीसी तथा विशेषज्ञ के रूप में आरयूएसए जैसे प्रतिष्ठित संगठनों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, वे स्कूल और कॉलेज छोड़ने वाले गरीब एवं वंचित छात्रों के बीच दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वे वर्ष 2013 से ही विख्यात राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू, नई दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। ग्रामीण और वंचित युवाओं के साथ

काम करते हुए, उन्होंने 5000 से अधिक छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके कौशल विकास में वृद्धि की है। उनमें से कई ने अपना स्टार्ट-अप शुरू किया और आज अच्छा जीवन जी रहे हैं। वे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

उपर्युक्त के अलावा, डॉ. कंसल कृष्णा गुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रैली (बुधलाधा) में निदेशक (प्रशासन व अकादमी) के पद पर भी कार्यरत हैं। वे सामाजिक कार्यों में विशेष रूप से शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शामिल हैं। वे निर्माण कैम्पस ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सुनाम, पंजाब के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं।

सामाजिक रूप से, वे निर्माण (एक सामाजिक संगठन) और कंसल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के मुख्य कार्यपालक व संस्थापक हैं। अपने अथक और निस्वार्थ प्रयासों के कारण, वे सभी के बीच प्रोफेसर, शिक्षक और अच्छे इंसान के रूप में लोकप्रिय हैं। उनके नेतृत्व पर विश्वास के कारण, उन्हें एबीवीपी, पंजाब में राज्य उपाध्यक्ष जैसे उच्च पद और कई अन्य प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्त किया गया। उन्होंने सर्वहितकारी एजुकेशन सोसाइटी (विद्या भारती), पंजाब के राज्य कार्यकारी सदस्य के रूप में भी काम किया और सभी संस्थानों को अधिक उपयोगी बनाने और उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए संस्थानों और प्रधानाचार्यों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने श्री सूरज कुंड सर्वहितकारी विद्या मंदिर, सुनाम और सीनियर चेतन सिंह सर्वहितकारी विद्या मंदिर, मनसा के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है और अन्य संस्थानों में दी गई सेवाओं की लंबी फेहरिस्त है।

उनके विभिन्न प्रकाशन उनके मजबूत अकादमिक कुशाग्रता को प्रदर्शित करते हैं। उनके नाम से कई प्रकाशन उपलब्ध हैं। भारत की विदेश नीति, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति, पंजाब राजनीति— पुस्तकों के कुछ नाम हैं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं। उन्होंने विभिन्न मंचों पर अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया है और उनके विभिन्न वैज्ञानिक शोध-पत्र प्रतिष्ठित जर्नलों में प्रकाशित हुए हैं। उन्हें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी जैसी विभिन्न भाषाओं का ज्ञान है।

डॉ. कंसल नवंबर, 2021 में स्वतंत्र निदेशक के रूप में एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में शामिल हुए।



डॉ. रश्मि शर्मा रावल

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन: 09410683

डॉ. रश्मि शर्मा रावल (55 वर्ष) ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय से कला (भूगोल) में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और भूगोल (जनसंख्या भूगोल) में अपनी पीएचडी पूरी की है। वर्तमान में, वे एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आर.एस.एम. (पीजी) कॉलेज, धामपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के भूगोल विभाग की प्रभारी हैं।

उन्होंने 16 डाइरेक्टिंग थीसिस, 90 लघु डाइरेक्टिंग निबंध लिखे हैं और 25 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। उनके द्वारा लिखी गई छह किताबों का प्रकाशन हो चुका है। डॉ. रावल 1984 से आकाशवाणी (एआईआर), नजीबाबाद (प्रसार भारती) में विभिन्न विषयों/मुद्दों की वार्ताकार हैं। वे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) प्रयागराज के लिए एक परीक्षक (उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन), प्रश्न पत्र लेखक और समीक्षक भी हैं। वे झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची की परीक्षक (पोस्ट-बुक मूल्यांकन) हैं तथा रुहेलखंड जियोग्राफिकल जर्नल ऑफ इंडिया—एक रेफरीड रिसर्च जर्नल (आईएसएसएन नंबर 0976-8556) की मुख्य संपादक भी हैं।

डॉ. रश्मि शर्मा रावल नवंबर, 2021 को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुईं।



श्री जीजी जोसफ

स्वतंत्र निदेशक

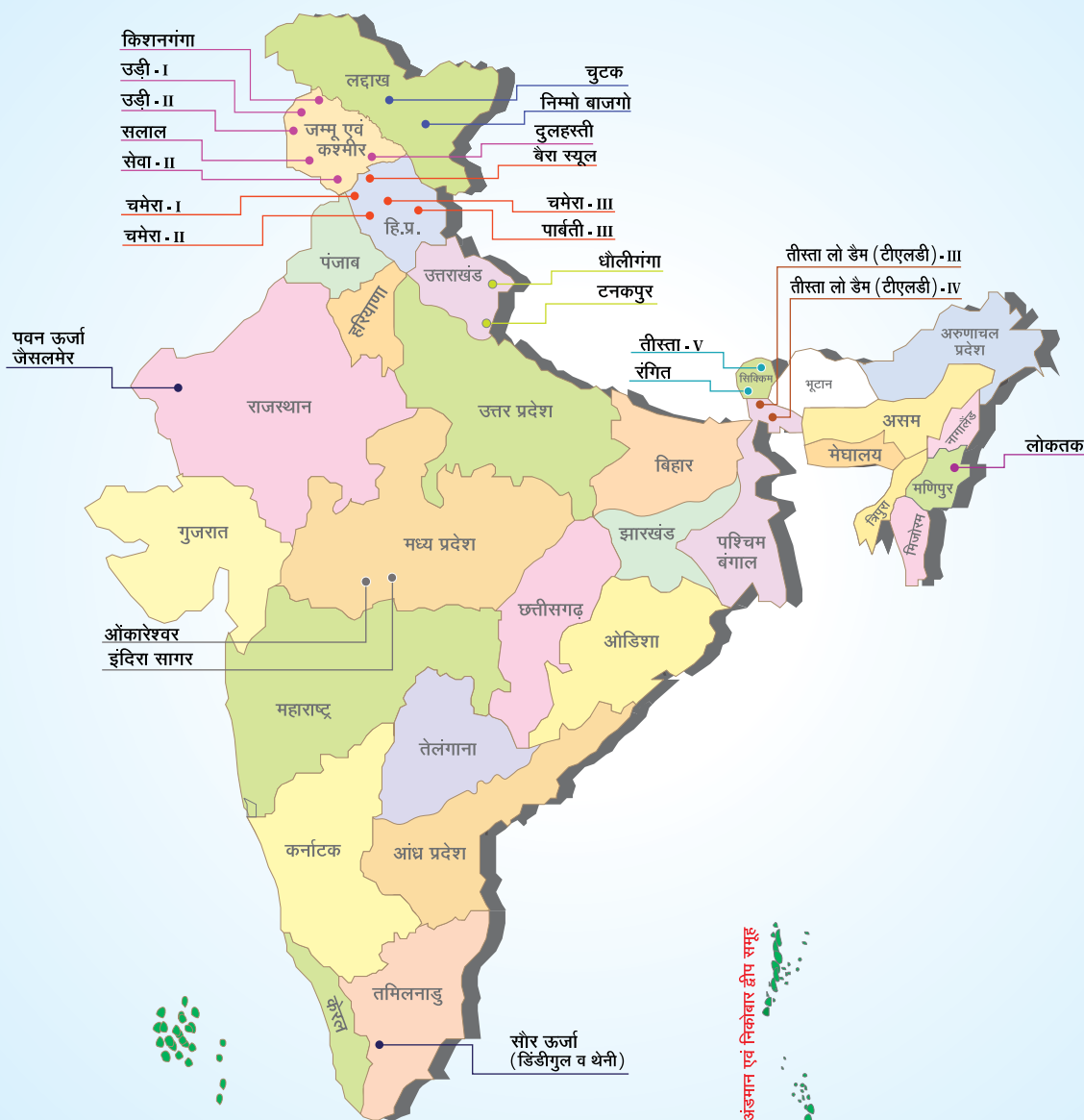
डीआईएन: 09415941

श्री जीजी जोसफ (48 वर्ष) कालीकट विश्वविद्यालय, केरल से कला में स्नातक के उपाधि धारक हैं एवं व्यवसाय और राजनीति से जुड़े हैं। वह एक उद्यमी हैं और मिथ्रा कम्युनिकेशन (विज्ञापन एजेंसी) के मालिक हैं। वह राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं।

श्री जोसेफ विज्ञापन फिल्म निर्माण, रचनात्मक, मीडिया योजना और रिलीज के व्यवसाय के कार्यों में लगे हुए हैं।

श्री जीजी जोसफ एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में दिसंबर, 2021 में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुए।

एनएचपीसी के पावर स्टेशन



राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वर्ष
संघ शासित प्रदेश, जम्मू व कश्मीर	सलाल	690	1987/1995
	उड़ी-I	480	1997-98
	दुलहस्ती	390	2007-08
	सेवा-II	120	2010-11
	उड़ी-II	240	2013-14
	किशनगंगा	330	2017-18
संघ शासित प्रदेश, लद्दाख	निम्नो बाजगो	45	2013-14
	चुटक	44	2013-14
हिमाचल प्रदेश	बैरा स्यूल	180	1981-82
	चमेरा-I	540	1994-95
	चमेरा-II	300	2004-05
	चमेरा-III	231	2012-13
	पार्वती-III	520	2014-15

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	पावर स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वर्ष
उत्तराखंड	टनकपुर	94.2	1992-93
	धौलीगंगा	280	2005-06
सिक्किम	रंगित	60	1999-2000
	तीस्ता-V	510	2008-09
पश्चिम बंगाल	टीएलडी-III	132	2013-14
	टीएलडी-IV	160	2015-16
मणिपुर	लोकतक	105	1983-84
कुल हाइड्रो (एकल)		5451.2	
मध्य प्रदेश	इंदिरासागर	1000	2005-06
	ओंकारेश्वर	520	2007-08
कुल जल विद्युत (सहायक कंपनियों सहित)		6971.2	
राजस्थान	पवन ऊर्जा	50	2016-17
तमिलनाडु	सौर ऊर्जा	50	2017-18
कुल		7071.2	

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा – 121003

सीआईएन: L40101HR1975GOI032564

दूरभाष नं: 0129-2588110, फ़ैक्स नं: 0129-2278018

वेबसाइट: www.nhpcindia.com, ई-मेल आईडी: companysecretary@nhpc.nic.in

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों की 46वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **गुरुवार, 25 अगस्त, 2022 को दोपहर 12:30 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों का निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी।

साधारण कार्य:

- विचार करना और अपनाना:
 - 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां; तथा
 - 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि और अंतिम लाभांश की घोषणा करना।
- श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल, निदेशक (वित्त) (डीआईएन: 08645380), के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना जो क्रमावर्ती से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना और, यदि उचित समझा जाए, तो एक **साधारण संकल्प** के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के संगत प्रावधानों के साथ पठित धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार (किसी भी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा

उसके पुनः अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए लागू), निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है;

यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी कार्य करने और ऐसे सभी कदम, जो आवश्यक, उचित या समीचीन हो, उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

विशेष कार्य:

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करना और, यदि उचित समझा जाए, तो एक **साधारण संकल्प** के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के संगत प्रावधानों के साथ पठित धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार (किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा उसके पुनः अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए लागू), वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक की, एतद्वारा निम्नानुसार पुष्टि की जाती है:

 - 75,000/- रु. प्रति पावर स्टेशन (टीए/डीए, करों और शुल्कों को छोड़कर)।
 - प्रमुख लागत लेखापरीक्षक द्वारा सभी पावर स्टेशनों की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के समेकन और फॉर्म सीआरए-3 में समेकित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए के लिए टीए/डीए, करों और शुल्कों को छोड़कर 75,000/- रुपये।

यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी कार्य करने और ऐसे सभी कदम जो आवश्यक, उचित अथवा समीचीन हो उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

6. डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर (डीआईएन: 07592413) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि धारा 149, 152 के लागू प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली (किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा उसके पुनः अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए लागू), कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा बोर्ड की सिफारिशों के अनुसरण में, डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर (डीआईएन: 07592413), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 08 नवंबर, 2021 के आदेश संख्या 2/13/2021—एनएचपीसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद निदेशक मंडल द्वारा 15 नवंबर, 2021 से अतिरिक्त एवं स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जिनके संबंध में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में एक अभ्यर्थी के रूप में स्वयं को प्रस्तावित करने के उनके आशय को दर्शाते हुए उनसे लिखित में एक सूचना प्राप्त हुई है, को आदेश की तारीख से अर्थात् 08 नवंबर, 2021 से 07 नवंबर, 2024 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा भारत सरकार से प्राप्त अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रोटेशन से सेवानिवृत्त न होने पर एतद्वारा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।”

7. डॉ. अमित कंसल (डीआईएन: 07722428) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि धारा 149, 152 के लागू प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली (किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा उसके पुनः अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए लागू), कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा बोर्ड की सिफारिशों के अनुसरण में, डॉ. अमित कंसल (डीआईएन: 07722428), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 10 नवंबर, 2021 के आदेश संख्या 2/13/2021—एनएचपीसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक स्वतंत्र निदेशक

के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद निदेशक मंडल द्वारा 21 नवंबर, 2021 से अतिरिक्त एवं स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जिनके संबंध में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में एक अभ्यर्थी के रूप में स्वयं को प्रस्तावित करने के उनके आशय को दर्शाते हुए उनसे लिखित में एक सूचना प्राप्त हुई है, को आदेश की तारीख से अर्थात् 10 नवंबर, 2021 से 09 नवंबर, 2024 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा भारत सरकार से प्राप्त अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रोटेशन से सेवानिवृत्त न होने पर एतद्वारा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।”

8. डॉ. रश्मि शर्मा रावल (डीआईएन: 09410683) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि धारा 149, 152 के लागू प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली (किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा उसके पुनः अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए लागू), कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा बोर्ड की सिफारिशों के अनुसरण में, डॉ. रश्मि शर्मा रावल (डीआईएन: 09410683), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 10 नवंबर, 2021 के आदेश संख्या 2/13/2021—एनएचपीसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद निदेशक मंडल द्वारा 30 नवंबर, 2021 से अतिरिक्त एवं स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जिनके संबंध में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में एक अभ्यर्थी के रूप में स्वयं को प्रस्तावित करने के उनके आशय को दर्शाते हुए उनसे लिखित में एक सूचना प्राप्त हुई है, को आदेश की तारीख से अर्थात् 10 नवंबर, 2021 से 09 नवंबर, 2024 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा भारत सरकार से प्राप्त अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रोटेशन से सेवानिवृत्त न होने पर एतद्वारा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।”

9. श्री जीजी जोसफ (डीआईएन: 09415941) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि धारा 149, 152 के लागू प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली (किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा उसके पुनः अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए लागू), कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा बोर्ड की सिफारिशों के अनुसरण में, श्री जीजी जोसफ (डीआईएन: 09415941), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 10 नवंबर, 2021 के आदेश संख्या 2/13/2021-एनएचपीसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद निदेशक मंडल द्वारा 01 दिसंबर, 2021 से अतिरिक्त एवं स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जिनके संबंध में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में एक अभ्यर्थी के रूप में स्वयं को प्रस्तावित करने के उनके आशय को दर्शाते हुए उनसे लिखित में एक सूचना प्राप्त हुई है,

को आदेश की तारीख से अर्थात् 10 नवंबर, 2021 से 09 नवंबर, 2024 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा भारत सरकार से प्राप्त अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रोटेशन से सेवानिवृत्त न होने पर एतद्द्वारा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

ह./—

(रूपा देब)
कंपनी सचिव

दिनांक: 02 जुलाई, 2022

पंजीकृत कार्यालय:

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003
सीआईएन: L40101HR1975GOI032564

टिप्पणियाँ:

1. वार्षिक आम बैठक में निष्पादित किए जाने वाले विशेष कार्यों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसार एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है। निदेशक मंडल ने ऊपर दी गई मद संख्या 5 से 9 को आगामी वार्षिक आम बैठक में विशेष कार्यों के रूप में शामिल करने पर विचार किया और निर्णय लिया, क्योंकि वे प्रकृति में अपरिहार्य हैं।
2. कोविड-19 के कारण जारी सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2022 के परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित 5 मई, 2022 के परिपत्र के माध्यम से सामान्य स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों, अधिनियम के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर") के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को वार्षिक आम बैठक का स्थान माना जाएगा। मैसर्स नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) वार्षिक आम बैठक के दौरान वीसी/ओएवीएम तथा ई-वोटिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा।
3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैठक में भाग लेने और मतदान करने के पात्र सदस्य स्वयं के बजाय मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है तथा प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, रूट मैप सहित प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इसके साथ संलग्न नहीं हैं।
4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति के लिए गिना जाएगा।
5. एमसीए परिपत्रों और सेबी के दिनांक 13 मई, 2022 के परिपत्र के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी/आरटीए (मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड)/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास **शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022** की स्थिति के अनुसार पंजीकृत हैं। सभी सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और ई वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् मैसर्स नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
6. अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार, श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल, निदेशक (वित्त) (डीआईएन: 08645380) को इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होना है और पात्र होने के नाते, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसार श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल का कार्यकाल 31 अगस्त, 2025 तक है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने 01 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में श्री गोयल के निष्पादन मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश की है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड ने 02 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में श्री गोयल को निदेशक (वित्त) के रूप में पुनः नियुक्त करने की सिफारिश की है। वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण, जैसा कि सेबी एलओडीआर के विनियम 36 के अंतर्गत अपेक्षित है, इसके साथ संलग्न है और नोटिस का भाग है।
7. अधिनियम की धारा 139 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त अथवा पुनर्नियुक्त किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 142 के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा एक सामान्य बैठक में अथवा उस तरह से निर्धारित किया जाना है जो कंपनी सामान्य बैठक में निर्धारित करे। सदस्य बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का उचित पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं जैसा कि बोर्ड द्वारा उचित समझा जाए।
8. कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक रूप से (एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट सहित) सभी पत्र प्राप्त करने के लिए:
 - क. डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करवाएं।

ख. वास्तविक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी के आरटीए मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड के पास फॉर्म आईएसआर-1 में वास्तविक रूप से अथवा alankit.nhpc@alankit.com पर ईमेल द्वारा अनुरोध प्रस्तुत कर पंजीकरण/अपडेट करवाएं।

9. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक **शुक्रवार, 12 अगस्त, 2022 से गुरुवार, 25 अगस्त, 2022** (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

लाभांश

10. निदेशक मंडल ने 11 फरवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 13.10 प्रतिशत (1.31 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतरिम लाभांश घोषित किया था, जिसका भुगतान मार्च, 2022 में किया गया था। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने 25 मई, 2022 को हुई अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 5.00 प्रतिशत (₹ 0.50 प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की थी। कंपनी ने वार्षिक आम बैठक में घोषित होने पर, अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की हकदारी निर्धारित करने हेतु **गुरुवार, 11 अगस्त, 2022** को "रिकॉर्ड तिथि" के रूप में निर्धारित किया है। जिन सदस्यों का नाम रिकॉर्ड तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची (एनएसडीएल और सीडीएसएल से प्राप्त किया जाना है) में है, वे अंतिम लाभांश प्राप्त करने के हकदार होंगे। यदि वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश की घोषणा की जाती है, तो उसका भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
11. वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यक्षीन, अंतिम लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट भेजे जाएंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना पूरा बैंक विवरण निम्नलिखित तरीके से पंजीकृत/अपडेट करें:
- डीमैट मोड में धारित शेयरों के मामले में, प्रपत्र और दस्तावेज जमा करके, जैसा कि डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) द्वारा अपेक्षित हो; तथा
 - वास्तविक रूप में धारित शेयरों के मामले में, आरटीए अर्थात् मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड,

अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 में प्रपत्र आईएसआर-1 में अनुरोध प्रस्तुत करके अथवा उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी alankit.nhpc@alankit.com पर ईमेल करके।

12. लाभांश पर टीडीएस

1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य हो गया है। आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी को अपने शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर निर्धारित दरों पर करों को रोकना होगा। इस संबंध में, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित पर ध्यान दें:

d- fuoklh 'k; j/kkj d%

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में निवासी शेयरधारकों को कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान की गई लाभांश की राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 194 के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटा जाएगा, बशर्ते कि शेयरधारक का वैध पैन कंपनी के पास उपलब्ध हो।
- तथापि, निम्न परिस्थितियों में नीचे उल्लेख किए गए अनुसार उच्च दरों पर टीडीएस काटा जाएगा:
 - वैध पैन उपलब्ध न होना:** यदि पैन वैध नहीं है अथवा कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में वैध पैन उपलब्ध नहीं है, तो आयकर अधिनियम की धारा 206कक के अनुसार 20 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटा जाएगा।
 - धारा 206कख के अंतर्गत विनिर्दिष्ट व्यक्ति:**
 - आयकर अधिनियम की धारा 206कख(3) के अनुसार 'निर्धारित व्यक्ति' के अभिप्राय के अंतर्गत आने वाले निवासी शेयरधारकों के मामले में, 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा अर्थात् वह व्यक्ति जिसने पिछले वर्ष के लिए संगत निर्धारण वर्ष के लिए आयकर विवरणी भरी नहीं है, पिछले वर्ष से ठीक पहले जिसमें कर काटा जाना आवश्यक है, जिसके लिए धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी भरने की समय सीमा समाप्त हो गई है; और उसके मामले में स्रोत पर काटे गए कर एवं स्रोत पर एकत्रित कर का जोड़ उस पिछले वर्ष में 50,000 रुपये अथवा उससे अधिक है।
 - धारा 206कख के प्रयोजन के लिए 'विनिर्दिष्ट व्यक्ति' की सूची टीडीएस की

कटौती के समय, सीबीडीटी के दिनांक 21.06.2021 के परिपत्र संख्या 11/2021 के अनुसार आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्टिंग पोर्टल यूटिलिटी से प्राप्त की जाएगी।

- यदि किसी शेयरधारक ने पैन अपडेट नहीं किया है, तो यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारक अधिनियम की धारा 206कख के प्रयोजन से "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" है और टीडीएस तदनुसार विनियमित किया जाएगा।
- (iii) निवासी शेयरधारकों की निम्नलिखित श्रेणी के मामले में, नीचे निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा अथवा टीडीएस कम दर पर काटा जाएगा, जैसी भी स्थिति हो:
 - **प्रपत्र 15जी/15एच:** ऐसे मामले में जहां शेयरधारक वैध प्रपत्र 15जी (उन व्यक्तियों के लिए, जिनकी कुल आय पर कोई कर देयता नहीं है और आय अधिकतम राशि से अधिक नहीं है जिस पर कर न लगाया जाना हो) प्रस्तुत करता है अथवा प्रपत्र 15एच (कुल आय पर जिन व्यक्तियों की कर की देयता नहीं है, उन 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए), कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
 - **कम/शून्य कटौती के लिए प्रमाण पत्र:** यदि शेयरधारक आयकर अधिनियम की धारा 197 के तहत कम/शून्य कटौती के लिए वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो प्रमाणपत्र में निर्धारित दर के अनुसार कर काटा जाएगा।
 - **बीमा कंपनियाँ:** यदि बीमा कंपनी अपने पास रखी प्रतिभूतियों के विवरण को प्रमाणित करते हुए स्व-घोषणा प्रस्तुत करती है, जिसके विरुद्ध लाभांश घोषित किया गया है और इस तथ्य को प्रमाणित करते हुए कि यह आईआरडीए के साथ पंजीकृत है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा और आयकर अधिनियम की धारा 194 का दूसरा परंतुक के तहत छूट का दावा करने के लिए पात्र है। उक्त प्रमाण पत्र के साथ पैन और आईआरडीए पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति भी होनी चाहिए।
 - **म्युचुअल फंड:** यदि म्युचुअल फंड उसके द्वारा धारित उन प्रतिभूतियों के ब्यौरे प्रमाणित

करके, लाभांश घोषित किया गया है और यह तथ्य प्रमाणित करता है कि वह सेबी के पास पंजीकृत है और आयकर अधिनियम की धारा 10(23डी) के अंतर्गत छूट का दावा करने के लिए पात्र है, स्व-घोषणा प्रस्तुत करता है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। उक्त प्रमाण पत्र के साथ उसके पैन और सेबी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति भी होगी।

- **धारा 196 के तहत शामिल किए गए अन्य शेयरधारक:** यदि आयकर अधिनियम की धारा 196 के तहत शामिल करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य आयकर अधिनियम की धारा 196 के तहत शामिल किए गए अन्य शेयरधारकों जैसे सरकार, आरबीआई अथवा केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगमों के संबंध में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा जो लागू किसी भी कानून के तहत, उसकी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है।
- **वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) श्रेणी-I और II:** यदि यह स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाती है, कि शेयरधारक आयकर अधिनियम की धारा 10(23एफबीए) के तहत छूट, धारा 197ए(1एफ) के तहत टीडीएस से छूट के लिए पात्र है और यह कि वे सेबी विनियम के तहत श्रेणी-I या श्रेणी-II एआईएफ के रूप में स्थापित हैं, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। स्व-सत्यापित पंजीकरण दस्तावेजों और पैन कार्ड की प्रति भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- **मान्यता प्राप्त भविष्य निधि/अनुमोदित अधिवर्षिता निधि/अनुमोदित ग्रेज्युटी निधि:** यदि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 18/2017 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
- **राष्ट्रीय पेंशन ट्रस्ट:** यदि आयकर अधिनियम की धारा 197ए(1ई) के तहत टीडीएस से छूट का समर्थन करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य की स्व-सत्यापित प्रति के साथ स्व-घोषणा और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाती है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
- **टीडीएस से छूट की हकदार कोई अन्य कंपनी:** यदि कोई निवासी शेयरधारक (ऊपर निर्धारित व्यक्तियों के अलावा) को आयकर अधिनियम

अथवा किसी अन्य कानून अथवा अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस कटौती से छूट दी गई है, तो वैध स्व-सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य (उदाहरण के लिए पंजीकरण, अधिसूचना, आदेश आदि की संगत प्रति) टीडीएस से छूट की हकदार कंपनी के समर्थन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

- (iv) तथापि, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित किए गए अथवा संभावित रूप से वितरित किया जाने वाला कुल लाभांश 5,000/- रुपये से अधिक नहीं है, तो निवासी व्यक्तियों को भुगतान किए गए लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा।
- (v) लाभार्थी स्वामी को क्रेडिट अंतरित करना:— जिन मामलों में शेयरधारक केवल शेयरों का संरक्षक है और तदनुसार, उसके संबंध में देय लाभांश का लाभार्थी स्वामी नहीं है, तो उन मामले में लाभांश आय का लाभार्थी स्वामी को टीडीएस के क्रेडिट के अंतरण के लिए शेयरधारक आयकर नियम, 1962 के नियम 37खक द्वारा निर्धारित घोषणा प्रस्तुत करे। उपर्युक्त घोषणा में (i) उस व्यक्ति का नाम, पता, पैन और आवासीय स्थिति जिसको क्रेडिट दिया जाना है; (ii) जिस भुगतान के संबंध में क्रेडिट दिया जाना है; और (iii) ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट देने का कारण शामिल होगा।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त निर्धारित विवरण के अभाव में नियम 37खक के तहत टीडीएस के क्रेडिट के अंतरण के लिए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख. प्रवासी शेयरधारक [विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) सहित]

- (i) आयकर अधिनियम की धारा 195 अथवा 196घ के तहत सामान्य रूप से 20 प्रतिशत (+ लागू अधिभार और उपकर) की दर से कर को रोकना आवश्यक है, जो संगत डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट ("डीटीए/व्यवहार") के लाभकारी प्रावधानों के अधीन हो सकता है।
- (ii) अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, प्रवासी शेयरधारक (एफआईआई/एफपीआई सहित) के पास भारत और शेयरधारक के कर निवास वाले देश के बीच डीटीए के प्रावधानों द्वारा शासित किए जाने का विकल्प है, यदि वे शेयरधारक के लिए अधिक लाभदायक हों। इस प्रयोजन के लिए अर्थात् कर व्यवहार के लाभ लेने के लिए, प्रवासी शेयरधारक को निम्नलिखित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:

- भारतीय आयकर प्राधिकारियों द्वारा आवंटित पैन की स्व-सत्यापित प्रति। यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो आयकर नियम, 1962 के नियम 37खग के तहत निर्धारित विवरण प्रस्तुत किया जाना है;
 - उस देश के कर प्राधिकारियों से प्राप्त वैध टैक्स रेजिडेंसी प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति, जिसका शेयरधारक निवासी है (वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वैध);
 - प्रपत्र 10एफ में स्व-घोषणा;
 - इसके साथ संलग्न **अनुबंध-क** के अनुसार विधिवत हस्ताक्षरित और लेटरहेड पर मुहर सहित स्व-घोषणा।
 - कर कम रखने, यदि लागू हो, के लिए आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति।
- (iii) इसके अतिरिक्त, यदि प्रवासी शेयरधारक कम/शून्य दर पर टीडीएस की कटौती का दावा करने के लिए पात्र है, तो टीडीएस को ऐसी कम/शून्य दर पर काटा जाएगा, जो नीचे निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है:
- आयकर प्राधिकारी से प्राप्त धारा 197 या 195(3) के तहत कम कटौती प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो। किसी विदेशी बैंक की भारतीय शाखा के मामले में, कम कटौती प्रमाण पत्र भी स्व-घोषणा के साथ समर्थित होना चाहिए जो यह पुष्टि करता हो कि आय भारतीय शाखा द्वारा अपने खाते में प्राप्त की गई है, न कि विदेशी बैंक की ओर से और वही भारत में उस शाखा की कर योग्य आय में शामिल किया जाएगा।
 - यदि किसी प्रवासी शेयरधारक को आयकर अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून जैसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 आदि के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस से छूट दी गई है, तो छूट की पुष्टि करने वाले आवश्यक दस्तावेजों साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- (iv) यह ध्यान दिया जाए कि ऐसे प्रवासी शेयरधारकों के मामले में, जिनके पास भारत में स्थायी स्थापन (पीई) है और जो आयकर अधिनियम की धारा 206कख(3) के अनुसार 'विनिर्दिष्ट व्यक्ति' के रूप में योग्य है (जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है), 40 प्रतिशत (+लागू अधिभार और उपकर) की दर से कर की कटौती किया जाना अपेक्षित है।

धारा 206कख के प्रयोजन के लिए 'विनिर्दिष्ट व्यक्ति' की सूची टीडीएस की कटौती के समय आयकर विभाग द्वारा सीबीडीटी के दिनांक 21.06.2021 के परिपत्र संख्या 11/2021 के अनुसार उपलब्ध कराई गई रिपोर्टिंग पोर्टल यूटिलिटी से प्राप्त की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, धारा 206कख के प्रावधान उन प्रवासी शेयरधारकों के मामले में लागू नहीं होंगे जिनके पास भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। इस प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति पीई (अर्थात् स्थायी स्थापन) में व्यवसाय का एक निश्चित स्थान शामिल होता है जिसके माध्यम से प्रवासी का व्यवसाय पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किया जाता है।

यदि किसी प्रवासी शेयरधारक का नाम रिपोर्टिंग यूटिलिटी के अनुसार 'विनिर्दिष्ट व्यक्ति' की उपर्युक्त सूची का भाग बनता है, तो 40 प्रतिशत (+ लागू अधिभार और उपकर) की दर से कर काटा जाएगा जब तक कि प्रवासी शेयरधारक का भारत में पीई नहीं है। यदि प्रवासी शेयरधारक के पास भारत में पीई नहीं है, तो प्रवासी शेयरधारक को यह सुनिश्चित करने के लिए विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर सहित घोषणा प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है कि कर 40 प्रतिशत (+ अधिभार और उपकर) की इतनी उच्च दर पर नहीं रखे गये हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट – अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (वास्तविक मोड में शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट मोड में शेयरों के मामले में) के पास आयकर अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी को पूरा और/अथवा अपडेट करवाएं ताकि टीडीएस की कटौती उचित रूप से की जा सके।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त दस्तावेजों को शेयरधारकों द्वारा अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट) पोर्टल <https://einward.alankit.com/> पर अपलोड करना आवश्यक है अथवा गुरुवार, 11 अगस्त, 2022 को 11:59 बजे (आईएसटी) तक अथवा उससे पूर्व लाभार्थी स्वामी को टीडीएस की छूट/कम कटौती का दावा करने/टीडीएस क्रेडिट अंतरित करने के लिए ई-मेल alankit.nhpc@alankit.com अथवा investorcell@nhpc.nic.in पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उक्त तिथि के बाद शून्य/कम कर/टीडीएस क्रेडिट को लाभार्थी स्वामी के मामलों में अंतरित करने के संबंध में शेयरधारकों से कोई पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

लाभकारी टीडीएस दरों (लाभकारी डीटीए दरों सहित) अथवा शेयरधारकों के लिए टीडीएस से छूट का उपयोग कंपनी द्वारा शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता और संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा।

सदस्यों द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली किसी भी गलतबयानी, अशुद्धि अथवा सूचना की चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे सदस्य कंपनी को क्षतिपूर्ति करने और कंपनी को किसी भी अपीलीय कार्यवाही में सभी सूचनाएं/दस्तावेज और सहयोग प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

यदि उपर्युक्त विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में अथवा कंपनी द्वारा समीक्षा किए जाने पर दस्तावेजों को संतोषजनक नहीं पाए जाने पर लाभांश पर कर की उच्च दर से कटौती की जाती है, तब भी शेयरधारक के पास उनकी आयकर विवरणी फाइल करने के लिए उस समय प्रदत्त अतिरिक्त कर की वापसी का दावा करने का विकल्प होगा। काटे गए ऐसे करों के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

शेयरधारक टीडीएस के क्रेडिट को फॉर्म 26एएस में देख सकेंगे, जिसे <https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/> पर उनके ई-फाइलिंग खाते से डाउनलोड किया जा सकता है।

टीडीएस संबंधी उपर्युक्त पत्र में पत्र की तिथि को कानून के प्रावधान केवल सार रूप में निर्धारित हैं, और सभी संभावित कर परिणामों का पूर्ण विश्लेषण अथवा सूची होने का तात्पर्य नहीं है। शेयरधारक ध्यान दें कि, चूंकि कर परिणाम प्रत्येक मामले के तथ्यों और स्वरूप पर निर्भर होते हैं, अतः उन्हें सलाह दी जाती है कि वे लाभांश की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट कर प्रभावों के संबंध में अपने स्वयं के कर परामर्शदाता से परामर्श करें।

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि

- सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 124 के अनुसार, लाभांश जो कंपनी के अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए अप्रदत्त अथवा दावा न किए गए हों, वे विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में अंतरित किये जाने होते हैं। ऐसे दावा न किए गए लाभांशों के संबंध में शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाएगा। तदनुसार,

सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय के भीतर कंपनी से अपने लाभांश और शेयरों का दावा करें। जिन सदस्यों का दावा न किया गया लाभांश/शेयर आईईपीएफ अंतरित कर दिए गए हैं, वे आईईपीएफ प्राधिकरण को ई-फॉर्म आईईपीएफ-5 (www.iepf.gov.in पर उपलब्ध) में ऑनलाइन आवेदन करके इसका दावा कर सकते हैं। अधिक विवरण के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com और कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट देखें, जो कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 और उसके बाद दावा न किए गए/अप्रदत्त लाभांशों के आईईपीएफ में अंतरण की नियत तिथियां निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	लाभांश घोषणा की तारीख	आईईपीएफ में अंतरण की नियत तारीख
2014-15 (अंतिम लाभांश)	23.09.2015	28.10.2022
2015-16 (अंतरिम लाभांश)	10.02.2016	10.03.2023
2015-16 (अंतिम लाभांश)	22.09.2016	27.10.2023
2016-17 (अंतरिम लाभांश)	12.01.2017	12.02.2024
2016-17 (अंतिम लाभांश)	27.09.2017	31.10.2024
2017-18 (अंतरिम लाभांश)	12.02.2018	14.03.2025
2017-18 (अंतिम लाभांश)	27.09.2018	01.11.2025
2018-19 (अंतरिम लाभांश)	08.02.2019	11.03.2026
2018-19 (अंतिम लाभांश)	23.09.2019	28.10.2026
2019-20 (अंतरिम लाभांश)	07.02.2020	08.03.2027
2019-20 (अंतिम लाभांश)	29.09.2020	01.11.2027
2020-21 (अंतरिम लाभांश)	11.02.2021	16.03.2028
वित्तीय वर्ष 2020-21 (अंतिम लाभांश)	29.09.2021	03.11.2028
वित्तीय वर्ष 2021-22 (अंतरिम लाभांश)	11.02.2022	14.03.2029

दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया

- अधिनियम की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता तथा अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशकों की रुचि है, वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए www.evoting.nsdl.com में एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर लॉग इन सदस्य के लिए उपलब्ध रहेगी।
- नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज नोटिस के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख तक सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से निःशुल्क निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करते हुए कंपनी सचिव को agm2022@nhpc.nic.in पर ई-मेल भेज सकते हैं। एजीएम में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में कोई भी सूचना चाहने वाले सदस्यों शुक्रवार, 19 अगस्त, 2022 को अथवा उससे पूर्व agm2022@nhpc.nic.in पर ई-मेल के माध्यम से कंपनी को लिखकर अनुरोध कर सकते हैं, जिसका कंपनी द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ई-वोटिंग और एजीएम के संबंध में सदस्यों को सूचना:

- संगत नियमावली, सेबी एलओडीआर (संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी एजीएम में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन के लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए अधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में मैसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिजिटल लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है। एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग का उपयोग कर सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा मैसर्स एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।
- सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2 प्रतिशत अथवा उससे अधिक शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन

और पारिश्रमिक समिति एवं हितधारकों संबंधी समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

18. वे सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात गुरुवार, 18 अगस्त, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं, केवल एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग अथवा ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। कट ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार वोटिंग अधिकार होंगे। जो व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से मानना चाहिए।
19. संयुक्तधारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम धारक के रूप में आता है, वह मतदान करने का हकदार होगा।
20. जो सदस्य एजीएम के दौरान निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें **मंगलवार, 16 अगस्त, 2022 से शुक्रवार, 19 अगस्त, 2022 तक** agm2022@nhpc.nic.in पर अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए पंजीकृत ई-मेल पते से अनुरोध भेजकर एक वक्ता के रूप में स्वयं को पंजीकृत करना चाहिए। केवल उन्हीं सदस्यों को एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने वक्ता के रूप में स्वयं को पंजीकृत किया है। कंपनी एजीएम के सुचारु संचालन के लिए उपयुक्त समय की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। जब किसी पूर्व-पंजीकृत वक्ता को बैठक में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाए, लेकिन वह उत्तर न दे, तो अगले वक्ता को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तदनुसार, सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि वे अच्छी इंटरनेट स्पीड के साथ वीडियो/कैमरा वाले डिवाइस से जुड़ जाएं।
21. निदेशक मंडल ने पूरी ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु श्री अमित कौशल (सदस्यता संख्या एफ6230, सीओपी संख्या 6663) को नियुक्त किया है और उनके विफल होने पर मैसर्स ए कौशल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली, ई-मेल पता: aka_pcs@yahoo.com के श्री आलोक कुमार त्रिपाठी (सदस्यता संख्या ए27448, सीओपी संख्या 13447) को नियुक्त किया है।

22. अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने पर, संकल्प बैठक की तिथि अर्थात गुरुवार, 25 अगस्त, 2022 को पारित माना जाएगा।

23. ई-वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा और साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा, जो कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर और मैसर्स एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध कराया गया है।

सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए अनुदेश

24. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **सोमवार, 22 अगस्त, 2022 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और बुधवार, 24 अगस्त, 2022 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी।** इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात **गुरुवार, 18 अगस्त, 2022** को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके भाग के अनुपात में होगा, जो कि कट-ऑफ तिथि **गुरुवार, 18 अगस्त, 2022** को है।

ई-वोटिंग प्रक्रिया

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण-1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुँच

क) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन प्रविधि: -

ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए डीमैट खाते के माध्यम से मत देने की अनुमति है। शेयरधारकों को यह सलाह दी जाती है कि सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन प्रविधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन पद्धति
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	- मौजूदा आईडीईएस उपयोगकर्ता या तो पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर "लॉगिन" के अंतर्गत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीईएस' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्यवर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करके आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। - यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आईडीईएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" चुनें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। - एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुंच जाएंगे, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा। - निर्बाध मतदान अनुभव के लिए शेयरधारक/सदस्य नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "NSDL Speed" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।? NSDL Mobile App is available on    
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी/ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/ईजीएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com हैं और न्यू सिस्टम माईईजी पर क्लिक करें।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन पद्धति
	2. ईजी/ईजीएस्ट की सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मेन्यू में ई-वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें। 3. यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के होम पेज पर दिए गए एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर डालकर सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। यह सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल, जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है, पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी अर्थात एनएसडीएल के लिए लिंक दिए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतिधारक) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन के प्रकार	हेल्पडेस्क के ब्योरे
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	जिन सदस्यों के सामने लॉगिन में कोई भी तकनीकी समस्या आए, वे सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	जिन सदस्यों के सामने लॉगिन में कोई भी तकनीकी समस्या आए, वे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा 022- 23058738 या 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले और वास्तविक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों (व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर) के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने हेतु लॉगिन पद्धति।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल <https://www.evoting.nsdl.com> टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें।
2. जब ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज शुरू हो

जाए तो "लॉग-इन" आइकन पर क्लिक करें जो "शेयरधारक/सदस्य" खंड में उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा, जैसाकि स्क्रीन पर दर्शाया गया है।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज अर्थात आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने विद्यमान आईडीईएस लॉगिन से <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉगिन कर सकते हैं। जब आप अपने लॉगिन प्रमाणों का प्रयोग करने

के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉगिन कर लेते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण-2 में जा सकते हैं अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मत दें।

4. आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड नीचे दिए गए हैं:

शेयर धारण करने का तरीका, अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) अथवा वास्तविक	आपकी यूजर आईडी है:
क) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास एनएसडीएल में डीमैट खाता है।	8 अक्षरों की डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी आईएन300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है तो फिर आपकी यूजर आईडी आईएन300***12***** है।
ख) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास सीडीएसएल में डीमैट खाता है।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थीआईडी 12***** है तो फिर आपकी यूजर आईडी 12***** है।
ग) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास वास्तविक रूप में शेयर हैं।	ईवीईएन संख्या, उसके बाद कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए यदि फोलियो नं. 001*** है और ईवीईएन 101456 है तो फिर यूजर आईडी 101456001*** है।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

- क. यदि आप पहले से ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो फिर आप लॉगिन करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं।
- ख. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जो आपको बताया गया था। जब आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" ले लेते हैं तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" प्रविष्ट

करने की आवश्यकता होती है और सिस्टम आपको आपका पासवर्ड बदलने के लिए विवश करेगा।

- ग. "आरंभिक पासवर्ड" पुनः कैसे प्राप्त करना है:

- (i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते में अथवा कंपनी में पंजीकृत है, तो आपका "आरंभिक पासवर्ड" आपको आपकी ई-मेल आईडी पर सूचित किया जाता है। एनएसडीएल से आपको भेजे गए ई-मेल को अपने मेल बॉक्स में खोजें। ई-मेल खोलें और संलग्न अर्थात् "पीडीएफ" फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलें। "पीडीएफ" फाइल खोलने के लिए एनएसडीएल खाते के लिए पासवर्ड आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी है, सीएसडीएल खाते के लिए ग्राहक आईडी अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नं. है। "पीडीएफ" फाइल में आपका "यूजर आईडी" तथा "आरंभिक पासवर्ड" है।

- (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया में चरणों का अनुसरण करें।

6. यदि आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" नहीं प्राप्त कर पाते हैं अथवा प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो:

क. www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password" पर क्लिक करें (यदि आपके एनएसडीएल अथवा सीएसडीएल में आपके डीमैट खाते में शेयर हैं)।

ख. www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Physical User Reset Password" पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर भौतिक स्वरूप में हैं)।

ग. यदि आप उपर्युक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड लेने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नं., अपने पैन, अपने नाम और अपने पंजीकृत पते इत्यादि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

घ. सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम

पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "निबंधन एवं शर्तों" से सहमत हूँ, पर निशान लगाएं।
8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

चरण-2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों।

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे अपना वोट डालें और कैसे आम बैठक में शामिल हों?

1. चरण 1 में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "ईवीईएन" देख पाएंगे, जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र एवं सामान्य बैठक सक्रिय स्तर पर है।
2. जिस कंपनी के लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना मतदान करना चाहते हैं, उसका "ईवीईएन" चुनें। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए, आपको "जॉइन मीटिंग" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप मतदान पृष्ठ खुलने पर ई-वोटिंग करने के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्प अर्थात् एसेंट अथवा डिसेंट का चयन कर अपना मतदान करें, शेयरों की संख्या सत्यापित करें/संशोधित करें जिसके लिए आप अपना मतदान करना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें तथा संकेत मिलने पर "कन्फर्म" भी करें।
5. पुष्टि होने पर, "सफलतापूर्वक मतदान" का संदेश दिखाई देगा।
6. आप संपुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक कर आपके द्वारा दिए गए मतों का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
7. जब आप संकल्प पर अपने मत की पुष्टि कर दें, तो आपको अपने मत में संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

उपर्युक्त अनुदेशों में यदि कोई परिवर्तन/अद्यतनीकरण (अपडेशन), यदि कोई हो, तो वह कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

25. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) से अपेक्षित है कि वे संगत बोर्ड संकल्प/प्राधिकारी के पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) evoting@nsdl.co.in पर मार्क की हुई प्रति के साथ विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षरकर्ताओं), जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित aka_pcs@yahoo.com पर ई-मेल द्वारा संवीक्षक को भेजें। संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) अपने लॉगिन में "ई वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड संकल्प/प्राधिकारी के पत्र" पर क्लिक करके अपना बोर्ड संकल्प/मुख्तारनामा/प्राधिकारी का पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं।
26. इसकी दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?" अथवा "वास्तविक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।
27. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं अथवा सुश्री सरिता मोटे, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी इस नोटिस में निर्धारित संकल्पों के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-वोटिंग के लिए ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं:

28. यदि शेयर वास्तविक रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति) कंपनी के ईमेल (ईमेल आईडी companysecretary@nhpc.nic.in)/आरटीए के ई-मेल (ईमेल आईडी alankit.nhpc@alankit.com) द्वारा उपलब्ध कराएं।

29. यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति) कंपनी के ईमेल (ईमेल आईडी companysecretary@nhpc.nic.in) / आरटीए के ई-मेल (ईमेल आईडी alankit.nhpc@alankit.com) द्वारा उपलब्ध कराएं। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप चरण 1(क) अर्थात ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना, में उल्लेख की गई लॉगिन विधि को देखें।
30. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराकर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
31. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

32. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया वही है जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों के अनुसार है।
33. जो सदस्य/शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों के संबंध में अपना मतदान नहीं किया है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, केवल वही एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
34. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि, वे एजीएम में मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।
35. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता

है, उसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित वही व्यक्ति ही होगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया:

36. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंचने के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करें। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने "जॉइन जनरल मीटिंग" मेनू के अंतर्गत रखे गए "वीसी/ओएवीएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि जॉइन जनरल मीटिंग मेन्यू के अंतर्गत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय के नेटवर्क व्यस्तता से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
37. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
38. सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देने और अच्छी गति वाले इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
39. मोबाइल डिवाइस अथवा टैबलेट से अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप के माध्यम से एजीएम में शामिल होने वाले सदस्य अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव कर सकते हैं। अतः किसी भी प्रकार की उपर्युक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई अथवा लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
40. जिन सदस्य को एजीएम से पहले अथवा उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे सुश्री सरिता मोटे, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

अन्य सूचना

41. वास्तविक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक सदस्य:

क. यह सूचित किया जाता है कि सेबी ने अपने दिनांक 03 नवंबर, 2021 के परिपत्र के माध्यम से वास्तविक

प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन विवरण विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित प्रपत्र आईएसआर-1 और अन्य संगत प्रपत्रों को मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 को अथवा alankit.nhpc@alankit.com पर ई-मेल द्वारा भेजें।

- ख. दो या दो से अधिक फोलियो के तहत शेयर होने की स्थिति में, आरटीए को समेकन के लिए अपने शेयर प्रमाण पत्र भेजने का अनुरोध है।
- ग. यह सूचित किया जाता है कि वास्तविक रूप में धारित शेयरों को अंतरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- घ. यह सूचित किया जाता है कि डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, दावा न किए गए सस्पेंस खाते से दावा, समर्थन, उप-विभाजन/शेयर प्रमाणपत्रों का समेकन, ट्रांसमिशन और अंतरण से संबंधित अनुरोधों पर कार्रवाई करते समय सेबी के दिनांक 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र के अनुसार, प्रतिभूतियां केवल डीमैट मोड में जारी की जाएंगी।

42. प्रवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के संबंध में आरटीए को सूचित करें:

- (i) स्थायी बंदोबस्त के लिए भारत लौटने पर उनकी आवासीय स्थिति में परिवर्तन।
- (ii) भारत में रखे गए उनके बैंक खाते का पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, आईएफएस कोड और पिन कोड नंबर सहित बैंक का पता, यदि पहले नहीं दिया गया है, का विवरण।

43. अधिनियम की धारा 72 के अनुसार, शेयरधारक डीमैट मोड में धारित शेयरों के मामले में और कंपनी के आरटीए के मामले में, अपने संबंधित डीपी को फॉर्म संख्या एसएच 13 प्रस्तुत करके उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में अपना नामांकन पंजीकृत कर सकते हैं। शेयर वास्तविक मोड में धारित होने की स्थिति में कंपनी के आरटीए भेज सकते हैं।

44. सदस्यों से अनुरोध है कि वे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को लाभांश मामलों सहित पूरा पत्राचार निम्नलिखित को संबोधित कर भेजें:

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-110055

दूरभाष: 011-42541234, 011-23541234

फैक्स-011-42541201, 011-23552001

ईमेल: alankit.nhpc@alankit.com

वेबसाइट: www.alankit.com

टोल फ्री नंबर 1860 1212 155

45. कंपनी के किसी भी निदेशक का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह./—

(रूपा देब)

कंपनी सचिव

दिनांक: 02 जुलाई, 2022

पंजीकृत कार्यालय:

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,

सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा – 121003

सीआईएन: L40101HR1975GOI032564

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 5

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 75,000/- रुपये प्रति पावर स्टेशन (टीए/डीए, कर और शुल्क को छोड़कर) के पारिश्रमिक पर कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए निम्नलिखित लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को अनुमोदित किया है:

क्रम सं.	फर्म का नाम (मैसर्स)	पावर स्टेशन
1	धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, दिल्ली*	दुलहस्ती और सलाल
2	एबीके एंड एसोसिएट्स, दिल्ली	बैरा स्थूल, चमेरा-II और चमेरा-III
3	नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, दिल्ली	चुटक, निम्मो बाजगो और चमेरा-I
4	आर एम बंसल एंड कंपनी, दिल्ली	टनकपुर, धौलीगंगा और पवन ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर
5	के जी गोयल एंड कंपनी, जयपुर	उड़ी-I, उड़ी-II और किशनगंगा
6	एजेएस एंड एसोसिएट्स, देहरादून	सेवा-II, पार्वती-III और पार्वती-II**
7	बंदोपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, कोलकाता	रंगित, तीस्ता-V और 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना, तमिलनाडु
8	वाई एस ठाकर एंड कंपनी, आसनसोल (पश्चिम बंगाल)	लोकतक, टीएलडीपी-IV और टीएलडीपी-III

* मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, दिल्ली को भी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी पावर स्टेशनों की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के समेकन और प्रपत्र सीआरए-3 में समेकित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 75000/- रुपये (कर और शुल्क तथा टीए/डीए को छोड़कर) के पारिश्रमिक पर प्रमुख लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

** पार्वती-II परियोजना के संबंध में नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उसके वाणिज्यिक रूप से प्रचालित होने के अधधीन होगी।

अधिनियम की धारा 148(3) के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 14 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए गए पारिश्रमिक पर विचार किया जाएगा और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जिसकी बाद में शेयरधारकों द्वारा पुष्टि की जानी है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए साधारण संकल्प के माध्यम से सदस्यों की सहमति प्रार्थित है।

कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से कंपनी में उनके शेयरधारण की रुचि, यदि कोई है, की सीमा को छोड़कर, इस नोटिस की मद संख्या 5 में निर्धारित संकल्प में, वित्तीय रूप से अथवा संबंधित अथवा इच्छुक नहीं है।

बोर्ड शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए इस नोटिस की मद संख्या 5 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

मद संख्या 6 से 9

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के आदेश सं. 2/13/2021-एनएचपीसी द्वारा डॉ. उदय

सखाराम निर्गुडकर (डीआईएन: 07592413) को आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक के लिए कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 10 नवंबर, 2021 के आदेश सं. 2/13/2021-एनएचपीसी द्वारा डॉ. अमित कंसल (डीआईएन: 07722428), डॉ. रश्मि शर्मा रावल (डीआईएन: 09410683) और श्री जीजी जोसफ (डीआईएन: 09415941) को उक्त आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक के लिए कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया है।

कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 35 के अनुसार, निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निदेशकों को एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। इस प्रकार नियुक्त कोई भी निदेशक कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। तदनुसार, बोर्ड ने डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर (डीआईएन: 07592413) (15 नवंबर, 2021 से), डॉ. अमित कंसल (डीआईएन: 07722428) (21 नवंबर, 2021 से), डॉ. रश्मि शर्मा रावल

(डीआईएन: 09410683) (30 नवंबर, 2021 से) और श्री जीजी जोसफ (डीआईएन: 09415941) (01 दिसंबर, 2021 से) को अतिरिक्त एवं स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया।

कंपनी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी अभ्यर्थिता का प्रस्ताव करने वाले उपर्युक्त स्वतंत्र निदेशकों से अधिनियम की धारा 160 के प्रावधानों के तहत लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुए हैं। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त निदेशकों से अपेक्षित प्रकटन और घोषणाएं भी प्राप्त हुई हैं।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने दिनांक 01 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के उनके कार्यकाल के दौरान उपर्युक्त स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए तथा उनके ज्ञान, पृष्ठभूमि, विशेषज्ञता, अनुभव तथा क्षमताओं पर विचार करते हुए बोर्ड को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों के आधार पर, निदेशक मंडल ने दिनांक 02 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त न होने वाले डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर, डॉ. अमित कंसल, डॉ. रश्मि शर्मा रावल और श्री जीजी जोसफ को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उनसे संबंधित आदेशों की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा भारत सरकार के अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

विद्युत मंत्रालय के दिनांक 08 नवंबर, 2021 और 10 नवंबर, 2021 के आदेशों तथा निबंधन एवं शर्तों को निर्धारित करने वाले नियुक्ति पत्र की प्रति सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से और कंपनी के कार्यसमय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और 152 के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में रोटेशन से सेवानिवृत्त न होने वाले स्वतंत्र निदेशकों के रूप में डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर, डॉ. अमित कंसल, डॉ. रश्मि शर्मा रावल और श्री जीजी जोसफ की नियुक्ति के लिए आम बैठक में सदस्यों का अनुमोदन अपेक्षित है।

कंपनी का कोई भी निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके संबंधी, इस सीमा को छोड़कर, वित्तीय रूप से अथवा अन्यथा संकल्पों से इच्छुक अथवा संबंधित नहीं हैं कि वह कंपनी का निदेशक और/अथवा शेयरधारक है।

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल विशेष संकल्पों के रूप में मद संख्या 6 से 9 में निर्धारित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है।

डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर, डॉ. अमित कंसल, डॉ. रश्मि शर्मा रावल और श्री जीजी जोसफ का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

क. श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल, निदेशक (वित्त) (डीआईएन: 08645380)

श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल एनएचपीसी लिमिटेड में निदेशक (वित्त) हैं। श्री गोयल ने एनएचपीसी में 18 नवंबर, 1988 को वरिष्ठ लेखाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। प्रारंभ में उन्होंने जम्मू व कश्मीर में सलाल पावर स्टेशन में कार्यभार ग्रहण किया और उसके बाद चमेरा-I परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, क्षेत्रीय कार्यालय-जम्मू और निगम कार्यालय, फरीदाबाद में विभिन्न पदों पर कार्य किया। श्री गोयल सेवा प्रभाग, निगम कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय-जम्मू में वित्त प्रमुख रहे हैं।

निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभालने से पूर्व, वह मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे तथा एनएचपीसी लिमिटेड के कारपोरेट लेखा और नीति, कराधान, बैंकिंग, स्थापना और निवेशक संबंध अनुभागों के प्रमुख थे।

श्री गोयल एनएचपीसी लिमिटेड की हितधारकों संबंधी समिति, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य हैं।

जन्म तिथि और आयु: 08 अगस्त, 1965 (57 वर्ष)

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति: श्री गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य हैं और वह राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से वाणिज्य में मास्टर डिग्रीधारक भी हैं। श्री गोयल को एनएचपीसी लिमिटेड में वित्त के मुख्य क्षेत्रों में 33 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है, जिसमें जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा उनके प्रचालन में शामिल वित्तीय, संविदात्मक और विनियामक मुद्दों की गहन समझ और व्यापक ज्ञान है।

निदेशकों के बीच आपस में संबंधों का प्रकटन: निदेशकों के बीच आपस में परस्पर कोई संबंध नहीं है।

सूचीबद्ध कंपनियों सहित वे अन्य कंपनियां, जिनमें श्री गोयल निदेशक हैं और बोर्ड की समितियों की सदस्यता है:

1. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा) लिमिटेड (निदेशक)
2. लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (लेखापरीक्षा समिति के निदेशक और अध्यक्ष)
3. रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (निदेशक)
4. एनएचडीसी लिमिटेड (निदेशक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य)

वे सूचीबद्ध कंपनियां जिनसे श्री गोयल ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है: शून्य

लाभार्थी स्वामी के रूप में शेयरधारिता सहित कंपनी में शेयरधारिता (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार):
17,488 इक्विटी शेयर

पुनर्नियुक्ति की प्रमुख निबंधन एवं शर्तें: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की कार्यवाही के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार।

बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या: श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में पहली बार 01 अक्टूबर, 2020 को अतिरिक्त निदेशक और निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था। निदेशक (वित्त) के रूप में उनकी नियुक्ति दिनांक 29.09.2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में विनियमित की गई। भाग लेने वाली बैठकों की संख्या से संबंधित ब्योरा कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिया गया है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

ख. डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन: 07592413)

डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर एनएचपीसी लिमिटेड में अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक हैं। डॉ. निर्गुडकर ने देश भर में आईटी और आईटीईएस कंपनियों में सीईओ के रूप में उत्कृष्ट कार्य किया है तथा प्रौद्योगिकी अवसंरचना और कौशल विकास में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का सफलतापूर्वक निष्पादन किया था। उन्होंने एक बड़ी न्यूज मीडिया कंपनी के सीईओ और प्रमुख संपादक के रूप में कार्य किया था तथा 'धागा शौर्य का, राखी अभिमान की' और 'आपला सैनिक, आपली दिवाली' जैसे सामाजिक उपक्रम शुरू किए थे।

डॉ. निर्गुडकर ने विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा पर फीचर भी लिखे थे तथा वैश्वीकरण और भारत के बदलते परिदृश्य पर 'लोकल

टू ग्लोबल' और 'ऑल अबाउट विनिंग इंडियन इलेक्शन' नामक किताब लिखी थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले समाचार चैनल के लिए कई सामाजिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं को संचालित किया था।

डॉ. निर्गुडकर, एनएचपीसी लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति के अध्यक्ष तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता एवं जोखिम प्रबंधन समिति के निदेशकों की समिति के सदस्य हैं।

जन्म तिथि और आयु: 18 जनवरी, 1965 (57 वर्ष)

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति: डॉ. निर्गुडकर पुणे विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त विपणन प्रबंधन में एमबीए और पीएचडी धारक हैं। उन्हें आईटी, आईटी सक्षमता सेवाओं, शिक्षा, अवसंरचना, वित्त, मीडिया और अर्थशास्त्र में 28 से अधिक वर्षों का विविध प्रकार का अनुभव है।

निदेशकों के बीच आपस में संबंधों का प्रकटन: निदेशकों के बीच आपस में परस्पर कोई संबंध नहीं है।

सूचीबद्ध कंपनियों सहित वे अन्य कंपनियां जिनमें डॉ. निर्गुडकर निदेशक हैं और बोर्ड की समितियों की सदस्यता: डॉ. निर्गुडकर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक)

वे सूचीबद्ध कंपनियां जिनसे डॉ. निर्गुडकर ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है: कोई नहीं

लाभार्थी स्वामी के रूप में शेयरधारिता सहित कंपनी में शेयरधारिता (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार): कोई नहीं

कौशल और क्षमताएं: कृपया कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट और व्याख्यात्मक विवरण में दिए गए ब्योरे में कौशल और योग्यता मैट्रिक्स देखें।

नियुक्ति की मुख्य निबंधन एवं शर्तें: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की कार्यवाही के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार।

बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया: डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 15 नवंबर, 2021 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक नियुक्त किया गया था।

बैठकों जिनमें उपस्थित रहे हैं, उनकी संख्या से संबंधित ब्योरा कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

ग. डॉ. अमित कंसल, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन: 07722428)

डॉ. अमित कंसल एनएचपीसी लिमिटेड में अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक हैं। वर्तमान में, डॉ. कंसल वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर और राजनीति विज्ञान विभाग, नेहरू मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज, मानसा, पंजाब के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। वे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रशंसित और प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक हैं तथा वे एक विशेषज्ञ के रूप में नेशनल सर्विस स्कीम एज प्रोग्राम ऑफिसर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, यूजीसी और आरयूएसए जैसे प्रतिष्ठित संगठनों से संबद्ध रहे हैं। डॉ. कंसल प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू, नई दिल्ली के साथ दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से गरीब और वंचित स्कूल/कॉलेज छोड़ने वालों के बीच शिक्षा का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने 5000 से अधिक ग्रामीण और वंचित युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित और प्रशिक्षित किया था।

डॉ. कंसल ने 'भारत की विदेश नीति', 'सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति' और 'पंजाब राजनीति' जैसी विभिन्न पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपना शोध कार्य भी प्रस्तुत किया है और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में विभिन्न वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए हैं।

डॉ. कंसल एनएचपीसी लिमिटेड की जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और लेखापरीक्षा समिति, हितधारकों की संबंध समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति के सदस्य हैं।

जन्म तिथि और आयु: 24 सितंबर, 1975 (46 वर्ष)

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति:

डॉ. अमित कंसल एक शिक्षाविद् हैं और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला से राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों और विश्वविद्यालयों से राजनीति विज्ञान, पत्रकारिता तथा जनसंचार और दूरस्थ शिक्षा में तीन मास्टर डिग्री भी प्राप्त की हैं। हाल ही में, डॉ. कंसल ने विधि (एलएलबी) में स्नातक किया है।

निदेशकों के बीच आपस में संबंधों का प्रकटन: निदेशकों के बीच आपस में परस्पर कोई संबंध नहीं है।

सूचीबद्ध कंपनियों सहित वे अन्य कंपनियां जिनमें डॉ. कंसल निदेशक हैं और बोर्ड की समितियों की सदस्यता: कोई नहीं

वे सूचीबद्ध कंपनियां जिनसे डॉ. कंसल ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है: कोई नहीं

लाभार्थी स्वामी के रूप में शेयरधारिता सहित कंपनी में शेयरधारिता (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार): कोई नहीं

कौशल और क्षमताएं: कृपया कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट और व्याख्यात्मक विवरण में दिए गए ब्यौरे में कौशल और योग्यता मैट्रिक्स देखें।

नियुक्ति की मुख्य निबंधन एवं शर्तें: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की कार्यवाही के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार।

बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया: डॉ. अमित कंसल को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 21 नवंबर, 2021 को इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक नियुक्त किया गया था। बैठकों जिसमें भाग लिया है, की संख्या से संबंधित ब्यौरा कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

घ. डॉ. रश्मि शर्मा रावल, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन: 09410683)

डॉ. रश्मि शर्मा रावल एनएचपीसी लिमिटेड में अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक हैं। वर्तमान में डॉ. रावल आर.एस.एम (पीजी) कॉलेज, धामपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर और भूगोल विभाग की प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 16 डाइरेक्टिंग थीसिस, 90 लघु निर्देशित/मार्गदर्शित शोध निबंध लिखे हैं तथा 25 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा लिखी गई छह (06) पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉ. रावल 1984 से आकाशवाणी (एआईआर), नजीबाबाद (प्रसार भारती) में विभिन्न विषयों/शीर्षकों की वार्ताकार हैं और रुहेलखंड जियोग्रफिकल जर्नल ऑफ इंडिया-ए रेफरीड रिसर्च जर्नल (आईएसएसएन संख्या 0976-8556) की मुख्य संपादक भी हैं।

डॉ. रावल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी), प्रयागराज की एक परीक्षक (उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन), प्रश्न पत्र लेखक और समीक्षक हैं। वे झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची की परीक्षक (पोस्ट-बुक इवैल्यूएशन) भी हैं।

डॉ. रावल एनएचपीसी लिमिटेड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता तथा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति एवं लेखापरीक्षा समिति, हितधारकों की संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की सदस्यता हैं।

जन्म तिथि और आयु: 21 जून, 1967 (55 वर्ष)

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति: डॉ. रश्मि शर्मा रावल एक शिक्षाविद हैं और उन्होंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय से आर्ट्स (भूगोल) में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और भूगोल (जनसंख्या भूगोल) में पीएचडी पूरी की है।

निदेशकों के बीच आपस में संबंधों का प्रकटन: निदेशकों के बीच आपस में परस्पर कोई संबंध नहीं है।

सूचीबद्ध कंपनियों सहित वे अन्य कंपनियां जिनमें डॉ. रावल निदेशक हैं और बोर्ड की समितियों की सदस्यता: कोई नहीं

वे सूचीबद्ध कंपनियां जिनसे डॉ. रावल ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है: कोई नहीं

लाभार्थी स्वामी के रूप में शेयरधारिता सहित कंपनी में शेयरधारिता (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार): कोई नहीं

कौशल और क्षमताएं: कृपया कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट और व्याख्यात्मक विवरण में दिए गए ब्यौरे में कौशल और योग्यता मैट्रिक्स देखें।

नियुक्ति की मुख्य निबंधन एवं शर्तें: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की कार्यवाही के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार।

बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया: डॉ. रश्मि शर्मा रावल को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 30 नवंबर, 2021 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक नियुक्त किया गया था। बैठकों जिसमें भाग लिया है, की संख्या से संबंधित ब्यौरा कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

ड. श्री जीजी जोसफ, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन: 09415941)

श्री जीजी जोसफ एनएचपीसी लिमिटेड में अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक हैं। वे एक उद्यमी हैं और विज्ञापन फिल्म निर्माण, रचनात्मक, मीडिया योजना और विज्ञापितियों के व्यापार में लगे हुए हैं।

श्री जोसफ एनएचपीसी लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति, हितधारक संबंधी समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य हैं।

जन्म तिथि और आयु: 14 अक्तूबर, 1973 (48 वर्ष)

विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति: श्री जीजी जोसफ ने कालीकट विश्वविद्यालय, केरल से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तथा व्यापार एवं राजनीति से संबद्ध हैं।

निदेशकों के बीच आपस में संबंधों प्रकटन: निदेशकों के बीच आपस में परस्पर कोई संबंध नहीं है।

सूचीबद्ध कंपनियों सहित वे अन्य कंपनियां जिनमें श्री जोसफ निदेशक और बोर्ड की समितियों के सदस्य हैं: कोई नहीं

वे सूचीबद्ध कंपनियां जिनसे श्री जोसफ ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है: कोई नहीं

लाभार्थी स्वामी के रूप में शेयरधारिता सहित कंपनी में शेयरधारिता (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार): कोई नहीं

कौशल और क्षमताएं: कृपया कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट और व्याख्यात्मक विवरण में दिए गए ब्यौरे में कौशल और योग्यता मैट्रिक्स देखें।

नियुक्ति की मुख्य निबंधन एवं शर्तें: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की कार्यवाही के माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार।

बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया: श्री जीजी जोसफ को एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 01 दिसंबर, 2021 से इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक नियुक्त किया गया था। बैठकों जिनमें भाग लिया है, की संख्या से संबंधित ब्यौरा कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

< लेटरहेड पर प्रिंट किया जाए >
डीटीए के अंतर्गत लाभ का दावा करने की घोषणा

दिनांक:

सेवा में,
एनएचपीसी लिमिटेड
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003,
ईमेल: investorcell@nhpc.nic.in

विषय: बहुपक्षीय दस्तावेज ("एमएलआई") द्वारा यथासंशोधित, यदि लागू हो, भारत सरकार और..... <टैक्स रेजिडेंसी का देश> ("डीटीए/व्यवहार") के देश के बीच डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत लाभ का दावा करने के लिए पात्रता की घोषणा।

उपर्युक्त के संदर्भ में, मैं/हम निम्नलिखित घोषणा करते हैं:

1. मैं/हम, ... <शेयरधारक का पूरा नाम>, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") के तहत स्थायी खाता संख्या (पैन) <पैन का उल्लेख करें>, रिकॉर्ड की तारीख को डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या के तहत एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी" के शेयरों की संख्या <धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख करें>") धारण करने वाला/वाले एमएलआई (यदि लागू हो) द्वारा यथासंशोधित डीटीए के संगत अनुच्छेद संख्या का उल्लेख करें (यदि लागू हो), अनुच्छेद के अनुसार <देश का नाम> का/के टैक्स रेजिडेंट हूँ/हैं और भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 ("आयकर अधिनियम") की धारा 6 के तहत भारत के 'आवासी' के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं है, रिकॉर्ड तारीख को वैध प्रपत्र 10एफ के साथ..... <अवधि> के लिए वैध टैक्स रेजिडेंसी प्रमाण पत्र की प्रति इसके साथ संलग्न है।
2. मैं/हम संगत वित्तीय वर्ष के दौरान..... <देश का नाम> का कर निवासी हूँ/हैं और बना रहूंगा।
3. मैं/हम कंपनी से प्राप्त होने वाली लाभांश आय का कानूनी और लाभकारी स्वामी हूँ/हैं।
4. मैं/हम लाभांश आय के संबंध में एमएलआई (यदि लागू हो) द्वारा यथासंशोधित डीटीए के प्रावधानों द्वारा शासित होने के पात्र हैं और व्यवहार दर का दावा करने के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं।
5. एमएलआई (यदि लागू हो) अथवा भारत में एक निश्चित आधार द्वारा यथासंशोधित डीटीए के अनुच्छेद..... <डीटीए के संगत अनुच्छेद संख्या का उल्लेख करें> के अनुसार भारत में मेरा/हमारा कोई स्थायी प्रतिष्ठान ("पीई") नहीं है। हमें प्रदत्त/देय राशि, किसी भी स्थिति में, पीई अथवा निश्चित आधार, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, जो अन्यथा बनाए जा सकते हैं।
6. मेरे/हमारे पास किसी तीसरे देश में पीई नहीं है और मुझे/हमें प्रदत्त/देय राशि, किसी भी स्थिति में, तीसरे क्षेत्राधिकार, यदि कोई है, में पीई के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो अन्यथा बनाए जा सकते हैं।
7. अधिनियम की धारा 9(1)(प) के प्रावधान के अनुसार मेरा/हमारा भारत में कोई व्यापारिक संबंध नहीं है और मुझे/हमें प्रदत्त/देय राशि, किसी भी स्थिति में, भारत में किए गए व्यापार प्रचालन, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं है।
8. मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि <शेयरधारक का पूरा नाम> मेरे कार्यों/मामलों को व्यवस्थित करने का मुख्य प्रयोजन अथवा प्रमुख प्रयोजन लागू व्यवहार के तहत उपलब्ध कर लाभ प्राप्त करना नहीं था।
9. इसके अतिरिक्त, व्यवहार के तहत राहत के लिए हमारा दावा, इसके तहत लाभ की सीमा खंड, यदि कोई हो, को लागू करने से प्रतिबंधित नहीं है।

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर की गई घोषणाएं सत्य और वास्तविक हैं। मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना के किसी भी गलत विवरण, अशुद्धता अथवा चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में मैं/हम जिम्मेदार होंगे।

मैं/हम ऐसी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) का भुगतान करने और क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे तथा कंपनी को आवश्यक सभी जानकारी/दस्तावेज प्रदान करेंगे और किसी भी आयकर/अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष किसी भी कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

..... <आदाता के नाम का उल्लेख करना>

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

<हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम>

<हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पदनाम>

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल आपके समक्ष वर्ष 2021-22 के विकास और प्रगति का उल्लेख करते हुए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा के साथ आपकी कंपनी की 46वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- एनएचपीसी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 3,245.06 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में एकल आधार पर 3,537.71 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। विगत वित्तीय वर्ष में 3,599.88 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3,774.33 करोड़ रुपये का समेकित निवल लाभ प्राप्त किया है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एकल आधार पर कुल आय और प्रचालनों से राजस्व (निवल) क्रमशः 9,379.98 करोड़ रुपये और 8,353.80 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय क्रमशः 3,550.47 करोड़ रुपये तथा 12.76 करोड़ रुपये थी।
- कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण आई असाधारण चुनौतियों के बावजूद एनएचपीसी पावर स्टेशनों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 24,855 मिलियन यूनिट का अब तक का दूसरा सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन हासिल करने में कामयाबी पाई। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी पावर स्टेशनों ने 88.19 प्रतिशत का वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएफ) दर्ज किया, जो अब तक का सर्वाधिक है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभांश के जरिए (वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 249.44 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 933.61 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश) भारत सरकार के राजकोष में 1,183.05 करोड़ रुपये का नकद योगदान किया गया था।
- एनएचपीसी ने "ओडिशा में विभिन्न जल निकायों पर 500 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना के विकास" के लिए दिनांक 4 जनवरी, 2022 को ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (जीईडीसीओएल) के साथ प्रमोटर्स करार पर हस्ताक्षर किए। एनएचपीसी और जीईडीसीओएल के बीच संयुक्त उद्यम में प्रस्तावित इक्विटी भागीदारी 74:26 के अनुपात में होगी। यह परियोजना पूरा

होने पर, विश्व में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं में शामिल होने जा रही है।

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 24 अप्रैल, 2022 को जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 850 मेगावाट रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत परियोजना (एनएचपीसी की एक सहायक कंपनी रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के माध्यम से कार्यान्वित) तथा 540 मेगावाट क्वार जलविद्युत परियोजना (एनएचपीसी की एक सहायक कंपनी, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. के माध्यम से कार्यान्वित) की आधारशिला रखी।
- एनएचपीसी ने 8 फरवरी, 2022 को "राजस्थान रिन्यूबल एनर्जी कारपोरेशन लि. और राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लि. के साथ राजस्थान में 10000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पार्क/परियोजनाओं के विकास" के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एनएचपीसी को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा आयोजित एक ई-रिवर्स बोली में सीपीएसयू योजना, फेज-II, ट्रांच-III के अंतर्गत 44.90 लाख/मेगावाट के एक व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) से 1000 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजना प्राप्त हुई।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने 6600 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली सात पंप स्टोरेज परियोजनाएं आबंटित करने के लिए सहमति दी है। ये परियोजनाएं एनएचपीसी और राज्य सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के जरिए विकसित की जाएंगी।
- एनएचपीसी ने दिनांक 11 दिसंबर, 2021 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से 1856 मेगावाट सावलकोट एचई परियोजना का औपचारिक अधिग्रहण किया।
- एनएचपीसी ने अपने चमेरा-I पावर स्टेशन (540 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश के इक्विटी पर आय (आरओई) की जांच करके भावी नकदी प्रवाह के मुद्रीकरण के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मुद्रीकरण सौदे से चमेरा-I पावर स्टेशन के 10 वर्षों के भावी नकदी प्रवाह के लिए 1,016.39 करोड़ रुपये का वर्तमान मूल्य प्राप्त हुआ है।
- एनएचपीसी ने विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आरएंडडी क्रियाकलापों के लिए एनआईटी दुर्गापुर की सेवाएं लेने के लिए एनआईटी दुर्गापुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- 1000 मेगावाट पकलदुल एचई परियोजना का नदी डाइवर्जन के कार्य के लिए 1 नवंबर, 2021 को उद्घाटन किया गया था और 120 मेगावाट रंगित-IV एचई परियोजना का नदी डाइवर्जन कार्य भी 7 नवंबर, 2021 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
- एनएचपीसी ने भारतीय बाजार में विशेषज्ञ एक स्वतंत्र यूएस परामर्शी फर्म, एनर्जी इंटेलीजेंस द्वारा प्रकाशित "सर्वोच्च 100 ग्रीन यूटिलिटीज" में सर्वोत्तम 25 ग्रीन यूटिलिटीज के बीच स्थान हासिल किया है।
- दिनांक 26 जनवरी, 2022 को, जिला प्रशासन, फरीदाबाद, हरियाणा ने "सेनेटाइजेशन" के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए एनएचपीसी को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान किया है।

1. वित्तीय निष्पादन

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय विशेषताएं नीचे तालिका में दी गई हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	2021-22	2020-21
प्रचालनों से राजस्व	8,353.80	8,506.58
मूल्यहास से पूर्व लाभ, ब्याज, आपवादिक मदें, दर विनियमित आय और कर	5,704.83	5,782.30
मूल्यहास	1,126.22	1,228.65
मूल्यहास के पश्चात लेकिन आपवादिक मदों, दर विनियमित आय, ब्याज और कर पूर्व लाभ	4,578.61	4,553.65
ब्याज और वित्त प्रभार	531.75	571.49
मूल्यहास और ब्याज के पश्चात लेकिन आपवादिक मदों, दर विनियमित आय और कर पूर्व लाभ	4,046.86	3,982.16
आपवादिक मदें	0.00	(185.00)
दर विनियमित आय	(1,270.42)	128.03
कर	(761.27)	680.13
मूल्यहास, कर, आपवादिक मदों, दर विनियमित आय और कर पश्चात लाभ	3,537.71	3,245.06
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	12.76	7.20
कुल व्यापक आय (टीसीआई)	3,550.47	3,252.26
विगत वर्षों के लाभ व हानि विवरण से अधिशेष (अन्य व्यापक आय सहित)	7,935.70	5,954.08

बांड मोचन रिजर्व से अंतरण	275.70	306.43
उप-जोड़	11,761.87	9,512.77
घटा: विनियोजन		
लाभांश	1,667.48	1,577.07
अन्य व्यापक आय सहित प्रतिधारित आय का अंतिम शेष	10,094.39	7,935.70

1.1 राजस्व

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 9,379.98 करोड़ रुपये की कुल आय सृजित की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल आय 9662.56 करोड़ रुपये थी।

1.2 व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल व्यय में विगत वर्ष में 5,680.40 करोड़ रुपये की तुलना में 5,333.12 करोड़ रुपये की कमी आई है।

1.3 कुल व्यापक आय

आपकी कंपनी की कुल व्यापक आय में विगत वित्तीय वर्ष में 3,252.26 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 3,550.47 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

1.4 निवल मूल्य

आपकी कंपनी की निवल आय 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 33,486.10 करोड़ रुपये थी, जबकि विगत वित्तीय वर्ष के अंत में 31,603.11 करोड़ रुपये थी।

1.5 शेयर पूंजी

आपकी कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 10,045.03 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं आया।

1.6 आरक्षित राशि में अंतरण

वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने किसी आरक्षित राशि में कोई राशि अंतरित नहीं की।

2. लाभांश

आपकी कंपनी का लाभांश भुगतान का एक सतत ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 502.25 करोड़ रुपये राशि के लिए 0.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। उपर्युक्त लाभांश मार्च, 2022 में चुकाए गए 1,315.90 करोड़ रुपये की राशि के लिए 1.31 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल लाभांश 1.81 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अनुसार 1,818.15 करोड़ रुपये होता है। आपकी कंपनी के पास मई, 2017 से एक लाभांश वितरण की नीति है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार, व्यापक रूप से लाभांश अदायगी पीएटी का 30 प्रतिशत अथवा निवल

आय का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल लाभांश भुगतान (कंपनी के सदस्यों द्वारा अंतिम लाभांश के अनुमोदन के अध्यक्षीन) 1.81 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1,818.15 करोड़ रुपये होगा जो 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पीएटी के 50% और निवल मूल्य के 5.08% होने वाले 1,607.21 करोड़ रुपये के कुल लाभांश भुगतान की तुलना में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पीएटी का 51% और निवल मूल्य का 5.43% होगा। कंपनी की लाभांश वितरण नीति कंपनी की वेबसाइट <http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Dividend.Policy.21062017%20-NHPC%20website.pdf> पर उपलब्ध है।

3. प्रचालनात्मक निष्पादन

आपकी कंपनी ने विगत वित्तीय वर्ष में 24,471 एमयू विद्युत

उत्पादन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 24,855 एमयू विद्युत उत्पादन (पार्वती-II से 361 एमयू इनफर्म उत्पादन सहित) हासिल किया है। एनएचपीसी ने विगत वित्तीय वर्ष के 84.87 प्रतिशत पीएएफ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 88.19 प्रतिशत हासिल किया है जो अब तक का सर्वाधिक पीएएफ है। आपके निदेशक यह सूचित करते हुए हर्षित हैं कि एनएचपीसी पावर स्टेशनों ने उल्लेखनीय अच्छा निष्पादन किया है और यहां तक कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी प्रचालनरत रहे हैं। एनएचपीसी के सभी पावर स्टेशन केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुसार प्रचालन कर रहे थे। एनएचपीसी ने 189.75 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक व्युत्पन्न प्रभार भी अर्जित किया है और ग्रिड फ्रीक्वेंसी में बदलाव के लिए समय पर कार्रवाई की है। पावर स्टेशन-वार उत्पादन और पीएएफ नीचे तालिका में दिया गया है:

क्रम सं.	पावर स्टेशन का नाम	उत्पादन लक्ष्य* (एमयू)	वास्तविक उत्पादन (एमयू)	वास्तविक पीएएफ (%)
1.	लोकटक	510	401	97.42
2.	चमेरा-I	2447	1899	89.80
3.	रंगित	340	338	95.82
4.	चमेरा-II	1517	1359	96.22
5.	धौलीगंगा	1179	1213	99.56
6.	दुलहस्ती	2257	2216	100.55
7.	तीस्ता-V	2771	2672	98.03
8.	सेवा-II ¹	504	63	6.66
9.	चमेरा-III	1108	1005	99.40
10.	टीएलडीपी-III	594	601	93.36
11.	टीएलडीपी-IV	734	737	95.61
12.	बैरास्यूल ²	709	587	80.62
13.	सलाल	3722	3485	89.77
14.	टनकपुर	484	540	81.21
15.	उड़ी	2950	3038	95.17
16.	चूटक	213	171	57.71
17.	निम्नो बाजगो	239	235	87.38
18.	उड़ी-II	1656	1650	95.49
19.	पार्वती-III	744	613	59.73
20.	किशनगंगा	1713	1506	86.39
21.	पार्वती-II ³	395	361	-
	कुल (हाइड्रो)	26786	24690	88.19
22.	पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर	104	76	-
23.	सौर विद्युत परियोजना, तमिलनाडु	106	89	-
	कुल (पवन और सौर)	210	165	-
	कुल (एनएचपीसी)	26996	24855	88.19

* वित्तीय वर्ष 2021-22 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, एनएचपीसी लिमिटेड और एनएचडीसी लिमिटेड के उत्पादन लक्ष्य सहित समेकित उत्पादन लक्ष्य 29646 मिलियन यूनिट है।

टिप्पणी:

1. 25 सितंबर, 2020 से 21 फरवरी, 2022 तक एचआरटी की क्षति के कारण पावर स्टेशन के पूर्ण शटडाउन के कारण कम उत्पादन और पीएफ है।
2. बैरास्यूल पावर स्टेशन की यूनिट#3 दिनांक 27 नवंबर, 2020 से लेकर 30 अगस्त, 2021 तक आरएंडएम कार्यों के लिए आउटेज के अधीन थी।
3. दर्शाया गया वास्तविक उत्पादन इनफर्म विद्युत है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान:

- चार (4) पावर स्टेशनों अर्थात चूटक, निम्नो बाजगो, टीएलडीपी-III और किशनगंगा ने शुरू से लेकर अब तक का सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन हासिल किया है।
- आपकी कंपनी के दस (10) पावर स्टेशनों यथा सलाल, टनकपुर, चमेरा-I, उड़ी, दुलहस्ती, धौलीगंगा, तीस्ता-V, उड़ी-II, टीएलडीपी-III और टीएलडीपी-IV ने अपनी वार्षिक निर्धारित ऊर्जा प्राप्त की है।
- छ: (6) पावर स्टेशनों यथा उड़ी, धौलीगंगा, चमेरा-III, टीएलडीपी-IV, निम्नो बाजगो तथा किशनगंगा ने अपनी शुरुआत से अब तक का सर्वाधिक पीएफ हासिल किया है।

एनएचपीसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैरास्यूल पावर स्टेशन के समय-विस्तार के लिए नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम एंड एलई) पूरा कर लिया है। बैरास्यूल पावर स्टेशन (3x60 मेगावाट), जो वर्ष 1981 में चालू किया गया था, ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में अपना 35 वर्षों का वाणिज्यिक प्रचालन पूरा कर लिया था। सभी तीनों यूनिटों का आरएंडएम एंड एलई पूरा हो चुका है और 30 अगस्त, 2021 से प्रचालन में है। एनएचपीसी लोकटक पावर स्टेशन (3x35 मेगावाट) का आरएंडएम एंड एलई भी कर रहा है, जिसने वित्तीय वर्ष 2018-19 में अपना 35 वर्षों का वाणिज्यिक प्रचालन पूरा कर लिया है। एनएचपीसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान चमेरा-I पावर स्टेशन (540 मेगावाट) के एचआरटी की प्रमुख मरम्मत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

4. वाणिज्यिक निष्पादन

4.1 बिक्रियां और वसूलियां

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी की प्रचालनों से बिक्रियां 8,353.80 करोड़ रुपये रही हैं। हम सहर्ष यह सूचित करते हैं कि आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 271.95 करोड़ रुपये के अधिभार सहित 9,387.68 करोड़ रुपये की राशि वसूल करने में समर्थ रही है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, 45 दिनों से अधिक के लिए 1,134.23 करोड़ रुपये की कुल बकाया देयताएं (78.71 करोड़ रुपये के अधिभार सहित) लंबित थीं, जो कि सभी पावर स्टेशनों की शुरुआत से लेकर अब तक किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर हर समय की सबसे कम है। आपकी कंपनी निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया देयताओं का परिसमापन करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

4.2 विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर हस्ताक्षर:

हमारे पावर स्टेशनों के लिए दीर्घावधिक पीपीए की उपलब्धता संगठन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संगठन के लिए राजस्व की उपलब्धता होती है और सुनिश्चित रिटर्न की दर प्राप्त होती है, जिसका उपयोग कारोबारी विस्तार के लिए किया जा सकता है। इस तथ्य को देखते हुए यह महत्वपूर्ण था कि सस्ते टैरिफ वाले पावर स्टेशनों के लिए पीपीए 35 वर्षों का था, जबकि कुछ पावर स्टेशनों के लिए पीपीए महंगे टैरिफ पर शुरू में 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध था, जो समाप्त हो चुके थे/समाप्त होने वाले थे। यद्यपि ऐसे स्टेशनों से डिस्कॉमों को विद्युत की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन एनएचपीसी पीपीए जैसे किसी कानूनी दस्तावेज के बिना असुरक्षित स्थिति में था। अतः इस क्षेत्र पर बल देने के लिए एक मत से निर्णय ले लिया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान एनएचपीसी ने निम्नलिखित पावर स्टेशनों के संबंध में पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं:

क्रम सं.	लाभार्थी डिस्कॉम	पावर स्टेशन	पीपीए पर हस्ताक्षर करने की तारीख	पीपीए की वैधता
1	पीएसपीसीएल, पंजाब	बैरास्यूल	22.03.2022	30.08.2046 (पिछली यूनिट के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण से 25 वर्ष)
2	एचपीपीसी, हरियाणा		03.08.2021	
3	पीएसपीसीएल, पंजाब	सेवा-II	22.03.2022	23.07.2050 (सीओडी से 40 वर्ष)
		चमेरा-III		03.07.2052 (सीओडी से 40 वर्ष)
		उड़ी-II		28.02.2054 (सीओडी से 40 वर्ष)
		पार्वती-III		05.06.2054 (सीओडी से 40 वर्ष)
4	मणिपुर	लोकटक	17.01.2022	पिछले यूनिट के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण से 25 वर्षों तक की अवधि के लिए हस्ताक्षरित
5	नागालैंड		26.07.2021	
6	असम		18.02.2022	
7	त्रिपुरा		22.07.2021	
8	मिजोरम		12.08.2021	
9	अरुणाचल प्रदेश		31.01.2022	
10	पश्चिम बंगाल	टीएलडीपी-IV	02.09.2021	31.03.2031

5. निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं की स्थिति

वर्तमान में, आपकी कंपनी 6434 मेगावाट क्षमता की 08 जलविद्युत परियोजनाओं (संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों सहित) के निर्माण में लगी हुई है। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्रम सं.	परियोजना	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
d- ,dy vk/kkj ij			
1.	पार्वती-II एचई परियोजना	हिमाचल प्रदेश	800
2.	सुबानसिरी लोअर एचई परियोजना	असम/अरुणाचल प्रदेश	2,000
उप-जोड़ (क)			2800
[k- lgk;d difu;k@l;ä m ek di ek/e l			
1.	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) (एनएचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी) के अंतर्गत तीस्ता स्टेज-VI एचई परियोजना	सिक्किम	500
2.	जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (एनएचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी) के अंतर्गत रंगित-VI एचई परियोजना	सिक्किम	120
3.	सीवीपीपीपीएल (जेकेएसपीडीसी के अंतर्गत एक संयुक्त उद्यम) के अंतर्गत पकलदुल एचई परियोजना	जम्मू व कश्मीर	1000
4.	सीवीपीपीपीएल के अंतर्गत किरू एचई परियोजना		624
5.	सीवीपीपीपीएल के अंतर्गत क्वार एचई परियोजना		540
6.	रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) (जेकेएसपीडीसी के साथ एक संयुक्त उद्यम) के अंतर्गत रतले एचई परियोजना		850
उप-जोड़ (ख)			3634
कुल (क+ख)			6434

5.1 एनएचपीसी एकल परियोजनाएं

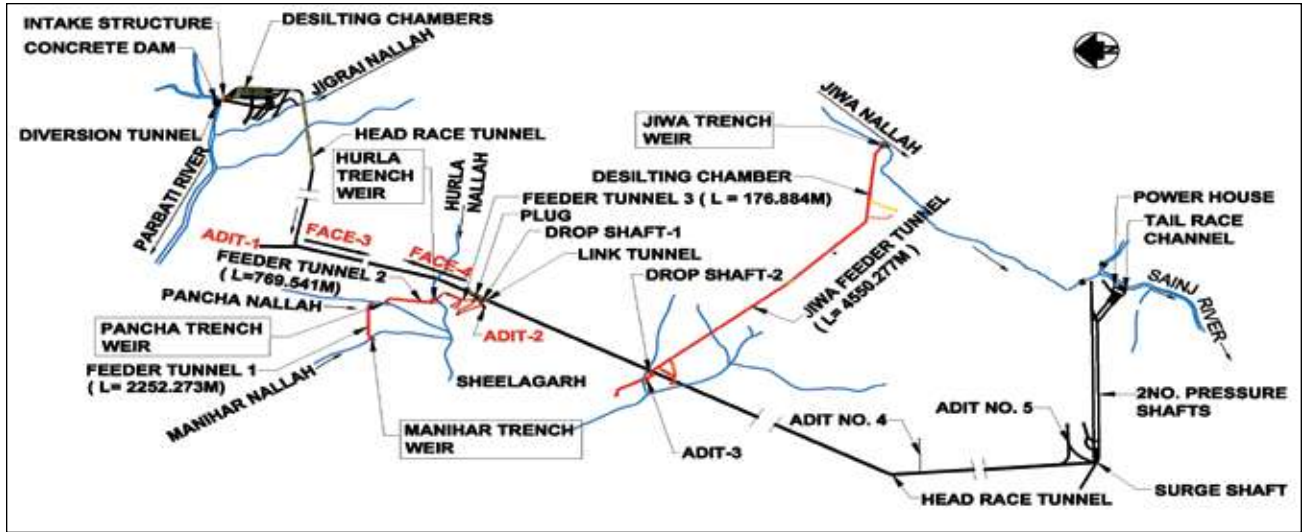
5.1.1 पार्वती-II एच.ई. परियोजना – 800 मेगावाट (4x200 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश

पार्वती-II एचई परियोजना पार्वती नदी के लोअर रीच की जलविद्युत संभाव्यता का दोहन करने के लिए रन-ऑफ-द-रिवर योजना के रूप में एनएचपीसी द्वारा निर्मित की जा रही है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। परियोजना से अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 90% आश्रित वर्ष में 3,124 मिलियन यूनिट है।

मुख्य विशेषताएं

बांध स्थल	पार्वती नदी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बांध	कंक्रीट ग्रेविटी बांध 83.7 मी. ऊंचा और 110 मी. लंबा
स्पिल्वे रेडियल गेट	3 सं., 6.0 मी. x 90 मी.
डिसिल्टिंग चैम्बर	3 सं., डुफर टाइप, 15 मी. x 16 मी. x 170 मी.

हेड रेस टनल (एचआरटी)	31.5 कि.मी. (डीबीएम द्वारा 24.3 कि.मी., हॉर्स शू शेप और टीबीएम द्वारा 7.2 कि.मी. सर्कुलर शेप)
सर्ज शाफ्ट	17 मी. व्यास, 130 मी. ऊंची अंडरग्राउंड ओरिफिस टाइप
प्रेशर शाफ्ट	2, 3.50 मी. व्यास, 2121.5 मी. (दाएं) और 2149.5 मी. (बाएं) लंबाई में अंडरग्राउंड इनक्लाइंड प्रेशर शाफ्ट
पावर हाउस	सरफेस पावर हाउस, 200 मेगावाट, प्रत्येक की 4 यूनिट (पेल्टन)
उत्पादन	3124.60 मिलियन यूनिट
प्रति यूनिट डिस्चार्ज	29 क्यूमेक
रिजरवायर क्षमता	कुल भंडारण: 6.83 एमक्यूएम ड्यूरनल स्टोरेज: 3.09 एमक्यूएम



परियोजना का लेआउट

नदी के पानी को एक 31.05 कि.मी. लम्बे हेड रेस टनल (एचआरटी) के जरिए डाइवर्ट करने के लिए पार्वती घाटी में ग्राम पुल्गा में 83.7 मी. ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया गया है। 863 मी. के सकल हेड का उपयोग करते हुए सैंज घाटी के ग्राम सुइंद में 800 मेगावाट (4x200 मेगावाट) क्षमता का एक भूमिगत पावर हाउस बनाया गया है। पार्वती नदी का डाइवर्ट किया गया डिस्चार्ज एचआरटी के साथ-साथ जीवा, हर्ला, पंचा और मांझर जैसे विभिन्न नालों के डिस्चार्ज को डाइवर्ट करके और भी बढ़ाया जाना है।

बांध के प्रमुख सिविल कार्य, इंटेक संरचना, डिसेल्टिंग चैम्बर, प्रेशर शॉफ्ट, सर्ज शॉफ्ट, पावर हाउस, सभी नाले यथा जीवा, हर्ला, पंचा तथा मनिहार पूरे हो चुके हैं। वर्तमान में, दो फेस (फेस-3 और फेस-4) से एचआरटी खुदाई क्रमशः ड्रिल और ब्लास्ट विधि (डीबीएम) तथा टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) के द्वारा की जा रही है। मार्च, 2022 तक 97% एचआरटी की खुदाई पूरी हो चुकी है।

प्रमुख एचएम कार्य पूरे किए जा चुके हैं। परियोजना के इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य पूरे हो चुके हैं और आंशिक भार के रूप में ग्रिड के साथ सभी यूनिटों को सिंक्रोनाइज किया गया है। वर्तमान में जीवा, मनिहार, पंचा और हर्ला नालों से पानी



पावर हाउस

की उपलब्धता के अनुसार, विद्युत (इनफर्म विद्युत) का उत्पादन किया जा रहा है। मार्च, 2022 तक पार्वती-II से इनफर्म विद्युत के रूप में 823 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया गया है।

परियोजना के समक्ष अनेक प्रतिकूल स्थितियां आई हैं, जैसे बहुत ही खराब/कमजोर भौगोलिक स्थितियां, एचआरटी में सिल्ट के साथ पानी का भारी प्रवेश, जिसके कारण टीबीएम और अन्य ड्रिलिंग उपकरणों का दब जाना तथा समय-समय पर टनल में बाढ़ आना, असाधारण भौगोलिक घटनाएं होना, पावर हाउस की बैक हिल स्लोप का विफल होना, एचआरटी कार्य संबंधी ठेकेदारों का निष्पादन न करना, श्रमिक संघों द्वारा प्रदर्शन, कानून व्यवस्था की समस्याएं आदि घटनाएं हुईं।

सभी बाधाओं को पार करते हुए आपकी कंपनी के प्रबंधन ने प्रगति में तेजी लाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों, ईडी की समिति, कार्यबल, विशेषज्ञ पैनल (पीओई) आदि का गठन।
- गैर-निष्पादन के कारण निष्पादन एजेंसियों के कई ठेके समाप्त हो गए तथा नई एजेंसियों को पुनः प्रदान किए गए।

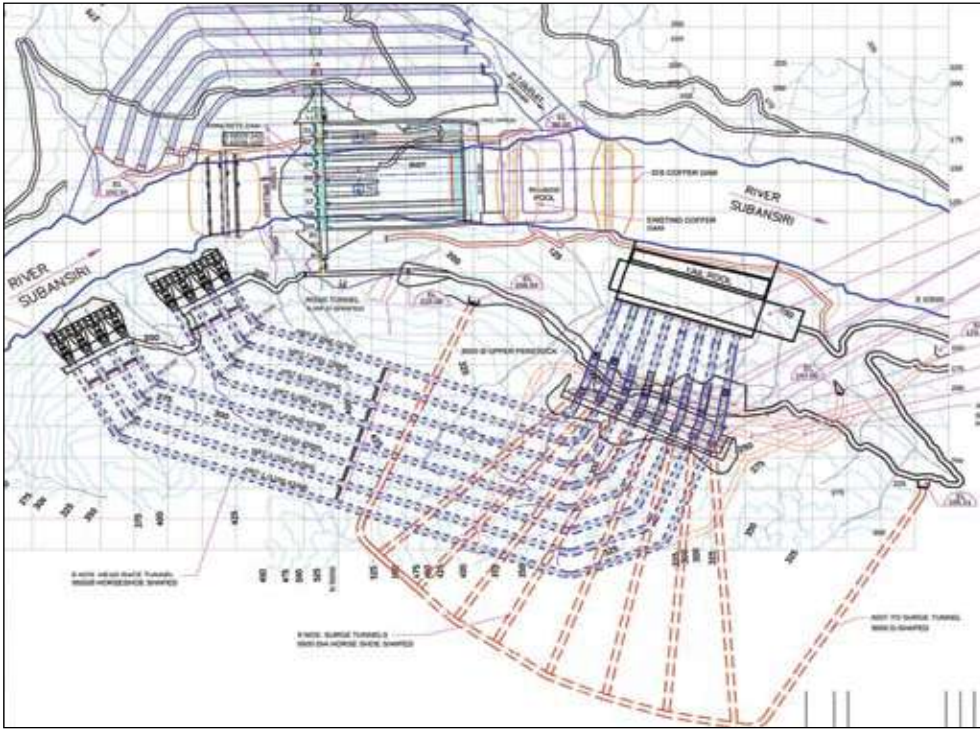


बांध

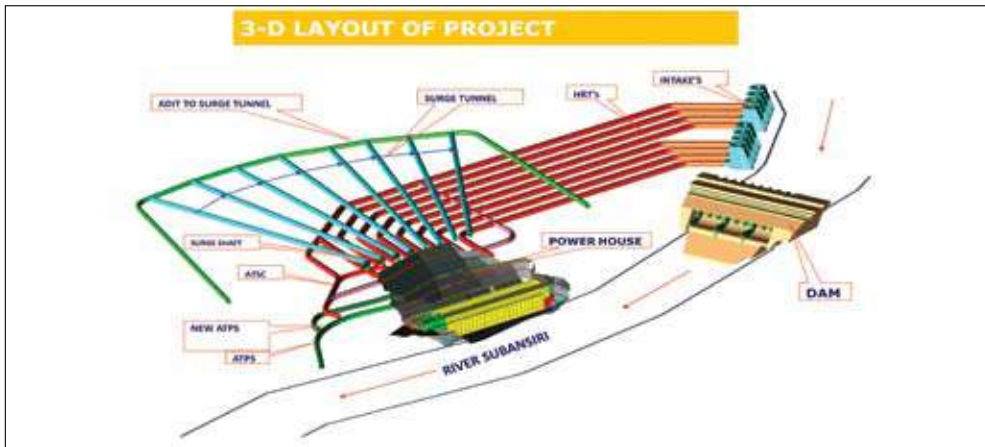
- उचित विश्लेषण और संसाधन की योजना बनाकर साइकल समय का वास्तविक समय विश्लेषण – साइकल समय में नियमित सुधार।
- उन्नत सहायता प्रणाली अर्थात मैकनल्ली सहायता प्रणाली अपनाना, जिसके कारण खराब भौगोलिक स्थिति में टीबीएम आगे बढ़ी।
- 5 माह में 2500 मी. एचआरटी लाइनिंग हासिल करने के लिए 48 मी. (4x12 मी.) का एक निरंतर गेंद्री शटर तैयार किया गया।
- पानी के प्रवेश को चैनलाइज करने के लिए अतिरिक्त संसाधन और प्रयास किए गए।

5.1.2 सुबानसिरी लोअर एचई परियोजना – 2,000 मेगावाट (8x250 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश

सुबानसिरी लोअर एचई परियोजना अभी तक भारत में निर्माणाधीन हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना है और यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी सुबानसिरी नदी पर एक रन-ऑफ-द-रिवर योजना है। यह परियोजना असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा में गेरुकामुख (जिला धेमाजी)/कोलापुकर (कामले जिला) में स्थित है। सुबानसिरी नदी के दाहिनी ओर अरुणाचल प्रदेश और बाईं ओर असम स्थित है। सुबानसिरी नदी के दाहिनी ओर सभी प्रमुख परियोजना घटक जैसे इनटेक, एचआरटी पावर हाउस और टीआरसी आदि स्थित हैं और बाएं किनारे पर डाइवर्जन टनल स्थित है।



परियोजना का सामान्य लेआउट



परियोजना का 3डी लेआउट

परियोजना के लिए सीसीई की मंजूरी सितंबर, 2003 में प्राप्त की गई थी और एनएचपीसी ने दिनांक 12.10.2004 को अंतिम वन मंजूरी के बाद जनवरी, 2005 में निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। निर्माण कार्य दिसंबर, 2011 में रोक दिया गया था क्योंकि विभिन्न प्रदर्शनों और विरोधों, डाउनस्ट्रीम प्रभावों और सुरक्षा संबंधी कारणों के साथ-साथ बाद में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने याचिकाएं भी दायर की गई थीं। माननीय एनजीटी ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं और परियोजना को दिनांक 31.08.2019 के आदेश के माध्यम से मंजूरी प्रदान कर दी गई तथा परियोजना का निर्माण कार्य 15 अक्टूबर, 2019 से पुनः शुरू किया गया। इसी बीच, असम सरकार के साथ करार ज्ञापन (एमओए) और अगस्त, 2019 में अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली को छोड़कर अन्य लाभार्थी राज्यों के साथ पीपीए पहले से ही मौजूद हैं, जिनका अनुसरण किया जा रहा है।

मुख्य विशेषताएं

बांध	कंक्रीट ग्रेविटी बांध (116 मी. ऊंचा, 271 मी. चौड़ा, 284 मी. लंबा)
एचआरटी	8 सं., 9.5 मी. व्यास, हॉर्श शू आकार, 7102 मी. कुल लम्बाई
पावर हाउस	सरफेस, 285 मी. x 61 मी. x 64 मी. 250 मेगावाट की 8 यूनिट हाउसिंग
स्पिल्वे रेडियल गेट	9 सं., 115. मी. x 14.0 मी.
प्रेशर शॉपट	8 सं., वर्टिकल 48 मी. गहराई (सकुलर, 9.5 मी. से 7 मी. तक अलग-अलग व्यास तथा 209 मी. से 231 मी. तक लंबाई)
सकल शीर्ष	91 मी.
वार्षिक उत्पादन	90% आश्रित वर्ष में 7422 एमयू

सुबानसिरी लोअर एचई परियोजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- परियोजना में 1200 टीपीएच का समग्र प्रोसेसिंग प्लांट शामिल है, जो कि जल विद्युत परियोजना में अभी तक का भारत में चालू किया गया ऐसा सबसे बड़ा संयंत्र है। साथ ही, सुबानसिरी नदी पर एक 300 मी. का कन्वेयर ब्रिज भी है, जो भारत में सबसे बड़ा कन्वेयर ब्रिज है।
- कंक्रीट बैचिंग और मिक्सिंग प्लांट में 880 क्यूमी. क्षमता के संयंत्र, एक दिवन शॉपट मिक्सिंग संयंत्र और एक चिलिंग तथा आइस प्लांट केटीआई जर्मनी से है। यह भारत में बांध निर्माण के लिए एकल विशालतम बैचिंग और मिक्सिंग प्लांट है।
- रोटेक टावर बेल्ट सिस्टम का प्रयोग भारत में पहली बार सुबानसिरी लोअर एचई परियोजना के बांध की कंक्रीटिंग के लिए किया गया।

- सबसे बड़ा रेडियल गेट आकार के संदर्भ में और हेड संयोजन (11.5मी. x 4.0मी.) तथा 64 मी. का इफेक्टिव हेड।
- 8 लेन के प्रेशर शापट की विशिष्ट विशेषताएं, जिनमें प्रत्येक का 8 मी. व्यास, 10 डाइवर्जन टन गेट और 24 ड्रापट ट्यूब गेट है।
- सुबानसिरी परियोजना का जनरेटर देश में सर्वाधिक क्षमता का हाइड्रो जनरेटर है, जिसकी एमवीए रेटिंग 306 एमवीए है।
- इस हाइड्रो पावर प्लांट में रोटर सबसे बड़ा उपकरण है, जिसका लगभग भार 620 टन और व्यास 11.45 मी. है।
- परियोजना का स्टेटर अपने 395 टन भार और 11.5 मी. व्यास की बोर के संदर्भ में देश में सबसे बड़ा उपकरण है।
- परियोजना का रनर देश का सबसे भारी फ्रांसिस टरबाइन रनर है, जिसका भार लगभग 105 टन है।
- मुख्य इनलेट वाल्व, जिसका भार लगभग 355 टन और व्यास 7मी. है, देश में सबसे बड़ा मुख्य इनलेट वाल्व है।
- 420 केवी जीआईएस, जिसकी कुल 22 बे हैं, देश में किसी भी हाइड्रो परियोजना में देश का सबसे बड़ा जीआईएस होगा।

परियोजना से विद्युत आबंटन नीचे तालिका में दिया गया है:

असम (25*+508)	533 मेगावाट
अरुणाचल प्रदेश (240*+34)	274 मेगावाट
अन्य पूर्वोत्तर राज्य	
मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एवं मिजोरम	198 मेगावाट
उत्तरी राज्य	
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली	500 मेगावाट
पश्चिमी राज्य	
गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा	500 मेगावाट
d.y	2000 मेगावाट

* निःशुल्क विद्युत। असम के लिए 0.25 प्रतिशत (5 मेगावाट) निःशुल्क विद्युत एनएचपीसी द्वारा अपने संसाधनों से समाहित की जानी है।

सुबानसिरी लोअर एचई परियोजना के प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चार एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, जिनका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए किया गया है, यथा डेम एंड डाइवर्जन, टनल वर्क्स, मैसर्स बीजीएस-एसजीएस-एसओएमए जेवी (रशियन कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम), जिसमें कट ऑफ

वाल कार्य एक विख्यात फ्रेंच कंपनी, सोलटेन्ची बैची द्वारा, पावर हाउस एवं अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर: मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लि. द्वारा सितंबर, 2020 में (मैसर्स एलएंडटी पहले वर्ष 2015 में फोरक्लोजर तक शामिल थी), हाइड्रो मैकेनिकल कार्य: मैसर्स टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लि., कोलकाता और इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य: मैसर्स कंसोर्टियम फॉर जीई हाइड्रो फ्रांस और जीई पावर इंडिया लिमिटेड द्वारा पूरे किए गए।

विभिन्न कार्यों पैकेजों में कार्य समय-समय पर विभिन्न बाधाओं के बावजूद अक्टूबर, 2019 में कार्य शुरू होने से पूरी गति पर चल रहा है। 7000 से अधिक श्रमिक निर्माण कार्यों को करने के लिए दैनिक आधार पर परियोजना में लगे हुए हैं। लगभग 83 प्रतिशत बांध कंक्रीट कार्य अभी तक हो चुका है। इसके

अतिरिक्त, एचआरटी खुदाई लगभग पूरी हो चुकी है और लगभग 90 प्रतिशत की लाइनिंग भी पूरी हो चुकी है। 60 प्रतिशत पावर हाउस कंक्रीटिंग हो चुकी है, जिसमें यूनिट #1 और #2 के सिविल कार्य का समापन शामिल है। एचएम और ईएम उपकरण की प्रमुख आपूर्ति पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य उन्नत अवस्था में है। यूनिट #1 की बॉक्सिंग दिनांक 13.06.2022 को पूरी हो गई है और यूनिट #2 के लिए 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। एचआरटी इंटेक गेट लगा दिया गया है और रेडियल गेट तथा ड्राफ्ट ट्यूब गेट व प्रेशर शॉफ्ट लाइनर वर्क्स का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। वर्तमान में परियोजना की समग्र प्रगति का कार्य लगभग 80 प्रतिशत है। दिनांक 19.06.2022 की स्थिति के अनुसार परियोजना की घटक-वार प्रगति इस प्रकार है:

क्रम सं.	कार्यकलाप	यूनिट	कुल	संचित प्रगति	प्रगति %
1	बांध कंक्रीटिंग	क्यूमी.	2057392	1714798	83%
2	इंटेक कंक्रीटिंग	क्यूमी.	279454	274582	98%
3	एचआरटी खुदाई (हैडिंग)	एम	7102	7102	100%
4	एचआरटी खुदाई (बैंचिंग)	एम	7102	6995	98%
5	एचआरटी ओवर लाइनिंग	एम	7102	6407	90%
6	एचआरटी इन्वर्ट लाइनिंग	एम	7102	4415	62%
7	सर्ज टनल हैडिंग खुदाई	एम	3545	3300	93%
8	सर्ज टनल बैंचिंग खुदाई	एम	3545	2257	63%
9	पावर हाउस कंक्रीटिंग	क्यूमी.	512000	307468	60%
10	कट ऑफ वॉल कार्य	पूर्ण (100%)			
11	एचएम कार्य	आपूर्ति: 90%, इरेक्शन: डीटी: 97.5% इंटेक गेट: 80%, पीएस लाइनर: 53%			
12	ईएंडएम कार्य	आपूर्ति: 97%, इरेक्शन: यूनिट #1 - 90 %, यूनिट #2 - 60 % यूनिट #3 - 5.4%, यूनिट #4 - 3.75%, यूनिट #5 - 5.35 %, यूनिट# 6- 2.65 %			



बांध



पावर हाउस

अक्टूबर, 2019 में कार्य शुरू होने से लेकर अब तक परियोजना के समक्ष अनेक प्रमुख चुनौतियां आई हैं, जिनसे विभिन्न कार्य पैकेजों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कार्य शुरू होने के तत्काल बाद कार्य की प्रगति कोविड-19 महामारी के कारण छः माह से अधिक समय तक प्रभावित रही अर्थात् लॉकडाउन के

कारण और राज्य सरकार/केंद्र सरकार, स्थानीय प्रशासकों द्वारा मार्च, 2020 से समय-समय पर जारी विभिन्न प्रतिबंधों के चलते प्रभाव पड़ा। अन्य बाधाओं/चुनौतियों में बांध के मार्ग में कटाव के कारण मई, 2021 में डीटी आउटलेट के पास बांध किनारे पर ढाल क्षतिग्रस्त होना/जुलाई, 2020 में पावर हाउस कॉफर वाल

टूटना, श्रमिकों की हड़ताल के कारण मार्ग में रुकावट/बांध और मार्च, 2022 के अंतिम सप्ताह से अब तक क्षेत्र में अप्रत्याशित वर्षा आना शामिल है, जो इस मौसम के कारण लगभग 2800 मि.मी. दर्ज की गई।

उपर्युक्त बाधाओं के बावजूद, कार्य की प्रगति में सुधार के लिए और यथासंभव शीघ्र शेष कार्य पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में, प्रबंधन द्वारा अनेक प्रमुख निर्णय लिए गए हैं ताकि प्रगति में सुधार हो जैसे 5 अतिरिक्त टावर क्रेन लगाना, जिससे बांध तथा बांध के विस्तारित हिस्से में रिइंफोर्समेंट और शटरिंग कार्य हो सके, संवेदनशील देवनाला ढाल को देखते हुए बांध तक पहुँचने के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में बाँए किनारे पर रोड टनल का निर्माण, स्पिल्वे को मुक्त रखने के लिए ट्रैनियन बीम के लिए डेडिकेटेड ट्रस सपोर्ट शटरिंग, एचएम कार्यों और बांध कंक्रिटिंग कार्यों को साथ-साथ करने के लिए ईएल 168.0 मी. स्पिल्वे बे, में क्रास गर्डर का प्रावधान और बांध के कंक्रिटिंग कार्य में तेजी लाने तथा रेडियलगेट निर्माण कार्य में सुविधा के लिए बांध के डाइक अपस्ट्रीम निर्माण करना। इन प्रयासों के साथ, 9.0 लाख क्यू.मी. से अधिक की कंक्रिटिंग पिछले ढाई वर्षों में की गई है जबकि अनेक प्रमुख बाधाएं सामने आईं। सभी सिविल कार्य और ईएंडएम तथा हाइड्रोइलेक्ट्रिक कार्य पूरा होने की अवस्था में हैं। शेष कार्य को पूरा करके परियोजना को शीघ्र चालू करने के लिए सभी प्रयास और आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

परियोजना के प्रमुख कार्यों के कार्यान्वयन के अलावा, सुबानसिरी लोअर एचई परियोजना में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद, गुजरात को लगाकर विभिन्न जीविका संबंधी हस्तक्षेप करके बांध के डाउनस्ट्रीम में स्थानीय लोगों की सुरक्षा और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए डाउनस्ट्रीम विकास कार्य और बांध के 30 कि.मी. डाउनस्ट्रीम तक डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, असम/अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास कार्यक्रम किए गए हैं। परियोजना में नदी में पानी के नियंत्रित डिस्चार्ज के जरिए बाढ़ नियंत्रण करके, हर वर्ष क्षेत्र में आ रही भारी बाढ़ से काफी राहत मिलेगी। बाढ़ की अवधि (अर्थात् जून, जुलाई और अगस्त) के दौरान रिजरवायर को पूर्ण रिजरवायर स्तर (एफआरएल) से 15 मी. नीचे प्रचालित किया जाएगा, जिसमें 442 क्यूमेक मी. का एक फ्लड कुशन प्रदान किया जाएगा अर्थात् बाढ़ की अवधि के दौरान रिजरवायर का एक तिहाई हिस्सा बाढ़ का पानी सोखने के लिए खाली रखा जाएगा। इस परियोजना से स्थानीय लोगों के लिए संपन्नता आई है और क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है (निर्माण कार्य में लगे 7000 लोगों का लगभग 90 प्रतिशत भाग स्थानीय है), विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष रोजगार की उत्पत्ति, जैसे निरीक्षण वाहनों, ठेकेदार,

उप-ठेकेदार, छोटे ठेकेदार लगाने, आरएंडएम कार्य तथा अन्य कार्य करना आदि कार्य किए गए हैं।

सभी सात पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम), छः उत्तरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली) और पांच पश्चिमी राज्यों (गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा) को सुबानसिरी लोअर एचई परियोजना से उत्पादित विद्युत से लाभ होगा।

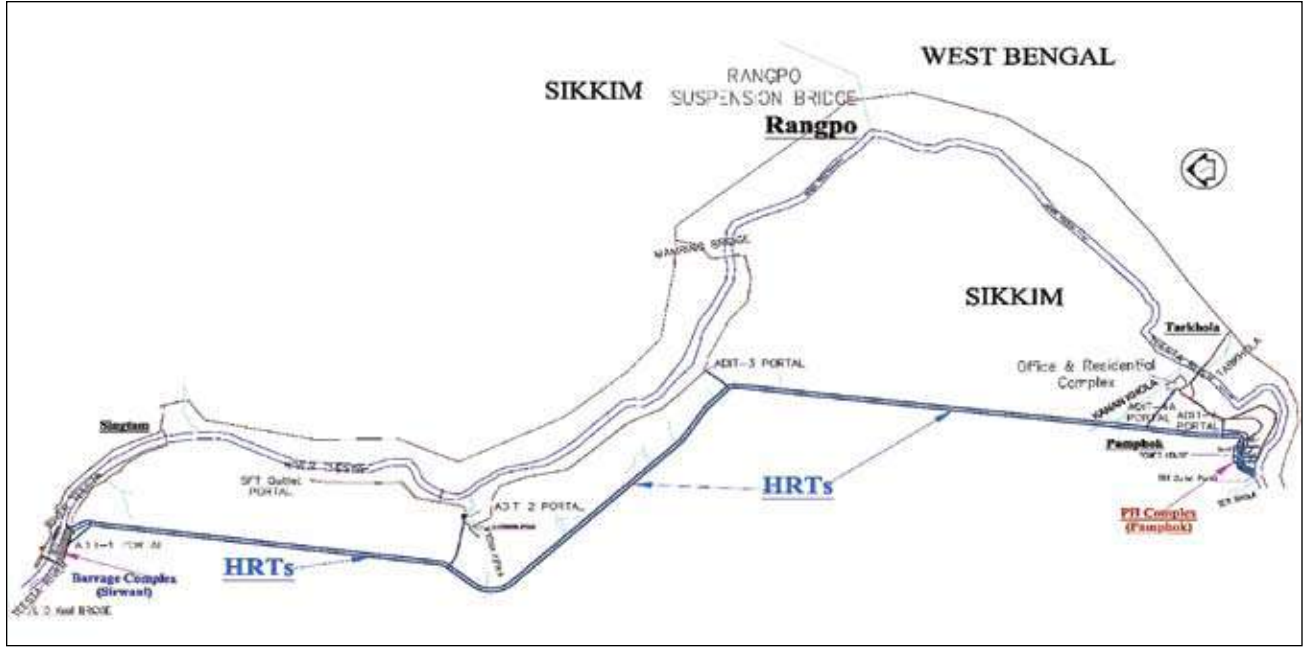
5.2 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां:

5.2.1 लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) के तहत तीस्ता स्टेज-VI एचई परियोजना: 500 मेगावाट (4x125 मेगावाट) सिक्किम -

एनएचपीसी द्वारा एलटीएचपीएल को अक्तूबर, 2019 में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के जरिए अधिग्रहीत किया गया था और यह एनएचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्वधीन सहायक कंपनी है, जो कि सिक्किम में 500 मेगावाट तीस्ता-VI एचई परियोजना विकसित कर रही है। यह परियोजना सिक्किम के सिरवानी गांव में रन-ऑफ-द-रिवर (आरओआर) योजना है जो तीस्ता नदी बेसिन की विद्युत संभाव्यता का केस्केड तरीके से उपयोग करने के लिए है। परियोजना के प्रमुख घटकों में 26.5 मी. ऊंचा बैराज और भूमिगत पावर हाउस शामिल है जिसमें 125 मेगावाट प्रत्येक की 4 यूनिटें हैं। इस परियोजना में एक 90 प्रतिशत आश्रित वर्ष में 2,400 मिलियन यूनिट अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन है।

मुख्य विशेषताएं

स्थान	सिरवानी में तीस्ता नदी बैराज, तारखोला, सिक्किम में पावर हाउस
बैराज	26.5 मी. ऊंचा, 105 मी. लंबा, 5 रेडियल गेट, 15 मी. (चौड़ा) x 17.5 मी. (ऊंचा)
एचआरटी	2 सं., एचआरटी, डी-शेप 8 मी. व्यास, लम्बाई 71 मी. और 92.6 मी., संशोधित हॉर्स शू-शेप 9.8 मी. व्यास, लम्बाई 13712 मी. और 13815 मी.
प्रेशर शॉफ्ट	4 प्रेशर शॉफ्ट, 5.4 मी. व्यास (स्टील लाइन), लम्बाई 151 मी. से 198 मी. तक अलग-अलग
सर्ज शॉफ्ट	2, 16 मी. व्यास, 89.30 मी. गहराई
पावर हाउस	अंडरग्राउंड, 142.75 मी. (लंबा) x 18.5 मी. (चौड़ा) x 52.44 मी. (ऊंचा); 125 मेगावाट प्रत्येक की 4 यूनिटें
टीआरटी	04, (8.5 मी. x 7.5 मी.), डी-शेप, प्रत्येक की 247 मी. लंबाई
सकल शीर्ष/वार्षिक उत्पादन	116 मी./2400 मि.यू.



परियोजना लेआउट



बैराज



पावर हाउस

सिविल, एचएम और ईएंडएम कार्यों के सभी संविदा पैकेज प्रदान किए जा चुके हैं। बैराज का निर्माण कार्य, एचआरटी की खुदाई, पावर हाउस कार्य प्रगति पर हैं। एचएम और ईएंडएम घटक की विस्तृत इंजीनियरी का कार्य प्रगति पर है। विभिन्न स्थलों पर ईएंडएम और एचएम कार्य चल रहे हैं।

5.2.2 जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) के अधीन रंगित-IV एचई परियोजना: 120 मेगावाट (3x40 मेगावाट):

एनएचपीसी द्वारा मार्च, 2021 में सीआईआरपी के माध्यम से जेपीसीएल को अधिग्रहीत किया गया था और यह एनएचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो सिक्किम में रंगित-IV एचई परियोजना विकसित कर रही है। यह परियोजना पश्चिमी सिक्किम के रिशी ग्राम के समीप रंगित नदी पर स्थित

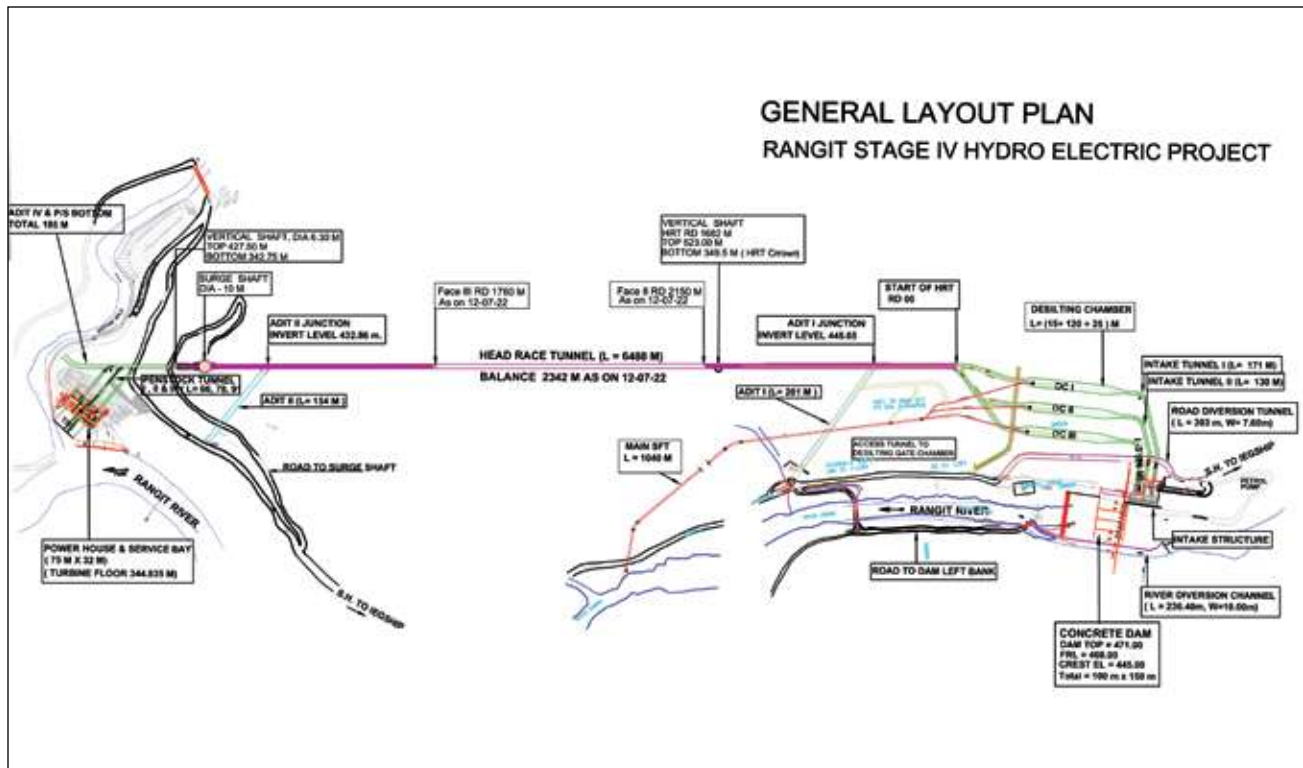
है और यह एक रन-ऑफ-द-रिवर योजना है, जिसमें 120 मेगावाट (3x40 मेगावाट) विद्युत उत्पादन के लिए एक 44 मी. ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध के निर्माण का प्रस्ताव है। परियोजना की अनुमानित डिजाइन ऊर्जा 90 प्रतिशत आश्रित वर्ष में 507.88 मिलियन यूनिट है।

मुख्य विशेषताएं

स्थान	रिशी ग्राम, पश्चिम सिक्किम
बांध	44 मी. ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध
हेड रेस टनल	1 सं., 6.4 मी. व्यास, 6488 मी. लम्बा हॉर्स शू शेप

सर्ज शॉपट	1 सं., प्रतिबधित छिद्र प्रकार, अर्द्ध भूमिगत, 18 मी. व्यास
प्रेसर शॉपट	01, 5.5 मी. व्यास, सर्कुलर, स्टील लाइन, अंडरग्राउंड/भूमिगत

पावर हाउस	सरफेस, 40 मेगावाट प्रत्येक की 3 यूनिट, फ्रांसिस टरबाइन
निवल शीर्ष	103.67 मी.
वार्षिक उत्पादन	507.88 मि.यू.



परियोजना लेआउट



बांध



पावर हाउस

परियोजना के सिविल, एचएम और ईएंडएम कार्य पैकेज अवार्ड कर दिए गए हैं। नवंबर, 2021 में प्रथम स्टेज नदी डाइवर्जन सफलतापूर्वक कर लिया गया है। मार्च, 2022 तक 38.88% की संचयी भौतिक प्रगति हासिल कर ली गई है।

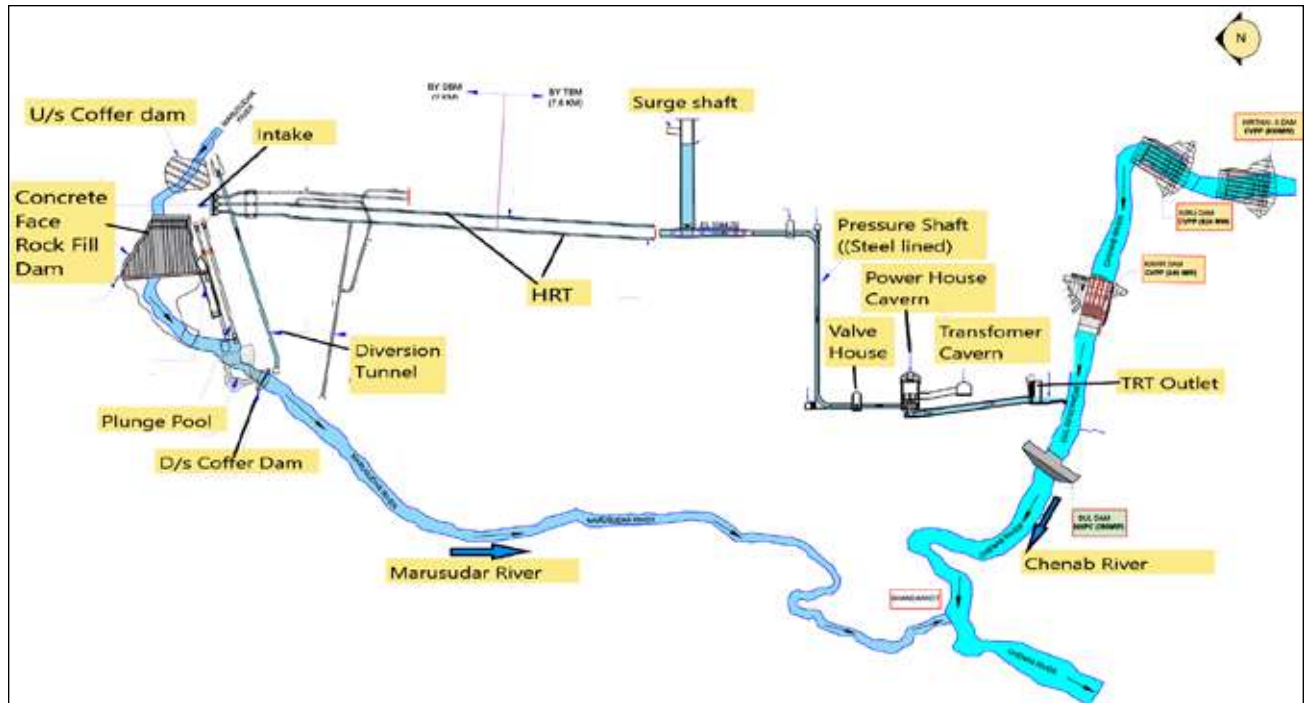
5.3 संयुक्त उद्यम कंपनियों के अंतर्गत

5.3.1 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के अधीन पकलदुल जलविद्युत परियोजना – 1000 मेगावाट (4x250 मेगावाट), जम्मू व कश्मीर :

यह परियोजना मरुसुदर नदी, जम्मू व कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी की एक सहायक नदी पर विकसित की जा रही है। इस परियोजना की योजना एक भंडारण योजना के रूप में बनाई गई है और यह 0.1 मिलियन एकड़ फुट (एमएफएफ) के भंडारण के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत अनुमत्य भंडारण का उपयोग करेगी। इस योजना में एक भूमिगत पावर हाउस को प्रत्येक 9.6 कि.मी. लम्बाई के दो एचआरटी के माध्यम से जल का भंडारण करने और उसे ले जाने के लिए 167 मी. ऊंचे कंक्रीट फेस रॉकफिल बांध (भारत में सबसे ऊंचा) के निर्माण की कल्पना है और उसके द्वारा प्रत्येक 250 मेगावाट की 4 यूनिटों के माध्यम से सालाना 3,230 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए 397.30 मी. के नेट रेटेड हेड का उपयोग किया जाएगा।

मुख्य विशेषताएं

बांध	कंक्रीट फेस रॉक फिल बांध (167 मी. ऊंचाई, 305 मी. लंबाई)
एचआरटी	दो 7.2 मी. व्यास, हॉर्स शू शेप / सर्कुलर, एचआरटी-1 – 9612 मी., एचआरटी-2 – 9619 मी. लंबाई
सर्ज शॉफ्ट	दो 13 मी. व्यास और 200 मी. ऊंचाई
पावर हाउस	भूमिगत, 166 मी. x 20.20 मी. x 50.5 मी., 04 यूनिटों के लिए
रेटेड हेड	397.30 मी.
वार्षिक उत्पादन	एक 90 प्रतिशत निर्भरता वर्ष में 3230.18 मिलियन यूनिट
सीसीईए अनुमोदन	28.10.2014



परियोजना लेआउट

प्रमुख कार्यों की स्थिति

पावर हाउस केवर्न, एमआईवी केवर्न, ट्रांसफार्मर हॉल केवर्न की खुदाई समाप्त हो गई है और वाल्व हाउस केवर्न, प्रेशर शॉफ्ट, सर्ज शॉफ्ट, टेल रेस टनल और पोटहेड यार्ड की खुदाई प्रगति पर है। डाइवर्जन टनल (डीटी) का निर्माण और नदी डाइवर्जन, डीबीएम के जरिए एचआरटी की खुदाई, सरफेस स्पिल्वे की सरफेस खुदाई का कार्य, टनल स्पिल्वे और पावर इंटेक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कॉफर बांध की फिलिंग एवं ग्राउंटिंग कार्य तथा सीएफआरडी की रॉक फिलिंग का कार्य प्रगति पर है।

विस्तृत इंजीनियरिंग, निर्माण, निरीक्षण और ईएंडएम आपूर्ति तथा

एचएम घटक प्रगति पर है। ईएंडएम और एचएम के विभिन्न निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5.3.2 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के अंतर्गत किरू जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट)

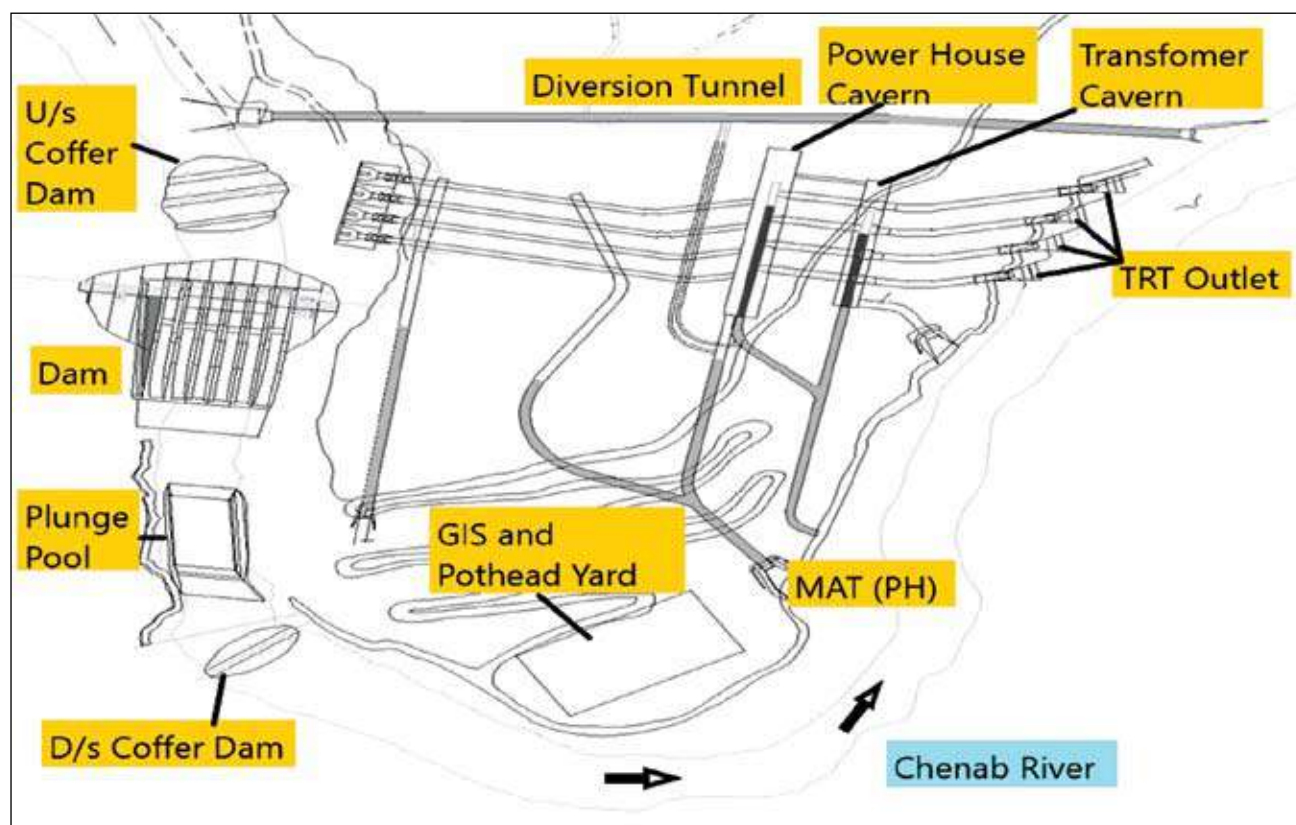
किरू जलविद्युत परियोजना जम्मू व कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दुलहस्ती जलविद्युत परियोजना के बांध स्थल के 25 कि.मी. अपस्ट्रीम पर स्थित है। इस परियोजना के लिए चिनाब नदी पर रन-ऑफ-रिवर योजना के रूप में योजना बनाई गई है तथा जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में किश्तवाड़ जिले में किरू/पथरनक्की ग्राम में स्थित है। परियोजना के प्रमुख घटकों में 135

मी. हाई कंक्रीट ग्रेविटी बांध, 4 (5.5 मी. व्यास) प्रेशर शॉफ्ट/पेनस्टॉक और प्रत्येक 156 मेगावाट की 4 यूनिटों वाला एक अंडरग्राउंड पावर हाउस शामिल है। परियोजना में एक 90 प्रतिशत निर्भरता वर्ष में 2,272 मिलियन यूनिट अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन है।

मुख्य विशेषताएं

बांध	कंक्रीट ग्रेविटी बांध (135 मी. ऊंचाई, 193 मी. लंबाई)
प्रेशर शॉफ्ट/पेनस्टॉक	चार 5.5 मी. व्यास, अंडरग्राउंड सर्कुलर, स्टील लाइन, 316 मी. से 322 मी. लंबाई

टेल रेस टनल	चार 7 मी. व्यास, हॉर्स शू शेप, 165 मी. से 190 मी. तक विभिन्न लंबाई
पावर हाउस	भूमिगत, आकार 182 मी. x 23.6 मी. x 51.2 मी., 04 यूनिट – 156 मेगावाट प्रत्येक
रेटेड हेड	117.98 मी.
वार्षिक उत्पादन	एक 90 प्रतिशत निर्भरता वर्ष में 2272.02 मिलियन यूनिट
सीसीईए अनुमोदन	08.03.2019



परियोजना लेआउट

सभी अनुबंध पैकेज अवार्ड कर दिए गए हैं। कॉफर बांध अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का निर्माण पूरा हो गया है। दिसंबर, 2021 में नदी डाइवर्जन कर लिया गया है। पावर हाउस केवर्न और ट्रांसफार्मर केवर्न की खुदाई का कार्य प्रगति पर है। प्रेशर शॉफ्ट, डैम और डाइवर्जन टनल कार्य शुरू कर दिया गया है और प्रगति पर है।

ईएंडएम और एचएम उपकरणों की विस्तृत इंजीनियरिंग/निर्माण/निरीक्षण चल रहा है। टरबाइन का मॉडल परीक्षण पूरा

हो गया है। टरबाइन एमआईवी और जनरेटर की खरीद और निर्माण शुरू हो गया है।

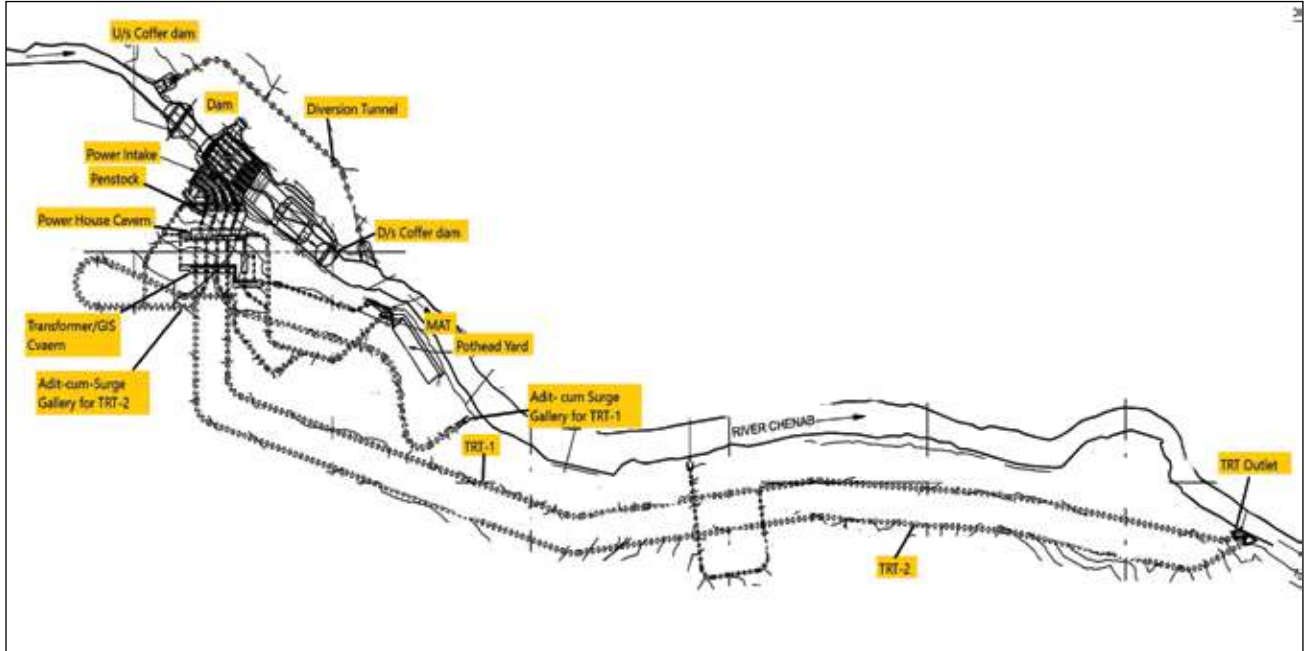
5.3.3 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) के अंतर्गत क्वार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट)

यह परियोजना जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में पडियारना ग्राम के समीप चिनाब नदी पर नियोजित एक रन-ऑफ-रिवर टाइप विकास योजना है। परियोजना का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऊधमपुर और नजदीकी हवाई अड्डा जम्मू है।

मुख्य विशेषताएं

बांध	कंक्रीट ग्रेविटी बांध (109 मी. ऊंचाई, 195 मी. लंबाई)
प्रेसर शॉफ्ट / पेनस्टॉक	चार 5.65 मी. व्यास, भूमिगत सर्कुलर स्टील लाइन
टेल रेस टनल	दो 9.5 मी. व्यास हॉर्स शू शेप, कंक्रीट लाइन टीआरटी – लम्बाई 2786 मी. और 2963 मी.

पावर हाउस	भूमिगत, आकार 140 मी. x 23.3 मी. x 50 मी., 04 यूनिट – 135 मेगावाट प्रत्येक
रेटेड हेड	102.5 मी.
वार्षिक उत्पादन	एक 90 प्रतिशत निर्भरता वर्ष में 1975.54 मिलियन यूनिट
सीसीईए अनुमोदन	10.05.2022



परियोजना लेआउट

सिविल कार्य पैकेज (लॉट-1) अवार्ड किया गया, ईएंडएम और एचएम पैकेजों का टेंडर प्रगति पर है। परियोजना तक पहुँच मार्ग का निर्माण कर लिया गया है और अन्य अवसंरचना का कार्य चल रहा है।

डाइवर्जन टनल पोटल खुदाई के लिए प्रथम ब्लास्ट दिनांक 20.06.2022 को परियोजना पर सफलतापूर्वक किया गया था।



5.3.4 रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) के अंतर्गत रतले जलविद्युत परियोजना (850 मेगावाट)

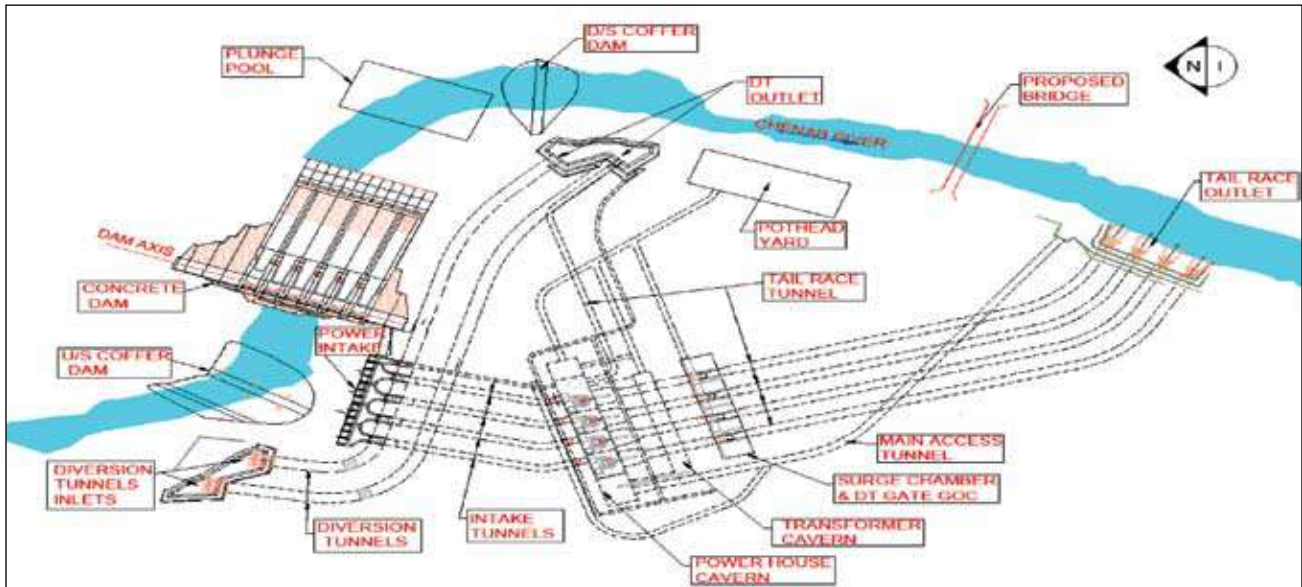
यह परियोजना चिनाब नदी पर रन-ऑफ-रिवर योजना है और यह जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। परियोजना के प्रमुख घटकों में 133 मी. ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध और एक भूमिगत पावर हाउस शामिल है, जिसमें 205 मेगावाट प्रत्येक की 4 यूनिटें हैं। इसके अतिरिक्त, 30 मेगावाट की एक यूनिट पर्यावरणीय प्रवाह के निर्धारित निरंतर रिलीज के उपयोग करने का प्रस्ताव है। परियोजना में एक 90 प्रतिशत निर्भरता वर्ष में 3,137 मेगावाट का अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन है।

मुख्य विशेषताएं

बांध	कंक्रीट ग्रेविटी बांध (133 मी. ऊंचाई, 194.8 मी. लंबाई)
प्रेसर शॉफ्ट / पेनस्टॉक	मुख्य: चार 6.6 मी. व्यास, सर्कुलर स्टील लाइन – लम्बाई 172 मी. से 211 मी., सहायक कार्य: 1 सर्कुलर स्टील लाइन – लम्बाई 162 मी.

टेल रेस टनल	मुख्य: चार 8.7 मी. व्यास, सर्कुलर लंबाई 314.4 मी. से 378.6 मी., सहायक कार्य: एक 4.7 मी. व्यास सर्कुलर, लंबाई: 290 मी.
पावर हाउस	भूमिगत, 168 मी. x 24.5 मी. x 49 मी. की 4 यूनिटें (205 मेगावाट) + 1 यूनिट (30 मेगावाट)

नेट हेड	मुख्य: 97.37 मी., सहायक कार्य 98.9 मी.
वार्षिक उत्पादन	एक 90 प्रतिशत निर्भरता वर्ष में 3137 मिलियन यूनिट
सीसीईए अनुमोदन	11.02.2021



परियोजना लेआउट



डाइवर्जन टनल-1

डाइवर्जन टनल (डीटी) की खुदाई और सड़कों तथा अवसंरचना कार्यों की मरम्मत का कार्य चल रहा है। परियोजना के लिए ईपीसी अनुबंध जनवरी, 2022 में अवार्ड किया गया था और निर्माण कार्य चल रहे हैं।

डाइवर्जन टनल-I दिनांक 11.06.2022 को डे-लाइट हो गई है।

6. मंजूरी/अनुमोदन के अधीन जलविद्युत परियोजनाएं

सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों सहित जलविद्युत परियोजनाओं की स्थिति, जो मंजूरी/अनुमोदन की विभिन्न प्रक्रियाओं के अधीन हैं, नीचे तालिका में दी गई है:

क्रम सं.	परियोजना	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
क. एकल आधार पर			
1.	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	2,880
2.	सावलकोट	जम्मू व कश्मीर	1,856
3.	डुगर	हिमाचल प्रदेश	500
4.	तीस्ता-V	सिक्किम	520
उप-जोड़ (क)			5,756
ख. सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से			
1.	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (जेकेपीडीसीएल का एक संयुक्त उद्यम) के माध्यम से किरथई-II	जम्मू व कश्मीर	930
2.	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (मणिपुर सरकार का एक संयुक्त उद्यम) के माध्यम से लोकटक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना	मणिपुर	66
उप-जोड़ (ख)			996
कुल (क + ख)			6752

6.1 एनएचपीसी एकल

6.1.1 दिबांग बहु-उद्देश्यीय परियोजना – 2880 मेगावाट (12x240 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश

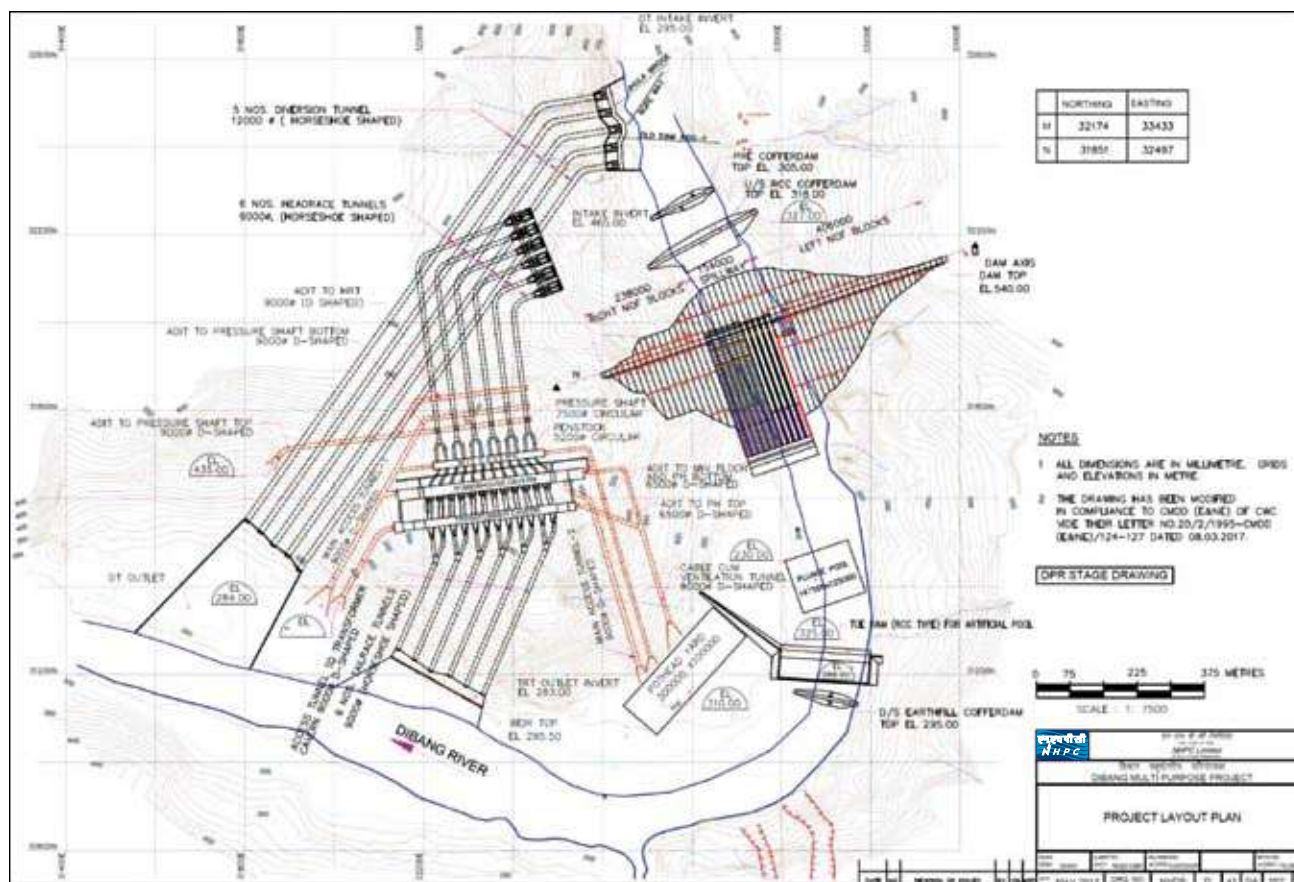
दिबांग बहु-उद्देश्यीय परियोजना, देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से है, जो एक जलविद्युत सह बाढ़ नियंत्रण योजना है। इस परियोजना में दिबांग नदी पर 278 मी. ऊंचा कंक्रीट बांध के निर्माण द्वारा 230 मी. के सकल हेड के उपयोग की परिकल्पना की गई है। 2,880 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ अनुमानित ऊर्जा उत्पादन 90% निर्भरता वर्ष के लिए 11,223 मिलियन यूनिट होता है। इसके अतिरिक्त, बांध के पीछे सृजित रिजरवायर से डाउनस्ट्रीम में बाढ़ को नियंत्रित करने के लाभ मिलेंगे, जिसके लिए रिजरवायर को मानसून अवधि में एफआरएल से 40.10 मी. नीचे रखा जाएगा। रिजरवायर में बैक वाटर दिबांग नदी और इसकी सहायक नदियों में 41 कि.मी. दूरी तक जाएगा। बाढ़ को नियंत्रित करने से कृषि भूमि का कटाव रुकेगा, फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा और आगे सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण उपायों पर खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपए की बचत होगी।

मुख्य विशेषताएं:

स्थान/जिला	ग्राम मुनली (जिला लोअर दिबांग घाटी), अरुणाचल प्रदेश
बांध	278 मी. ऊंचाई, 798 मी. लम्बाई में कंक्रीट ग्रेविटी
पावर हाउस	भूमिगत, आकार 24.5 मी. (चौड़ाई) x 56.3 मी. (ऊंचाई) x 419.0 मी. (लंबाई) की 12 यूनिटें, 240 मेगावाट प्रत्येक, फ्रांसिस टरबाइन

डाइवर्जन टनल	पांच 12 मी. व्यास, हॉर्स शू शेप (लंबाई: 1175 मी. से 1325 मी.)
हेड रेस टनल	छ: 9 मी. व्यास, हॉर्स शू शेप, कंक्रीट लाइन (लंबाई: 300 मी. से 600 मी., कुल 2700 मी.)
प्रेशर शॉफ्ट	छ: स्टील लाइन, 7.5 मी. व्यास, सर्कुलर शेप, झुकाव (लंबाई: 231 मी. प्रत्येक)
पेनस्टॉक	12 स्टील लाइन, 5.2 मी. से 4.0 मी. व्यास, सर्कुलर शेप
वार्षिक ऊर्जा	11223 मिलियन यूनिट

दिबांग बहु-उद्देश्यीय परियोजना (2880 मेगावाट) के 1600 करोड़ रुपये की राशि के निवेश-पूर्व क्रियाकलापों के लिए सीसीईए का आंशिक अनुमोदन दिनांक 2 अगस्त, 2019 को दिया गया था। तदनुसार, एनपीवी, प्रतिपूर्ति वनीकरण, सीएटी योजना और वन्य जीव संरक्षण के लिए भुगतान सीएएमपीए कोष को जारी किया गया था और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 4577.84 हेक्टेयर भूमि डाइवर्जन वन मंजूरी (एफसी-II) दिनांक 12 मार्च, 2020 को प्रदान की गई। लोअर दिबांग घाटी में 1412 हेक्टेयर सामुदायिक भूमि तथा दिबांग घाटी जिले में 1689 हेक्टेयर समुदाय भूमि का कब्जा परियोजना निर्माण घटकों के लिए परियोजना द्वारा ले लिया गया है।



दिबांग बहु-उद्देशीय परियोजना का परियोजना ले-आउट

6.1.2 सावलकोट जलविद्युत परियोजना: 1856 मेगावाट, जम्मू व कश्मीर

जेकेएसपीडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, एनएचपीसी ने सावलकोट जलविद्युत परियोजना ले ली है। यह परियोजना, एक रन-ऑफ-रिवर स्कीम है जो चिनाब नदी की जलविद्युत संभाव्यता का दोहन करती है और यह जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जम्मू व कश्मीर के रामबन तथा ऊधमपुर जिले में स्थित है।

मुख्य विशेषताएं

बांध	192.5 मी. ऊंचाई और 240 मी. लम्बाई, आरसीसी ग्रेविटी बांध
पावर हाउस	भूमिगत, वर्टिकल फ्रांसिस टरबाइन • 6x225 मेगावाट + 1x56 मेगावाट क्षमता (स्टेज-I के लिए 1406 मेगावाट) • 2x225 मेगावाट (स्टेज-II के लिए 450 मेगावाट – कुल 1856 मेगावाट)
वार्षिक ऊर्जा	8196.10 मिलियन यूनिट
डाइवर्जन टनल	13.5 मी. x 19 मी., 3 हॉर्स शू शेप, (965 मी., 1130 मी., 1280 मी.)

हेड रेस टनल	स्टेज-I के लिए दो 12.8 मी. व्यास और स्टेज-II के लिए एक 10.8 मी. व्यास (सर्कुलर टाइप) (लंबाई: लगभग 200 मी. प्रत्येक)
प्रेशर शॉफ्ट / पेनस्टॉक	स्टेज-I के लिए छः और स्टेज-II के लिए दो पीएस-1 से पीएस-5: 6 मी. व्यास प्रत्येक पीएस-6: 6.7 मी. व्यास 2.75 मी. व्यास पेनस्टॉक 56 मेगावाट के लिए लम्बाई: 130 मी. – 140 मी. – झुकाव के लिए और 50 मी. – 115 मी. – हॉरिजेंटल के लिए
नेट रेटेड हेड	- यूनिट-1, 2, 3, 4, 7 और 8 के लिए 155.7 मी. - यूनिट 5, 6 और पर्यावरणीय यूनिट के लिए 153.5 मी.

स्थिति:

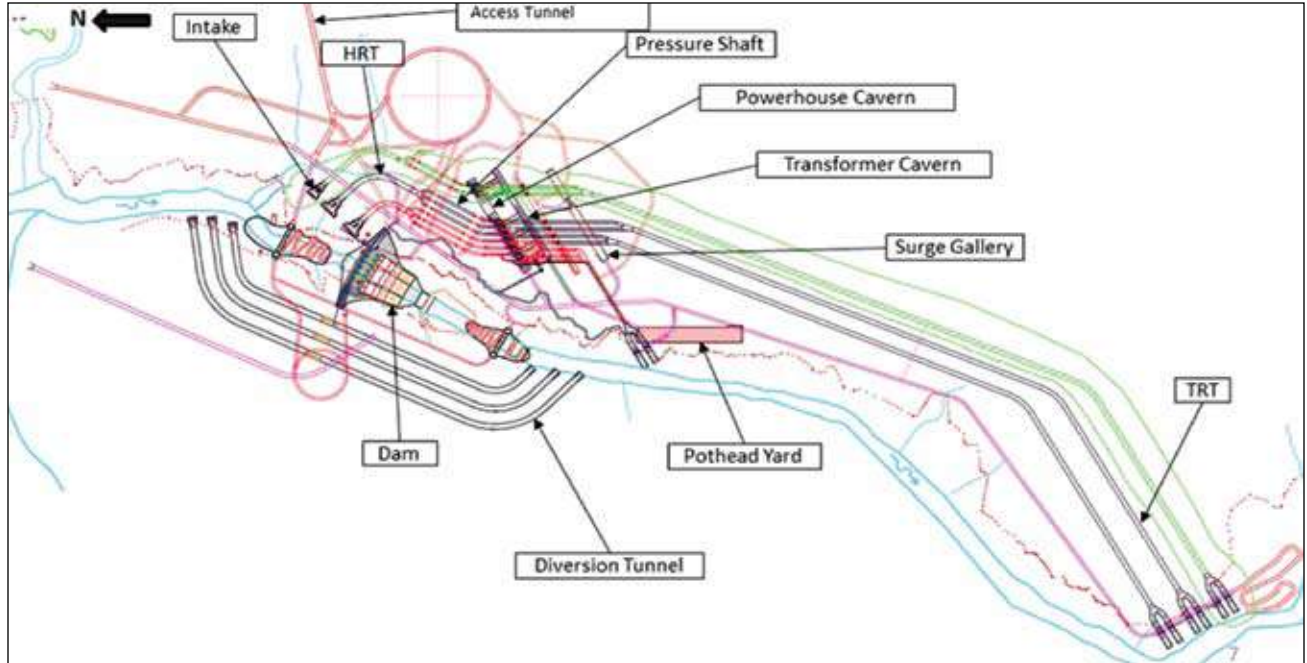
- एनएचपीसी द्वारा सावलकोट (1856 मेगावाट) जलविद्युत परियोजना तथा अन्य परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच दिनांक 03.01. 2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
- एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के बीच दिनांक

11.12.2021 को सावलकोट जलविद्युत परियोजना (1856 मेगावाट) का कब्जा लेने/कब्जा देने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए।

- वन मंजूरी (एफसी-1): दिनांक 31.12.2021 को परिवेश पोर्टल पर एनएचपीसी द्वारा प्रस्ताव अपलोड किया गया।
- निवेश-पूर्व क्रियाकलापों के अनुमोदन के लिए पीआईबी

बैठक दिनांक 06.05.2022 को आयोजित की गई थी। बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 27.05.2022 को जारी किए गए थे, जिसमें 973 करोड़ रुपये के निवेश-पूर्व क्रियाकलापों के अनुमोदन की सिफारिश की गई है।

- ईआईए और ईएमपी अध्ययन कार्य दिनांक 25.05.2022 को प्रदान किए गए।



परियोजना लेआउट

6.1.3 डुगर जलविद्युत परियोजना: 500 मेगावाट, हिमाचल प्रदेश:

डुगर जलविद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एनएचपीसी को 70 वर्ष की अवधि के लिए बनाओ-अपनाओ-चलाओ और सौंपो (बीओओटी) आधार पर आवंटित की गई है। यह परियोजना रन-ऑफ-रिवर स्कीम है, जो चिनाब नदी की जलविद्युत संभाव्यता का दोहन करती है और यह हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में पांगी घाटी में स्थित है।

मुख्य विशेषताएं:

बांध	बांध के टॉप पर 128 मी. ऊंचाई और 210.65 मी. लम्बाई में कंक्रीट ग्रेविटी बांध
पावर हाउस	भूमिगत, 164.5 मी. (लंबाई) x 22 मी. (चौड़ाई) x 46.7 मी. (ऊंचाई); 4 x 103 मेगावाट (मुख्य यूनिट) और 2 x 44 मेगावाट (सहायक यूनिट)
वार्षिक ऊर्जा	1758.40 मिलियन यूनिट
डाइवर्जन टनल	11.5 मी. व्यास, दो, हॉर्स शू शेप (463 मी., 577 मी.)

प्रेसर शॉफ्ट	दो, 7.25 मी. व्यास और 312.4 मी. और 272.7 मी. लंबाई में मुख्य यूनिट के लिए और एक 5.10 मी. व्यास और 251.7 मी. लंबाई में सहायक यूनिट के लिए (सर्कुलर स्टील लाइन)।
पेनस्टॉक	चार 4.85 मी. व्यास और 37.2 मी. लंबाई में मुख्य यूनिट के लिए और दो 3.7 मी. व्यास तथा 29.2 मी. लंबाई में सहायक यूनिट के लिए
नेट रेटेड हेड	89.92

स्थिति:

- सीईए ने दिनांक 26.04.2022 को सहमति प्रदान की। परियोजना की पूर्णता लागत अप्रैल, 2021 के कीमत स्तर पर 4250.20 करोड़ रुपये है।
- किल्लर में सार्वजनिक सुनवाई दिनांक 20.04.2022 को की गई थी और एचपीएसपीसीबी, शिमला द्वारा सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही दिनांक 06.05.2022 को जारी की गई थी।
- पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्रारूप ईआईए एवं ईएमपी रिपोर्ट को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत करने हेतु अंतिम रूप दिया जा रहा है।

- राज्य वन विभाग द्वारा वन मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

6.2.1 किरथाई-II जलविद्युत परियोजना (930 मेगावाट)

किरथाई—II जलविद्युत परियोजना चिनाब नदी पर किरू जलविद्युत परियोजना के लगभग 25 कि.मी. अपस्ट्रीम पर जम्मू व कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित एक रन—ऑफ—रिवर परियोजना है।

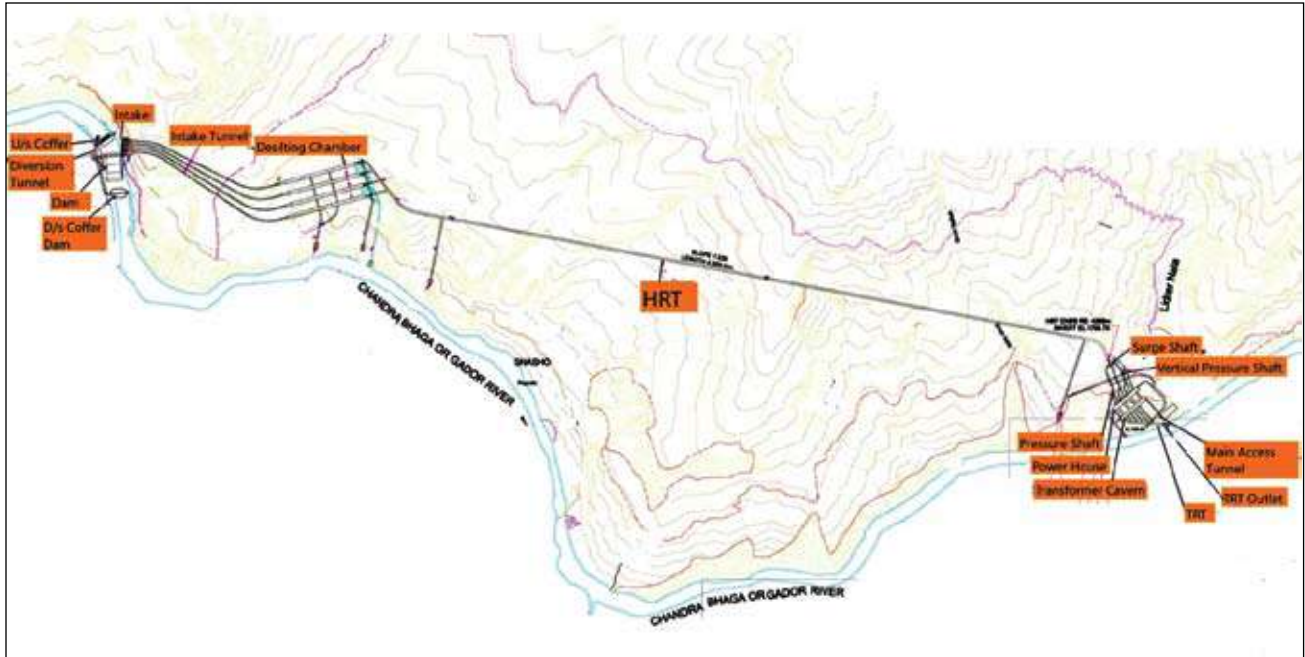
मुख्य विशेषताएं:

बांध	कंक्रीट ग्रेविटी बांध (121 मी. ऊंचाई, 219.8 मी. लंबाई)
एचआरटी	हॉर्स शू 10.5 मी. व्यास, 4.29 कि.मी. लंबाई
डिसिलिटिंग चैम्बर	चार, 440 मी. x 19 मी. x 24.87 मी.
पावर हाउस	भूमिगत, 187.5 x 22 x 49.7 मी. में 4 यूनिटें, सरफेस (2 x 10+2 x 35 = 90 मेगावाट)

नेट हेड	220.62 मी.
पूर्णता का समय	5 वर्ष

स्थिति :

- सीवीपीपीपीएल के जरिए किरथार्ड-II जलविद्युत परियोजना (930 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए जेकेएसपीडीसी और एनएचपीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर दिनांक 03.01.2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं।
- इस परियोजना के लिए सीवीपीपीपीएल को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने हेतु एनएचपीसी और सीवीपीपीपीएल के बीच दिनांक 19.03.2021 को करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- परियोजना के लिए अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सीईए द्वारा दिनांक 14.06.2019 को सशर्त टीईसी प्रदान की गई है।
- संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक जांच का कार्य चल रहा है।



परियोजना लेआउट

7. सर्वेक्षण और जांच (एसएंडआई) के अधीन परियोजनाएं

एनएचपीसी वर्तमान में उत्तराखंड में गरबा तवाघाट परियोजना (630 मेगावाट), जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में उड़ी-I चरण-II (240 मेगावाट) और दुलहस्ती चरण-II (260 मेगावाट) परियोजनाओं को मिलाकर 1,130 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता के लिए सर्वेक्षण और जांच कार्य में लगी हुई है।

8. राज्य सरकार द्वारा एनएचपीसी को आबंटन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा दर्शाई गई नई जलविद्युत परियोजनाएं

विद्युत मंत्रालय ने एनएचपीसी को संभावित आवंटन के लिए अरुणाचल प्रदेश में तीन जल विद्युत परियोजनाओं अर्थात् सुबानसिरी अपर (2000 मेगावाट), सुबानसिरी मिडिल (1800 मेगावाट), सियांग लोअर (2700 मेगावाट) की पहचान की है और अरुणाचल प्रदेश सरकार से परियोजना लेने के लिए निर्णय करने हेतु एक व्यावसायिक परामर्शदाता के जरिए इन परियोजनाओं के लिए सम्यक तत्परता और इनके मूल्यांकन के लिए विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत करने की कार्रवाई चल रही है।

8.1 सुबानसिरी मिडिल (कमला) जलविद्युत परियोजना: 1800 मेगावाट

सुबानसिरी मिडिल (कमला) जलविद्युत परियोजना कमला नदी (सुबानसिरी नदी की एक सहायक नदी) की जल विद्युत संभाव्यता के लिए एक बाढ़ न्यूनीकरण व विद्युत उत्पादन योजना है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में स्थित है।

यह परियोजना पहले जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्च, 2020 में, जब एनएचपीसी ने एसएंडआई कार्य हाथ में लिया था और डीपीआर तैयार की गई थी, ब्रह्मपुत्र बोर्ड से एनएचपीसी को हस्तांतरित की गई थी। लेकिन सीईए को सहमति के

लिए डीपीआर भेजने से पूर्व, परियोजना को अगस्त, 2009 में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आईपीपी को आवंटित कर दिया गया था। आईपीपी ने डीपीआर अद्यतन करके वर्ष 2013 में सीईए की सहमति के लिए प्रस्तुत की। आईपीपी द्वारा 24 पहलुओं में से 17 पहलुओं की मंजूरी प्राप्त कर ली गई थी। तथापि, जनवरी, 2018 में सीईए द्वारा पहले जारी सभी आंशिक मंजूरीयों को रद्द करते हुए डीपीआर वापस कर दी गई और उसके बाद से ही आईपीपी ने कोई प्रगति नहीं की।

उपर्युक्त डीपीआर के अनुसार, परियोजना से एक 90 प्रतिशत आश्रित वर्ष में अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 7338 मिलियन यूनिट है। इस योजना में 216 मी. ऊंचाई के हार्ड कंक्रीट ग्रेविटी बांध और 1728 मेगावाट क्षमता के एक भूमिगत पावर हाउस व 72 मेगावाट के सहायक बांध टोई पावर हाउस शामिल है।

8.2 सुबानसिरी अपर जलविद्युत परियोजना – 2000 मेगावाट, अरुणाचल प्रदेश

सुबानसिरी जलविद्युत परियोजना सुबानसिरी नदी की जल विद्युत संभाव्यता हासिल करने के लिए एक बाढ़ न्यूनीकरण व विद्युत उत्पादन योजना है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबानसिरी जिले में स्थित है।

यह परियोजना पहले मार्च, 2020 में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, जब एनएचपीसी ने एसएंडआई कार्य हाथ में लिया था और डीपीआर तैयार की गई थी, ब्रह्मपुत्र बोर्ड से एनएचपीसी को हस्तांतरित की गई थी। लेकिन सीईए को सहमति के लिए डीपीआर भेजने से पूर्व, परियोजना को मार्च, 2010 में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आईपीपी को आवंटित किया गया था। आईपीपी ने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया और डीपीआर तैयार नहीं की।

एनएचपीसी डीपीआर के अनुसार, परियोजना से अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन एक 90% आश्रित वर्ष में 6768.5 मिलियन यूनिट है। योजना में 237 मी. हाई कंक्रीट ग्रेविटी बांध और 2000 मेगावाट क्षमता का एक भूमिगत पावर हाउस शामिल है।

8.3 सियांग लोअर परियोजना – 2700 मेगावाट:

सियांग लोअर जलविद्युत परियोजना सियांग नदी की जल विद्युत संभाव्यता हासिल करने के लिए एक विद्युत उत्पादन योजना है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में स्थित है।

यह परियोजना, पहले मार्च, 2000 में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, जब एनएचपीसी ने एसएंडआई कार्य हाथ में लिया था और डीपीआर तैयार की गई थी, ब्रह्मपुत्र बोर्ड से एनएचपीसी को हस्तांतरित की गई थी। लेकिन सीईए को सहमति के लिए डीपीआर भेजने से पूर्व, परियोजना को फरवरी, 2006 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आईपीपी को आवंटित किया गया था। आईपीपी द्वारा 2700 मेगावाट के लिए डीपीआर अद्यतन की गई थी और फरवरी, 2010 में सहमति प्राप्त की गई थी। तथापि, इसकी वैधता फरवरी, 2019 में समाप्त हो गई है, तब से लेकर अब तक आईपीपी ने कोई प्रगति नहीं की है।

उपर्युक्त डीपीआर के अनुसार, इस परियोजना से एक 90 प्रतिशत निर्भरता वर्ष में अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 13236.47 मिलियन यूनिट है। इस योजना में 111 मी. हाई कंक्रीट ग्रेविटी बांध और 2700 मेगावाट क्षमता का एक सरफेस पावर हाउस शामिल है।

परियोजना में सम्यक तत्परता और मूल्यांकन अपर सियांग जिले में स्थित अपर सियांग अपर मल्टीपर्वज स्टोरेज प्रोजेक्ट के साइट तकनीकी पैरामीटर के निपटान पर निर्भर करता है, जिसके लिए एनएचपीसी को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पीएफआर/डीपीआर तैयार करने के लिए कार्य सौंपा गया है।

9. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं

आपकी कंपनी अपने कारोबार का विविधीकरण कर रही है और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए प्रयास कर रही है तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वर्ष 2030 तक के लिए गैर-जीवाश्म ईंधनों से 500 गीगावट की संस्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के लिए योगदान देकर भारत की नवीकरणीय ऊर्जा विकास यात्रा में भागी बनना चाहती है। निवल शून्य कार्बन भविष्य के लिए विभिन्न नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों की दुनिया भर में तलाश की जा रही है और आपकी कंपनी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। एनएचपीसी नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकास और प्रगति के अनुसार अब अपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में वृद्धि के लिए रोड मैप और कार्यनीतियां बना रहा है। एनएचपीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक अलग वर्टिकल के रूप में फरवरी, 2022 में अपनी एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी अर्थात् एनएचपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड (एनएचपीसी आरईएल) को भी शामिल किया है।

आपकी कंपनी ने राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में नवीन और नवीकरणीय

ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की विभिन्न योजनाओं जैसे सीपीएसयू योजना, सौर पार्क योजना आदि के तहत बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाएं चिन्हित की हैं, जो आयोजना और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। आपकी कंपनी विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के जरिए क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करके अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कंपनी के प्रयास इस प्रकार हैं:

9.1 सौर विद्युत परियोजनाएं

9.1.1 निर्माणाधीन अवस्था में सौर परियोजनाएं नीचे तालिका में दी गई हैं:

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
क. एकल आधार पर			
(i)	40 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना, गंजम	ओडिशा	40
(ii)	सीपीएसयू योजना के अंतर्गत 600 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना	गुजरात	600
(iii)	सीपीएसयू योजना के अंतर्गत 300 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना	राजस्थान	300
(iv)	सीपीएसयू योजना के अंतर्गत 100 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना	आंध्र प्रदेश	100
उप-जोड़ (क)			1040
ख. संयुक्त उद्यमों के माध्यम से			
(i)	बीएसयूएल के अंतर्गत 65 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना, कल्पी	उत्तर प्रदेश	65
उप-जोड़ (ख)			65
कुल			1105

(i) 40 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना, गंजम:

एमएनआरई ने गंजम जिले में 40 मेगावाट परियोजना के विकास के लिए एनएचपीसी को अपना सैद्धांतिक अनुमोदन सूचित किया है। परियोजना के लिए राज्य तकनीकी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और परियोजना के विकास के लिए आवश्यक भूमि की पहचान कर ली गई है। ओडिशा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (आईडीसीओ) द्वारा एनएचपीसी को 175 एकड़ चिन्हित भूमि आवंटित की गई है। मैसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, मुंबई को 40 मेगावाट परियोजना के लिए 10 वर्षों के व्यापक ओएंडएम के साथ दिनांक 24 मई, 2021 को ईपीसी अनुबंध जारी किया गया है। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में चालू हो जाने की संभावना है।

(ii) **एमएनआरई/इरेडा की सीपीएसयू योजना, फेस-II, ट्रांच-III के तहत प्रदान की गई परियोजनाएं**

आपकी कंपनी को ई-आरए द्वारा अपनाई गई वीजीएफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद दिनांक 04.10.2021 के इरेडा एलओए के तहत सीपीएसयू योजना, फेस-II, ट्रांच-III के अंतर्गत 1000 मेगावाट ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए चुना गया है। इस योजना के तहत सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए स्वदेशी निर्मित मॉड्यूलों और सेलों का उपयोग करने की अनिवार्यता है। पूरी 1000 मेगावाट आवंटित क्षमता के लिए ईपीसी अनुबंध दिनांक 12.05.2022 को दिया गया है, जो निम्नानुसार है:

- (i) गुजरात राज्य में 60 मेगावाट क्षमता के लिए मैसर्स अडानी इंफ्रा (इंडिया) लिमिटेड।
- (ii) राजस्थान राज्य में 300 मेगावाट क्षमता के लिए मैसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड।
- (iii) आंध्र प्रदेश राज्य में 100 मेगावाट क्षमता के लिए मैसर्स एसएसईएल-एसआर जेवी।

उपर्युक्त परियोजनाओं को पूरा करने की समय अवधि 18 माह है।

(iii) **65 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट, काल्पी:**

यह परियोजना बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्युबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा विकसित की जा रही है। इस परियोजना के लिए ईपीसी अनुबंध 10 वर्षों के व्यापक ओएंडएम के साथ दिनांक 17 मार्च, 2021 को प्रदान किया गया है। इस परियोजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में चालू किए जाने की संभावना है।

9.1.2 एमएनआरई की अल्ट्रा मेगा रिन्युबल एनर्जी पावर पार्क योजना (यूएमआरईपीपीएस) के तहत प्रस्तावित परियोजनाएं

आपकी कंपनी विभिन्न राज्यों जैसे ओडिशा, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि में यूएमआरईपीपीएस के विकास के लिए संभावनाएं तलाश कर रही है। यूएमआरईपीपीएस परियोजनाओं के विकास की स्थिति इस प्रकार है:

(i) **ओडिशा में 500 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं**

आपकी कंपनी ने ओडिशा राज्य में 500 मेगावाट फ्लोटिंग सौर और अन्य ऐसी विद्युत परियोजनाओं की तलाश करने और विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) की स्थापना करने हेतु जुलाई, 2020 में ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (जीडीसीओएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस परियोजना को जेवीसी द्वारा एक चरणबद्ध ढंग से विकसित किया जाएगा। जेवीसी के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया प्राप्त कर ली गई है। एमएनआरई ने प्रस्तावित जेवीसी के माध्यम से सौर पार्क योजना के यूएमआरईपीपीएस मोड के तहत 300 मेगावाट फ्लोटिंग सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पहले ही सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। 1000 मेगावाट

परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एमएनआरई द्वारा अनुमोदित कर दी गई है जबकि 200 मेगावाट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अनुमोदन की प्रक्रिया में है। इस मामले को 300 मेगावाट क्षमता के लिए पीपीए हेतु ग्रिडको, ओडिशा सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है, जिसके बाद जेवीसी निगमित करने और परियोजना विकास क्रियाकलाप शुरू करना का कार्य किया जाएगा।

(ii) **केरल में 50 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना**

एमएनआरई ने सौर पार्क योजना के यूएमआरईपीपीएस मोड के तहत एनएचपीसी द्वारा पश्चिम कल्लड, केरल में 50 मेगावाट फ्लोटिंग सौर विद्युत परियोजना के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। इस परियोजना की डीपीआर एमएनआरई को प्रस्तुत कर दी गई है। एनएचपीसी को जल निकाय/भूमि का हस्तांतरण, पीपीए पर हस्ताक्षर और परियोजना के विकास के लिए अन्य क्रियाकलाप प्रगति पर हैं।

(iii) **अन्य स्थानों पर खोज**

अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि में भी यूएमआरईपीपीएस के विकास की खोज की जा रही है।

9.1.3 डेवलेपर मोड में सौर परियोजनाओं का विकास (एक मध्यवर्ती खरीदार के रूप में)

एनएचपीसी ने एक "मध्यवर्ती खरीदार" के रूप में चुने गए पांच विकासकर्ताओं को सौर विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी 2000 मेगावाट की आईएसटीएस की समग्र क्षमता आवंटित की है। राज्य डिस्कॉमों के साथ विद्युत बिक्री करार (पीएसए) तथा चुने गए विकासकर्ताओं के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर 25 वर्षों की परियोजना समय अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। चुने गए विकासकर्ताओं द्वारा विकास संबंधी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। प्रदान की गई परियोजनाएं वित्तीय वर्ष 2022-23 में चालू किए जाने की संभावना है।

9.1.4 पावर एक्सचेंज के जरिए ऊर्जा की बिक्री के लिए सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास

एनएचपीसी भी पावर एक्सचेंज के जरिए ऊर्जा बिक्री के लिए सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास का विकल्प तलाश रहा है। इस मोड के प्रथम चरण में, 75 मेगावाट ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत परियोजना के लिए ईपीसी बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

9.1.5 टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से आबंटन के बाद सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास:

सुरक्षित विद्युत क्रय करार के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कारोबार हासिल करने के लिए, एनएचपीसी और उसकी सहायक कंपनियों, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों जैसे एसईसीआई/एनटीपीसी/राज्य डिस्कॉम/अन्य एजेंसियों द्वारा आमंत्रित की जा रही विभिन्न टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोलियों में भाग ले रही हैं। इस मोड में, एनएचपीसी को मई, 2022 में आरयूएमएसएल द्वारा आयोजित नीलामी के दौरान ओंकारेश्वर रिजरवायर में 88 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए चुना गया है। इस परियोजना के विकास के लिए ईपीसी बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

9.2 ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी

ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी शुरुआती अवस्था में है और शून्य कार्बन उत्सर्जन परिदृश्य में भविष्य के ऊर्जा स्रोत के रूप में उभर रही है। एनएचपीसी ग्रिड संतुलन सेवाओं की पूर्ति के लिए और साथ ही अन्य क्षेत्रों में हाइड्रोजन की अंतिम मांग तलाशने के लिए भी विद्युत क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उभरते अवसरों को प्राप्त करने की इच्छुक हैं। तदनुसार, एक आरएंडडी पहल के रूप में कंपनी ने शुरु में निम्नलिखित 3 ग्रीन हाइड्रोजन आधारित पायलट परियोजनाओं की योजना बनाई है:

- एनबीपीएस गेस्ट हाउस, लेह में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल माइक्रोग्रिड (25 केडब्ल्यूई)
- कारगिल, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन (2 ग्रीन हाइड्रोजन आधारित बसों को चलाने के लिए)
- चम्बा, हिमाचल प्रदेश में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन (1 ग्रीन हाइड्रोजन आधारित बस को चलाने के लिए)।

उपर्युक्त पायलट परियोजनाओं से प्राप्त आंकड़े और अनुभव के आधार पर, एनएचपीसी भविष्य में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था उभरने में ग्रीन हाइड्रोजन कारोबार में उपयुक्त उद्यम का प्रस्ताव करता है।

10. विद्युत व्यापार कारोबार और विद्युत व्यापार लाइसेंस

आपकी कंपनी ने अपने कारोबारी विस्तार और विविधीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में विद्युत व्यापार में कारोबार शुरू किया था और वर्ष 2018 में समग्र भारत में विद्युत की अंतरराज्यीय ट्रेडिंग के लिए सीईआरसी से पहले ही श्रेणी-I लाइसेंस ले लिया था। एनएचपीसी डीईईपी (उचित विद्युत कीमत का पता लगाना) ई-बोली पोर्टल में पंजीकृत है और उसने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) में व्यापारी सदस्यता प्राप्त की थी। विद्युत व्यापार के भाग के रूप में, कंपनी अपने विभिन्न ग्राहकों अर्थात् क्रैताओं/वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों), विक्रेता/उत्पादक कंपनियों (जेनकोज), राज्य यूटिलिटीयों आदि को उचित और स्मार्ट कारोबारी समाधान प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने 44.84 करोड़ रुपये के टर्नओवर के साथ 133.36 एमयू का ऊर्जा व्यापार किया था।

एनएचपीसी को वित्तीय वर्ष 2020-21 में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत आईएसटीएस ग्रिड संबद्ध सौर फोटो वोल्टाइक परियोजना स्कीम से 2,000 मेगावाट सौर विद्युत के कार्यान्वयन के लिए मध्यस्थ खरीददार/नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। एनएचपीसी ने निम्नलिखित यूटिलिटीयों के साथ 2,000 मेगावाट के लिए विद्युत बिक्री करार (पीएसए) पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए थे:

- 1000 मेगावाट के लिए एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश

- 300 मेगावाट के लिए जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर
- 400 मेगावाट के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ और
- 300 मेगावाट के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंजाब।

एनएचपीसी ने विद्युत की खरीद के लिए सोलर पावर डेवलपर (एसपीडी) के साथ बैंक टू बैंक आधार पर विद्युत क्रय करार (पीपीए) भी पर हस्ताक्षर किए थे।

11. सहायक कंपनियों और एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनियों के ब्यौरे

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आरएचपीसीएल और एनएचपीसी आरईएल को एनएचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनियों के रूप में निगमित किया गया था। उपर्युक्त के अलावा, कोई भी अन्य सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगमित या बंद नहीं की गई थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के तहत एओसी-I में सहायक कंपनियों और एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं से संबंधित विवरण और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के समग्र निष्पादन में इन कंपनियों के अलग-अलग योगदान का विवरण समेकित वित्तीय विवरणों के अंतर्गत दिया गया है।

सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नहीं किए जा रहे हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार, कोई भी शेयरधारक, जो उपर्युक्त वित्तीय विवरणों के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहता है, कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर देख सकता है।

आपकी कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित सहायक कंपनियां और एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं:

11.1 सहायक कंपनियां:

i) एनएचडीसी लिमिटेड (एनएचडीसी):

एनएचडीसी को एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में अगस्त, 2000 में निगमित किया गया था। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार एनएचडीसी का शेयरधारिता पैटर्न क्रमशः एनएचपीसी (51.08%), मध्य प्रदेश सरकार (26%) और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (मध्य प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी) (22.92%) था।

एनएचडीसी के पास मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर (1,000 मेगावाट) और ओंकारेश्वर (520 मेगावाट) दो प्रचालनरत पावर स्टेशन हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, एनएचडीसी ने इंदिरा सागर पावर स्टेशन से

1,717.14 एमयू और ओंकारेश्वर पावर स्टेशन से 928.2 एमयू को मिलाकर अपने पावर स्टेशनों से 2,645.34 एमयू का उत्पादन किया।

ii) लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल):

एलडीएचसीएल दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, एनएचपीसी की 74.83 प्रतिशत और मणिपुर सरकार की 25.17 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग के साथ एनएचपीसी की सहायक कंपनी है। एलडीएचसीएल को मणिपुर के नोनी जिले में लोकतक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजना (66 मेगावाट) के निष्पादन के लिए अक्टूबर, 2009 में निगमित गया था। इस परियोजना के लिए सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त हो गई हैं और मणिपुर सरकार के साथ पीपीए पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए गए थे। तथापि, परियोजना के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) का अनुमोदन अभी प्राप्त होना शेष है।

iii) बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल):

बीएसयूएल, एनएचपीसी तथा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनईडीए) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, एनएचपीसी और यूपीएनईडीए की शेयरधारिता क्रमशः 86.67% और 13.33% थी।

बीएसयूएल को तहसील कालपी, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश में सौर विद्युत परियोजना तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी गई अन्य परंपरागत और गैर-परंपरागत विद्युत परियोजनाएं विकसित करने के लिए फरवरी, 2015 में निगमित किया गया था। वर्तमान में, बीएसयूएल द्वारा तहसील कालपी, जिला जालौन में 65 मेगावाट सौर परियोजना विकसित की जा रही है। इस परियोजना का ब्यौरा रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है।

बीएसयूएल कार्यान्वयन के विभिन्न मोड में अर्थात् ईपीसी मोड में उत्तर प्रदेश में 1500 मेगावाट (लगभग) सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास तथा विकासक मोड में संयंत्र की स्थापना करके सौर पार्क के विकास की प्रक्रिया में है। दो परियोजनाओं अर्थात् मिर्जापुर एसपीपी (100 मेगावाट) और माधोगढ़ एसपीपी (45 मेगावाट) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पहले ही अनुमोदित कर दी गई थी। मिर्जापुर सौर पार्क के लिए डीपीआर दिसंबर, 2021 में एमएनआरई द्वारा अनुमोदित की गई है। यूएमआरईपीपीएस के तहत 1,200 मेगावाट सौर पार्क के लिए डीपीआर यूपीएनईडीए के विचाराधीन है।

iv) लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल):

एलटीएचपीएल को अक्टूबर, 2019 में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के जरिए एनएचपीसी द्वारा अधिग्रहित किया गया था और अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में विचाराधीन राशि के रूप में

897.50 करोड़ रुपये की इक्विटी का निवेश किया गया था। एलटीएचपीएल, एनएचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एलटीएचपीएल सिविकम में 500 मेगावाट की तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना का निष्पादन कर रही है और निर्माण कार्य पूरी गति पर है। तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना की स्थिति रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है। एलटीएचपीएल के एनएचपीसी के साथ विलय की प्रक्रिया चल रही है। एलटीएचपीएल के एनएचपीसी लिमिटेड के साथ विलय के लिए विद्युत मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

v) जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल):

जेपीसीएल को सीआईआरपी के माध्यम से एनएचपीसी द्वारा मार्च, 2021 में अधिग्रहित किया गया था और अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में विचाराधीन राशि के रूप में 165 करोड़ रुपये की इक्विटी का निवेश किया गया था। जेपीसीएल एनएचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। जेपीसीएल सिविकम में रंगित-IV जलविद्युत परियोजना विकसित कर रही है और निर्माण कार्य पूरी गति पर है। रंगित-IV जलविद्युत परियोजना की स्थिति रिपोर्ट में अन्यत्र प्रदान की गई है। जेपीसीएल का एनएचपीसी के साथ विलय की प्रक्रिया चल रही है।

vi) चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल):

सीवीपीपीपीएल दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार एनएचपीसी तथा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की क्रमशः 55.13 प्रतिशत और 44.87 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ एक संयुक्त उद्यम है। सीवीपीपीपीएल को जून, 2011 में निगमित किया गया था।

सीवीपीपीपीएल जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में चार जलविद्युत परियोजनाएं अर्थात् पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट), किरू जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट), क्वार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट) और किरथाई-II जलविद्युत परियोजना (930 मेगावाट) विकसित कर रही है। पकल दुल जलविद्युत परियोजना, किरू जलविद्युत परियोजना, क्वार जलविद्युत परियोजना और किरथाई-II जलविद्युत परियोजना की स्थिति रिपोर्ट में अन्यत्र प्रदान की गई है।

vii) रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल):

आरएचपीसीएल को एनएचपीसी और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) के एक संयुक्त उद्यम के रूप में जून, 2021 में निगमित किया गया था। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसीएल की

शेयरधारिता क्रमशः 73.53 प्रतिशत और 26.47 प्रतिशत थी। आरएचपीसीएल जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में रतले जलविद्युत परियोजना (850 मेगावाट) विकसित कर रहा है। रतले जलविद्युत परियोजना की स्थिति रिपोर्ट में अन्यत्र प्रदान की गई है।

viii) एनएचपीसी रिन्युएबल एनर्जी लिमिटेड (एनएचपीसी आरईएल):

एनएचपीसी आरईएल को फरवरी, 2022 में सौर, पवन, लघु जलविद्युत और ग्रीन हाइड्रोजन उद्यम स्थापित करने के लिए एनएचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। एनएचपीसी आरईएल अपने क्रियाकलापों के विस्तार के लिए विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं तलाश कर रहा है।

11.2 एसोसिएट/संयुक्त उद्यम कंपनी:

नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल):

एनएचपीटीएल को मई, 2009 में निगमित किया गया था, जो पांच (5) कंपनियों अर्थात् एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (प्रत्येक की 20 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ) के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

एनएचपीटीएल को देश में शॉर्ट-सर्किट टेस्ट सुविधा के लिए एक ऑनलाइन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी लगाने के लिए स्थापित किया गया था। 400 केवी स्तर पर और 765 केवी स्तर पर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एचवीटीआर) के लिए लेबोरेटरी बीना, मध्य प्रदेश में पहले ही संचालित की जा रही है। मीडियम वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एमवीटीआर) के लिए लेबोरेटरी अभी तक चालू नहीं की गई है।

12. वैश्विक पहलें

आपकी कंपनी भारत के पड़ोसी देशों में भौगोलिक फुटप्रिंट बढ़ाने की इच्छा के साथ जलविद्युत कारोबार के लिए राष्ट्र की सीमाओं के पार उद्यम लगा रही है और आगे चलकर वैश्विक संदर्भ में बहुराष्ट्रीय कंपनी में परिवर्तित करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा यह विदेशी प्रचालनों से पर्याप्त राजस्व अर्जित करेगी। कंपनी ने पहले ही नेपाल, भूटान, म्यांमार, ताजिकिस्तान, नाइजीरिया और इथियोपिया जैसे देशों में अपनी छाप छोड़ी है और यह विभिन्न अन्य देशों में अपना कारोबार आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्ष के दौरान, एनएचपीसी के वरिष्ठ स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल का दौरा किया और नेपाल में जलविद्युत योजनाओं के विकास के लिए एनएचपीसी को सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल सरकार के उच्चतम अधिकारियों के साथ चर्चा की। एनएचपीसी लिमिटेड को नेपाल में एकल आधार पर अथवा संयुक्त उद्यम आधार पर कुल 3000 मेगावाट की जलविद्युत योजनाओं के आबंटन के लिए नेपाल सरकार/इसकी एजेंसियों के साथ बातचीत उन्नत अवस्था में है।

वर्ष के दौरान, एनएचपीसी ने नेपाल में संकोश जलविद्युत

परियोजना (2585 मेगावाट) के विकास के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव भी भेजा है।

13. स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

एनएचपीसी सतत विकास, सुरक्षित कार्यस्थल और अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदाय के जीवन स्तर समृद्ध बनाने के लिए एक सुदृढ़ पर्यावरणीय विवेक के साथ अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति अपने दायित्व से भली-भांति अवगत है। जांच की अवस्था के दौरान, परियोजनाओं को निष्पादित करते समय पर्यावरण पर संभावित प्रभाव का आकलन और पहचान की जाती है। परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक उपाय करते हुए पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं (ईएमपी) प्रस्तावित और कार्यान्वित की जाती हैं। उपरोक्त के अलावा, भवनों का निर्माण उन्हें पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

आपकी कंपनी के अधिकतर पावर स्टेशन आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली) और ओएचएसएस-18001:2007/आईएसओ 45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणित हैं, इस प्रकार यह अपने हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध बनाना और सतत विकास सुनिश्चित करता है। सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन को नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है।

14. परामर्शी सेवाएं

आपकी कंपनी मुख्य रूप से देश और उसके पड़ोसी देशों में अपनी पहुंच और उपस्थिति को बढ़ाने के लिए परामर्श कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में जल-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में जल विद्युत क्षेत्र में अपने साथी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। सर्वोत्तम ओएंडएम प्रक्रियाएं, जिन्होंने एनएचपीसी को सर्वोत्तम संयंत्र उपलब्धता हासिल करने में समर्थ बनाया है, इसकी दक्षता बढ़ाई है और इसके विभिन्न पावर स्टेशनों में संयंत्र/उपकरण के जीवन-काल में वृद्धि की है, परामर्श के माध्यम से भी साझा की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, एनएचपीसी द्वारा अपने विभिन्न ग्राहकों को दी गई परामर्श सेवाओं के लिए 54.37 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ है।

15. नई परियोजनाओं का वित्तपोषण

कंपनी की आंतरिक प्राप्तियां नई/चालू परियोजनाओं के इक्विटी संघटक को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त हैं। एनएचपीसी सीईआरसी मानदंडों के अनुसार, अपने निम्न गियर्ड पूंजीगत ढांचे तथा मजबूत क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए अपेक्षित ऋण जुटाने में बेहतर स्थिति में है। एनएचपीसी योजनागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित ऋण जुटाने हेतु बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा दी गई विदेशी विकास सहायता सहित घरेलू और

अंतर्राष्ट्रीय ऋण विकल्पों की तलाश कर रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने घरेलू स्रोतों से उधारियों के विभिन्न विकल्पों के माध्यम से 2500 करोड़ रुपये और 1016.39 करोड़ रुपये परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत अगले 10 वर्षों के लिए चमेरा-I पावर स्टेशन इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) के प्रतिभूतिकरण के जरिए भावी नकदी प्रवाह के मुद्रीकरण से जुटाए हैं।

16. क्रेडिट रेटिंग

घरेलू रेटिंग

- एनएचपीसी के पास अपने सूचीबद्ध बॉन्डों के लिए घरेलू रेटिंग एजेंसियों अर्थात् आईसीआरए, सीएआरई और इंडिया रेटिंग्स द्वारा निर्दिष्ट दृष्टिकोण के साथ 'एएए' की उच्चतम घरेलू क्रेडिट रेटिंग है जो निवेशकों के लिए कम क्रेडिट जोखिम को दर्शाती है।

अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग

एनएचपीसी की एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग के द्वारा नकारात्मक आउटलुक के साथ बीबीबी(-) की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग है।

17. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार

एनएचपीसी समग्र उत्पादकता और दक्षता में सुधार लाने के लिए व्यापार में सतत विकास हासिल करने के लिए एक कार्यनीतिक उपाय के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी को मानती है। सुदूर स्थित पावर स्टेशनों/परियोजनाओं सहित कंपनी के सभी स्थल एमपीएलएस-वीपीएन/आईएलएल/वीसैट-केयू बैंड/आईएसएटी फोन का उपयोग करते हुए मल्टीमोड संचार संपर्कों के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े हुए हैं। इन मल्टीमोड लिंक को एक विफलता से सुरक्षित तरीके से कार्य करने के लिए एसडीडब्ल्यूएएन (सॉफ्टवेयर डिफाईड वाइड एरिया नेटवर्क) प्रौद्योगिकी के माध्यम से एकीकृत किया गया है। हाल ही में कारपोरेट कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों और पावर स्टेशनों/परियोजनाओं के बीच आईपी टेलीफोनी की स्थापना की गई है। वीएमएस (वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम) को हाल ही में परियोजनाओं/पावर स्टेशनों की बेहतर निगरानी/प्रबंधन के लिए प्रचालनात्मक किया गया है।

एनएचपीसी ने अपने विभिन्न व्यापारिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करते हुए अपने सभी स्थानों पर उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) अनुप्रयोग लागू किया है। एनएचपीसी व्यापारिक प्रक्रियाओं को और मजबूत करने तथा व्यापार सूचना को शामिल करने के लिए न्यू एज ईआरपी को लागू करने के लिए पीएमसीए (परियोजना प्रबंधन परामर्शी एजेंसी) को नियुक्त किया है। ईआरपी के अलावा, एनएचपीसी ने दैनिकी व्यापार आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए अनेक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों/मोबाइल ऐप्स को लागू किया है। एनएचपीसी की द्विभाषी वेबसाइट और एकीकृत इंटरनेट बाहरी/आंतरिक सूचना की आवश्यकताओं पर ध्यान

देने के लिए शक्तिशाली सूचना संप्रेषण प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, ई-प्रोक्योरमेंट, सरकारी ई-मार्केट (जेम), विक्रेता भुगतान पोर्टल और ई-रिवर्स बोली प्रणाली कंपनी में प्रचालनात्मक हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान, कार्यालय का कार्य विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों/टूल्स अर्थात् ई-ऑफिस, ई-आईओएम, ईआरपी/ईएसएस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-मेल आदि के माध्यम से दक्ष कार्यचालन के माध्यम से कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अबाधित रहा।

सर्वर, डेटा स्टोरेज, संचार उपकरण आदि सहित महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना सुरक्षित स्थानों पर संस्थापित की गई है और उनका प्रबंधन आंतरिक संसाधनों द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के इष्टतम और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आईटी और साइबर सुरक्षा नीति लागू है। एनएचपीसी को कॉर्पोरेट कार्यालय में आईएसएमएस 27001:2013 प्रमाणन दिया गया है जो सूचना परिसंपत्तियों की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता आश्वस्त करता है। एनएचपीसी के सभी पावर स्टेशनों में आईएसएमएस आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन की प्रक्रिया चल रही है और 5 पावर स्टेशनों के लिए प्रमाण-पत्र पहले प्राप्त कर लिए गए हैं। वीपीटी लेखापरीक्षा भी बहुमूल्य सूचना और महत्वपूर्ण अवसंरचना को सुरक्षित रखने के लिए उत्पादन करने वाले सभी पावर स्टेशनों पर की जा रही है। एक केंद्रीकृत अंतिम बिंदु सुरक्षा सॉफ्टवेयर समाधान भी साइबर खतरों के विरुद्ध सर्वरों/डेस्कटॉप को संरक्षित करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। एनएचपीसी की संशोधित आईटी और साइबर सुरक्षा नीति हाल ही में एनएचपीसी प्रबंधन द्वारा अनुमोदित की गई है और इसे कार्यान्वित किया गया है।

एनएचपीसी को संघटक सदस्य संगठनों में साइबर सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करने और उसकी मॉनीटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय सीईआरटी अर्थात् सीईआरटी-हाइड्रो के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

18. मानव संसाधन प्रबंधन

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी के पास 5,092 कर्मचारियों का एक मजबूत और समर्पित कार्यबल है, जिसमें 3,166 कार्यपालक और 1,926 गैर-कार्यपालक शामिल थे। उपरोक्त कार्यबल में 545 महिला कर्मचारी भी शामिल हैं।

आपकी कंपनी दृढ़तापूर्वक अपने कर्मचारियों की जीवनभर ज्ञान और सक्षमता के विकास के प्रति उनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाकर और संगठनात्मक क्षमताओं में वृद्धि कर उनकी समग्र क्षमता का निर्माण करने पर केंद्रित है। कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आंतरिक फैकल्टी तथा बाहरी एजेंसियों के माध्यम से आसान बनाया जाता है। एनएचपीसी के सलाल पावर स्टेशन, टनकपुर पावर स्टेशन, चमेरा-I पावर स्टेशन और उड़ी-I पावर स्टेशन में स्थित चार क्षेत्रीय जलविद्युत प्रशिक्षण केंद्र हैं। एनएचपीसी ने प्रमुख प्रबंधन और इंजीनियरिंग

संस्थानों जैसे आईआईएम, आईआईटी आदि के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि कौशल और दक्षताओं में वृद्धि हो सके और उन्हें प्रचालनों के संबंधित क्षेत्र में अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आपकी कंपनी वरिष्ठ और उच्च क्षमता वाले कर्मचारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी नियुक्त करती है ताकि वे नवीनतम सूचना से अपने आप को अवगत रख सकें और जलविद्युत के क्षेत्र में वैश्विक परिदृश्य को समझ सकें। एनएचपीसी अपने अधिकारियों को अपनी उत्पादकता और कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए उच्चतर योग्यता और विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए प्रायोजित भी करती है। कोविड-19 महामारी के दौरान, आपकी कंपनी ने वेबिनार के माध्यम से ज्ञान साझा करने संबंधी सत्रों के अलावा अपने कर्मचारियों की प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्चुअल कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है।

कंपनी में औद्योगिक संबंध वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बने रहे हैं। कर्मचारियों ने कंपनी के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दिया।

आपकी कंपनी समावेशी विकास के संवर्द्धन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) उम्मीदवारों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवाओं में आरक्षण के बारे में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को भर्ती में नियमावली के अनुसार अपेक्षित रियायतें/छूट दी जाती हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिया गया है।

19. पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आरण्डआर)

आपकी कंपनी परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान विस्थापित जनसंख्या की कठिनाइयों को समझती है। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजनाओं को “उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013” के प्रावधानों के अंतर्गत आर्थिक संधारणीयता उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। एनएचपीसी ने परियोजना प्रभावित परिवारों और इसकी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के निकट निवास कर रहे स्थानीय लोगों हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कार्यों के कुछ प्रकार को आरक्षित करने हेतु एक नीति बनाई है।

20. सतर्कता

सतर्कता कार्य का उद्देश्य कंपनी में उच्चतम स्तर की ईमानदारी बनाए रखना है। आपकी कंपनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी की अगुवाई में एक सतर्कता विभाग है, जो इसके प्रचालनों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्णय लेने में गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

सतर्कता शिकायतों और अनुशासनात्मक मामलों की निगरानी तथा प्रबंधन में सभी प्रक्रियाओं के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। सतर्कता विभाग विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तथा सरकार के अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कदाचार का एक सतर्कता मामला निपटाया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, दो सतर्कता मामलों में अर्थात एक मामला गैर-कानूनी परितोषण को स्वीकार करने के अपराध के संबंध में है और दूसरा मामला आय से अधिक संपत्ति रखने के संबंध में है, इनमें अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है।

निवारक सतर्कता के भाग के रूप में, समय-समय पर किए गए विभिन्न निरीक्षणों/व्यापक जांचों के आधार पर नियमित रूप से परिपत्र और दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। कंपनी द्वारा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह और अन्य सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

21. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, ऐसे नियंत्रणों की जांच की गई थी और डिजाइन या प्रचालन में कोई उल्लेखनीय कमजोरी नहीं पाई गई थी।

22. जोखिम प्रबंधन

एनएचपीसी का यह मानना है कि उसने विद्युत क्षेत्र में मौजूद अनेक अनिश्चितताओं का प्रकटन किया है। विद्युत क्षेत्र की संवेदनशीलता कारोबार के वित्तीय और गैर-वित्तीय परिणामों को प्रभावित करती है। एनएचपीसी की वर्ष 2009 से एक सुपरिभाषित और सक्रिय जोखिम प्रबंधन नीति है ताकि कंपनी से जुड़े जोखिम का प्रबंधन हो सके और कंपनी की प्रचालनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि हो। नीतिगत विवरण इस प्रकार है:-

- क. सभी जोखिमों की पहचान, आकलन, उपशमन, निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के लिए एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन कार्यवाही स्थापित करके श्रेयधारक मूल्य का संरक्षण सुनिश्चित करना।
- ख. संगठन के सभी स्तरों पर विचारपूर्वक निर्णय लेने के लिए स्पष्ट और सशक्त आधार प्रदान करना।
- ग. निरंतर शिक्षण और सुधार करके जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करना और समुचित कार्यान्वयन व निगरानी के जरिए इस नीति के उद्देश्यों को हासिल करना।
- घ. यह सुनिश्चित करना कि नए उभरते जोखिमों की प्रभावी पहचान और प्रबंधन हो।
- ङ. समय-समय पर प्रणालीबद्ध निगरानी और प्रभावी सुधार

प्रक्रिया के जरिए नीति के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन की प्रणालियां लाना।

वर्तमान में, 67 प्रमुख जोखिमों की पहचान की गई है, जिन्हें व्यापक रूप से चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् प्रचालनात्मक जोखिम, वित्तीय जोखिम, कार्यनीतिक जोखिम, और अनुपालन जोखिम। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन नीति में किए गए परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

- (i) जोखिम आकलन: 1-25 के पैमाने पर एक सम्मिलित संभावना की रेटिंग और प्रभाव की रेटिंग प्रदान की गई है। इन दो उपायों को चार्ट पर दिखाने पर प्रत्येक जोखिम के लिए दी जाने वाली प्राथमिकता शीघ्र और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
- (ii) जोखिम वर्गीकरण: जोखिम वर्गीकरण को व्यापक रूप से चार श्रेणियों अर्थात् प्रचालनात्मक जोखिम, वित्तीय जोखिम, कार्यनीतिक जोखिम और अनुपालन जोखिम में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान परिदृश्य के अनुसार जोखिमों की संख्या 54 से बढ़कर 67 हो गई है।
- (iii) जोखिम समन्वयक: जोखिमों की उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार बेहतर निगरानी के लिए विभिन्न नए जोखिम समन्वयकों को विभिन्न जोखिम प्रदान किए गए हैं।

23. सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से खरीद

भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति अधिसूचित की है ताकि एमएसई द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विपणन में सहायता दी जा सके। इस नीति के अनुपालन में, एमएसई से खरीद की जाने वाली वस्तुओं सहित वार्षिक खरीद योजना को एमएसई के लाभ हेतु एनएचपीसी की वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर अपलोड किया गया है।

एमएसई को प्रोत्साहित करने के लिए निविदा शुल्क और बयाना राशि जमा, खरीद प्राथमिकता, विलंबित भुगतान पर ब्याज और पूर्व अनुभव – पूर्व टर्नओवर मानदण्ड से छूट जैसे लाभ इन एमएसई को बढ़ावा देने के लिए दिए हैं जोकि गुणवत्ता तथा तकनीकी विनिर्देशनों को पूरा करने के अधीन है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 25 प्रतिशत के अधिदेश की तुलना में कुल वार्षिक खरीद मूल्य के 44.0 प्रतिशत की वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद एमएसई से की है। वर्ष के दौरान, 2302 एमएसई लाभान्वित हुए हैं जिनमें से 94 एमएसई और 213 एमएसई का स्वामित्व क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का था।

व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरडीडीएस) प्लेटफार्म एमएसएमई के बीजकों को पृथक करने को सुविधाजनक बनाता है जो उनके नियमित व्यापार प्रचालनों हेतु कार्यशील पूंजी के सृजन को सुकर करता है। एनएचपीसी भी एमएसएमई के लाभ के लिए इस प्लेटफार्म पर पंजीकृत है।

24. राजभाषा का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों का पूर्ण रूप से और पूरे उत्साह से अनुपालन किया था। भारत सरकार की नीति के अनुसार राजभाषा के प्रयोग में वृद्धि के लिए सभी तरह से प्रयास किए गए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए गठित समिति की तिमाही बैठकें कोविड-19 महामारी के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इन ई-बैठकों के दौरान, प्रबंधन द्वारा कंपनी में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की गई।

कंपनी में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान हिंदी पखवाड़ा, हिंदी प्रतियोगिताओं जैसे 'ऑनलाइन हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता', राजभाषा शील्ड का वितरण, हिंदी कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, ई-कार्यशालाएं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

कंपनी में हिंदी में लेख/आलेख, हिंदी पुस्तक लेखन, हिंदी में टिप्पण एवं आलेखन आदि के लिए कर्मचारियों हेतु आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं चलाई गईं।

25. खेल और अन्य क्रियाकलाप

एनएचपीसी ने संगठन में हमेशा ही खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया है। एनएचपीसी के कर्मचारियों ने विभिन्न खेल-कूद प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत रूप से और टीम के रूप में भाग लिया। एनएचपीसी की खेल छात्रवृत्ति योजनाधारकों ने कई टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया। एनएचपीसी ने चंडीगढ़ में 21 से 23 अक्तूबर, 2021 तक विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वावधान में 25वें इंटर सीपीएसयू ब्रिज टूर्नामेंट की मेजबानी की। एनएचपीसी ने इंटर सीपीएसयू एथलेटिक्स, कैरम और बैडमिंटन टूर्नामेंट में शीर्ष तीन स्थान प्राप्त किए।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में, एनएचपीसी ने नवंबर/दिसंबर, 2021 माह में छह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और मध्य प्रदेश) में राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह उल्लेखनीय है कि लद्दाख के एक प्रतिभागी ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार और जम्मू-कश्मीर के 2 प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय स्तर पर सांत्वना पुरस्कार जीता, जिसके लिए 14 दिसंबर, 2021 को पुरस्कार वितरण किया गया।

आपकी कंपनी ने एनएचपीसी आवासीय परिसर, फरीदाबाद में 13 मार्च, 2022 को वसंत उत्सव 2022 का आयोजन उत्साहपूर्वक और पूरे जोश के साथ किया। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, उत्तराखंड, असम आदि से स्थानीय हस्तशिल्प, ड्रेस

मैटेरियल, खाद्य व्यंजनों आदि को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल लगाए गए।

वर्ष के दौरान, एनएचपीसी ने देश भर में अपने सभी स्थानों पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए सक्रिय योगदान दिया। इन कार्यक्रमों में एनएचपीसी के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की उत्साहजनक भागीदारी देखी गई। विभिन्न प्रकार के आयोजन थे, लेकिन उनमें शैक्षणिक भ्रमण, प्रतियोगिताओं, जागरूकता अभियानों, सांस्कृतिक आयोजनों, देशभक्ति के कार्यक्रमों, खेल, स्वास्थ्य और चिकित्सा पहलों के जरिए भारत की कल्पना को साकार करने और राष्ट्रीय गौरव का साझा थीम था।

26. पुरस्कार और सम्मान

एनएचपीसी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव हासिल किया:-

- एनएचपीसी ने "अवसंरचना और निर्माण क्षेत्र - 500 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के टर्नओवर" की श्रेणी में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता' के लिए गोल्ड शील्ड जीती। कंपनी ने "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों" श्रेणी में दक्षिण एशियाई लेखाकार संघ (एसएएफए) से 'सर्वोत्तम वार्षिक रिपोर्ट' के लिए उत्कृष्टता का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया।
- एनएचपीसी की राजभाषा पत्रिका 'राजभाषा ज्योति' को 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' योजना के तहत वर्ष 2019-20 के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्षेत्र 'क' में 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (गृह पत्रिका)' के अंतर्गत 'प्रथम पुरस्कार' प्रदान किया गया। एनएचपीसी को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के तहत राजभाषा के कार्यान्वयन में सहायनीय कार्य करने के लिए द्वितीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया।
- एनएचपीसी को नई दिल्ली में ईक्यू पीवी इन्वेस्ट टेक इंडिया कांफ्रेंस एंड अवार्ड्स के दौरान ईक्यू इंटरनेशनल द्वारा गोल्ड श्रेणी में "पीएसयू डेवलपर ऑफ द ईयर" का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- एनएचपीसी को वाटर डाइजेस्ट वाटर अवार्ड्स, 2021-2022 में 'बांध पुनर्वास परियोजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन' की श्रेणी में 'विजेता' के रूप में सम्मानित किया गया।
- एनएचपीसी को आईओएचडी (एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, दिल्ली) द्वारा एंवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ (ईएनओसीएच) के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए 'आईओएचडी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड - पब्लिक सेक्टर' प्रदान किया गया है।

- एनएचपीसी के 510 मेगावाट तीस्ता-V पावर स्टेशन को 120 देशों में प्रचलनरत एक लंदन स्थित गैर-लाभ सदस्यता संघ, इंटरनेशनल हाइड्रोपावर एसोसिएशन (आईएचए) द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से नवाजा गया गया है।



श्री अभय कुमार सिंह (बाएं से चौथे स्थान पर), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी के साथ-साथ श्री आर.पी. गोयल (दाएं से चौथे स्थान पर), निदेशक (वित्त), एनएचपीसी और एनएचपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण "अवसंरचना और निर्माण क्षेत्र - 500 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के टर्नओवर" की श्रेणी में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा प्रदान की गई 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता' के लिए गोल्ड शील्ड प्राप्त करते हुए।



श्री अभय कुमार सिंह (बाएं से छठे स्थान पर), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी के साथ-साथ श्री आर.पी. गोयल (दाएं से तीसरे स्थान पर), निदेशक (वित्त), एनएचपीसी और एनएचपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों" की श्रेणी में दक्षिण एशियाई लेखाकार संघ (एसएएफए) से 'सर्वोत्तम वार्षिक रिपोर्ट' के लिए उत्कृष्टता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए।

27. सूचना का अधिकार अधिनियम

एनएचपीसी में नागरिकों को सूचना प्रदान करने और जवाबदेही तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कार्यान्वित किया गया है। कंपनी ने सभी को विभिन्न दस्तावेज/रिकॉर्ड सुलभ कराने के लिए उन्हें अपनी वेबसाइट अर्थात् www.nhpcindia.com पर डाला है। एनएचपीसी ने कॉरपोरेट कार्यालय में अपीलीय प्राधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा सभी पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/यूनिटों में सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नामित किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, 588 आवेदन और 70 प्रथम चरण की अपीलें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 581 (99%) आवेदन और 69 (99%) प्रथम चरण की अपीलों का उत्तर दिया गया।

निपटान किया गया। दूसरे चरण की 5 अपीलें केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के समक्ष आवेदकों द्वारा दायर की गई थीं, जिन्हें भी एनएचपीसी के पक्ष में निपटाया जा चुका है।

28. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी पिछले कुछ वर्षों से अपनी विभिन्न सीएसआर क्रियाकलापों के जरिए समाज के बेहतर कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपकी कंपनी की सीएसआर पहलों से हितधारकों की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और कल्याण संबंधी चिंताओं को दूर करके बड़े पैमाने पर समाज पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कंपनी की सीएसआर पहल में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, खेल-कूद को बढ़ावा देने, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने तथा उसे संरक्षित करने के संबंध में कार्यक्रम शामिल हैं। सीएसआर और संधारणीयता परियोजनाओं का चयन करते समय, आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि समाज के गरीब/पिछड़े तथा जरूरतमंद तबके तक अधिकतम लाभ पहुंचे।

आपकी कंपनी नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने, स्कूलों में स्मार्ट क्लास चलाने, अवसंरचना सुविधाओं, आईटीआई में सुधार, बेरोजगार युवाओं और दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास, प्राथमिक/सामुदायिक/जिला अस्पतालों में एम्बुलेंस, हार्स वैन प्रदान करके, ऑक्सीजन प्लांट लगाकर, देश के विभिन्न भागों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर जैसे सहायक उपकरण प्रदान करके अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण प्रदान करके स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में वृद्धि करने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी ने एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट कंपनी के रूप में, अपनी सीएसआर पहलों के अंतर्गत आपातकालीन स्थितियों में मुकाबला करने के लिए सरकार की मदद करने हेतु पीएम केयर्स में 30 करोड़ रुपये का अंशदान भी दिया है।

आपकी कंपनी की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संसाधनों के अनुकूल उपयोग के लिए अपने सीएसआर लक्ष्य को ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने की संकेंद्रित सोच से समाज पर अधिकाधिक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ा है। समय के साथ, आपकी कंपनी की सीएसआर पहलों की छाप इसके अपेक्षित दायरे तक पहुंची है।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के लागू प्रावधानों के अनुरूप सीएसआर संबंधी नीति अपनाई है। आपकी कंपनी की सीएसआर नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- सीएसआर बजट राशि का न्यूनतम 80 प्रतिशत आवंटित करके एनएचपीसी की परियोजनाओं के समीप के स्थानीय क्षेत्र को वरीयता दी जा रही है। तथापि, जरूरतों के अनुसार और राष्ट्रीय योजनाओं व अभियान के संबंध में

भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार अन्य स्थानों का भी चयन किया जा रहा है, जहां सीएसआर बजट की लगभग 20 प्रतिशत राशि समाज/परिवेश के व्यापक लाभ के लिए खर्च की जा सकती है।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार सीएसआर पहलों में शिक्षा, व्यावसायिक कौशलों, स्वास्थ्य, सफाई, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण उन्नयन आदि को बढ़ावा देने संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं। सीएसआर व्यय के लिए अनुसूची-VII के अलावा अन्य क्रियाकलापों पर व्यय नहीं किया जाता।
- सीएसआर और संधारणीयता योजनाओं का चयन इस तरह से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके अधिक से लाभ अधिक समाज के गरीब/पिछड़े और जरूरतमंद तबकों तक पहुंचे और परिवेश के स्तर में सुधार लाने में योगदान हो सके।
- एनएचपीसी संसाधनों, विशेषज्ञता और क्षमताओं का सामाजिक-आर्थिक अथवा पर्यावरणीय प्रभाव में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिए अनुकूल उपयोग करने हेतु मेगा परियोजनाओं की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने और निगरानी करने में अन्य सीपीएसयू के साथ साझेदारी करने के लिए स्वतंत्र है।
- इस नीति में सीएसआर क्रियाकलापों के उचित चयन, आयोजना, निष्पादन और निगरानी के लिए विभिन्न स्तरों पर भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, निम्नलिखित के संबंध में प्रावधानों को शामिल करने के लिए सीएसआर नीति में संशोधन किया गया था:

- सीएसआर समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना बनाना और सिफारिश करना,
- सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की डिजाइनिंग, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों को शामिल करना,
- संयुक्त सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में अन्य कंपनियों के साथ सहयोग करना,
- चालू और अन्य सीएसआर क्रियाकलापों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि को ठीक करना,
- सीएसआर राशि के उपयोग के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) प्रमाणन,
- सीएसआर व्यय से पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन अथवा अधिग्रहण,
- व्यय आधिक्य के निपटान के लिए प्रावधान,
- प्रभाव मूल्यांकन के लिए प्रावधान, पात्रता मानदंड।

सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट <http://www.nhpcindia.com/csr-policy.htm> पर उपलब्ध है। आपकी कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए सीएसआर क्रियाकलापों के संबंध में एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुबंध-1** पर दी गई है।

29. सम्बन्धित पक्षकारों के साथ संविदाएं तथा व्यवस्थाएं

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी ने अपने किसी संबंधित पक्षकार के साथ कोई वास्तविक लेन-देन नहीं किया है। कंपनी के प्रमुख संबंधित पक्षकार लेन-देन इसकी सहायक कंपनी तथा एसोसिएट कंपनियों के साथ परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करवाने, सम्पत्तियों को पट्टे पर देने, जनशक्ति सेवाएं आदि उपलब्ध करवाने के लिए होते हैं। संबंधित पक्षकारों के साथ की गई सभी संविदाएं/व्यवस्थाएं/लेन-देन परस्पर सहमति आधार पर थे जो कंपनी के हितों को बढ़ावा देने के लिए थे। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अंतर्गत यथापेक्षित संबंधित पक्षकार लेन-देन का फार्म एओसी-2 में प्रकटन किया जाना लागू नहीं होता है।

एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की ओर भी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके इंड एस-24 के अनुसार संबंधित पक्षकार प्रकटनों को निर्धारित किया गया है।

30. सतर्कता तंत्र – व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी निवारण नीति

आपकी कंपनी ने एक 'व्हिसल ब्लोअर नीति' तैयार की है जिसमें कंपनी के निदेशक, कर्मचारी, ठेकेदार और विक्रेता लागू विधियों, नियमों, विनियमों अथवा कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन में किए गए किसी भी ऐसे अनैतिक व्यवहारों की सूचना देने के लिए स्वतंत्र हैं, जो कंपनी के प्रचालन, व्यवसाय प्रदर्शन और/या प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। यह नीति लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच की भी अनुमति देती है। वर्ष के दौरान, किसी भी व्यक्ति को व्हिसल ब्लोअर नीति से संबंधित मुद्दों पर लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया था।

व्हिसल ब्लोअर की पहचान को गोपनीय रखा जाता है ताकि उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सके। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और नीति के अंतर्गत सूचित शिकायतों से निपटने के लिए समन्वयक के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। आपकी कंपनी ने धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने, उसका पता लगाने और उसके त्वरित निपटान को समर्थ बनाने के लिए धोखाधड़ी निवारण और पहचान नीति तैयार की है। नीति के तहत स्थापित किए गए तंत्र का संगठन के भीतर सभी स्तरों पर उचित रूप से प्रचार-प्रसार किया जाता है और उसे कंपनी के इंटरनेट पर भी प्रदर्शित किया गया है। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट <http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/wbp.pdf> पर भी उपलब्ध है।

31. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निवारण

आपकी कंपनी मानती है कि कार्यस्थल पर विविधता लाना वचनबद्धता, संरक्षण, नवाचार और उच्च निष्पादन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है और सभी को समान उचित सम्मान दिया जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण संबंधी एक नीति तैयार की गई है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत के निवारण के लिए कंपनी के सभी स्थानों पर 'आंतरिक शिकायत समितियों' का गठन किया गया है। कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद की समिति का नेतृत्व एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती है और इसमें एक सदस्य के रूप में गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आपकी कंपनी ने एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली के तहत इसे कदाचार के रूप में शामिल करके महिलाओं के यौन उत्पीड़न को भी प्रतिबंधित कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में किए गए प्रकट निम्नानुसार हैं:

क.	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1
ख.	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	शून्य
ग.	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	शून्य
घ.	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1*

* शिकायत की जांच आंतरिक शिकायत समिति द्वारा की जा रही है।

32. डिबेंचर ट्रस्टी

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियामवली, 2015 (सेबी एलओडीआर) की अपेक्षाओं के अनुपालन में, कंपनी द्वारा जारी बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखला हेतु इसके द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टियों का ब्योरा इस वार्षिक रिपोर्ट की संदर्भ सूचना में दिया गया है।

33. कोविड-19

एनएचपीसी ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए अपने विभिन्न प्रचालन जारी रखे, जबकि इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता में ग्राहकों के लिए कारोबार को जारी रखने के साथ-साथ कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई करना रहा। एनएचपीसी गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों

के अनुसार कार्य करता है और कर्मचारियों, उनके आश्रितों तथा अन्य हितधारकों को कोविड-19 महामारी के लिए सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक सहायता उपाय लागू किए। आपकी कंपनी ने विभिन्न एनएचपीसी स्थानों पर ऑक्सीजन सहायता सुविधाओं के साथ कोविड-19 केयर सेंटर खोलने, विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्त व्यवस्था करके मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए सप्लाय लॉजिस्टिक्स में वृद्धि करने व ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर्स की खरीद के लिए आपूर्ति प्रदान करने संबंधी व्यवस्थाएं करते हुए कोविड-19 महामारी के समक्ष आ रही चुनौतियों के प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए। एनएचपीसी ने विद्युत मंत्रालय/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों और पीएसयू के कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लिए बेस्टर डोज सहित टीकाकरण अभियान में भी सुविधा प्रदान की। एनएचपीसी ने सभी नियमित कर्मचारियों, उनके आश्रितों तथा अनुबंध कर्मचारियों का 100 प्रतिशत कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित किया। कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लाभ के लिए वर्ष भर विभिन्न आरटी-पीसीआर जांच शिविर और कोविड-19 टीकाकरण शिविर लगाए गए।

आपकी कंपनी ने 24x7 हेल्प-डेस्क समन्वित सहायता उपाय जैसे परीक्षण लैब के साथ संपर्क, डॉक्टरों के साथ वीडियो परामर्श, कोविड अवकाश का प्रावधान, दवाइयां और काउंसलिंग सहायता भी प्रदान की। इस संक्रमण और महामारी संबंधी अनिश्चितताओं के बीच, हमारे कर्मचारियों की भलाई एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा। पिछले 24 माह के दौरान निरंतर प्रयास से, एनएचपीसी ने अपने कर्मचारियों के लिए अनेक भलाई की पहल की गई और मानसिक स्वास्थ्य, स्वयं की देखभाल, महिलाओं के स्वास्थ्य, कार्य और जीवन के बीच संतुलन आदि के संबंध में विशेषज्ञों के साथ विभिन्न सत्रों का आयोजन किया।

34. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

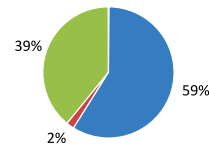
34.1 औद्योगिक संरचना और विकास

किसी भी देश के अवसंरचना विकास के लिए विद्युत एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है, जिससे आर्थिक विकास और व्यापक जन भलाई पर प्रभाव पड़ता है। भारत के आर्थिक विकास के लिए विद्युत क्षेत्र एक प्रमुख सहायक है। इस क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण और वितरण यूटिलिटियां शामिल हैं तथा यह भारत की अवसंरचना का एक प्रमुख घटक है। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के सभी पावर स्टेशनों की कुल संस्थापित क्षमता 3,99,497 मेगावाट थी, जिसमें 2,36,109 मेगावाट, 6,780 मेगावाट और 1,56,608 मेगावाट क्षमता क्रमशः तापीय, नाभिकीय और नवीकरणीय विद्युत से थी, जिसमें जलविद्युत का योगदान

46,723 मेगावाट¹ था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश में परंपरागत स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन विगत वर्ष के दौरान 1234.61 बिलियन यूनिट की तुलना में 1320.88 बिलियन यूनिट था, जिसने 6.99 प्रतिशत² की वृद्धि दर्ज की थी।

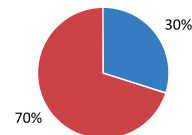
Total Installed Capacity as on March 31, 2022

■ Thermal ■ Nuclear ■ Renewable (incl. Hydro)



Installed Capacity of Renewable Energy as on March 31, 2022

■ Hydro ■ Wind, Solar & other RE



भारत धीरे-धीरे एक ऊर्जा की कमी वाले देश से एक ऊर्जा अधिशेष वाला देश बन गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, व्यस्ततम मांग में औद्योगिक और रिहायशी भार को बढ़ाने वाले अनेक कारकों के कारण, 6.73: की ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, भारत में विद्युत की मांग में वर्ष 2022 और 2024 के बीच 6.5: की वार्षिक दर पर वृद्धि होने की संभावना है।

भारत एक संसाधन संपन्न और विविधता वाला देश है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की प्रचुरता के साथ ही, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र दुनिया में सबसे अधिक आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है। ग्लासगो में यूएनएफसीसीसी (कॉप-26 शिखर सम्मेलन) सम्मेलन के 26 वें सत्र में, भारत ने एक महत्वाकांक्षी "पंचामृत" का संकल्प लिया है, जिसमें निम्नलिखित लक्ष्य शामिल हैं:

- क. वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना।
- ख. वर्ष 2030 तक ऊर्जा की 50 प्रतिशत मांग को नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना।
- ग. अब से लेकर वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जनों को एक बिलियन टन तक कम करना।
- घ. वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन सघनता को 45 प्रतिशत तक कम करना।
- ङ. वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना।

¹ स्रोत: विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट

² स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

सरकार उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) योजना, प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) आदि जैसी एक अथवा अन्य योजनाओं के जरिए सतत् उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु सभी प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, 'मेक इन इंडिया' जैसी योजनाओं को निरंतर प्रोत्साहित करने से औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर विद्युत की मांग बढ़ेगी। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और उनके निर्माण से चार्जिंग अवसंरचना के विकास में विस्तार होगा और विद्युत की मांग में वृद्धि होगी।

विद्युत का उत्पादन करने के लिए सौर और पवन की अनिरंतर उपलब्धता के कारण विद्युत ग्रिड के लिए स्थायित्व प्रदान करने हेतु जलविद्युत को अधिक महत्व मिलेगा। कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के अलावा, जल विद्युत ऊर्जा से दूर-दराज के नए स्थानों तक विद्युत ले जाई जा सकेगी, ऊर्जा उत्पादन में सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी और भू-राजनीतिक मामलों पर प्रभाव कम होगा। नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण के लिए और कमी को संतुलित करने के लिए जलविद्युत काफी संगत है।

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हरित अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और इस क्षेत्र का दृष्टिकोण सकारात्मक दिखाई देता है। आने वाले दशकों में मांग में वृद्धि, ऊर्जा मिश्रण और बाजार प्रचालनों के संबंध में भारतीय विद्युत प्रणाली में अत्यधिक बदलाव देखने में आएंगे।

34.2 भारत में जलविद्युत संभाव्यता

हमारे देश में अत्यधिक जलविद्युत संभाव्यता मौजूद है और व्यवहार्य जलविद्युत क्षमता की मौजूदगी के लिए दुनिया भर के सर्वोच्च देशों में स्थान है, जिनमें से अधिकतर क्षमता अप्रयुक्त रहती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1987 में पूर्ण देश की जल विद्युत संभाव्यता के पुनः आकलन किए गए अध्ययन के अनुसार, संस्थापित क्षमता के संदर्भ में जल विद्युत संभाव्यता 1,48,701 मेगावाट का अनुमान है, जिसमें से 1,45,320 मेगावाट संभाव्यता में 25 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली जलविद्युत योजनाएं शामिल हैं।

34.3 जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

भारत सरकार ने विगत में देश में जलविद्युत विकास के लिए कई नीतिगत पहल की हैं, जैसे राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005, राष्ट्रीय टैरिफ नीति, 2016, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 आदि। विगत दो वर्षों की अवधि के दौरान, सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी उपाय जारी किए थे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- वृहत जल विद्युत परियोजनाओं (एलएचपी, अर्थात् 25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना।
- गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक पृथक् कंपनी के रूप में जलविद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) की अधिसूचना। अधिसूचना के अनुसार, एचपीओ में दिनांक 08.03.2019 के बाद चालू की गई सभी एलएचपी परियोजनाएं (अर्थात् विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी करने की तारीख) तथा पावर स्टेशन की चालू की गई एकीकृत क्षमता (अर्थात् दीर्घावधिक पीपीए के बिना) शामिल होगी।
- सरकार द्वारा दिनांक 29.01.2021 को वर्ष 2021-22 से 2029-30 की अवधि के लिए एचपीओ ट्रेजेक्टरी भी अधिसूचित की गई है।
- परियोजना के जीवनकाल में 40 वर्षों की वृद्धि करने, ऋण अदायगी अवधि को 18 वर्ष तक बढ़ाने और जलविद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए वृद्धि का टैरिफ लाने के बाद टैरिफ की बैंक लोडिंग करके टैरिफ का निर्धारण करने के लिए विकासकर्ताओं को छूट।
- बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता बढ़ाना।
- 200 मेगावाट तक की परियोजना के लिए 1.50 करोड़ रुपये/मेगावाट और 200 मेगावाट से अधिक की परियोजना के लिए 1.00 करोड़ रुपये/मेगावाट की दर से सहायक अवस्थापना अर्थात् सड़कों/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता बढ़ाना और
- विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 सितंबर, 2021 को बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता और सड़कों/पुलों जैसी सहायक अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता हेतु अंतिम दिशानिर्देशों की अधिसूचना।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने प्रारूप सीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2022 अधिसूचित किया है, जिसमें 1.5 के गुणक के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के लिए जलविद्युत पर विचार किया गया है। अंतिम रूप दिए जाने पर, यह प्रारूप विनियम आगामी जल पावर स्टेशनों से विद्युत की बिक्री में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाएगा।

34.4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए सरकारी पहलें

ग्लासगो, स्कॉटलैंड में कॉप-26 सम्मेलन में, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए देश हेतु एजेंडा प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट संस्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने के लिए लक्ष्य शामिल है। विभिन्न चुनौतियों

के बीच, वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय स्रोतों का लक्ष्य पूरा करने के लिए संस्थापित क्षमता में अचानक से वृद्धि करनी होगी। भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए और एक ऐसा जलवायु-अनुकूल ऊर्जा परिवर्तन लाने के लिए प्रमुख उपाय किए हैं, जिनसे ऊर्जा सुरक्षा, किफायतम और स्थायित्वता मिलेगी, जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र में समावेशी विकास हासिल किया जाएगा। इन उपायों में विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020, पीएम-कुसुम और रूफ टॉप सोलर योजना, सीपीएसयू योजनाओं जैसी बड़े पैमाने की सौर विद्युत विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं, सौर पार्क योजना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं आदि का प्रस्ताव शामिल है, जिनमें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

प्रौद्योगिकीय उन्नतियों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत सरकार की पहल ने सौर विद्युत कारोबार में निवेश को अधिक आकर्षक बना दिया है। एनएचपीसी देश के विभिन्न संभाव्यता समृद्ध राज्यों में सीपीएसयू योजना के अंतर्गत सौर पार्कों/प्लोटिंग सौर परियोजनाओं और सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के जरिए विद्युत के उत्पादन के लिए नए अवसरों की तलाश करने के लिए भी अपने प्रयास कर रहा है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 17 फरवरी, 2022 को ग्रीन हाइड्रोजन के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और स्वच्छ ईंधन के लिए भारत को एक निर्यात का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रीन हाइड्रोजन नीति अधिसूचित की गई थी। नई नीति में निम्नलिखित का प्रस्ताव है:

- क. जुलाई, 2025 से पूर्व ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए विद्युत की आपूर्ति हेतु संस्थापित किसी नए नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के लिए 25 वर्षों के लिए निःशुल्क विद्युत पारेषण।
- ख. ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए 30 दिनों तक डिस्कॉमों के पास किसी भी अधिशेष उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा को जमा करने और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करने के लिए उत्पादकों को सुविधा प्रदान करने हेतु सभी आवश्यक स्वीकृतियों के लिए एकल पोर्टल। इन परियोजनाओं के लिए समयबद्ध मंजूरीयों की आवश्यकता से निवेश बढ़ेगा, जबकि ग्रिड कनेक्टिविटी की प्राथमिकता होने से प्रचालन की प्रक्रियाएं आसान होंगी।
- ग. ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया के उत्पादन के लिए संस्थापित ऊर्जा संयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर ग्रिड की कनेक्टिविटी दी जाएगी।
- घ. विद्युत वितरण कंपनियां भी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकों को आपूर्ति करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद कर सकती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा रियायती दर पर करने की जरूरत होगी, जिसमें केवल राज्य आयोग द्वारा नई नीति के तहत निर्धारित खरीद लागत, व्हीलिंग प्रभार और एक

मामूली मार्जिन शामिल होगा। ऐसी खरीद को राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (आरपीओ) के लिए भी गिना जाएगा, जिसके अंतर्गत उसे अपनी जरूरत के कुछ हिस्से की खरीद नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से करनी जरूरी है।

भारत सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा के बाद, एनएचपीसी ने हिमाचल प्रदेश राज्य और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में आरएंडडी परियोजना के रूप में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 11 मार्च, 2022 को सहायक सेवाओं सहित उत्पादन, पारेषण एवं वितरण परिसंपत्तियों के रूप में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की खरीद और उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। चूंकि, एनएचपीसी श्रेणी-I ट्रेडिंग लाइसेंसधारक है, अतः यह ऐसी भंडारण परियोजनाओं के विकास में सुविधा के लिए एक निर्दिष्ट मध्यस्थता खरीददार के रूप में कार्य करने के लिए भी कार्रवाई कर रहा है।

34.5 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिस्कॉमों को विद्युत आपूर्ति करने वाले अंतर-राज्य उत्पादकों के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करने हेतु किए गए उपाय:

भुगतान सुरक्षा तंत्र के एक उपाय के रूप में, सभी पीपीए में साख पत्र (एलसी) के संबंध में प्रावधान हैं। तथापि, डिस्कॉमों द्वारा साख पत्र प्रदान नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप काफी देनदारियां बकाया हो गईं। ऐसी प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 28 जून, 2019 के आदेश के तहत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में पर्याप्त साख पत्र (एलसी) रखने की जरूरत पर पुनः बल दिया था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय भार वितरण केंद्रों (आरएलडीसी)/ क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों (एनएलडीसी) को यह निदेश दिया गया था कि वे उत्पादन कंपनियों (जेनको) द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद ही विद्युत के लिए समय निर्धारण करें कि डिस्कॉमों द्वारा अपेक्षित मात्रा में विद्युत के लिए साख पत्र खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने भी एक सप्ताह/पखवाड़ा की कम अवधि के लिए साख पत्र और विद्युत खरीद के एक दिन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए अग्रिम भुगतान करने की अनुमति दी थी।

विद्युत मंत्रालय ने भुगतान सुरक्षा तंत्र की सख्ती से अनुपालन के लिए और भी अनुदेश जारी किए थे और यह निदेश दिया कि डिस्कॉमों द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2021 के बाद की वर्तमान देयताओं को समय पर चुकाया जाना है और यदि डिस्कॉम निर्दिष्ट अवधि के भीतर वर्तमान देयताओं का भुगतान करने में असमर्थ हों तो साख-पत्र (एलसी) को विशेष रूप से जेनको द्वारा भुनाया जाना है। यदि 01 फरवरी, 2021 से पहले की अवधि की देयताएं संचित हैं, तो देयताओं को चुकाने के लिए एक किश्त योजना डिस्कॉम और जेनकोस द्वारा तैयार की जाएगी। डिस्कॉमों की ओर से कोई भी विफलता होने पर विद्युत आपूर्ति

विनियमित हो जाएगी और/अथवा त्रिपक्षीय करार का उपयोग किया जाएगा।

उपर्युक्त उपायों के बाद, डिस्कॉम दिनांक 01.02.2021 के बाद से विद्युत निकासी के लिए भुगतान जारी करने के लिए तैयार हो गए हैं। मौजूद कम ब्याज व्यवस्था और डिस्कॉमों द्वारा अधिक अधिभार की दर जारी करने का मामला उठाए जाने को देखते हुए, विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22 फरवरी, 2021 की राजपत्र अधिसूचना के तहत वित्तीय वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अधिभार को 18 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर एसबीआई एमसीएलआर (1 वर्ष) + 5 प्रतिशत किया है, जिसके चलते अधिभार, आदेश जारी होने की तारीख से वित्तीय वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए 12.75 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गया है। इसी के साथ, यह निदेश दिया गया है कि डिस्कॉमों से सभी भुगतान पहले अधिभार के लिए समायोजित किए जाएंगे और उसके बाद मूलधन के लिए, जो सबसे अधिक पुराने बकाया बिल से शुरू होगा।

34.6 सीईआरसी विनियम:

क. सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 और तत्संबंधी संशोधन

सीईआरसी ने मार्च, 2019 में सीईआरसी (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019 और उसमें दूसरा संशोधन 19 फरवरी, 2021 को जारी किया है। ये विनियम 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए लागू हैं। उपर्युक्त विनियमों (संशोधनों सहित) की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- अब कट ऑफ तारीख वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) के कैलेंडर माह के अंत से 36 माह के रूप में जानी जाएगी।
- परियोजनाओं के लिए सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब (ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां विलंब परियोजना विकासकर्ता के कारण से है) को “अप्रत्याशित घटना” के तहत शामिल किया जाएगा।
- अतिरिक्त पूंजीकरण में अंतर दंड ब्याज लगाने के लिए 5 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत किया गया (अर्थात लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त एएफसी की प्रतिपूर्ति के लिए बैंक दर का 1.2 गुना और लाभार्थियों से एएफसी की वसूली के लिए बैंक दर का 1 गुना)।
- भूमि अधिग्रहण (ऐले मामलों को छोड़कर, जहां विलंब उत्पादन कंपनी के कारण है) को समय और लागत आधिक्य के विश्लेषण के लिए “अनियंत्रणयोग्य कारक” के रूप में माना गया है।
- पुराने संयंत्रों के लिए प्रचालन व रख-रखाव व्यय – पुराने पावर स्टेशनों के लिए अनुमत सामान्य प्रचालन व रख-रखाव व्यय में वेतन संशोधन, न्यूनतम वेतन और जीएसटी शामिल नहीं है, जिसे

अलग से अनुमत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा व्यय की प्रतिपूर्ति अलग से की जाएगी।

- लाभार्थी डिस्कॉमों द्वारा देय प्रभारों को पहले बकाया प्रभारों पर अधिभार के विलंब के भुगतान के लिए समायोजित किया जाएगा और उसके बाद सबसे अधिक पुराने बकाया बिलों से शुरू, उत्पादन कंपनी द्वारा दिए गए बिलों के मासिक भुगतान से समायोजित किया जाएगा।

ख. सीईआरसी सहायक सेवाएं विनियम, 2022:

सीईआरसी ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 जारी किया है, जो 31 जनवरी, 2022 से लागू हो गया है। इस विनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- विद्युत प्रणाली प्रचालन के संबंध में “सहायक सेवा” अथवा “एएस” से तात्पर्य विद्युत की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और ग्रिड की सुरक्षा बनाए रखने में ग्रिड प्रचालन सहायक के लिए आवश्यक सेवा से है तथा इसमें प्रतिक्रियाशील विद्युत सहायता, ब्लैक स्टार्ट और ग्रिड संहिता में यथानिर्धारित अन्य सेवाओं का अनुसरण करके प्राथमिक आरक्षी सहायक सेवा, द्वितीयक आरक्षी सहायक सेवा, तृतीयक आरक्षी सहायक सेवा, सक्रिय विद्युत सहायता शामिल है।
- ग्रिड की विश्वसनीयता, बचाव तथा सुरक्षा के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए विनियामक व्यवस्था प्रदान की गई है।
- विद्युत प्रणाली के प्रचालन में आसानी तथा ग्रिड के बचाव और सुरक्षा के लिए पारेषण नेटवर्क में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए ग्रिड में यथानिर्दिष्ट अनुमत बैंड के भीतर 50 हर्ट्ज के समीप ग्रिड फ्रीक्वेंसी बनाए रखने और ग्रिड फ्रीक्वेंसी की बहाली के लिए व्यवस्थित और चिन्हित व्यवस्थाओं के जरिए खरीद व्यवस्था, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सहायक सेवाओं की स्थापना और भुगतान प्रदान किया गया है।
- द्वितीयक आरक्षी सहायक सेवाओं (एसआरएएस) और तृतीयक आरक्षी सहायक सेवाओं (टीआरएएस) के लिए खरीद और वाणिज्यिक व्यवस्था के अलावा, ग्रिड के विश्वसनीय और स्थायी प्रचालन में सहायता के लिए पारेषण भीड़ को कम करने के लिए और अनुमत बैंड के भीतर ग्रिड फ्रीक्वेंसी को बनाए रखने के लिए उपाय प्रदान किए गए थे।
- इन स्थितियों में यथाप्रदत्त सहायक सेवाएं और अन्य संस्थाएं प्रदान करने के लिए योग्य मांग प्रतिक्रिया प्रदान करने में सक्षम ऊजा भंडारण संसाधनों और संस्थाओं वाली संस्थाओं सहित क्षेत्रीय संस्थाओं के लिए ये विनियम लागू हैं।

- एसआरएस और टीआरएस की खरीद, स्थापना और भुगतान की व्यवस्था निर्दिष्ट की गई है।

ग. सीईआरसी उल्लंघन समाधान व्यवस्था विनियम, 2022 :

सीईआरसी ने उल्लंघन समाधान व्यवस्था और संगत मामले विनियम, 2022 अधिसूचित किया है। विनियम में एक वाणिज्यिक व्यवस्था के जरिए मांग की गई है कि ग्रिड के प्रयोक्ता ग्रिड की सुरक्षा और स्थिरता की दृष्टि से विद्युत की निकासी और विद्युत के प्रवेश की समय सारणी का उल्लंघन न करें और उनका पालन करें। सीईआरसी द्वारा प्रचालन की तारीख अभी अधिसूचित की जानी है। विनियमों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- ग्रिड के सुरक्षित और स्थायी प्रचालन के लिए, प्रत्येक ग्रिड कनेक्टेड क्षेत्रीय संस्था ग्रिड संहिता के अनुसार अपनी समय सारणी का पालन करेंगी और उस समय सारणी का उल्लंघन नहीं करेंगी।
- किसी भी उल्लंघन का प्रबंधन सहायक सेवाएं विनियम के तहत भार वितरण केंद्र द्वारा किया जाएगा और ऐसे उल्लंघन के संबंध में गणना, प्रभार और संगत मामलों का निपटान विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- पॉन्डेज सहित एक रन-ऑफ-रिवर (आरओआर) संयंत्र, एक उत्पादन स्टेशन को संदर्भ दर (ऊर्जा शुल्क दर) पर 2 प्रतिशत तक, अधिक विद्युत डालने के लिए वापस भुगतान किया जाएगा और 2 प्रतिशत से अधिक भुगतान विद्युत डालने के लिए, विक्रेता उल्लंघन और सहायक सेवा पूल खाते को सामान्य दर का 10 प्रतिशत की दर से भुगतान करेगा। यदि 2 प्रतिशत तक कम विद्युत डाली गई है, तो विक्रेता संदर्भ दर पर भुगतान करेगा, 2 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के बीच कम विद्युत डालने के लिए विक्रेता सामान्य दर के 120 प्रतिशत की दर से भुगतान करेगा और 10 प्रतिशत से अधिक कम भुगतान के लिए विक्रेता उल्लंघन और सहायक सेवा पूल खाते में सामान्य दर के 150 प्रतिशत की दर से भुगतान करेगा।
- एक आरओआर संयंत्र के लिए, एक उत्पादन स्टेशन को संदर्भ दर पर 2 प्रतिशत तक अधिकतम विद्युत डालने के लिए वापस भुगतान किया जाएगा। 2 प्रतिशत तक कम विद्युत डालने के लिए, विक्रेता संदर्भ पर, 2 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के बीच कम विद्युत डालने के लिए विक्रेता सामान्य दर पर भुगतान करेगा और 10 प्रतिशत से अधिक की कम विद्युत डालने के लिए विक्रेता उल्लंघन और सहायक सेवा पूल खाते में 110 प्रतिशत की दर से सामान्य दर का भुगतान करेगा।

34.7 स्वीट विश्लेषण

(i) क्षमताएं

- **जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभवी श्रमशक्ति**

एनएचपीसी के पास देश भर में जल विद्युत परियोजनाएं विकसित करने में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है। एनएचपीसी के पास सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल है, जिनके पास जल विद्युत परियोजनाओं की संकल्पना, निर्माण, चालू करने और प्रचालन में क्षमताएं और विशेषज्ञता है। उनका कौशल, औद्योगिक ज्ञान और अनुभव का कंपनी के लिए काफी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है।

- **आंतरिक डिजाइन एवं इंजीनियरिंग क्षमता सहित संकल्पना से लेकर चालू किए जाने तक की क्षमताएं**

एनएचपीसी के पास अपनी परियोजनाओं की डिजाइन और इंजीनियरी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समर्पित भरपूर डिजाइन प्रभाग है। जलविद्युत क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाली आंतरिक डिजाइन टीम होने से एनएचपीसी को अन्य जल विद्युत कंपनियों में अग्रणी स्थान हासिल हुआ है। एनएचपीसी डाटा तैयार करने और इनहाउस रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्थल पर नवीनतम भू-भौतिकी तकनीकों का उपयोग कर रही है। एनएचपीसी भारत में एकमात्र जलविद्युत यूटिलिटी है, जिसके पास टनल सिस्मिक प्रेडिक्शन, टोलोग्राफी और रेजिस्टिविटी इमेजिंग जैसी तकनीकों में विशेषज्ञता है, जो एक प्रभावी और आर्थिक तरीके से सब-सर्फेस सूचना प्रदान करती है। इसने आधुनिक परीक्षण उपकरणों और एक विवेकशील दूरसंवेदी प्रयोगशाला के साथ आंतरिक रॉक मैकेनिक्स टेस्टिंग लेबोरेटरी भी विकसित की है। इसके पास इंजीनियरिंग क्षमताएं संकल्पना की अवस्था से लेकर परियोजनाएं पूर्ण होने तक की अवस्था तक की विभिन्न इंजीनियरी क्षमताएं हैं।

- **निर्माण और प्रचालन में व्यापक अनुभव**

एनएचपीसी के पास आंतरिक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से अनेक भू-तकनीकी चुनौतियों का सामना करके जटिल भौगोलिक क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाएं विकसित करने में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है। इसने भारत में दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में पहुँच न होने, खराब लॉजिस्टिक, प्रतिकूल मौसम और प्रौद्योगिकी संबंधी बाधाओं जैसी विभिन्न चुनौतियों के साथ जलविद्युत परियोजनाओं की कुछ चुनौतियों का मुकाबला करते हुए परियोजनाएं सफलतापूर्वक निर्मित की हैं। अपनी सक्षम, कुशल और अनुभवी पेशेवरों की एक मजबूत टीम के साथ कंपनी ऐसी बाधाओं को पार करते हुए हर प्रकार की और हर तरह की जलविद्युत परियोजनाओं का निष्पादन करने में सक्षम है।

• मजबूत वित्तीय स्थिति

एनएचपीसी के पास दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 10,045.03 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी और 70,299 करोड़ रुपये का निवेश आधार है। एनएचपीसी के पास इसकी सूचीबद्ध बांडों के लिए घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए स्थायी आउटलुक के साथ “एएए” क्रेडिट रेटिंग है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग में नकारात्मक आउटलुक के साथ बीबीबी(-) की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग बनाए रखी है। कंपनी अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति के कारण व्यापक पूंजी वाली वृहद जलविद्युत परियोजनाओं का निष्पादन करने में पर्याप्त रूप से सक्षम है।

• मजबूत प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

एनएचपीसी ने 7,071 मेगावाट की समग्र संस्थापित क्षमता के साथ बाइस जल विद्युत परियोजनाओं (इसकी सहायक कंपनी अर्थात एनएचडीसी लिमिटेड द्वारा दो परियोजनाओं सहित), एक सौर विद्युत परियोजना और एक पवन विद्युत परियोजना का सफलतापूर्वक तैयार और कार्यान्वित किया है। एनएचपीसी अपने पावर स्टेशनों के समूह के साथ भारत में जलविद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है।

• भूकंपीय सुरक्षा आकलन

एनएचपीसी अपने पावर स्टेशनों की भूकंपीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसने अपने सभी पावर स्टेशनों की ऑनलाइन भूकंपीय निगरानी के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में अपनी तरह का एक अत्याधुनिक केंद्रीकृत वास्तविक समय भूकंपीय डेटा सेंटर विकसित किया है। डेटा सेंटर संबंधित पावर स्टेशनों के क्षेत्र में किसी भी भूकंपीय घटना को रिकॉर्ड करता है और उसका त्वरित आकलन करता है। जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए यह एक बड़ा कदम है और प्रत्येक पावर स्टेशन के लिए बांध सुरक्षा समीक्षाएं की जाती हैं।

(ii) अवसर

• अप्रयुक्त जलविद्युत संभाव्यता

जल-ताप मिश्रण की खराब स्थिति, पीकिंग कमी और फ्रीक्वेंसी भिन्नताओं के कारण नीति निर्माताओं ने जलविद्युत के विकास की ओर अपने रुख को बदला है। भारत की भारी अप्रयुक्त जलविद्युत संभाव्यता, जो विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जलविद्युत विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। एनएचपीसी के पास भारत और पड़ोसी देशों में आने वाले वर्षों में अपनी अप्रयुक्त जलविद्युत संभाव्यता से अपनी क्षमता बढ़ाने का एक अवसर है।

• जलविद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनएचपीसी की सतत क्षमता

एनएचपीसी द्वारा अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की अपनी क्षमता में विगत वर्षों में प्रदर्शित की गई क्षमता से, जहां अधिकांश अन्य कंपनियां सामान्यतः विफल रही हैं,

जलविद्युत क्षेत्र में नई आशा की किरण आई है। परिणामस्वरूप, एनएचपीसी की जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण विशिष्टता से भविष्य में इसके विकास के नए द्वार खुल रहे हैं।

• नवीकरणीय ऊर्जा

सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 100 गीगावाट सौर, 60 गीगावाट पवन, 5 गीगावाट लघु जलविद्युत और 10 गीगावाट बायोमास तथा अन्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए देश हेतु एजेंडे के एक भाग के रूप में, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट संस्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार के प्रयासों और नीतिगत सहायता के साथ भारत में सौर पीवी का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों और योजनाओं से यह क्षेत्र निवेश के लिए बहुत ही आकर्षक बन गया है। एनएचपीसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत के उत्पादन के लिए नए अवसरों की तलाश करने के लिए प्रयास कर रही है। एनएचपीसी द्वारा सौर पार्कों/प्लोटिंग सौर पार्कों के विकास के लिए और सीपीएसयू योजना तथा पायलट ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की क्षमता वाले समृद्ध राज्यों में सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए सभी संभव अवसरों की तलाश की जा रही है। हाल ही में, एनएचपीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा, लघु जलविद्युत परियोजना तथा हाइड्रोजन आधारित परियोजना शुरू करने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनएचपीसी रिन्युएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) स्थापित की है।

• ग्रिड संतुलन की आवश्यकता

व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए, विशेषकर सौर विद्युत में बड़े पैमाने पर विकास के लिए भारत सरकार की वर्तमान पहल को देखते हुए, जलविद्युत के लिए ग्रिड संतुलन/स्थायित्वता आवश्यक होगी। वर्तमान परिदृश्य में जलविद्युत के विकास के लिए, इसे तेजी से बढ़ने और होने वाली मौजूद गुण एवं प्रणाली के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के कारण एनएचपीसी के लिए अवसरों की उत्पत्ति होगी।

(iii) खतरे/दोष/चुनौतियां/चिंताएं

• भौगोलिक अनिश्चितताएं

दुर्गम क्षेत्र और लॉजिस्टिक समस्याएं तथा जांच की सीमाएं परियोजनाओं के निष्पादन के लिए गंभीर परिणाम पैदा करती हैं। हाई सुपरइंकम्बेंट कवर के अंतर्गत टनल की खुदाई से भी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में

गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि दबाव संबंधी समस्याएं और पानी का भारी बहाव होता है।

- **समय और लागत आधिक्य**

अधिकांश जलविद्युत परियोजनाएं सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित होती हैं, जो भूस्खलन, पहाड़ी ढाल के गिरने और सड़क अवरुद्ध होने, बाढ़, बादल फटने आदि जैसी विध्वंसकारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करती है। इन आपदाओं के कारण निर्माण समय में काफी बाधा आती है। इसके अतिरिक्त, व्यापक सर्वेक्षण और जांच के बावजूद, भौगोलिक अनिश्चितताएं ठीक की जानी चाहिए, विशेषकर हेड रेस टनल जैसी लम्बी सुरंग में। एनएचपीसी ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ काफी अनुभव और विशेषज्ञता के साथ विगत में भी कई बार ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं का मुकाबला किया है। तथापि, इन असामान्य और अप्रत्याशित भौगोलिक अनिश्चितताओं के कारण समय और लागत आधिक्य हो सकता है।

- **समय लेने वाली मंजूरी प्रक्रियाएं:**

कोई भी जल विद्युत परियोजना कार्यान्वित करने से पूर्व इसे विभिन्न सांविधिक और गैर-सांविधिक मंजूरीयां प्रदान करके विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनापत्ति दी जाती है। प्रायः परियोजनाएं लंबी मंजूरी प्रक्रियाओं के कारण उलझ जाती हैं, जिनमें अनेक एजेंसियों/ संगठन, राज्य आदि शामिल होते हैं। अपेक्षित मंजूरीयां प्राप्त करना एक जटिल, बोझिल और समय लगने वाली प्रक्रिया होती है, जिनके कारण कभी-कभी असामान्य विलंब होता है, जिससे अंततः परियोजना के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है।

- **विद्युत क्रय करार (पीपीए) करने में कठिनाईयां:**

वर्तमान विद्युत व्यापार परिदृश्य में उच्च टैरिफ वाली परियोजनाओं से ऊर्जा की बिक्री कठिन होती जा रही है। लाभार्थी लम्बी अवधि/मध्यम अवधि के पीपीए के लिए विकल्प की बजाए पावर एक्सचेंज अथवा ई-खरीद के जरिए अपनी अतिरिक्त विद्युत मांग को तरजीह देना चाहते हैं। चूंकि जलविद्युत परियोजनाएं स्थल विशिष्ट होती हैं और उनका टैरिफ स्थान/डिजाइन पैरामीटर और अधिक प्रारंभिक निवेश पर निर्भर करती है, अतः नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ अपेक्षाकृत अधिक होता है। उपर्युक्त कारणों से एनएचपीसी लम्बी अवधि के पीपीए के जरिए नई परियोजनाओं से विद्युत वितरण करने में समस्याओं का सामना कर रहा है।

- **उच्च प्रारंभिक लागत/टैरिफ**

जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में लम्बी अवधि शामिल होती है और इसमें शुरुआत में काफी निवेश की जरूरत होती है, जिसके परिणामस्वरूप शुरुआत में अधिक टैरिफ

होता है। जलविद्युत परियोजनाओं का नकदी प्रवाह और प्रचालनों के परिणाम भी सीईआरसी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित टैरिफ विनियमों के अनुसार भिन्नताओं के अधधीन होते हैं। कभी-कभी शुरुआत में अधिक लागत और टैरिफ के कारण निवेश स्वीकृति प्राप्त करने में नुकसानदायक सिद्ध होती है और इसमें काफी वित्तीय रि-इंजीनियरिंग और विभिन्न हितधारकों से विभिन्न छूट की जरूरत होती है ताकि परियोजना को पुनःव्यवस्थित किया जा सके।

- **कानून एवं व्यवस्था**

एनएचपीसी के समक्ष इसकी कुछ परियोजनाओं/पावर स्टेशनों पर कानून एवं व्यवस्था की समस्या आ जाती है क्योंकि वे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित होती हैं और दूर-दराज के स्थानों पर होती हैं। उन परियोजनाओं/पावर स्टेशनों पर तैनात कार्मिकों की सुरक्षा का जोखिम होता है।

- **जलविद्युत परियोजनाओं का विरोध**

भारत में जलविद्युत परियोजनाओं को कुछ प्रेशर ग्रुप के विरोध का सामना करना पड़ता है। इससे जलविद्युत के विरोध का सामना करना पड़ता है। इससे जलविद्युत परियोजना विकासकर्ताओं के बीच आशंकाओं की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उनकी कुछ परियोजनाएं ठप हो रही होती हैं।

- **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रवेश सीमित करने वाली राज्य जलविद्युत नीतियां**

कई राज्य जलविद्युत नीतियां विकासकर्ताओं को जलविद्युत परियोजनाएं आर्बटित करने के लिए आवश्यक निःशुल्क विद्युत से अधिक निःशुल्क विद्युत, अपफ्रंट प्रीमियम आदि के भुगतान के पक्ष में होती हैं। सीपीएसई के समक्ष इन विद्युत परियोजनाओं को लेने में समस्याएं आ रही हैं क्योंकि उन्हें भारत सरकार के मानदंडों का अनुसरण करना होता है।

- **कुछ ठेकेदारों पर निर्भरता**

जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में मैनपावर, मशीनरी और पर्याप्त धन का निवेश आवश्यक होता है। भारत में कुछ ही ठेकेदार हैं, जो विशेषकर दूरदराज के और कठिन स्थानों पर, जहां पहुँचना एक बड़ी समस्या है, काम कर सकते हैं। सीमित संख्या में ठेकेदार, जो क्षेत्र में काम कर सकते हैं, देश में कुछ ही उपलब्धियां ठेकेदारों पर निर्भर बढ़ाते हैं।

34.8 जोखिम एवं चिंताएं

एनएचपीसी के पास एक कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए वर्ष 2009 से एक सुस्पष्ट

और सक्रिय जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। वर्तमान में नीति संशोधन के बाद 2022 में कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गई थी। वर्तमान में, 67 प्रमुख जोखिम हैं, जिनका कंपनी के कारोबार पर नुकसानदायक प्रभाव हो सकता है और उनको कम करने के उपाय चिन्हित किए गए हैं और जोखिम रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, दो समितियां गठित की गई हैं:

- (i) एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, जिसमें प्रमुख समितियों के प्रबंधन में बोर्ड की सहायता के लिए निदेशक होते हैं। समिति अन्य के साथ-साथ यह सुनिश्चित करती है कि उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां कंपनी के कारोबार से जुड़े जोखिमों की निगरानी करने और जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए शामिल हैं।
- (ii) जोखिम आकलन समिति, जिसमें मुख्य जोखिम अधिकारी और विभिन्न प्रभागों के जोखिम समन्वयक – विभागाध्यक्ष शामिल हैं, जो अपने प्रभागों और कारपोरेट कार्यालय के पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/प्रभागों के लिए जोखिम न्यूनीकरण हेतु जिम्मेदार हैं। विभागाध्यक्ष और क्षेत्रों/परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के प्रमुख जोखिमों और उनके जोखिम उपशमन उपायों की पहचान के संबंध में जोखिम आकलन समिति द्वारा जारी अनुदेशों का कार्यान्वयन और समीक्षा करते हैं।

34.9 परिदृश्य

भारत के जलविद्युत उत्पादन का परिदृश्य औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की संभावना और भारत सरकार के सबको 24x7 विद्युत प्रदान करने के मिशन के साथ आशावादी नजर आ रहा है। एनएचपीसी की देश की जलविद्युत संभाव्यता के दोहन में प्रमुख भूमिका है और इसने पहले ही देश भर में बाइस पावर स्टेशन (एक सौर परियोजना और एक पवन परियोजना सहित) विकसित कर लिए हैं। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, देश की एकल संस्थापित क्षमता 5,551.20 मेगावाट है। एनएचपीसी विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं लेकर अपने पोर्टफोलियो का विविधीकरण कर रहा है, जिसका ब्यौरा इस रिपोर्ट में दिया गया है। भारत सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा किए जाने के बाद, एनएचपीसी ने हिमाचल प्रदेश राज्य और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में आरएंडडी परियोजना के रूप में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन की स्थापना करने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

आपकी कंपनी ने कुछ प्रभावी पहलें की हैं और विद्युत कारोबार में सतत विकास तथा निरंतर प्रदर्शन के लिए प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक सरल बनाया है। इसने इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, सिविल और हाइड्रो-मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई और संगत प्रौद्योगिकियां अपनाई हैं। एनएचपीसी ने निर्माण समय के विलंब

और अधिक लागत में कमी करने के लिए सामयिक पद्धतियों को अपनाया है। आपकी कंपनी के पावर स्टेशन अपने रिजरवायर की सिल्टिंग की समस्या को कम करने के लिए एक अनुकूल तरीके से चलाए जाते हैं। निर्माण, पर्यवेक्षण, कमीशनिंग के बाद निगरानी और बाधारहित प्रचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया गया है। वर्तमान में कंपनी के सभी पावर स्टेशन आधे या पूरे ऑटोमेटेड हैं। कई पावर स्टेशनों में स्काडा प्रणाली के साथ उन्नत वितरित नियंत्रण प्रणालियां मौजूद हैं। एनएचपीसी अपने कुछ पावर स्टेशनों के रिमोट प्रचालन के लिए भी आगे कार्य कर रही है।

34.10 घटक-वार अथवा उत्पाद-वार कार्यनिष्पादन

कंपनी के प्रमुख कारोबारी कार्यों में विद्युत का उत्पादन शामिल है। अन्य प्रचालन जैसे विद्युत व्यापार, अनुबंध, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी सेवाएं “प्रचालन घटक” पर इंड एस-108 के अनुसार सूचित करने योग्य घटक नहीं हैं। कंपनी में एक एकल भौगोलिक घटक है, क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

34.11 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और इसकी पर्याप्तता

कंपनी के कारोबार के सुगम और सक्षम प्रचालन के लिए तथा संगत कानूनों और विनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने में मजबूत आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएं हैं। एनएचपीसी की स्पष्ट रूप से परिभाषित संगठनात्मक संरचना, मैनुअल और स्टैंडर्ड प्रचालन प्रक्रियाएं हैं, जिनसे इसके कारोबार का व्यवस्थित, नैतिक और सक्षम प्रचालन सुनिश्चित होता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने निर्णय लेने में आसानी के लिए शक्तियों का व्यापक प्रत्यायोजन किया है, जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि उन्हें बदलते कारोबारी वातावरण में और निर्णय लेने में तेजी के लिए अनुकूल बनाया जा सके।

कंपनी में एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है, जो एक वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में काम करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 की अनुपालना में, बोर्ड ने एक महाप्रबंधक (वित्त) को कंपनी का मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है और आवधिक व विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए अनुभवी कार्यबल है।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग अपनी लेखापरीक्षा टिप्पणियां और की गई कार्रवाई कि रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत करता है। समिति की सिफारिशों का पुनरनुपालन किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की अनुपालना में, मैसर्स अरोड़ा एंड चौधरी एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के कार्यान्वयन के संबंध में स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था। फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी में वर्तमान आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता को स्वीकार किया है।

34.12 वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

लाभ एवं हानि मं

राजकोषीय वर्ष 2021 की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2022 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षा वित्तीय परिणामों का एक विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार है:

आय (करोड़ रुपये में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2022	राजकोषीय वर्ष 2021
उत्पादित विद्युत की यूनिट (मिलियन यूनिट में)	24,494	24,235
आय		
(i) ऊर्जा की बिक्री	7,451.55	7,010.44
(ii) वित्त पट्टे से आय	344.95	371.62
(iii) प्रचालनरत पट्टे से आय	384.07	712.00
(iv) ठेके, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व	46.16	38.52
(v) विद्युत व्यापार से राजस्व	44.85	216.48
(vi) अन्य प्रचालनरत आय	82.22	157.52
प्रचालनों से राजस्व	8,353.80	8,506.58
[(i) से (vi) का योग]	1,026.18	1,155.98
जोड़ें: अन्य आय	9,379.98	9,662.56
कुल आय		

कुल आय राजकोषीय वर्ष 2021 में 9,662.56 करोड़ रुपये थी, जो राजकोषीय वर्ष 2022 में 2.92 प्रतिशत घटकर 9,379.98 करोड़ रुपये हो गई है। इसका कारण अन्य आय में कमी, विद्युत व्यापार से राजस्व में कमी, पट्टा आय में कमी, जो परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व में वृद्धि और राजकोषीय वर्ष 2022 में उत्पादन में वृद्धि होने से आंशिक रूप से पूरी हुई है।

Atk dh fcl

कंपनी की आय का प्रमुख स्रोत बड़े ग्राहकों को विद्युत की बिक्री से है, जो मुख्यतः दीर्घकालिक विद्युत क्रय करारों के अनुसरण में राज्य सरकारों/निजी वितरण कंपनियों के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी से है। विद्युत की दर का निर्धारण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा पावर स्टेशन-वार निर्धारित की जाती है। सीईआरसी ने दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या एल-1/236/2018/सीईआरसी के तहत टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए टैरिफ अधिसूचना जारी की है और समय-समय पर आगे संशोधन किए गए। सीआरसी द्वारा वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के लंबित अनुमोदन के चलते पावर स्टेशनों की बिक्रियों को उक्त टैरिफ अधिसूचना के अनुसार और सीईआरसी टैरिफ नियम 2019-24 के अनुसार पावर स्टेशनों की पूंजी लागत के लिए अनंतिम रूप से मान्य किया गया है।

उक्त विनियमों में अन्य के साथ-साथ यह प्रावधान है कि टैरिफ याचिकाएं दायर करने के प्रयोजन के लिए टैरिफ के एक घटक इक्विटी रिटर्न (आरओई) को संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर का प्रयोग करते हुए जोड़ा जाना है। बिक्रियों को मान्य करने के प्रयोजन के लिए, आरओई को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रभावी कर दर का प्रयोग करते हुए जोड़ा जाना है।

टैरिफ विनियमों में प्रोत्साहनों के लिए भी प्रावधान है, जिसमें सामान्य वार्षिक संयंत्र उपलब्धता (एनएपीएफ) से अधिक संयंत्र उपलब्धता कारक हासिल करने पर प्रोत्साहन, संयंत्र की डिजाइन ऊर्जा (द्वितीयक ऊर्जा) से अधिक ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहन और जहां कंपनी का पावर स्टेशन ग्रिड स्थायित्वता को बनाए रखने के लिए योगदान देता है, वहां उल्लंघन शुल्कों के माध्यम से प्रोत्साहन शामिल है।

इन बिक्रियों में जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित पावर स्टेशनों के संबंध में जल उपकरण के संबंध में प्रतिपूर्ति शामिल है।

राजकोषीय वर्ष 2021 में, संस्थापित 5,551 मेगावाट क्षमता से 24,235 मिलियन यूनिट (वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पार्वती-II एचई परियोजना द्वारा सृजित 236 मिलियन यूनिट अनिश्चित विद्युत को छोड़कर) की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2022 में 24,494 मिलियन यूनिट विद्युत (वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पार्वती-II एचई परियोजना द्वारा सृजित 361 मिलियन यूनिट अनिश्चित विद्युत को छोड़कर) उत्पादित की गई। तदनुसार, उत्पादित यूनिटों की संख्या में 1.07 प्रतिशत की वृद्धि थी। राजकोषीय वर्ष 2021 में बिक्री की गई 21,272 मिलियन यूनिटों के लिए 3.67 रुपये प्रति यूनिट की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2022 में बेची गई 21,536 मिलियन यूनिटों के लिए औसत बिक्री कीमत (विगत वर्ष की बिक्री के घटकों और गृह राज्य के लिए निःशुल्क विद्युत को समायोजन करने के बाद) 3.66 रुपये प्रति यूनिट थी। राजकोषीय वर्ष 2022 के दौरान, राजकोषीय वर्ष 2021 में 762.90 करोड़ रुपये की तुलना में प्रोत्साहन के निमित्त 750.28 करोड़ रुपये अर्जित किए गए हैं।

मुख्यतः पावर स्टेशनों में अधिक उत्पादन के कारण ऊर्जा की बिक्री राजकोषीय वर्ष 2021 में 7,010.44 करोड़ रुपये से 6.29 प्रतिशत बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2022 में 7,451.55 करोड़ रुपये हो गई है। कंपनी संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएफ) राजकोषीय वर्ष 2021 में 85.76 प्रतिशत की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2022 में 88.19 प्रतिशत था।

Atk dh lek; kft r fcl

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व में विगत वर्षों के संबंध में, लेकिन जो वर्तमान वर्ष में मान्य की गई बिक्रियां शामिल हैं और इनमें ऐसे पांच पावर स्टेशनों की बिक्री के जरिए ऊर्जा की बिक्री शामिल नहीं है, जिनकी बिक्रियां अब इंड एस प्रावधानों के संदर्भ में प्रचालन/वित्त पट्टे के रूप में मानी गई है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार सामान्य ऋणों के अनुसार ब्याज भुगतानों और ऋण अदायगी के संबंध में विनियम दर भिन्नता, जो स्टेशनों/यूनिटों के टैरिफ के लिए मानी गई थी, ऋणों और उन पर ब्याज की अदायगी पर लाभार्थियों से/को भुगतान/वसूल की जानी थी। आईसीएआई की विशेषज्ञ परामर्श समिति की राज्य के अनुसरण में, वास्तविक निपटान पर बाद में ग्राहकों को/से भुगतान/वसूलने योग्य और तुलना-पत्र की तारीख को विदेशी मुद्रा ऋणों के विवरणों पर विदेशी विनियम दर भिन्नता को लाभ व हानि के विवरणों में उसे समायोजित करने की बजाए खातों में एक आस्थगित देनदारी/परिसंपत्ति सृजित करके शामिल किया है।

वर्ष दर वर्ष तुलना के प्रयोजन के लिए, विगत वर्ष की बिक्रियों का प्रभाव ऊर्जा की बिक्रियों से अलग किया गया है ताकि ऊर्जा की समायोजित बिक्रियां की जा सकें। ऐसे आयोजनों के बाद ऊर्जा की बिक्री से राजस्व इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2022	राजकोषीय वर्ष 2021
निवल बिक्रियां (पट्टा आय सहित)	8,180.57	8,094.06
घटाएं: विगत वर्षों की बिक्रियां	288.68	290.99
ऊर्जा की समायोजित बिक्रियां	7,891.89	7,803.07

अनुबंधों, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व:

इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व में निर्माण अनुबंधों, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी अनुबंधों के संबंध में कार्यों से राजस्व शामिल है। इन कार्यों में मुख्यतः चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड के संबंध में परामर्शी कार्य शामिल हैं। अनुबंधों, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से आय राजकोषीय वर्ष 2021 में 38.52 करोड़ रुपये से 19.83 प्रतिशत बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2022 में 46.16 करोड़ रुपये हो गई, जो राजकोषीय वर्ष 2022 में कार्यों में वृद्धि होने के कारण थी।

विद्युत व्यापार से राजस्व

इस शीर्ष के अंतर्गत राजस्व में विद्युत व्यापार क्रियाकलाप से राजस्व शामिल है, जिन्हें कंपनी ने राजकोषीय वर्ष 2019 के दौरान शामिल किया था। विद्युत व्यापार से राजस्व राजकोषीय वर्ष 2021 में 216.48 करोड़ रुपये से कम होकर राजकोषीय वर्ष 2022 में 44.85 करोड़ रुपये हो गया, जो राजकोषीय वर्ष 2022 में विद्युत व्यापार क्रियाकलापों में गिरावट के कारण था।

अन्य प्रचालनात्मक आय

राजकोषीय वर्ष 2022 में अन्य प्रचालनात्मक आय 82.22 करोड़ रुपये थी अर्थात् राजकोषीय वर्ष 2021 में 157.52 करोड़ रुपये

की तुलना में 47.80 प्रतिशत की कमी। अन्य प्रचालनात्मक आय के कारण इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपये में)

अन्य प्रचालनात्मक आय	राजकोषीय वर्ष 2022	राजकोषीय वर्ष 2021
स्व-सृजित वीईआर/आरईसी की बिक्री से आय	52.70	1.92
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के संबंध में आय	3.61	2.96
लाभार्थी राज्यों से ब्याज	25.91	152.64
कुल	82.22	157.52

अन्य आय:

राजकोषीय वर्ष 2022 में अन्य आय 1,026.18 करोड़ रुपये थी, अर्थात् राजकोषीय वर्ष 2021 में 1,155.98 करोड़ रुपये की तुलना में 11.23 प्रतिशत की कमी। अन्य आय के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं और उन पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:

(करोड़ रुपये में)

अन्य आय	राजकोषीय वर्ष 2022	राजकोषीय वर्ष 2021
अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण पर ब्याज	66.30	60.82
सावधि जमा/निवेशों पर ब्याज	59.85	53.36
लाभांश (मुख्यतः एनएचडीसी-एक सहायक कंपनी से)	301.71	292.68
विलंब भुगतान अधिभार	229.00	532.81
कारोबार में रुकावट के कारण हानि की वसूली	161.86	0.00
देयताएं/प्रावधान, जिन्हें पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं	28.13	21.64
बीमा दावे से आय	21.34	65.05
विनियम दर भिन्नता	49.28	34.21
अन्य विविध आय	108.71	95.41
कुल	1,026.18	1,155.98

राजकोषीय वर्ष 2022 के दौरान, 229.00 करोड़ रुपये लाभार्थियों से विलंब भुगतान अधिभार के रूप में अर्जित किए गए, जो राजकोषीय वर्ष 2021 के दौरान 532.81 करोड़ रुपये था।

राजस्व वर्ष 2022 के दौरान मुख्यतः सहायक कंपनी (एनएचडीसी लि.) से निवेशों से लाभांश के रूप में 301.71 करोड़ रुपये अर्जित

किए गए, जबकि राजकोषीय वर्ष 2021 के दौरान यह राशि 292.68 करोड़ रुपये थी।

व्यय

(करोड़ रुपये में)

व्यय	राजकोषीय वर्ष 2022	राजकोषीय वर्ष 2021
विद्युत की खरीद – व्यापार	44.58	212.37
उत्पादन व्यय	841.24	854.37
कर्मचारी लाभ व्यय	1,440.78	1,393.91
वित्त लागत	531.75	571.49
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	1,126.22	1,228.65
अन्य व्यय	1,348.55	1,419.61
कुल व्यय	5,333.12	5,680.40

राजकोषीय वर्ष 2022 में कुल व्यय 6.11 प्रतिशत घटकर 5,333.12 करोड़ रुपये हो गया, जो राजकोषीय वर्ष 2021 में 5,680.40 करोड़ रुपये था, यह मुख्यतः 167.79 करोड़ रुपये तक विद्युत व्यापार खरीद में गिरावट, 13.13 करोड़ रुपये तक उत्पादन व्यय में गिरावट, 71.06 करोड़ रुपये तक अन्य व्यय में गिरावट, 39.74 करोड़ रुपये तक वित्तीय लागत में गिरावट, 102.43 करोड़ रुपये तक मूल्यहास और परिशोधन व्यय में गिरावट के कारण थी, जिसमें 46.87 करोड़ रुपये तक कर्मचारी लाभ व्यय में वृद्धि से आंशिक पूर्ति हुई। कुल आय की प्रतिशत के रूप में हमारा कुल व्यय राजस्व वर्ष 2021 में 58.79 प्रतिशत की तुलना में राजस्व वर्ष 2022 में 56.86 प्रतिशत था।

विद्युत व्यापार की खरीद

विद्युत व्यापार हेतु खरीद में व्यापार के लिए विद्युत की खरीद से संबंधित व्यय शामिल होते हैं। ये व्यय राजकोषीय वर्ष 2022 में कुल व्यय का लगभग 0.84 प्रतिशत हैं।

mRiknu 0;;

उत्पादन व्यय में जल उपकरण तथा भंडार एवं कलपुर्जों के उपभोग पर व्यय शामिल होते हैं। ये व्यय राजकोषीय वर्ष 2022 में कुल व्यय का लगभग 15.77 प्रतिशत थे जबकि व्यय राजकोषीय वर्ष 2021 में यह कुल व्यय का लगभग 15.04 प्रतिशत था। वास्तविक रूप में ये व्यय राजकोषीय वर्ष 2021 में 854.37 करोड़ रुपये की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2022 में 841.24 करोड़ रुपये हो गए थे। उत्पादन व्यय में 13.13 करोड़ रुपये की कमी मुख्यतः जम्मू एवं कश्मीर स्थित कुछ पावर स्टेशनों में कम विद्युत उत्पादन के कारण कम जल उपकरण के कारण हुई है।

कर्मचारी हितलाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय में वेतन व मजदूरी, भत्ते, प्रोत्साहन, भविष्य निधि में योगदान, कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवार्षिता योजना

में अंशदान, वेतन संशोधन का प्रभाव और अन्य कर्मचारी कल्याण निधियों से संबंधित व्यय शामिल हैं। ये व्यय राजकोषीय वर्ष 2021 में 24.54 प्रतिशत की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2022 में हमारे कुल व्यय का 27.02 प्रतिशत हैं। कर्मचारी लागत राजकोषीय वर्ष 2021 में 1,393.91 करोड़ रुपये से बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2022 में 1,440.78 करोड़ रुपये हो गई है अर्थात् राजकोषीय वर्ष 2022 में 46.87 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यतः राजकोषीय वर्ष 2022 में प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट द्वारा किए गए कुछ निवेशों की क्षति होने पर मान्य किए गए व्यय के कारण है।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार एनएचपीसी की वेतनपंजी में 5092 कर्मचारी थे जबकि 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार इनकी संख्या 5569 थी। इनमें से राजकोषीय वर्ष 2022 और राजकोषीय वर्ष 2021 में क्रमशः 2694 और 3108 कर्मचारी प्रचालन एवं रखरखाव क्षेत्रों में कार्यरत थे।

वित्त लागत

“वित्त लागत” में मुख्य रूप से बांडों तथा आवधिक ऋणों पर ब्याज खर्च शामिल हैं। लेखा बहियों में कंपनी के ऋणों को भारतीय रुपये में दर्शाया जाता है, इसमें विदेशी मुद्रा (जापानी येन) के उधार भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त लागत में विदेशी बाजार से लिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी शुल्क के तौर पर खर्च की गई कुछ राशि शामिल होती है।

वित्त लागत राजकोषीय वर्ष 2022 में कुल व्यय का 9.97 प्रतिशत थी जबकि इसकी तुलना में राजकोषीय वर्ष 2021 में यह कुल व्यय का 10.06 प्रतिशत था। वित्त लागत राजकोषीय वर्ष 2021 में 571.49 करोड़ रुपये से 6.95 प्रतिशत कम होकर राजकोषीय वर्ष 2022 में 531.75 करोड़ रुपये हो गई। वित्त लागत में कमी मुख्य रूप से राजकोषीय 2022 में ऋणों की चुकौती और भारित औसत ब्याज दर में परिवर्तन के कारण हुई है।

मूल्यहास और परिशोधन व्यय

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, मूल्यहास को स्ट्रेट लाइन पद्धति से हिसाब में लिया जाता है जो परिसंपत्तियों की लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक होता है और इसके लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 07.03.2019 की अधिसूचना के तहत निर्धारित दरों और प्रविधि का अनुसरण किया जाता है, परंतु इसमें अपवाद वाली कुछ ऐसी मदें शामिल नहीं हैं जिन पर मूल्यहास, परिसंपत्तियों की लागत के 95 प्रतिशत तक और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार विहित दरों या प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित दरों से लिया जाता है।

मूल्यहास की लागत में राजकोषीय वर्ष 2021 में 1,228.65 करोड़ रुपये की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2022 में 8.34 प्रतिशत कम होकर 1,126.22 करोड़ रुपये हो गई है। मूल्यहास व्यय में कमी मुख्य रूप से तीस्ता-V पावर स्टेशन के जीवनकाल के 12 वर्ष पूरे होने के कारण मूल्यहास व्यय में कमी के कारण है।

कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मूल्यहास और परिशोधन व्यय राजकोषीय वर्ष 2021 में 21.63 प्रतिशत से कम होकर राजकोषीय वर्ष 2022 में 21.12 प्रतिशत हो गया है।

अन्य व्यय

अन्य व्ययों में मुख्यतः भवनों तथा संयंत्र तथा मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, सुरक्षा व्यय, बीमा व्यय, विद्युत प्रभार, सीएसआर, अन्य प्रशासनिक ऊपरी खर्च, प्रावधान आदि शामिल हैं। ये व्यय राजकोषीय वर्ष 2021 में कुल व्यय के 24.99 प्रतिशत की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2022 में लगभग 25.29 प्रतिशत को दर्शाते हैं। पूर्ण रूप में ये व्यय राजकोषीय वर्ष 2021 में 1,419.61 करोड़ रुपये से लगभग 5.01 प्रतिशत कम होकर राजकोषीय वर्ष 2022 में 1,348.55 करोड़ रुपये हो गए हैं। अन्य खर्चों में 71.06 करोड़ रुपये की कमी मुख्य रूप से सीएसआर व्यय में कमी, लाभार्थी राज्यों को ब्याज, यात्रा और वाहन व्यय, सुरक्षा व्यय, बीमा व्यय आदि में वृद्धि होने से आंशिक रूप से समायोजन करके राजकोषीय वर्ष 2022 में एसएंडआई व्यय और वर्तमान परिसंपत्तियों, बीमित परिसंपत्तियों संबंधी हानि के कारण थी।

असाधारण मद

विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 और 16 मई, 2020 के निर्देशों के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण कंपनी ने अंतिम उपभोक्ताओं के लिए डिस्कामों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत विभागों को 185 करोड़ रुपये की एकमुश्त छूट दी है। उक्त छूट को राजकोषीय वर्ष 2021 में वित्तीय विवरणों में "असाधारण मद" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन (विनियामक आय)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन "संबंधी मार्गदर्शी नोट और साथ ही साथ इंड एस 114-विनियामक विलंबित लेखे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए "विनियामक परिसंपत्तियां" को सृजित किया गया है और तदनुसारी "विनियामक आय" के रूप में (-)1,270.42 करोड़ रुपये को मान्यता दी गई है। इसमें किशनगंगा पावर स्टेशन 198.35 करोड़ रुपये, मौद्रिक मदों के प्रति विनियम अंतर (-)0.17 करोड़ रुपये, वर्ष 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूली योग्य आस्थगित कर के प्रति समायोजन (-)49.52 करोड़ रुपये और टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए आस्थगित कर देयताओं के प्रति समायोजन 10.72 करोड़ रुपये, कर्मचारियों के लिए वेतन के प्रावधान के लिए (-)116.53 करोड़ रुपये लाभार्थियों को एमएटी व्यय के लिए विनियामक देनदारी 1,313.27 करोड़ रुपये पर मान्य की गई है जिसे प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार लाभ और हानि का विवरण प्रभारित किया गया है, के संबंध में टैरिफ के समायोजन के कारण मूल्यहास शामिल है। दर विनियमित आय को राजकोषीय वर्ष 2022 में नीचे उल्लिखित पांच कारकों के चलते लेखा बहियों में मान्यता प्रदान की गई है:

(i) किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ को मन्द किए जाने के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष

कंपनी ने किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ के एक घटक के रूप में मूल्यहास को मन्द किया है ताकि टैरिफ को बिक्री योग्य बनाया जा सके जिसकी सीईआरसी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इससे कंपनी पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवनकाल में प्रचालन के पहले दस वर्षों के दौरान टैरिफ में शामिल किए गए निम्नतर मूल्यहास की वसूली के लिए पात्र बनती है। तदनुसार, सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार बहियों में प्रभारित मूल्यहास के मध्य अंतर की वसूली का अधिकार है और राजकोषीय वर्ष 2022 के दौरान 198.35 करोड़ रुपये (राजकोषीय वर्ष 2021 में 195.51 करोड़ रुपये) की टैरिफ राशि के माध्यम से वसूलीयोग्य राशि को विनियामक आय के रूप में मान्यता दी गई है।

(ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनियम अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष

लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किए गए की सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान से उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर और जो आगे सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार आगे की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य है अथवा उन्हें देय है, उन्हें 1 अप्रैल, 2016 से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जा रही है। इन शेषों को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे ये परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) के पश्चात लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हों।

तदनुसार, कंपनी ने भविष्य की अवधियों में लाभार्थियों से वसूलीयोग्य राजकोषीय वर्ष 2022 के दौरान (-)0.17 करोड़ रुपये (राजकोषीय वर्ष 2021 में 1.70 करोड़ रुपये) की विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन किया है और तदनुसारी नियामक आय को मान्यता प्रदान की है।

(iii) आस्थगित कर देयताओं के प्रति प्राप्ति योग्य विलंबित कर/ विलंबित कर समायोजन के पुनर्वगीकरण के कारण देय विनियामक आस्थगित लेखा शेष

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, टैरिफ अवधि 2004-09 के लिए उत्पादक आय से उत्पन्न होने वाले विलंबित कर को वर्ष में लाभग्राहियों से वसूला जाना होता है और यह वर्तमान कर के रूप में मूर्तरूप में आता है। टैरिफ अवधि 2014-19 और 2019-24 हेतु विलंबित कर अदा किए गए वास्तविक कर पर आधारित प्रभावी कर दर द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल को सकल रूप देकर वसूली योग्य है। 31 मार्च, 2018 तक भविष्य के वर्षों में लाभग्राहियों से वसूली योग्य विलंबित कर को विलंबित कर देयता का एक समायोजन माना गया था।

इस प्रक्रिया की समीक्षा राजकोषीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (आईसीएआई की आईसी) के मत के आधार पर की गई है। ऐसा विलंबित लेखा शेष जो आईसीएआई की आईसी के अनुसार कटौती योग्य अस्थायी अंतर नहीं है जो इंड एस 12 – आयकर के अंतर्गत विलंबित कर परिसंपत्ति में परिणत होता हो बल्कि इंड एस 114 – विनियामक विलंबित लेखे के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शेष की परिभाषा को पूरा करता हो।

राजकोषीय वर्ष 2022 के दौरान बहियों में मान्यता प्राप्त विनियमित परिसंपत्तियों (+)/देयता (-) निम्नानुसार है:

टैरिफ अवधि 2009 तक के लिए प्राप्य के आस्थगित कर के संबंध में 49.52 करोड़ रुपए का उपयोग राजकोषीय वर्ष 2022 के दौरान किया गया है (राजकोषीय वर्ष 2021 – 75.46 करोड़ रुपए) तथा आस्थगित कर देयताओं (टैरिफ अवधि 2014-19 से संबंधित) 10.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति विनियामक आय के रूप में राजकोषीय वर्ष 2022 (राजकोषीय वर्ष 2021 – 6.28 करोड़ रुपए) के तौर पर की गई है।

(iv) **सीपीएसयू के वेतन संशोधन के लिए तीसरी पीआरसी की सिफारिशों के कारण मान्य किए गए व्यय के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष का सृजन**

दिनांक 01 जनवरी, 2017 से वेतन संशोधन होने के कारण पावर स्टेशनों के संबंध में उत्पन्न व्यय की मदों के संबंध में दर विनियमित आय भी सृजित की गई है, जो दर विनियमित क्रियाकलापों और सीईआरसी टैरिफ विनियमों 2014-19 संबंधी आईसीएआई के मार्गदर्शन नोट के साथ पठित इंड एस 114 के अनुसार यथाअनुमत है।

कंपनी की लाभप्रदता पर उपर्युक्त के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए और विगत में सीईआरसी द्वारा यथाअनुमत के अनुसार कंपनी ने दिनांक 31.03.2019 को समाप्त अवधि तक वेतन संशोधन के संबंध में व्यय के लिए विनियामक परिसंपत्तियां सृजित की हैं। इन शेष राशियों को उस वर्ष से समायोजित किया जाना है, जिससे वे सीईआरसी के अनुमोदन के अनुसार लाभार्थियों से वसूलनीय बनी थीं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में दो पावर स्टेशनों के संबंध में 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ को ठीक करने हेतु याचिका आदेश प्राप्त हुआ है। तदनुसार, आरडीए शेष की 116.53 करोड़ रुपये की राशि राजकोषीय वर्ष 2022 में समायोजित की गई है।

(v) **न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) और उस पर विनियामक आस्थगित लेखा (ऋण) शेष का मान्यकरण**

वर्तमान में एनएचपीसी मुख्यतः दिनांक 31.03.2017 से पूर्व चालू हुए पावर स्टेशनों के संबंध में आयकर अधिनियम,

1961 की धारा 80-1क के तहत कटौती का दावा करने के कारण एमएटी के तहत आयकर देयताओं का भुगतान कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, 2,424.58 करोड़ रुपये के उपलब्ध एमएटी ऋण में से कंपनी ने एमएटी के रूप में 1,478.62 करोड़ रुपये की राशि मान्य की है, जिसमें से 1,313.27 करोड़ रुपये लाभार्थियों को दिए जाने हैं। तदनुसार, लाभार्थियों को दिए जाने वाले एमएटी ऋण को आगे विनियामक आस्थगित लेखा (ऋण) शेष के रूप में मान्य किया गया है।

कर-पूर्व लाभ (दर विनियमित आय और एमएटी ऋण प्रभाव सहित)

ऊपर दिए गए कारणों के चलते हमारा कर पूर्व लाभ राजकोषीय वर्ष 2021 में 3,925.19 करोड़ रुपये से 8.40 प्रतिशत बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2022 में 4,255.06 करोड़ रुपये हो गया है।

कर व्यय

राजकोषीय वर्ष 2022 में, हमने कर व्ययों हेतु (-) 761.27 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए थे जबकि राजकोषीय वर्ष 2021 में यह राशि 680.13 करोड़ रुपये थी। राजकोषीय वर्ष 2022 में कर व्ययों में कमी 1,453.46 करोड़ रुपये के आस्थगित कर व्यय में कमी के कारण है जो 3.00 करोड़ रुपये तक पहले के वर्ष और 9.06 करोड़ रुपये की वर्तमान करों में वृद्धि के चलते आंशिक रूप से समायोजित हुई है।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) जिसमें निर्धारित लाभ योजना का पुनः मापन और इक्विटी तथा ऋण लिखत में उचित मूल्य लाभ/हानि शामिल है, राजकोषीय वर्ष 2021 में 7.20 करोड़ रुपये की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2022 में 12.76 करोड़ रुपये थे।

कुल व्यापक आय (टीसीआई)

कुल व्यापक आय (टीसीआई) अर्थात ओसीआई सहित कुल लाभ राजकोषीय वर्ष 2022 में 9.17 प्रतिशत की वृद्धि होकर 3,550.47 करोड़ रुपये था जबकि यह परिसंपत्तियों की बिक्री राजकोषीय वर्ष 2021 में 3,252.26 करोड़ रुपये थी।

नकदी तथा पूंजी संसाधन

नकदी के आंतरिक तथा बाहरी दोनों स्रोतों का उपयोग कार्यशील पूंजी आवश्यकता और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। सामान्यतः दीर्घावधि ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण अथवा भारतीय रुपये या विदेशी मुद्रा में बॉण्ड जारी करके जुटाए जाते हैं। 31 मार्च, 2022 तथा 2021 की स्थिति के अनुसार नकदी तथा बैंक शेष क्रमशः 937.78 करोड़ रुपये और 145.57 करोड़ रुपये थे।

नकदी प्रवाह

(करोड़ रुपये में)

	राजकोषीय वर्ष 2022	राजकोषीय वर्ष 2021
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह / (बहिर्वाह)	6,140.79	4,526.91
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह / (बहिर्वाह)	(4,872.34)	(1,605.14)
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह / (बहिर्वाह)	(476.24)	(2,785.07)

प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी

राजकोषीय वर्ष 2022 में, 'प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी' 6,140.79 करोड़ रुपये और 'कर पूर्व लाभ तथा विनियामक आय से पूर्व तथा अपवादजनक मदों के पश्चात' लाभ 4,046.81 करोड़ रुपये था। प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी को मुख्यतः 1,126.22 करोड़ रुपये के मूल्यहास, 531.75 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय, प्रावधानों के प्रति 42.54 करोड़ रुपये, टैरिफ समायोजन (हानि) के लिए 34.70 करोड़ रुपये, एफईआरवी के चलते बिक्री समायोजनों के प्रति 44.02 करोड़ रुपये, परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/पश्चलेखन किए गए दावों के प्रति 12.55 करोड़ रुपये, मूल्यहास के प्रति अग्रिम के कारण विलंबित राजस्व हेतु 48.25 करोड़ रुपये, पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 28.13 करोड़ रुपये, लाभांश आय के कारण 301.71 करोड़ रुपये, जमा/निवेश तथा अन्य गैर-प्रचालनशील मदों पर अर्जित ब्याज के प्रति 384.34 करोड़ रुपये, विनिमय दर भिन्नता (लाभ) के लिए 49.28 करोड़ रुपये, सरकारी अनुदानों के परिशोधन के लिए 33.20 करोड़ रुपये सहायक कंपनियों से परामर्शी शुल्कों के समायोजन के लिए 2.04 करोड़ रुपये जैसी गैर-नकदी मदों के समायोजन के पश्चात निकाला गया है। प्रचालन परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का नकदी अंतर्वाह पर 1,880.19 करोड़ रुपये का प्रभाव हुआ है जो माल-सूची, व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम, अन्य, वित्तीय देयताएं और प्रावधानों में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण था।

राजकोषीय वर्ष 2021 में 'प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी' 4,526.91 करोड़ रुपये थी, कर पूर्व लाभ तथा विनियामक आय से पूर्व तथा अपवादजनक मदों के पश्चात लाभ 3,797.16 करोड़ रुपये था। प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी को मुख्यतः 1,228.65 करोड़ रुपये के मूल्यहास, 571.49 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय, प्रावधानों के प्रति 220.40 करोड़ रुपये, एफईआरवी के खाता पर बिक्री समायोजनों के प्रति 50.03 करोड़ रुपये, परिसंपत्तियों की बिक्री/बट्टे खाते दावों पर हानि 8.69 करोड़ रुपये, मूल्यहास के प्रति अग्रिम के कारण विलंबित राजस्व हेतु 48.38 करोड़ रुपये, पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 21.82 करोड़ रुपये, लाभांश आय के कारण 292.68 करोड़ रुपये, जमा/निवेश तथा अन्य गैर-प्रचालनशील मदों पर विलंब भुगतान अधिभार के प्रति 680.14

करोड़ रुपये, विनिमय दर भिन्नता (लाभ) के प्रति 34.21 करोड़ रुपये, सरकारी अनुदानों के परिशोधन के लिए 32.26 करोड़ रुपये, सहायक कंपनियों से परामर्शी शुल्कों के समायोजन के लिए 2.63 करोड़ रुपये जैसी गैर-नकदी मदों के समायोजन के पश्चात निकाला गया है। प्रचालन परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का नकदी अंतर्वाह पर 343.25 करोड़ रुपये का प्रभाव हुआ है जो माल-सूची, व्यापार प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम, अन्य वित्तीय देयताएं और प्रावधानों में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण था।

निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी

राजकोषीय वर्ष 2022 में निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी 4,872.34 करोड़ रुपये थी। यह मुख्यतः अचल परिसंपत्तियों यथा संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों तथा निर्माण परियोजनाओं पर 4,311.03 करोड़ रुपये के व्यय, संयुक्त उद्यम में निवेश के प्रति 451.56 करोड़ रुपये और सहायक कंपनियों में निवेश के प्रति 744.18 करोड़ रुपये के व्यय को दर्शाता है जिसे आंशिक रूप से जमा/निवेश पर 329.94 करोड़ रुपये की ब्याज आय, लाभांश आय के प्रति 301.71 करोड़ रुपये और परिसंपत्तियों की बिक्री पर 2.78 करोड़ रुपये की राशि से समायोजित किया गया था।

राजकोषीय वर्ष 2021 में निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी 1,605.14 करोड़ रुपये थी। यह मुख्यतः अचल परिसंपत्तियों यथा संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों तथा निर्माण परियोजनाओं पर 1,861.69 करोड़ रुपये के व्यय और संयुक्त उद्यम में निवेश के प्रति 500.00 करोड़ रुपये और सहायक कंपनियों के निवेश के लिए 280.41 करोड़ रुपये के व्यय को दर्शाता है जिसे आंशिक रूप से जमा/निवेश और विलंब भुगतान अधिभार पर 743.63 करोड़ रुपये की ब्याज आय, लाभांश आय के प्रति 292.68 करोड़ रुपये और परिसंपत्तियों की बिक्री पर 0.25 करोड़ रुपये की राशि से समायोजित किया गया था।

वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी

राजकोषीय वर्ष 2022 में, वित्तपोषण क्रियाकलापों में प्रयुक्त हमारी निवल नकदी प्रवाह 476.24 करोड़ रुपये थी। हमने घरेलू बैंकों से 4,114.26 करोड़ रुपये जुटाए। 1,398.18 करोड़ का ऋण का भुगतान किया गया। पट्टा देयता और ब्याज के पुनर्भुगतान के कारण हमारा नकदी बहिर्वाह 3.80 करोड़ रुपये था। ब्याज भुगतान से संबंधित राशि 1,521.05 करोड़ रुपये थी। राजकोषीय वर्ष 2022 में कुल लाभांश 1,667.48 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

राजकोषीय वर्ष 2021 में वित्त-पोषण क्रियाकलापों पर हमारा निवल नकदी बहिर्वाह 2,785.05 करोड़ रुपये था। हमने घरेलू सावधि ऋणों तथा बाण्डों से 2,327.03 करोड़ रुपये जुटाए। 2,116.14 करोड़ रुपये के ऋणों की चुकौती की गई थी। ब्याज सहित पट्टा देनदारी से संबंधित राशि 4.96 करोड़ रुपये थी। ब्याज सर्विसिंग का राशि 1,413.93 करोड़ रुपये थी। राजकोषीय वर्ष 2021 में भुगतान किया गया कुल लाभांश 1,577.07 करोड़ रुपये था।

तुलन पत्र की मर्दें
तुलन पत्र की मुख्य बार्तें

परिसंपत्तियां (करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च को	
	2022	2021
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, प्रगतिशील पूंजीगत कार्य, परिसंपत्ति उपयोग अधिकार, निवेश परिसंपत्ति, अमूर्त परिसंपत्ति	41,389.11	38,788.09
गैर-वर्तमान निवेश	5,414.34	3,921.68
दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम	1,017.59	920.27
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4,502.78	4,940.27
गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	9.52	0.00
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	3,753.96	3,560.71
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	56,087.30	52,131.02
वर्तमान परिसंपत्तियां		
मालसूची	130.30	124.42
प्राप्य व्यापार	4,621.48	4,532.49
नकदी और बैंक शेष	1,160.71	913.96
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	55.68	48.08
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	731.73	1,067.12
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	123.17	165.73
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	441.14	372.08
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	7,264.21	7,223.88
विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	6,948.11	6,902.93
कुल परिसंपत्तियां और विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	70,299.62	66,257.83

इक्विटी और देयताएं (करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च को	
	2022	2021
इक्विटी		
इक्विटी शेयर पूंजी	10,045.03	10,045.03
अन्य इक्विटी	23,441.07	21,558.08
निवल मूल्य	33,486.10	31,603.11

गैर-वर्तमान देयताएं		
दीर्घावधिक ऋण	23,179.49	21,241.22
अन्य वित्तीय देयताएं	2,088.04	2,054.34
दीर्घावधिक प्रावधान	48.05	28.38
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	2,100.74	3,589.36
अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	2,026.16	2,034.79
कुल गैर-वर्तमान देयताएं	29,442.48	28,948.09
वर्तमान देयताएं		
अल्पावधि ऋण	2,851.03	2,121.56
व्यापार भुगतान	189.57	198.27
अन्य वित्तीय देयताएं	1,370.72	1,532.97
अन्य वर्तमान देयताएं	510.70	565.85
अल्पावधिक प्रावधान	1,135.75	1,252.98
वर्तमान कर देयताएं (निवल)	0.00	35.00
कुल वर्तमान देयताएं	6,057.77	5,706.63
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	1,313.27	0.00
कुल इक्विटी, देयताएं और विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	70,299.62	66,257.83

वित्तीय स्थिति

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई), प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी), परिसंपत्ति उपयोग अधिकार (आरओयू), निवेश परिसंपत्ति, अमूर्त परिसंपत्ति

हमारे पीपीई जिसमें भूमि, बांध, सुरंग, पावर हाउस भवन, निर्माण उपस्कर, संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपस्कर, कंप्यूटर सहित भवन शामिल हैं, मूल्यह्रास के बाद 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 19,024.55 करोड़ रुपये और 19,174.60 करोड़ रुपये थे।

हमारी परियोजनाओं पर प्रगतिशील पूंजीगत कार्य जिसमें हाइड्रोलिक कार्य, हमारी विद्युत परियोजनाओं में विद्युत गृह भवन, निर्माण उपस्कर, संयंत्र और मशीनरी और एस एंड आई कार्यों सहित भवन शामिल हैं, 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 20,573.84 करोड़ रुपये और 17,852.56 करोड़ रुपये थे।

उपयोग अधिकार के तहत वन भूमि सहित उपयोग अधिकार परिसंपत्ति (आरओयू) और अन्य पट्टे की संपत्ति 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 1,783.12 करोड़ रुपये और 1,752.92 करोड़ रुपये थी।

निवेश संपत्ति में बंगलौर में 4.49 करोड़ रुपये राशि का एक भूखंड शामिल है।

31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से युक्त अमूर्त संपत्तियां क्रमशः 3.11 करोड़ रुपये और 3.52 करोड़ रुपये थी।

निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और इन्हें लागत आधार पर वहन किया जाता है जिनमें सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों, सरकारी प्रतिभूतियों और बॉण्डों में इक्विटी निवेश शामिल होता है। 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को हमारा कुल निवेश क्रमशः 5,414.34 करोड़ रुपये और 3,921.68 करोड़ रुपये था।

निवेश में वृद्धि सहायक कंपनियों में निवेश, हमारी संयुक्त उद्यम कंपनियों में से एक में निवेश में वृद्धि और इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के उचित मूल्य में वृद्धि का निवल प्रभाव है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियों में 1,511.74 करोड़ रुपये का नया निवेश किया है। कंपनी ने मूल निवेश 30.40 करोड़ रुपये की तुलना में नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एक संयुक्त उद्यम कंपनी) में किए गए निवेश के संबंध में 14.07 करोड़ रुपये का क्षति प्रावधान भी किया है।

ऋण (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

ऋणों में हमारे कर्मचारियों को और अरुणाचल प्रदेश सरकार एवं नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी लिमिटेड (एनएचपीटीएल) को प्रदान किए गए ऋण ब्याज सहित शामिल हैं। 31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार ऋण क्रमशः 1,073.27 करोड़ रुपये और 968.35 करोड़ रुपये थे अर्थात पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में इसमें 10.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो मुख्यतः 31 मार्च, 2022 के दौरान अरुणाचल प्रदेश सरकार को ब्याज सहित ऋण वृद्धि, एनएचपीटीएल और कर्मचारी के ऋणों में वृद्धि के कारण है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 5,234.51 करोड़ रुपये हैं जबकि पिछले राजकोषीय वर्ष में यह 6,007.39 करोड़ रुपये थी अर्थात पिछले राजकोषीय वर्ष के आकड़ों से 12.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बाण्ड के कारण प्राप्य राशि, प्राप्य पट्टा किराया, बैंक जमा पर प्रोदभूत ब्याज आय, विभिन्न एजेंसियों से प्राप्य दावा, शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन, संयुक्त उद्यम कंपनी को दी गई शेयर आवेदन राशि, सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य और बिल न किए गए राजस्व से प्राप्य शामिल है।

राजकोषीय वर्ष 2021 के आकड़ों की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2022 में 12.87 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः शेयर अनुप्रयोग राशि में कमी लम्बित आवंटन, विभिन्न एजेंसियों से वसूली योग्य दावा आंशिक रूप से बिल न किए गए राजस्व और विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य में कमी से समायोजन के कारण हुई है।

कर परिसंपत्तियां (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान)

31 मार्च, 2022 तथा 2021 के अनुसार कर परिसंपत्तियां क्रमशः 132.69 करोड़ रुपये तथा 165.73 करोड़ रुपये थी अर्थात पिछले राजकोषीय वर्ष के आंकड़ों से 19.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कर परिसंपत्तियों में अग्रिम आयकर,स्रोत पर कटौती किया गया कर और राजकोषीय वर्ष 2020-21 तक वर्तमान कर के लिए उपरोक्त प्रावधान शामिल है।

अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां, अग्रिम (पूजी के साथ-साथ पूजी के अलावा अन्य) और माध्यस्थम निर्णयों के प्रति संविदाकार के अग्रिम शामिल हैं। 31 मार्च, 2022 तथा 2021 के अनुसार हमारी अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां क्रमशः 3,753.96 करोड़ रुपये तथा 3,560.71 करोड़ रुपये थी। राजकोषीय वर्ष 2021 के आंकड़ों की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2022 में 5.43 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः माध्यस्थम निर्णयों के प्रति संविदाकार को अग्रिम पूजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिमों में वृद्धि आंशिक रूप से आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव वाली परिसंपत्तियों में कमी से समायोजन के कारण हुई है।

माल-सूची

माल-सूचियों का मूल्यांकन लागत पर अथवा उनके वसूली योग्य कुल मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2022 और 2021 के अनुसार हमारी माल-सूचियों का मूल्य क्रमशः 130.30 करोड़ रुपये और 124.42 करोड़ रुपये आंका गया था।

व्यापार प्राप्य

इसमें मुख्यतः विद्युत की बिक्री और बिल न किए गए राजस्व वाली प्राप्तियाँ शामिल हैं। इसमें बिल 31 मार्च, 2022 और 2021 को प्राप्य व्यापार (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का निवल) क्रमशः 4,621.48 करोड़ रुपये और 4,532.49 करोड़ रुपये थे। राजकोषीय वर्ष 2021 की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2022 में व्यापार प्राप्य में 1.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो लाभार्थियों से बकाया देयों में अधिक वसूली के चलते है।

नकद और बैंक शेष

तुलन-पत्र की तिथि को नकदी और बैंक शेष के अंतर्गत कंपनी के चालू खाते में तुलन पत्र जारी करने की तारीख को रोकड़ अधिशेष और अल्पावधि जमा राशियां, तथा ग्रामीण सड़कों के विकास के संबंध में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना की स्थापना से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से संबंधित निर्माण लागत के रूप में सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अग्रिमों में से खर्च नहीं हो सकी अतिशेष राशि शामिल है।

31 मार्च, 2022 और 2021 को कंपनी के पास नकद और बैंक शेष के रूप में क्रमशः 937.78 करोड़ रुपये और 145.57 करोड़ रुपये थे। राजकोषीय वर्ष 2022 में इसमें 792.21 करोड़ रुपये

की वृद्धि निवेश क्रियाकलापों में 6,140.79 करोड़ रुपए के नकदी बहिर्वाह के कारण हुई है जिसे प्रचालन तथा वित्त-पोषण क्रियाकलापों के कारण क्रमशः 4,872.34 करोड़ रुपए और 476.24 करोड़ रुपए के नकदी अंतरवाह से समायोजित किया गया है।

नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष 31 मार्च, 2022 और 2021 को क्रमशः 222.93 करोड़ रुपए और 768.39 करोड़ रुपये थे।

हमारे नकदी तथा बैंक शेष में 86.76 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 155.81 करोड़ रुपये) शामिल है, जो ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यों के लिए रखी गई थी जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और इसमें 136.17 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 112.58 करोड़ रुपये) का अदा न किया गया लाभांश तथा ब्याज शामिल है जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं था।

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त जमा तथा अग्रिम, पूर्व प्रदत्त व्यय और विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां शामिल हैं। 31 मार्च, 2022 तथा 2021 को हमारी अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां क्रमशः 441.14 करोड़ रुपये और 372.08 करोड़ रुपये की थी, अर्थात् राजकोषीय वर्ष 2021 की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2022 में इन परिसंपत्तियों में 18.56 प्रतिशत की कमी हुई है।

विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी “दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन” संबंधी मार्गदर्शी नोट और साथ ही साथ इंड एस 114-विनियामक विलंबित लेखे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए “विनियामक परिसंपत्तियां” को सृजित किया गया है और तदनुसारी “विनियामक आय” को मान्यता दी गई है।

31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 की यथास्थिति अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष निम्नवत थे:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष	3,470.59	3,470.59
तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन	456.38	570.58
किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में टैरिफ को मंद किए जाने के कारण विभेदीय मूल्यहास	761.46	563.11
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	1.55	1.72

2009 तक की अवधि के लिए वसूलीयोग्य विलंबित कर के प्रति समायोजन	1,404.04	1,453.56
टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए आस्थगित कर देयताओं के प्रति समायोजन	854.09	843.37
कुल	6,948.11	6,902.93

निवल मूल्य

राजकोषीय वर्ष 2022 के अंत में कंपनी का निवल मूल्य पिछले राजकोषीय वर्ष के 31,603.11 करोड़ रुपये से 5.96 प्रतिशत बढ़कर 33,486.10 करोड़ रुपये हो गया है जो मुख्यतः कर पश्चात लाभ में कमी और प्रतिधारित आय में वृद्धि के कारण है।

दीर्घावधिक उधारियां

दीर्घावधि उधारियों में राजकोषीय वर्ष में 14,517.90 करोड़ रुपये, 2,658.00 करोड़ रुपये और 5,990.71 करोड़ रुपये के क्रमशः बांड, सुरक्षित सावधि ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण सहित असुरक्षित ऋण शामिल हैं जबकि राजकोषीय वर्ष 2021 में ये क्रमशः 15,679.99 करोड़ रुपये, 316.00 करोड़ रुपये और 5,235.00 करोड़ रुपये थे। सुरक्षित ऋणों में घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार के साथ-साथ पूंजी बाजार में कार्पोरेट बॉन्ड से प्राप्त राशियां भी शामिल हैं जो कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रति सुरक्षित हैं।

पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में 9.13 प्रतिशत की सीमा तक दीर्घावधि ऋण में वृद्धि मुख्यतः आंशिक रूप से बॉण्डों के मोचन तथा ऋण की चुकौती से समायोजित करके पावर स्टेशन की इक्विटी पर रिटर्न के प्रतिभूतित सहित घरेलू बैंकों से ऋण के संदर्भ में है।

अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान और गैर-वर्तमान)

अन्य वित्तीय देयताएं में सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बांडों, भारत के दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता, अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं, ईएमडी/प्रतिधारण राशि, आदि के लिए देय राशि शामिल है। 31 मार्च, 2022 को अन्य वित्तीय देयताएं 3,458.76 करोड़ रुपये थी जबकि इसकी तुलना में पिछले राजकोषीय वर्ष में यह 3,587.31 करोड़ रुपये थी अर्थात् पिछले राजकोषीय वर्ष के आंकड़ों पर 3.58 प्रतिशत की कमी हुई है।

प्रावधान (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान)

प्रावधानों में निष्पादन संबंधी वेतन, अधिवर्षिता/पेंशन निधि, कर्मचारी लाभ के प्रति प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन), वेतन संशोधन हेतु प्रावधान – तीसरी वेतन संशोधन समिति, प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान तथा अन्य प्रावधान आदि के लिए किए गए प्रावधान शामिल हैं। कुल प्रावधान 31 मार्च, 2022 को 1,183.80 करोड़ रुपये के थे जबकि इसकी तुलना में पिछले राजकोषीय वर्ष हेतु यह 1,281.36 करोड़ रुपये थे अर्थात् पिछले राजकोषीय वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 7.61 प्रतिशत की कमी हुई थी।

आस्थगित कर देयताएं

31 मार्च, 2022 स्थिति के अनुसार आस्थगित कर देयताएं 2,100.74 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले राजकोषीय वर्ष में यह 3,589.36 करोड़ रुपये की थी।

अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अन्य गैर-वर्तमान देयताएं 2,026.16 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले राजकोषीय वर्ष में यह 2,034.60 करोड़ रुपये की थी। अन्य गैर-वर्तमान देयताओं में अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम) और सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।

अल्पावधिक ऋण

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि ऋण 2,851.03 करोड़ रुपये हैं जबकि यह पिछले राजकोषीय वर्ष में 2,121.56 करोड़ रुपये था। अल्पावधि ऋणों में व्यापार प्राप्तियों के विरुद्ध छूट वाले बिलों के कारण लाभार्थियों द्वारा बैंकों को देय राशि और दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता शामिल है।

व्यापार देय

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार देय व्यापार 189.57 करोड़ रुपये है जबकि पिछले राजकोषीय वर्ष हेतु यह 198.27 करोड़ रुपये थे अर्थात् पिछले राजकोषीय वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 4.39 प्रतिशत की कमी हुई है।

अन्य वर्तमान देयताएं

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अन्य वर्तमान देयताएं 510.70 करोड़ रुपये थी जबकि इसकी तुलना में पिछले राजकोषीय वर्ष में यह 565.85 करोड़ रुपये थी अर्थात् पिछले राजकोषीय वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 9.75 प्रतिशत की कमी हुई है।

वर्तमान कर देयताएं

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार वर्तमान कर देयताएं शून्य थी जबकि पिछले राजकोषीय वर्ष में यह 35.00 रुपये थी। यह राजकोषीय वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम आयकर और टीडीएस से अधिक वर्तमान कर के अतिरिक्त प्रावधान के कारण है।

तुलन-पत्र से इतर मद

आकस्मिक देनदारियां

निम्नलिखित तालिका में राजकोषीय वर्ष 2022 और 2021 के लिए एनएचपीसी की आकस्मिक देनदारियां दिखाई गई हैं:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2022	राजकोषीय वर्ष 2021
कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण नहीं माने गये हैं		
पूंजीगत कार्य	9,546.17	9,480.36
भूमि मुआवजे के मामले	217.01	235.04
विवादित आयकर मामले और अन्य मदें	1,357.74	1,325.22
कुल	11,120.92	11,040.62

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 11,40.62 करोड़ रुपये की आकस्मिक देयताएं 0.73 प्रतिशत बढ़कर यह 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 11,120.92 करोड़ रुपये हो गई थी।

सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों की व्यावसायिक एवं वित्तीय समीक्षा

एनएचपीसी की सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड को एनएचपीसी लिमिटेड (51.08 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (48.92 प्रतिशत) का एक संयुक्त उद्यम के रूप में दिनांक 01.08.2000 को निगमित किया गया था और इसकी प्राधिकृत पूंजी 3,000 करोड़ रुपये की है। एनएचडीसी ने इंदिरा सागर विद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) को चालू किया है। 31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए राजकोषीय वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड की कुल आय क्रमशः 1,085.29 करोड़ रुपये और 1,349.06 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए राजकोषीय वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड का कर पश्चात लाभ क्रमशः 512.96 करोड़ रुपये और 670.70 करोड़ रुपये था। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 1,962.58 करोड़ रुपए है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 1,002.42 करोड़ रुपए है।

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना दिनांक 23.10.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड (74 प्रतिशत) और मणिपुर सरकार (26 प्रतिशत) के संयुक्त उद्यम के रूप में 230 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी से की गयी थी। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 138.09 करोड़ रुपए है जिसमें एनएचपीसी का योगदान 103.34 करोड़ रुपए है। कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है।

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड

बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को दिनांक 02.02.2015 को एनएचपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था जिसमें एनएचपीसी की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत से कम नहीं थी। कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 450.00 करोड़ रुपये है। कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी 97.17 करोड़ रुपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 84.22 करोड़ रुपये (86.67 प्रतिशत) है। कंपनी ने अभी प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है।

लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल):

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, एनएचपीसी ने दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड का अधिग्रहण अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया है। अधिग्रहण एनएचपीसी द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना के अनुसार किया गया था और राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। कंपनी

की प्राधिकृत शेयर पूंजी 2,500.00 करोड़ रुपए है। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 1,440.50 करोड़ रुपए है, जिसमें एनएचपीसी द्वारा 100 प्रतिशत अंशदान किया गया है। कंपनी तीस्ता-VI जल विद्युत परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है।

जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एनएचपीसी ने दिनांक 31.03.2021 को 165.00 करोड़ रुपये में सीआईआरपी के तहत जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किया है और यह कंपनी उक्त तारीख से एनएचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। एनएचपीसी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के अनुसार अधिग्रहण किया गया था और इसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 350.00 रुपये करोड़ है। कंपनी की कुल चुकता पूंजी 281.49 करोड़ रुपये है। कंपनी 120 मेगावाट रंगित-IV जलविद्युत परियोजना के निर्माण में लगी है जिसमें एनएचपीसी का 100% योगदान है।

रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिनांक 01.06.2021 को एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) के संयुक्त उद्यम के रूप में क्रमशः 51:49 की इक्विटी भागीदारी के साथ निगमित किया गया था। कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1,600.00 करोड़ रुपये है। कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 185.14 करोड़ रुपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 136.14 करोड़ रुपये (73.53 प्रतिशत) है। कंपनी ने अभी प्रचालन शुरू नहीं किया है।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में गठन दिनांक 13.06.2011 को एनएचपीसी लिमिटेड (49 प्रतिशत), जेकेएसपीडीसी (49 प्रतिशत) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (2 प्रतिशत) के संयुक्त उद्यम के रूप में किया था, जिसके पास चिनाब नदी बेसिन में पाकल दुल, किरु और क्वार जल-विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए 5,200 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी है। कंपनी की प्रदत्त शेयरपूंजी 3,336.45 करोड़ रुपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 1,839.56 करोड़ रुपये है। वर्ष के दौरान एनएचपीसी लिमिटेड ने 4.19 करोड़ रुपये की राशि के लिए सीवीपीपीपीएल में पीटीसी इंडिया लिमिटेड की इक्विटी अर्जित की है। शेयर अर्जित करने के कारण सीवीपीपीपीएल में कंपनी की शेयरधारिता दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 55.13 प्रतिशत है। कंपनी ने अभी प्रचालन शुरू नहीं किया है।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)

एनएचपीटीएल को दिनांक 22.05.2009 को प्रत्येक की 25 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी के साथ एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था। राजकोषीय वर्ष 2013 के

दौरान केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान भी इस संयुक्त उद्यम में शामिल हो गया है जिससे इक्विटी भागीदारी प्रत्येक संयुक्त उद्यम भागीदार हेतु 20 प्रतिशत हो गई है। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य देश में शॉर्ट-सर्किट परीक्षण सुविधा वाली एक ऑन-लाइन हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी की स्थापना करना है तथा इसकी प्राधिकृत पूंजी 153 करोड़ रुपए है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 152 करोड़ रुपये है जिसमें से एनएचपीसी का योगदान 30.40 करोड़ रुपये है। कंपनी ने राजकोषीय वर्ष 2018 के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ कर दिया है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त राजकोषीय वर्ष के लिए कंपनी ने 20.03 करोड़ रुपए की हानि वहन की है जबकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हानि 19.08 करोड़ रुपए थी।

एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण:

समेकित वित्तीय विवरण इंड-एस 110 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और इंड-एस 28 - 'एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार तैयार किये गये हैं जो इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हैं।

परिणामों का संक्षिप्त सार समेकित आधार पर नीचे दिया गया है:
(करोड़ रुपये में)

ब्यौरा	राजकोषीय वर्ष 2022	राजकोषीय वर्ष 2021
कुल आय	10,152.84	10,710.86
कुल व्यय	5,724.01	6,137.80
कर पश्चात लाभ (अनियंत्रित कर समायोजित करने के पश्चात)	3,523.57	3,271.78

समेकित तुलन पत्र की मुख्य विशेषताएं

(करोड़ रुपये में)

ब्यौरा	राजकोषीय वर्ष 2022	राजकोषीय वर्ष 2021
गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	61,189.62	56,533.55
वर्तमान परिसंपत्तियां	8,846.15	9,389.89
विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	7,248.73	7,203.55
कुल	77,284.50	73,126.99
कुल इक्विटी	37,783.85	35,888.62
गैर वर्तमान देयताएं	30,877.62	30,271.56
वर्तमान देयताएं	6,606.31	6,203.03
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	2,016.72	763.78
कुल	77,284.50	73,126.99

प्रमुख वित्तीय अनुपात (एकल आधार)

क्र. सं.	अनुपात	राजकोषीय वर्ष 2022	राजकोषीय वर्ष 2021	अंतर प्रतिशत
1	देनदार टर्नओवर अनुपात (प्रचालनों से राजस्व/औसत देनदार)	1.81	1.65	9.70%
2	मालसूची टर्नओवर अनुपात (प्रचालनों से राजस्व/औसत देनदार)	62.59	65.71	(-) 4.75%
3	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (आईएससीआर) # (कर पश्चात लेकिन ब्याज पूर्व लाभ तथा मूल्यहास/ब्याज)	7.18	6.60	8.79%
4	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) # (कर पश्चात लेकिन ब्याज पूर्व लाभ तथा मूल्यहास/पुट विकल्प के अंतर्गत भुगतान को छोड़कर मूलधन का पुर्नभुगतान और ब्याज)	3.62	3.03	19.47%
5	वर्तमान अनुपात (वर्तमान परिसंपत्तियां वर्तमान देयताएं)	1.20	1.27	(-) 5.51%
6	ऋण इक्विटी अनुपात(प्रदत्त ऋण पूंजी/शेयरधारकों की इक्विटी)	0.84	0.80	5.00%
7	प्रचालनात्मक लाभ मार्जिन (प्रचालनात्मक लाभ/प्रचालनों से राजस्व)	43.50%	42.24%	2.98%
8	निवल लाभ मार्जिन (निवल लाभ/प्रचालनों से राजस्व)	42.35%	38.15%	11.01%
9	पीई अनुपात (प्रति शेयर बाजार मूल्य*/प्रति शेयर आय)	7.90	7.57	4.36%
10	ईबीआईटीडीए (करोड़ रुपये में)	5,704.66	5,599.00	1.89%
11	ईबीआईटीडीए मार्जिन (ईबीआईटीडीए/प्रचालनों से राजस्व)	68.29%	65.82%	3.75%

आईएससीआर और डीएससीआर की गणना के लिए, परिचालन परियोजनाओं के ऋण के प्रति ब्याज की राशि और मूलधन की चुकौती पर विचार किया गया है।

* बाजार मूल्य प्रति शेयर के लिए संबंधित राजकोषीय वर्ष के 31 मार्च को समापन मूल्य पर विचार किया गया है।

निवल मूल्य पर आय (पीएटी/औसत शेयरधारक इक्विटी)

कंपनी के निवल मूल्य पर प्रतिफल पिछले राजकोषीय वर्ष 2021 में 10.55 प्रतिशत से बढ़ कर राजकोषीय वर्ष 2022 में 10.87 प्रतिशत हो गया था और इस प्रकार इसने 3.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो मुख्यतः कर पश्चात लाभ में कमी और प्रतिधारित आय में वृद्धि के आंशिक समायोजन के कारण था।

34.13. मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध के संदर्भ में उल्लेखनीय विकास

आपकी कंपनी के पास प्रतिबद्ध पेशेवरों की एक अत्यधिक प्रतिभाशाली टीम है और यह कंपनी सर्वोत्तम प्रतिभा को शामिल करने, इसे विकसित करने और धारित रखने में सक्षम है। एनएचपीसी देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा प्राप्त करने का प्रयास करती है। यह उनके ज्ञान और कौशल में सुधार के अवसर प्रदान करके प्रतिभा को पोषित करने और इसे धारित रखने की दिशा में कार्य कर रही है। पूरे संगठन में जॉब रोटेशन और इंटर-लोकेशन ट्रांसफर करियर के नियोजित विकास की सुविधा प्रदान करती है और कर्मचारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। कर्मचारियों के साथ सूचना साझा करने, उनका समर्थन, सुझाव और सहयोग मांगने के माध्यम से कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

(i) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों हेतु विभिन्न विकासात्मक

कार्यक्रमों का आयोजन करती है ताकि उनके व्यवहार एवं प्रबंधकीय कौशलों और कोर दक्षताओं में सुधार हो सके। कंपनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम या तो आंतरिक रूप से आयोजित किए जाते हैं या प्रमुख प्रबंधन या अभियांत्रिकी संस्थानों के माध्यम से। ये कार्यक्रम कर्मचारियों को अपने प्रचालन के क्षेत्रों में नवीनतम घटनाओं से अवगत रखने में सहायता करते हैं। उक्त के अतिरिक्त, एनएचपीसी नियमित रूप से अपने कार्यपालकों को उच्चतर योग्यताएं तथा विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए भी प्रायोजित कर रही है जिससे उनकी उत्पादकता तथा प्रभावकारिता में सुधार हो।

(ii) कर्मचारी संख्या

31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार कंपनी की कर्मचारी संख्या 5,092 (3,162 कार्यपालक, 173 पर्यवेक्षक और 1,753 कामगार) थी।

(iii) महिला कर्मचारियों हेतु कल्याणकारी उपाय

31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार एनएचपीसी में महिला कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत नीचे तालिका में दिया गया है:

कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	समग्र कर्मचारी संख्या का %
5092	545	10.70

महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाये गए कदम:

- महिला कर्मचारियों को महिला सशक्तीकरण और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार में भाग लेने के लिए नियमित रूप से नामित किया जाता है।
- 18 वर्ष तक के 2 बच्चों (न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं) की देखभाल अथवा परीक्षा, बीमारी आदि जैसी उनकी किसी आवश्यकता के लिए महिला कर्मचारी 730 दिवस तक वेतन सहित "चाइल्ड केयर लीव" की पात्र है।
- चिकित्सा नियमों के तहत माता-पिता/सास-ससुर को अपने आश्रितों में शामिल करने की घोषणा करने का विकल्प दिया गया है।
- महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों/परिवादों की जांच के लिए कंपनी के विभिन्न कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया गया है।
- कर्मचारियों की पदोन्नति/भर्ती के लिए गठित चयन बोर्ड/समिति में महिला प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है।
- महिला कर्मचारी सेवा नियमों के अनुसार मातृत्व छुट्टी का लाभ ले सकती हैं।
- एनएचपीसी निगम मुख्यालय, फरीदाबाद में शिशु गृह सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- निगम मुख्यालय में महिला कर्मचारियों को उपस्थित के समय में छूट दी गई है।
- निगम मुख्यालय में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं फोरम (डब्ल्यूआईपीएस) प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याणकारी उपाय और आरक्षण

आपकी कंपनी डीओपीटी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण और छूट प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार करते समय छूट मानक और आरक्षण भी लागू होता है। प्रबंधन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उनके साथ समय-समय पर बैठकें करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण के लिए संपर्क अधिकारियों की अध्यक्षता में अलग से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व तालिका में दिया गया है:

कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिनिधित्व					
	अ.जा.	%	अ.ज.जा.	%	अ.पि.व.	%
5092	781	15.34	345	6.78	838	16.46

(v) दिव्यांग कर्मचारियों का कल्याण:

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व तालिका में दिया गया है:

कर्मचारियों की कुल संख्या	दिव्यांग कर्मचारी			दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिशत	
	दृ.बा.	श्र.बा.	अ.वि.	कुल	%
5092	12	3	99	114	2.24

दृ.बा. : दृष्टि बाधित, श्र.बा. : श्रवण बाधित, अ.वि. : अस्थि विकलांग।

दिव्यांग कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

डीओपीटी/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों/कर्मचारियों को सीधे भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। उपर्युक्त के अलावा, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए निम्नांकित कल्याण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं:-

- दिव्यांग कर्मचारियों तथा साथ ही ऐसे कर्मचारी जो किसी शारीरिक/मानसिक रूप से आश्रित बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, उन्हें चक्रीय स्थानांतरण से छूट प्राप्त है। ऐसे कर्मचारियों को स्थानांतरण/पदोन्नति के समय तैनाती के स्थान की प्राथमिकता दी जाती है।
- शारीरिक दिव्यांग हुए व्यक्तियों (जो सेवा काल में हुए हो) को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- श्रवण बाधित कर्मचारियों/ उनके आश्रितों को कान की मशीन खरीदने पर उसकी कीमत प्रतिपूर्ति कर कर दी जाती है।
- कर्मचारियों/उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों की लागत की प्रतिपूर्ति तथा उक्त के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।
- शारीरिक/मानसिक रूप से मंद बच्चों के संबंध में उन्हें आश्रित मानते समय चिकित्सा और अन्य लाभों के लिए आयु की सीमा मान्य नहीं होती है।
- सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के संबंध वाली एक या अधिक 40 प्रतिशत दिव्यांग अथवा उससे अधिक होने वाले मानसिक या शारीरिक रूप से आश्रित बच्चों को

एनएचपीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जीवन पर्यन्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

34.14 पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण, प्रौद्योगिकीय समावेशन, नवीकरणीय ऊर्जा विकास और विदेशी मुद्रा बचत

(i) पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण

आपकी कंपनी की एक “कारपोरेट पर्यावरण नीति (सीईपी)” है जिसका उद्देश्य ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर-परंपरागत स्रोतों के सतत विकास हेतु पर्यावरणीय तथा सामाजिक चिंताओं पर ध्यान देना है। सीईपी की मुख्य विशेषताएं पर्यावरणीय विचारों को परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन तथा प्रचालन में एकीकृत करना, निर्माण-पश्च प्रभाव आकलन अध्ययन करना और सांविधिक बाध्यताओं से परे अनूठी स्वैच्छिक पहलू को लेना है। एनएचपीसी एक ऐसे परिवेश को बनाने के लिए सभी प्रयास करती है जहां आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को लम्बे समय में भी बनाए रखा जा सके। एनएचपीसी परियोजना हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) को अन्वेषण चरण के दौरान पर्यावरण पर सम्भाव्य प्रभावों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ईआईए अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी)को परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों के प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रस्तावित तथा क्रियान्वित प्रतिपूरक वनीकरण, कैचमेंट क्षेत्र उपचार, जैव विविधता संरक्षण, हरित पट्टी विकास, मतस्थिकी प्रबंधन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास सहित डंपिंग और खदान स्थलों के पुनरुद्धार आदि जैसे उपायों को अपना कर किया जाता है। पर्यावरण और विविधता प्रबंधन प्रभाग की स्थापना कारपोरेट कार्यालय में सभी परियोजनाओं के पर्यावरणीय रक्षोपायों के कार्यान्वयन पहलों की निगरानी तथा उन्हें सुकर बनाने के लिए की गई है।

कारपोरेट पर्यावरण नीति के अंतर्गत अनुपालन:

आपकी कंपनी की सभी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं तथा स्वैच्छिक पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु की गई है। कई एनएचपीसी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों पर स्वैच्छिक प्रयासों के अंतर्गत अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण हेतु कई उपाय किए गए हैं। मार्च, 2021 तथा सितम्बर, 2021 को समाप्त अवधि हेतु विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के लिए छमाही मासिक प्रगति रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) तथा इसके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत की गई थी। इन रिपोर्टों का कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.nhpcindia.com पर भी अपलोड किया गया था। कंपनी परियोजना के निर्माण के

दौरान क्रियान्वित प्रबंधन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के लिए निर्माण पश्च पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययनों का भी आयोजन करती है।

आपकी कंपनी ने आंतरिक और बाहरी एजेंसियों दोनों के माध्यम से विभिन्न पावर स्टेशनों अर्थात् उरी (जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र), रंगित (सिक्किम), धौलीगंगा (उत्तराखंड) और तीस्ता-V (सिक्किम) के संबंध में निर्माण पश्चात ईआईए अध्ययन किया है। निर्माण पश्चात बाहरी एजेंसी के माध्यम से लोकटक पावर स्टेशन (मणिपुर) और उड़ी-II पावर स्टेशन (जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र) का ईआईए अध्ययन प्रक्रियाधीन है। एनएचपीसी ने प्रचालन परियोजनाओं के लिए इंटरनेशनल हाइड्रोपावर एसोसिएशन (आईएचए) के सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट प्रोटोकॉल के माध्यम से तीस्ता-V पावर स्टेशन, सिक्किम का संधारणीयता आकलन भी किया है। मूल्यांकन के निष्कर्षों के अनुसार, 20 मापदंडों में से, जिन पर तीस्ता-V पावर स्टेशन का मूल्यांकन किया गया था, यह सभी मापदंडों पर मूल कार्य प्रणाली को पूरा करता है, 6 मापदंडों पर सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को पूरा करता है और 9 मापदंडों पर मूल अच्छे कार्य प्रणाली से अधिक है।

(ii) नवीकरणीय ऊर्जा विकास :

आपकी कंपनी सौर तथा पवन विद्युत परियोजनाओं जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की तलाश के लिए अपने क्रियाकलापों का विविधीकरण कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

(iii) विदेशी मुद्रा बचत:

आपकी कंपनी भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” नीति को बढ़ावा देने के लिए बोली प्रक्रिया में स्थानीय फर्मों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रही है। स्थानीय फर्मों के साथ-साथ लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिभागिता से मोटे तौर पर भारतीय उद्योग की वृद्धि के साथ विदेशी मुद्रा बचत में सहायता मिलेगी।

(iv) प्रौद्योगिकी समावेशन :

प्रौद्योगिकी समावेशन के संबंध में सूचना इस रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है।

34.15 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में सूचना इस रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है।

34.16 सचेतक वक्तव्य

इस रिपोर्ट में निहित विचार और आशाजनक विवरण युक्तिसंगत मान्यताओं पर आधारित हैं और कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं

की वजह से वास्तविक परिणाम ऐसे विवरणों में बताई गई बातों से भिन्न हो सकते हैं।

पाठकों से अनुरोध है कि इस रिपोर्ट तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी जाने वाली अन्य सूचनाओं की भी सावधानी से समीक्षा करें। कंपनी भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के परिणामस्वरूप या किसी और वजह से प्राप्त हुई नई सूचनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से इन आशाजनक वक्तव्यों को अद्यतन करने या इन में संशोधन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। वित्तीय आंकड़े कंपनी के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

35. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा की आय और व्यय के संबंध में कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ड) के अंतर्गत यथापेक्षित विवरण इस प्रकार है:

क. ऊर्जा संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण के संबंध में किए गए उपाय और प्रभाव

- प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करने, ऊर्जा संरक्षण के लिए अपनाए गए उपायों की प्रभावकारिता की निगरानी करने और प्रबंधन/प्रयोक्ताओं को वर्टिकल और हॉरिजेंटल फीडबैक देने के लिए कारपोरेट स्तर पर कार्यबल कारपोरेट कार्यालय में ऊर्जा की बचत के लिए समय-समय पर उपाय सुझाता है।
- एनएचपीसी कार्यालय परिसर, फरीदाबाद की ऊर्जा लेखापरीक्षा बीईई से प्रमाणित बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कराई गई थी। ऊर्जा लेखापरीक्षा की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है।
- नीर शक्ति सदन और ज्योति सदन, कारपोरेट कार्यालय को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चार स्टार रेट वाले भवनों और तीन स्टार रेट वाले भवनों के रूप में माना गया है।
- वर्ष के दौरान सक्षम प्रचालन की गारंटी के लिए 900 टीआर और 1200 टीआर एमवीएएसी प्रणाली/उपकरणों का मासिक रख-रखाव किया जा रहा है। एचवीएसी फिल्टर को नियमित रूप से व्यस्ततम ठंडे और गर्म मौसम के दौरान बदला अथवा साफ किया जाता है क्योंकि गंदे फिल्टर की लागत उपयोग के लिए अधिक होती है। उपकरण अधिक कार्य करते हैं और कम आंतरिक वायु गुणवत्ता रहती है।
- ऊर्जा संरक्षण के उपाय के रूप में, ज्योति सदन के शौचालयों में मूवमेंट डिटेक्टर लगाए गए हैं जिनकी समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार मरम्मत की जाती है।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

80 केडब्ल्यूपी ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र ऊर्जा क्षमता और 150 केडब्ल्यूपी क्षमता कारपोरेट कार्यालय के भवनों के रूफटॉप पर संस्थापित की गई है। संयंत्र की सफाई नियमित आधार पर की जा रही है (सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले), जिससे कि अधिकतम आउटपुट मिल सके। अधिकतम सक्रिय अवधि प्राप्त करने के लिए नियमित आधार पर बचावपरक रख-रखाव किया जा रहा है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश

ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश लगभग 52.48 लाख रुपये है।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन

(i) प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए प्रयास

क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूरी हुई आरएंडडी परियोजनाएं

- पानी के अंदर जंग से बचने के लिए जंगरोधी इस्पात का विकास: टरबाइन के अंदर वाटर कंपोनेंट पर गाद का प्रभाव हिमालय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मामला है। एनएचपीसी ने “जंगरोधी इस्पात के लिए संरचना और उसे तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया” पर सीएसआईआर, एसजेवीएनएल और सीपीआरआई के सहयोग से एक अध्ययन किया। एनएचपीसी को इस खोज के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार भी प्रदान किया गया है। इस नई विकसित धातु का उपयोग गाद के कारण जंग के प्रभाव को कम करेगा, जिससे पानी के अंदर के भागों के रख-रखाव का खर्चा कम होगा।
- ईएन1504-3 (आर4) के अनुसार रिपोयर मोर्टार की अब्बाशन रेसिसटेंस के मूल्यांकन के लिए अध्ययन: आरएंडडी परियोजना में सीमेंट की तरह की मरम्मत वाले उत्पादन (सीई मार्क) की अब्बाशन रेसिसटेंस एंड बॉन्डिंग स्ट्रैन्थ की पहचान की गई है। यह सीमेंट की तरह के रिपेयर मोर्टार की घर्षणारोधिता (पानी के अंदर की पद्धति) के बारे में दर्शाता है कि क्षय के कारण कंक्रीट को हुई क्षति के संरक्षण के लिए यह पर्याप्त रूप से सक्षम है। यह उत्पाद तटबंध की संरचनात्मक मरम्मत, सीएफआरडी की फेस स्लैब, फ्रीजिंग एवं थॉइंग संबंधी क्षति, शिल्ट फ्लशिंग टनल, आदि के लिए उपयुक्त है, जहां मुख्यतः घर्षण बल के कारण कटाव/क्षति हुई है।
- धौलीगंगा पावर स्टेशन में स्टील लाइनर के साथ बने कंक्रीट स्पिल्वे हिमनद का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन: धौलीगंगा बांध के गंभीर रूप से घिसे स्पिल्वे हिमनद के प्रभावी संरक्षण के लिए रेडियल गेट सिल बीम के डाउनस्ट्रीम पर स्टील लाइनर लगाया गया था और यह कटाल के खिलाफ

संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है। धौलीगंगा बांध पर स्टील लाइनर की सफलता को पहले से निर्मित स्पिल्वे के पुनर्वास के लिए एंकर का उपयोग करके स्टील लाइनर लगाने के लिए संदर्भ मामले के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

- **सुबानसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के लिए फ्लोउडी द्वारा हाईहेड स्पिल्वे में केवितेशन के संबंध में हाइड्रोलिक अध्ययन:** एनएचपीसी ने स्पिल्वे प्रोफाइल के लिए न्यूनतम क्षति के लिए फ्लो गुणों और केवितेशन प्रोफाइल को समझने के लिए सीडब्ल्यूपीआरएस के साथ संयुक्त अध्ययन किए थे।

ख) जारी आरएंडडी परियोजनाएं:

- एनएचपीसी ने हाइड्रो टरबाइन के पानी के नीचे के घटक में केवितेशन की निगरानी के लिए मैसर्स जीई पावर इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग करके तीस्ता-V पावर स्टेशन में ऑनलाइन केवितेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है। यह अध्ययन टरबाइन पर केवितेशन के प्रभाव और मशीन के प्रचालन को समझने के लिए मददगार होगा।
- एनएचपीसी द्वारा सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे (महाराष्ट्र) के सहयोग से “रिजरवायर प्रचालन तकनीकों के माध्यम से अवसाद प्रबंधन करके हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं में डिसिल्टिंग बेसिन को दूर करने के लिए सांख्यिकीय और भौतिकीय मॉडल अध्ययन” संबंधी अध्ययन किया जा रहा है।
- निर्माण के दौरान भौगोलिक घटनाएं किसी भी हाइड्रो परियोजना के लिए समय और लागत आधिक्य का एक प्रमुख कारण होता है। इन घटनाओं को कम करने के लिए और निर्माण क्रियाकलापों को एक किफायती तरीके से करने के लिए, भू-भौतिकीय तरीके जैसे सुरक्षित, किफायती और प्रभावी, अर्थमेट के डिजाइन के लिए प्रतिरोधकता इमेजिंग, ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार, भौगोलिक अनिश्चितताओं के अनुकूलन के लिए सिस्मिक टोलोग्राफी विभिन्न एनएचपीसी परियोजनाओं के लिए नवोन्मेषी रूप से प्रयुक्त की जाती है। वर्तमान में विभाग में तीन आरएंडडी परियोजनाएं चल रही हैं।
- रंगित जलविद्युत परियोजना, सिक्किम तथा सेवा-II जलविद्युत परियोजना, जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के लिए परियोजना के बाद पर्यावरणीय मूल्यांकन, सामाजिक-आर्थिक आकलन आदि जैसे मामलों के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग किया जाता है।
- “हाइड्रो पावर संयंत्र के इष्टतम प्रचालन के लिए हाइड्रो घर्षण कटाव और छोड़े गए अवसाद की निगरानी” संबंधी अध्ययन, बैरास्यूल पावर स्टेशन में आईआईटी, रुड़की के

समाध्यम से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। मानसून से पूर्व और मानसून के बाद के उडी स्कैनिंग की जा रही है।

- भूकम्प संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए, एनएचपीसी ने एनएचपीसी और अपने संयुक्त उद्यमों के पावर स्टेशनों पर स्थापित सभी एसएमए को जोड़कर एक केंद्रीकृत ऑनलाइन रियल टाइम सिस्मिक डेटा सेंटर स्थापित किया है। हिमालयी साइट विशिष्ट पीक ग्राउंड एक्सलरेशन एटिनुएशन रिलेशनशिप विकसित करने के लिए इस नेटवर्क से भूकंपीय डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। यह कार्य आईआईटी, रुड़की के साथ मिलकर किया गया है और इसके परिणामों से हमारी परियोजनाओं के डिजाइन पैरामीटर को अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी।
- हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर चमेरा-I पावर स्टेशन के रिजरवायर से ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जनों का मापन किया जा रहा है। पहले और दूसरी सैम्पलिंग पूरी हो चुकी है।
- आईआईटी, रुड़की के साथ परामर्श करके चमेरा-III पावर स्टेशन के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली का विकास।
- **उडी एफईएम विश्लेषण (आईआईटी, कानपुर) पर आधारित ओपलनग सहित कैंवर्न व्यवहार और सहायता लेआउट के तीव्र अनुमान के लिए डिजाइन दिशानिर्देश/चार्ट का विकास:** इस परियोजना का उद्देश्य आगामी विभिन्न परियोजनाओं के भूमिगत केवर्न का सुरक्षित और आर्थिक डिजाइन है। इसका लक्ष्य विस्तृत गणना विश्लेषण किए बिना इष्टतम केवर्न डाइमेंशनल पैरामीटर तथा बाहरी सहायता जरूरतों के साथ आकलन के लिए उन्नत उडी सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित आसानी से उपयोग किए जाने वाले डिजाइन चार्ट/दिशानिर्देश विकसित करना है।
- हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिस के लिए आंशिक डिस्चार्ज मॉनिटरिंग समाधान तैयार किया जा रहा है, जिससे एनएचपीसी को इसकी वर्तमान निवारक रख-रखाव प्रक्रिया से एक “अनुमानित रख-रखाव प्रक्रिया” के लिए मदद मिलेगी। इससे प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार होगा और ब्रेकडाउन अवधि कम होगी।
- एनएचपीसी की नौ चालू/निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं के नजदीक भूस्खलन होने का अध्ययन दूरसंवेदी और जीआईएस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके भारतीय दूरसंवेदी संस्थान, देहरादून के सहयोग से पूरा किया गया है। सैटेलाइट डेटा से अवलोकन की अवधि के दौरान अस्थायी भूस्खलन जांच और बदलाव करने की तैयारी अध्ययन का मुख्य मानक है। इसका मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि क्या परियोजना के निर्माण का परियोजना क्षेत्र में भूस्खलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

- विद्युत क्षेत्र के विकास से संबंधित सहयोगी अनुसंधान: विद्युत क्षेत्र की सहायता और विकास के लिए विद्युत मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार नीतिगत पहल, सुधार, पुनर्गठन के संबंध में अध्ययन/अनुसंधान से नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण इनपुट होंगे। इसके लिए, इन अध्ययनों से वित्तपोषण के लिए एक कॉर्पस की स्थापना विद्युत मंत्रालय और सीपीएसयू जैसे एनएचपीसी, एनटीपीसी, पीजीसआईएल, पीएफसी और आरईसी के साथ संयुक्त रूप से की गई है। एनएचपीसी विद्युत क्षेत्र में समग्र विकास के लिए सहयोगी अनुसंधान कर रहा है।

(ii) उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ:

- क. अपक्षरण—रोधी स्टील के विकास से ऐसी स्थिति के कारण जंग के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे पानी के नीचे के भागों के रख-रखाव व्यय कम करने में मदद मिलेगी।
- ख. पहले से निर्मित स्पिल्वे के पुनर्वासन के लिए एंकर का उपयोग करके स्टील लाइनर की स्थापना से धौलीगंगा बांध में अपक्षरण की समस्या के लिए मदद मिली है।

इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए अन्य प्रयास शुरूआती अवस्था में हैं, अध्ययनों और वास्तविक कार्यान्वयन पूरा होने के बाद लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

(iii) वर्तमान वर्ष और विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण

शून्य

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय 10.07 करोड़ रुपये था।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय:		
	i) ब्याज	23.47	26.50
	ii) अन्य विविध मामले	6.43	5.26
ख)	प्रचालन यूनिटों में प्रयुक्त स्पेयर पार्ट और घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) स्वदेशी	18.18	19.78

36. लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

36.1 सचिवालय लेखापरीक्षा

मैसर्स अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की सचिवालय लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया है। सचिवालय लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कतिपय टिप्पणियां की हैं। सचिवालय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध-II में दी गई है। सचिवालय लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए प्रबंधन के उत्तर इस प्रकार हैं:

अर्हता/टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे परंतुक के अनुसार, निदेशक मंडल की संख्या में दिनांक 01.04.2021 से 29.11.2021 तक की अवधि के दौरान कोई भी स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी और दिनांक 01.04.2021 से 30.11.2021 की अवधि के दौरान बोर्ड में अकार्यपालक निदेशकों की संख्या पचास प्रतिशत से कम थी।	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून 2015 की अधिसूचना के साथ पठित कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 34 के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) सहित निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विद्युत मंत्रालय के आदेशों के अनुसार, एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित चार स्वतंत्र निदेशकों को नवंबर/दिसंबर, 2021 माह में एनएचपीसी के बोर्ड में नियुक्त किया गया था।
2. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के अनुसार, बोर्ड में वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या पचास प्रतिशत से कम है और डीपीई दिशानिर्देशों	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में 1 सीएमडी, 3 पूर्णकालिक निदेशकों, 1 अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक और 4 स्वतंत्र निदेशकों सहित 9 निदेशक शामिल हैं।

अर्हता/टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
के खंड 3.1.2 के अनुसार, दिनांक 01.04.2021 से 30.11.2021 तक की अवधि के दौरान कार्यात्मक निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक थी।	4 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने के बाद दिनांक 01.12.2021 से एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति से संबंधित मामला प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय के समक्ष नियमित रूप से उठाया जा रहा है।
3. कंपनी के पास दिनांक 01.04.2021 से 06.12.2021 की अवधि के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं थी तथा दिनांक 01.04.2021 से 06.12.2021 तक की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता समिति तथा दिनांक 05.08.2021 से 06.12.2021 तक जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, 177 और 178, सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 18, 19, 20 और 21 तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 और 5 के अनुसार नहीं थी।	दिनांक 08.09.2020 से 06.12.2021 तक की अवधि के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति संभव नहीं थी तथा दिनांक 21.03.2021 से 06.12.2021 तक लेखापरीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता संबंधी समिति तथा दिनांक 05.08.2021 से 06.12.2021 तक जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार नहीं हो सकी थी। एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित चार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर, सेबी एलओडीआर, कंपनी अधिनियम, 2013 और निगमित अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 07.12.2021 से अनिवार्य समितियों का पुनर्गठन किया गया था।

सेबी एलओडीआर के विनियम 24क की अनुपालना में, एनएचपीसी की एक प्रमुख असूचीबद्ध सहायक कंपनी, एनएचडीसी लिमिटेड की सचिवालय लेखापरीक्षक रिपोर्ट भी वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।

36.2 सांविधिक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जाती है। सीएंडएजी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निम्नलिखित संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए थे:

1. मैसर्स पी. सी. बिंदल एंड कं., श्रीनगर
2. मैसर्स के. जी. सोमानी एंड कं., एलएलपी, नई दिल्ली
3. मैसर्स चतुर्वेदी एंड कं., कोलकाता

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट में असंशोधित राय दी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा कोई धोखाधड़ी किए जाने की सूचना नहीं दी गई है।

36.3 सीएंडएजी द्वारा लेखाओं की समीक्षा

सीएंडएजी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के तहत अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के बाद, दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी टिप्पणियां दी हैं। आपकी

कंपनी दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल और समेकित वित्तीय विवरणों, दोनों के लिए सीएंडएजी की कोई टिप्पणी नहीं है। सीएंडएजी की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई हैं।

36.4 लागत लेखापरीक्षा

कंपनी द्वारा कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट आवश्यक लागत रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसी कि लेखापरीक्षा समिति द्वारा सिफारिश की गई है, आपके बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पावर स्टेशनों के लागत लेखांकन रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए निम्नलिखित लागत लेखाकारों की नियुक्ति की है:

फर्म का नाम	पावर स्टेशन
मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, दिल्ली (प्रमुख लागत लेखापरीक्षक)	टनकपुर और धौलीगंगा
मैसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स, गुडगांव	उरी-I, उरी-II और किशनगंगा

मैसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, दिल्ली	चमेरा-I, सेवा-II और पार्वती-III
मैसर्स आर. एम. बंसल एंड कंपनी, दिल्ली	दुलहस्ती, सलाल और पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर
मैसर्स के. जी. गोयल एंड कंपनी, जयपुर	बैरास्यूल, चमेरा-II और चमेरा-III
मैसर्स एजेएस एंड एसोसिएट्स, देहरादून	चुटक और निम्नो बाजगो
मैसर्स बंधोपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, कोलकाता	लोकतक, टीएलडीपी-III और टीएलडीपी-IV
मैसर्स वाई.एस. ठाकर एंड कंपनी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल	रंगित, तीस्ता-V और सौर विद्युत परियोजना, तमिलनाडु

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एक्सबीआरएल फॉर्मेट में समेकित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 3 दिसंबर, 2021 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय में प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्धारित समय अवधि के भीतर दाखिल करने के प्रयास किए जाएंगे।

37. वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) और धारा 92(3) के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट <http://www.nhpcindia.com/NHPC&annual&reports-htm> पर उपलब्ध है।

38. ऋणों, निवेशों और कारपोरेट गारंटियों के विवरण

दिए गए ऋणों, दी गई गारंटियों अथवा प्रदान की गई प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (उप-धारा 1 को छोड़कर) एनएचपीसी के अवसररचना सुविधाओं को प्रदान करने में लगे होने के कारण उस पर लागू नहीं है।

39. कर्मचारियों के विवरण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के तहत प्रकटन अपेक्षाओं से छूट दी गई है। अतः ऐसे विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

कंपनी के कर्मचारियों को पारिश्रमिक, वेतन ढांचे, भत्ते और अन्य लाभों संबंधी नीति प्रासंगिक डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती है। कंपनी का वेतन ढांचा और भत्ते वेबसाइट http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/RTI%20Corner%20Wages%20Updation ENG_CAA_201905_1-pdf पर भी उपलब्ध हैं।

40. बोर्ड तथा बोर्ड की समितियां

निदेशक मंडल की वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दस (10) बार बैठकें हुईं। निदेशक मंडल की बैठकों और उनमें निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है। बोर्ड की विभिन्न समितियों व उनकी बैठकों तथा उनकी संरचना का ब्यौरा निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

41. बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के निष्पादन, मूल्यांकन, बोर्ड स्तरीय समितियों और निदेशकों संबंधी एक नीति तैयार की है। दिनांक 8 सितंबर, 2020 से 14 नवंबर, 2021 तक की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था। तदनुसार, बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों का वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन नहीं कराया या क्योंकि दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। निदेशक मंडल ने बोर्ड, “बोर्ड स्तरीय समितियों और निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन” संबंधी नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर संशोधित नीति अनुमोदित की है। बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और निदेशकों का वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निष्पादन मूल्यांकन किया गया है। नीति के अनुसार, कंपनी द्वारा निम्नलिखित मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है:

1. कंपनी का प्रत्येक निदेशक बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों का पूर्व-निर्धारित मानदंडों के आधार पर निष्पादन तय करता है।
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के निष्पादन की समीक्षा करती है और यह निर्धारित करती है कि क्या स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया जाए।
3. स्वतंत्र निदेशक गैर-स्वतंत्र निदेशकों, कंपनी के अध्यक्ष और समग्र बोर्ड के निष्पादन की समीक्षा करते हैं।
4. बोर्ड मूल्यांकन किए जा रहे निदेशक को छोड़कर स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

42. निदेशक की जिम्मेदारी का विवरण

निदेशकों की जिम्मेदारी के विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के साथ पठित धारा 134(3)(ग) की अपेक्षा के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है कि:

- क. वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानदंडों का अनुसरण किया गया है और महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

- ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था तथा उन्हें निरंतर लागू किया था और ऐसे निर्णय लिए गए थे और अनुमान लगाए गए थे, जो इतने तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्यस्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी लाभ और हानि की वास्तविक एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।
- ग. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकॉर्ड के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त उपाय किए थे।
- घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को अनवरत आधार पर तैयार किया था।
- ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित किया था और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं, और
- च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण किए थे, जो पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

43. सचिवालय मानदंड

आपकी कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी “निदेशक मंडल की बैठकों” और “सामान्य बैठकों” के संबंध में लागू सचिवालयी मानकों का पूरी तरह से अनुपालन किया है।

44. सामान्य

निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटन या सूचना आवश्यक नहीं है, क्योंकि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेन-देन नहीं किया गया था:

1. लाभांश, मतदान अथवा किसी संबंधी में भिन्न अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों का मामला।
2. किसी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर जारी करना (स्वीट इक्विटी शेयरों सहित)
3. नियमों या अदालतों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और आवश्यक आदेश, जो कंपनी की अनवरत अवधारणा स्थिति या भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करते हैं।
4. वित्तीय समाप्त होने के बाद इस रिपोर्ट की तारीख तक ऐसा कोई वास्तविक परिवर्तन अथवा प्रतिबद्धता का होना, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों।
5. अधिनियम के अध्याय-V के अंतर्गत यथा अपेक्षित सार्वजनिक सभाओं से संबंधित ब्यौरे।

6. एकबारगी निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच के अंतर तथा उसके कारणों सहित का ब्यौरा।
7. दिवाला और दिवालापन संहिता, 2016 के अंतर्गत किए गए आवेदन अथवा लंबित कार्यवाही।

45. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्यवाही

निदेशक मंडल की संरचना और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित बदलाव हुए:

1. श्री तन्मय कुमार (डीआईएन: 02574098), सरकारी नामिती निदेशक 13 सितंबर, 2021 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।
2. श्री रघुराज माधव राजेंद्रन (डीआईएन: 07772370), संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय को दिनांक 16 सितंबर, 2021 से कंपनी के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
3. डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर (डीआईएन: 07592413) को दिनांक 15 नवंबर, 2021 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
4. डॉ. अमित कंसल (डीआईएन: 07722428) को दिनांक 21 नवंबर, 2021 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
5. डॉ. रश्मि शर्मा रावल (डीआईएन: 09410683) को दिनांक 30 नवंबर, 2021 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
6. श्री जीजी जोसेफ (डीआईएन: 09415941) को दिनांक 1 दिसंबर, 2021 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
7. श्री निखिल कुमार जैन (डीआईएन: 05332456) दिनांक 2 दिसंबर, 2021 से कंपनी के निदेशक (कार्मिक) नहीं रहे।
8. श्रीमती रुपा देब की दिनांक 24 सितंबर, 2021 से कंपनी सचिव के रूप में नियुक्ति होने पर श्री सौरभ चक्रवर्ती दिनांक 24 सितंबर, 2021 से कंपनी के कंपनी सचिव नहीं रहे।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक और बैठक शुल्क का ब्यौरा निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी एलओडीआर के विनियम 16(1)(ख) के तहत विनिर्दिष्ट स्वतंत्र के मानदंडों को पूरा करते हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि उन्हें एक उद्देश्यपरक

स्वतंत्र निर्णय के साथ और बाहरी प्रभाव के बिना अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उनकी योग्यता को अथवा प्रभावित करने योग्य किसी मौजूदा अथवा तर्कसंगत रूप से प्रत्याशित किसी परिस्थिति अथवा स्थिति की जानकारी नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों ने यह भी घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) द्वारा रखे गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में उनका नाम शामिल करने के संबंध में कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) पांचवां संशोधन नियमावली के नियम 6(1) और 6(2) का पालन किया है।

चूंकि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रखा गया है। स्वतंत्र निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल एजीएम के नोटिस में दिया गया है। श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल, निदेशक (वित्त) रोटेशन से सेवानिवृत्त होने वाले हैं और योग्य होने पर उन्होंने आगामी एजीएम में अपनी पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया है। आगामी एजीएम में नियुक्ति/पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्ताव हेतु श्री गोयल का संक्षिप्त प्रोफाइल एजीएम के नोटिस में दिया गया है।

46. आभार

निदेशक मंडल सभी कर्मचारियों की उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक सराहना करना चाहता है। उनकी मेहनत और निरंतर प्रयास से कंपनी अपने उत्कृष्ट निष्पादन को बनाए रख सकी और अपने क्षेत्र से संबंधित नेतृत्व को मजबूत रख सकी। सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता, विशेष रूप से वर्तमान महामारी की स्थिति के दौरान, सराहनीय और प्रशंसनीय रही। एनएचपीसी को अपने कर्मचारियों

के निरंतर अथक प्रयासों पर, विशेष कंपनी के पावर स्टेशनों और परियोजनाओं पर किए गए प्रयासों पर गर्व है।

निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, और केंद्रीय व राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड अपने सभी हितधारकों, महत्वपूर्ण ग्राहकों, ठेकेदारों, वेंडरों और परामर्शदाताओं का उनके निरंतर सहयोग और कंपनी में जताए गए विश्वास के लिए भी धन्यवाद करता है।

बोर्ड सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयी लेखापरीक्षकों और कंपनी के लागत लेखापरीक्षक से प्राप्त अमूल्य मार्गदर्शन और सूचना के लिए भी आभार प्रकट करता है। बोर्ड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग तथा कंपनी में निरंतर विश्वास जताने के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(अभय कुमार सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08646003

दिनांक: 02 जुलाई, 2022

स्थान: कुमारकोम, केरल

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता संबंधी वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूप रेखा

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सीएसआर के संबंध में जारी सामान्य परिपत्र और इसके संशोधनों; और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश/कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के अनुरूप एक सीएसआर और संधारणीयता नीति निरूपित की है तथा इसे समय-समय पर संशोधित किया है। इसमें गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ-साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं। आपकी कंपनी की सीएसआर नीति में व्यापक रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में, कंपनी प्रत्येक वर्ष में तत्काल पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करेगी, यह राशि वर्ष के दौरान सीएसआर एवं संधारणीय विकास कार्यों हेतु वार्षिक बजट के रूप में रखी जाती है और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एनएचपीसी उन योजनाओं/क्रियाकलापों को हाथ में लेती है जो समाज को दृश्यमान सामाजिक, आर्थिक अथवा पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं।
- एनएचपीसी की परियोजनाओं के आस-पास स्थानीय क्षेत्रों को बजट राशि के कम से कम 80 प्रतिशत को आवंटित करके प्राथमिकता दी गई है। तथापि, आवश्यकताओं के आधार पर और राष्ट्रीय योजनाओं तथा अभियान के संबंध में भारत सरकार के निदेशों के अनुसार अन्य स्थानों का चयन किया जा सकता है, जिसमें समाज/पर्यावरण के वृहत्तर लाभ हेतु सीएसआर बजट के 20 प्रतिशत से अधिक की राशि का व्यय किया जा सकता है।
- सीएसआर पहलों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार शिक्षा तथा कौशल विकास का संवर्धन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति आदि संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं। अनुसूची-VII के अनुरूप न होने वाले किसी भी क्रियाकलाप पर व्यय को सीएसआर के रूप में लेखांकित नहीं किया जाता है।
- सीएसआर और संधारणीय योजनाओं का चयन यह सुनिश्चित करता है कि इसका अधिकतम लाभ समाज के गरीब/पिछड़े तथा जरूरतमंद तबकों तक पहुंचे और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार में भी योगदान हो सके।
- आपकी कम्पनी संसाधनों के इष्टतम उपयोग, सामाजिक-आर्थिक अथवा पर्यावरणीय प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञता तथा क्षमताओं के परस्पर तालमेल हेतु मेगा परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग में अन्य सीपीएसई के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है।
- कार्यान्वयन के लिए सीएसआर और संधारणीयता योजनाएं उन जिला/सब-डिवीजन/ ब्लॉक/पंचायतों के प्रशासनिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श/सहयोग से बनाई जाती हैं, जिनमें एनएचपीसी की यूनिटें प्रचालनरत हैं।
- सीएसआर और संधारणीयता योजनाओं/क्रियाकलापों की पहचान, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए आपकी कंपनी में एक त्रि-स्तरीय प्रबंधन संरचना मौजूद है।
- चल रहे क्रियाकलाप से संबंधित खर्च न की गई कोई भी राशि वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिन की अवधि के भीतर उस वित्तीय वर्ष के लिए किसी अनुसूचित बैंक में खर्च न किए गए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में अंतरित कर दी जाएगी। इस राशि को इस तरह के अंतरण की तारीख से 03 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के निमित्त अपने दायित्व के अनुसरण में व्यय किया जाएगा, इसमें विफल होने पर, कंपनी इसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची-VII में निर्धारित निधि में अंतरित करेगी।
- यदि खर्च न की गई राशि किसी जारी परियोजना से संबंधित नहीं है, तो संबंधित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की अवधि के भीतर अनुसूची-VII में निर्धारित निधि में अंतरित कर दिया जाएगा। उपयोग न किए जाने के कारणों का बोर्ड रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा।
- सीएसआर क्रियाकलापों से बचा कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यापारिक लाभ का भाग नहीं बनेगा और उसे उसी परियोजना में वापस कर दिया जाएगा अथवा खर्च न की गई राशि को सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया जाएगा तथा उसे सीएसआर नीति के अनुसरण में खर्च किया जाएगा अथवा ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की अवधि के भीतर अनुसूची-VII में निर्धारित निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

2. सीएसआर एवं संधारणीयता संबंधी समिति की संरचना:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक का स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या, जिनमें मैं भाग लिया	31.03.2022 के अनुसार स्थिति (सक्रिय/समाप्त)
1.	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)—पदेन सदस्य (अध्यक्ष)	2	2	समाप्त
2.	श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)—पदेन सदस्य		2	सक्रिय
3.	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)—पदेन सदस्य		2	सक्रिय

निदेशक मंडल ने 07.12.2021 को आयोजित अपनी 450वीं बैठक में निम्नलिखित सदस्यों के साथ सीएसआर और संधारणीयता संबंधी समिति का पुनर्गठन किया है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक का स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या, जिनमें मैं भाग लिया	दिनांक 31.03.2022 के अनुसार स्थिति (सक्रिय/समाप्त)
1.	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	समिति की अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक)	3	3	सक्रिय
2.	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक—सदस्य		3	सक्रिय
3.	डॉ. अमित कंसल	स्वतंत्र निदेशक—सदस्य		3	सक्रिय
4.	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक—सदस्य		3	सक्रिय
5.	श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)—पदेन सदस्य		3	सक्रिय
6.	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)—पदेन सदस्य		3	सक्रिय

3. कृपया वह वेब-लिंक उपलब्ध कराएं जहां कंपनी की वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं को दर्शाया गया है:

कंपनी की वेबसाइट पर वेब-लिंक, जहां सीएसआर समिति की संरचना दर्शाई गई है:

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/List_of_Committees_08122021_E.pdf

कंपनी की वेबसाइट पर वेब-लिंक जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति दर्शाई गई है:

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/corporate_resp_rev_III.pdf

कंपनी की वेबसाइट पर वेब-लिंक जहां सीएसआर परियोजनाएं दर्शाई गई हैं:

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/2021-22%20approved%20activity%20english_CMA_202203_2_E.pdf

4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें), के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का ब्यौरा उपलब्ध कराएं।

कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसार, एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के परिव्यय वाली और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से एक वर्ष से कम में पूरी न की गई हों, उनके सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन किए जाने हैं। तदनुसार, निम्नलिखित सीएसआर परियोजनाओं/क्रियाकलापों का प्रभाव आकलन एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किया गया है :

1. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बांदीपुरा जिले के करलपुरा, चंदाजी, मंत्रीगाम और चाक गांव में 282 सोलर स्ट्रीट लाइट की संस्थापना।
2. अलची गांव, लेह में बस्तियों का विद्युतीकरण।
3. उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के आस-पास के क्षेत्रों में एलईडी आधारित (हाई मास्ट) सोलर पब्लिक लाइटिंग और सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्यान्वयन।
4. हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पीवीसी कूड़ेदानों के दिवन सेट की आपूर्ति, संस्थापना और उन्हें प्रारंभ करना।

प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का सार **अनुबंध-क** के रूप में संलग्न है और उपर्युक्त सीएसआर परियोजनाओं की प्रभाव आकलन रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<http://www.nhpcindia.com/Impact-Assessment-Reports.htm>.

5. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में बंदोबस्त के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए बंदोबस्त के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, का ब्यौरा।

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से बंदोबस्त के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए बंदोबस्त करने हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
1	2021-22	20.20 करोड़	20.20 करोड़
	कुल	20.20 करोड़	20.20 करोड़

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ : **3272.30 करोड़ रु.**
7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत : **65.45 करोड़ रु.**
 (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष : **0.00 रु.**
 (ग) वित्तीय वर्ष के लिए बंदोबस्त किए जाने के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो : **20.20 करोड़ रु.**
 (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर बाध्यता (7क+7ख-7ग) : **45.25 करोड़ रु.**
8. (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (करोड़ रुपये में)	खर्च न की गई राशि (करोड़ रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
105.29	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.00	उपलब्ध नहीं

- (ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चल रही परियोजनाओं के निमित्त खर्च की गई सीएसआर राशि के ब्यौरे :
संलग्न अनुबंध-ख के अनुसार (कुल = 17.9168 करोड़ रुपये)
- (ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि के ब्यौरे :
संलग्न अनुबंध-ग के अनुसार (कुल = 83.5188 करोड़ रुपये)
- (घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि : **3.8571 करोड़ रु.**
- (ङ) प्रभाव आकलन, यदि लागू हो, पर खर्च की गई राशि : **0.00 करोड़ रु.**
- (च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) : **105.29 करोड़ रु.**

(छ) बंदोबस्त के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रम सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	65.45
(ii)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में खर्च की गई अधिक राशि	20.20
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	105.29
(iv)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(iii) + (ii) - (i)]	60.04
(v)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0.00
(vi)	आगामी वित्तीय वर्षों में बंदोबस्त के लिए उपलब्ध राशि [(iii) - (iv)]	60.04

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि के ब्यौरे:

क्रम सं.	पूर्व वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतर्गत राशि (रुपये में)	संसूचित वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (करोड़ रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची-VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतर्गत राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तारीख	
1.	2020-21	0.00	0.00	उपलब्ध नहीं	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	2019-20	0.00	0.00	उपलब्ध नहीं	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	2018-19	0.00	0.00	उपलब्ध नहीं	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कुल			182-56				

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) में चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि के ब्यौरे : **संलग्न अनुबंध-घ के अनुसार**

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिग्रहीत परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरे (परिसंपत्ति-वार ब्यौरे) दें।

(क)	पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण की तारीख	संलग्न अनुबंध-ड के अनुसार
(ख)	पूंजीगत संपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि	
(घ)	सृजित अथवा अधिग्रहीत (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं	

11. उन कारणों का उल्लेख करें, जिनके कारण कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है। - उपलब्ध नहीं।

हस्ता./-
(ए.के. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

हस्ता./-
(डॉ. रश्मि शर्मा रावल)
स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष-सीएसआर एवं संधारणीयता संबंधी समिति
डीआईएन : 08492346

तारीख : 02 जुलाई, 2022

स्थान: कुमाराकोम, केरल

सीएसआर परियोजनाएं

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बांदीपोरा जिले के करलपुरा, चंदाजी, मंत्रीगाम और चाक गांव में 282 सोलर स्ट्रीट लाइट की संस्थापना

परियोजना प्रस्तावक	एनएचपीसी लिमिटेड
परियोजना निष्पादनकर्ता	जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी (जेकेईडीए), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार
शुरू करने की तारीख	27.12.2016
पूरा होने की तारीख	31.08.2019
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
क्रियाकलाप	282 सौर स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना
कुल व्यय	100.24 लाख रुपये



कार्यकारी सार

एनएचपीसी लिमिटेड ने 'किशनगंगा जलविद्युत परियोजना के आसपास के गांवों में सोलर लाइट का कार्यान्वयन' परियोजना की सहायता किया है ताकि रात के समय में क्षेत्र को सुरक्षित और निरापद बनाया जा सके तथा 7 संधारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस परियोजना में एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा लगभग 282 स्ट्रीट लाइटें संस्थापित और चालू की गईं।

इस परियोजना ने अभिचिन्हित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समग्र कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाला। यह परियोजना एनएचपीसी के कॉर्पोरेट सामाजिक दृष्टिकोण के अनुरूप पाई गई तथा सीएसआर एवं संधारणीयता नीति संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार समाजों को आधुनिक बनाने के लिए हरित और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को भी बढ़ावा देगा। इस परियोजना के कारण स्थानीय लोगों की नवीकरणीय ऊर्जा के उच्च गुणवत्ता, सतत लाइटिंग समाधान तक पहुंच बनी है।

एसआर एशिया के प्रभाव आकलन विशेषज्ञों द्वारा अन्वेषकों की आयोजना की गई और प्रशिक्षण दिया गया। एसआर एशिया ने उन चयनित निर्वाचन क्षेत्रों में टीमों को तैनात किया है जहां परियोजना कार्यान्वित की गई थी। फील्डवर्क के दौरान, टीम ने बांदीपोरा जिले के चयनित गांवों को शामिल किया और रैंडम सैंपलिंग पद्धति का उपयोग करके सर्वेक्षण किया।

यह पाया गया था कि कुछ स्थानों पर खराब रख-रखाव के कारण सोलर स्ट्रीट लाइट प्रचालन में नहीं है। परियोजना के लाभार्थी और स्थानीय हितधारक इन अवसरचना को उपलब्ध कराए जाने की पहल से खुश हैं। लेकिन लोग इसके रखरखाव से संतुष्ट नहीं हैं। स्थानीय समुदाय के अनुसार इससे रात के समय सुरक्षा में सुधार हुआ है। रात के समय आर्थिक व अन्य क्रियाकलापों को बढ़ावा मिला है। इस पहल ने परियोजना क्षेत्र में सड़कों के सौंदर्यीकरण को भी बढ़ाया है। एनएचपीसी इस परियोजना को सफल बनाने के लिए बांदीपोरा जिले में बनाई गई सौर अवसरचना के रखरखाव और प्रबंधन की दिशा में कदम उठाए।

अलची गांव, लेह में बस्तियों का विद्युतीकरण

परियोजना प्रस्तावक	एनएचपीसी लिमिटेड
परियोजना निष्पादक	मैसर्स अविशा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
आरंभ करने की तिथि	19.11.2016
पूरा करने की तिथि	30.08.2018
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
क्रियाकलाप	- रैबिट कंडक्टर पर 9.5 किमी के लिए 11 केवी ओएच लाइन। - आइसोलेटर के साथ 11 केवी टी-ऑफ की व्यवस्था। - एलटी लाइन 1-फेज, 2- 4.5 किमी के लिए तार। - एलटी लाइन 3-फेज, 4- 3.0 किमी के लिए तार। 04 25 केवीए, 3-फेज सब-स्टेशन का निर्माण। 63 केवीए, 3-फेज सब-स्टेशन का निर्माण।
कुल व्यय	138.72 लाख रुपये

कार्यकारी सार

एनएचपीसी लिमिटेड ने एनबीपीएस, अलची बांध के निर्माण के कारण प्रभावित गांवों में और आसपास के गांवों में 100:

विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए 'अल्ही गांव, लेह में गांवों का विद्युतीकरण' परियोजना की सहायता की है। इस परियोजना का प्रमुख लक्ष्य लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए सस्टेनेबल डेवलेपमेंट गोल टारगेट 7.1 प्राप्त करना है।

एनएचपीसी लिमिटेड के सीएसआर और एसडी विभाग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर अनुसंधान उपकरण और कार्यप्रणाली की तैयारी के साथ अध्ययन शुरू किया गया था। 7 घर ऐसे थे जो परियोजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं और अन्य गांवों के किसान अथवा छोटे व्यापार के मालिक सहित अन्य लोग परियोजना के अप्रत्यक्ष लाभार्थी हैं। प्रभाव आकलन टीम ने सभी घरों के परिवार के मुखियों के साथ विचार-विमर्श किया। इसमें परियोजना के स्थान का भी मानचित्रण किया गया और उप-स्टेशन से हर घर में विद्युत पारेषण लाइन का अवलोकन किया। एसआर एशिया के प्रभाव आकलन विशेषज्ञों द्वारा अन्वेषकों की आयोजना की गई और प्रशिक्षण दिया गया। एसआर एशिया ने उन चयनित निर्वाचन क्षेत्रों में टीमों को तैनात किया है जहां परियोजना कार्यान्वित की गई थी। फील्डवर्क के दौरान, टीम ने उन दोनों बस्तियों को शामिल किया जहां एनएचपीसी द्वारा पारेषण लाइनें चालू की गई थीं।

इस अध्ययन का उद्देश्य सुदूर ग्रामीण बस्तियों के 100% विद्युतीकरण में पहल के परिणाम और इसके योगदान को समझना था। यह आकलन 11 केवी ट्रांसमिशन लाइन की संस्थापना, कमीशनिंग, उपयोग और वर्तमान स्थिति के संदर्भ में किया गया था। यह सीएसआर परियोजना सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

इस परियोजना ने कई संकेतकों जैसे जीवन स्तर, स्थानीय क्रियाकलापों में दैनिक उत्पादन, प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि, तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह पाया गया कि संस्थापना की गई थी और यह लोगों के लिए 24/7 विद्युत आपूर्ति का स्रोत रहा है। परियोजना स्थल और उसके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। परियोजना का समग्र प्रभाव संतोषजनक पाया गया है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के आस-पास के क्षेत्रों में एलईडी आधारित (हाई मास्ट) सोलर पब्लिक लाइटिंग और सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्यान्वयन।

परियोजना प्रस्तावक	मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड।
परियोजना निष्पादक	मैसर्स गौतम सोलर प्रा. लिमिटेड नई दिल्ली, मैसर्स इऑन इलेक्ट्रिक लिमिटेड, नोएडा
आरंभ करने की तिथि	24.03.2017

पूरा करने की तिथि	15.01.2019
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
क्रियाकलाप	एलईडी आधारित हाई मास्ट सोलर लाइट की 188 और सोलर स्ट्रीट लाइट की 420 की स्थापना
कुल व्यय	2,75,16,950 / – रुपये



कार्यकारी सार

सीएसआर परियोजना 'कानपुर जिला, उत्तर प्रदेश के आस-पास के क्षेत्रों में एलईडी आधारित (हाई मास्ट) सौर सार्वजनिक प्रकाश और सौर स्ट्रीट लाइट का कार्यान्वयन' ग्रामीण विकास पहल के अंतर्गत तैयार किया गया है और कार्यान्वित किया गया है। आर्य नगर, गोविंद नगर, कानपुर कैंट और महाराजपुर में लगभग 420 सोलर स्ट्रीट लाइट और 188 हाई मास्ट लाइटें संस्थापित और चालू की गईं।

इस परियोजना ने अभिचिह्नित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समग्र कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाला। यह परियोजना एनएचपीसी के कॉर्पोरेट सामाजिक दृष्टिकोण के अनुरूप है, तथा यह हरित और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को भी बढ़ावा देगी, इस प्रकार सीएसआर और संधारणीता संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार समाजों का आधुनिकीकरण करेगी। इस परियोजना के कारण स्थानीय लोगों की नवीकरणीय ऊर्जा की उच्च गुणवत्ता, सतत प्रकाश समाधान तक पहुंच है।

एनएचपीसी ने एसआर एशिया को प्रभाव आकलन का कार्य अवार्ड किया। एनएचपीसी लिमिटेड के सीएसआर और एसडी विभाग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रभाव आकलन

टीम के गठन, अनुसंधान उपकरण और कार्यपद्धति की तैयारी के साथ अध्ययन शुरू किया गया था।

एसआर एशिया के प्रभाव आकलन विशेषज्ञों द्वारा अन्वेषकों की आयोजना की गई और प्रशिक्षण दिया गया। एसआर एशिया ने उन चयनित निर्वाचन क्षेत्रों में टीमों को तैनात किया है जहां परियोजना कार्यान्वित की गई थी। फील्डवर्क के दौरान, टीम ने कानपुर जिले के सभी परियोजना स्थलों को शामिल किया और रैंडम सैंपलिंग पद्धति के अनुसार सर्वेक्षण किया।

इस अध्ययन का परिणाम यह निकला कि परियोजना का कार्यान्वयन संतोषजनक था लेकिन इसका रखरखाव और संधारणीयता एक मुद्दा है। यह पाया गया है कि कुछ स्थानों पर खराब रखरखाव के कारण सोलर स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट प्रचालन में नहीं है। परियोजना के लाभार्थी और स्थानीय हितधारक इस अवसंरचना को उपलब्ध कराए जाने की पहल से प्रसन्न हैं। लेकिन व्यक्ति इसके रखरखाव से संतुष्ट नहीं हैं। स्थानीय समुदाय के अनुसार इससे रात के समय में सुरक्षा में सुधार हुआ है। रात के समय आर्थिक व अन्य क्रियाकलापों को बढ़ावा मिला है। इस पहल ने परियोजना क्षेत्र में सड़कों के सौंदर्यीकरण को भी बढ़ाया है। एनएचपीसी इस परियोजना को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में बनाई गई सौर अवसंरचना के रखरखाव और प्रबंधन की दिशा में कदम उठाए।

ईईएसएल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ट्विन सेट पीवीसी डस्टबिन की आपूर्ति, संस्थापना और प्रारंभ करना।

परियोजना प्रस्तावक	मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
परियोजना निष्पादक	मैसर्स एरिस्टोप्लास्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
आरंभ करने की तिथि	20.02.2018
पूरा करने की तिथि	31.08.2019
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश
क्रियाकलाप	13 विधानसभा क्षेत्रों में 13000 ट्विन सेट डस्टबिन की संस्थापना
कुल खर्च	5,75,71,020/- रुपये



कार्यकारी सार

एनएचपीसी लिमिटेड ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए 'ईईएसएल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर ट्विन सेट पीवीसी डस्टबिनों की आपूर्ति, संस्थापना और प्रारंभ करना' परियोजना में सहयोग किया है। यह परियोजना स्वच्छता को बढ़ावा देने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य 6 को प्राप्त करने के लिए तैयार और कार्यान्वित की गई थी।

एनएचपीसी ने 25 अप्रैल, 2022 को एसआर एशिया को प्रभाव आकलन का कार्य अर्वाड किया। यह अध्ययन 29 अप्रैल, 2022 को एनएचपीसी लिमिटेड के सीएसआर और एसडी विभाग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर अनुसंधान उपकरण और कार्यपद्धति की तैयारी के साथ शुरू किया गया था।

एसआर एशिया के प्रभाव आकलन विशेषज्ञों द्वारा अन्वेषकों की आयोजना की गई और प्रशिक्षण दिया गया। एसआर एशिया ने उन चयनित निर्वाचन क्षेत्रों में टीमों को तैनात किया है जहां परियोजना कार्यान्वित की गई थी। फील्डवर्क के दौरान, टीम ने सभी 13 निर्वाचन क्षेत्रों के चयनित गांवों को शामिल किया और रैंडम सैंपलिंग पद्धति के अनुसार सर्वेक्षण किया।

इस अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी बस्तियों में समग्र अपशिष्ट प्रबंधन में पहल और इसके योगदान के परिणाम को समझना था। यह मूल्यांकन डस्टबिन सेट की संस्थापना, उपयोग और वर्तमान स्थिति के संदर्भ में किया गया था।

इस अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि परियोजना का कार्यान्वयन काफी प्रभावी था। यह पाया गया कि संस्थापना की गई थी और इन डस्टबिनों का उपयोग कचरा संग्रहण तथा गीले और सूखे कचरे को अलग करने के लिए किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों और संस्थागत क्षेत्रों की सफाई और सौंदर्यीकरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस परियोजना का समग्र प्रभाव संतोषजनक पाया गया है। इसके समानांतर में, यह पहल नागरिकों को अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में भी बताती है।

अनुबंध-ख

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चल रही परियोजनाओं के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि के ब्यौरे (वित्तीय वर्ष 2021-22 की सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट की क्रम संख्या 8ख देखें)

राशि (लाख रुपये में)

1 क्रम सं.	2 परियोजना का नाम	3 अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	4 स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	5 परियोजना का स्थान		6 परियोजना की अवधि (माह में)	7 परियोजना के लिए आवंटित राशि	8 वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	9 धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खातों में अंतर्गत राशि	10 कार्यान्वयन का तरीका - सीधे (हां/नहीं)	11 कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1	1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन उपलब्ध कराना।	स्वच्छता एवं सफाई	हां	हिमाचल प्रदेश	चंबा					नहीं	जिला प्रशासन, चंबा	-
2	हिमाचल प्रदेश के शिमला और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों में एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्यान्वयन	ग्रामीण विकास	नहीं	हिमाचल प्रदेश	शिमला और कांगड़ा	110	432.85	432.85	-	नहीं	मेसर्स ईईएसएल, नई दिल्ली	-
3	एलिम्को के माध्यम से बांदीपोरा, लखीमपुर, धमाजी, पिथौरागढ़, पश्चिम सियांग, चुराचंदपुर में लगभग 2000 विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को सहायता और उपकरणों का वितरण।	स्वच्छता एवं सफाई	हां	विभिन्न राज्य	बांदीपोरा, लखीमपुर, धमाजी, पिथौरागढ़, पश्चिम सियांग, चुराचंदपुर	20	204.14	208.31	-	नहीं	अलिम्को	-
4	आजीविका बढ़ाने के लिए एनएसडीसी के माध्यम से 3000 और अन्य कौशल विकास एजेंसी अर्थात् एनएचएफडीसी/केपीआईसी के माध्यम से 1000 दिव्यांग और अन्य को परियोजना परिधि से बाहर (25 किलोमीटर तक) राजगारोमुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	37	184.28	111.77	-	नहीं	नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसडीसी) और नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैस डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएचएफडीसी)	-
5	'विकास, नवीनीकरण और उन्नति योजना' के तहत मुंडेरी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कन्नूर, केरल में 6 क्लासरूम का निर्माण	शिक्षा एवं कौशल विकास	नहीं	केरल	कन्नूर	23	84.00	84.00	-	नहीं	सचिव, जिला पंचायत, कन्नूर, केरल	-
6	8 वर्षों के लिए सीएमसी के साथ 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराना।	स्वच्छता एवं सफाई	हां	हिमाचल प्रदेश	चंबा	27	78.17	78.17	-	नहीं	जिला प्रशासन, चंबा	-
7	सलाल पावर स्टेशन द्वारा जिला रियासी के गांव बिड़डा को आदर्श गांव के रूप में गोद लेना। क. आरसीसी सतह की पानी की टंकी। ख. बिड़डा रोड की रिटर्निंग वॉल का निर्माण और ब्लैक टॉपिंग।	ग्रामीण विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	रियासी	29	71.00	65.60	-	हां	एनएचपीसी	-

1 क्रम सं.	2 परियोजना का नाम	3 अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	4 स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	5 परियोजना का स्थान		6 परियोजना की अवधि (माह में)	7 परियोजना के लिए आबंटित राशि	8 वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	9 धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अत्यंत सीएसआर खातों में अंतर्लिखित राशि	10 कार्यान्वयन का तरीका - सीधे (हां/ नहीं)	11 कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
8	बारामूला जिले (जम्मू-कश्मीर) में चयनित लाभार्थियों को कृत्रिम अंग, क्लच और व्हील चेयर के निशुल्क वितरण के लिए हड्डी रोग शिविर	स्वच्छता एवं सफाई	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	38	50.00	49.99	-	नहीं	अलिम्को	-
9	सोपोर, जिला- बारामूला (जम्मू-कश्मीर) के स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के लिए सिविल कार्य और मशीनरी उपकरण।	स्वच्छता एवं सफाई	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	28	127.95	45.00	-	नहीं	डीसी, बारामूला	-
10	ब्लॉक शाहपुर, आरा (जिला भोजपुर) के विभिन्न गांवों में पीसीसी रोड का निर्माण। क. ब्लॉक शाहपुर, आरा (जिला भोजपुर) के विभिन्न गांवों में सामुदायिक केंद्र, शौचालय सहित दो कमरे, छठ घाट, वेस्ट चौराहा, शेड सहित चबूतरा एवं एक शौचालय का निर्माण। ख. ब्लॉक शाहपुर, जिला भोजपुर (बिहार) के विभिन्न गांवों में शिक्षा उन्नयन, ग्रामीण अवसरचना, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, स्वच्छता, आजीविका आदि में आवश्यकता आधारित संवर्धन के बाद आधारभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना।	ग्रामीण विकास	हां	बिहार	भोजपुर (आरा)	49	69.00	43.68	-	हां	एनएचपीसी	-
11	बांदापोरा निशात उद्यान का विकास।	स्वच्छ भारत अभियान	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बांदापोरा	35	36.82	36.82	-	नहीं	जिला विकास आयुक्त, बांदापोरा	-
12	विधान सभा, सरोजिनी नगर, जिला-लखनऊ में 100 हाई मास्ट सोलर लाइटों की संस्थापना।	पर्यावरण	नहीं	उत्तर प्रदेश	सरोजिनी नगर	87	28.00	23.46	-	नहीं	मैसर्स भारतीय को-ऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लखनऊ	-
13	चम्बा जिले में विकलांग व्यक्तियों को सहायता और उपकरणों के वितरण के लिए एनएचपीसी की सीएसआर पहल के तहत परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव	स्वच्छता एवं सफाई	हां	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	33	22.66	22.47	-	नहीं	अलिम्को	-
14	बांदापोरा में गुलशन चौक का विकास।	स्वच्छ भारत अभियान	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बांदापोरा	34	18.56	18.55	-	नहीं	जिला विकास आयुक्त, बांदापोरा	-

1 क्रम सं.	2 परियोजना का नाम	3 अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	4 स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	5 परियोजना का स्थान		6 परियोजना की अवधि (माह में)	7 परियोजना के लिए आवंटित राशि	8 वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	9 धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खातों में अंतर्लिखित राशि	10 कार्यान्वयन का तरीका - सीधे (हां/नहीं)	11 कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
15	आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन- वर्ष 2005 में भूकंप में क्षतिग्रस्त हुए पुराने भवन के स्थान पर गिंगल हाई स्कूल में स्कूल भवन का निर्माण	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	37	27.00	14.74	-	हां	एनएचपीसी	-
16	करलपोरा, मंत्रीगाम, चंदाजिक जैसे आसपास के गांवों में स्थानीय जलापूर्ति लाइन की मरम्मत और रखरखाव	ग्रामीण विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बांदापोरा	30	12.71	12.71	-	नहीं	जिला विकास आयुक्त, बांदापोरा	-
17	टी एंड एवआरडी, निगम कार्यालय के माध्यम से विद्युत मंत्रालय (एनएसडीसी और अन्य एसडीटी के माध्यम से) द्वारा अनुमोदित अन्य स्थानों के 3000 युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	57	12.85	11.97	-	नहीं	नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसडीसी)	-
18	जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश के बाहरी ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी आधारित सोलर पब्लिक लाइटिंग (हाई मस्ट) और सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्यान्वयन।	ग्रामीण विकास	नहीं	उत्तर प्रदेश	कानपुर	72	7.89	7.89	-	नहीं	मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), दिल्ली	-
19	गांव चेक, बांदापोरा (जम्मू-कश्मीर) में 2/3 पुलियों का निर्माण और मरम्मत/जलापूर्ति लाइन का विस्तार	ग्रामीण विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बांदापोरा	37	7.61	7.60	-	नहीं	जिला विकास आयुक्त, बांदापोरा	-
20	बांध स्थल के पास खेत में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के सभागार का निर्माण।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	26	6.09	5.61	-	हां	एनएचपीसी	-
21	परियोजना अस्पताल, सुरगिनी के लिए सीएसआर सहायता, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार (बैरास्पल) द्वारा समर्पित कोविड देखभाल केंद्र घोषित किया गया है।	स्वच्छता एवं सफाई	हां	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	23	6.50	5.54	-	हां	एनएचपीसी	-
22	आसपास के गांवों करलपोरा, चेक, मंत्रीगाम, चंदाजी और गुरेज के लिए कुलों, पुलियों और फुटपाथों की मरम्मत, मरम्मत और सफाई।	ग्रामीण विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बांदापोरा	33	5.18	4.18	-	नहीं	जिला विकास आयुक्त, बांदापोरा	-
23	गांव कोटला और थेरू (राम्पू), जिला रियासी में सुधार/विस्तार और जलापूर्ति उपलब्ध कराना	ग्रामीण विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	रियासी	33	42.00	3.00	-	नहीं	पीएचई रियासी (डीसी कार्यालय के माध्यम से)	-
24	आसपास के गांवों में कुलों की मरम्मत और रखरखाव।	ग्रामीण विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बांदापोरा	33	4.75	2.45	-	नहीं	जिला विकास आयुक्त, बांदापोरा	-

1 क्रम सं.	2 परियोजना का नाम	3 अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	4 स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	5 परियोजना का स्थान		6 परियोजना की अवधि (माह में)	7 परियोजना के लिए आबंटित राशि	8 वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	9 धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आव्ययित सीएसआर खातों में अंतर्लिखित राशि	10 कार्यान्वयन का तरीका - सीधे (हां/ नहीं)	11 कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
25	हरियाणा के मेवात क्षेत्र में समाज के वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता और आजीविका कार्यक्रम परियोजना 'पैड ममहिला' के लिए सहायता अनुदान हेतु परियोजना प्रस्ताव अनुरोध।	महिला सशक्तिकरण/ वरिष्ठ नागरिक	नहीं	हरियाणा	मेवात	14	2.09	2.09	-	नहीं	मैसर्स नूतन प्रयात्न, दिल्ली	-
26	जिला प्रशासन को कोविड-19 सहायता।	स्वच्छता एवं सफाई	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बांदापोरा	24	2.00	2.00	-	नहीं	जिला विकास आयुक्त, बांदापोरा	-
27	खलत्से गांव में बोरवेल के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना और पाइप लाइन बिछाना।	स्वच्छता एवं सफाई	हां	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	लेह	31	2.00	2.00	-	हां	एनएचपीसी	-
28	जबला गांव में शमशान घाट और शमशान घाट तक पहुंच का निर्माण	ग्रामीण विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	9	1.78	1.77	-	हां	एनएचपीसी	-
29	परिक्रमा मार्ग, गिराज तलहटी, गोवर्धन, मथुरा में पैदलचाल एवं 200 पेड़ों के 5 वर्ष के लिए रखरखाव हेतु अंशदान।	पर्यावरण	नहीं	उत्तर प्रदेश	मथुरा	60	1.46	1.46	-	नहीं	वंशीवट आश्रम, गोवर्धन, मथुरा	-
30	उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में सोलर हाई मास्ट लाइट (4x18 वाट) उपलब्ध कराने का अनुरोध।	पर्यावरण	नहीं	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	102	32.78	1.28	-	नहीं	यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-
31	बिजनौर संसदीय क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट (12 वाट) उपलब्ध कराना।	पर्यावरण	नहीं	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	63	1.02	1.02	-	नहीं	मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड।	-
32	बीकानेर विधानसभा क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट (12 वाट) लगाने का प्रस्ताव।	पर्यावरण	नहीं	राजस्थान	बीकानेर	64	1.02	1.02	-	नहीं	मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड।	-
33	हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बाहरी ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांग छात्रों की आवाजों के लिए बस सेवा प्रदान करने हेतु सहयोगी मोड पर सीएसआर सहायता।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	दिल्ली	उत्तरी दिल्ली	31	1.00	1.00	-	नहीं	प्रधानाचार्य, हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	-

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना का स्थान जिला	परियोजना की अवधि (माह में)	परियोजना के लिए आवंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खातों में अंतर्लिखित राशि	कार्यान्वयन का तरीका - सीधे (हां/ नहीं)	नाम	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका सीएसआर पंजीकरण सं.
34	सार्वजनिक क्षेत्रों, सामुदायिक केंद्रों आदि में आवश्यकता के अनुसार बोरवेल के साथ सुरक्षित पेयजल सुविधाएं, फिल्डेशन	स्वच्छ भारत अभियान	हां	असम	धेमाजी / लखीमपुर / माजुली / नारायणपुर	72	25.00	0.71	-	नहीं	स्थानीय पंचायत / नामघर / विद्यालय / जन प्रतिनिधि समिति	
35	स्थानीय खेलों, कला और संस्कृति के लिए प्रशिक्षण और सामग्री के माध्यम से सुदृढ़ीकरण।	खेल-कूद	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बांदीपोरा	20	0.40	0.39	-	नहीं	जिला विकास आयुक्त, बांदीपोरा	-
36	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, मंडार में दो कमरों का निर्माण	ग्रामीण विकास	हां	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	34	3.01	0.39	-	हां	एनएचपीसी	-
37	जीएचएस, सरी में बालिका शौचालय का निर्माण।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	20	1.76	0.36	-	नहीं	एसएमसी, सरी	-
38	देवरली, तीस्ता घाटी में शौचालय एवं रसोई के साथ सामुदायिक भवन का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हां	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	19	0.32	0.31	-	हां	एनएचपीसी	-
39	सुरंगानी बस स्टैंड का पुनः निर्माण	ग्रामीण विकास	हां	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	16	0.08	0.08	-	हां	एनएचपीसी	-
40	सरकारी माध्यमिक विद्यालय, बगवां मोहल्ला, किशतवाड़ के परिसर की दीवार एवं फर्श की मरम्मत	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	किशतवाड़	37	5.42	0.00	-	नहीं	सहायक विकास आयुक्त, किशतवाड़, ग्रामीण विकास विभाग, जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार	-
41	सरकारी बालिका विद्यालय संग्रामभाटा, किशतवाड़ के भवन का अनुसंधान/मरम्मत/नवीनीकरण।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	किशतवाड़	37	3.70	0.00	-	नहीं	सहायक विकास आयुक्त, किशतवाड़, ग्रामीण विकास विभाग, जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार	-
42	क्षय रोग केंद्र, किशतवाड़ में शौचालय परिसर का निर्माण	स्वच्छता एवं सफाई	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	किशतवाड़	37	3.60	0.00	-	नहीं	सहायक विकास आयुक्त, किशतवाड़, ग्रामीण विकास विभाग, जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार	-

1 क्रम सं.	2 परियोजना का नाम	3 अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	4 स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	5 परियोजना का स्थान		6 परियोजना की अवधि (माह में)	7 परियोजना के लिए आवंटित राशि	8 वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	9 धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खातों में अंतर्लिखित राशि	10 कार्यान्वयन का तरीका - सीधे (हां/नहीं)	11 कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
43	ब्लॉक मारवा में बरसर एचईपी स्थान के नोआपछी में पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए वृक्षारोपण के माध्यम से निवासक स्वास्थ्य देखभाल और विकासशील क्षेत्र के लिए हर्बल पार्क का विकास	पर्यावरण	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	किश्तवाड़	37	13.86	0.00	-	नहीं	सहायक विकास आयुक्त, किश्तवाड़, ग्रामीण विकास विभाग, जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार	-
44	जिला बारामूला (जम्मू-कश्मीर) के विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों (जैसे पीएचसी/सीएचसी और उप जिला अस्पतालों) में मशीनरी उपकरण, नामतः यूएसजी कलर डॉपलर, एक्स-रे मशीन, यूरिन एनालाइजर, कार्डिएक मॉनिटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जेनरेटर सेट, सीआर सिस्टम, डेंटल चेन उपलब्ध कराना।	स्वच्छता एवं सफाई	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	31	247.62	0.00	-	नहीं	डीसी, बारामूला	-
45	श्रीनगर के पंथा चौक में प्रस्तावित यात्री निवास में जलापूर्ति एवं स्वच्छता व्यवस्था तथा अन्य संबंधित सुविधा उपलब्ध कराना।	स्वच्छता एवं सफाई	नहीं	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	श्रीनगर	20	350.00	0.00	-	नहीं	श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड	सीएसआर 00021564
46	खाजा बाग, बारामूला और बागी सुंदरी सोपोर में बागवानी नर्सरी का आधुनिकीकरण (क्षमता अभिवृद्धि के लिए)।	ग्रामीण विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	31	64.50	0.00	-	नहीं	डीसी, बारामूला	-
47	स्कूलों में शौचालय का निर्माण।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	48	2.36	0.00	-	हां	एनएचपीसी	-
48	माध्यमिक विद्यालय जबला के पास पुल के एबटमेंट का सुदृढीकरण एवं फुटपाथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	39	2.73	0.00	-	हां	एनएचपीसी	-
49	सलामाबाद गांव का ग्रामीण विकास, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सलामाबाद का उन्नयन एवं मरम्मत	ग्रामीण विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	24	25.00	0.00	-	हां	एनएचपीसी	-
50	बांदीपोरा और गुरेज स्थानों पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन (सतत स्वास्थ्य देखभाल के लिए नियमित अंतराल पर एक अथवा दो केंद्रित स्थानों में न्यूनतम 2-3 अथवा चिकित्सा आवश्यकताओं के अनुसार शिविर)।	स्वच्छता एवं सफाई	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बांदीपोरा	36	10.17	0.00	-	नहीं	जिला विकास आयुक्त, बांदीपोरा	-
51	5 वर्षों के लिए रखरखाव और रखरखाव के समर्थन के लिए जेकेईडीए के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से परियोजना की ओर जाने वाली पहुँच सड़कों की सोलर स्ट्रीट लाइटिंग।	पर्यावरण	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बांदीपोरा	73	80.26	0.00	-	नहीं	जिला विकास आयुक्त, बांदीपोरा	-

1 क्रम सं.	2 परियोजना का नाम	3 अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	4 स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	5 परियोजना का स्थान		6 परियोजना की अवधि (माह से)	7 परियोजना के लिए आबंटित राशि	8 वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	9 धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आव्ययित सीएसआर खातों में अंतर्लिखित राशि	10 कार्यान्वयन का तरीका - सीधे (हां/ नहीं)	11 कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
52	गांव चक बांदीपोरा में सोलर स्ट्रीट लाइट।	पर्यावरण	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बांदीपोरा	54	27.56	0.00	-	नहीं	जिला विकास आयुक्त, बांदीपोरा	-
53	*प्रदूषण उपशमन संयंत्र अभियान (पीएपीए) के तहत वृक्षारोपण	पर्यावरण	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बांदीपोरा	42	5.00	0.00	-	नहीं	जिला विकास आयुक्त, बांदीपोरा / डीएफओ परियोजना अधिकारी कैट	-
54	एसवीपीआरआईटी द्वारा जनजातीय युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण, सेमिनार और कार्यशालाएं	शिक्षा एवं कौशल विकास	नहीं	गुजरात	नर्मदा	24	200.00	0.00	-	नहीं	सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट	सीएसआर 00009170
55	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ एमओयू के माध्यम से फरीदाबाद जिले (हरियाणा) के विभिन्न ग्रामीण गांवों में 12 वाट की 450 एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम की आपूर्ति और संस्थापना	पर्यावरण	हां	हरियाणा	फरीदाबाद	71	1.88	0.00	-	नहीं	मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), दिल्ली	-
56	उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में सीएसआर के तहत 500 सोलर लाइट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव	पर्यावरण	नहीं	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर	84	45.00	0.00	-	नहीं	यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-
57	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उत्तरांचल राज्य में अप्रत्याशित वर्षा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के पुनर्निर्माण के लिए 1.00 करोड़ रुपये की सीएसआर सहायता।	आपदा प्रबंधन	हां	उत्तराखण्ड	विभिन्न जिले	18	100.00	0.00	-	नहीं	उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी	सीएसआर 00017007
58	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में एक 250 एलपीएच आरओ सिस्टम की आपूर्ति, संस्थापना और प्रारंभ करने तथा दो वर्ष तक इसके रखरखाव के लिए सीएसआर सहायता।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	हरियाणा	फरीदाबाद	24	0.09	0.00	-	नहीं	मैसर्स नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड	-
59	श्री केदारनाथ उल्थान चैरिटेबल ट्रस्ट (एसकेयूसीटी) को नागरिक सुविधा भवन, बट्टीनाथ धाम का निर्माण।	कला एवं संस्कृति	नहीं	उत्तराखण्ड	चमोली	24	213.77	0.00	-	नहीं	श्री केदारनाथ उल्थान चैरिटेबल ट्रस्ट (एसकेयूसीटी)	सीएसआर 00009855

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना का स्थान जिला	परियोजना की अवधि (माह में)	परियोजना के लिए आबंटित राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खातों में अंतर्लिखित राशि	कार्यान्वयन का तरीका - सीधे (हां/ नहीं)	नाम	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका सीएसआर पंजीकरण सं.
60	बौद्धिक और विकास विकलांगता के व्यक्तियों (पीडब्ल्यूआईडी) को नियमित खेल प्रशिक्षण प्रदान करना	खेल-कूद	हां	दिल्ली	नई दिल्ली	36	100.00	0.00	-	नहीं	स्पेशल ओलंपिक भारत, नई दिल्ली।	सीएसआर 00008863
61	सीएसआर संघाणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से 10 आरओ तथा स्वच्छता परिसर।	स्वच्छ भारत अभियान	हां	असम व अरुणाचल प्रदेश	धेमाजी / लखीमपुर / माजुली / नारायणपुर / कमलें	80	10.00	-0.21	-	नहीं	स्थानीय पंचायत / नामघर / विद्यालय / जन प्रतिनिधि समिति	-
62	जिला रियासी के रियासी, चिखा और पौनी शैक्षिक क्षेत्रों के त्रिन्था, बाकल, कुंदा और खेरल के सरकारी स्कूलों में मौजूदा भवनों में सुधार तथा चारदीवारी / सुरक्षा दीवारों और अन्य सुविधाओं का निर्माण	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	रियासी	12	0.00	-5.48	-	हां	एनएचपीसी	
कुल जोड़							2306.98	1791.68				

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि के ब्यौरे (वित्तीय वर्ष 2021-22 की सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट की क्रम संख्या 8 ग देखें)

राशि (लाख रुपये में)

1 क्रम सं.	2 परियोजना का नाम	3 अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	4 स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	5 परियोजना का स्थान		6 परियोजना के लिए खर्च की गई राशि	7 कार्यान्वयन का तरीका (हां/ नहीं)	8 कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला			नाम	सीएसआर प्रतीकरण सं.
1	पीएम केयर फंड में 30 करोड़ रुपये का सीएसआर अंशदान	केंद्रीय सरकार निधि	नहीं	दिल्ली	नई दिल्ली	3000.00	हां	एनएचपीसी	-
2	बाहरी व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय - सीएसआर।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	372.42	हां	एनएचपीसी	-
3	बाहरी व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय - सीएसआर।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	किश्तवाड़	341.12	हां	एनएचपीसी	-
4	बाहरी व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय - सीएसआर।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	सिक्किम	ईस्ट व साउथ सिक्किम	316.31	हां	एनएचपीसी	-
5	बाहरी व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय - सीएसआर।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	सिक्किम	साउथ सिक्किम	304.31	हां	एनएचपीसी	-
6	बाहरी व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय - सीएसआर।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	उत्तराखंड	चंपावत	285.84	हां	एनएचपीसी	-
7	खराब शौचालयों को काम करने योग्य बनाने के लिए सुधार/रखरखाव/नवीनीकरण कार्य के लिए निधि।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	असम व अरुणाचल प्रदेश	विभिन्न जिले	275.11	नहीं	संबंधित जिले का शिक्षा विभाग और संबंधित स्कूल का एसएमसी।	-
8	बाहरी व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय - सीएसआर।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	मणिपुर	चुराचांदपुर और बिजुपुर	267.82	हां	एनएचपीसी	-
9	बाहरी व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय - सीएसआर।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	उत्तराखंड	फिरोज़गढ़	253.83	हां	एनएचपीसी	-
10	बाहरी व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय - सीएसआर।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	249.21	हां	एनएचपीसी	-
11	बाहरी व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय-सीएसआर।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	रियासी	248.75	हां	एनएचपीसी	-
12	बीके अस्पताल, फरीदाबाद में सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए बूस्टर सुविधा के साथ एक 1000 एलपीएम के ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	हरियाणा	फरीदाबाद	212.61	हां	एनएचपीसी	-
13	बाहरी व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय-सीएसआर।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	असम	धेमाजी	183.78	हां	एनएचपीसी	-
14	बाहरी व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय - सीएसआर।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	176.60	हां	एनएचपीसी	-

1	क्रम सं.	2	परियोजना का नाम	3	4	5		6	7	8	
						राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
			अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान			परियोजना के लिए खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
15		बाहरी व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय - सीएसआर।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	हिमाचल प्रदेश	चम्बा		160.76	हां	एनएचपीसी	-
16		कम से कम 500 एलपीएम क्षमता वाले 02 ऑक्सीजन संयंत्र के लिए सीएसआर सहायता, एक कोविड समर्पित अस्पताल, कारगिल के लिए और दूसरा सीएचसी संकू के लिए।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	कारगिल		160.00	नहीं	जिला प्राधिकरण, कारगिल	-
17		एनएचपीसी क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी द्वारा निर्मित स्कूल के शौचालयों में मरम्मत और रखरखाव तथा जलापूर्ति प्रणाली उपलब्ध कराना।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी		152.09	हां	एनएचपीसी	-
18		कोविड-19 के लिए सीसीई (कोल्ड चैन उपकरण) की अवसंरचना आदि का संवर्धन।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	श्रीनगर		139.10	हां	एनएचपीसी	-
19		बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	मणिपुर	चुराचंदपुर व बिजुपुर		82.31	हां	एनएचपीसी	-
20		बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/अन्य विद्यालयों पर व्यय - सीएसआर।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला		72.56	हां	एनएचपीसी	-
21		बाहरी व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/अन्य विद्यालयों पर व्यय - सीएसआर।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला		72.56	हां	एनएचपीसी	-
22		बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	सिक्किम	ईस्ट व साउथ सिक्किम		70.20	हां	एनएचपीसी	-
23		सीएचसी धारचुला के लिए 500 एलपीएम क्षमता के 01 ऑक्सीजन प्लांट, 45 कैंपीए डोजी सेट की खरीद और विविध सिविल कार्य।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	उत्तराखण्ड	पिथौरागढ़		65.74	नहीं	सीएमओ, पिथौरागढ़	-
24		सीएचसी खालसी के लिए 200 एलपीएम क्षमता के 01 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और अन्य संबंधित सेवाओं/उपकरणों की खरीद।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	लेह		58.90	नहीं	जिला प्रशासन, लेह	-
25		बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	असम व अरुणाचल प्रदेश	धेमाजी / लखीमपुर / कमले		58.05	हां	एनएचपीसी	-
26		बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	हिमाचल प्रदेश	चम्बा		52.81	हां	एनएचपीसी	-
27		सीएसआर परियोजना के लिए 'जिला डोडा (क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू) में आरोग्य-प्राथमिक स्वास्थ्य जांच और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान तथा गैर संचारी रोगों के लिए अधिक जोर देते हुए माध्यमिक देखभाल की सुविधा'।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	डोडा		50.25	नहीं	सहारा हेल्थ एंड डेवलपमेंट सोसाइटी	सीएसआर 00011639
28		एक ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए जिला अस्पताल, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश को सीएसआर सहायता	स्वास्थ्य एवं सफाई	नहीं	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर		50.00	नहीं	जिलाधिकारी, सिद्धार्थ नगर	सीएसआर 00009393

1 क्रम सं.	2 परियोजना का नाम	3 अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	4 स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	5 परियोजना का स्थान		6 परियोजना के लिए खर्च की गई राशि	7 कार्यान्वयन का तरीका - सीधे (हां/ नहीं)	8 कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
29	समाज के कमजोर सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पेट्रोलिंग वाहनों की खरीद के लिए पुलिस आयुक्त फरीदाबाद को सीएसआर सहायता।	महिला सशक्तिकरण/ वरिष्ठ नागरिक	हां	हरियाणा	फरीदाबाद	46.21	नहीं	पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद	-
30	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	सिक्किम	साउथ सिक्किम	34.75	हां	एनएचपीसी	-
31	खराब शौचालयों को काम करने योग्य बनाने के लिए सुधार/ रखरखाव/ नवीनीकरण कार्य के लिए निधि।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	मणिपुर	चुराचंदपुर	30.59	हां	एनएचपीसी	-
32	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बस्ती, उ०प्र० के लिए 02 हार्स वैन उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य एवं सफाई	नहीं	उत्तर प्रदेश	बस्ती	28.40	नहीं	पुलिस अधीक्षक, बस्ती	-
33	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	28.34	हां	एनएचपीसी	-
34	खराब शौचालयों को काम करने योग्य बनाने के लिए सुधार/ रखरखाव/ नवीनीकरण कार्य के लिए निधि।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	26.63	हां	एनएचपीसी	-
35	एक गैर सरकारी संगठन सेवा भारती, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर जिलों के दूर-दराज के क्षेत्रों के बीमार व्यक्तियों को एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान कर रहा है, के लिए एम्बुलेंस (पंजीकरण सहित) की खरीद के लिए सीएसआर सहायता	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	किश्तवाड़	25.02	नहीं	सेवा भारती, जम्मू	सीएसआर 00001542
36	जम्मू-कश्मीर के कटुआ जिले में आउटरीच स्वास्थ्य सेवा परियोजना के लिए सहायता।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	कटुआ	25.00	नहीं	सहारा हेल्थ एंड डेलपमेंट सोसाइटी	सीएसआर 00011639
37	सीसीई (कोल्ड चेन उपकरण) के बुनियादी ढांचे आदि के कोविड-19 संवर्द्धन के लिए।	स्वास्थ्य एवं सफाई	नहीं	अरुणाचल प्रदेश	पापुमपारे	21.50	नहीं	परिवार कल्याण निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार, नाहरलगुन	-
38	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	19.78	हां	एनएचपीसी	-
39	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	19.63	हां	एनएचपीसी	-
40	खराब शौचालयों को काम करने योग्य बनाने के लिए सुधार/ रखरखाव/ नवीनीकरण कार्य के लिए निधि।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	19.34	हां	एनएचपीसी	-
41	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	लेह	17.95	हां	एनएचपीसी	-

1 क्रम सं.	2 परियोजना का नाम	3 अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	4 स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	5 परियोजना का स्थान		6 परियोजना के लिए खर्च की गई राशि	7 कार्यान्वयन का तरीका - सीधे (हां/ नहीं)	8 कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
42	जिला कमले, अरुणाचल प्रदेश में 02 एसएचटी टाइप एम्युलेंस उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	अरुणाचल प्रदेश	कमले/जीरो	16.38	हां	एनएचपीसी	-
43	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	15.08	हां	एनएचपीसी	-
44	खराब शौचालयों को काम करने योग्य बनाने के लिए सुधार/ रखरखाव/ नवीनीकरण कार्य के लिए निधि।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	उत्तराखण्ड	चंपावत	14.52	हां	एनएचपीसी	-
45	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	14.07	हां	एनएचपीसी	-
46	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	किश्तवाड़	13.16	हां	एनएचपीसी	-
47	ग्राम दोहाक, ग्राम पंचायत, बड़गांव गालू तहसील झंडुता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में विरासत की सुरक्षा/ संरक्षण के लिए सामुदायिक क्षेत्र का विकास।	ग्रामीण विकास	हां	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	12.42	नहीं	खंड विकास अधिकारी, झंडुता	-
48	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	कारगिल	12.41	हां	एनएचपीसी	-
49	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	12.09	हां	एनएचपीसी	-
50	चिकित्सा व्यय एनएचपीसी अस्पताल/ बाहरी व्यक्तियों के लिए औषधालय-सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	रियासी	10.98	हां	एनएचपीसी	-
51	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	अरुणाचल प्रदेश	लोअर दिबांग वैली	10.92	हां	एनएचपीसी	-
52	मेधावी अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	सिक्किम	ईस्ट सिक्किम	10.80	हां	एनएचपीसी	-
53	खराब शौचालयों को काम करने योग्य बनाने के लिए सुधार/ रखरखाव/ नवीनीकरण कार्य के लिए निधि।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	उत्तराखण्ड	पिथौरागढ़	10.53	नहीं	संबंधित स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समितियां	-
54	खराब शौचालयों को काम करने योग्य बनाने के लिए सुधार/ रखरखाव/ नवीनीकरण कार्य के लिए निधि।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	किश्तवाड़	10.00	हां	एनएचपीसी	-
55	फरीदाबाद नगर निगम को फरीदाबाद में स्वच्छता आंदोलन को पूरा और तेज करने के लिए ट्रेक्टर ट्रॉली उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	हरियाणा	फरीदाबाद	9.97	नहीं	नगर निगम फरीदाबाद	-
56	आरडी 10000 से ग्राम रैल्ला/ सैंज जिला कुल्लू तक मोटोरेबल सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हां	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	8.63	नहीं	खंड विकास अधिकारी, कुल्लू	-

1 क्रम सं.	2 परियोजना का नाम	3 अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	4 स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	5 परियोजना का स्थान		6 परियोजना के लिए खर्च की गई राशि	7 कार्यान्वयन का तरीका - सीधे (हां/ नहीं)	8 कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
57	खराब शौचालयों को काम करने योग्य बनाने के लिए सुधार/ रखरखाव/ नवीनीकरण कार्य के लिए निधि।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग/ कलीमपोंग	7.53	हां	एनएचपीसी	-
58	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	उत्तराखंड	पिथौरागढ़	6.84	हां	एनएचपीसी	-
59	खराब शौचालयों को काम करने योग्य बनाने के लिए सुधार/ रखरखाव/ नवीनीकरण कार्य के लिए निधि।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	6.64	हां	एनएचपीसी	-
60	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	कटुआ	6.48	हां	एनएचपीसी	-
61	बिजली महादेव, मकीमी मथान, जिला कुल्लू में सराय भवन का पुनर्निर्माण।	ग्रामीण विकास	हां	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	6.16	नहीं	खंड विकास अधिकारी, कुल्लू	-
62	लायंस क्लब, जलपाईगुड़ी को एम्बुलेंस उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	6.02	हां	एनएचपीसी	-
63	मेधावी अल्पविक्रियों को छात्रवृत्ति	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	4.56	हां	एनएचपीसी	-
64	ग्रामीण युवाओं के लिए कटिंग एंड टेलरिंग, ब्यूटी कल्चर और कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट का व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	4.50	नहीं	वाईएमवीटी, बनीखेत	सीएसआर 00016152
65	धेमाजी और लखीमपुर जिलों (असम) और कमले जिला (अरुणाचल प्रदेश) में स्वास्थ्य सुविधा के उन्नयन के लिए पीएचसी/ सीएचसी में चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	असम व अरुणाचल प्रदेश	धेमाजी/ लखीमपुर/ कमले	4.36	हां	एनएचपीसी	-
66	सरकारी स्कूलों के उत्तीर्ण प्रतिशत में सुधार के लिए "शिक्षित हरियाणा" परियोजना को संस्थागत बनाने के लिए एक परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) की स्थापना के लिए सीएसआर सहायता।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	हरियाणा	फरीदाबाद	4.00	नहीं	उपायुक्त- फरीदाबाद, हरियाणा	-
67	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	उत्तराखंड	चंपावत	3.65	हां	एनएचपीसी	-
68	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	3.36	हां	एनएचपीसी	-
69	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	3.35	हां	एनएचपीसी	-
70	तहसील सैंज के ग्राम माझा में राहत के रूप में अग्नि प्रभावित लोगों को जीएल शीट उपलब्ध कराना।	आपदा प्रबंधन	हां	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	2.99	हां	एनएचपीसी	-
71	ग्राम गुरेज के अग्नि प्रभावित परिवारों के लिए एसडीएम गुरेज को टिन शीट उपलब्ध कराने के लिए 2.3 मीट्रिक टन सीजीआई शीट की खरीद।	आपदा प्रबंधन	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बांदीपोरा	2.86	हां	एनएचपीसी	-

1 क्रम सं.	2 परियोजना का नाम	3 अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	4 स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	5 परियोजना का स्थान		6 परियोजना के लिए खर्च की गई राशि	7 कार्यान्वयन का तरीका - सीधे (हां/ नहीं)	8 कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
72	टैंकर आपूर्ति के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	कारगिल	2.74	हां	एनएचपीसी	-
73	रेडक्रॉस सोसायटी को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	2.49	हां	एनएचपीसी	-
74	ड्राइंग और पेंटिंग लैब में सुधार के लिए अनुश्रुति अकादमी फॉर द डेफ (एएडी), आईआईटी रुड़की को वित्तीय सहायता।	शिक्षा एवं कौशल विकास	नहीं	उत्तराखंड	रुड़की	2.34	नहीं	अनुश्रुति बधिर अकादमी	-
75	जिला प्रशासन, मण्डी को व्हील चेरर की खरीद और वितरण के लिए सीएसआर सहायता।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	हिमाचल प्रदेश	मंडी	2.00	हां	एनएचपीसी	-
76	खराब शौचालयों को काम करने योग्य बनाने के लिए सुधार/ रखरखाव/ नवीनीकरण कार्य के लिए निधि।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	अरुणाचल प्रदेश	लोअर दिबांग वैली	1.67	हां	एनएचपीसी	-
77	खराब शौचालयों को काम करने योग्य बनाने के लिए सुधार/ रखरखाव/ नवीनीकरण कार्य के लिए निधि।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	उधमपुर	1.60	हां	एनएचपीसी	-
78	खराब शौचालयों को काम करने योग्य बनाने के लिए सुधार/ रखरखाव/ नवीनीकरण कार्य के लिए निधि।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	1.50	हां	एनएचपीसी	-
79	खराब शौचालयों को काम करने योग्य बनाने के लिए सुधार/ रखरखाव/ नवीनीकरण कार्य के लिए निधि।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	लेह	1.23	हां	एनएचपीसी	-
80	ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए गरीब और जरूरतमंद छात्रों को टैबलेट प्रदान करना।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	1.20	हां	एनएचपीसी	-
81	पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए नवचेतना स्कूल भवन, कुल्लू के लिए रैंप का निर्माण।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	1.14	नहीं	खंड विकास अधिकारी, कुल्लू	-
82	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	1.05	हां	एनएचपीसी	-
83	बाहरी व्यक्तियों के लिए एनएचपीसी के अस्पताल/ औषधालय पर चिकित्सा व्यय - सीएसआर।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू/ मंडी	0.49	हां	एनएचपीसी	-
84	पुराने 02 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, जो प्रथम और द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	सिक्किम	साउथ सिक्किम	0.48	हां	एनएचपीसी	-
85	11 ग्राम पंचायतों (कोटली भेल) के लोगों के बीच सेनिटाइजर, मास्क, दस्ताने, हैंड वॉश आदि की खरीद एवं वितरण।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	उत्तराखंड	टिहरी गढ़वाल	0.48	हां	एनएचपीसी	-
86	खराब शौचालयों को काम करने योग्य बनाने के लिए सुधार/ रखरखाव/ नवीनीकरण कार्य के लिए निधि।	स्वच्छ विद्यालय अभियान	हां	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	कारगिल	0.10	हां	एनएचपीसी	-

1 क्रम सं.	2 परियोजना का नाम	3 अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	4 स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	5 परियोजना का स्थान		6 परियोजना के लिए खर्च की गई राशि	7 कार्यान्वयन का तरीका - सीधे (हां/ नहीं)	8 कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
87	बालिका निकेतन, वेद मंदिर समिति, अम्फल्ला, जम्मू के मोजूदा भवन के ऊपर दो अतिरिक्त मजिला भवन का निर्माण	महिला सशक्तिकरण/ वरिष्ठ नागरिक	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	जम्मू	0.00	हां	एनएचपीसी	-
88	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, धानपाल, जिला रियासी, जम्मू-कश्मीर में मरम्मत और रखरखाव कार्य (चारदीवारी और शौचालय का निर्माण)।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	रियासी	0.00	हां	एनएचपीसी	-
89	वार्ड नंबर 9, धानपाल रैला धानपाल, जिला रियासी, जम्मू-कश्मीर में 25 सोलर लाइट की सस्थापना।	पर्यावरण	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	रियासी	0.00	हां	एनएचपीसी	-
90	बस स्टैंड, उड़ी के पास जियारत-सैयद वहाब उद्दीन बुखारी में शौचालय, वॉश एरिया का निर्माण और टाइल लगाने का कार्य।	स्वच्छ भारत अभियान	हां	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला	0.00	हां	एनएचपीसी	-
91	कंक्रीट कृत्रिम तालाब की मरम्मत करके अलची गांव के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु सीएसआर सहायता।	ग्रामीण विकास	हां	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	लेह	0.00	नहीं	जिला प्रशासन, लेह	-
92	अलची स्कॅगरिंस प्लू में सिंचाई के उद्देश्य से कृत्रिम ग्लेशियर के निर्माण के लिए सीएसआर सहायता।	ग्रामीण विकास	हां	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	लेह	0.00	हां	एनएचपीसी	-
93	डलहौजी और तिसा में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, चंबा की क्लीनिकल प्रयोगशालाओं को सेल काउंटर मशीन उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	0.00	हां	एनएचपीसी	-
94	दोलुंगमुख सर्कल, जिला कमले, अरुणाचल प्रदेश में स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय की मरम्मत और रखरखाव।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	अरुणाचल प्रदेश	कमले	0.00	नहीं	संबंधित स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समितियां	-
95	टीएए नदी, चंपक छज्जो गांव, अरुणाचल प्रदेश में आरसीसी पुल/ पुलिया और बाढ़ नियंत्रण कार्य का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हां	अरुणाचल प्रदेश	वेस्ट सियांग	0.00	हां	एनएचपीसी	-
96	दुरपई गांव, कांगकू सर्कल, लोअर सियांग, अरुणाचल प्रदेश- सुबानसिरी लोअर प्रोजेक्ट में डबल स्टोरी रोस्टरम तथा मिनी स्टेडियम का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हां	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सियांग	0.00	नहीं	जल संसाधन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार	-
97	कचू सर्कल, लोअर सियांग, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत दुर्पई गांव में एकका नाला में मजबूत सीमेंट कंक्रीट नाली का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हां	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सियांग	0.00	नहीं	जिला प्रशासन के माध्यम से	-
98	कोलापुकर/दोलुंगमुख सर्कल, जिला कमले, अरुणाचल प्रदेश में बहुसांस्कृतिक हॉल सह बैडमिंटन इनडोर हॉल का निर्माण।	खेल-कूद	हां	अरुणाचल प्रदेश	कमले	0.00	नहीं	जिला प्रशासन के माध्यम से	-

1 क्रम सं.	2 परियोजना का नाम	3 अधिनियम की अनुसूची-VII में क्रियाकलापों की सूची से मद	4 स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	5 परियोजना का स्थान		6 परियोजना के लिए खर्च की गई राशि	7 कार्यान्वयन का तरीका - सीधे (हां/ नहीं)	8 कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
99	हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक वर्ष के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु शिक्षा देने और 222 सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए सीएसआर सहायता।	शिक्षा एवं कौशल विकास	हां	हरियाणा	फरीदाबाद	0.00	नहीं	पुनर्जागरण समिति, नई दिल्ली	CSR 00004423
100	चिकित्सा मोबाइल यूनिटों (एमएमयू) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रयास सोसाइटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लिए सीएसआर	स्वास्थ्य एवं सफाई	नहीं	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	0.00	नहीं	प्रयास सोसायटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	CSR 00001812
101	गोवर्धन, मथुरा में छोटी और बड़ी परिक्रमा के लिए टीटीएसपी बूथ, वाटर लाइन और ट्यूबवेल के प्रचालन और रखरखाव का कार्य।	स्वास्थ्य एवं सफाई	नहीं	उत्तर प्रदेश	मथुरा	0.00	नहीं	उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद	-
102	मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वैन की खरीद के लिए संकल्प कैंसर केयर फाउंडेशन को सीएसआर सहायता।	स्वास्थ्य एवं सफाई	नहीं	दिल्ली	नई दिल्ली	0.00	नहीं	संकल्प कैंसर केयर फाउंडेशन	CSR 00011691
103	सेक्टर-8, फरीदाबाद स्थित डॉ. सूरज प्रसाद आरोग्य केंद्र (डे केयर कम डायग्नोस्टिक सेंटर) की तीसरी मजिल का निर्माण।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	हरियाणा	फरीदाबाद	0.00	नहीं	भारतीय विकास परिषद समाज कल्याण ट्रस्ट, फरीदाबाद	-
104	सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र के लिए मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक के लिए 01 मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद।	स्वास्थ्य एवं सफाई	नहीं	पंजाब	संगरूर	0.00	नहीं	सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता संगठन (ओएससीए), दिल्ली।	सीएसआर 00020695
105	आकांक्षी जिला नूह, हरियाणा में ग्राम समुदाय के बीच स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप।	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	हरियाणा	नूह	0.00	नहीं	बिन्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान (बीएसजीएसएस)	सीएसआर 00001405
106	वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए सहायता: उत्तर प्रदेश के सोनमद्र और मथुरा जिलों में वृक्ष मित्र-ग्राम मित्र अभियान	पर्यावरण	नहीं	उत्तर प्रदेश	सोनमद्र और मथुरा	0.00	नहीं	खुशहाली फाउंडेशन एनजीओ	सीएसआर 00015266
107	सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब के प्रमुख स्थानों पर 20 हैवी लेम्पों की खरीद एवं संस्थापना।	पर्यावरण	नहीं	पंजाब	संगरूर	0.00	नहीं	सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता संगठन (ओएससीए), दिल्ली।	सीएसआर 00020695
108	पश्चिम सिक्किम जिले में विकलांग व्यक्तियों को सहायता और उपकरणों के वितरण के लिए एनएचपीसी की सीएसआर पहल के तहत परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव	स्वास्थ्य एवं सफाई	हां	सिक्किम	वेस्ट सिक्किम	-0.07	नहीं	अलिमको	-
	कुल जोड़					8351.88			

अनुबंध-घ

पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में खर्च की गई सीएसआर राशि के बारे में (वित्तीय वर्ष 2021-22 की सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट की क्रम संख्या 9ख देखें)

राशि (लाख रुपये में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि (माह में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संवदी राशि	पूरी की गई/जारी परियोजना की स्थिति
1	1903108002	1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन उपलब्ध कराना।	2019-20	27	785.17	485.16	785.16	पूरी की गई
2	1712100001	हिमाचल प्रदेश के शिमला और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों में एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्यान्वयन	2017-18	110	554.63	432.85	554.63	जारी
3	1903100003	एलिम्फो के माध्यम से बांदीपोरा, लखीमपुर, धेमाजी, पिथौरागढ़, पश्चिम सियांग, चुराचादपुर में लगभग 2000 विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी)को सहायता और उपकरणों का वितरण।	2019-20	20	204.14	208.31	208.31	पूरी की गई
4	1804100005	आजीविका बढ़ाने के लिए एनएसडीसी के माध्यम से 3000 और अन्य कौशल विकास एजेंसी अर्थात् एनएचएफडीसी/ केवीआईसी के माध्यम से 1000 दिव्यांग और अन्य को परियोजना परिधि से बाहर (25 किलोमीटर तक) रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण	2018-19	37	887.22	111.77	814.71	पूरी की गई
5	1904100003	'विकास, नवीनीकरण और उन्नति योजना' के तहत मुंडेरी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कन्नूर, केरल में 6 क्लासरूम का निर्माण	2019-20	23	210.00	84.00	210.00	पूरी की गई
6	1903108003	8 वर्षों के लिए सीएमसी के साथ 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराना।	2019-20	27	678.17	78.17	678.17	पूरी की गई
7	1912103002	सलाल पावर स्टेशन द्वारा जिला रियासी के गांव बिड़डा को आदर्श गांव के रूप में गोद लेना। क. आरसीसी सतह की पानी की टंकी। ख. बिड़डा रोड की रिटेनिंग वॉल और ब्लैक टॉपिंग का निर्माण।	2019-20	29	101.88	65.60	96.48	पूरी की गई
8	1803100001	बारामुला जिले (जम्मू-कश्मीर) में चयनित लाभार्थियों को कृत्रिम अंग, क्लच और क्लिच चैयर के निःशुल्क वितरण के लिए हड्डी रोग शिविर	2018-19	38	50.00	49.99	49.99	पूरी की गई
9	1903106003	सोपोर, जिला- बारामुला (जम्मू-कश्मीर) के स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के लिए सिविल कार्य और मशीनरी उपकरण।	2019-20	28	228.00	45.00	145.05	जारी
10	1712508001	ब्लॉक शाहपुर, आरा (जिला भोजपुर) के विभिन्न गांवों में पीसीसी रोड का निर्माण। क. ब्लॉक शाहपुर, आरा (जिला भोजपुर) के विभिन्न ग्रामों में सामुदायिक केन्द्र, शौचालय सहित दो कमरे, छठ घाट, वेटेड चौराहा, शेड सहित चबूतरा एवं एक शौचालय का निर्माण। ख. ब्लॉक शाहपुर, जिला भोजपुर (बिहार) के विभिन्न गांवों में शिक्षा उन्नयन, ग्रामीण अवसरचना, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, स्वच्छता, आजीविका आदि में आवश्यकता आधारित सर्वेक्षण के बाद आधारभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना।	2017-18	49	375.81	43.68	350.49	जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि (माह में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संवदी राशि	पूरी की गई/जारी परियोजना की स्थिति
11	1715120002	बांदीपोरा निशात उद्यान का विकास।	2017-18	35	162.72	36.82	162.72	पूरी की गई
12	2006100001	विधान सभा, सराजिनी नगर, जिला-लखनऊ में 100 हाई मास्ट सोलर लाइटों की संस्थापना।	2020-21	87	40.00	23.46	35.46	जारी
13	1803100004	चम्बा जिले में विकलांग व्यक्तियों को सहायता और उपकरणों के वितरण के लिए एनएचपीसी की सीएसआर पहल के तहत परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव	2018-19	33	22.66	22.47	22.47	पूरी की गई
14	1715120001	बांदीपोरा में गुलशन चौक का विकास।	2017-18	34	103.49	18.55	103.48	पूरी की गई
15	1804106001	आधारभूत संरचना का उन्नयन- वर्ष 2005 में भूकंप में क्षतिग्रस्त हुए पुराने भवन के स्थान पर गिंगल हाई स्कूल में स्कूल भवन का निर्माण	2019-20	37	41.93	14.74	29.67	जारी
16	1912120002	करलपोरा, मंत्रीगाम, चंदवाजी जैसे आसपास के गांवों में स्थानीय जलापूर्ति लाइन की मरम्मत और रखरखाव	2019-20	30	13.17	12.71	13.17	पूरी की गई
17	1604100002	टी एंड एचआरडी, निगम कार्यालय के माध्यम से विद्युत मंत्रालय (एनएसडीसी और अन्य एसडीटी के माध्यम से) द्वारा अनुमोदित 3000 युवाओं के लिए अन्य स्थानों के लिए रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण	2016-17	57	157.90	11.97	157.02	पूरी की गई
18	1612100004	जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश के बाहरी ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी आधारित सोलर पब्लिक लाइटिंग (हाई मस्ट) और सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्यान्वयन।	2016-17	72	259.64	7.89	259.64	जारी
19	1812120001	गांव चैक, बांदीपोरा (जम्मू-कश्मीर) में 2/3 पुलियों का निर्माण और मरम्मत/जलापूर्ति लाइन का विस्तार	2018-19	37	13.97	7.60	13.96	पूरी की गई
20	1904110001	बांध स्थल के पास खेत में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के सभागार का निर्माण।	2019-20	26	9.59	5.61	9.11	पूरी की गई
21	1812120002	आसपास के गांवों करलपोरा, चैक, मंत्रीगाम, चंदवाजी और गुरेज के लिए कुलों, पुलियों और फुटपाथों की मरम्मत, मरम्मत और सफाई।	2019-20	33	7.02	4.18	6.02	जारी
22	1912103003	गांव कोटला और थेरू (राप्), जिला रियासी में सुधार/ विस्तार और जलापूर्ति उपलब्ध कराना	2019-20	33	81.50	3.00	42.50	जारी
23	1912120001	आसपास के गांवों में कुलों की मरम्मत और रखरखाव।	2019-20	33	23.85	2.45	21.55	जारी
24	1805100002	हरियाणा के मेवात क्षेत्र में समाज के वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता और आजीविका कार्यक्रम परियोजना 'पेड महिला' के लिए सहायता अनुदान हेतु परियोजना प्रस्ताव अनुरोध।	2018-19	30	13.85	2.09	13.85	पूरी की गई
25	1903120003	जिला प्रशासन को कोविड-19 सहायता।	2019-20	24	2.00	2.00	2.00	पूरी की गई
26	1903121002	खलत्से गांव में बोरेल के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना और पाइप लाइन बिछाना।	2019-20	31	20.00	2.00	20.00	पूरी की गई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि (माह में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संवदी राशि	पूरी की गई/जारी परियोजना की स्थिति
27	1812116012	जबला गांव में शमशान घाट और शमशान घाट तक पहुंच का निर्माण	2018-19	9	15.48	1.77	15.47	पूरी की गई
28	2006100002	परिक्रमा मार्ग, गिरिराज तलहटी, गोवर्धन, मथुरा में पौधरोपण एवं 200 पेड़ों के 5 वर्ष के लिए रखरखाव हेतु अंशदान।	2016-17	60	13.77	1.46	13.77	पूरी की गई
29	1806100004	उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में सोलर हाई मास्ट लाइट (4x18 वाट) उपलब्ध कराने का अनुरोध।	2018-19	102	45.00	1.28	13.50	जारी
30	1806100003	बिजनौर संसदीय क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट (12 वाट) उपलब्ध कराना।	2018-19	63	43.45	1.02	43.45	जारी
31	1806100005	बीकानेर विधानसभा क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट (12 वाट) लगाने का प्रस्ताव।	2018-19	64	43.45	1.02	43.45	जारी
32	1904100001	हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बाहरी ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांग छात्रों की आवाजाही के लिए बस सेवा प्रदान करने हेतु सहयोगी मोड पर सीएसआर सहायता।	2019-20	31	10.00	1.00	10.00	पूरी की गई
33	1615115003	सार्वजनिक क्षेत्रों, सामुदायिक केंद्रों आदि में आवश्यकता के अनुसार बोरेल के साथ सुरक्षित पेयजल सुविधाएं, फिल्डेशन	2016-17	72	1289.17	0.71	1264.87	पूरी की गई
34	1909120001	स्थानीय खेलों, कला और संस्कृति के लिए प्रशिक्षण और सामग्री के माध्यम से सुदृढीकरण।	2019-20	20	5.01	0.39	5.00	पूरी की गई
35	1912101004	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, भंडार में दो कमरों का निर्माण	2019-20	34	7.53	0.39	4.91	जारी
36	1904119002	जीएचएस, सरी में बालिका शौचालय का निर्माण।	2019-20	20	4.33	0.36	2.93	पूरी की गई
37	1812114003	देवराली, तीस्ता घाटी में शौचालय एवं रसोई के साथ सामुदायिक भवन का निर्माण।	2018-19	19	24.38	0.31	24.37	पूरी की गई
38	1912101001	सुरंगानी बस स्टैंड का पुनः निर्माण	2019-20	4	9.14	0.08	9.14	पूरी की गई
39	1904109003	सरकारी माध्यमिक विद्यालय, बगवां मोहल्ला, किश्तवाड़ के परिसर की दीवार एवं फर्श की मरम्मत	2019-20	37	6.59	0.00	1.17	जारी
40	1904109002	सरकारी बालिका विद्यालय संग्राममाटा, किश्तवाड़ के भवन का अनुरक्षण/मरम्मत/नवीनीकरण।	2019-20	37	7.40	0.00	3.70	जारी
41	1903109002	क्षय रोग केंद्र, किश्तवाड़ में शौचालय परिसर का निर्माण	2019-20	37	7.44	0.00	3.84	जारी
42	1906109001	ब्लॉक मारवा में बरसर एचईपी स्थान के नोआपची में पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए वृक्षारोपण के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य देखभाल और विकासशील क्षेत्र के लिए हर्बल पार्क का विकास	2019-20	37	15.00	0.00	1.14	जारी
43	1903106002	जिला बारामूला (जम्मू-कश्मीर) के विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों (जैसे पीएचसी/सीएचसी और उप जिला अस्पतालों) में मशीनरी उपकरण, जैसे यूएसजी कलर डॉपलर, एक्स-रे मशीन, यूरेन एनालाइजर, कार्डिएक मॉनिटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जेनरेटर सेट, सीआर सिस्टम, डेंटल चैन उपलब्ध कराना।	2019-20	31	803.20	0.00	555.58	जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि (माह में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संवदी राशि	पूरी की गई/जारी परियोजना की स्थिति
44	1912106001	ख्वाजा बाग, बारामूला और बागी सुंदरी सोपोर में बागवानी नर्सरी का अधुनिकीकरण (क्षमता अभिवृद्धि के लिए)।	2019-20	31	107.50	0.00	43.00	जारी
45	1614116001	स्कूलों में शौचालय का निर्माण।	2016-17	48	5.15	0.00	2.79	पूरी की गई
46	1812116004	माध्यमिक विद्यालय जबला के पास पुल के एबटमेंट का सुदृढीकरण एवं फुटपाथ का निर्माण।	2018-19	39	4.00	0.00	1.27	जारी
47	1812116008	सलामाबाद गांव का ग्रामीण विकास, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सलामाबाद का उन्नयन एवं मरम्मत	2019-20	24	27.74	0.00	2.74	जारी
48	1903120001	बांदीपोरा और गुरेज स्थानों पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन (स्थायी स्वास्थ्यदेखभाल के लिए नियमित अंतराल पर एक अथवा दो केंद्रित स्थानों में न्यूनतम 2-3 अथवा चिकित्सा आवश्यकताओं के अनुसार शिविर)।	2019-20	36	13.91	0.00	3.74	जारी
49	1706120001	5 वर्षों के लिए रखरखाव और रखरखाव के समर्थन के लिए जेकेईडीए के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से परियोजना की ओर जाने वाली पहुँच सड़कों की सोलर स्ट्रीट लाइटिंग।	2017-18	73	104.30	0.00	24.04	जारी
50	1806120001	गांव चैक बांदीपोरा में सोलर स्ट्रीट लाइट।	2019-20	54	29.04	0.00	1.48	जारी
51	1906120001	"प्रदूषण उपशमन संयंत्र अभियान (पीएपीए)" के तहत वृक्षारोपण	2019-20	42	5.00	0.00	0.00	जारी
52	1806100001	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्रशासन के साथ एमओयू के माध्यम से फरीदाबाद जिले (हरियाणा) विभिन्न ग्रामीण गांवों में 12 वाट की 450 एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम की आपूर्ति और संस्थापना	2018-19	71	80.56	0.00	78.68	जारी
53	1906100001	उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में सीएसआर के तहत 500 सोलर लाइट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव	2019-20	84	45.00	0.00	0.00	जारी
54	2004100005	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में एक 250 एलपीएच आरओ सिस्टम की आपूर्ति, संस्थापना और प्रारंभ करने तथा दो वर्ष तक इसके रखरखाव के लिए सीएसआर सहायता।	2020-21	24	1.09	0.00	1.00	जारी
55	1915115001	सीएसआर संधारणीयता के लिए जिला प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से 10 आरओ तथा स्वच्छता परिसर।	2019-20	80	69.75	-0.21	59.53	जारी
56	1904103001	जिला रियासी के रियासी, विखा और पौनी शैक्षिक क्षेत्रों के त्रिन्हा, बाकल, कुद्रा और खेरल के सरकारी स्कूलों में मौजूदा भवनों में सुधार तथा चारदीवारी/सुरक्षा दीवारों और अन्य सुविधाओं का निर्माण	2019-20	12	51.11	-5.48	45.63	पूरी की गई
		कुल जोड़			7942.81	1786.14	7085.80	

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित की गई अथवा अधिग्रहीत की गई परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरे दें।

पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की कुल राशि 11.28 करोड़ रुपये है। (परिसंपत्ति-वार ब्यौरे)।

1. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: मुंडेरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, कन्नूर, केरल में 6 क्लास रूम का निर्माण।

(क)	पूंजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	10.02.2022
(ख)	पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	84,00,000/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	सचिव, जिला पंचायत, कन्नूर, केरल
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	मुंडेरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, कन्नूर, केरल में 6 क्लास रूम का निर्माण

2. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: जिला अस्पताल, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में एक ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की संस्थापना।

(क)	पूंजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	31.03.2022
(ख)	पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	49,99,999/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	जिलाधिकारी, सिद्धार्थ नगर, उ.प्र.
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	जिला अस्पताल, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश के परिसर में 570 एलपीएम वाले 01 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की संस्थापना

3. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: बीके अस्पताल, फरीदाबाद में सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए बूस्टर सुविधा वाले 1000 एलपीएम के ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र में से एक की आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और चालू करना।

(क)	पूंजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	31.03.2022
(ख)	पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	2,12,60,923/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला सिविल (बीके) अस्पताल, फरीदाबाद।
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	जिला सिविल बीके अस्पताल, फरीदाबाद के परिसर में सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए बूस्टर सुविधा वाले 1000 एलपीएम के ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र में से एक की आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और चालू करना।

4. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: समाज के कमजोर सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पेट्रोलिंग वाहनों की खरीद

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	31.03.2022
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	46,20,710/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद, हरियाणा
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद, हरियाणा में पेट्रोलिंग वाहनों के रूप में 05 मारुति सुजुकी अर्टिगा

5. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बस्ती, उत्तर प्रदेश के लिए 02 हार्स वैन उपलब्ध कराना।

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	30.03.2022
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	28,40,420/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	पुलिस अधीक्षक, बस्ती, उ.प्र.
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	02 हार्स वैन, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, बस्ती, उत्तर प्रदेश।

6. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में सोलर हाई मास्ट लाइट (4x18 वाट) उपलब्ध कराना।

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	प्रगति पर
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	1,28,000/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में 45 सोलर हाई मास्ट लाइट (4 ग 18 वाट)

7. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: फरीदाबाद नगर निगम को फरीदाबाद में स्वच्छता अभियान में तेजी लाने तथा उसे पूरा करने के लिए ट्रैक्टर ड्राली उपलब्ध कराना।

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	प्रगति पर
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	9,96,510/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	नगर आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद, हरियाणा
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	10 ट्रैक्टर ड्रालियां, नगर निगम फरीदाबाद, हरियाणा

8. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: हिमाचल प्रदेश के शिमला और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों में एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्यान्वयन

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	08.12.2021
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	4,32,85,053/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), दिल्ली
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	हिमाचल प्रदेश के शिमला और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों में 3250 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइट।

9. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: विधान सभा, सरोजिनी नगर, जिला लखनऊ में 100 हाई मास्ट सोलर लाइटों की संस्थापना।

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	25.02.2022
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	23,45,514/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	मैसर्स भारतीय सहकारी ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लखनऊ
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	विधानसभा सरोजिनी नगर, जिला-लखनऊ में 30 हाई मास्ट सोलर लाइटें

10. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: बिड़डा रोड की रिटेनिंग वॉल का निर्माण और ब्लैक टॉपिंग।

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	प्रगति पर
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	13,35,818/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	पीडब्ल्यूडी, रियासी, (जम्मू-कश्मीर) संघ राज्य क्षेत्र
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	बिड़डा रोड (लंबाई 2.115 किमी), गांव- बिड़डा, जिला-रियासी (जम्मू और कश्मीर) संघ राज्य क्षेत्र

11. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: कोविड-19 के लिए कोल्ड चेन इक्विपमेंट (सीसीई) अवसंरचना आदि का संवर्द्धन।

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	06.03.2021 और 13.04.2021
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	1,39,09,997/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	सहायक निदेशक, परिवार कल्याण, एमसीएच और टीकाकरण, ब्लॉक ए, दूसरा तल, पुराना सचिवालय, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	आइस लाइन रेफ्रिजरेटर (बड़ा-29, छोटा-83), डीप फ्रीजर (बड़ा-01, छोटा-62), वॉक इन फ्रीज-01 परिवार कल्याण निदेशालय स्टोर (कंट्रोलर स्टोर्स(एच)), हड्डियों और जोड़ों के अस्पताल के पीछे, बरजुल्ला, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, पिन-190018

12. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: सीएचसी खालसी के लिए 200 एलपीएम क्षमता वाले 01 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और अन्य संबंधित सेवाओं/उपकरणों की खरीद

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	10.12.2021
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	58,90,000/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	उपायुक्त, लेह
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ 200 एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, सीएचसी-खालसी, लेह लद्दाख- 194106

13. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: खलत्सी गांव में बोरवेल के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना और पाइप लाइन बिछाना।

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	07.03.2022
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	2,00,000/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	सरपंच एवं पंच हलका पंचायत खलत्सी, ग्राम-खालसी लेह लद्दाख-194106
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	गांव-खालसी, लेह लद्दाख- 194106 में बोरवेल और पाइपलाइन बिछाकर पेयजल सुविधा

14. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: जिला प्रशासन, मण्डी को व्हील चेयर की खरीद और वितरण के लिए सीएसआर सहायता

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	22.11.2021
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	2,00,000/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	जिला प्रशासन, मण्डी/रेड क्रॉस सोसाइटी, मण्डी
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	जिला प्रशासन, मण्डी/रेडक्रास सोसायटी, मण्डी के लिए व्हील चेयर की खरीद एवं वितरण

15. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: ऑक्सीजन सिलेंडरों की खरीद के लिए जिला रेड क्रॉस सोसायटी, कुल्लू को सीएसआर सहायता।

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	15.07.2021
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	2,48,865/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	जिला प्रशासन, कुल्लू/चिकित्सा ऑक्सीजन जिला नोडल अधिकारी, कुल्लू
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	जिला प्रशासन, कुल्लू/चिकित्सा ऑक्सीजन जिला नोडल अधिकारी, कुल्लू के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद

16. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: सैंज तहसील के मचान गांव को राहत के तौर पर अग्नि प्रभावित व्यक्तियों को जीआई शीट उपलब्ध कराना।

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	11.01.2022
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	2,99,135/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	ग्राम माझां, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि.प्र.) के आग से प्रभावित लोग
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	ग्राम माझां, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि.प्र.) के अग्नि प्रभावित लोगों के लिए जीआई शीट उपलब्ध कराना

17. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए नवचेतना स्कूल भवन हेतु रैंप का निर्माण, कुल्लू

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	04.02.2022
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	1,14,000/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि.प्र.)
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए नवचेतना स्कूल भवन हेतु रैंप का निर्माण, जिला कुल्लू (हि.प्र.)

18. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: आरडी 10000 से ग्राम रैला/सैंज, जिला कुल्लू तक मोटरबल रोड का निर्माण।

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	04.02.2022
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	8,63,000/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि.प्र.)
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	आरडी 10000 से ग्राम रैला/सैंज, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) तक मोटरबल रोड का निर्माण

19. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: बिजली महादेव, मकीमी मथान, जिला कुल्लू में सराय भवन का पुनर्निर्माण।

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	04.02.2022
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	6,16,000/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि.प्र.)
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	बिजली महादेव, मकीमी मथान, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में सराय भवन का पुनर्निर्माण

20. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: जबला गांव में शमशान घाट और शमशान घाट तक पहुंच का निर्माण।

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	27.08.2019
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	1,76,602/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	सिख समुदाय सलामाबाद, बारामूला, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	गांव जबला, जिला बारामूला, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में शमशान घाट और शमशान घाट तक पहुंच का निर्माण

21. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: सुरंगानी बस स्टैंड का पुनः निर्माण।

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	12.03.2021
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	7,802/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	उपायुक्त, जिला चंबा (हि.प्र.)
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	सुरंगानी बस स्टैंड, जिला चंबा (हि.प्र.) का पुनर्निर्माण

22. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: राजकीय प्राथमिक विद्यालय भंडार में दो कमरों का निर्माण।

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	24.12.2021
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	38,563/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, भंडार, एजुकेशन ब्लॉक, सुंदला, तहसील सलूनी, जिला चंबा (हि.प्र.)
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	सरकारी प्राथमिक विद्यालय भंडार, सुंदला, तहसील सलूनी, जिला चंबा (हि.प्र.) में दो कमरों का निर्माण

23. सीएसआर क्रियाकलाप का नाम: जीएचएस, सरी में बालिका शौचालय का निर्माण।

(क)	पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि	06.04.2020
(ख)	पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	36,073/- रुपये
(ग)	कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के ब्यौरे, जिसके नाम पर ऐसी पूँजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, पता आदि।	प्रधानाचार्य सरकारी हाई स्कूल, सरी जिला कुल्लू (हि.प्र.)
(घ)	सृजित की गई अथवा अर्जित (पूँजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।	जीएचएस, सरी, जिला कुल्लू (हि.प्र.) में बालिका शौचालय का निर्माण

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

{कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसरण में}

सेवा में,
सदस्यगण,
एनएचपीसी लिमिटेड,

हमने एनएचपीसी लिमिटेड, (जिसे एतदपश्चात "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट कार्य व्यवहारों के पालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि जिससे हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध हुआ।

सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर हम एतद्वारा यह सूचित करते हैं कि हमारे मतानुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है:

हमने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

- कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियम;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम;

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश -

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) विनियम, 2015;
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी का इश्यू तथा प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2018;
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का इश्यू और सूचीकरण) विनियम, 2008;
- कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (किसी इश्यू और शेयर अंतरण एजेंट के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2021;
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 2018;

- कंपनी पर लागू होने वाले अन्य विशिष्ट लागू कानूनों (जैसा कि उद्योग पर लागू हो) के अंतर्गत अनुपालन/प्रक्रिया/प्रणाली पर कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आंतरिक अनुपालन प्रणाली के अंतर्गत आवधिक प्रमाण-पत्र के आधार पर विश्वास किया जा रहा है।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है:

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी समय-समय पर यथासंशोधित सचिवालयी मानक।
- भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015)।
- सीपीएसई हेतु कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है जो निम्नलिखित अभिमत के अधीन है:

- I. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे परंतुक के अनुसार, निदेशक मंडल की संरचना में दिनांक 01.04.2021 से 29.11.2021 तक की अवधि के दौरान एक स्वतंत्र महिला निदेशक शामिल नहीं थी और बोर्ड में दिनांक 01.04.2021 से 30.11.2021 तक की अवधि के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या पचास प्रतिशत से कम थी।
- II. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या पचास प्रतिशत से कम थी और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के अनुसार, दिनांक 01.04.2021 से 30.11.2021 तक की अवधि के दौरान कार्यात्मक निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक थी।
- III. कंपनी में दिनांक 01.04.2021 से 06.12.2021 तक की अवधि के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं थी तथा दिनांक 01.04.2021 से 06.12.2021 तक की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता समिति की संरचना और दिनांक 05.08.2021 से 06.12.2021 तक जोखिम प्रबंधन समिति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, 177 और 178, सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 18, 19, 20 और 21 और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अध्याय 4 और 5 के अनुरूप नहीं थी।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी का निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित नहीं था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को अधिनियम के

प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

सामान्यतः, सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के कार्यक्रम, कार्यसूची, कार्यसूची संबंधी विस्तृत नोट, सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए कम से कम सात दिन पूर्व अथवा उससे कम के नोटिस पर पर्याप्त रूप से भेजे गए थे और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।

बोर्ड/समिति की बैठक (बैठकों) में किए गए सभी निर्णय सभी निदेशकों/सदस्यों की एकमत सहमति से अथवा अपेक्षित बहुमत से लिए गए थे।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग तथा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार तथा प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन में कंपनी के कार्यों पर व्यापक प्रभाव डालने वाली कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई है।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

आईसीएसआई विशिष्ट कोड : पी2003डीईओ49100
समकक्ष समीक्षा प्रमाण-पत्र सं.: 626/2019

हस्ता./-

सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.06.2022

एफसीएस सं. : 5774
सीपी सं. : 5910

यूडीआईएन : एफ005774डी000537571

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो "अनुबंध-क" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

सेवा में,
सदस्यगण
एनएचपीसी लिमिटेड,

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयी रिकार्ड का रख-रखाव कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे समक्ष लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, इन सचिवालयी अभिलेखों पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवालयी रिकार्डों की विषय-वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा परिपाटियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयी रिकार्डों में सही तथ्यों को दर्शाया जा सके। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा परिपाटियों ने हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध करवाया है।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों तथा लेखाबहियों की सटीकता तथा उपयुक्तता की जांच नहीं की है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले शामिल किए गए अभिमतों/ टिप्पणियों/कमजोरियों को शामिल नहीं किया गया है।

4. जहां-कहीं अपेक्षित होने पर हमने कानूनों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर कार्यविधियों के सत्यापन और कंपनी द्वारा उचित बोर्ड प्रक्रियाओं तथा अनुपालन तंत्र के मौजूद होने या न होने पर अपना मत व्यक्त करने तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भविष्य की अर्थक्षमता का आश्वासन है और न ही उस प्रभाव अथवा प्रभावोत्पादकता की जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

आईसीएसआई विशिष्ट कोड : पी2003डीईओ49100
समकक्ष समीक्षा प्रमाण-पत्र सं.: 626/2019

हस्ता./-
सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस सं. : 5774
सीपी सं. : 5910

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

[(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण,
एनएचडीसी लिमिटेड,
एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू,
श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश – 462013 भारत

हमने एनएचडीसी लिमिटेड (जिसे इसके बाद “कंपनी” कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छे कारपोरेट कार्य व्यवहारों के पालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा को इस प्रकार से किया गया था कि जिससे हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपना मत व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध करवाया था।

सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्वारा यह सूचित करते हैं कि हमारे मतानुसार, कम्पनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका और एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को नीचे दिया गया है:

हमने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और एनएचडीसी लिमिटेड (“कंपनी”) द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की है:

- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (“एससीआरए”) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान यहां नीचे उल्लिखित कोई भी शेयर अथवा कोई अन्य प्रतिभूतियां किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं);
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियम (लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान यहां नीचे उल्लिखित कोई भी शेयर

अथवा कोई अन्य प्रतिभूतियां डीमैट रूप में धारित नहीं हैं);

- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियम (लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत शासित कोई भी विदेशी लेन-देन नहीं किया है);
- (v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (“सेबी अधिनियम”) के अंतर्गत विहित विनियम और दिशा-निर्देश (लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान यहां नीचे उल्लिखित कोई भी शेयर अथवा कोई अन्य प्रतिभूतियां, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं):-
 - (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) विनियम, 1992;
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी का इश्यू तथा प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009;
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999
 - (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का इश्यू और सूचीकरण) विनियम, 2008;
 - (च) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ कारोबार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (किसी इश्यू और शेयर अंतरण एजेंट के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;
 - (छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीबद्ध करना) विनियम, 2009;
 - (ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 2018;

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है:

- I. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक।
- II. कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार, यदि लागू हो (लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान यहां नीचे उल्लिखित कोई भी शेयर अथवा कोई अन्य प्रतिभूतियां किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं);

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि जांच करने के बाद निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर ली गई विभाग प्रमुखों तथा कंपनी सचिव की त्रैमासिक रिपोर्टों और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने इस पर लागू होने वाले सभी केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय कानूनों/नियमों/विनियमों का अनुपालन किया है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि :-

- एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है और सभी निदेशक संयुक्त उद्यम भागीदारों अर्थात् एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल का महिला निदेशक सहित कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के साथ विधिवत गठन किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
- सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के कार्यक्रम, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम 7 दिवस पहले पर्याप्त रूप से भेजे जाते हैं और बैठक से पूर्व कार्यसूची मद्दों पर अतिरिक्त सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता हेतु एक तंत्र विद्यमान है।
- बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी घोषणाएं बहुमत से की जाती हैं तथा उन्हें निदेशक मंडल और बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों, जैसा भी मामला हो, में दर्ज किया जाता है, और असहमति वाले सदस्य के मत कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किए जा सकते हैं, यहां तक कि समीक्षाधीन अवधि में ऐसा कोई अवसर नहीं था।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य नियमों और विनियमों/ दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न नीतियां बनाई हैं और इन्हें अपनाया है जो निम्नानुसार हैं:

- संबंधित पक्षकार नीति;
- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति;
- सतर्कता तंत्र नीति;
- जोखिम प्रबंधन नीति; तथा
- निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता।

उपर्युक्त नीतियां, जहां भी आवश्यक हैं, कंपनी की वेबसाइट पर डाल दी गई हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग और इसे सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त तंत्र और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। इस संबंध में परियोजनाओं पर सभी परियोजना प्रमुखों और कारपोरेट स्तर पर विभागों के प्रमुखों से त्रैमासिक/वार्षिक अनुपालन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आंतरिक प्रणाली विकसित की गई है। हमें यह भी समझाया गया है कि एनएचडीसी के वित्त प्रभाग ने सेबी के दिनांक 18.10.2019 के परिपत्र के संगत खंड (खंडों) की प्रयोज्यता के संबंध में एनएचडीसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूचित किया है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और लेखांकन मानदंडों के अनुपालन तथा वार्षिक वित्तीय विवरणी, लागत रिकॉर्ड के अनुपालन की इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समीक्षा नहीं की गई है, क्योंकि यह अन्य निर्दिष्ट व्यावसायिकों द्वारा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा/लागत लेखापरीक्षा के अध्वधीन है। यह रिपोर्ट हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जानी है जो अनुबंध-क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानदंडों आदि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं थी।

कृते अमित कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स

हस्ता./-
सीएस अमित कुमार जैन
भागीदार कंपनी सचिव
एम. सं. एफ-6522
सीपी सं. : 7136

दिनांक : 24.06.2022
स्थान : भोपाल

अनुबंध-क

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
एनएचडीसी लिमिटेड,
एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू,
श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश-462013 भारत

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयी रिकार्ड का रख-रखाव कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, इन सचिवालयी अभिलेखों पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवालयी रिकार्डों की विषय-वस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा परिपाटियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालयी रिकार्डों में सही तथ्यों को दर्शाया जा सके। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा परिपाटियों ने हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध करवाया है।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों तथा लेखाबहियों की सटीकता तथा उपयुक्तता की जांच नहीं की है।

4. जहां-कहीं अपेक्षित होने पर हमने कानूनों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर कार्यविधियों के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भविष्य की अर्थक्षमता का आश्वासन है और न ही उस प्रभाव अथवा प्रभावोत्पादकता की जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते अमित कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स

हस्ता./-
सीएस अमित कुमार जैन
भागीदार कंपनी सचिव
एम. सं. एफ-6522
सीपी सं. : 7136

यूडीआईएन: F006522D000541221

दिनांक : 24.06.2022

स्थान : भोपाल

कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

1. कारपोरेट अभिशासन संबंधी कंपनी का दर्शन

आपकी कंपनी इस बात में विश्वास करती है कि प्रभावी कारपोरेट अभिशासन की कार्यपद्धतियां वाणिज्यिक उपक्रम के सफल प्रचालन के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करने हेतु आवश्यक हैं। निगमित अभिशासन के संबंध में कंपनी का दर्शन सभी हितधारकों, जिसमें विनियामक, कर्मचारी, ग्राहक, विक्रेता, निवेशक और बड़े पैमाने पर समाज शामिल है, को पारदर्शिता, जिम्मेदारी, नैतिक कॉर्पोरेट व्यवहार और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

आपकी कंपनी, कंपनी के लिए लागू सभी विनियामक प्रावधानों जैसे कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य निदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सर्वश्रेष्ठ कारपोरेट अभिशासन कार्यपद्धतियों को कार्यान्वित करती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कारपोरेट अभिशासन और प्रकटन अपेक्षाओं के साथ अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट नीचे दी गई है:

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की भूमिका में कंपनी के लक्ष्यों की योजना बनाना और उन्हें कार्यनीतिक बनाना तथा प्रयोजनों की प्रगति की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करना शामिल है। बोर्ड संरचना का विविध दृष्टिकोण, विशेषज्ञता, परिप्रेक्ष्य और ज्ञान की एक श्रृंखला सामने लाता है जो विभिन्न हितधारकों की व्यापक चिंताओं को पर्याप्त रूप से दर्शाता है। सभी सांविधिक और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री सूचना बोर्ड के समक्ष इसके दायित्वों के प्रभावी और कुशल निर्वहन के लिए रखी जाती है।

आपकी कंपनी का बोर्ड, निरंतर रूप से आपकी कंपनी के विजन और मिशन के अनुरूप स्थायी दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है।

(i) बोर्ड का आकार और संरचना:

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के संदर्भ में, बोर्ड में न्यूनतम चार और अधिकतम पंद्रह निदेशक होंगे। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार बोर्ड में नौ निदेशक थे, जिनमें से चार कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित), एक सरकारी नामिती निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक थे।

एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है और यह विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, कंपनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति/उनका नामांकन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, निदेशक मंडल की संरचना स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या नहीं होने की स्थिति में, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और कारपोरेट अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। कंपनी ने अपने बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर भारत सरकार से अनुरोध किया है। विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 08.11.2021 और 10.11.2021 के पत्र द्वारा एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर (डीआईएन: 07592413), डॉ. अमित कंसल (डीआईएन: 07722428), डॉ. रश्मि शर्मा रावल (डीआईएन: 09410683) और श्री जीजी जोसफ (डीआईएन: 09415941) की नियुक्ति उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक किए जाने के संबंध में सूचित किया। तदनुसार, निदेशक मंडल में उन्हें क्रमशः दिनांक 15.11.2021, 21.11.2021, 30.11.2021 और 01.12.2021 से अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था।

(ii) निदेशकों की कार्य अवधि:

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अथवा भारत सरकार के अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सामान्यतः तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। सरकारी नामिती

निदेशक नामांकन प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार अथवा नामांकन प्राधिकारी के अधिकारी रहने तक बोर्ड में बने रहते हैं।

(iii) **नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का जीवन-वृतः**

आगामी वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे निदेशकों का संक्षिप्त जीवन-वृत वार्षिक आम बैठक को बुलाने वाले नोटिस के साथ संलग्न किया गया है।

(iv) **निदेशकों का कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता**

आपकी कंपनी ज्ञान, व्यावसायिक अनुभव और योग्यता, लिंग, आयु, सांस्कृतिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि, और समय-समय पर संगत माने जाने वाले किसी भी अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए एकसमान कौशल, अनुभव और विशेषज्ञता वाले बोर्ड के विविध लाभों की पहचान करती है और उन्हें अपनाती है।

बोर्ड की सभी नियुक्तियाँ प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। कार्यात्मक निदेशकों की भर्ती के लिए, लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा कार्य विवरण, वांछनीय अर्हता और अभ्यर्थियों के अनुभव को दर्शाते हुए रिक्ति जारी की जाती है। बोर्ड स्तर की समितियों में बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति करते समय विद्युत क्षेत्र और विद्युत व्यापार, वित्त, विधि, जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव पर विधिवत रूप से विचार किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुबंध-क में दिया गया मैट्रिक्स निदेशकों के मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमताओं का सार प्रस्तुत करता है।

(v) **बोर्ड की बैठकें:**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की दस बैठकें हुईं। वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और उसमें उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें

क्र. सं.	बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड बैठक की तिथि	बोर्ड की जनशक्ति	उपस्थित निदेशकों की संख्या		उपस्थिति का प्रतिशत *
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से	
1.	445	15 मई, 2021	6	4	2	100
2.	446	10 जून, 2021	6	4	2	100
3.	447	13 अगस्त 2021	6	5	1	100
4.	448	24 सितंबर, 2021	6	5	0	83.33
5.	449	11 नवंबर, 2021	6	5	1	100
6.	450	7 दिसंबर, 2021	9	5	4	100
7.	451	30 दिसंबर, 2021	9	8	1	100
8.	452	28 जनवरी, 2022	9	8	1	100
9.	453	11 फरवरी, 2022	9	8	1	100
10.	454	16 मार्च, 2022	9	8	1	100

बोर्ड की किन्हीं दो बैठकों के बीच समय का अधिकतम अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं था। 07 सितंबर, 2021 से पहले आयोजित बोर्ड की बैठकों के लिए आवश्यक कोरम स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण पूरा नहीं था।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, निदेशकों, बोर्ड की बैठकों/अंतिम एजीएम में उनकी उपस्थिति, कंपनी में धारित शेयरों की संख्या, अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में उनके निदेशक की पदधारिता और अन्य कंपनियों के निदेशक की पदधारिता की संख्या तथा बोर्ड स्तर की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या नीचे दी गई है।

निदेशक का नाम (श्री)	उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित और भाग लेने वाली बोर्ड की बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम (29 जून, 2021) में उपस्थिति	कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या *	अन्य कंपनियों में धारित समिति सदस्यता की संख्या *		अन्य सूचीबद्ध निकायों में निदेशक का पद (निदेशक पद की श्रेणी)
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में	
कार्यात्मक निदेशक							
अभय कुमार सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	10/10	हाँ	16,425	2	शून्य	शून्य	शून्य
निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक) ¹	4/5	नहीं	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
यमुना कुमार चौबे, निदेशक (तकनीकी)	10/10	हाँ	शून्य	3	शून्य	शून्य	शून्य
राजेंद्र प्रसाद गोयल, निदेशक (वित्त)	10/10	हाँ	17,488	4	2	शून्य	शून्य
बिस्वजीत बासु, निदेशक (परियोजनाएं)	10/10	हाँ	9500	5	शून्य	शून्य	शून्य
सरकारी नामिती निदेशक							
तन्मय कुमार, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय ²	3/3	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
रघुराज माधव राजेंद्रन, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय ³	7/7	नहीं	शून्य	2	शून्य	शून्य	1. एसजेवीएन लिमिटेड (अंशकालिक निदेशक) 2. पीटीसी इंडिया लिमिटेड (सरकारी नामिती निदेशक)
स्वतंत्र निदेशक							
उदय सखाराम निर्गुडकर ⁴	5/5	उ.न.	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य
अमित कंसल ⁵	5/5	उ.न.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रश्मि शर्मा रावल ⁶	5/5	उ.न.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीजी जोसफ ⁷	5/5	उ.न.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* भारतीय कंपनियों में धारित निदेशक पद पर विचार किया गया है।

** अन्य कंपनियों में लेखापरीक्षा समिति तथा हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में दिनांक 02.12.2021 से निदेशक नहीं रहे।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में दिनांक 13.09.2021 से निदेशक नहीं रहे।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में दिनांक 16.09.2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में दिनांक 15.11.2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में दिनांक 21.11.2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में दिनांक 30.11.2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में दिनांक 01.12.2021 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

टिप्पणियां:

- कंपनी के निदेशकों में से कोई भी निदेशक एक समय में सात (7) सूचीबद्ध कंपनियों सहित दस (10) से अधिक कंपनियों में निदेशक नहीं थे।
- कंपनी के निदेशकों में से कोई भी निदेशक सभी कंपनियों, जिसमें वह एक निदेशक है, में दस से अधिक (10) समितियों में सदस्य अथवा पांच से अधिक (5) बोर्ड स्तर की समितियों का अध्यक्ष नहीं है। बोर्ड स्तरीय समितियों की सीमा के निर्धारण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता अथवा सदस्यता पर ही विचार किया गया है।
- कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों में से कोई भी पूर्णकालिक निदेशक तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं।
- कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों में से कोई भी स्वतंत्र निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं।
- कंपनी के निदेशकों का आपस में परस्पर संबंध नहीं है।
- एनएचपीसी ने अद्यतन तिथि तक कोई परिवर्तनीय दस्तावेज जारी नहीं किया है, अतः किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक ने ऐसा कोई दस्तावेज धारित नहीं किया है।

(vi) बोर्ड की स्वतंत्रता

कम्पनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन की प्रक्रिया प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तदनुसार, कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त/नामांकित किए जाने वाले व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता एवं अनुभव के संबंध में विचार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। कंपनी के बोर्ड में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने विधि द्वारा अपेक्षित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा किया और वे वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा रखे गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में पंजीकृत थे। किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है।

(vii) निदेशकों हेतु परिचयात्मक कार्यक्रम:

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण के संबंध में एक नीति कार्यान्वित की है, जिसमें कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य सभी निदेशक शामिल हैं। कंपनी के निदेशकों को समय-समय पर लोक उद्यम विभाग, स्कोप और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा कारपोरेट अभिशासन, निदेशकों की भूमिका और उत्तरदायित्व तथा अन्य उद्योग से संबंधित मामलों पर इन-हाउस आयोजित विभिन्न सम्मेलनों/कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया जाता है। इससे वे अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी और दक्ष निर्वहन के लिए ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में सक्षम होते हैं।

परिचयात्मक कार्यक्रमों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Familiarisation%20Programme%20IDs-%20English_IFA_upto%2031-03-22.pdf

(viii) कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी कंपनियों को उस के तरीके के बारे में निदेशकों की रिपोर्ट में सूचना प्रदान करने से छूट दी थी, जिसमें बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों का वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, यदि निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, किया गया है।

लोक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के सभी शीर्ष प्रबंधन पदधारियों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु निर्धारित तंत्र के अनुसार, कंपनी के सभी कार्यात्मक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नामित निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन भी नामित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वतंत्र निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया था क्योंकि दिनांक 7 सितंबर, 2020 को शेष दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण 8 सितंबर, 2020 से बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार, एनएचपीसी ने दिनांक 26.04.2016 से

लागू 'बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी नीति' लागू की थी। आपकी कंपनी ने नीति का 'बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी नीति' के रूप में संशोधन किया था और इसमें बोर्ड के सभी सदस्यों, बोर्ड की पूर्ण एवं अनिवार्य समितियों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन को शामिल किया है। उपर्युक्त नीति दिनांक 27.04.2022 से प्रभावी है। कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मानदंड को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किया जाएगा।

3. बोर्ड की समितियां:

बोर्ड की समितियां कंपनी की अभिशासन संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और बोर्ड को विशिष्ट क्षेत्रों/क्रियाकलापों पर तार्किक निर्णय लेने में सहायता करती हैं। उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मामलों पर समितियों की सिफारिशें बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जाती हैं। सेबी एलओडीआर और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, बोर्ड द्वारा निम्नलिखित अनिवार्य समितियां गठित की गई हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. हितधारक संबंध समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
4. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीयता संबंधी समिति
5. जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं का पर्याप्त रूप से अनुपालन करने के लिए, स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण वर्ष के शेष भाग के लिए निदेशक मंडल द्वारा उपर्युक्त अनिवार्य समितियां (नामांकन और पारिश्रमिक समिति को छोड़कर) पुनर्गठित की गई थीं।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के दिनांक 08.11.2021 और 10.11.2021 के आदेशों के अनुसार, नवंबर/दिसंबर, 2021 माह में एनएचपीसी के बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित चार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई थी। तत्पश्चात, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप दिनांक 07.12.2021 से उपर्युक्त अनिवार्य समितियों का पुनर्गठन किया था।

जहां-कहीं समितियों द्वारा अपेक्षित होने पर समितियों के समक्ष रखे गए मामलों पर आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है। बोर्ड ने बोर्ड की समिति (समितियों) की उन सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिनका अनिवार्य रूप से समिति (समितियों) द्वारा उसके अनुमोदन के लिए सिफारिश किया जाना आवश्यक है।

अनिवार्य और गैर-अनिवार्य समितियों के सदस्यों, आयोजित बैठकों, विचारार्थ विषयों आदि का ब्योरा नीचे दिया गया है:

3.1 लेखापरीक्षा समिति

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

i)	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य

निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में पदेन आमंत्रित होते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों और लागत लेखापरीक्षकों को भी लेखापरीक्षा समिति की उन बैठकों में आमंत्रित किया गया था जिनमें क्रमशः वित्तीय विवरणों तथा लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर चर्चा की गई थी। कंपनी सचिव, समितियों के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

विचारार्थ विषय:

इस समिति का संक्षिप्त विचारार्थ विषय कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और उसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन है।

यह लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण की भी सिफारिश करती है और लेखापरीक्षकों द्वारा उनके द्वारा दी गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन करती है। यह समिति प्रबंधन के साथ तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणी तथा उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। यह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की पर्याप्तता की समीक्षा करती है। यह व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्यप्रणाली की समीक्षा करती है। यह संबद्ध पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन भी करती है और कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर तथा कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ में उल्लिखित कार्य करती है। समिति के विस्तृत विचारार्थ विषय http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/Terms_of-Reference_Committee_of_Directors_06012022_E.pdf पर उपलब्ध हैं।

बैठकें और उपस्थिति:

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की दस बैठकें हुईं। बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	बैठक की तिथि	श्री तन्मय कुमार ¹	श्री निखिल कुमार जैन ²	श्री यमुना कुमार चौबे	श्री रघुराज माधव राजेंद्रन ³	डॉ. उदय सखाराम निर्गुंडकर ⁴	श्री जीजी जोसफ ⁵
1.	10.06.2021				उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	06.07.2021				उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	10.07.2021				उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	21.07.2021*				उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	13.08.2021				उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6.	11.11.2021	N.A.				उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7.	29.12.2021	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		
8.	11.02.2022	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		
9.	15.02.2022	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		
10.	16.03.2022	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		5	6	10	1	4	4
भाग ली गई बैठकें		5	5	10	1	4	4
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	83.33	100	100	100	100

* स्थगित बैठक

1 दिनांक 13.09.2021 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

2 दिनांक 02.12.2021 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

3 दिनांक 24.09.2021 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई और दिनांक 07.12.2021 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

4 दिनांक 07.12.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई।

5 दिनांक 07.12.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई।

अनुपस्थिति की अनुमति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

श्री तन्मय कुमार, सरकारी नामिती निदेशक ने दिनांक 01.04.2021 से 13.08.2021 तक सभी बैठकों की अध्यक्षता की। श्री रघुराज माधव राजेंद्रन ने दिनांक 11.11.2021 को आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। तत्पश्चात, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने पर, बोर्ड द्वारा दिनांक 07.12.2021 को लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था। तदनुसार, डॉ. उदय सखाराम निर्गुंडकर, स्वतंत्र निदेशक ने दिनांक 07.12.2021 के बाद आयोजित लेखापरीक्षा समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता की।

लेखापरीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष 29 सितंबर, 2021 को आयोजित कंपनी की अंतिम एजीएम में उपस्थित नहीं थे, तथापि उन्होंने शेयरधारकों के प्रश्न, यदि कोई हो, का उत्तर देने के लिए अपनी ओर से लेखापरीक्षा समिति के एक सदस्य को अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नामित किया था।

3.2 हितधारक संबंध समिति

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

i)	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य
iii)	श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य

कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के प्रतिनिधि को आरटीए द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी देने के लिए समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया था।

विचारार्थ विषय

इस समिति का संक्षिप्त विचारार्थ विषय प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों को हल करना है। यह शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी उपयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा भी करती है और कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और डीपीई द्वारा जारी निगमित अभिशासन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथा अपेक्षित कार्य करती है। समिति के विस्तृत विचारार्थ विषय http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/Terms_of-Reference_Committee_of_Directors_06012022_E.pdf पर उपलब्ध हैं।

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति ने दो बैठकें कीं। बैठकों और सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	बैठक की तिथि	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल ¹	श्री निखिल कुमार जैन ²	श्री यमुना कुमार चौबे	श्री बिस्वजीत बसु ³	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर ⁴
1.	10 नवंबर, 2021					उपलब्ध नहीं
2.	28 जनवरी, 2022		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं	
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		2	1	2	1	1
भाग ली गई बैठकें		2	1	2	1	1
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	100	100	100	100

1. दिनांक 07.12.2021 से समिति के अध्यक्ष नहीं रहे।
2. दिनांक 02.12.2021 से समिति के सदस्य नहीं रहे।
3. दिनांक 07.12.2021 से समिति के सदस्य नहीं रहे।
4. दिनांक 07.12.2021 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम:

श्री सौरभ चक्रवर्ती ने कंपनी सचिव के रूप में कार्य किया तथा दिनांक 01.04.2021 से 24.09.2021 तक कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य किया।

तत्पश्चात, श्रीमती रुपा देब को सेबी एलओडीआर के विनियम 6 के अनुसार दिनांक 24 सितंबर, 2021 से कंपनी के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

शेयरधारकों/बाण्डधारकों की शिकायतें:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, विभिन्न माध्यमों जैसे ई-मेल, पत्रों, सेबी स्कोर्स इत्यादि से प्राप्त शेयरधारकों/बाण्डधारकों की शिकायतों पर, विवादों अथवा कानूनी बाधाओं से बाधित मामलों को छोड़कर, तेजी से कार्रवाई की गई थी। वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निपटान की गई शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	इक्विटी शेयरधारक	बाण्डधारक
1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभिक शेष	2	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त	1085	112
वर्ष के दौरान निपटाई गई	1085	112
31, मार्च 2022 को लंबित	2	शून्य

3.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, एनएचपीसी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को बोर्ड तथा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। सरकारी नामिती निदेशक को कंपनी द्वारा किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना नीचे दी गई है:

i)	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
iii)	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

विचारार्थ विषय:

इस समिति का संक्षिप्त विचारार्थ विषय किसी निदेशक के सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदंड निरूपित करना तथा स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन हेतु मानदंड, बोर्ड की विविधता के संबंध में एक नीति तैयार करना है। यह निर्धारित मानदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों की पहचान और बोर्ड से उनकी नियुक्ति तथा उन्हें हटाने की सिफारिश भी करती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथापेक्षित अन्य कार्य करती है। समिति के विस्तृत विचारार्थ विषय http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/Terms_of-Reference_Committee_of_Directors_06012022_E.pdf पर उपलब्ध हैं।

बैठकें और उपस्थिति:

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठकों और इसमें सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	बैठक की तिथि	डॉ. रश्मि शर्मा रावल ¹	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर ²	श्री जीजी जोसेफ ²
1.	16 मार्च, 2022			
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		1	1	1
भाग ली गई बैठकें		1	1	1
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	100	100

¹ दिनांक 07.12.2021 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए।

² दिनांक 07.12.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किये गये।

 वास्तविक रूप से उपस्थित

3.4 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीयता संबंधी समिति

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीयता संबंधी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

1	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	डॉ. अमित कंसल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य
6	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य

विचारार्थ विषय:

समिति का संक्षिप्त विचारार्थ विषय बोर्ड को एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करना एवं सिफारिश करना है। यह समय-समय पर कंपनी द्वारा की गई सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए नीति तंत्र की निगरानी भी करती है। यह सीएसआर क्रियाकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री का अनुमोदन करती है और समय-समय पर निदेशक मंडल को उनकी सूचना, विचार एवं आवश्यक निर्देशों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यह समय-समय पर संशोधित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति संबंधी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन भी करता है। इस समिति के विचारार्थ विषय http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/Terms_of-Reference_Committee_of_Directors_06012022_E.pdf पर उपलब्ध हैं।

बैठकें और उपस्थिति:

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की पांच बैठकें हुईं। बैठकों और उसमें भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

क्र.स.	बैठक की तिथि	श्री यमुना कुमार चौबे ¹	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	श्री बिश्वजीत बसु	डॉ. रश्मि शर्मा रावल ²	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर ³	डॉ. अमित कंसल ³	श्री जीजी जोसेफ ³
1.	05 जुलाई, 2021				उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	10 नवंबर, 2021				उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	23 दिसंबर, 2021	उपलब्ध नहीं						
4.	28 जनवरी, 2022	उपलब्ध नहीं						
5.	16 मार्च, 2022	उपलब्ध नहीं						
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		2	5	5	3	3	3	3
भाग ली गई बैठकें		2	5	5	3	3	3	3
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	100	100	100	100	100	100

¹ दिनांक 07.12.2021 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

² दिनांक 07.12.2021 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई।

³ दिनांक 07.12.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई।

 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

3.5 जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी एलओडीआर की अपेक्षाओं के अनुसार, तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के समापन पर बाजार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित किए गए अनुसार शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियां (07.09.2021 से, शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियां) एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेंगी। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, बाजार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित की गई शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में एनएचपीसी शामिल थी।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

i)	डॉ. अमित कंसल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ii)	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य
iii)	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य

विचारार्थ विषय:

इस समिति का संक्षिप्त विचारार्थ विषय विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना है। यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी के व्यापार से संबंधित जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यपद्धति, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं। यह किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज़ अथवा प्रकटन में जोखिम प्रकटन विवरणों का भी अनुमोदन और समीक्षा करती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार यथापेक्षित कार्य करती है। समिति का विस्तृत विचारार्थ विषय http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/Terms_of-Reference_Committee_of_Directors_06012022_E.pdf पर उपलब्ध है।

बैठकें तथा उपस्थिति:

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें हुईं। बैठकों और इसमें भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

क्र.सं.	बैठक की तिथि	श्री यमुना कुमार चौबे	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	श्री विश्वजीत बासु ¹	डॉ. अमित कंसल ²
1.	05 अगस्त, 2021				उपलब्ध नहीं
2.	10 नवंबर, 2021				उपलब्ध नहीं
3.	16 मार्च, 2022			उपलब्ध नहीं	
संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या		3	3	2	1
भाग ली गई बैठकें		3	3	1	1
भाग ली गई बैठकों का प्रतिशत		100	100	50	100

¹ दिनांक 07.12.2021 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

² दिनांक 07.12.2021 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

अनुपस्थिति की अनुमति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

4. बोर्ड/समिति बैठकों हेतु कार्यपद्धति:

कंपनी अपने कार्यों के व्यावसायीकरण के लिए निदेश मंडल और इसकी समितियों की बैठकों हेतु सर्वोत्तम उद्योग परिपाटियों तथा प्रक्रियाओं को अपनाया जाना सुनिश्चित करती है। इससे बोर्ड तथा इसकी समितियों की बैठकों में एक सूचित तथा दक्ष निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

5. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

लोक उद्यम विभाग के दिनांक 28 दिसंबर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16(4)/2012-जीएम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV और और सेबी एलओडीआर की अपेक्षाओं के अनुसरण में, गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की

उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आयोजित की जानी आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई अलग बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2022 को आयोजित की गई थी।

6. धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने संबंधी नीति

कंपनी में धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने की नीति उपलब्ध है। यह नीति धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रोकथाम, उसकी रिपोर्टिंग (यदि पता चला है या संदिग्ध है) और धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित मामलों पर निष्पक्ष व्यवहार के लिए एक प्रणाली उपलब्ध कराती है जिसमें कर्मचारियों के साथ-साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं, या एनएचपीसी के साथ किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे किसी अन्य पक्षकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की सभी रिपोर्टों की अत्यधिक प्राथमिकता के साथ जांच की जाती है।

परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/यूनिटों के प्रमुख और कारपोरेट कार्यालय में विभाग प्रमुख (आंतरिक लेखापरीक्षा) को संबंधित स्थलों हेतु नीति के अंतर्गत नोडल अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है।

7. एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार को रोकने हेतु संहिता (कोड)

समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (आंतरिक व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, कंपनी ने "आंतरिक व्यक्ति द्वारा व्यापार के नियंत्रण, निगरानी तथा सूचना हेतु आचार संहिता" और "आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए उचित प्रकटन परिपाटियों की संहिता" तैयार और कार्यान्वित की है।

यह संहिता निम्नानुसार परिभाषित नामित व्यक्तियों पर लागू होती है:

- कंपनी के सभी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, मुख्य सतर्कता अधिकारी;
- कंपनी के महाप्रबंधक तथा उससे उच्च स्तर के सभी कार्यपालक और कारपोरेट कार्यालय में वित्त विभाग, कंपनी सचिवालय और निदेशकों के सचिवालय में कार्य कर रहे सभी कार्यपालक;
- कंपनी की वास्तविक सहायक कंपनियों के निदेशक, केएमपी तथा कर्मचारी (प्रमुख/प्रमुख अभियंता तथा उससे उच्च स्तर के कार्यपालक); और
- कंपनी के ऐसे अन्य कर्मचारी जिनमें वास्तविक सहायक कंपनियां, निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर नामित अस्थायी/तदर्थ कर्मचारी शामिल हैं, जिन पर व्यापारिक प्रतिबंध लागू होंगे।

एनएचपीसी की प्रतिभूतियों में व्यापार हेतु ट्रेडिंग विंडो नामित व्यक्तियों और उनके तत्काल निकटतम संबंधियों के लिए बोर्ड के समक्ष मूल्य संवेदनशील सूचना के रखे जाने के प्रस्तावित/प्रत्याशित होने के समय बंद रहती थी। उपर्युक्त के अलावा, ट्रेडिंग विंडो प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय परिणामों पर विचार करने के बाद 48 घंटे तक बंद रहती है।

इस संहिता के अंतर्गत श्री सौरभ चक्रवर्ती, प्रबंधक (कंपनी सचिव) को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: <http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Revised%20Insider%20Code%20dated%2007092020.pdf>

8. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सरकारी नामिती निदेशकों को कंपनी से किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित सीमा के भीतर स्वतंत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है।

वर्तमान में बोर्ड और उसकी समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को 30,000/- रुपये प्रति बैठक शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान बैठक शुल्क को 20,000/- रुपये से बढ़ाकर 30,000/- रुपये कर दिया गया था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक तथा बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क के ब्यौरे क्रमशः तालिका-क और तालिका-ख में दिए गए हैं।

तालिका क: वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि रूपए में)

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन	लाभ *	कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)	कुल
श्री अभय कुमार सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	46,24,801	29,99,534	17,23,775	93,48,110
श्री निखिल कुमार जैन ¹	निदेशक (कार्मिक)	28,24,190	35,65,045	18,21,318	82,10,553
श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)	56,99,531	13,21,997	16,98,543	87,20,071
श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)	48,94,518	29,84,504	13,82,916	92,61,938
श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)	44,14,038	1,15,69,233	14,24,394	1,74,07,665

* लाभों में परिलब्धियां, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना और पेंशन निधि (समान अंशदान), छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी आदि, जिन्हें वेतन में शामिल नहीं किया गया था, शामिल हैं।

¹ दिनांक 02.12.2021 से निदेशक नहीं रहे।

टिप्पणी:

- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त, सूचना अवधि और विच्छेद शुल्क, यदि कोई हो, सहित कार्यात्मक निदेशकों/निदेशकों की सेवा शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार शासित होती हैं।
- उपरोक्त के अलावा, कंपनी के लागू नियमों के अनुसार कार्यात्मक निदेशक भी चिकित्सा लाभ हेतु पात्र हैं।

तालिका ख – वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बैठकों के लिए स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क के ब्यौरे

(राशि रूपए में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क *		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	1,30,000	2,70,000	4,00,000
डॉ. रश्मि शर्मा रावल	1,30,000	2,10,000	3,40,000
डॉ. अमित कंसल	1,30,000	2,10,000	3,40,000
श्री जीजी जोसफ	1,30,000	2,40,000	3,70,000

* बैठक शुल्क के अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन/आवास/वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। बैठक शुल्क की राशि में कंपनी द्वारा पूर्ण वापसी प्रभार तंत्र के अंतर्गत बैठक शुल्क पर अदा किए गए कर की राशि शामिल नहीं है।

ऊपर यथा-उल्लिखित को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें कंपनी की वेबसाइट पर http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Terms%20of%20Appointment%20of%20Independent%20Directors_English.pdf पर उपलब्ध हैं।

9. सहायक कम्पनियां

वर्ष के दौरान, सहायक कंपनियों की बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त और सहायक कंपनियों द्वारा किए गए करारों और महत्वपूर्ण कारोबार का ब्यौरा एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड के समक्ष इसकी सूचना के लिए रखे गए थे। वित्तीय विवरणी, विशेष रूप से, इन सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई थी।

10. सामान्य बैठकें:

वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तारीख, समय और स्थान तथा उनमें पारित विशेष संकल्पों का ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित विशेष प्रस्ताव
2020-21	29 सितम्बर, 2021	अपराह्न 03:00 बजे	वीडियो कांफ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित बैठक	क) कंपनी की उधार सीमा को 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करना। ख) कंपनी की चल और अचल संपत्तियों पर बंधक और/अथवा प्रभार सृजित करना।
2019-20	29 सितम्बर, 2020	अपराह्न 03:00 बजे	वीडियो कांफ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों से आयोजित बैठक	शून्य
2018-19	23 सितम्बर, 2019	पूर्वाह्न 11:00 बजे	जल तरंग सभागार, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा – 121003	क) श्री प्रो. (श्रीमती) कनिका टी. भाल (डीआईएन 06944916) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना। ख) श्री सत्य प्रकाश मंगल (डीआईएन 01052952) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना। ग) प्रो. अरुण कुमार (डीआईएन 07346292) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान डाक मत-पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वर्तमान में डाक मत-पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

11. प्रकटन:

(i) संबंधित पक्षकार लेन-देन:

कंपनी ने सेबी एलओडीआर के विनियम 23 के अनुपालन में संबद्ध पक्षकार लेन-देनों की वास्तविकता और संबद्ध पक्षकार लेन-देन में व्यवहार संबंधी नीति बनाई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी अनुबंध/ व्यवस्था/ लेन-देन को निष्पक्ष आधार पर किया गया था और उसका उद्देश्य कंपनी के हितों को बढ़ाना था। कोई वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेन-देन नहीं हुआ था जिसमें व्यापक रूप से कंपनी के हित के साथ टकराव संभावित हो।

बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित संबद्ध पक्षकार लेन-देनों की महत्ता और संबद्ध पक्षकार लेन-देन में व्यवहार संबंधी नीति को कंपनी की वेबसाइट पर http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Approved%20Policy_RPT.pdf लिंक पर देखा जा सकता है।

(ii) सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं:

कंपनी ने विनियम 17 से 27 तक (विनियम 17, 17(2क), 18, 19, 20 और 21 के अंतर्गत अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, दिनांक 29.11.2021 तक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, दिनांक 06.12.2021 तक बोर्ड स्तरीय समितियों की संरचना और गठन आदि के संबंध में छोड़कर) और सेबी एलओडीआर के विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) सहित सेबी द्वारा निर्धारित विनियमों और दिशा-निर्देशों की सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। कंपनी ने लोक

उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों (अध्याय 3, 4 और 5 के कुछ खंडों को छोड़कर) की अपेक्षाओं का भी अनुपालन किया है। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण गैर-अनुपालन था।

क) स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों अथवा सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से संबंधित किसी भी मामले पर शास्तियां, प्रतिबंध:

पिछले तीन वर्षों के दौरान, किसी स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले अथवा सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में कंपनी पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई और/अथवा कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया गया था।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, सेबी एलओडीआर के विनियम 17, 17(2क), 18, 19, 20 और 21 के अंतर्गत अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, दिनांक 29.11.2021 तक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, दिनांक 06.12.2021 तक बोर्ड स्तरीय समितियों की संरचना और गठन आदि के संबंध में गैर-अनुपालन के लिए विभिन्न तिमाहियों हेतु जुर्माना (जुर्माने) लगाने के लिए आपकी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड से पत्र प्राप्त हुआ था। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए औचित्य को देखते हुए उपर्युक्त जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया है। बीएसई लिमिटेड ने दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही तक लगाई जुर्माना राशि (सेबी एलओडीआर के विनियम 21 के गैर-अनुपालन के लिए लगाए गए जुर्माने को छोड़कर) को पहले ही माफ कर दिया है। शेष अवधि के लिए जुर्माने को माफ करने के संबंध में एनएसई/बीएसई से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

ख) घटना अथवा सूचना का प्रकटन

बोर्ड ने निदेशक (वित्त) को सेबी एलओडीआर के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटन किए जाने के प्रयोजन हेतु किसी घटना अथवा सूचना की वास्तविकता के निर्धारण के लिए प्राधिकृत किया है। स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट किए जाने हेतु किसी घटना अथवा सूचना की वास्तविकता के निर्धारण के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और ये कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.nhpcindia.com पर उपलब्ध हैं।

ग) राष्ट्रपति के निदेश

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी को बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के 01.01.2017 से वेतन संशोधन से संबंधित लाभप्रदता की समीक्षा के संबंध में राष्ट्रपति के निदेश प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रपति के पिछले निदेश वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त हुए थे।

घ) लेखांकन व्यवहार:

प्रबंधन के मत में, वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन किया जा रहा है।

ङ) व्हीसल ब्लोअर नीति:

कंपनी ने अनैतिक/अनुचित आचरण की घटनाओं की सूचना देने और जांच एवं सुधार करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु एक व्हीसल ब्लोअर नीति कार्यान्वित की है। इस नीति में सूचना देने वाले कर्मचारियों का उत्पीड़न करने के विरुद्ध समुचित सुरक्षात्मक उपाय का प्रावधान है। किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुँच से इंकार नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, व्हीसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई शिकायत सूचित नहीं की गई थी।

च) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटन:

कंपनी में कार्यरत प्रत्येक महिला कर्मचारी के लिए सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल उपलब्ध कराना प्रबंधन का हमेशा से एक प्रयास रहा है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए, कंपनी ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को "एनएचपीसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली" के अंतर्गत कदाचार के रूप में शामिल किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। वित्तीय वर्ष के अंत में दायर की गई, निपटाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या के बारे में ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए हैं।

- छ) लेखा बहियों में डेबिट की गई व्यय की कोई मदें नहीं थीं, जो व्यापार के प्रयोजन हेतु नहीं थीं।
- ज) निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत प्रकृति के कोई व्यय नहीं किए गए थे।
- झ) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक तथा कार्यालय व्ययों की तुलना में वित्त व्यय के ब्यौरे और इसमें वृद्धि के कारण नीचे दिए गए हैं:

(आंकड़े प्रतिशत में)

विवरण	2020-21	2021-22	वृद्धि के कारण
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय	20.38	20.40	वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल व्ययों और वित्त व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्ययों में कोई बड़ा अंतर नहीं है।
वित्त व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय	202.54	204.57	

ज) **वस्तु मूल्य जोखिम अथवा विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग क्रियाकलाप**

कंपनी वस्तुओं का कारोबार नहीं करती है और इसलिए 15 नवंबर, 2018 के सेबी के परिपत्र के अनुसार प्रकटन दिया जाना अपेक्षित नहीं है। निदेशक मंडल ने 15 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 423वीं बैठक में कंपनी की विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति को अनुमोदित किया था, जिसमें विदेशी मुद्रा में कंपनी के कुल जोखिम और शामिल जोखिम पर विचार किया गया था। कंपनी के लाभ पर विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं हुआ था क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/ चल रहे पूंजीगत कार्य की वहनीय लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019-24 के दौरान टैरिफ के माध्यम से वसूल किया जाता है।

ट) **सूचीबद्ध कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों और उस नेटवर्क फर्म/नेटवर्क कंपनी की सभी कंपनियों को, जिनका सांविधिक लेखापरीक्षक एक भाग है, को सभी सेवाओं हेतु अदा किया गया कुल शुल्क:**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों को अदा किए गए शुल्क के ब्यौरे एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षकों को समेकित आधार पर अदा किए गए शुल्क के ब्यौरे निम्नानुसार थे:

विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
i) सांविधिक लेखापरीक्षक	
लेखापरीक्षक के रूप में	
लेखापरीक्षा शुल्क	0.90
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.23
अन्य क्षमता में	
कराधान मामले	0.01
अन्य मामले/सेवाएं	0.62
व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.27
ii) लागत लेखापरीक्षक	
लेखापरीक्षा शुल्क	0.21
व्ययों की प्रतिपूर्ति	-
iii) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लेखापरीक्षक	
लेखापरीक्षा शुल्क	0.05
व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.01
कुल लेखापरीक्षा व्यय	2.30

ठ) **वास्तविक सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति:**

कंपनी ने सेबी एलओडीआर के विनियम 16(1)(ग) के अनुसार वास्तविक सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए एक नीति बनाई गई है। यह नीति वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: <http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/Policy-Material-Subsidiary.pdf>

ड) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियम 32(7क) के अंतर्गत यथानिर्धारित अधिमानी आवंटन अथवा अर्हक संस्थान नियोजन के माध्यम से कोई निधियां नहीं जुटाई है।

ढ) अन्य प्रकटन

(i) सेबी एलओडीआर की अनुसूची V और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार, कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है और वह इस रिपोर्ट का भाग बनने वाले अनुबंध-ख के रूप में संलग्न है। 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए श्री राकेश कुमार जैन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या बने रहने से प्रतिबंधित अथवा अनर्हक नहीं किया गया है और वह अनुबंध-ख में दिया गया है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी की किसी प्रतिभूति को व्यापार करने से निलंबित नहीं किया गया था।

(iii) गैर-बाध्यकारी अपेक्षाओं को अपनाना:

क) बोर्ड: कंपनी की अध्यक्षता एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जा रही है।

ख) शेयरधारकों के अधिकार: पिछले छह माह में हुई प्रमुख घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्द्ध-वार्षिकी घोषणा प्रत्येक शेयर धारकों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं भेजी गई। तथापि, आवधिक वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध हैं और इस रिपोर्ट में "संचार के साधन" शीर्ष के अंतर्गत यथाउल्लिखित प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी के शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से तिमाही आधार पर कंपनी के वित्तीय निष्पादन से अवगत भी कराया जाता है।

ग) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत (मतों) : कंपनी का प्रयास हमेशा ही गैर-अर्हक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का रहा है।

घ) अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पृथक पद: कंपनी में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का पद भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से नियुक्त एक ही व्यक्ति द्वारा धारित किया जाता है।

ड) आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग: श्री कुपिले लक्ष्मणन आचार्युलु, महाप्रबंधक (वित्त) कम्पनी के मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक हैं। संगठन ढांचे के अनुसार, श्री आचार्युलु कंपनी के निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट कर रहे हैं।

ण) उन फर्मों/कंपनियों को कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया गया था, जिनमें निदेशकों का हित निहित था।

12. सीईओ/सीएफओ अनुपालन प्रमाणन:

सेबी एलओडीआर के विनियम 17(8) के अनुसार, श्री अभय कुमार सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल, निदेशक (वित्त) और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुपालन प्रमाण-पत्र अनुबंध-ग के रूप में कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

13. संचार के साधन

कंपनी के वित्तीय परिणाम सेबी एलओडीआर में निर्दिष्ट समय-सीमा अथवा समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट ऐसी विस्तारित समय सीमा के भीतर घोषित किए जाते हैं। ये परिणाम कम्पनी की वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रदर्शित किए जाते हैं और राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी के शेयरधारकों को तिमाही आधार पर ई-मेल के माध्यम से कंपनी के निष्पादन से अवगत भी कराया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, महत्वपूर्ण कारपोरेट निर्णयों तथा क्रियाकलापों पर अधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों को कंपनी की वेबसाइट पर तथा सोशल मीडिया हैंडलों के माध्यम से हितधारकों को भी उपलब्ध करवाया जाता है। संस्थागत निवेशकों और/अथवा विश्लेषकों को नियमित रूप से प्रस्तुतिकरण दिए जाते हैं जो कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

कारपोरेट अभिशासन के तहत कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न प्रकटनों को शेयरधारकों द्वारा कंपनी की वेबसाइट पर समर्पित "निवेशक कार्नर" भाग के तहत प्राप्त कर सकते हैं।

कंपनी के तिमाही अनंकेछित वित्तीय परिणाम और वार्षिक अंकेछित वित्तीय परिणाम निर्धारित अवधि के भीतर सूचित किए जाते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, ये परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड, नवभारत टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे। व्यापक परिचालन के लिए परिणाम अन्य समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे।

14. शेयरधारकों हेतु सूचना

(i) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का ब्यौरा

दिनांक: गुरुवार, 25 अगस्त, 2022

समय: अपराह्न: 12.30 बजे (भारतीय मानक समय)

देश में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 08.04.2020, 13.04.2020 और 05.05.2020 के परिपत्र के साथ पठित दिनांक 05.05.2022 के परिपत्र और सेबी द्वारा दिनांक 13.05.2022 के परिपत्र के माध्यम से दी गई रियायतों के अनुसार, कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक आम बैठक का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से किया जाएगा।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक आम बैठक में प्रतिभागिता के संबंध में आवश्यक विवरण/अनुदेशों के लिए वार्षिक आम बैठक का नोटिस देखें।

(ii) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय कलेंडर:

विवरण	तारीख
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023
पहली तीन तिमाही के लिए अनंकेछित वित्तीय परिणाम।	बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिवस के भीतर आयोजित की जाएगी। वित्तीय परिणामों को बोर्ड की बैठक के समापन से निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा।
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए चौथी तिमाही के परिणाम/वार्षिक अंकेछित वित्तीय परिणाम	बोर्ड की बैठक 30 मई, 2023 को या उससे पूर्व आयोजित की जाएगी। वित्तीय परिणामों को बोर्ड की बैठक के समापन से निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा।
एजीएम – 2023	अगस्त/ सितम्बर, 2023 (संभावित)

(iii) बही का बंद किया जाना

सदस्यों के रजिस्टर एवं कम्पनी की शेयर अंतरण बहियों को शुक्रवार, 12 अगस्त, 2022 से गुरुवार, 25 अगस्त, 2022 तक (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) बंद रखा जायेगा।

(iv) लाभांश का भुगतान

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1.31/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा फरवरी, 2022 में की थी। उपर्युक्त के अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 0.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यदि शेयरधारकों द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश को अनुमोदित किया जाता है तो वर्ष के लिए कुल लाभांश 1.81/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर होता है।

वे सदस्य लाभांश प्राप्ति के पात्र होंगे जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/लाभग्राही स्वामियों की सूची में गुरुवार, 11 अगस्त, 2022 (रिकार्ड तिथि) की स्थिति के अनुसार दर्ज होंगे। वार्षिक आम बैठक में घोषणा किए जाने की स्थिति में अंतिम लाभांश का भुगतान कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कर दिया जाएगा।

(v) लाभांश इतिहास

सूचीकरण से लेकर कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांश का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	घांषित लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक आम बैठक/ बोर्ड बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	भुगतान की तिथि
2009-10	676.54	22 सितम्बर, 2010	01 अक्टूबर, 2010
2010-11	738.04	19 सितम्बर, 2011	28 सितम्बर, 2011
2011-12	861.05	17 सितम्बर, 2012	26 सितम्बर, 2012
2012-13	738.04	16 सितम्बर, 2013	25 सितम्बर, 2013
2013-14	332.13	26 सितम्बर, 2014	07 अक्टूबर, 2014
2014-15	664.27 (221.43 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश सहित)	16 जनवरी, 2015 और 23 सितम्बर, 2015	12 फरवरी, 2015 और 03 अक्टूबर, 2015

2015-16	1660.60 (1,018.50 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश सहित)	10 फरवरी, 2016 और 22 सितम्बर, 2016	2 मार्च, 2016 और 3 अक्टूबर, 2016
2016-17	1984.62 (1,882.02 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश सहित)	12 जनवरी, 2017 और 27 सितम्बर, 2017	27 जनवरी, 2017 और 5 अक्टूबर, 2017
2017-18	1436.31 (1,149.05 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश सहित)	12 फरवरी, 2018 और 27 सितम्बर, 2018	8 मार्च, 2018 और 22 अक्टूबर, 2018
2018-19	1466.58 (713.20 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश सहित)	8 फरवरी, 2019 और 23 सितम्बर, 2019	5 मार्च, 2019 और 18 अक्टूबर, 2019
2019-20	1506.75 (1,185.31 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश सहित)	7 फरवरी, 2020 और 29 सितम्बर, 2020	3 मार्च, 2020 और 22 अक्टूबर, 2020
2020-21	1,607.21 (1,255.63 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश सहित)	11 फरवरी, 2021 और 29 सितम्बर, 2021	05 मार्च, 2021 और 21 अक्टूबर, 2021
2021-22	1,315.90 करोड़ रुपए (अंतरिम लाभांश)	11 फरवरी, 2022	04 मार्च, 2022

(vi) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण

एनएचपीसी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड
पता: फिरोजी जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400001 स्क्रिप कोड : 533098 आईएसआईएन : INE848E01016	पता: एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - 400051 स्क्रिप कोड : NHPCEQ आईएसआईएन : INE848E01016

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक सूचीकरण का भुगतान शुल्क दोनों स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बीएसई लिमिटेड को देय तिथियों के भीतर किया गया है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक कस्टोडियन शुल्क भी दोनों डिपोजिटरियों अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड को अदा किया जा चुका है।

(vii) बाजार मूल्य डाटा और सूचकांक की तुलना में निष्पादन

एनएचपीसी शेयर मूल्य की बीएसई सूचकांक और एनएसई निफ्टी के साथ तुलना क्रमशः तालिका क और तालिका ख दी गई है।

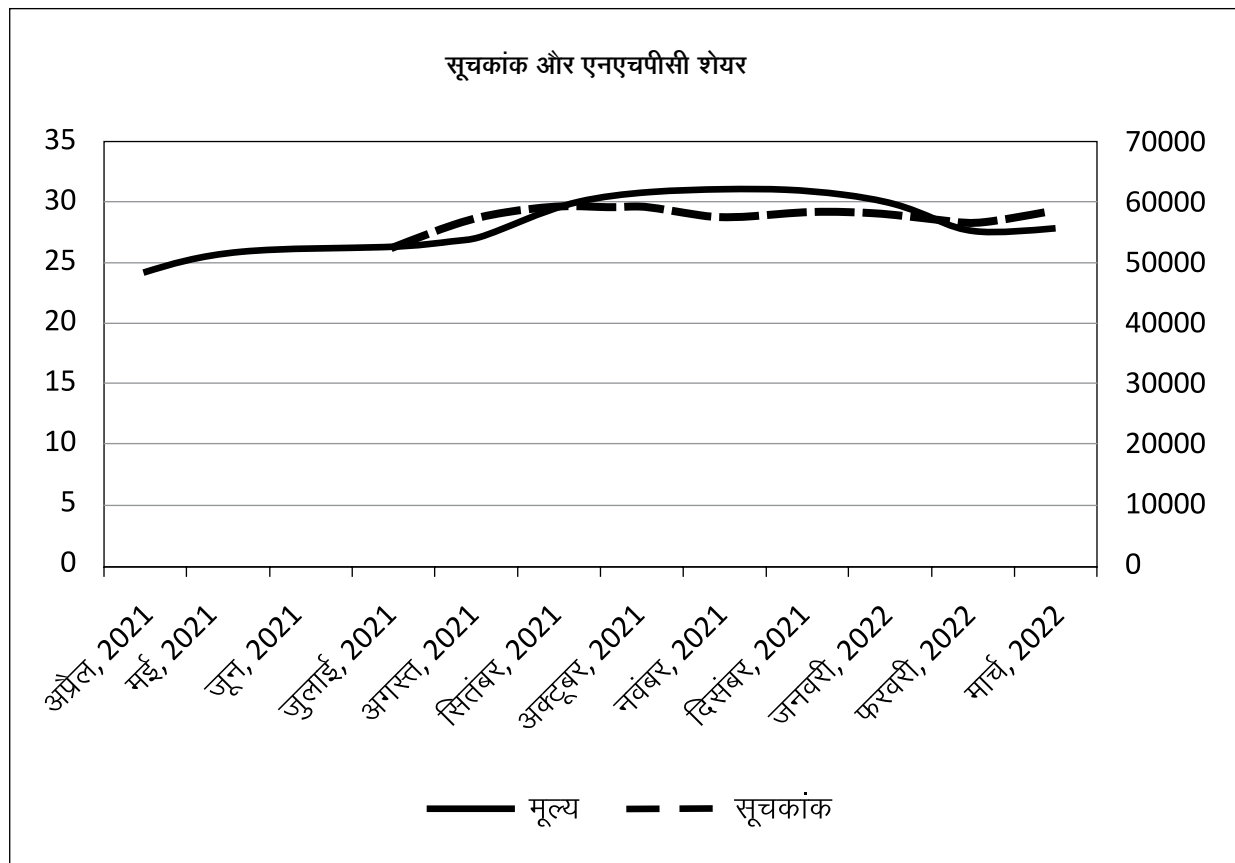
तालिका क: बीएसई सेंसेक्स और एनएचपीसी शेयर मूल्य

सेंसेक्स				बीएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
माह	उच्च	निम्न	बंद	माह	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल-21	50375.77	47204.50	48782.36	अप्रैल-21	24.90	23.40	24.25
मई-21	52013.22	48028.07	51937.44	मई-21	27.65	23.95	26.00
जून 21	53126.73	51450.58	52482.71	जून 21	27.50	25.05	26.25
जुलाई-21	53290.81	51802.73	52586.84	जुलाई-21	26.70	25.50	26.25
अगस्त-21	57625.26	52804.08	57552.39	अगस्त-21	27.30	25.25	26.95
सितम्बर-21	60412.32	57263.90	59126.36	सितम्बर-21	30.10	26.70	29.80
अक्टूबर-21	62245.43	58551.14	59306.93	अक्टूबर-21	37.00	28.85	30.75
नवंबर-21	61036.56	56382.93	57064.87	नवंबर-21	34.80	29.10	31.10
दिसंबर-21	59203.37	55132.68	58253.82	दिसंबर-21	34.70	29.30	30.95
जनवरी-22	61475.15	56409.63	58014.17	जनवरी-22	32.50	29.30	30.00
फरवरी-22	59618.51	54383.20	56247.28	फरवरी-22	30.45	27.05	27.45
मार्च-22	58890.92	52260.82	58568.51	मार्च-22	29.65	27.05	27.80

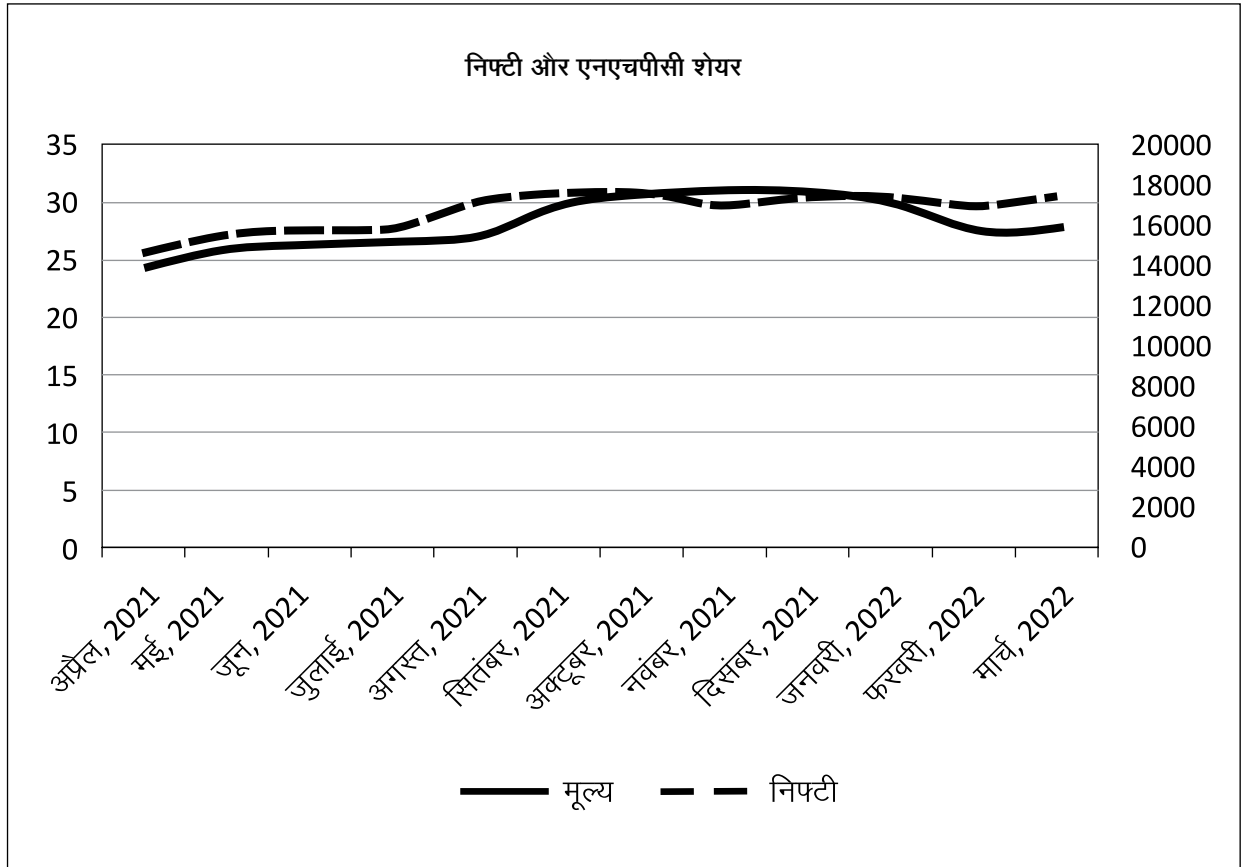
तालिका ख: एनएसई निफ्टी और एनएचपीसी शेयर मूल्य

निफ्टी				एनएसई में एनएचपीसी शेयर मूल्य			
माह	उच्च	निम्न	बंद	माह	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल-21	15044.35	14151.40	14631.10	अप्रैल-21	24.90	23.40	24.25
मई-21	15606.35	14416.25	15582.80	मई-21	27.60	23.95	26.00
जून 21	15915.65	15450.90	15721.50	जून 21	27.50	25.05	26.20
जुलाई-21	15962.25	15513.45	15763.05	जुलाई-21	26.70	25.50	26.25
अगस्त-21	17153.50	15834.65	17132.20	अगस्त-21	27.30	25.30	26.95
सितम्बर-21	17947.65	17055.05	17618.15	सितम्बर-21	30.10	26.65	29.85
अक्टूबर-21	18604.45	17452.90	17671.65	अक्टूबर-21	37.05	28.80	30.70
नवंबर-21	18210.15	16782.40	16983.20	नवंबर-21	34.85	29.10	31.10
दिसंबर-21	17639.50	16410.20	17354.05	दिसंबर-21	34.90	29.25	30.95
जनवरी-22	18350.95	16836.80	17339.85	जनवरी-22	32.55	29.35	30.00
फरवरी-22	17794.60	16203.25	16793.90	फरवरी-22	30.35	27.05	27.40
मार्च-22	17559.80	15671.45	17464.75	मार्च-22	29.70	27.05	27.80

(viii) सूचकांकों की तुलना में निष्पादन



टिप्पणी: ग्राफ मासिक समाप्ति मूल्यों के आधार पर बनाया गया है।



टिप्पणी: ग्राफ मासिक समाप्ति मूल्यों के आधार पर बनाया गया है।

(ix) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

इक्विटी शेयरों हेतु	कर मुक्त बॉण्ड हेतु
मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड अलंकित हाउस, 4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110055, भारत दूरभाष: 011 4254 1234, 011 2354 1234 फैक्स: 011 4254 1201, 011 2355 2001 ई-मेल आईडी: alankit.nhpc@alankit.com टोल फ्री नंबर: 1860 121 2155 (मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 30 अप्रैल, 2021 तक कंपनी का शेयर ट्रांसफर एजेंट था)	मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबाउली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली हैदराबाद रंगारेड्डी, तेलंगाना- 500032 दूरभाष नं.: 040 6716 2222 फैक्स: 040 2300 1153 टोल फ्री नंबर: 1860 309 4001 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com
अन्य बांडों हेतु	
मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बी-25/1, प्रथम तल, ओखला फेज – II नई दिल्ली – 110020 दूरभाष सं.: 011-26387320 ई-मेल: investor.services@rcmcdelhi.com	

(x) क्रेडिट रेटिंग

कंपनी द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	रेटिंग एजेंसी	क्रेडिट रेटिंग	ऋण जिनके संबंध में रेटिंग्स प्राप्त की गई है
घरेलू			
1	इंडिया रेटिंग	ईड एएए/ स्थिर	पी, क्यू, आर (आर1, आर2 और आर3), कर मुक्त, एस (एस1 और एस2), टी, यू, यू1, वी2, एक्स, वाई, वाई1, एए और एए1, एबी और एसी सीरीज, भारत सरकार बाण्ड और दीर्घावधि बैंक सुविधाएं/ एफआईएस
		ईड ए1 +	अल्पावधि कार्यशील पूंजी सीमा
2	आईसीआरए	(आईसीआरए) एएए (स्थिर)	क्यू, आर (आर1, आर2 और आर3), डब्ल्यू1, डब्ल्यू2, वाई, वाई1 और कर मुक्त बाण्ड
3	केयर	केयर एएए: स्थिर	क्यू, एस (एस1 और एस2), टी, यू, यू1, वी2, डब्ल्यू1, डब्ल्यू2, कर मुक्त, एक्स, एए, एए1, एबी, एसी सीरीज और भारत सरकार बाण्ड
अंतर्राष्ट्रीय			
1	एस एण्ड पी	बीबीबी – परिदृश्य: नकारात्मक	—

(xi) शेयर अंतरण प्रणाली

निदेशक मंडल ने आरटीए को वास्तविक शेयर वाले शेयरधारकों से शेयरों के अंतरण/ ट्रांसमिशन के संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया था। शेयरों के रि-मैटीरियलाइजेशन, समेकन और डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राप्त अनुरोधों की निगरानी एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन तथा आवंटन-पश्च क्रियाकलापों हेतु निदेशकों की समिति द्वारा की जाती है। सेबी ने 01.04.2019 से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के वास्तविक अंतरण को प्रतिबंधित किया है और केवल डीमैट रूप में ही अंतरण के लिए अधिदेशित किया है। तथापि, निवेशकों के लिए वास्तविक रूप से शेयर धारित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आरटीए द्वारा वास्तविक रूप में धारित शेयरों के अंतरण के लिए किसी अनुरोध की प्रक्रिया नहीं की गई थी।

सेबी एलओडीआर के विनियम 40 के अनुसरण में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से यह पुष्टि करते हुए कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सभी प्रमाण-पत्र अंतरण, उप विभाजन, समेकन, नवीकरण, अथवा आमंत्रण/आवंटन राशि के पृष्ठांकन हेतु निर्धारित अवधि के भीतर जारी किए गए हैं, के आशय का प्रमाण-पत्र स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया था।

(xii) शेयरों और अदा न किए गए/दावा नहीं की गई राशियों का निवेशक शिक्षा और बचाव निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए भुगतान न किए गए/दावा न किए गए कुल 80,24,853/- रुपये का लाभांश और तदनुरूपी 7,53,390 इक्विटी शेयर जिसके लिए लाभांश पात्रता लगातार सात वर्षों अथवा उससे अधिक के लिए भुगतान नहीं की गई/दावा न की गई राशि, उन्हें कंपनी द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है।

आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण को प्रभावी रूप देने से पूर्व कंपनी ने ऐसे सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से संबोधित पत्र और समाचार-पत्र में सूचना के प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जिनके शेयर वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान आईईपीएफ में अंतरित किए जाने थे।

आईईपीएफ में अंतरित अदा न किए गए/दावा न किए गए लाभांश और तदनुरूपी शेयर, कंपनी के पास पड़े हुए अदा न किए गए तथा दावा न की गई राशियों का ब्यौरा और आईईपीएफ प्राधिकारी से लाभांश तथा शेयरों का दावा करने हेतु कार्यपद्धति कंपनी की वेबसाइट में <http://www.nhpcindia.com/IEPF.htm> लिंक पर और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण की

वेबसाइट अर्थात् www.iepf.gov.in पर भी उपलब्ध है। शेयरधारक अपने अदा न किए गए/दावा न किए गए लाभांश एवं तदनुसूची शेयरों का दावा उनकी वेबसाइट www.iepf.gov.in पर निर्धारित फार्म अर्थात् आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन कर आईईपीएफ प्राधिकरण से कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से संबंधित अदा न किए गए/दावा न किए गए अंतरिम लाभांश और संबंधित शेयरों को वर्ष 2022-23 के दौरान पहले ही आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से संबंधित अदा न किए गए/दावा न किए गए अंतिम लाभांश और तदनुसूची शेयर वर्ष 2022-23 के दौरान आईईपीएफ में अंतरित किये जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान घोषित और शेष अदा न किए गए/दावा न किए गए अंतिम लाभांश का दावा करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर, 2022 है। सदस्य अदा न किए गए/दावा न किए गए अंतिम लाभांश हेतु अपने दावे कंपनी के आरटीए को आईईपीएफ में अंतरित किए जाने से पूर्व कर सकते हैं। इस प्रकार अंतरित लाभांश/शेयरों के संबंध में कंपनी के प्रति कोई दावा नहीं बनेगा।

(xiii) शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, शेयरधारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा और धारण के आकार के अनुसार धारित शेयर क्रमशः तालिका क तथा तालिका ख में दिए गए हैं:

i) तालिका क: 31 मार्च, 2022 को आकार तथा धारिता के प्रतिशत के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का%*	कुल शेयर	शेयरों का%*
1-5,000	8,35,950	98.52	34,88,67,390	3.47
5,001-10,000	7,148	0.84	5,29,22,886	0.53
10,001-20,000	2,956	0.35	4,21,77,317	0.42
20,001-30,000	929	0.11	2,29,39,999	0.23
30,001-40,000	375	0.04	1,31,89,389	0.13
40,001-50,000	264	0.03	1,23,92,583	0.12
50,001-1,00,000	410	0.05	2,98,02,755	0.30
1,00,001 और इससे अधिक	489	0.06	9,52,27,42,486	94.80
कुल	8,48,521	100	10,04,50,34,805	100.00

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

ii) तालिका ख: 31 मार्च, 2022 को श्रेणी-वार शेयर धारिता पैटर्न

श्रेणी	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2022 को			परिवर्तन% वृद्धि/ (कमी)*
	शेयरधारकों की सं.	कुल शेयर	शेयर-धारिता का%*	शेयरधारकों की सं.	कुल शेयर	शेयर-धारिता का%*	
भारत सरकार	1	7,12,67,72,676	70.95	1	7,12,67,72,676	70.95	0.00
म्यूचुअल फंड्स	35	65,97,51,528	6.57	29	75,62,87,189	7.53	0.96
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	136	40,57,12,886	4.04	189	57,19,22,469	5.69	1.65
वित्तीय संस्थान/बैंक	11	6,13,76,706	0.61	10	6,14,50,720	0.61	0.00
बीमा कंपनियां	14	77,44,25,487	7.71	12	71,48,57,635	7.12	(0.59)
निवासी व्यक्ति/एचयूएफ	6,95,807	56,80,15,830	5.65	8,41,077	54,94,08,115	5.47	(0.18)

प्रवासी भारतीय	5,083	1,38,40,972	0.14	5,396	1,23,25,979	0.12	(0.02)
समाशोधन सदस्य	362	94,28,369	0.09	167	85,20,382	0.08	(0.01)
आईईपीएफ	1	28,93,782	0.03	1	36,35,162	0.04	0.01
कारपोरेट निकाय	1,483	41,70,81,676	4.15	1361	23,47,64,077	2.34	(1.81)
न्यास	47	16,74,433	0.02	43	15,69,071	0.02	0.00
अन्य (एनबीएफसी, विदेशी नागरिक, विदेशी कारपोरेट निकाय, वैकल्पिक निवेश निधि, अर्ह संस्थागत खरीददार, विदेशी संस्थागत निवेशक)	16	40,60,460	0.04	235	35,21,330	0.03	(0.01)
कुल	7,02,996	10,04,50,34,805	100	8,48,521	10,04,50,34,805	100	

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

iii) 31 मार्च, 2022 को शीर्ष दस शेयरधारक

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड के शीर्ष दस शेयरधारकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत *
1	भारत के राष्ट्रपति	7,12,67,72,676	70.95
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	69,75,64,636	6.94
3	एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड	21,35,29,481	2.13
4	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	18,62,86,983	1.85
5	सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडिड स्कीम (सीपीएसई ईटीएफ)	18,30,70,557	1.82
6	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी बैलेन्सड एडवान्टेज फंड	10,39,74,793	1.04
7	एसबीआई बैलेन्सड एडवान्टेज फंड	7,94,44,381	0.79
8	फ्रैंकलिन टेम्पलटन इन्वेस्टमेंट फंड – टेम्पलटन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फंड	6,51,09,131	0.65
9	एफआईएच प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स लि.	3,84,30,000	0.38
10	वैनगार्ड इमरजिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, ए सीरीज ऑफ वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड	3,18,21,307	0.32
कुल		8,72,60,03,945	86.87

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

(xiv) शेयर एवं लिक्विडिटी का डीमैटीरियलाइजेशन

कंपनी के शेयर डीमैटीरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और दोनों डिपोजिटरीज अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

शेयर पूंजी लेखा परीक्षा का पुनर्मिलान यह पुष्टि करते हुए किया गया है कि कंपनी की कुल जारी पूंजी वास्तविक रूप में धारित शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है तथा एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में रखे गए शेयरों की कुल संख्या को तिमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष रखा गया है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत की जाती है।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार डीमैटिरियलाइज्ड और वास्तविक रूप में धारित शेयरों की संख्या नीचे दी गई है:

विवरण	कुल शेयर	इक्विटी का %*
एनएसडीएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	9,62,61,26,213	95.83
सीडीएसएल के साथ डीमैटिरियलाइज्ड रूप में शेयर	41,88,31,465	4.17
वास्तविक रूप	77,127	0.00
कुल	10,04,50,34,805	100.00

* 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांक किया गया।

डिपोजिटरीज के नाम और पते निम्नानुसार हैं:

- नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड**
ट्रेड वर्ल्ड, ए-विंग, चौथा तल,
कमला मिल्स कम्पाउन्ड,
लोअर परेल, मुंबई-400013
- सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड**
मैराथन प्यूचरेक्स, ए-विंग,
25वां तल, एन एम जोशी मार्ग,
लोअर पारेल, मुंबई - 400 013

(xv) डीमैट उचित खाता

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार उचित खाते में शेयरों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में उचित खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	4	1,048
उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उचित खाते से शेयरों के अंतरण हेतु कंपनी से संपर्क किया	-	-
उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान उचित खाते से अंतरित किए गए	-	-
उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान आईईपीएफ खाते से अंतरित किए गए	-	-
वर्ष के अंत में उचित खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	4	1,048

टिप्पणी: इन शेयरों पर मत देने का अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेगा जब तक कि ये शेयर उचित खाते में हैं। इसके अतिरिक्त, इन शेयरों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्धारित समय के भीतर आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा।

(xvi) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य परिवर्तनीय दस्तावेज, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव:

एनएचपीसी ने ऐसे जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य परिवर्तनीय दस्तावेज जारी नहीं किए हैं, जिनका इक्विटी पर प्रभाव पड़ता हो।

(xvii) एनएचपीसी पावर स्टेशनों के स्थल:

1.	बैरास्थूल	एनएचपीसी लि., सुरंगानी, जिला-चंबा, हिमाचल प्रदेश-176 317
2.	लोकतक	एनएचपीसी लि., डाकघर-लोकतक, कोमकैरेप, मणिपुर-795 124
3.	सलाल	एनएचपीसी लि., डाकघर ज्योतिपुरम, जिला रियासी, जम्मू एवं कश्मीर संघ-राज्य क्षेत्र-182 312
4.	टनकपुर	एनएचपीसी लि., डाकघर टीपीएस कैम्पस, बनबसा, जिला चम्पावत, उत्तराखंड- 262 310
5.	चमेरा-I	एनएचपीसी लि., खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 325
6.	उड़ी-I	एनएचपीसी लि., गिंगल, डाकघर-मोहरा, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर संघ-राज्य क्षेत्र-193 122
7.	रंगित	एनएचपीसी लि., डाकघर-रंगित, दक्षिण सिक्किम-737 111
8.	चमेरा-II	एनएचपीसी लि., करियां, जिला-चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 310
9.	धौलीगंगा	एनएचपीसी लि., पोस्ट बॉक्स सं. 1, तपोवन, धारचुला, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखंड-262 545
10.	दुलहस्ती	एनएचपीसी लि., चिनाब नगर, सेक्टर-II, किशतवाड़, जम्मू-कश्मीर संघ-राज्य क्षेत्र-182 206
11.	तीस्ता-V	एनएचपीसी लि., डाकघर-सिंगताम, पूर्वी सिक्किम- 737 134
12.	सेवा-II	एनएचपीसी लि., माश्का, जिला कटुआ, जम्मू-कश्मीर संघ-राज्य क्षेत्र - 176 325
13.	चमेरा-III	एनएचपीसी लि., ग्राम धारवाला, पी.ओ.-9, खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176311
14.	चुटक	एनएचपीसी लि., पीओ-मिंजी, जिला कारगिल लद्दाख संघ-राज्य क्षेत्र -194103
15.	तीस्ता लो डैम-III	एनएचपीसी लि., रम्बी बाजार, पीओ-रियांग, जिला-दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल-734321
16.	निम्नो बाजगो	एनएचपीसी लिमिटेड, अलची, जिला - लेह, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र - 194101
17.	उड़ी-II	एनएचपीसी कार्यालय सह आवासीय परिसर, नोपुरा, उरी, जिला - बारामुला, जम्मू एवं कश्मीर संघ-राज्य क्षेत्र-193122
18.	पार्वती-III	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव बहाली, पी.ओ. लारजी, जिला कुल्लु, हिमाचल प्रदेश-175122
19.	तीस्ता लो डैम-IV	एनएचपीसी लि., कलीझोरा, डाकघर कलीझोरा बाजार, जिला-दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल-734320
20.	किशनगंगा	एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय और आवासीय परिसर, करालपोरा, जिला बांदीपुरा, जम्मू एवं कश्मीर संघ-राज्य क्षेत्र-193 502
21.	जैसलमेर पवन पावर स्टेशन	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव लखमाना, जिला जैसलमेर, राजस्थान
22.	तमिलनाडु सौर पावर स्टेशन	एनएचपीसी लिमिटेड, गांव रंगनाथपुरम, ए. वाडीपाटी रोड, पेरियाकुलम तालुक, जिला थेनी, तमिलनाडु-625 602

(xviii) कारपोरेट अभिशासन में हरित पहलें

वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण एमसीए और सेबी द्वारा दी गई छूटों के अनुरूप और "हरित पहल" को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी ने एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन सदस्यों को वितरित किया है जिनके ई-मेल आईडी संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत थे। वार्षिक आम बैठक के नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट को कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.nhpcindia.com पर भी रखा गया है।

(xix) पत्राचार के लिए पता:

श्रीमती रुपा देब, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी,
पांचवां तल, नीर शक्ति सदन, एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद
हरियाणा - 121 003
ई-मेल: companysecretary@nhpc.nic.in

पत्राचार हेतु दूरभाष संख्या तथा ई-मेल पता नीचे दिया गया है:

	दूरभाष संख्या	फैक्स नम्बर
पंजीकृत कार्यालय	0129-2588110	0129-2278018
निवेशक संबंध प्रकोष्ठ	0129-2250437	-
ई-मेल आईडी	investorcell@nhpc.nic.in	
श्री के. के. गोयल, कार्यपालक निदेशक (वित्त)		
मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी	0129-2258829	-
ई-मेल आईडी	goelkk@nhpc.nic.in	

सेबी के दिनांक 22.01.2007 के परिपत्र के अनुसार, निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्णतः समर्पित ई-मेल आईडी: companysecretary@nhpc.nic.in है।

सेबी एलओडीआर और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के तहत घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु क्रमशः व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।



(अभय कुमार सिंह)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08646003

तारीख: 25 मई, 2022

स्थान: फरीदाबाद

अनुबंध-क

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक के मुख्य कौशल/विशेषज्ञताएं/दक्षताएं								सार्वजनिक संबंध
			विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत व्यापार	सूचना प्रौद्योगिकी	वित्त	कानूनी	जोखिम प्रबंधन	मानव संसाधन	शैक्षणिक	अनुसंधान एवं विकास	
1.	श्री अभय कुमार सिंह	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	✓					✓		✓	✓
2.	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी)	✓		✓		✓	✓		✓	
3.	श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त)	✓	✓	✓		✓				
4.	श्री विश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)	✓	✓						✓	✓
5.	श्री रघुराज माधव राजेंद्रन	सरकारी नामिती निदेशक	✓	✓		✓		✓			✓
6.	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
7.	डॉ. अमित कंसल	स्वतंत्र निदेशक		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
8.	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	स्वतंत्र निदेशक			✓		✓	✓	✓	✓	✓
9.	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक			✓		✓	✓			✓

कारपोरेट अभिशासन संबंधी प्रमाणपत्र

सदस्यगण,
एनएचपीसी लिमिटेड,

- हमने एनएचपीसी लिमिटेड (सीआईएन: L40101HR1975GOI032564) द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच, सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (जिसे इसके बाद "सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015" कहा गया है) के विनियम 17 से 27, 46 (2)(ख) से (झ) और अनुसूची 5 के पैरा ग तथा घ और लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों में निर्धारित किए गए अनुसार की है।
- कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच उक्त खंड तथा दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसके कार्यन्वयन के तरीकों की समीक्षा तक ही सीमित रही है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर मत की अभिव्यक्ति।
- हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वात्म्य सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन, निम्नलिखित को छोड़कर, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27, 46 (2)(ख) से (झ) और अनुसूची 5 के पैरा ग तथा घ और कारपोरेट अभिशासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देशों में निर्धारित किए गए अनुसार किया है:
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे परंतुक के अनुसार, निदेशक मंडल की संरचना में दिनांक 01.04.2021 से 29.11.2021 की अवधि के दौरान कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी और दिनांक 01.04.2021 से 30.11.2021 की अवधि के दौरान बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या पचास प्रतिशत से कम थी।
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या पचास प्रतिशत से कम है तथा डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के अनुसार, दिनांक 01.04.2021 से 30.11.2021 की अवधि के दौरान कार्यात्मक निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक जनशक्ति के 50 प्रतिशत से अधिक थी।
 - कंपनी में दिनांक 01.04.2021 से 06.12.2021 की अवधि के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति नहीं है तथा दिनांक 01.04.2021 से 06.12.2021 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति एवं दिनांक 05.08.2021 से 06.12.2021 तक जोखिम प्रबंधन समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178, सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 18, 19, 20 और 21 और डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 और 5 के अनुरूप नहीं थी।
- कंपनी के प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि एनएचपीसी के सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पास निहित है और इस मामले को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ नियमित रूप से उठाया जा रहा है। विद्युत मंत्रालय के आदेश के परिणामस्वरूप, एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित चार स्वतंत्र निदेशकों को एनएचपीसी के बोर्ड में नियुक्त किया गया था और तदनुसार कंपनी ने सेबी एलओडीआर और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में दिनांक 07.12.2021 से अपनी अनिवार्य समितियों का पुनर्गठन किया था।
- हम यह भी सूचित करते हैं कि नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17, 18, 19, 20 और 21 के गैर-अनुपालन हेतु मौद्रिक जुर्माने लगाए हैं जिनके विरुद्ध कंपनी ने छूट हेतु अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।
- हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता अथवा प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

d'r vxoky , l- , .M , lkl , V l

कंपनी सचिव

आईसीएसआई विशिष्ट कोड: पी2003डीईओ49100

समकक्ष समीक्षा प्रमाण-पत्र संख्या: 626/2019

हस्ता./-

सीएस अजय कुमार चौधरी

भागीदार

एफसीएस सं.: 51674

सीपी सं.: 21297

दिनांक: 23.06.2022

स्थान: नई दिल्ली

यूडीआईएन: ए051674डी000522474

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण-पत्र

(सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा ग खंड (10)(प) के अनुसरण में)

सेवा में,

एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्य

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33,

फरीदाबाद-121003

हमने एनएचपीसी लिमिटेड जिसका सीआईएन L40101HR1975GOI032564 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (जिसके यहां आगे 'कंपनी' कहा गया है) के निदेशकों से प्राप्त संगत रजिस्ट्रारों, रिकॉर्डों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटनों की जांच की है, जो भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची-V पैरा-ग उप खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसरण में, प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) के अनुसार, आवश्यक समझे गये और कंपनी एवं इसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे उल्लिखितानुसार कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कारपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	डीआईएन
1	श्री अभय कुमार सिंह	08646003
2	श्री यमुना कुमार चौबे	08492346
3	श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल	08645380
4	श्री बिश्वजीत बासु	09003080
5	श्री रघुराज माधव राजेंद्रन	07772370
6	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	07592413
7	डॉ. अमित कंसल	07722428
8	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	09410683
9	श्री जीजी जोसफ	09415941

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/जारी रखने की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे अपने सत्यापन के आधार पर इन पर मत व्यक्त करना है। यह प्रमाण-पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

हस्ता/-

(राकेश कुमार जैन)

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

एफसीएस 2162, सीपी2334

यूडीआईएन - एफ002162डी000178932

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 21.04.2022

सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(18) के अनुसरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का अनुपालन प्रमाण-पत्र

- (क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हम अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि:
1. इन विवरणों में वास्तविक दृष्टि से कोई असत्य विवरण नहीं है या किसी वास्तविक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा कोई भ्रमित करने वाली सामग्री शामिल नहीं की गई है।
 2. ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।
- (ख) हमारी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन है।
- (ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और यह भी कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की सक्षमता का मूल्यांकन किया है और हमने इन आंतरिक नियंत्रणों के प्रचालन में पायी गई खामियों, यदि कोई हो, जिसका हमें पता चला हो, तथा ऐसी खामियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों या प्रस्तावित उपायों की सूचना लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को दी है।
- (घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित सूचना दी है:
- (i) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
 - (ii) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिनका प्रकटन वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों में भी किया गया है; और
 - (iii) धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण मामले जो हमारे सामने आये हों और उनमें प्रबंधन या कोई ऐसा कर्मचारी शामिल रहा हो जिसकी कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रही हो।

हस्ता/-
(आर. पी. गोयल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08645380

हस्ता/-
(अभय कुमार सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08646003

स्थान: फरीदाबाद
तारीख: 24 मई, 2022

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खण्ड क: कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना

1. कम्पनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
L40101HR1975GOI032564
2. कम्पनी का नाम
एनएचपीसी लिमिटेड
3. पंजीकृत पता
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33,
फरीदाबाद, हरियाणा-121003 (भारत)
3. वेबसाइट
www.nhpcindia.com
5. ईमेल आईडी
brr@nhpc.nic.in
6. रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष
2021-22
7. क्षेत्र, जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार)

*समूह	वर्ग	उपवर्ग	विवरण
351	3510	35101	जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन
* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अन्तर्गत वर्गीकरण के अनुसार।			

8. तीन महत्वपूर्ण उत्पाद/सेवाएं, जिनका कम्पनी विनिर्माण करती है/उपलब्ध कराती है (तुलन पत्र के अनुसार)
 - (i) ऊर्जा (जल विद्युत, पवन विद्युत और सौर विद्युत)
 - (ii) परामर्शी सेवाएं
 - (iii) विद्युत व्यापार व्यवसाय
9. उन स्थानों की कुल संख्या, जहां कम्पनी व्यवसायिक कार्यकलाप करती है

9.1 अन्तरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 प्रमुख स्थानों का ब्योरा दें)

- एनएचपीसी ने नेपाल में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में सहयोग के लिए एचआईडीसीएल के साथ दिनांक 22.06.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दिनांक 20.12.2021 तक वैध है। तत्पश्चात, एनएचपीसी ने फुकोट करनाली

(480 मेगावाट) और मुगु करनाली (1902 मेगावाट) जलविद्युत परियोजनाओं के संयुक्त कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय, नेपाल और इसकी सहयोगी कंपनी वीयूसीएल को ईओआई प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी ने वेस्ट सेती और एसआर6 जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो एनएचपीसी द्वारा परियोजना की व्यवहार्यता के सत्यापन के अध्यक्षीन है। उपर्युक्त योजनाओं के आवंटन के संबंध में नेपाल सरकार के उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

9.2 राष्ट्रीय स्थलों की संख्या

जलविद्युत परियोजनाएं

हमारे पूरे देश में 8 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में 20 पावर स्टेशन और 2 निर्माण परियोजनाएं हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थल/जिला	
	प्रचालनाधीन (20)	निर्माणाधीन (2)
जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	बारामूला (2), कठुआ, रियासी, किशतवाड़, बांदीपुरा	—
लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	कारगिल, लेह	—
हिमाचल प्रदेश	चम्बा (4) और कुल्लू	कुल्लू
उत्तराखण्ड	चम्पावत, पिथौरागढ़	—
पश्चिम बंगाल	दाजर्लिंग (2)	—
अरुणाचल प्रदेश	—	लोअर सुबानसिरी / धेमाजी (असम)
सिक्किम	पूर्वी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम	—
मणिपुर	बिशनुपुर	—

सौर/पवन विद्युत परियोजनाएं

हमारे पास देश भर के 5 राज्यों में 1 पवन और 1 सौर पावर स्टेशन तथा 2 (गुजरात में 600 मेगावाट, राजस्थान में 300 मेगावाट और आंध्र प्रदेश में 100

मेगावाट वाला 1000 मेगावाट के कंबाईंड सौर सहित) सौर परियोजना निर्माणाधीन हैं।

राज्य	स्थल/जिला	
	प्रचालनाधीन (2)	निर्माणाधीन (2)
राजस्थान	जैसलमेर	बीकानेर (1000 मेगावाट की योजना के अधीन)
तमिलनाडु	डिंडीगुल	—
ओडिशा	—	गंजम
गुजरात	—	कच्छ (1000 मेगावाट की योजना के अधीन)
आंध्र प्रदेश	—	अनंतपुर (1000 मेगावाट की योजना के अधीन)

10. कम्पनी द्वारा सेवित बाजार – स्थानीय / राज्य / राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय

एनएचपीसी भारत में जलविद्युत का प्रमुख उत्पादक सीपीएसई है। एनएचपीसी के विभिन्न विद्युत संयंत्रों के माध्यम से उत्पादित विद्युत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लाभग्राही डिस्काओं को बेची जाती है। एनएचपीसी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में विद्युत व्यापार व्यवसाय की भी शुरुआत की है तथा अन्य उत्पादकों से खरीदी गई विद्युत विभिन्न डिस्काओं को बेची है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएचपीसी द्वारा सेवाएं दी गई हैं:

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	राजस्थान	असम
लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	सिक्किम
हिमाचल प्रदेश	मध्य प्रदेश	मणिपुर
पंजाब	छत्तीसगढ़	अरुणाचल प्रदेश
चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	ओडिशा	मिजोरम
उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	त्रिपुरा
हरियाणा	बिहार	नागालैण्ड
दिल्ली	झारखण्ड	तमिलनाडु

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय की महाकाली संधि के अंतर्गत टनकपुर पावर स्टेशन से नेपाल को 14 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति/आयात किया जाता है।

खण्ड ख : कम्पनी का वित्तीय ब्यौरा

1. प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये में)

10045.03 करोड़ रुपये (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार)

2. कुल कारोबार (भारतीय रुपये में)

8353.80 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2021-22)

3. कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय रुपये में)

3537.71 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2021-22)

4. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में (%) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, एनएचपीसी ने सीएसआर पर 105.29 करोड़ रुपये का व्यय किया है, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार) का 3.22 प्रतिशत है।

5. उन क्रियाकलापों की सूची, जिनमें उपर्युक्त 4 में व्यय किया गया है।

- शिक्षा और कौशल विकास
- स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता (स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ विद्यालय अभियान क्रियाकलापों सहित)
- ग्रामीण विकास
- पर्यावरण और संधारणीयता
- महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक
- क्षमता निर्माण, खेलकूद, कला और संस्कृति तथा अन्य पहलें
- आपदा प्रबंधन
- पीएम केयर्स फंड में अंशदान

खण्ड ग : अन्य ब्यौरा

1. क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी/कम्पनियां है?

जी, हां। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, एनएचपीसी लिमिटेड की आठ सहायक कम्पनियां हैं, नामतः:

- एनएचडीसी लिमिटेड
- लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
- बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
- चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
- लैंको तीस्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड
- जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड
- रतले हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड
- एनएचपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड

2. क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां मूल कम्पनी की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कम्पनी(यों) की संख्या बतायें?

जी, नहीं। सहायक कम्पनियां मूल कम्पनी की किसी भी व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग नहीं लेती हैं।

3. क्या कोई अन्य कंपनी/कंपनियां (उदाहरणार्थ, आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों आदि), जिनके साथ कम्पनी व्यवसाय करती है, कम्पनी की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती हैं?

यदि हां, तो ऐसी कंपनी/कंपनियों की संख्या बताएं? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]

जी, नहीं।

खण्ड घ : व्यावसायिक उत्तरदायित्व सूचना

1. व्यावसायिक उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

क. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

- डीआईएन : 08645380

• नाम : श्री आर. पी. गोयल

• पदनाम : निदेशक (वित्त)

ख. व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रमुख का ब्यौरा

• डीआईएन : 09451562

• नाम : श्री वी. आर. श्रीवास्तव

• पदनाम : कार्यकारी निदेशक (आयोजना)

• दूरभाष संख्या : (0129) 2278014

• ईमेल आइडी : vrsrivastava@nhpc.nic.in

2. सिद्धान्त-वार (एनवीजी के अनुसार) व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियां:-

(क) अनुपालन के ब्योरे (हां/नहीं में उत्तर दें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास के लिए नीति/नीतियां हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके नीतियां बनाई जाती हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती है? यदि हां, तो उल्लेख करें? (नीतियां आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएस 18001 जैसे अन्तरराष्ट्रीय मानकों की भावना के अनुरूप के अलावा, एमवीजी दिशानिर्देशों पर आधारित हैं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या इस पर एमडी/मालिक/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	क्या कम्पनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशकों/ अधिकारियों की एक निर्दिष्ट समिति होती है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	ऑन-लाइन देखने के लिए नीति हेतु लिंक दर्शाएं? *	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	क्या नीति को औपचारिक रूप से सभी संगत आंतरिक और बाह्य हितधारकों को संप्रेषित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आन्तरिक ढांचा है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण तन्त्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या कम्पनी ने आन्तरिक/बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यकरण की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

* संगत नीतियों को ऑनलाइन देखने के लिए वेबलिंग इस प्रकार है:

नीति	वेबलिंग
सीएसआर और संधारणीयता नीति	: http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/CSR_Policy_E_CMA_201811_1.pdf

नीति	वेबलिंक
धोखाधड़ी रोकथाम और पता लगाने संबंधी नीति	: http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/NHPCFraudPrevention-Detectionpolicy-may16.pdf
पुनर्वास और पुनर्स्थापन पहलें	: www.nhpcindia.com/r-and-r-initiative.htm
व्हीसल ब्लोअर नीति	: www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/wbp.pdf
व्यापार व्यवहार प्रतिबंधित करने के लिए नीति	: www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/Guidelines-BanningofBusinessDealings-Revised.pdf
कारपोरेट अभिशासन अनुपालन	: www.nhpcindia.com/corporate-governance.htm
सत्यनिष्ठा समझौता	: http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/ip_ip_program.pdf
व्यापार आचार संहिता और नैतिकता	: http://www.nhpcindia.com/code-of-conduct.htm
कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति	: http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/EnvironmentPolicy-16.pdf
एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र (आईएसओ 9001:2015)	: http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/ISO-9001-2020-2023.pdf
एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र (आईएसओ 14001:2015)	: http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/ISO-14001-2020-2023.pdf
एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र (आईएसओ 45001:2018)	: http://www.nhpcindia.com/writereaddata/images/pdf/ISO-45001-2020-2023.pdf

उपरोक्त के अलावा, सामाजिक जवाबदेही नीति (एसए 8000) और एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली कंपनी के इंटरनेट पर उपलब्ध हैं।

ख) यदि किसी सिद्धान्त के प्रति क्रम संख्या 2क) के प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों है

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है	लागू नहीं								
2	ऐसा कोई भी चरण नहीं है, जहां कंपनी स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों पर नीतियां बनाने तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति में पाती हो।									
3	कंपनी के पास इस कार्य के लिए उपलब्ध वित्तीय या जनशक्ति के संसाधन नहीं हैं।									
4	अगले 6 महीने में ऐसा करने की योजना है									
5	अगले 1 वर्ष में ऐसा करने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें)									

3. व्यावसायिक उत्तरदायित्व से सम्बद्ध अभिशासन

क) निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कितने अन्तराल के बाद कंपनी के व्यावसायिक कार्य निष्पादन का आकलन करना होता है।

कंपनी के व्यावसायिक कार्य-निष्पादन का आकलन वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रतिवर्ष किया जाता है।

ख) क्या कंपनी व्यावसायिक उत्तरदायित्व या संधारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितने समय बाद प्रकाशित की जाती है?

यह व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 का एक भाग है। इस रिपोर्ट को <http://www.nhpcindia.com/NHPC-annual-reports.htm> पर देखा जा सकता है।

खण्ड ड : सिद्धान्त-वार कार्यनिष्पादन

सिद्धान्त 1

1. क्या आचार, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति में केवल कम्पनी ही शामिल हैं? हां/नहीं, क्या इसे समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू किया जाता है?

कम्पनी कार्पोरेट अभिशासन को अच्छे प्रबंधन का अभिन्न भाग मानती है। कम्पनी की व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता है, जो इसके बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर एनएचपीसी के दिनांक 20.11.2014 के परिपत्र के माध्यम से जारी संहिता के अनुसार लागू है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के पास धोखाधड़ी अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी रोकथाम एवं पता लगाने संबंधी नीति है। यह नीति किसी भी ऐसी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी के संबंध में लागू होती है जिसमें एनएचपीसी लिमिटेड के कर्मचारी (सभी पूर्णकालिक, अंशकालिक या तदर्थ/अस्थायी/अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी) के साथ-साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों अथवा एनएचपीसी लिमिटेड के साथ किसी प्रकार व्यवसाय व्यवहार करने वाली किसी भी बाहरी एजेंसी (एजेंसियों) का कोई व्यक्ति शामिल हो।

एनएचपीसी लिमिटेड ने व्हिसल ब्लोअर नीति भी अपनाई है, जो कंपनी के सभी कर्मचारियों, निदेशकों और ठेकेदारों के साथ-साथ एनएचपीसी लिमिटेड के साथ जुड़े विक्रेताओं पर भी लागू होती है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने 1 करोड़ या इससे अधिक के मूल्य के सभी प्रापण कार्यों, 15 लाख या इससे अधिक मूल्य की सेवाओं के प्रापण और 7 लाख रुपये या उससे अधिक के मूल्य की वस्तुओं के प्रापण के लिए सत्यनिष्ठा नीति कार्यान्वित की है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी के पास अनैतिक व्यवहार की स्थिति में बोलीदाताओं (अर्थात् आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार) के साथ व्यावसायिक लेन-देन बन्द करने के लिए नीति तथा प्रक्रिया भी है। यह केवल एनएचपीसी लिमिटेड पर ही लागू होती है।

2. विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें मिली तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया? यदि हां, तो उसके ब्योरे लगभग 50 शब्दों में दें।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार है:

क) कारपोरेट अभिशासन मानक और व्यापार आचरण और आचार संहिता

शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

विवरण	01.04.2021 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2021-22 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार लंबित
रिफंड आर्डर प्राप्त न होना	0	0	0	0
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	0	1070	1070	0
सेबी शिकायतें	0	9	9	0
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	0	6	6	0
उपभोक्ता फोरम/ अदालती मामले	2	0	0	2
अधिवक्ता के नोटिस	0	0	0	0
कुल	2	1085	1085	2

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंज्यूमर फोरम/न्यायालयी मामलों को छोड़कर, प्राप्त शेयरधारकों की 100 प्रतिशत शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया था।

ख) कर मुक्त बाण्डधारकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

विवरण	01.04.2021 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2021-22 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार लंबित
रिफंड आर्डर प्राप्त न होना	0	0	0	0
टीडीएस प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना	0	0	0	0

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्राप्त न होना	0	0	0	0
ब्याज वारंट प्राप्त न होना	0	93	93	0
बॉण्ड/ प्रतिभूति प्राप्त न होना	0	19	19	0
कुल	0	112	112	0

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त कर मुक्त बांधधारकों की 100 प्रतिशत शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया।

ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एनएचपीसी व्हीसल ब्लोअर नीति के तहत शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या
0	0	0

घ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोलीदाताओं/ ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में व्यापार करने से संबंधित प्रतिबंध लगाने के लिए दिशानिर्देशों के तहत वर्गीकृत धोखाधड़ी परिपाटियों/ मिलिभगत परिपाटियों/ तथ्यों की गलतबयानी/ जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने/ खराब प्रदर्शन और दिए गए कार्य के गैर-निष्पादन आदि के 14 (चौदह) मामलों को संज्ञान में लिया है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

- (i) मैसर्स मिथिला मल्लेबल्स प्रा. लिमिटेड पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 29.06.2017 से 05 (पांच) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।
- (ii) मैसर्स वलेचा इंजीनियरिंग लिमिटेड पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 19.08.2019 से 05 (पांच) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।
- (iii) मैसर्स अरिहंत एनालिटिकल लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड पर कारपोरेट कार्यालय के लिए 23.08.2019 से 03 (तीन) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।
- (iv) मैसर्स अपार इंफ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 16.12.2019 से 5 (पांच) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।
- (v) मैसर्स हैपलाइन फेसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा पर कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए 16.12.2019 से 3 (तीन) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।
- (vi) मैसर्स दिलीप कुमार पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 15.06.2020 से 02 (दो) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।
- (vii) मैसर्स टेक टूल्स इंजीनियर्स पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में 01.03.2021 से 02 (दो) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।
- (viii) मैसर्स स्वामीना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पर सम्पूर्ण एनएचपीसी में दिनांक 14.06.2021 से 02 (दो) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।

- (ix) मैसर्स डॉल्फिन कंस्ट्रक्शन पर तीस्ता-V जलविद्युत परियोजना के लिए दिनांक 04.10.2021 से 06 (छः) माह तक प्रतिबंध लगाया गया है।
- (x) मैसर्स नारायण थापा पर तीस्ता-V जलविद्युत परियोजना के लिए दिनांक 04.10.2021 से 06 (छह) माह तक प्रतिबंध लगाया गया है।
- (xi) मैसर्स पाल फेसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड पर कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए दिनांक 22.10.2021 से 02 (दो) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।
- (xii) मैसर्स गोपाल शर्मा पर पार्वती-II जलविद्युत परियोजना एवं इसके संपर्क कार्यालय/संबद्ध कार्यालय के लिए दिनांक 10.12.2021 से 05 (पांच) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।
- (xiii) मैसर्स विनायक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर पार्वती-III जलविद्युत परियोजना एवं इसके संपर्क कार्यालयों/संबद्ध कार्यालयों के लिए दिनांक 17.02.2022 से 02 (दो) वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया है।
- (xiv) मैसर्स नॉर्थ हिल कंस्ट्रक्शन कंपनी पर संपूर्ण एनएचपीसी में दिनांक 09.02.2022 से 06 (छह) माह तक प्रतिबंध लगाया गया है।

सिद्धान्त 2

- अपने अधिकतम 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है।
- ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद (प्रचालनात्मक) के प्रति यूनिट (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री इत्यादि) संसाधन उपयोग के संबंध में ब्यौरा दें।

जल के गैर-उपभोग उपयोग द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन होता है इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जबकि सौर और पवन विद्युत में, विद्युत के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त सूर्य का

प्रकाश और पवन प्राकृतिक संसाधन हैं। जलविद्युत, सौर और पवन विद्युत, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आती है।

3. क्या कंपनी के पास संधारणीय सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं? यदि हां, तो आपके कितने प्रतिशत आदानों को संधारणीय रूप से प्राप्त किया गया था? साथ ही, लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा प्रदान करें।

कम्पनी अपने विक्रेताओं के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने पर बल देती है और उन्हें अपनी विकास गाथा में शामिल करती है। कम्पनी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के निष्पादन के लिए योग्य, सक्षम और कार्य-निष्पादन करने वाली एजेंसियों का चयन करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) को अपनाती है। तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों की आईसीबी परिपाटियों, सीवीसी दिशानिर्देशों, भारत सरकार के निर्धारित मानकों/पहलों तथा सुरक्षित कार्य स्थितियों, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन, पर्यावरणीय नीतियों इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य विक्रेता परिपाटियों के अनुरूप जांच की जाती है। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 के तहत भारत सरकार के निर्देशों एवं इसके नवीनतम संशोधनों का अनुपालन किया जा रहा है। कम्पनी के अधिकारी पारदर्शी तरीके से सभी एजेंसियों/एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ नियमित आधार पर परस्पर बातचीत करते हैं।

तथापि, कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाई जा रही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं/सेवाओं के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं से लिए गए स्थायी स्रोत आदानों के प्रतिशत का पता लगाना कठिन है।

4. क्या कम्पनी ने अपने कार्यस्थल के आस-पास के समुदायों सहित स्थानीय तथा लघु उत्पादकों से माल और सेवाओं के प्रापण के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जलविद्युत उत्पादन के लिए केवल इनपुट के रूप में पानी के गैर-उपभोग्य उपयोग की आवश्यकता होती है। कारपोरेशन ने वहां परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ) के लिए नीतियां बनाई हैं, जहां परियोजना के आसपास रहने वाले लोग कुछ कार्यों और सेवाओं के ऐसे आरक्षण से लाभान्वित होते हैं। तथापि, वाहन किराये पर लेने, सामग्री की सार-संभाल, हाउसकीपिंग, अपशिष्ट की सार-संभाल तथा बागवानी के लिए परियोजना के आस-पास स्थानीय लोगों के साथ अनुबंध किए गए हैं। इन अनुबंधों से परियोजना स्थल के आस-पास उद्यम विकास हुआ है और स्थानीय जनता के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इसके अलावा, सेवाओं और कार्यों की खरीद में बोली लगाने तथा कार्य को दिए जाने में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा

महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

5. क्या कम्पनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का कार्यतंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो उत्पादों तथा अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत कितना है (<5%, 5-10% >10% के रूप में अलग-अलग)

जलविद्युत/सौर/पवन विद्युत उत्पादन कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करता है। इस प्रकार तीनों संसाधनों के गैर-उपभोग्य प्रयोग से उत्पादित विद्युत, विद्युत संयंत्रों का अंतिम उत्पाद है। हाइड्रो/सौर/पवन विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होने के नाते, मानवजनित जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में वैश्विक ऊर्जा पारगमन का मुख्य कारक है। इन सभी विद्युत स्रोतों का उचित मिश्रण कार्बन उत्सर्जन से बचने के मामले में दुनिया में कोयला आधारित पावर स्टेशनों का संभावित महत्वपूर्ण विकल्प है। इसके अलावा, जलविद्युत परियोजना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किए गए वनीकरण क्रियाकलापों से न केवल दृश्यमान हरित पारगमन सामने आएगा, बल्कि इस क्षेत्र में यह कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करेगा और कार्बन पृथक्करण में सुधार करेगा। इसके अतिरिक्त, हमारी परियोजनाओं के लिए सुरक्षित और टिकाऊ संरचनाओं के निर्माण हेतु इष्टतम डिजाइन परिपाटियों का पालन किया जा रहा है।

सिद्धान्त 3

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाएं।
दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारियों की कुल संख्या 5092 थी।
2. कृपया अस्थायी/संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।
एनएचपीसी प्रत्यक्ष रूप से संविदा पर कर्मचारियों को नियोजित नहीं करता है।
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बतायें।
दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, स्थायी महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 545 है।
4. कृपया स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या बतायें।
दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या 114 है।
5. क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है?
कारपोरेशन के किसी एसोसिएशन या संघ को औपचारिक रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
6. स्थायी कर्मचारी का कितना प्रतिशत आपके इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?
लागू नहीं।

7. कृपया यह बतायें कि वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित कितनी शिकायतें कीं और वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितनी शिकायतें लंबित थीं?

वर्ष 2021-22 में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम से संबंधित शिकायतों तथा 2021-22 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में कोई भी शिकायत न तो प्राप्त हुई और न लम्बित है।
2021-22 में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2021-22 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में कोई नई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में एक शिकायत लंबित है।
2021-22 में विभेदकारी रोजगार से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2021-22 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

8. निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को विगत वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?

वित्तीय वर्ष (2021-22) के दौरान सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत निम्नानुसार है:

(क) स्थायी कर्मचारी	9.67 %
(ख) स्थायी महिला कर्मचारी	4.58 %
(ग) आकस्मिक/अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी	शून्य
(घ) दिव्यांग कर्मचारी	14.03 %

सिद्धान्त 4

1. क्या कम्पनी ने अपने आन्तरिक और बाह्य हितधारकों का चित्रण किया है? हां/नहीं।

हां, हमने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हितधारकों सहित बाह्य हितधारकों का चित्रण तथा पहचान की है। हमारे हितधारकों में कर्मचारी, ग्राहक, स्थानीय समुदाय, आपूर्तिकर्ता एवं संविदाकार, निवेशक और शेयर होल्डर, सरकार तथा विनियामक और समकक्ष व्यक्ति तथा उद्योग पारिस्थितिकी प्रणाली शामिल हैं।

2. उपरोक्त में से क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हितधारकों की पहचान की है?

हमारे वंचित तथा सुभेद्य हितधारकों में दिव्यांग कर्मचारी, बालिकाएं/महिलाएं, अजा/अजजा समुदाय और ग्रामीण/परियोजनाओं में और उनके आस-पास परियोजना विस्थापित समुदाय शामिल हैं।

3. क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हितधारकों से सम्पर्क करने के लिए कोई विशेष पहलें की हैं? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में इसका ब्योरा दें?

- दिव्यांग कर्मचारी: कम्पनी का प्रयास एनएचपीसी को ऐसा कार्यस्थल बनाने का प्रयास है जो दिव्यांग कर्मचारियों और विशेष आवश्यकता वाले कर्मचारियों के अनुकूल हो। इसका उद्देश्य इन कर्मचारियों को उनके लाभ के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए

कार्यक्रमों, मंचों और प्रशिक्षणों की एक श्रृंखला के माध्यम से आत्मविश्वासी बनाना है।

- बालिका/महिला और अजा/अजजा समुदाय: कम्पनी परियोजनाओं के स्थल के आस-पास के क्षेत्रों में शिक्षा के लिए अजा/अजजा और छात्राओं को छात्रवृत्ति देती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रम चलाती है।

सिद्धान्त 5

1. क्या मानवाधिकारों पर कम्पनी की नीति केवल कम्पनी पर ही लागू होती है या यह नीति समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है?

कम्पनी एसए 8000 मानकों की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप सामाजिक और नैतिक रूप से जिम्मेवार तरीके से व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान में, "एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली" केवल हमारे कर्मचारियों पर लागू होती है, तथापि हम अपने हितधारकों से इसमें निहित मानकों का पालन करने और बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं। "एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली" किसी कर्मचारी के अधिकार या विशेषाधिकार के तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन बनाए गए नियम से, या सेवा की शर्तों और निबंधनों द्वारा या ऐसे व्यक्ति या कम्पनी के बीच हुए किसी समझौते से संरक्षण के लिए है।

2. विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया?

कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:

दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2021-22 के दौरान समाधान की गई	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अंतिम शेष
08	21	24	05

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्राप्त 82.75 प्रतिशत शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया था।

विद्युत मंत्रालय के साथ संयोजित “केन्द्रीयकृत लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली” के अनुसार लोक शिकायत की संख्या इस प्रकार है:

दिनांक	वर्ष	वर्ष	दिनांक
01.04.2021	2021-22	2021-22	31.03.2022
की स्थिति	के दौरान	के दौरान	की स्थिति के
के अनुसार	प्राप्त	समाधान की	अनुसार अंतिम
प्रारंभिक शेष		गई	शेष
07	71	75	03

वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त विद्युत मंत्रालय से जुड़ी “केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली” के अनुसार 96.15 प्रतिशत लोक शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया था।

सिद्धान्त 6

1. क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति कम्पनी पर ही लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है?

एनएचपीसी के पास एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र है जो अपने कार्पोरेट कार्यालय तथा परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के लिए गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और प्रबंधन प्रणाली को शामिल करता है।

2. क्या कम्पनी के पास जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान वृद्धि आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीतियां/पहलें हैं? हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वैबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

जी हां, कम्पनी जल विद्युत, सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन के कार्य में लगी है, जो स्वच्छ विद्युत उत्पादित करती है तथा विद्युत उत्पादन की अन्य पारम्परिक पद्धतियों की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों को कम करती है। जल-विद्युत जहां कहीं ऊर्जा की कमी हो तथा अधिकतम मांग को पूरा करना हो, उसके लिए देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ाती है।

इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) प्रमाणीकृत कम्पनी है, जो अन्तरराष्ट्रीय मानकों आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 45001:2018 (व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) की अपेक्षाओं को पूरा करती है। आईएमएस प्रमाणीकरण पर्यावरण अनुकूल तरीके के विकास हेतु किये जाने वाले प्रयासों के लिए सचमुच में अन्तरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को परिलक्षित करता है।

एनएचपीसी ने अपनी कार्पोरेट पर्यावरण नीति (सीईपी) भी बनाई है जिसका उद्देश्य ऊर्जा के परम्परागत तथा गैर-परम्परागत स्रोतों के संधारणीय विकास हेतु पर्यावरणीय तथा सामाजिक चिन्ताओं का समाधान करना है। अनुमोदित पर्यावरण योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त, स्वैच्छिक पहलों के अंतर्गत विभिन्न पर्यावरणीय संरक्षण तथा बचाव उपाय भी किए जाते हैं जिसमें स्वैच्छिक वनीकरण, अवशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण शामिल हैं। सीईपी के अंतर्गत, परियोजनाओं/पावर स्टेशनों पर पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं तथा स्वैच्छिक पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।

पर्यावरण प्रबंध के क्षेत्र में एनएचपीसी के लिए ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) जल ग्रहण क्षेत्र सुधार (सीएटी)
- (ii) प्रतिपूरक वन रोपण/स्वैच्छिक वन रोपण
- (iii) हरित पट्टी विकास व लैंडस्केपिंग
- (iv) जलाशय रिम सुधार
- (v) मक डम्पिंग और खान स्थलों का पुनरुद्धार
- (vi) जैव विविधता संरक्षण
- (vii) मत्स्य संरक्षण और प्रबंधन
- (viii) निर्माण उपरान्त प्रभाव मूल्यांकन

इन प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा www.nhpcindia.com/key-areas.htm पर उपलब्ध है।

3. क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करती है? हां/नहीं।

हां, एनएचपीसी जलविद्युत के सतत् उत्पादन के प्रति प्रतिबद्ध है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) पर्यावरण पर संभावित प्रभाव (सकारात्मक और नकारात्मक) की पहचान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के निष्कर्षों पर आधारित, पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं (ईएमपी) का प्रस्ताव किया जाता है और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए परियोजना निर्माण के दौरान उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

4. क्या कम्पनी के पास स्वच्छ विकास तन्त्र से सम्बद्ध कोई परियोजना है? यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालना रिपोर्ट दायर की गई है?

जी, हां, एनएचपीसी की लद्दाख संघ-राज्य क्षेत्र में स्थित दो जल-विद्युत परियोजनाएं नामतः निम्नो बाजगो और चूटक जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के स्वच्छ विकास

तन्त्र (सीडीएम) के तहत प्रमाणित हैं। यूएनएफसीसीसी के सीडीएम दिशानिर्देशों के अनुपालन के बाद, निम्नो बाजगो पावर स्टेशन और चूटक पावर स्टेशन के लिए सीडीएम पंजीकरण प्रशासक, यूएनएफसीसीसी द्वारा प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर) जारी किए गए थे। इसकी सूचना एमओईएफएंडसीसी, भारत सरकार को दी जाती है।

5. क्या कम्पनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के संबंध में कोई अन्य पहलें की हैं? हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

जल विद्युत उत्पादन स्वयं में एक नवीकरणीय ऊर्जा पहल है। तथापि, कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के संबंध में अतिरिक्त पहलें की हैं। प्रत्येक 50 मेगावाट की पवन और सौर विद्युत परियोजनाएं क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु में पहले ही चालू की जा चुकी हैं। जिला गंजम, ओडिशा में 40 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। एनएचपीसी ने सीपीएसयू योजना चरण-II के ट्रांच-III के अंतर्गत ग्रिड से संबद्ध सौर पीवी परियोजना के विकास के लिए दिनांक 12.05.2022 को कुल 1000 मेगावाट की कुल क्षमता का ईपीसी अनुबंध अवार्ड किया है।

इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी के विभिन्न स्थलों पर कुल 3.29 मेगावाट क्षमता वाली रूफ टॉप सौर परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। विभिन्न एनएचपीसी स्थानों पर कुल 0.794 मेगावाट क्षमता के अतिरिक्त रूफ टॉप सौर संयंत्र भी संस्थापित किए जा रहे हैं।

एक मध्यस्थ खरीदार के रूप में एनएचपीसी ने चयनित 5 विकासकर्ताओं को आईएसटीएस से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं 2000 मेगावाट की कुल क्षमता अवार्ड की है। राज्य डिस्कॉमों के साथ विद्युत बिक्री करार (पीएसए) और चयनित विकासकर्ताओं के साथ विद्युत क़य करारों पर 25 वर्ष की परियोजना जीवनकाल अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। चयनित विकासकर्ताओं द्वारा विकासात्मक गतिविधियां प्रगति पर हैं और ये परियोजनाएं वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आरंभ किए जाने की संभावना है।

एनएचपीसी विभिन्न संभावनाओं से समृद्ध राज्यों, यथा ओडिशा (यूएमआरईपीपी मोड के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी जीईडीसीओएल के साथ संयुक्त उद्यम मोड में 500 मेगावाट फ्लोटिंग सौर), राजस्थान (यूएमआरईपीपी मोड के अंतर्गत 600 मेगावाट सौर पार्क), पावर एक्सचेंज के माध्यम से ऊर्जा की बिक्री के लिए भारत में कहीं भी 75 मेगावाट क्षमता आईएसटीएस से संबद्ध सौर विद्युत परियोजना इत्यादि में सौर/पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। एनएचपीसी ने 'राजस्थान में

10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं/पार्कों के विकास' के लिए दिनांक 08.02.2022 को आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनएचपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी कार्रवाई शुरू की है और निम्नलिखित तीन प्रमुख परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं:

- एनबीपीएस गेस्ट हाउस, लेह में पायल ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ईंधन-सेल माइक्रोग्रिड (25 केडब्ल्यूई),
- कारगिल, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में प्रमुख ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन
- चंबा, हिमाचल प्रदेश में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन

6. सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर कम्पनी द्वारा उत्सर्जन/निकले अपशिष्ट को वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट किया जा रहा है?

जलविद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन के दौरान ठोस अपशिष्ट, तरल बहिष्काव या गैसों का उत्सर्जन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, जलविद्युत उत्पादन के समय पानी में कोई सन्दूषण नहीं हुआ है। तथापि, नदी जल की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के आकलन के लिए नदी जल की गुणवत्ता का निरन्तर विश्लेषण सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर होने के लिए किया जाता है।

7. सीपीसीबी/एसपीसीबी से वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त हुए, जो लम्बित हैं (अर्थात् जिनका संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया गया)

वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर ऐसे कोई नोटिस लम्बित नहीं थे।

सिद्धान्त 7

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और मंडल या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो केवल उन्हीं प्रमुख कंपनियों के नाम बताएं जिनसे आपका व्यवसाय संबंधित है।

एनएचपीसी स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (स्कोप) का सदस्य है। स्कोप का मूल उद्देश्य "सरकारी क्षेत्र के व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान के बारे में जनता की बेहतर समझदारी" को बढ़ाना है।

2. क्या आपने उन्नति या जनता की बेहतरी की वकालत की है/उपरोक्त एसोसिएशनों के माध्यम से लाबिंग की है? हां/नहीं, यदि हां, तो विस्तृत क्षेत्रों को स्पष्ट करें (ड्राप बाक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां,

ऊर्जा सुरक्षा, जल खाद्य सुरक्षा, संधारणीय व्यावसायिक सिद्धान्त, अन्य)

हम जनता की बेहतरी के लिए अभिशासन व प्रशासन का दृढ़ता से समर्थन करते हैं।

सिद्धान्त 8

1. क्या कम्पनी के पास सिद्धान्त 8 से संबंधित नीति को आगे बढ़ाने में कोई कार्यक्रम/पहलें/ परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।

जी, हाँ। एनएचपीसी स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता, महिला सशक्तिकरण, आपदा प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में अपने ढांचाबद्ध सीएसआर प्रयासों तथा परियोजनाओं के माध्यम से सतत रूप से अपने निकटवर्ती समुदायों तथा व्यापक तौर पर समाज के संधारणीय विकास हेतु प्रयासरत है और इसके द्वारा ऐसा विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सुदूर क्षेत्रों में किया जा रहा है।

ये कार्यक्रम स्वास्थ्य देख-रेख, शिक्षा, पर्यावरणीय प्रबंधन और सीमांत तथा वंचित तबकों/ समुदायों के सशक्तिकरण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आन्तरिक दल/अपने प्रतिस्थान/ बाह्य गैर सरकारी संगठन/सरकारी संस्थाओं/या अन्य संगठनों के माध्यम से चलाये जाते हैं?

कम्पनी की अधिकांश सीएसआर परियोजनाएं आंतरिक दलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं और कुछ कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ)/जिला प्रशासन/प्राधिकरणों की भागीदारी से/उनके द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है?

कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में, 22 जनवरी, 2021 को या उसके बाद शुरू की गई या पूरी की गई सीएसआर परियोजनाओं के आकलन किये जाने हैं। एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के परिव्यय वाली सीएसआर परियोजनाओं/क्रियाकलापों, जो एक वर्ष से कम में नहीं पूरा किया गया है, के प्रभाव मूल्यांकन का कार्य एक स्वतंत्र एजेंसी को अर्वाड किया गया है और उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एनएचपीसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

एक सुशासन परिपाटी के रूप में, एनएचपीसी पूर्व में भी स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से अपनी सीएसआर परियोजनाओं

के प्रभाव मूल्यांकन करता रहा है, जिसे वेबसाइट <http://www.nhpcindia.com/Impact-Assessment-Reports-htm> पर प्रकट किया गया है:

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपके कम्पनी का प्रत्यक्ष अंशदान कितना है – धनराशि भारतीय रुपये में और शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा?

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सामुदायिक विकास परियोजनाओं में कुल अंशदान 105.29 करोड़ रुपए था। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

परियोजना		वर्ष 2021-22 के लिए धनराशि (रुपए)
i.	शिक्षा और कौशल विकास	35.59 करोड़ रुपए
ii.	स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता (स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ विद्यालय अभियान क्रियाकलापों सहित)	28.92 करोड़ रुपए
iii.	ग्रामीण विकास	6.10 करोड़ रुपए
iv.	पर्यावरण और संधारणीयता	0.28 करोड़ रुपए
v.	महिला सशक्तिकरण/ वरिष्ठ नागरिक	0.48 करोड़ रुपए
vi.	पीएम केयर्स फंड	30.00 करोड़ रुपए
vii.	आपदा प्रबंधन	0.06 करोड़ रुपए
viii.	प्रशासनिक उपरिव्यय	3.86 करोड़ रुपए
कुल व्यय		105.29 करोड़ रुपए

वर्ष के दौरान ली गई विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. शिक्षा और कौशल विकास

- क) कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- ख) स्कूल भवनों जैसे ऑडिटोरियम, शौचालयों, कमरों तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण और उन्नयन तथा स्कूलों में अवसंरचना उपलब्ध कराना।
- ग) दिव्यांगों के आने-जाने के लिए बस सेवा उपलब्ध कराना।
- घ) उच्चतर शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना।

- ड) नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में एक 250 एलपीएच आरओ सिस्टम की संस्थापना।
- च) सरकारी स्कूलों के उत्तीर्ण प्रतिशत में सुधार के लिए 'शिक्षित हरियाणा' परियोजना को संस्थागत बनाने हेतु परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) की संस्थापना।
- छ) सरकार द्वारा चिन्हित महत्वाकांक्षी जिलों में राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के माध्यम से दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) के आजीविका उन्नयन हेतु रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण।
- 2. स्वास्थ्य देख-रेख और स्वच्छता (स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ विद्यालय अभियान क्रियाकलापों सहित)**
- क) विभिन्न स्वास्थ्य सेवा केंद्रों जैसे पीएचसी/सीएचसी और उप जिला अस्पतालों में मशीनरी/उपस्कर यथा - यूएसजी कलर डॉपलर, एक्स-रे मशीन, यूरिन एनालाइजर, कार्डिएक मॉनिटर, ऑक्सीजन कोंन्सेंट्रेटर, जेनरेटर सेट, सीआर सिस्टम, डेंटल चेन आदि उपलब्ध कराना।
- ख) विभिन्न स्थानों पर 200, 250, 500 और 1000 एलपीएम क्षमता वाले 06 ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराना और ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंटेटर, ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजर, पीपीई किट, फेस शील्ड मास्क, थर्मामीटर आदि का वितरण करना।
- ग) आरोग्य-प्राथमिक स्वास्थ्य जांच और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान तथा गैर-संचारी रोगों के लिए अधिक जोर देते हुए द्वितीयक देखभाल सुविधा
- घ) एम्बुलेंस, मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वैन और हार्स वैन उपलब्ध कराना।
- ड) परियोजनाओं/पावर स्टेशन के आस-पास के क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को निःशुल्क दवाओं का वितरण।
- च) दिव्यांगों को इमदाद तथा सहायक उपस्कर जैसे व्हील चेयर आदि उपलब्ध कराना।
- छ) बोरवेल के साथ स्वच्छ पेयजल सुविधाएं, सार्वजनिक क्षेत्रों में फिल्ट्रेशन, सामुदायिक केन्द्र आदि।
- ज) सरकारी विभाग को 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन और 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराना।
- झ) बोरवेल और आरओ संयंत्र के साथ सामुदायिक पेयजल सुविधा।

- ज) विद्यालयों/सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण/संस्थापन।
- ट) गांवों में जलापूर्ति लाइनों का निर्माण/संस्थापन तथा साफ-सफाई।
- ठ) विद्यालयों हेतु जलापूर्ति प्रणाली।
- ड) कोविड-19 के अंतर्गत आपातकालीन चिकित्सा वस्तुओं का वितरण और कोविड-19 सीसीई (कोल्ड चेन उपस्कर) अवसंरचना आदि का संवर्धन।
- 3. ग्रामीण विकास**
- क) सामुदायिक केन्द्र, जलापूर्ति लाइनों, नालों, सड़कों/पथों, सिंचाई नहरों आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं के संवर्धन हेतु ग्रामीण विकास।
- ख) दाह संस्कार शेड, वर्षा आश्रय, यात्री शेड, बहु-उद्देशीय हॉल आदि के निर्माण गतिविधियां।
- ग) आदर्श गांव के विकास के लिए सहायता।
- घ) पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- ड) बागवानी नर्सरी का आधुनिकीकरण
- च) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य अवसंरचना और सामुदायिक विकास।
- 4. पर्यावरण और संधारणीयता**
- क) पेड़ों का वृक्षारोपण और हर्बल पार्कों का विकास।
- ख) सौर स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना।
- 5. महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक**
- क) महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।
- ख) स्थानीय स्व-सहायता समूहों को सिलाई, बुनाई, फास्ट फूड बनाने की कला के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- ग) सैनिटरी पैड विनिर्माण यूनिटों की स्थापना - समाज के वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम।
- घ) समाज के कमजोर सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध कराना।
- 6. आपदा प्रबंधन**
- क) पुनर्वास के लिए राहतस्वरूप अग्नि प्रभावित गांव के लिए जीएल और सीजीआई शीट उपलब्ध कराना।

ख) अभूतपूर्व वर्षा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों का नवीकरण।

7. पीएम केयर्स फंड में अंशदान

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।

जी, हां। एनएचपीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि हमारी सामुदायिक पहलों को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए, एनएचपीसी समुदाय के किसी भी सीएसआर क्रियाकलाप को प्रारंभ करने के लिए बाटम अप एप्रोच का उपयोग करती है। यह इस तथ्य की विशेषता है कि हितधारक आवश्यकता पहचान/मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। किसी सामुदायिक विकास पहल को आगे बढ़ाने से पहले हमारी आंतरिक टीम द्वारा आधारभूत डाटा एकत्र करके विश्लेषण किया जाता है। किसी भी सीएसआर क्रियाकलाप के प्रारंभ से पूर्व व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसका विश्लेषण किया जाता है। निगरानी के लिए संस्थागत तंत्रव्यवस्था संगठन में मौजूद है और यह कार्यान्वयन के दौरान उचित अंतराल पर उचित स्तर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, हमारी पहलों के संबंध में लाभार्थियों की प्रतिक्रिया भी भविष्य की योजना के उद्देश्य से एकत्र की जाती है।

सिद्धान्त 9

1. वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लम्बित हैं।

विद्युत एक विनियमित क्षेत्र है। विद्युत एक अमूर्त उत्पाद/सेवा है और विभिन्न लाभार्थी डिस्कॉमों को आपूर्ति की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई ग्राहक शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 से कोई मामला लम्बित नहीं है।

2. क्या कम्पनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचना)

विद्युत क्षेत्र एक विनियमित क्षेत्र है। एनएचपीसी पावर स्टेशन (स्टेशनों) का टैरिफ माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों द्वारा शासित होता है। टैरिफ अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के समय, पावर स्टेशन के वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के ब्यौरे प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों, एक अंग्रेजी में और एक स्थानीय भाषा में, में प्रकाशित किये जाते हैं।

3. क्या गत पांच वर्षों के दौरान किसी हितधारक ने अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धी-रोधी व्यवहार के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया है और वित्तीय वर्ष के अन्त तक लम्बित है?

लाभार्थी डिस्कॉमों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार परिपाटियों, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/अथवा प्रतिस्पर्धी-रोधी व्यवहार के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

4. क्या आपकी कम्पनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता सन्तुष्टि प्रवृत्तियों का अध्ययन कराया था?

एनएचपीसी अपने लाभार्थियों से नियमित फीडबैक ले रहा है जिससे हमें अपने ग्राहकों को बेहतर और अधिक प्रभावी तरीके से सेवा प्रदान करने में मदद मिलती है। एनएचपीसी अपने लाभग्राहियों से नियमित रूप से फीडबैक प्राप्त कर रहा है और अधिकांश फीडबैक संतोषजनक होते हैं। एनएचपीसी क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) के माध्यम से लाभग्राही राज्यों के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। यह हितधारकों की परस्पर चर्चा और बाकी मुद्दों के समाधान हेतु एक सामान्य मंच है। एनएचपीसी ने लंबित मुद्दों, यदि कोई हो, के समाधान के लिए अपने लाभग्राहियों से आवधिक उपभोक्ता बैठके भी की है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 25 मई, 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट बनती हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं की ओर से

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2022

हस्ता./-
(दीपक कपूर)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा), दिल्ली

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे उनके द्वारा अपनी दिनांक 25 मई, 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड और अनुबंध में उल्लिखित सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है, परंतु लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड और नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागजातों पर किसी पहुंच के बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों और कुछ लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट बनती हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं की ओर से

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2022

हस्ता./-
(दीपक कपूर)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा), दिल्ली

अनुबंध

उन सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों के नाम जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नहीं की गई है:

क्रम संख्या	सहायक कंपनी का नाम
1	एनएचडीसी लिमिटेड
2	बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड
3	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड
4	जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड
5	रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यगण,

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

मत

हमने एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं और यह उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे एतदपश्चात् "वित्तीय विवरण" कहा गया है) सहित है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षानुसार सूचना को दर्शाते हैं और 31 मार्च, 2022 के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति, और उसके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं।

मत हेतु आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसएस) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और साथ ही अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरण की हमारे लेखापरीक्षा के लिए संगत नैतिक अपेक्षाओं सहित हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को एकल वित्तीय विवरण की हमारी समग्र लेखापरीक्षा और उन पर हमारा मत बनाने के संदर्भ में हल किया गया था और हम इन मामलों पर एक अलग मत प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों हेतु नीचे उल्लिखित मामलों का निर्धारण किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का समाधान करना
1. विनियामक आस्थगन लेखा ऋण शेषों और टैरिफ अधिसूचना लंबित होने पर राजस्व का प्रोद्भवन कंपनी के प्रचालनरत क्रियाकलाप सेवा विनियमों की लागत के अध्यधीन हैं जिसके द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु प्रभारित टैरिफ अनुमेय पूंजी तथा अन्य लागत एवं व्ययों और उसके प्रति निर्धारित प्रतिफल पर आधारित होता है। कंपनी अपने उपभोक्ताओं को पूर्व-अनुमोदित/अनंतिम टैरिफ के आधार पर बीजक देती है जो ट्रूइंग-अप के अध्यधीन है। कंपनी विनियामक के साथ सहमत पूर्व-अनुमोदित/अनंतिम टैरिफ दरों के आधार पर उपभोक्ताओं को बीजक की राशि के रूप में राजस्व प्राप्त करती है। चूंकि कंपनी इक्विटी पर	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम विनियामक आस्थगन लेखा शेषों के मूल्य के वहन करने की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल है: - आय के प्रोद्भवन और उनके प्रति वसूली योग्य राशियों के निर्धारण हेतु प्रबंधन द्वारा यथा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन तथा प्रचालनरत प्रभावोत्पादकता को समझना तथा उनका परीक्षण करना। - सीईआरसी विनियमों के अनुरूप वसूली योग्य राशि को प्राप्त करना तथा समझना और ऐसे आकलनों हेतु प्रबंधन द्वारा लागू किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के मद्देनजर तत्संबंधी आकलन, परीक्षण और तर्कसंगतता का मूल्यांकन।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का समाधान करना
नियत आय की पात्र है, अतः विनियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजस्व और पात्रता के बीच के अंतर को विनियामक परिसंपत्ति/देयताओं के रूप में मान्यता दी गई है। 31 मार्च, 2022 के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 14 में दिए गए अनुसार, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 7063.31 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2020 तक 6836.22 करोड़ रुपये) विनियामक आस्थगन लेखा ऋण शेषों में मान्यता दी है। इसमें सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में टिप्पणी 34(22क) में निर्दिष्ट किए अनुसार कार्य रोके जाने की तिथि अर्थात् 16.12.2011 से 30.09.2019 तक की अवधि तक के लिए इससे संबंधित ब्याज लागत और अन्य आरोप्य व्ययों के कारण कुल 3470.59 करोड़ रुपए के प्रोद्भवन शामिल हैं। विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष टैरिफ विनियमों और पिछले टैरिफ ऑर्डर के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और विनियामकों द्वारा उनके सत्यापन एवं अनुमोदन के अध्यक्षीन होते हैं। विनियामक आस्थगन लेखा ऋण शेष लागू विनियामक ढांचे के तहत विनियामक की वास्तविक अथवा अपेक्षित कार्रवाई के परिणामस्वरूप कंपनी के भावी आर्थिक लाभ की संभावना के संबंध में अनुमानों और अवधारणाओं के आधार पर बिना छूट के आधार पर मान्यता प्राप्त हैं और इसलिए इनकी वसूली टैरिफ विनियमों और संबंधित अनुमोदनों एवं अधिसूचनाओं पर निर्भर है। उपरोक्तानुसार किए गए प्रोद्भवन उस व्यापार के लिए महत्वपूर्ण और प्रोपराइटरी है जिसमें कंपनी प्रचालनरत है। विशिष्ट अधिसूचना और दर-निर्धारण के अभाव में, ये प्रबंधन की मान्यताओं तथा अनुमानों पर आधारित हैं जो सीईआरसी द्वारा टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने और परियोजनाओं के प्रचालनों के प्रारंभ होने के अध्यक्षीन हैं।	- उक्त में सीईआरसी दिशा-निर्देशों का मूल्यांकन और विगत में कंपनी द्वारा किए गए दावे की स्वीकृति तथा विभिन्न कारणों से वि-अनुमेय किए जाने की प्रवृत्ति और प्रबंधन द्वारा तत्संबंधी पालन और अनुपालन तथा दी गई स्थिति और व्यापार परिवेश में ली गई मान्यताओं हेतु तर्क शामिल है। - सुबानसिरी परियोजना के मामले में नकदी उत्पादक यूनिट एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(18) के मूल्य पर पहुंचने के लिए प्रबंधन द्वारा मानी गई विभिन्न मान्यताओं तथा प्रगतिधीन परियोजना और विनियामक आस्थगित लेखा शेषों के वहनीय मूल्य के संबंध में तत्संबंधी पर्याप्तता का मूल्यांकन। - भारतीय लेखा मानक 114 के प्रावधानों के अनुप्रयोग का मूल्यांकन, विनियामक आस्थगन शेषों की मान्यता के लिए आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियमित गतिविधियों के लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी। - कंपनी द्वारा अपनाई गई मान्यता प्राप्त राशियों और मापन नीतियों की पर्याप्तता एवं तर्कसंगतता और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उसके संबंध में किए गए प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) की वहनीय राशि की क्षति का आकलन प्रत्येक जलविद्युत उत्पादन संयंत्र को कंपनी की नकदी उत्पादन यूनिटों (सीजीयू) के रूप में माना गया है और उसके हानि संकेतकों एवं आवश्यकताओं का मूल्यांकन एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(18) में दिए गए अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) और पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंध में किया गया है। यह आकलन किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और विधिक परिवेश, जिसमें कंपनी प्रचालनरत है, में कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव होने वाला कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है, अथवा निकट भविष्य में उसके होने की कोई प्रत्याशा नहीं है। आकलन के आधार पर, कंपनी	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम क्षति परीक्षण के आधार पर किसी सीजीयू का प्रावधान न किए जाने की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं: - भारतीय लेखा मानक 38 के अनुरूप कंपनी को प्रभावित करने वाले आंतरिक तथा बाहरी कारकों और क्षति के संकेतकों (अथवा तत्संबंधी प्रत्यावर्तन) का महत्वपूर्ण मूल्यांकन; - इस संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त प्रमुख मान्यताओं के विश्लेषण द्वारा वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण हेतु सीजीयू के संबंध में प्रयुक्त क्षति मूल्यांकन मॉडलों की समीक्षा में निम्नलिखित शामिल है:

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का समाधान करना
ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वर्ष 2020-21 के दौरान क्षति हेतु परीक्षण में कंपनी के सीजीयू के संबंध में कोई बड़ी क्षति का संकेतक या क्षति विद्यमान नहीं है। उक्त आकलन के आधार पर, पीपीई अथवा सीडब्ल्यूआईपी के निमित्त क्षति हेतु कोई प्रावधान कंपनी द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है। किया गया क्षति व्यवहार जो उपरोक्त के अनुसार निश्चित परिसंपत्तियों की वहनीय राशि को औचित्यपूर्ण बताता है, जिसमें उपरोक्त पैरा 1(क) के अंतर्गत ली गई सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित विनियामक आस्थगन लेखा शेष शामिल हैं, कंपनी के प्रचालनों हेतु महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। क्षति के मूल्यांकन में नकदी उत्पादन यूनिटों (सीजीयू) के उपयोग में मूल्य का आकलन शामिल होता है और इसमें भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमानों, उत्पादन पूर्वानुमान, मात्रा पूर्वानुमान, मूल्य और छूट दर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय तथा अवधारणाएं आवश्यक होती हैं।	— मूल्यांकन को निकालने हेतु पूर्वानुमान के संबंध में संगतता और किसी अंतर के संभाव्य प्रभाव का आकलन करना; — मॉडलों में प्रयुक्त मूल्य अवधारणाएं; — नकदी प्रवाह प्रक्षेपण अथवा छूट दर में सीजीयू में निहित जोखिम का पता लगाना। — पूंजी की धारित औसत लागत की मान्यता/अनुमानन और प्रयोग में होने वाले मूल्य को निकालने हेतु छूट की दर। • परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु सरकार की नीति तथा अनुमोदन, बोर्ड के निर्णय और इस संबंध में किए गए प्रयासों तथा उठाए गए कदमों की समीक्षा। • निर्माण की समयावधि, उत्पादन की मात्रा और उनके प्रति प्रत्याशित टैरिफ पर आधारित परिणामी राजस्व के लिए प्रबंधन प्रक्षेपणों पर विश्वास किया गया है।
3. आकस्मिक देयताएं – संविदाकारों से दावे के प्रति (एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34.1(क)(i)) पूंजीगत कार्यों के प्रति संविदाकारों द्वारा 10240.95 करोड़ रुपये की राशि के विभिन्न दावे दर्ज किए गए हैं जिसमें 418.63 करोड़ रुपये की राशि उसके लिए प्रदान की गई है, 9546.17 करोड़ रुपये का प्रकटन आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया है तथा शेष दावों के संबंध में, निपटान में किसी बहिर्गमन की संभावना को दूरस्थ माना जाता है। इसमें माध्यस्थम कार्यवाही और/अथवा न्यायालय के समक्ष मामले शामिल हैं जिनमें निर्णय कंपनी के विरुद्ध आया है। इसके अतिरिक्त, इन राशियों को एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(1)(ड)(i) और (ii) में संदर्भित कुछ मामलों में नीति आयोग के निर्देशों अथवा न्यायालय के आदेश के अनुसार अदा/जमा किया गया है। कंपनी के विरुद्ध किए गए दावे काफी हैं। ये मध्यस्थम अथवा अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष निर्णय हेतु लंबित हैं और इसके परिणामी तथा संभावित प्रभाव हैं। प्रावधान/प्रकटन दायित्व के होने की संभाव्यता के प्रबंधन के आकलन के आधार पर अपेक्षित है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम आकस्मिक देयताओं की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल है : • विधि विभाग से मामले की स्थिति प्राप्त की गई और मामले पर उनका मत जाना; • संविदात्मक निबंधन एवं शर्तों और अभी तक किए गए प्रावधान की पर्याप्तता हेतु प्रबंधन के तर्क तथा कंपनी के प्रति की गई मांगों के एवज में उपलब्ध न करवाई गई शेष राशि का मूल्यांकन किया गया; • प्रबंधन के साथ बैठक और पत्राचार, ज्ञापनों तथा संबंधित मामलों पर टिप्पणियों का अनुवर्तन करना/उनकी समीक्षा करना। • समान मामलों पर विधिक मतों तथा निर्णयों और अंतिम निर्णय/फैसला लंबित होने तक प्रबंधन द्वारा किए गए प्रावधान और उससे उत्पन्न होने वाली देयताओं की संभाव्यता पर विश्वास किया गया है; • भारतीय लेखा मानक 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटन और प्रावधान की उपयुक्तता तथा पर्याप्तता की समीक्षा।
4. दिनांक 31.3.2022 तक सर्वेक्षण और अन्वेषण परियोजनाओं और उनके अंतर्गत निर्माण-पूर्व चरण पर किया गया व्यय एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी 2.2.3 में दिए गए अनुसार परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने पर 1234.97 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इसमें इन परियोजनाओं पर आरोप्य ब्याज, प्रशासनिक और अन्य लागतें शामिल हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम सर्वेक्षण तथा अन्वेषण परियोजनाओं पर किए गए व्यय की राशि को वहन करने के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल है : • प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए सर्वेक्षण और जांच चरण के तहत परियोजनाओं की स्थिति और उन्हें स्थगित रखने का कारण प्राप्त किया।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का समाधान करना
इसमें से परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति, अनुमोदन के संबंध में अनिश्चितता के कारण 962.00 करोड़ रुपये (वर्ष के दौरान 7.42 करोड़ रुपये सहित) उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे 272.97 करोड़ रुपये शेष बचते हैं जिन्हें चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणित किया गया है। इसके अतिरिक्त, चल रहे पूंजीगत कार्य में ऐसी परियोजनाएं भी शामिल हैं जहां निर्माण क्रियाकलापों को अभी लिया जाना है। ब्याज, प्रशासनिक और अन्य लागतों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परियोजनाओं को छोड़ नहीं दिया जाता है, तथापि, ऐसे मामलों में यहां ऊपर दिए गए अनुसार प्रावधान किए जाते हैं, जहां प्रबंधन की दृष्टि से शुरु की गई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में अनिश्चितताएं होती हैं। संबंधित परियोजनाओं को न लिए जाने की स्थिति में, सर्वेक्षण तथा जांच पर किए गए व्यय और तत्संबंधी निर्माण से पूर्व किए गए/आवंटित व्यय, चल रहे पूंजीगत कार्य में अग्रेणित किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे।	• (क) सर्वेक्षण और जांच परियोजनाओं और कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए इस तरह के खर्चों के लिए प्रावधान करने/बट्टे खाते में डालने के लिए अपनाई जाने वाली नीति के लिए, (ख) निर्माण-पूर्व चरण के तहत परियोजना के लिए और उधार और अन्य लागत का आवंटन और उसके निमित्त आवंटित प्रबंधन द्वारा किए गए खर्चों के लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझना और परीक्षण करना। • अनिश्चितताओं और भविष्य में उसके कार्यान्वयन तथा उसके संभावित आर्थिक प्रयोग विलंब के बावजूद पूंजीगत कार्य के तहत ऐसी परियोजनाओं को प्रगति पर जारी रखने के संबंध में प्रबंधन के औचित्य का मूल्यांकन करना। • किसी परियोजना का निर्माण से पूर्व अथवा निर्माणाधीन चरण की समयावधि तथा संबंधित परियोजना के प्रत्येक मामले में उसके लिए दिए गए स्थल, आकार एवं प्रकृति के लिए अपेक्षित सामान्य अवधि के प्रबंधन के तर्क का मूल्यांकन करना • व्यवसाय की प्रकृति, जिसमें कंपनी प्रचालनरत है, के तकनीकी और प्रोपराइटरी होने के कारण, मामले पर प्रबंधन के तर्क और प्रतिनिधित्व पर विश्वास किया गया है।
5. एमएटी क्रेडिट की मान्यता वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने पास उपलब्ध 2424.58 करोड़ रुपये के एमएटी क्रेडिट की वसूली का आकलन किया है। इस प्रकार के आकलन के आधार पर, कंपनी ने एमएटी क्रेडिट की राशि के रूप में 1478.62 करोड़ रुपये की एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता दी है जिसका प्रयोग कंपनी द्वारा भविष्य के वर्षों में आयकर के कम बहिर्गमन के रूप में भावी वर्षों में किया जाएगा। परिणामस्वरूप, कंपनी ने मान्यता प्राप्त आईबीआईडी एमएटी क्रेडिट के संबंध में 1313.27 करोड़ रुपये की ऐसी विनियामक आस्थगन (क्रेडिट) शेष राशि को भी मान्यता दी है, जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार भविष्य में लाभार्थियों को दी जाएगी। एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित इस आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित निर्धारित अवधि के भीतर इस तरह की पात्रता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त भविष्य कर योग्य लाभ के सृजन पर निर्भर है। एमएटी क्रेडिट और विनियामक आस्थगन (क्रेडिट) शेष राशि की मान्यता, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अनुमत समय सीमा के भीतर ऐसे कर क्रेडिट की	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिनके आधार पर हम मान्यता प्राप्त एमएटी क्रेडिट की उपयुक्तता और इसके निमित्त सृजित विनियामक आस्थगित (क्रेडिट) शेष के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं: • कराधान से संबंधित कंपनी के नियंत्रण की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता को समझना और उसकी जांच करना और आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की वहनीय राशि का मूल्यांकन करना। • अप्रयुक्त एमएटी क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों के संबंध में कम्पनी की लेखांकन नीति और ऐसी नीति में अपेक्षित बदलाव के लिए चालू वर्ष के घटनाक्रम, यदि कोई हो, तथा इनके प्रति प्रबंधन विचार की समीक्षा करना। • कंपनी द्वारा तैयार आंतरिक पूर्वानुमान और भावी कर योग्य आय पूर्वानुमानों के आधार पर कंपनी को विधिक रूप में उपलब्ध कर क्रेडिट पात्रता का मूल्यांकन करना। • मान्यताप्राप्त एमएटी क्रेडिट के उपयोग की संभाव्यता की औचित्यपरक स्थिति के निर्धारण के उद्देश्य से लगाए गए अनुमानों की संगतता एवं व्याप्त अनिश्चितता तथा विवेक के उपयोग की समीक्षा करना।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का समाधान करना
वसूली पर विचार करने के लिए एमएटी क्रेडिट पात्रता की मान्यता हेतु भावी कर योग्य लाभ के पूर्वानुमान में निर्णय की, इसकी वास्तविकता और आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में एकल वित्तीय विवरणों के इच्छुक प्रयोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस संबंध में संगत प्रकटन एकल वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 20.0(ख) के साथ पठित टिप्पणी संख्या 14.2, 18, 30.1, 31, 34(22)(ड) में दिए गए हैं।	- विनियामक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत कंपनी प्रचालन करती है और लाभार्थियों को दिए जाने वाले उत्पादन क्रियाकलाप से सृजित एमएटी क्रेडिट तथा दिए गए वर्तमान विनियामक प्रावधानों और उसकी प्रयोज्यता अवधि के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव के संबंध में कंपनी द्वारा तैयार किए प्राक्कलन से संबंधित प्रभाव की समीक्षा। - एकल वित्तीय विवरण में किए गए प्रकटन की पर्याप्तता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

अन्य सूचना के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट शामिल है, परंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऊपर उल्लिखित अन्य सूचना हमें इस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाए जाने की प्रत्याशा है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना को शामिल नहीं करता है और हम इस बारे में किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि उपलब्ध होने पर ऊपर अभिचिन्हित अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करते समय, विचार करें कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरण के साथ या लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए गए हमारे ज्ञान से वास्तविक रूप से असंगत है या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम ऊपर उल्लिखित अन्य सूचना पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई वास्तविक मिथ्या कथन है, तो हमें शासन के प्रभार होने वालों को संप्रेषित करना और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार अपेक्षित आवश्यक कार्रवाइयों का वर्णन करना आवश्यक है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारियों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विहित भारतीय लेखांकन मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कार्यों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ अथवा हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने हेतु इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो कि लेखांकन रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और वास्तविक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी हो या त्रुटि के कारण।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन गोइंग कन्सर्न के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, गोइंग कन्सर्न से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटन करने और लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार का उपयोग करने, जब तक कि प्रबंधन कंपनी के परिसमापन या प्रचालनों को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या उसके उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक मिथ्याकथन से

मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा मत भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि लेखांकन संबंधी मानक (एसएएस) के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी वास्तविक मिथ्याकथन का पता लगाएगी। मिथ्याकथन-धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और तब वास्तविक मानी जाती है, जब वे, यदि, पृथक रूप से या कुल मिलाकर, इन एकल वित्तीय विवरण के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकते हो।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों की वास्तविक मिथ्याकथन के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति प्रत्युत्तर वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वास्तविक मिथ्याकथन विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम कंपनी के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद होने तथा उन नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या स्थितियों से संबंधित वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जो गोइंग कन्सर्न के रूप में बने रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है, के संबंध में निष्कर्ष निकालना। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित होता है या यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी का गोइंग कन्सर्न बने रहना प्रभावित हो सकता है और

प्रकटन सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जो निष्पक्ष प्रकटन देते हो, का मूल्यांकन करना।

वास्तविकता एकल वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो पृथक रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में अभिचिन्हित किसी भी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, में मात्रात्मक वास्तविकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र और समय और हमारे द्वारा अपनी लेखापरीक्षा के दौरान अभिचिन्हित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शासन के प्रभारियों को सूचित करते हैं।

हम शासन के प्रभारियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें ऐसे सभी संबंध तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो तर्कसंगत रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों पर प्रभाव डाल सकते हो।

शासन के प्रभारी होने वालों को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को रोकते हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम, ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से तर्कसंगत रूप से अधिक होंगे।

अन्य मामले

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी के तत्कालीन संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है। उनमें से दो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थी और उन्होंने 10 जून, 2021 की अपनी रिपोर्ट द्वारा एक अपरिवर्तित मत व्यक्त किया था। इन एकल वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के लिए शामिल किए गए आंकड़ों और अन्य सूचनाओं पर विश्वास किया गया है।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारे मत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संबंध में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा यथाअपेक्षित, हम आदेश, लागू सीमा तक, के पैरा 3 एवं 4 में उल्लिखित मामलों के संबंध में "अनुबंध-क" में विवरण देते हैं।
- कंपनी की लेखाबहियों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक रिपोर्ट निम्नानुसार देते हैं:

क्रम सं.	निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ लेखे की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जाएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, सभी लेखांकन लेनदेन कंपनी द्वारा कार्यान्वित ईआरपी प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। अवधि के अंत में वित्तीय विवरण ईआरपी प्रणाली से उत्पन्न शेष राशि और लेनदेन के आधार पर ऑफलाइन संकलित किए जाते हैं। हमें न तो सूचित किया गया है और न ही हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान ऐसे किसी भी लेखांकन लेनदेन को पाया है, जिसके वित्तीय प्रभाव के साथ लेखाओं की अखंडता पर प्रभाव होते हो, जो आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किए गए हैं।
2	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के किसी पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित रूप से पता लगाया जाता है? (यदि, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण की किसी पुनर्गठन अथवा ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) को दिए गए ऋण के संबंध में, जहां ब्याज दिनांक 30.04.2021 से शुरू होने वाली अर्धवार्षिक किश्तों में प्राप्य है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1.67 करोड़ रुपये की राशि का उपाजित ब्याज संयुक्त उद्यमों द्वारा की गई नकद हानियों के कारण वसूली की महत्वपूर्ण अनिश्चितता को देखते हुए लेखाबहियों में लेखांकित किया गया है। इसका प्रकटन एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(18) में किया गया है।
3	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार अथवा इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि)/प्राप्य को उनके निबंधन और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची दें।	हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी ने स्कीम की निबंधन और शर्तों के अनुसार केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का लेखांकन और उपयोग किया है।

- iii. उपर्युक्त पैराग्राफ में संदर्भित हमारी टिप्पणियों तथा अनुबंध के अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:
- (क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
 - (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथोचित बहियां रखी गई हैं, जैसा कि हमें उन बहियों की जांच से प्रतीत होता है।
 - (ग) इस रिपोर्ट में, वर्णित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह का विवरण और कंपनी की इक्विटी में किसी परिवर्तन का विवरण, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
 - (घ) हमारी राय में, उक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप है।
 - (ङ) एक सरकारी कंपनी होने के कारण कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के संदर्भ में, निदेशकों की अनर्हता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
 - (च) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावोत्पादकता के संबंध में "अनुबंध ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रचालनात्मक प्रभावोत्पादकता पर एक असंशोधित मत व्यक्त करती है।
 - (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 और कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) संशोधन नियमावली, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हम अपनी राय तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रस्तुत करते हैं कि:
 - i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभावों का प्रकटन किया है – एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 पैरा 1 देखें;
 - ii. कंपनी को व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधिक संविदाओं के निमित्त कोई वास्तविक हानि नहीं हुई है और इससे इस संबंध में प्रावधान करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
 - iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।
 - iv. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 463(अ) के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।
 - v. क. प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से, कंपनी द्वारा विदेशी कंपनियों ("मध्यवर्तियों") सहित किसी अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी, इस समझ के साथ कि चाहे वह लिखित रूप में अथवा अन्यथा दर्ज हो, को किसी धनराशि के रूप में कोई अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा उसमें निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि अथवा शेयर प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोत अथवा किस्म की निधि से) नहीं किया गया है, कि वह मध्यवर्ती निम्नलिखित करेगा:
 - कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरह से अभिचिन्हित अन्य व्यक्तियों अथवा कंपनियों में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उधार अथवा निवेश अथवा
 - अंतिम लाभार्थियों की अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना।
 - ख. प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से कंपनी ने विदेशी कंपनियों ("मध्यवर्तियों") सहित किसी अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी, इस समझ के साथ कि चाहे वह लिखित रूप में अथवा अन्यथा दर्ज हो, से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है, वह कंपनी निम्नलिखित करेगी:

- वित्तपोषक पक्षकार द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरह से अभिचिन्हित अन्य व्यक्तियों अथवा कंपनियों में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उधार अथवा निवेश अथवा
- अंतिम लाभार्थियों की अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना; और

ग. परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप खंड (v)(क) और (v)(ख) के अंतर्गत अभ्यावेदन में किसी सामग्री की गलतबयानी की गई हो।

vi. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित अथवा अदा किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 एफआरएन: 006591एन/एन500377

भुवनेश महेश्वरी
 भागीदार
 सदस्यता सं. 088155
 यूडीआईएन :
 22088155एजेओवीओसी1369

स्थान : फरीदाबाद
 दिनांक : 25 मई, 2022

कृते चतुर्वेदी एंड कं.
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 एफआरएन : 302137ई

आर. के. नंदा
 भागीदार
 सदस्यता सं. 510574
 यूडीआईएन :
 22510574एजेओआरडब्ल्यूडी4417

स्थान : फरीदाबाद
 दिनांक : 25 मई, 2022

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 एफआरएन : 003824एन

मनुश्री बिंदल
 भागीदार
 सदस्यता सं. 517316
 यूडीआईएन :
 22517316एजेओवीएनएस7051

स्थान : फरीदाबाद
 दिनांक : 25 मई, 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध “क”

(समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट “अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट” के अंतर्गत पैराग्राफ (i) में संदर्भित)

i) क. (अ) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के उचित अभिलेखों को अनुरक्षित किया है जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाए गए हैं।

(आ) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेखों को अनुरक्षित किया है।

ख. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कुछ यूनिटों में भूमि को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से वास्तविक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत है। कुछ मामलों में बही अभिलेखों के साथ वास्तविक रूप से सत्यापित परिसंपत्तियों का मिलान प्रगति पर है। वास्तविक सत्यापन और परिणामी समायोजन में पाई गई विसंगतियों को मिलान के पूरा होने पर सही किया जाता है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, वे वास्तविक नहीं हैं।

ग. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा देखे गए अभिलेखों और हमें उपलब्ध करवाए गए हक विलेखों के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि हक विलेख, जिसमें भूमि और भवन की सभी अचल स्थिति के अनुसार कंपनी के नाम पर निम्नलिखित को छोड़कर, धारित हैं, जहां कंपनी के पास हक विलेख उपलब्ध नहीं है:

तुलनपत्र में प्रासंगिक मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (रुपये करोड़ में)	किसके नाम पर धारित हक विलेख	क्या हक विलेख धारक प्रमोटर/ निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (7.0844 हेक्टेयर)	36.07	विभिन्न पार्टियां	नहीं	27.09.2021	भूमि एनएचपीसी पार्वती-II परियोजना के कब्जे में है, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (4.69 हेक्टेयर)	6.33	विभिन्न पार्टियां	नहीं	10.04.2008	तीस्ता-V पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (0.09 हेक्टेयर)	0.01	प्रेम शेरिंग लेपचा	नहीं	31.03.2000	रंगित पावर स्टेशन के संबंध में, संपत्ति के वर्तमान मालिक का निधन हो गया है। हक विलेख का निष्पादन लंबित है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (1458.45 हेक्टेयर)	6.51	हिंद सरकार, (भारत सरकार)	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (0.10 हेक्टेयर)	0.0004	विभिन्न पार्टियां	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (74.95 हेक्टेयर)	0.00	भारत सरकार की 74.08 हेक्टेयर और निजी भूमि 0.87 हेक्टेयर	नहीं	जनवरी, 1978 से	बैरास्थूल पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।

परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (122.93 हेक्टेयर)	140.86	जम्मू व कश्मीर सरकार, एनएचपीसी के कब्जे में	नहीं	24.03.2011	किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (28.13 हेक्टेयर)	18.53	सरकारी भूमि	नहीं	2006–2011	उरी-II पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (219.56 हेक्टेयर)	6.15	सरकारी भूमि	नहीं	1984 से	दुलहस्ती पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (175.40 हेक्टेयर)	3.21	सरकारी भूमि	नहीं	24.05.2021	सौर परियोजना गंजम के संबंध में, पट्टा करार का निष्पादन प्रक्रियाधीन है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (3.99 हेक्टेयर)	0.27	जेकेपीडीसी	नहीं	31.07.2003	चुटक पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (7.72 हेक्टेयर)	0.19	जेकेपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू व कश्मीर)	नहीं	2000 से	सेवा-II पावर स्टेशन के संबंध में, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस मामलों में जेकेपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू-कश्मीर) के साथ लगातार पत्राचार किया जा रहा है। संबंधित राज्य विभाग से अभी भी एनओसी प्राप्त होने का इंतजार है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (11.32 हेक्टेयर)	0.15	सरकारी भूमि	नहीं	1991–92	उडी-I पावर स्टेशन के संबंध में, मामला न्यायालय/राज्य राजस्व प्राधिकरण में लंबित है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (0.34 हेक्टेयर)	0.06	सरकारी भूमि	नहीं	30.09.2010	निम्नो बाजगो पावर स्टेशन के संबंध में, पट्टा विलेख का ड्राफ्ट तहसीलदार, लेह को कंपनी के पक्ष में टाइटल डीड के निष्पादन के लिए दिया गया है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (1.56 हेक्टेयर)	0.02	सरकारी भूमि	नहीं	1984	चमेरा-I पावर स्टेशन के संबंध में, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	भूमि (2.72 हेक्टेयर)	0.00	सरकारी भूमि	नहीं	2004	सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।

घ. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ड. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 और उसके निमित्त बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई या लंबित नहीं है।

ii) (क) सूचित किए गए के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा मार्गस्थ माल-सूची को छोड़कर कंपनी की माल-सूची को वास्तविक रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति उचित है और प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और कवरेज उपयुक्त थे। वास्तविक स्टॉक और बुक अभिलेखों के बीच सत्यापन करने पर कोई विसंगति नहीं देखी गई, जो माल-सूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% अथवा उससे अधिक थी। वास्तविक सत्यापन के दौरान देखी गई छोटी विसंगतियों को लेखा बहियों में अच्छी तरह से निपटाया गया था।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों से कुल पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की है। हमारी राय में, ऐसे बैंकों के साथ कंपनी द्वारा भरी गई त्रैमासिक विवरणियों या विवरण कंपनी के बही लेखों के अनुरूप हैं।

iii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश किया है और सहायक कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में बैंक को गारंटी दी गई है।

(क) (i) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी, बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल) को बैंक द्वारा स्वीकृत क्रेडिट सुविधा के समर्थन में एचडीएफसी बैंक के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। गारंटी का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	राशि (रुपए करोड़ में)
वर्ष के दौरान कुल राशि	213.25
तुलनपत्र की तारीख के अनुसार बकाया राशि	213.25

213.25 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा में से, बीएसयूएल द्वारा लिया गया ऋण 60.19 करोड़ रुपये है जो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार बकाया है।

(ii) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऋण प्रदान नहीं किया है या ऋण की प्रकृति में अग्रिम या गारंटी प्रदान नहीं की है, या सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा अन्य पार्टियों को प्रतिभूति प्रदान नहीं की है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि किए गए निवेश और प्रदान की गई गारंटी की निबंधन और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, दिए गए ऋणों के मामले में, मूलधन की वापसी और ब्याज का भुगतान निर्धारित किया गया है और नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) को दिए गए ऋण के मामले को छोड़कर, भुगतान या प्राप्ति नियमित हैं जहां 30.04.2021 से शुरू होने वाली छमाही किश्तों में ब्याज प्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1.67 करोड़ रुपये की अर्जित ब्याज राशि संयुक्त उद्यम द्वारा किए गए नकद नुकसान के कारण वसूली की महत्वपूर्ण अनिश्चितता को देखते हुए हिसाब में नहीं लिया गया है। इसके अलावा, पिछली अवधि के लिए पहले से अर्जित ब्याज के संबंध में कुल 0.42 करोड़ रुपये को संदिग्ध मानते हुए हानि भत्ता बनाया गया है। एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में इसको प्रकट किया गया है। एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 34(18) देखें।

(घ)

मामलों की संख्या	अतिदेय मूलधन राशि (रुपए करोड़ में)	अतिदेय ब्याज (रुपए करोड़ में)	कुल अतिदेय (रुपए करोड़ में)	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	शून्य	0.42	0.42	कंपनी द्वारा अतिदेय ब्याज की वसूली के लिए उचित कदम उठाए गए हैं।

(ङ) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, ऐसा कोई ऋण नहीं दिया गया है जो वर्ष के दौरान देय हो गया हो, नवीनीकृत या विस्तारित किया गया हो या समान पार्टियों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए नए ऋण दिए गए हों।

(च) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई भी ऋण या तो मांग पर चुकाने योग्य या पुनर्भुगतान की कोई शर्तों या अवधि निर्दिष्ट किए बिना प्रदान नहीं किया है।

iv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी, और प्रतिभूति के संबंध में अधिनियम की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और अन्य किसी संगत प्रावधान के अभिप्राय में कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है। अतिदेय अर्जित राशि जमा तथा प्रतिभूति जमा के संबंध में, प्रबंधन का यह विचार है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु संविदाओं के निष्पादन के लिए प्रतिधारण राशि की प्रकृति में आपूर्तिकारों/संविदाकारों की अतिदेय अर्जित राशि जमा तथा प्रतिभूति जमा बहियों में दर्शाए गए हैं और तदनुसार, उन्हें कंपनी (जमा को स्वीकार करना) संशोधन नियमावली, 2016 के नियम 2, उप नियम (1), खंड (ग) में संशोधन के कारण मानद जमा नहीं माना जाना चाहिए।

vi) हमने ये नियम लागू होने वाले कंपनी के उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रख-रखाव के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखाबहियों की व्यापक रूप से समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया विहित रिकार्ड को अनुरक्षित रखा गया है। तथापि हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से उन अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सही हैं या पूर्ण हैं।

vii) क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने अविवादित सांविधिक देयों, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा इन पर यथालागू अन्य वास्तविक सांविधिक देय शामिल हैं, को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है।

31 मार्च, 2021 को वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा अन्य वास्तविक सांविधिक देयों के संबंध में कोई अविवादित राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।

ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर, अन्य सांविधिक देयों यदि कोई हो, के विवादित देयों का विवरण इस प्रकार है:

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वित्तीय वर्ष जिससे यह संबंधित है	फोरम जिसमें मामला लंबित है	सकल विवादग्रस्त राशि (रुपये करोड़ में)	प्रतिवाद के तहत जमा राशि (रुपए करोड़ में)
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	बीओसीडब्ल्यू	2010	श्रम अधिकारी सह उपकर निर्धारण अधिकारी, चंबा	9.24	9.24

उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012	जल उपकर	2015-16 से 2021-22	उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल	98.29	—
	जल उपकर	2015-16 से 2020-21	उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल	111.32	—
उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014	हरित ऊर्जा उपकर	2015-16 से 2020-22	उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल	60.98	—
	हरित ऊर्जा उपकर	2015-16 से 2020-21	उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल	28.07	—
जम्मू व कश्मीर शहरी अचल संपत्ति कर अधिनियम, 1962	संपत्ति कर	01.04.1991 से 31.03.1997	कर अधिकरण	0.05	0.01
	संपत्ति कर	01.04.1997 से 31.03.2002	कर अधिकरण	0.15	0.01
विभिन्न राज्यों के केंद्रीय बिक्री कर और मूल्य संवर्धित कर (वैट) अधिनियम	बिक्री कर/ वैट	2014-15	अपीलीय प्राधिकरण	0.02	0.01
	बिक्री कर/ वैट	1994-95	जम्मू व कश्मीर राज्य बिक्री कर अपीलीय अधिकरण श्रीनगर	224.03	—
	बिक्री कर/ वैट	2004-05	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	0.17	0.17
	बिक्री कर/ वैट	2005-06	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	1.44	1.44
	बिक्री कर/ वैट	2006-07	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	4.99	4.85
	बिक्री कर/ वैट	2007-08	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	3.48	2.73
	बिक्री कर/ वैट	2008-09	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	1.67	1.24
	बिक्री कर/ वैट	2009-10	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	1.59	1.52
	बिक्री कर/ वैट	2010-11	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	1.21	1.21

	बिक्री कर/ वैट	2011-12	पश्चिम बंगाल कराधान अधिकरण, कोलकाता	2.14	2.14
	बिक्री कर/ वैट	2012-13	जेसी, सिलीगुड़ी चार्ज	2.74	—
	बिक्री कर/ वैट	2012-13	अपीलीय प्राधिकरण	15.39	4.64
	बिक्री कर/ वैट	2013-14	अपीलीय प्राधिकरण	7.43	2.41
	बिक्री कर/ वैट	2014-15	अपीलीय प्राधिकरण	20.83	8.01
	बिक्री कर/ वैट	2015-16	अपीलीय प्राधिकरण	41.63	16.26
	बिक्री कर/ वैट	2016-17	अपीलीय प्राधिकरण	7.97	4.48
	बिक्री कर/ वैट	2017-18	अपीलीय प्राधिकरण	2.95	1.69
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2004-2009	सीईएसटीएटी, चंडीगढ़	19.14	1.70
	सेवा कर	2008-09 से जून 2017	सीईएसटीएटी, चंडीगढ़	27.25	27.25
	सेवा कर		अपीलीय प्राधिकरण	1.42	1.42
	सेवा कर	2013-14 से 2017-18	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण	101.00	—
	सेवा कर	2016-17 से 2017-18	संयुक्त आयुक्त, डिब्रूगढ़	1.08	—
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	2019-20	सीईएसटीएटी, कोलकाता	25.15	—
आयकर अधिनियम, 1961	आय कर	2016-17	सीआईटी (अपील), फेसलेस सेंटर	4.30	0.86
	आय कर	2010-11	आईटीओ, श्रीनगर	0.01	0
कुल				827.13	93.29

viii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, पूर्व में दर्ज नहीं की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पण या प्रकट किया गया हो।

ix) क) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

- ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।
- घ) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, अल्पावधि के आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।
- ङ) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix)(ङ) लागू नहीं होता है।
- च) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix)(च) लागू नहीं होता है।
- x) (क) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या भावी सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ग)(क) लागू नहीं होता है।
- (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानन या पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (ग)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- xi) (क) कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा संबंधी मानकों में उल्लिखित वास्तविकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत केंद्र सरकार सहित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
- (ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः, आदेश के खंड 3(xii) (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- xiii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू है, के अनुपालन में हैं और ऐसे संव्यवहार का विवरण एकल वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 34(8) में लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षानुसार प्रकट किया गया है।
- xiv) (क) कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना के अनुसार समय-समय पर निगम मुख्यालय, पावर स्टेशनों, परियोजना कार्यालयों और अन्य कार्यालयों में विभिन्न अनुभागों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।
- (ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और अब तक कंपनी को आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।
- xv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार व प्रबंधन द्वारा हमारे संज्ञान में लाए गए अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या इससे संबंधित व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xv) लागू नहीं होता है।

- xvi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर,
 क. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 क के तहत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।
 ख. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।
 ग. कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।
 घ. समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है।
 तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (क), (ख), (ग) और (घ) लागू नहीं हैं।
- xvii) कंपनी को चालू और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।
- xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।
- xix) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की नियत अवधि बढ़ने और अपेक्षित तिथियां, एकल वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचना, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी परीक्षा के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी के तुलन पत्र की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियां जब कभी तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं, को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियां जब कभी देय हो जाएगी कंपनी द्वारा चुका दी जाएगी।
- xx) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत किसी भी परियोजना के अनुसरण में कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) और 3(xx)(ख) लागू नहीं होते हैं।

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 एफआरएन: 006591एन/एन500377

भुवनेश महेश्वरी

भागीदार
 सदस्यता सं. 088155
 यूडीआईएन :
 22088155एजेओवीओसी1369

स्थान : फरीदाबाद
 दिनांक : 25 मई, 2022

कृते चतुर्वेदी एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 एफआरएन : 302137ई

आर. के. नंदा

भागीदार
 सदस्यता सं. 510574
 यूडीआईएन :
 22510574एजेओआरडब्ल्यूडी4417

स्थान : फरीदाबाद
 दिनांक : 25 मई, 2022

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 एफआरएन : 003824एन

मनुश्री बिंदल

भागीदार
 सदस्यता सं. 517316
 यूडीआईएन :
 22517316एजेओवीएनएस7051

स्थान : फरीदाबाद
 दिनांक : 25 मई, 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध “ख”

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के “अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट” के अंतर्गत पैराग्राफ (iii) में संदर्भित)

अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने एनएचपीसी लिमिटेड (“कंपनी”) की 31 मार्च, 2022 को एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में उल्लिखित किए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित एकल वित्तीय विवरण मानदण्ड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार के व्यवस्थित तथा दक्ष चालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीति के साथ अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी तथा चूक को रोकना तथा पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता तथा पूर्णता और अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से प्रस्तुत करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग (“परामर्शी नोट”) के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार की है और इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित लेखापरीक्षा संबंधी मानक माना गया है। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा बनाए रखा गया था और क्या ऐसा नियंत्रण सभी वास्तविक संबंध में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा में एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालनरत प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई वास्तविक कमजोरी विद्यमान है, और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के इस निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें एकल वित्तीय विवरणों की वास्तविक गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी से हुई हो अथवा त्रुटि से, के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु आधार उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का अभिप्राय

किसी कंपनी की एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में एक तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया है। किसी कंपनी की एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां तथा प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो कि (1) ऐसे रिकार्ड के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जिनमें तर्कसंगत रूप से ब्यौरे के साथ, सटीकता तथा उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन तथा स्थिति को दर्शाया गया हो; (2) इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देती हो कि दर्ज किए गए लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं और कंपनी की प्राप्ति तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप ही किए गए हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत खरीद, उपयोग अथवा निपटान का समय से पता लगाने तथा रोकने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती हो।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाएं

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाओं में, नियंत्रणों से ऊपर साठ-गांठ या अनुचित प्रबंधन की संभाव्यता, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वास्तविक गलत बयानी हो सकना तथा जिसका पता नहीं भी चल सकता, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अध्वधीन है कि एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थितियों में बदलाव, के चलते अपर्याप्त हो सकती है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की स्थिति खराब हो सकती है।

मत

हमारे मत में, हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी वास्तविक पहलुओं के संबंध में एक पर्याप्त एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद है और यह एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदण्ड पर आधारित है।

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन: 006591एन/एन500377

भुवनेश महेश्वरी

भागीदार

सदस्यता सं. 088155

यूडीआईएन :

22088155एजेओवीओसी1369

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक : 25 मई, 2022

कृते चतुर्वेदी एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन : 302137ई

आर. के. नंदा

भागीदार

सदस्यता सं. 510574

यूडीआईएन :

22510574एजेओआरडब्ल्यूडी4417

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक : 25 मई, 2022

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन : 003824एन

मनुश्री बिंदल

भागीदार

सदस्यता सं. 517316

यूडीआईएन :

22517316एजेओवीएनएस7051

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक : 25 मई, 2022

31 मार्च, 2022 के अनुसार एकल तुलन-पत्र

(करोड रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
परिसंपत्तियां				
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां				
क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	2.1	19,024.55	19,174.60	21,468.76
ख) चल रहे पूंजीगत कार्य	2.2	20,573.84	17,852.56	16,097.65
ग) परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	2.3	1,783.12	1,752.92	1,826.98
घ) निवेश संपत्ति	2.4	4.49	4.49	4.49
ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5	3.11	3.52	0.72
च) वित्तीय परिसंपत्तियां				
i) निवेश	3.1	5,414.34	3,921.68	3,400.74
ii) ऋण	3.2	1,017.59	920.27	776.20
iii) अन्य	3.3	4,502.78	4,940.27	3,458.36
छ) गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	9.52	-	138.90
ज) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	5	3,753.96	3,560.71	3,035.41
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		56,087.30	52,131.02	50,208.21
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां				
क) माल-सूची	6	130.30	124.42	118.24
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) व्यापार प्राप्य	7	4,621.48	4,532.49	5,731.95
(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	8	937.78	145.57	8.87
(iii) नकदी तथा नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9	222.93	768.39	380.25
(iv) ऋण	10	55.68	48.08	45.55
(v) अन्य	11	731.73	1,067.12	786.61
ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	123.17	165.73	127.14
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	441.14	372.08	375.91
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		7,264.21	7,223.88	7,574.52
(3) विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष	14	6,948.11	6,902.93	6,774.90
कुल परिसंपत्तियां		70,299.62	66,257.83	64,557.63
इक्विटी तथा देयताएं				
(1) इक्विटी				
क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	10,045.03	10,045.03	10,045.03
ख) अन्य इक्विटी	15.2	23,441.07	21,558.08	19,882.89
कुल इक्विटी		33,486.10	31,603.11	29,927.92

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	01 अप्रैल, 2020 को
(2) देयताएं				
गैर-वर्तमान देयताएं				
क) वित्तीय देयताएं				
i) ऋण	16.1	23,166.61	21,230.99	20,878.66
(i) पट्टा देयताएं	16.2	12.88	10.23	11.08
ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.3	2,088.04	2,054.34	2,059.23
ख) प्रावधान	17	48.05	28.38	27.66
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	18	2,100.74	3,589.36	3,641.19
घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19	2,026.16	2,034.79	2,082.65
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		29,442.48	28,948.09	28,700.47
(3) वर्तमान देयताएं				
क) वित्तीय देयताएं				
i) ऋण	20.1	2,848.76	2,119.14	2,331.26
(i) पट्टा देयताएं	20.2	2.27	2.42	2.83
ii) व्यापार देय	20.3			
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि		23.12	30.79	18.85
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया राशि		166.45	167.48	281.55
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.4	1,370.72	1,532.97	1,264.15
ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21	510.70	565.85	802.44
ग) प्रावधान	22	1,135.75	1,252.98	1,228.16
घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	-	35.00	-
कुल वर्तमान देयताएं		6,057.77	5,706.63	5,929.24
(4) विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	14.2	1,313.27	-	-
कुल इक्विटी तथा देयताएं		70,299.62	66,257.83	64,557.63
एकल वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियां	1-35			

टिप्पणी: ऊपर दिए गए अनुसार 31 मार्च, 2021 और 1 अप्रैल, 2020 तक के आंकड़े पुनः उल्लिखित (टिप्पणी संख्या 35) किए गए हैं।

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

रुपा देब
कंपनी सचिव

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08645380

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन: 006591एन/एन500377

कृते चतुर्वेदी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन: 302137ई

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन: 003824एन

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं. 088155

आर. के. नंदा
भागीदार
सदस्यता सं. 510574

मनुश्री बिंदल
भागीदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान: फरीदाबाद
तिथि: 25 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का एकल विवरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
i) प्रचालनों से राजस्व	24.1	8,353.80	8,506.58
ii) अन्य आय	24.2	1,026.18	1,155.98
कुल आय		9,379.98	9,662.56
व्यय			
i) विद्युत की खरीद – व्यापार	25.1	44.58	212.37
ii) उत्पादन व्यय	25.2	841.24	854.37
iii) कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	1,440.78	1,393.91
iv) वित्त लागत	27	531.75	571.49
v) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	1,126.22	1,228.65
vi) अन्य व्यय	29	1,348.55	1,419.61
कुल व्यय		5,333.12	5,680.40
आपवादिक मदों, विनियामक आस्थगित लेखा शेषों और करों से पूर्व लाभ		4,046.86	3,982.16
आपवादिक मदें	34 (36)	-	185.00
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों और करों से पूर्व लाभ		4,046.86	3,797.16
कर व्यय	30.1		
i) वर्तमान कर		726.23	714.17
ii) आस्थगित कर		(1,487.50)	(34.04)
कुल कर व्यय		(761.27)	680.13
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में निवल संचलन से पूर्व वर्ष हेतु लाभ		4,808.13	3,117.03
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन (कर का निवल)	31	(1,270.42)	128.03
वर्ष के लिए लाभ (क)		3,537.71	3,245.06
अन्य व्यापक आय (ख)	30.2		
(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)			
(क) रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनः मापन		9.51	(40.29)
घटाएं – परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर कर के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन		(3.73)	2.87
– विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन – रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनः मापन		2.33	-
उप जोड़ (क)		15.57	(43.16)
(ख) इक्विटी दस्तावेजों में निवेश		5.40	47.13
उप जोड़ (ख)		5.40	47.13
कुल (i) = (क)+(ख)		20.97	3.97

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
(ii) मर्दे जिन्हें लाभ अथवा हानि को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा (कर का निवल)			
– ऋण दस्तावेजों में निवेश		(8.21)	3.23
कुल (ii)		(8.21)	3.23
अन्य व्यापक आय (ख) = (i) + (ii)		12.76	7.20
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (क+ख) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय को शामिल करते हुए)		3,550.47	3,252.26
प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं कम किया गया) (इक्विटी शेयर, 10 रुपये प्रत्येक का अंकित मूल्य)	34 (12)		
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन से पूर्व		4.79	3.10
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन के पश्चात		3.52	3.23
एकल वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियां	1-35		

टिप्पणी: ऊपर दिए गए अनुसार 31 मार्च, 2021 तक के आंकड़े पुनः उल्लिखित (टिप्पणी संख्या 35) किए गए हैं।

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

रुपा देब
कंपनी सचिव

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08645380

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन: 006591एन/एन500377

कृते चतुर्वेदी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन: 302137ई

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन: 003824एन

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं. 088155

आर. के. नंदा
भागीदार
सदस्यता सं. 510574

मनुश्री बिंदल
भागीदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान: फरीदाबाद
तिथि: 25 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु एकल नकदी प्रवाह का विवरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क. प्रचालनरत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ	2776.44	3925.19
घटाएं: विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन	(1270.42)	128.03
कर पूर्व लाभ	4046.86	3797.16
जोड़ें:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	1126.22	1228.65
वित्त लागत (निवल ईएसी)	531.75	571.49
प्रावधान (निवल हानि)	42.54	220.40
प्रशुल्क समायोजन (हानि)	34.70	-
विनिमय दर अंतर के कारण बिक्री समायोजन	44.02	50.03
परिसंपत्तियों की बिक्री/बट्टे खाते में डाले गए दावों पर हानि/(लाभ)	12.55	8.69
	1791.78	2079.26
	5838.64	5876.42
घटाएं:		
पश्च लेखित मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	48.25	48.38
प्रावधान (निवल लाभ)	28.13	21.82
सहायक कंपनियों से परामर्शी प्रभारों के निमित्त समायोजन	2.04	2.63
लाभांश आय	301.71	292.68
विलंब भुगतान अधिभारों सहित ब्याज आय	384.34	680.14
विनिमय दर अंतर	49.28	34.21
उचित मूल्य समायोजन	0.40	(0.78)
सरकारी अनुदानों का परिशोधन	33.20	32.26
	847.35	1111.34
	4991.29	4765.08
प्रचालनरत परिसंपत्तियों तथा देयताओं के समायोजनों एवं करों से पूर्व प्रचालनरत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
प्रचालनरत परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन:		
माल-सूची	(5.93)	(6.26)
व्यापार प्राप्त	(88.99)	1987.52
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	933.45	(1537.22)
अन्य वित्तीय देयताएं एवं प्रावधान	(271.61)	(100.79)
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	1313.27	-
	1880.19	343.25
करों पूर्व प्रचालनरत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	6871.48	5108.33
घटाएं: अदा किया गया कर	730.69	581.42
प्रचालनरत क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	6140.79	4526.91
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
‘संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु चल रहे पूंजीगत कार्यों का भाग बनने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय सहित) – अनुदान का निवल’	(4311.03)	(1861.69)
परिसंपत्तियों की बिक्री	2.78	0.25
संयुक्त उद्यम में निवेश (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आवंटन सहित)	(451.56)	(500.00)
सहायक कंपनियों में निवेश (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आवंटन सहित)	(744.18)	(280.41)
निवेश की बिक्री से प्राप्तियां	-	0.40
लाभांश आय	301.71	292.68
विलंब भुगतान अधिभार सहित ब्याज आय	329.94	743.63
निवेश क्रियाकलापों से/में प्रयोग किया गया निवल नकदी प्रवाह (ख)	(4872.34)	(1605.14)
ग. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
अदा किया गया लाभांश	(1667.48)	(1577.07)
अल्पावधिक उधार से आय	3516.39	2315.31
दीर्घावधिक उधार से आय	597.87	11.72
उधार का पुनर्भुगतान	(1398.18)	(2116.14)
ब्याज तथा वित्त प्रभार	(1521.05)	(1413.93)
पट्टा देयता का मूल पुनर्भुगतान	(2.69)	(3.86)
पट्टा देयता पर अदा किया गया ब्याज	(1.11)	(1.10)
वित्तपोषण क्रियाकलापों से/में प्रयोग किया गया निवल नकदी प्रवाह (ग)	(476.24)	(2785.07)
घ. नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	792.21	136.70
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी समतुल्य	145.57	8.87
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य	937.78	145.57

नकदी प्रवाह के विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- नकदी तथा नकदी समतुल्य में हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट तथा बैंक शेष शामिल है जिसमें तीन माह से कम के मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा को भी शामिल हैं। नकदी तथा नकदी समतुल्य का ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
बैंकों के पास शेष		
अनुसूचित बैंकों के पास:		
- चालू खातों में	937.78	145.56
- जमा खाते में	-	-
(तीन माह से कम मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां)		
हस्तगत नकदी	-	0.01
नकदी तथा नकदी समतुल्य	937.78	145.57

- वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह में ब्याज तथा वित्त प्रभार में अवधि के दौरान निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) के कारण पूंजीकृत 993.62 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 840.53 करोड़ रुपये) की ऋण लागत की राशि शामिल है।
- दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार लिए न गए ऋण की राशि – 1425.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 475.00 करोड़ रुपये) है।

4. कंपनी ने 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के कारण नकदी में 94.96 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 76.66 करोड़ रुपए) की राशि का व्यय किया है।

निवल ऋण पुनर्मिलान (रुपये करोड़ में)		
	31.03.2022	31.03.2021
उधार (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	26651.47	24010.85
पट्टा देयता	15.14	12.65
कुल	26666.61	24023.50

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		
	*उधार (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	पट्टा देयता	कुल	*उधार (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	पट्टा देयता	कुल
01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार आरंभिक निवल ऋण	24010.85	12.65	24,023.50	23,853.01	13.91	23866.92
उधार से आय	4114.26	-	4,114.26	2,327.03	0.00	2327.03
उधार/ पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(1398.18)	(2.69)	(1400.87)	(2116.14)	(3.86)	(2120.00)
अदा किया गया ब्याज	(1521.05)	(1.11)	(1522.16)	(1413.93)	(1.10)	(1415.03)
अन्य गैर-नकद संचलन:						
-पट्टा देयता में वृद्धि	-	5.18	5.18	-	2.60	2.60
-विदेशी मुद्रा समायोजन	(58.77)	-	(58.77)	(49.71)	-	(49.71)
-ब्याज और वित्त प्रभार	1497.62	1.11	1,498.73	1,432.68	1.10	1433.78
-उचित मूल्य समायोजन	6.74	-	6.74	(22.09)	0.00	(22.09)
31 मार्च की स्थिति के अनुसार अंतिम निवल ऋण	26,651.47	15.14	26,666.61	24,010.85	12.65	24,023.50

* उधार के लिए टिप्पणी संख्या 16.1, 20.1 और 20.4 देखें (उद्धरण)

- 6 नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण भारतीय लेखा मानक 7 – “नकदी प्रवाह का विवरण” में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।
- 7 पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पुनःसमूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है (टिप्पणी-35 देखें)।

निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से

रुपा देब
कंपनी सचिव

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08645380

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन: 006591एन/एन500377

कृते चतुर्वेदी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन: 302137ई

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन: 003824एन

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं. 088155

आर. के. नंदा
भागीदार
सदस्यता सं. 510574

मनुश्री बिंदल
भागीदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान: फरीदाबाद
तिथि: 25 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (रुपए करोड़ में)
1 अप्रैल, 2021 के अनुसार	15.1	10,045.03
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	15.1	10,045.03
ख. अन्य इक्विटी		(रुपए करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय		
	पूँजी मोचन आरक्षित	बॉण्ड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/प्रतिधाति अर्जन	ओसीआई के माध्यम से ऋण दस्तावेज से इक्विटी दस्तावेज	कुल
1 अप्रैल, 2021 को शेष	2,255.71	1,641.95	9,724.72	7,808.95	45.41	81.34 21,558.08
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	3,537.71	-	3,537.71
अन्य व्यापक आय	-	-	-	15.57	(8.21)	5.40 12.76
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	-	-	-	3,553.28	(8.21)	5.40 3,550.47
बॉण्ड मोचन आरक्षित से अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन में अंतरित राशि	-	(275.70)	-	275.70	-	-
लाभभांश				(1,667.48)		(1,667.48)
31 मार्च, 2022 को शेष	2,255.71	1,366.25	9,724.72	9,970.45	37.20	86.74 23,441.07

आरक्षित की प्रकृति और उद्देश्य के लिए टिप्पणी संख्या 15.2.1 देखें।

रुपा देब कंपनी सचिव	निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से	अभय कुमार सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन: 08645380
कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन: 006591एन/एन5003777	हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार	कृते पी सी बिंदल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन: 003824एन
भुवनेश महेश्वरी भागीदार सदस्यता सं: 088155	आर. के. नंदा भागीदार सदस्यता सं: 510574	मनुश्री बिंदल भागीदार सदस्यता सं: 517316

स्थान: फरीदाबाद
तिथि: 25 मई, 2022

31 मार्च, 2021 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (रुपए करोड़ में)
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	15.1	10,045.03
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		-
31 मार्च, 2021 के अनुसार	15.1	10,045.03

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय		कुल	
	पूंजी मोचन आरक्षित	बॉण्ड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/ प्रतिधारित अर्जन	ओसीआई के माध्यम से ऋण दस्तावेज से इक्विटी दस्तावेज		
1 अप्रैल, 2020 को शेष	2,255.71	1,948.38	9,724.72	5,877.69	42.18	34.21	19,882.89
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	3,245.06	-	-	3,245.06
अन्य व्यापक आय	-	-	-	(43.16)	3.23	47.13	7.20
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	-	-	-	3,201.90	3.23	47.13	3,252.26
बॉण्ड मोचन आरक्षित से अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन में अंतरित राशि	-	(306.43)	-	306.43	-	-	-
अदा किया गया लाभांश				(1,577.07)			(1,577.07)

आरक्षित की प्रकृति और उद्देश्य के लिए टिप्पणी संख्या 15.2.1 देखें।

रुपा देब कंपनी सचिव	निदेशक बोर्ड के लिए एवं की ओर से राजेन्द्र प्रसाद गोयल निदेशक (वित्त) डीआईएन: 08645380	अभय कुमार सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन: 08646003
कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन: 006591एन/एन5003777	हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार कृते चतुर्वेदी एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन: 302137ई	कृते पी सी बिंदल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन: 003824एन
भुवनेश महेश्वरी भागीदार सदस्यता सं. 088155	आर. के. नंदा भागीदार सदस्यता सं. 510574	मनुश्री बिंदल भागीदार सदस्यता सं. 517316

स्थान: फरीदाबाद
तिथि: 25 मई, 2022

टिप्पणी संख्या – 1: कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(I) रिपोर्टिंग कंपनी

एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") भारत में अधिवासित तथा शेयरों (सीआईएन: एल40101एचआर1975जीओआई032564) द्वारा सीमित एक कंपनी है। कंपनी के शेयर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (एनएसई) बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध हैं और खरीदे-बेचे जाते हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा – 121003 है। कंपनी मुख्यतः विद्युत उत्पादन और विभिन्न विद्युत यूटिलिटीयों को थोक विद्युत की बिक्री में लगी हुई है। अन्य व्यापार, जिसमें कंपनी लगी हुई है, में परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य सेवाएं और विद्युत का व्यापार शामिल है।

(II) तैयार करने का आधार

(क) अनुपालन का विवरण

इन एकल वित्तीय विवरणों को लेखांकन की प्रोदभवन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है और ये कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (भारतीय लेखांकन मानक) तथा तत्संबंधी परवर्ती संशोधनों, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 25 मई, 2022 को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

(ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय निम्नलिखित के:

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।
- परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं की योजनागत परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा गया है।

उचित मूल्यों के मापन हेतु प्रयुक्त पद्धतियों पर टिप्पणी 33 में चर्चा की गई है।

ऐतिहासिक लागत नकद या नकद समतुल्य की राशि है अथवा उनके अधिग्रहण के समय परिसंपत्तियां अधिग्रहित करने के लिए दिए गए प्रतिफल का उचित मूल्य है अथवा दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, अथवा नकद या नकद समतुल्य की अपेक्षित राशि पर व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में दायित्व को पूरा करने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त होता है अथवा मापन की तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच किसी दायित्व के अंतरण के विधिवत लेन-देन के प्रति अदा किया जाता है।

(ग) नए और संशोधित मानकों के अनुप्रयोग

वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2020 अधिसूचित की है जिसमें मौजूदा भारतीय लेखांकन मानकों में कतिपय संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के प्रभाव को नीचे प्रकट किया गया है:

(i) **ब्याज दर मानदंड सुधार – चरण 2: भारतीय लेखांकन मानक 109, भारतीय लेखांकन मानक 107 और भारतीय लेखांकन मानक 116 में संशोधन:** कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2021 ने भारतीय लेखांकन मानक 109 "वित्तीय दस्तावेज" के अंतर्गत ब्याज दर मानदंड सुधारों के संबंध में कतिपय प्रावधान जोड़े हैं। भारतीय लेखांकन मानक 107-वित्तीय दस्तावेजों-प्रकटन और भारतीय लेखांकन मानक 116-पट्टों में भी परिणामी संशोधन किए गए हैं। तथापि, इसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है।

(ii) **भारतीय लेखांकन मानक 116: कोविड-19 संबंधित किराया रियायत:** कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 30 जून, 2021 के बाद भारतीय लेखांकन मानक 116 कोविड-19-संबंधित किराया रियायतों में एक संशोधन जारी किया ताकि पट्टेदारों को 30 जून, 2022 को अथवा 30 जून, 2021 से पूर्व देय मूल रूप से पट्टा भुगतानों में कमी के लिए राहत देने हेतु शर्त को अद्यतन किया जा सके। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि पर लागू होता है। यदि किसी पट्टेदार ने अभी तक इस संशोधन के जारी होने से पूर्व जारी करने के लिए वित्तीय विवरणों को अनुमोदित नहीं किया है, तो 1 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए वही लागू किया जा सकता है।

इसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं था।

(iii) **भारतीय लेखांकन मानक 105, भारतीय लेखांकन मानक 16 और भारतीय लेखांकन मानक 28 में संशोधन:** "वसूली योग्य

राशि" की परिभाषा को इस तरह से संशोधित किया गया है कि शब्द "परिसंपत्ति के उचित मूल्य का उच्चतम घटा बिक्री और प्रयोग में उसके मूल्य की लागतें" को "परिसंपत्ति के उचित मूल्य का उच्चतम घटा निपटान और प्रयोग में उसके मूल्य की लागतें" के साथ बदल दिया गया है। भारतीय लेखांकन मानक 105, भारतीय लेखांकन मानक 16 और भारतीय लेखांकन मानक 28 में परिणामी संशोधन किए गए हैं।

इसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं था।

(iv) अन्य मानकों में संशोधन/संशोधन या तो लागू नहीं होते हैं या वित्तीय विवरणों पर उनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है।

(घ) कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय राष्ट्रीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। सभी वित्तीय सूचना को भारतीय राष्ट्रीय रुपये में प्रस्तुत किया है और निकटतम करोड़ रुपये (2 दशमलव तक) तक, जहां इसे अन्यथा दर्शाया गया है को छोड़कर, इसे पूर्णांकित किया गया है।

(ङ) अनुमानों तथा प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा ऐसे निर्णय, अनुमान तथा मान्यताओं को लेना अपेक्षित होता है जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और तुलन-पत्र तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा आकस्मिक देयताओं सहित संबंधित प्रकटीकरणों के सूचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हों। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान तथा आधारभूत मान्यताओं की समीक्षा सतत आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि करने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमानों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता तथा महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में सूचना जिसका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई राशियों पर काफी प्रभाव हो, उसे निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है:

महत्वपूर्ण निर्णय तथा अनुमान

क) पट्टा

यदि कोई व्यवस्था भारतीय लेखांकन मानक 116 – पट्टे की अपेक्षाओं के अनुसार पट्टा मानी जाती है तो कम्पनी उसका उसका मूल्यांकन करती है। एक अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, यदि अनुबंध किसी अभिचिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को राशि के बदले में समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी अभिचिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है, एक कंपनी यह आकलन करेगी कि उपयोग की अवधि के लिए ग्राहक के पास निम्नलिखित दोनों हैं अथवा नहीं:-

क. अभिचिन्हित परिसम्पत्ति के उपयोग से सभी सारभूत आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार; तथा

ख. अभिचिन्हित परिसम्पत्ति के उपयोग को निदेशित करने का अधिकार।

अभिचिन्हित परिसम्पत्ति के नियंत्रण के लिए, ग्राहक के पास उपयोग की पूर्ण अवधि के दौरान सारभूत रूप से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना अपेक्षित है। यदि ग्राहक के पास उपयोग की पूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पत्ति के उपयोग की विधि एवं परिसम्पत्ति के उपयोग का उद्देश्य निदेशित करने का अधिकार है तो ग्राहक को अभिचिन्हित परिसम्पत्ति का उपयोग, पूर्ण अवधि के दौरान, निदेशित करने का अधिकार प्राप्त होता है।

कम्पनी पट्टा काल (प्रत्याशित नवीकरण सहित) तथा लागू छूट दर के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय का भी प्रयोग करती है।

कम्पनी पट्टे की अवधि का निर्धारण पट्टे की गैर-निरस्तीकरण अवधियों, जो वैकल्पिक रूप से पट्टे के विस्तार के लिए शामिल की गई हैं, के संबंध में निर्धारण, यदि कम्पनी औचित्यपरक रूप से इस विकल्प का उपयोग करना चाहती है, किया जाता है, तथा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प के रूप में शामिल की गई अवधियों के साथ, यदि कम्पनी इस

विकल्प का उपयोग औचित्यपरक कारणों से करना चाहती है, किया जाता है। कम्पनी द्वारा ऐसा निर्धारण करने के लिए, क्या किसी पट्टे के विस्तार अथवा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, उन सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचार में लिया जाता है जो पट्टे को विस्तारित करने के विकल्प का उपयोग करने अथवा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग न करने की स्थितियों के लिए आर्थिक प्रोत्साहनों के सृजन से जुड़ी हुई हैं। यदि पट्टे की गैर-निरस्तीकरण अवधियों में कोई परिवर्तन होता है तो कम्पनी पट्टा काल में संशोधन करती है।

छूट दर वह दर है जो मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे अथवा समान विशिष्टताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो विशिष्ट वृद्धिशील उधार दर से सम्बद्ध है।

कंपनी लाभग्राहियों के साथ विद्युत क्रय करार करती है। विद्युत क्रय करार (पीपीए) किसी एकल लाभग्राही के साथ सन्निहित पट्टे की प्रकृति के होते हैं जहां न्यूनतम पट्टा अवधि संयंत्र के आर्थिक जीवनकाल का एक प्रमुख भाग के लिए है तथा न्यूनतम पट्टा भुगतान राशि संयंत्र के सभी वास्तविक उचित मूल्य को वित्त पट्टे के रूप में माना जाता है। अन्य सन्निहित पट्टों को प्रचालनरत पट्टा माना जाता है। वित्त पट्टे की प्रकृति वाले सन्निहित पट्टों के लिए विद्युत स्टेशन में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। न्यूनतम पट्टा भुगतान की पहचान शेष संविदा राशियों में से निहित पट्टा भुगतान को पृथक करके की जाती है। प्रत्येक पट्टा रसीद को प्राप्य तथा वित्त पट्टा आय के बीच आवंटित किया जाता है ताकि प्राप्य बकाया पट्टे पर प्रतिफल की स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

प्रचालन पट्टों अथवा निहित प्रचालनरत पट्टों के मामले में, प्रचालनरत पट्टे से पट्टा आय को पट्टा अवधि पर सीधी रेखा आधार पर राजस्व में मान्यता दी जाती है। संबंधित पट्टा परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है।

ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अप्रचलन के प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारक (जैसे कि उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय खोजों) और परिसंपत्ति से प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रख-रखाव व्यय के स्तर शामिल होते हैं।

विद्युत के उत्पादन हेतु प्रयुक्त परिसंपत्तियों, निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी और कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरणों हेतु जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित उपयोगी जीवनकाल के अनुरूप हैं और मोबाइल फोन को जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार हैं को छोड़कर, के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के भाग-ख में यथा उल्लिखित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमों के अनुसार किया जाता है।

ग) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर और चल रहे पूंजीगत कार्यों और अमूर्त परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर और चल रहे पूंजीगत कार्यों और अमूर्त परिसंपत्तियों, विशेष रूप से विद्युत संयंत्रों से संबद्ध प्रत्याशित बाजार परिदृश्य तथा भावी नकदी प्रवाहों के मामले में, की वसूली योग्य राशि अनुमानों तथा मान्यताओं पर आधारित होती है। इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन से वसूली योग्य राशि के मापन पर काफी प्रभाव पड़ सकता है जिसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

घ) सेवानिवृत्ति पश्चात् हितलाभ योजनाएं

कर्मचारी हितलाभ दायित्वों को बीमांकित मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु तथा आहरण दर और छूट दरों में भविष्य के घटनाक्रम, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित दर संबंधी मान्यताएं शामिल हैं। कंपनी यह मानती है कि इसके दायित्वों के मापन हेतु प्रयुक्त मान्यताएं उपयुक्त तथा प्रलेखित हैं। तथापि, इन मान्यताओं में किसी परिवर्तन का परिणामी परिकलनों पर प्रभाव हो सकता है।

ङ) राजस्व

कंपनी विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को भारतीय लेखांकन मानक 115 – ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व के सिद्धांतों के अनुसार, सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर दर्ज करती है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दरों को अभी अनुमोदित किया जाना है, वहां लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरों को अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, जहां लागत अनुमानों में संशोधन के कारण टैरिफ लंबित हैं, वहां टैरिफ का परिकलन सीईआरसी टैरिफ विनियमों के तहत निर्धारित मापदंडों और कार्यपद्धतियों के आधार पर किया जाता है और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् सीईआरसी को आवेदन किए जाने पर राजस्व की अनुमानित राशि को मान्यता दी जाती

है जो इस सीमा तक होती है कि इसकी अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्रदान किए गए राजस्व में कोई नीचे की ओर समायोजन नहीं होगा।

च) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं की मान्यता में लिए गए मूल्यांकन भारतीय लेखांकन मानक 37 – “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों” के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभाव्य प्रवाह के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए गए श्रेष्ठ निर्णय के आधार पर किया गया है। ऐसे अनुमान अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकते हैं।

छ) दर विनियमित परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि

कंपनी के प्रचालनरत क्रियाकलाप सेवा की लागत विनियमों के अधधीन हैं जिसके द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु प्रभारित टैरिफ ब्याज लागत, मूल्यद्वारा, निर्धारित प्रतिफल सहित प्रचालन तथा अनुरक्षण जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होते हैं। आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट (पिछला जीएएपी) और भारतीय लेखांकन मानक 114 “विनियामक आस्थगित लेखे” किसी कंपनी को दर आधार में, स्व-निर्मित (मूर्त) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर अथवा आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में, ऐसी राशियां शामिल करने की अनुमति देते हैं जिन्हें अन्यथा भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती। कंपनी अनुमान लगाती है कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आस्थगित लेखे की मदें वर्तमान सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार वसूली योग्य हैं। तथापि, टैरिफ विनियमों में मौजूदा टैरिफ अवधि के बाद परिवर्तन ऐसे शेषों की वसूलनीयता को प्रभावित कर सकते हैं।

ज) व्यापार प्राप्य की क्षति

व्यापार प्राप्य हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए, कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य मूल्य में क्षति अथवा व्यापार प्राप्यों की वसूली में विलंब के चलते राशि के समय मूल्य में, पहले से प्रावधान की गई सीमा तक को छोड़कर, हानि की परिकल्पना नहीं करती है।

झ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

निवेश लागत पर किया गया है और कंपनी के आकलन के अनुसार ऐसे निवेशों में क्षति का कोई संकेत नहीं है। मान्यता में किसी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के मापन पर वास्तविक प्रभाव हो सकता है।

ञ) वसूली योग्य बीमा दावा

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर, चल रहे पूंजीगत कार्य में क्षति के संबंध में बीमा दावे की वसूली योग्य राशि बीमा नीतियों की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमानों तथा अवधारणाओं पर आधारित है।

(III) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार नीचे दिए गए अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सतत तरीके से लागू किया गया है। इन लेखांकन नीतियों को ऐसे तरीके से तैयार किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में लेन-देन, अन्य घटनाओं और लागू होने वाली शर्तों के बारे में संगत और विश्वसनीय सूचना होती है। इन नीतियों को तब लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव सारहीन हो।

31 मार्च, 2015 तक संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर, चल रहे पूंजीगत कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश संपत्ति को तुलन-पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार लिया गया है। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक में परिसमापन की तिथि (अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 को) को मानद लागत के रूप में इन राशियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 101 “भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाया जाना” द्वारा प्रदान की गई छूट को लेने का विकल्प चुना है। अतः, 1 अप्रैल, 2015 को पिछले जीएएपी के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, चल रहे पूंजीगत कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश संपत्ति की अग्रेणीत राशि को इंड-एस में पारगमन पर बनाए रखा गया था।

1.0 संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पीपीई)

क) पीपीई की किसी मद को तब एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है यदि यह संभावना हो कि मद के साथ संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकेगा।

ख) पीपीई को प्रारंभ में जहां-कहीं अपेक्षित हो समाप्त किए जाने की लागत अथवा बहाली लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण

की लागत पर लिया जाता है। लागत में वह व्यय शामिल होता है जो परिसंपत्ति को उस स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है और इसके लिए आवश्यक शर्त प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालित करने में सक्षम होती है। ऐसे मामलों में जहां संविदाकार के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, परन्तु परिसंपत्ति पूर्ण है तथा प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालन के लिए उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर आवश्यक समायोजनों के अध्यक्षीन किया जाता है, जिसमें माध्यस्थम/अदालती मामलों के निपटान से उत्पन्न होने वाले निपटान भी शामिल हैं।

- ग) पावर स्टेशन के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की पूर्णता पर विद्युत स्टेशन के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय को मान्यता मानदण्ड पूरा करने पर संबंधित परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है। विद्यमान परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटाई गई/अभ्यर्पित इसकी तदनुरूपी प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है।
- घ) प्रारंभिक मान्यता के पश्चात् संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर को संचित मूल्यद्वास/परिशोधन तथा संचित क्षति हानियां, यदि कोई हों, कम लागत पर वहन किया जाता है।
- ङ) कब्जे में होने वाली भूमि से संबंधित मुआवजे (निर्णय की तिथि तक अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे में वृद्धि पर ब्याज सहित), पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं संबंधी व्यय सहित अन्य व्ययों के प्रति अनंतिम रूप से किए गए जमा, भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।
- च) कंपनी के नियंत्रण वाली परिसंपत्तियां, भले ही कंपनी का स्वामित्व न होने वाली भूमि पर सृजित की गई हों, संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के अंतर्गत शामिल की जाती हैं।
- छ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के मान्यता मानदंड को पूरा करने वाले अतिरिक्त उपकरण तथा सेवा उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है।
- ज) मान्यता मानदण्ड को पूरा करने वाले कलपुर्जे (संयंत्र तथा मशीनरी के साथ अथवा बाद में खरीदे गए) को पूंजीकृत किया जाता है। उन कलपुर्जों की वहनीय राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, को अमान्य किया जाता है जब उनके उपयोग अथवा निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हों। माल-सूची का भाग होने वाले अन्य कलपुर्जों को "भंडार तथा कलपुर्जे" माना जाता है।
- झ) यदि प्रतिस्थापित पुर्जे की लागत या पहले का निरीक्षण उपलब्ध नहीं है तो समान नए पुर्जे की अनुमानित लागत/निरीक्षण को विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण घटक की लागत के एक संकेत के रूप में लिया जाता है, जब मद को अधिगृहीत किया गया हो या उसका निरीक्षण किया गया हो।
- ञ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद को निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य का कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर अमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति को अमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाली किसी लाभ या हानि (जिसकी गणना परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के मध्य अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति को अमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.0 चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

- क) निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क तथा अप्रतिदेय करों (व्यापार छूट तथा छूट की कटौती के पश्चात्) सहित परिसंपत्तियों का खरीद मूल्य, परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच क्रियाकलापों के संबंध में व्यय, स्थल तैयार किए जाने की लागत, प्रारंभिक डिलीवरी तथा सारसंभाल प्रभार, संस्थापना तथा संयोजन लागतें आदि शामिल होती हैं।
- ख) लागतों में कर्मचारी हितलाभ, व्यावसायिक शुल्क, आम जन सुविधाओं के रख-रखाव तथा उन्नयन पर व्यय, परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों का मूल्यद्वास, निर्माण के दौरान ब्याज तथा परिसंपत्ति को स्थल पर लाने तथा प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से प्रचालन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सीधे आरोप्य अन्य लागतों को "निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)" के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा बाद में परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। चालू किए जाने से पूर्व की निवल आय/व्यय को सीधे संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।
- ग) सुविधाओं के निर्माण पर किया गया पूंजीगत व्यय, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है, परन्तु जिनका निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक है, उन्हें "निर्माण पर आरोप्य व्यय" के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा "चल रहे पूंजीगत कार्य" के अंतर्गत वहन किया जाता है और बाद में भारतीय लेखांकन मानक 16—"संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर" में "आरोप्यता" और "मापन की इकाई" को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत ढांचा

सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है। परियोजना की पूर्णता के पश्चात् किया गया इस तरह का व्यय लाभ एवं हानि विवरण के विवरण में प्रभाषित किया जाता है।

3.0 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लेन-देन लागत सहित लागत तक मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात्, निवेश संपत्तियों को लागत पर घटा संचित मूल्यद्वारा तथा संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

निवेश संपत्तियों को निपटान अथवा इसके उपयोग अथवा निपटान अथवा उपयोग से स्थायी रूप से हटा लिए जाने तथा उनके निपटान पर भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्रत्याशित न होने पर अमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्तियों तथा वहन राशि के बीच अंतर को अमान्य किए जाने की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में माना जाता है।

संपत्ति में निवेश अथवा अंतरण से केवल तब ही किया जाता है जब साक्ष्य द्वारा समर्थित उपयोग में कोई परिवर्तन हो।

4.0 अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

- क) अनुसंधान पर व्यय, जैसे और जब किया जाता है, व्यय में प्रभाषित किया जाता है। विकास पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो, भावी आर्थिक लाभ की संभावना हो और कंपनी की मंशा विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने की हो तथा उसके पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन हों।
- ख) वे अमूर्त परिसंपत्तियां, जो कंपनी द्वारा अधिगृहीत की गई हों और जिनका निश्चित उपयोगी जीवन-काल होता है, उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मापा जाता है। लागत में परिसंपत्तियों को उनके वांछित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक होने वाले सीधे आरोग्य व्यय शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात्, अमूर्त परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन तथा संचित हानियों से घटाई गई लागत पर वहन किया जाता है।
- ग) तत्पश्चात् व्यय को परिसंपत्ति की वहनीय राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता तब दी जाती है, जब यह संभावना हो कि भावी लागत से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।
- घ) निपटान अथवा इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में आर्थिक लाभ की प्रत्याशा न होने वाली अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को अमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानियों को निवल निपटान प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और उसे परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.0 विदेशी मुद्रा लेन-देन

- क) विदेशी मुद्रा में लेन-देन प्रारंभ में मान्यता हेतु पहले अर्हक होने वाली लेन-देन की तिथि को वित्तीय मुद्रा स्फोट दर पर रिकार्ड किया जाता है। प्रत्येक संसूचना तिथि को, विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों को उस तिथि को विद्यमान क्रियात्मक मुद्रा विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- ख) 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व किए गए लेन-देन से उत्पन्न होने वाली संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर/चल रहे पूंजीगत कार्य के संबंध में विनिमय अंतरों को संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहनीय लागत पर समायोजित किया जाता है।
- ग) 31 मार्च, 2016 से पूर्व विदेशी मुद्रा ऋण के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर जो सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगे की अवधियों में लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हैं, उन्हें "आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव वसूली योग्य/देय लेखा" के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिससे इन्हें वसूल/अदा किया जाना है।
- घ) 1 अप्रैल, 2016 को अथवा उसके पश्चात् की गई विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक निर्माण अवधि के दौरान "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष में इन्हें लाभार्थियों से वसूल अथवा उन्हें अदा किया जाना है।
- ङ) किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को लेन-देन की तिथि को विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। जहां कंपनी ने किसी विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्रतिफल का भुगतान किया है

या उसे प्राप्त किया है, संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या इसके एक हिस्से को) की प्रारंभिक मान्यता पर उपयोग करने के लिए विनियम दर का निर्धारण करने के उद्देश्य से लेनदेन की तारीख, वह तारीख होती है जब कंपनी अग्रिम प्रतिफल के भुगतान या प्राप्ति से उत्पन्न गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति या गैर-मौद्रिक देयता को प्रारंभिक मान्यता देती है।

6.0 विनियामक आस्थगित लेखे

- क) जहां परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान व्यय किए गए खर्च की किसी मद को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अर्थात् भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार संगत पीपीई की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं होती, परन्तु फिर भी इसे सीईआरसी द्वारा भविष्य में टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति होती है, उक्त की वसूली के अधिकार को "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार आगे की अवधियों में लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए व्यय/आय को "विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष" के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ग) इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें ये लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय हैं।
- घ) विनियामक आस्थगित लेखा शेषों का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि निहित क्रियाकलाप मान्यता मानदण्ड को पूरा करते हों और यह संभावना हो कि ऐसे शेषों से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदण्ड पूरे नहीं होते हैं, तो विनियामक आस्थगित लेखा शेषों को अमान्य किया जाता है।
- ङ) विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर क्षति हेतु जांच की जाती है।

7.0 उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी मापन तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेन-देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री करने पर मिलेगा या किसी देयता के अंतरण पर अदा किया जाएगा। सामान्यतः प्रारंभिक मान्यता पर लेन-देन मूल्य उचित मूल्य का श्रेष्ठ उदाहरण होता है।

तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेन-देन मूल्य उचित मूल्य को नहीं दर्शाता, यह अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में समुचित हों तथा जिसके लिए उचित मूल्य के मापन हेतु पर्याप्त डाटा उपलब्ध हो, जो संगत मापन योग्य आदानों के उपयोग को अधिकतम कर सके तथा मापन योग्य न होने वाले आदानों के उपयोग को न्यूनतम कर सके।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिसके लिए उचित मूल्य का मापन अथवा प्रकटन वित्तीय विवरणों में किया गया है, उन्हें उचित मूल्य तंत्र के भीतर श्रेणीबद्ध किया गया है। यह श्रेणीकरण निवेश उस निम्नतम स्तर पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए काफी है—

- स्तर 1 — समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 — मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर निवेश वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जाने पर काफी है।
- स्तर 3 — मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर निवेश वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु काफी है, अलक्ष्य हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं जिन्हें आर्वतक आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता प्रदान की जाती है, उनके लिए कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या अंतरण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण के पुनः आकलन द्वारा क्रम में स्तरों के बीच उत्पन्न हुए हैं।

8.0 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत अल्प क्षति, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।

9.0 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ नकदी, किसी अन्य कंपनी के इक्विटी दस्तावेज अथवा नकदी या

अन्य कोई वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार अथवा वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान-प्रदान ऐसी स्थितियों के अंतर्गत किया जाना शामिल होता है जो संभाव्य रूप से कंपनी के पक्ष में हों। वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब ही मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बनती है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी तथा नकदी समतुल्य, बैंक शेष, कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, व्यापार प्राप्य, कर्मचारियों को ऋण, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल होते हैं।

क) वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है—

- परिशोधित लागत पर,
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर, और
- लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु कंपनी का व्यापार मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों हेतु, लाभ तथा हानियां या तो लाभ एवं हानि के विवरण अथवा अन्य व्यापक आय के अंतर्गत रिकार्ड की जाती हैं। ऋण दस्तावेज में निवेश हेतु, यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश धारित है। इक्विटी दस्तावेज में निवेश हेतु, यह इस पर निर्भर है कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश हेतु लेखे को प्रारंभिक मान्यता के समय कोई वापस न लिया जा सकने वाला चयन किया है।

ख) प्रारंभिक मान्यता और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ अथवा हानि, लेनदेन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है, के माध्यम से उचित मूल्य पर रिकॉर्ड नहीं की जाती है।

कंपनी, यदि व्यापार प्राप्यों में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं हो तो अपने लेन-देन मूल्य पर व्यापार प्राप्यों को मापती है।

ग) बाद का मापन

परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज

किसी “ऋण दस्तावेज” को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों:

- i) परिसंपत्ति एक ऐसे व्यापार मॉडल में धारित है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण हेतु परिसंपत्तियों को धारित करना है, और
- ii) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल बकाया मूलधन पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान (एसपीपीआई) हो।

प्रारंभिक मापन के पश्चात्, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में ब्याज आय में शामिल किया गया है। क्षति से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण दस्तावेज

किसी “ऋण दस्तावेज” को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदण्ड पूरे होते हों:

- i) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों के एकत्रीकरण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों से प्राप्त होता हो, और

- ii) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज के एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) को प्रदर्शित करता हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज का मापन उनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्रदान की जाती है। तथापि, कंपनी ब्याज आय, क्षति हानियों, प्रत्यावर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता देती है। परिसंपत्ति को विमान्य किए जाने पर, ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान किए गए संचित लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ तथा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया गया है।

इक्विटी निवेश

सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के अतिरिक्त कंपनियों में सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार हेतु धारित इक्विटी दस्तावेज, यदि कोई हो, को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी अन्य सभी इक्विटी दस्तावेजों को एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत करती है। कंपनी लिखत-दर-लिखत आधार पर ऐसा चयन करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता।

एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत इक्विटी दस्तावेज के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। लाभ एवं हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ तथा हानियों में आगे कोई पुनःवर्गीकरण नहीं होता है। तथापि, कंपनी इक्विटी में संचित लाभ या हानि को अंतरित कर सकती है। ऐसे निवेश से लाभांश को लाभ एवं हानि विवरण में 'अन्य आय' के रूप में तब मान्यता प्रदान की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी दस्तावेज, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान किए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा गया है।

व्यापार प्राप्य:

व्यापार प्राप्य में यदि कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल होता है जिसे बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

घ) अमान्य किया जाना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब अमान्य किया जाता है जब:

- कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अंतरित कर दिया है, अथवा
- वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बनाए रख है, परन्तु एक अथवा अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह के भुगतान की संविदात्मक दायित्व ले लेती है।

जहां कंपनी ने किसी परिसंपत्ति को अंतरित किया है, कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को व्यापक रूप से अंतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य किया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को व्यापक रूप से अंतरित नहीं किया है, वहां वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य नहीं किया जाता है।

जहां कंपनी ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को न तो अंतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को व्यापक रूप से अंतरित किया है, कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण न रखे जाने पर उस वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखा है, परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में सतत भागीदारी की सीमा तक मान्यता प्रदान किया जाना जारी रहता है।

अमान्य किए जाने पर, वहनीय राशि और प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

ड) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि के मापन तथा मान्यता हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करती है—

- (i) वे वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं, और जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।
- (ii) वे वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं, और जिन्हें एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।
- (iii) भारतीय लेखांकन मानक 115—ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व, के अंतर्गत संविदा परिसंपत्तियां और व्यापार प्राप्य।
- (iv) भारतीय लेखांकन मानक 116—पट्टे के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।

कंपनी भारतीय लेखांकन मानक 116 और भारतीय लेखांकन मानक 115 के क्षेत्र में लेन—देनों से परिणामी संविदा परिसंपत्तियों, पट्टा प्राप्यों तथा व्यापार प्राप्यों के संबंध में क्षति हानि अनुमेय की मान्यता हेतु भारतीय लेखांकन मानक 109 “वित्तीय लिखत” के अंतर्गत अनुमेय “सरलीकृत पद्धति” का पालन करती है, जिसमें प्रत्याशित जीवनकाल हानियों को प्राप्य की प्रारंभिक मान्यता से माना जाना अपेक्षित है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हानि की मान्यता हेतु, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यदि ऋण जोखिम में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 माह के ईसीएल का उपयोग क्षति हानि उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। तथापि, यदि ऋण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हुई है तो जीवन पर्यन्त ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम तथा क्षति हानि में वृद्धि के आकलन हेतु, कंपनी लिखत—दर—लिखत आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का आकलन करती है। बाद की अवधि में यदि लिखत की ऋण गुणवत्ता में ऐसा सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता दिए जाने से ऋण जोखिम में कोई अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है, कंपनी 12 माह ईसीएल पर आधारित क्षति हानि प्रावधान को मान्यता देने के लिए प्रत्यावर्तन करती है। अवधि हेतु प्रत्याशित ऋण हानि/प्रत्यावर्तन की राशि को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

10.0 माल—सूची

माल—सूची में मुख्यतः संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के रख—रखाव हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले भण्डार तथा कलपुर्ज शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी), जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके किया जाता है और एनआरवी व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान अनुमानित बिक्री मूल्य, घटा बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतें हैं।

स्कैप का मूल्यांकन निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य पर माल सूची को अवलेखन और माल—सूची की सभी हानियों की राशि को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसा अवलेखन या हानि उत्पन्न हुई हो।

11.0 लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को अदा किए गए अंतिम लाभांश तथा अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें क्रमशः कंपनी के शेयरधारकों तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

12. वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं किसी अन्य कंपनी को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने अथवा कंपनी के लिए संभाव्य रूप से प्रतिकूल होने वाली शर्तों के अंतर्गत किसी अन्य कंपनी के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के आदान—प्रदान की संविदात्मक बाध्यता है।

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य देय शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता तथा मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य कम लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। वित्तीय देयताओं को बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता। प्राप्तियों (लेन—देन लागतों का निवल) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के बीच किसी अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में मान्यता प्रदान की जाती है यदि ऐसा अन्य कोई मानक इस प्रकार से ब्याज की प्रभावी दर का उपयोग करके ऋणों की अवधि में समावेशन की अनुमति देता हो।

ऋणों को वर्तमान देयताओं के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के

पश्चात् कम से कम 12 माह हेतु दायित्व के निपटान को निलंबित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

ख) अनुवर्ती मापन

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात्, वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ तथा हानियों को किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन की अनुमति देता हो, जब देयताओं को विमान्य किया जाता है और ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया चलाई जाती है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर का अभिन्न भाग होने वाले शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ तथा हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) अमान्य करना

किसी वित्तीय देयता को तब अमान्य किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन अथवा निरस्तीरण या समाप्ति होती है। जब किसी विद्यमान वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से व्यापक भिन्न शर्तों पर किसी अन्य से प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा विद्यमान देयता की शर्तें व्यापक रूप से संशोधित की जाती हैं, ऐसे किसी विनिमय या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण तथा नई देयता को मान्यता प्रदान किया जाना माना जाता है। संबंधित वहनीय राशियों में अंतर को लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

घ) वित्तीय दस्तावेज का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है और निवल राशि को तुलन-पत्र में सूचित किया जाता है यदि मान्यता प्रदान की गई राशियों के निपटान हेतु वर्तमान में लागू किया जा सकने वाला कोई विधिक अधिकार हो तथा निवल आधार पर निपटान की कोई मंशा परिसंपत्तियों को वसूल करने तथा साथ ही साथ देयताओं के निपटान की हो।

ङ) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज

व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज वे दस्तावेज होते हैं जिनका धारण कम्पनी विदेशी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिमों से बचाव के लिए करती है तथा जो लाभ एवं हानि के माध्यम से लेखांकन के लिए बचाव के रूप में निर्दिष्ट नहीं किए जाते हैं। उचित मूल्य में परिवर्तनों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

13.0 सरकारी अनुदान

क) ब्याज की बाजार दर से कम पर प्राप्त होने वाले सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा मापा जाता है तथा सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक मान्यता प्राप्त राशि तथा प्राप्त की गई प्राप्ति के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है। बाद में ऋण को वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को प्रारंभ में आस्थगित आय तथा बाद में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर एक व्यवस्थित आधार पर लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सरकार से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों को प्रारंभ में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब इसका तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी अनुदान से संबद्ध शर्तों का अनुपालन करेगी। इस प्रकार मान्यता प्रदान की गई आस्थगित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।

ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर उन अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें कोई कंपनी उन संबंधित लागतों के व्यय के रूप में मान्यता प्रदान करती है जिसके लिए अनुदानों की प्रतिपूर्ति किया जाना वांछित है।

14.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी विगत गतिविधि के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक दायित्व हो और यह संभाव्य हो कि आर्थिक लाभ निहित होने वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्वों के निपटान हेतु अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि से एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों का निर्धारण तुलन-पत्र तिथि को बाध्यत दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि के प्रबंधन के अनुमान के

आधार पर किया जाता है। जब किसी तृतीय पक्षकार से प्रावधान के निपटान हेतु अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ वसूल किया जाना प्रत्याशित हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है यदि यह पूर्णतः निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति को प्राप्त किया जाएगा और प्राप्ति की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। किसी प्रतिपूर्ति के निवल प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी अन्य मानक द्वारा ऐसे समावेशन की अनुमति होने पर परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य में प्रस्तुत किया जाएगा।

- ख) यदि राशि का समय मूल्य प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों का निर्धारण एक वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करते हुए प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों पर छूट देकर किया जाता है जो देयता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- ग) आकस्मिक देयताएं ऐसी संभावित बाध्यताएं हैं जो पूर्व के क्रियाकलापों से उत्पन्न होती हैं और जिनकी मौजूदगी की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। जहां यह संभावना न हो कि आर्थिक लाभ का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा, अथवा राशि का विश्वसनीयतापूर्ण ढंग से अनुमान न लगाया जा सके, बाध्यता को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्प्रवाह की संभावना सुदूर हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।
- घ) आकस्मिक परिसंपत्तियां ऐसी संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पूर्व के क्रियाकलापों से उत्पन्न होती हैं और जिनकी मौजूदगी की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में तब प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभों का अंतर्प्रवाह प्रबंधन के निर्णय के आधार पर संभाव्य है। उनका सतत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आकलन किया जाता है कि इन विकासों को वित्तीय विवरणों में उचित रूप से दर्शाया जाए।

15.0 राजस्व मान्यता और अन्य आय

कंपनी का राजस्व ऊर्जा की बिक्री और व्यापार, परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्य सेवाओं और अन्य आय से जुटाया जाता है। अन्य आय से राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, संविदाकारों आदि से ब्याज, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में निवेश से लाभांश, अन्य निकाय कारपोरेट में कंपनी में इक्विटी में निवेश से लाभांश, बॉण्डों में निवेश से ब्याज, विलंबित भुगतान के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, स्क्रेप की बिक्री, अन्य विविध आय, आदि शामिल हैं।

क) विद्युत की बिक्री से राजस्व

- (i) राजस्व को उस प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है जो किसी ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट है या उत्पादों या सेवाओं के एवज में प्राप्त होने की प्रत्याशा है और इसमें तृतीय पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है। कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब वह किसी ग्राहक को उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण अंतरित करती है।
- (ii) विद्युत की बिक्री से राजस्व (वित्त पट्टे/प्रचालनात्मक पट्टे के रूप में माने गए पावर स्टेशनों के संबंध में न्यूनतम पट्टा प्राप्तियों को छोड़कर) को लागू सीमा तक विद्युत अपीलीय अधिकरण के आदेशों द्वारा यथा संशोधित सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में, जहां अनंतिम/अंतिम टैरिफ को अभी अधिसूचित किया जाना है या जहां प्रोत्साहन/हतोत्साहन सीईआरसी (नियम और शर्तें) के अनुसार प्रभार्य/देय हैं, राजस्व को उस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है जहां इसकी अत्यधिक प्रत्याशा है कि मान्यता प्रदान किए गए संचयी राजस्व की राशि में बहुत अधिक प्रत्यावर्तन नहीं होगा। प्रारंभिक भुगतान प्रोत्साहन के रूप में लाभार्थियों को दी गई छूट की राजस्व की राशि में से कटौती की जाती है।
- (iii) ग्राहकों को आवधिक और नियमित आधार पर बिल दिया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को, विद्युत की बिक्री से राजस्व में ग्राहकों को प्रदान की गई लेकिन अभी बिल न की गई बिक्री (बिल न किया गया राजस्व) हेतु प्रोदभवन शामिल होता है।
- (iv) विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विनियम के निमित्त वसूली/प्रतिदेय और आयकर के निमित्त वसूली को विनियामक मानदंडों के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर मान्यता दी जाती है। 31 मार्च, 2009 तक मान्यता प्रदत्त आस्थगित कर की मदों के लिए वसूली को उक्त को मूर्त रूप देने पर लेखांकित किया जाता है।

- (v) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न होने वाले समायोजन, यद्यपि वास्तविक न हो, उन्हें संबंधित अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में प्रभावी किया जाता है।
- (vi) 31 मार्च, 2009 तक आस्थगित आय के रूप में माने गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम (एएडी) को बिक्री में सीधी रेखा आधार पर पावर स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात् शेष उपयोगी जीवनकाल पर शामिल किया गया है।

ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदा/परामर्शी कार्यों से राजस्व

- (i) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदा/परामर्शी कार्यों से प्राप्त राजस्व को उस प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है जो ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट है या जिसे सेवाओं के बदले में प्राप्त किया जाना अपेक्षित है और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। कंपनी आगम पद्धति के आधार पर राजस्व को मान्यता देती है। आगम पद्धति उस निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल प्रत्याशित लागत से संबंधित निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के प्रति वहन की गई लागत के आधार पर राजस्व को मान्यता प्रदान करती है।
- (ii) संविदा में संशोधन, यदि कोई हो, को तब लेखांकित किया जाता है जब किसी संविदा के क्षेत्र अथवा मूल्य (या दोनों) में कोई परिवर्तन होता है, जिसे संविदा के पक्षकारों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और जब संविदा के पक्ष ऐसे किसी संशोधन को मंजूरी देते हैं जो या तो संविदा के पक्षों के लिए नए प्रवर्तनीय अधिकारों और दायित्वों को बनाता हो या मौजूदा में संशोधन करता हो। संविदाओं के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण एकल विक्रय मूल्य पर है। संविदा संशोधनों को तब एकल आधार पर दर्ज किया जाता है जब वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं के अतिरिक्त होने के कारण संविदा का क्षेत्र बढ़ता है अथवा संविदा का मूल्य प्रतिफल एक ऐसी राशि से बढ़ता है जो वादा की गई अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के बिक्री मूल्य को दर्शाता है और उस मूल्य में कोई उचित समायोजन संविदा विशेष की परिस्थितियों में किसी उचित समायोजन को प्रतिबिंबित करता है। जोड़ी गई सेवाएं जो भिन्न नहीं हैं, उन्हें संचयी कैच-अप आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो भिन्न हैं, उन्हें सदंशी रूप से, अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य निर्धारण एकल बिक्री मूल्य पर किए जाने पर एक अलग संविदा के रूप में लेखांकित किया जाता है या उनका मूल्य निर्धारण एकल बिक्री मूल्य पर नहीं किए जाने पर विद्यमान संविदा की समाप्ति तथा नई संविदा के सृजन के रूप में किया जाता है।

ग) विद्युत के व्यापार से राजस्व

- (i) विद्युत के व्यापार से राजस्व के लेखांकन में यह निर्धारित करने के लिए संविदा की शर्तों का मूल्यांकन शामिल होता है कि क्या कंपनी को एक प्रमुख की क्षमता में या एक एजेंट के रूप में कार्य करना अपेक्षित है। कंपनी ग्राहक को अंतरित करने से पहले विद्युत का नियंत्रण प्राप्त करने की स्थिति में एक प्रधान की प्रकृति में कार्य करती है। नियंत्रण के संकेतकों में इसका मूल्यांकन शामिल है कि क्या कंपनी विद्युत उपलब्ध करवाने के वायदे को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसके पास मूल्य स्थापित करने का विवेक है या यह मालसूची जोखिम को वहन करती है। जहां कंपनी ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले विद्युत का नियंत्रण प्राप्त नहीं करती है और इसका निष्पादन दायित्व किसी अन्य पक्षकार द्वारा विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था करना है, यह एक एजेंट की प्रकृति में कार्य करती है।
- (ii) जहां कंपनी विद्युत के व्यापार के लिए किसी संविदा में प्रधान के रूप में कार्य करती है, संतुष्ट किए जाने वाले निष्पादन दायित्व को आवंटित लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- (iii) जहां कंपनी विद्युत के व्यापार के लिए संविदा में एक एजेंट के रूप में कार्य करती है, ग्राहक को प्रदान की गई विद्युत के लिए आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के बाद बचाए गए निवल प्रतिफल को प्रचालन से राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। इन लेन-देनों से उत्पन्न होने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को समायोजित नहीं किया जाता है।

घ) अन्य आय

- (i) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।
- (ii) परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए सभी ऋण दस्तावेज हेतु, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकदी भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के प्रति वित्तीय परिसंपत्ति के

सकल वहन मूल्य को सटीक रूप से छूट देता है। प्रभावी ब्याज दर की गणना किए जाने के समय, कंपनी वित्तीय दस्तावेज (उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान, विस्तार, आमंत्रण तथा ऐसे अन्य विकल्प) की सभी संविदात्मक शर्तों पर विचार करते हुए प्रत्याशित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है, परन्तु प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को नहीं लेती।

- (iii) विद्युत के व्यापार की संविदाओं से उत्पन्न होने वाले ग्राहकों से वसूली योग्य ब्याज/अधिभार और संविदाकारों को अग्रिम पर परिनिर्धारित क्षतियों/ब्याज को तब मान्यता दी जाती है, जब इसकी अत्यधिक संभावना हो कि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि में भविष्य में कोई बड़ा प्रत्यावर्तन नहीं होगा।

16.0 कर्मचारी हितलाभ

(i) अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ दायित्वों का मापन छूट रहित आधार पर किया जाता है और इनका व्यय या किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में तब शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन को अनुमेय करे क्योंकि संबंधित सेवा उपलब्ध करवाई जाती है।

अल्पावधि निष्पादन से संबंधित नकदी बोनस के अंतर्गत अदा किए जाने हेतु प्रत्याशित राशि के दायित्व को तब माना जाता है यदि कंपनी के कर्मचारी द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने की वर्तमान में कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व हो और दायित्व का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सके।

(ii) परिभाषित अंशदान योजनाएं

कोई परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी रोजगार पश्च लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कोई कंपनी पृथक न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है तथा उसका और राशियों के भुगतान हेतु कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व नहीं होता। परिभाषित अंशदान योजनाओं में अंशदानों हेतु दायित्वों को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य में शामिल किया जाता है, यदि कोई अन्य मानक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान ऐसे समावेशन को अनुमेय करता हो। किसी निर्धारित अंशदान योजना को अंशदान जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अंत के पश्चात् 12 माह से अधिक के लिए देय हैं, उन्हें छूट देकर उनके वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है।

पेंशन हितलाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना (ईडीसीएसएस) और अलग-अलग ट्रस्टों के माध्यम से प्रशासित सामाजिक सुरक्षा योजना को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में लेखांकित किया जाता है।

(iii) परिभाषित हितलाभ योजनाएं

परिभाषित हितलाभ योजना किसी परिभाषित अंशदान योजना के अतिरिक्त एक रोजगार पश्च लाभ योजना है। कंपनी की उपदान योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता, कर्मचारियों की अधिवर्षिता पर स्मृति चिन्ह और कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति के हैं। ये सभी योजनाएं, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर मिलने वाले भत्ते, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर स्मृति-चिन्ह और कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना के अलावा, विभिन्न न्यासों के माध्यम से प्रशासित की जाती हैं।

उपदान और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के संबंध में तुलन-पत्र में मान्यता प्रदान की गई देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य है।

भविष्य निधि योजना के मामले में, तुलन पत्र में देयता को मान्यता तब दी जाती है जब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से अधिक होता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के अधिशेष परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत नहीं किए जाते हैं क्योंकि कंपनी के पास ऐसे लाभों के लिए न तो योजना से धन वापसी के रूप में योजना से लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है और न ही योजना में अंशदान को कम करके इसे प्राप्त किया जा सकता है।

परिभाषित लाभ दायित्व का परिकलन बीमांकक द्वारा वार्षिक रूप से प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की अवधि के अनुसार शर्तें होती हैं।

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के निवल शेष और योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लगाकर की जाती है। इस लागत को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल किया जाता है अथवा किसी अन्य मानक के ऐसे समावेशन को अनुमेय करने पर किसी परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन तथा बीमांकित मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनःमापन लाभ (भविष्य निधि योजना के मामले में, को छोड़कर) तथा हानियों को उनके घटित होने वाली अवधि में सीधे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

(v) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

कंपनी की छुट्टी नकदीकरण योजना के अंतर्गत हितलाभों में अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ शामिल होते हैं।

दीर्घावधिक कर्मचारी हितलाभों के संबंध में कंपनी की निवल बाध्यता भावी हितलाभों की वह राशि है जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान तथा पूर्व की अवधि में अपनी सेवा के एवज में अर्जित किया है। लाभ को इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और किसी संबंधित परिसंपत्ति के उचित मूल्य की कटौती की जाती है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों के विद्यमान बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है जिनकी परिपक्वता तिथि कंपनी की बाध्यता की अवधि के निकट होती हैं। परिकलन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकित लाभों या हानियों में अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में शामिल किया जाता है, यदि कोई अन्य मानक उनके उत्पन्न होने की अवधि में ऐसे समावेश को अनुमेय करते हों।

(v) सेवांत लाभ

अनुग्रह राशि भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं में नोटिस वेतन के रूप में सीमांत लाभों पर किए गए व्यय को ऐसे व्यय को किए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

17.0 उधार लागतें

ऋण लागतों में (क) भारतीय लेखांकन मानक 109 'वित्तीय दस्तावेज' में वर्णित ब्याज पद्धति के प्रभावी उपयोग से परिकलित ब्याज व्यय (ख) भारतीय लेखांकन मानक 116 – 'पट्टे' के अनुसार मान्यताप्राप्त वित्त पट्टों के संबंध में वित्त प्रभार तथा (ग) विदेशी मुद्रा ऋणों से उस सीमा तक उत्पन्न विनिमय अंतर जो ब्याज लागतों में समायोजित के रूप में मानी गई हैं।

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य ऋण लागत को ऐसी परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि परिसम्पत्ति अपने वांछित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती है। अर्हक परिसम्पत्तियां वे होती हैं जिन्हें किसी निश्चित समय अवधि के दौरान उनके वांछित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार किया जाना आवश्यक होता है। अन्य सभी ऋण लागतें उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे व्यय की गई हैं।

जब कम्पनी किसी अर्हक परिसम्पत्ति के विशिष्ट उद्देश्य से ऋण निधियां प्राप्त करती है तो व्यय की गई ऋण लागतों का पूंजीकृत किया जाता है। जब कम्पनी सामान्य ऋण निधियां प्राप्त करती है और उनका उपयोग अर्हक परिसम्पत्ति की प्राप्ति के उद्देश्य से करती है तो ऋण लागतों के पूंजीकरण का आकलन उन सभी ऋणों की भारित औसत लागत पर किया जाता है जो अवधि के दौरान बकाया हैं तथा जिनका उपयोग अर्हक परिसम्पत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण अथवा उत्पादन के लिए किया गया है। तथापि, अर्हक परिसम्पत्ति की प्राप्ति के विशिष्ट उद्देश्य से प्राप्त किए गए ऋण पर लागू ऋण लागतों को आकलन में तब शामिल किया जाता है जब उस परिसम्पत्ति का उपयोग वांछित उद्देश्य से करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पूरे हो जाते हैं अथवा बिक्री पूर्ण हो जाती है।

अर्हक परिसंपत्तियों पर व्यय के लिए लंबित ऋणों के अस्थाई निवेश से अर्जित आय के पूंजीकरण के लिए अर्हक ऋण लागतों में से घटा दिया जाता है।

ऋण लागतों का पूंजीकरण तब रोक दिया जाता है जब अर्हक परिसम्पत्ति को उसके वांछित उपयोग करने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पूरे हो जाते हैं।

अन्य ऋण लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं

18.0 मूल्यहास तथा परिशोधन

- क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पीपीई) से वर्ष के दौरान अभिवृद्धि/कटौतियों पर मूल्यहास यथानुपात आधार पर उस तिथि से/तक के लिए प्रभारित किया जाता है जिसको परिसंपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध थी।
- ख) (i) कंपनी की प्रचालनरत यूनिटों की संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर पावर स्टेशन के उपयोगी जीवनकाल के अंत से पांच वर्ष पूर्व तक पूंजीकृत किया गया मूल्यहास, नीति संख्या 18.0(घ) में उल्लिखित परिसंपत्तियों के लिए को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धति को अपनाते हुए सीधी रेखा पद्धति पर लाभ तथा हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है।
- (ii) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवनकाल के पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूंजीकृत संपत्ति, प्लांट और उपस्करों पर मूल्यहास को सीईआरसी टैरिफ विनियमों/आदेशों के अनुसार विस्तारित जीवन-काल की अवधि के लिए संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।
- (iii) जहां नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण पावर स्टेशन का जीवनकाल और/या दक्षता बढ़ जाती है, उसकी अपरिशोधित मूल्यहास राशि तथा उसके व्यय को संशोधित/शेष उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा पद्धति पर संदर्शी रूप से प्रभारित किया जाता है।
- ग) (i) कंपनी की प्रचालनरत यूनिटों के अतिरिक्त संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर (पुराने तथा प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यहास परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक नीति संख्या 18.0(घ) में उल्लिखित परिसंपत्तियों के लिए को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों अपनाते हुए प्रभारित किया गया है।
- (ii) प्रचालनरत यूनिटों के अतिरिक्त, पीपीई के पुरानी तथा प्रयुक्त मदों पर मूल्यहास परिसंपत्ति के तकनीकी आकलन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है।
- घ) (i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में दिए गए उपयोगी जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) पर आधारित सीधी रेखा पद्धति पर प्रभारित किया जाता है:
- निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी
 - कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण
- (ii) प्रबंधन के आकलन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यहास को 1 रुपए के अवशिष्ट मूल्य के साथ तीन वर्षों की अवधि में सीधी रेखा आधार पर दिया गया है।
- (iii) प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, रुफ टॉप सौर ऊर्जा प्रणाली/उपस्कर पर मूल्यहास 10 प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य के साथ पच्चीस वर्ष की अवधि में सीधी रेखा आधार पर दिया गया है।
- ङ) अस्थायी संस्थापन को 1/- डब्ल्यूडीवी के रूप में रखते हुए अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यहासित (100%) किया जाता है।
- च) 5,000/- रुपये या उससे कम परन्तु 750/- रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों उस वर्ष में मूल्यहासित किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति 1/- रुपये डब्ल्यूडीवी के साथ उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।
- छ) निम्न मूल्य वाली मदें जो परिसंपत्ति की प्रकृति की होती हैं (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/-रुपये तक होता है, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उपयोग के वर्ष में व्यय पर प्रभारित किया जाता है।
- ज) प्रचालन यूनिटों की पट्टाधारी भूमि को पट्टे की अवधि अथवा 40 वर्ष, जो भी कम हो, में सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों को अपनाते हुए परिशोधित किया जाता है।
- झ) प्रचालनरत यूनिटों के अतिरिक्त यूनिटों की पट्टाधारी भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि अथवा 40 वर्ष, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- ञ) पट्टाधारी भूमि पर सृजित पीपीई का मूल्यहास उपयोग हेतु ऐसी परिसंपत्ति के उपलब्ध रहने की तिथि से

संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध पट्टा अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक अथवा ऐसी परिसंपत्तियों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित लागू मूल्यहास दरों तथा पद्धति, जो भी अधिक हो, पर किया जाता है।

- ट) भूमि के संबंध में उपयोग के अधिकार का परिशोधन टैरिफ निर्धारण हेतु अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में किया जाता है।
- ठ) "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में मान्यता प्रदान की गई सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति पर उपयोग के विधिक अधिकार की अवधि या 3 वित्तीय वर्ष, जो भी पहले हो, पर इसके अधिग्रहण के वर्ष से प्रारंभ करके किया जाता है।
- ड) जहां विनियम उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, मध्यस्थम/अदालती मामलों के निपटान, शुल्कों में परिवर्तन या समान कारकों से वर्ष के दौरान दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी के कारण मूल्यहास वाली परिसंपत्तियों की लागत में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां ऐसी परिसंपत्तियों के अपरिशोधित शेष का मूल्यहास संदर्शी तौर पर ऐसी परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल में सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दर तथा पद्धतियों पर किया जाएगा।
- ढ) संयंत्र तथा मशीनरी के साथ या बाद में खरीद किए गए कलपुर्जे जिन्हें पूंजीकृत किया जाता है तथा ऐसी मद की वहनीय राशि में जोड़ा जाता है, उनका मूल्यहास संबंधित संयंत्र तथा मशीनरी के शेष उपयोगी जीवनकाल में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों पर किया जाता है।
- ण) उपयोगी जीवन, मूल्यहास की पद्धति और परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, जहां मूल्यहास को प्रबंधन आकलन के अनुसार प्रभारित किया जाता है, उसकी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, उसे परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवनकाल पर संदर्शी रूप से समायोजित किया जाता है।

19.0 माल-सूची के अतिरिक्त गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

- क. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसका आकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, अथवा जब किसी परिसंपत्ति हेतु वार्षिक क्षति परीक्षण अपेक्षित होता है, कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य घटा निपटान की लागतें तथा उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होगी। वसूली योग्य राशि का निर्धारण एक पृथक परिसंपत्ति हेतु किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से ऐसे नकदी प्रवाह न उत्पन्न हों जो मुख्यतः कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप से स्वतंत्र हैं। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहनीय राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उससे उसकी वसूली योग्य राशि को बट्टे खाते में डाला जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।
- ख. उपयोग में मूल्य के आकलन हेतु, अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों को छूट देकर एक कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य तक लाया जाता है जो राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और परिसंपत्ति के विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। निपटान की लागत अल्प उचित मूल्य के निर्धारण में हाल के बाजार लेन-देनों पर ध्यान दिया जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान न की जा सके, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार किए जाने वाली कंपनियों के उद्धृत शेयर मूल्य अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य सूचकांकों से पुष्ट किया जाता है।
- ग. परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच पर व्यय के मामले में, यदि ऐसी किसी परियोजना को सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के अंतर्गत परित्याग करने का निर्णय लिया जाता है तो उस पर किए गए व्यय को निर्णय लिए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।
- घ. सर्वेक्षण तथा जांच के अंतर्गत होने वाली कोई परियोजना समुचित प्राधिकारी के आदेश/अदालती आदेश की निषेधाज्ञा के चलते स्थगित रही ऐसी परियोजनाओं पर आदेश/अदालत की निषेधाज्ञा की तिथि से किए गए किसी भी व्यय को ऐसे आदेश की तिथि से ऐसे आदेश/निषेधाज्ञा द्वारा परियोजना को स्थगित रखे जाने की अवधि तक लेखाबहियों में उपलब्ध करवाया जाएगा। तथापि, इस प्रकार किए गए प्रावधान को उक्त आदेश/निषेधाज्ञा के वापिस लिए जाने तक प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।
- ड. पूर्व की अवधियों में मान्यता दी गई क्षति हानियों का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ऐसे किसी संकेत हेतु किया जाएगा कि हानि कम हो गई है अथवा लंबे समय से मौजूद नहीं है। यदि वसूली योग्य राशि के निर्धारण में

प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो क्षति हानि को वापिस किया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक वापिस किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहनीय राशि ऐसी वहनीय राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे मूल्यहास या परिशोधन के निवल पर किसी क्षति हानि को मान्यता न दिए जाने को निर्धारित किया जाता।

20.0 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान तथा आस्थगित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, उस सीमा तक छोड़कर जिस सीमा तक यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों से संबंधित है, जिस मामले में कर को भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि को लागू होने वाले कर नियमों के आधार पर वर्ष हेतु कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर तथा पिछले वर्षों में देय कर को करों के प्रति अन्य कोई समायोजन है। कर योग्य लाभ, एवं हानि के विवरण में यथासूचित लाभ से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें आय या व्यय की वे मदें शामिल नहीं होती जो अन्य वर्षों (अस्थायी अंतर) में कर योग्य या कटौती योग्य है और आगे इसमें वे मदें भी शामिल नहीं होती जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य (स्थायी अंतर) नहीं हैं।

ख) आस्थगित कर

- (i) आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहनीय राशि के बीच अस्थायी अंतर के रूप में मान्यता दी जाती है और कर योग्य लाभ की गणना में तदनुसूची कर आधार का प्रयोग किया जाता है और तुलन-पत्र पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है। आस्थगित कर देयताओं को सामान्यतः सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के रूप में मान्यता दी जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सामान्यतः सभी कटौती-योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर ऋण हेतु उस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है जहां तक यह संभव है कि भावी कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य और अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उपलब्ध होंगे और अप्रयुक्त कर ऋणों का उपयोग किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को तब मान्यता नहीं दी जाती है यदि किसी लेन-देन में किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता (किसी व्यापार संयोजन के अतिरिक्त) से अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हों जो लेन-देन के समय न तो कर योग्य लाभ एवं हानि और न ही लेखांकन लाभ या हानि को प्रभावित करते हों।
- (ii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहनीय राशि की प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके लिए अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।
- (iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को ऐसी कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा हो जिसमें देयता का निपटान या परिसंपत्ति की वसूली की जाएगी, यह तुलन-पत्र तिथि द्वारा अधिनियमित या व्यापक रूप से बनाई गई कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित है। आस्थगित कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का मापन ऐसे कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी की प्रत्याशा वाले तरीके से रिपोर्टिंग तिथि को इसकी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहनीय राशि की वसूली या निपटान करेंगे।
- (iv) आस्थगित कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है सिवाय उस सीमा के जहां यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- (v) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का निपटान वहां किया जाता है जहां वर्तमान कर परिसंपत्तियों का वर्तमान कर देयताओं से निपटान का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं समान करायान प्राधिकरण द्वारा या तो किसी एक करयोग्य कंपनी अथवा विभिन्न करयोग्य कंपनियों पर लगाए गए आयकर से संबंधित हो तथा जहां निवल आधार पर शेषों के निपटान की मंशा हो।
- (vi) समायोजन लेख से आस्थगित कर वसूली को वर्तमान अवधि हेतु आस्थगित कर की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाएगा जो आगे की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा होता हो तथा टैरिफ के एक घटक इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) की गणना को प्रभावित करता हो।

(vii) जब आय कर सुधारों के संबंध में किसी प्रकार की अनिश्चितता होती है तो कम्पनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर सुधार को स्वीकार किया जा सकता है। यदि कम्पनी कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर सुधार को स्वीकार न किए जाने का निर्धारण करती है तो अनिश्चित अथवा करयोग्य आय के प्रभाव, कर आधारों, तथा अप्रयुक्त कर हानियों एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट को मान्यता दे दी जाती है। ऐसी अनिश्चितता के प्रभाव को मान्यता प्रत्येक मामले में उस पद्धति के उपयोग से दी जाती है जिनसे प्रतिफल, अत्यधिक प्रत्याशित प्रतिफल अथवा संभावित मूल्य की अनिश्चितता को सर्वोत्तम तरीके में दर्शाता हो। प्रत्येक मामले में, अनिश्चितता के समाधान के उत्तम उपसर्ग के आधार पर कम्पनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या अनिश्चित कर सुधार अलग-अलग अथवा एक साथ मिलाकर अथवा अन्य अनिश्चित कर सुधारों के साथ किया जा सकता है।

21.0 तृतीय पक्षकारों से मुआवजा

मदों की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षकारों से मुआवजे के भुगतान हेतु संबंधित दावे और परिसंपत्तियों/माल-सूची की बाद की कोई खरीद या निर्माण पृथक आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें पृथक रूप से लेखांकित किया जाता है।

बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षकारों से संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मदों और क्षतिग्रस्त, गुम या छोड़ी गई अन्य मदों हेतु मुआवजे को मुआवजा प्राप्य होने पर लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

22.0 खंड रिपोर्टिंग

- क) भारतीय लेखांकन मानक 108—प्रचालनरत खंड के अनुसार, खंड सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालनरत खंडों की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक रिपोर्टों के उपयोग के आधार पर खंडों को संसाधन के आवंटन तथा उनके निष्पादन हेतु चिन्हित करने के लिए की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से भारतीय लेखांकन मानक 108 के अभिप्राय के भीतर कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" अथवा "सीओडीएम" है।
- ख) विद्युत उत्पादन कंपनी का प्रमुख व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन यथा संविदाएं, परियोजना प्रबंधन, परामर्शी कार्य तथा विद्युत का व्यापार भारतीय लेखांकन मानक-108 के अनुसार सूचना योग्य खंड का भाग नहीं होते हैं।
- ग) कंपनी का एक एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

23.0 पट्टे

कंपनी अनुबंध के प्रारंभ में अनुबंध के पट्टा होने अथवा उसमें पट्टा अंतर्विष्ट होने का मूल्यांकन करती है। कोई अनुबंध पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, माना जाता है यदि अनुबंध से अभिचिन्हित परिसम्पत्ति, किसी कालावधि के लिए, के नियंत्रण के उपयोग का अधिकार किसी प्रतिफल के विनिमय के रूप में प्राप्त हुआ हो। यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या किसी अनुबंध से अभिचिन्हित परिसम्पत्ति के नियंत्रण के उपयोग का अधिकार सम्प्रेषित होता है, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या:

- अनुबंध में अभिचिन्हित परिसम्पत्ति का उपयोग निहित है – इसकी निर्दिष्ट सुस्पष्ट अथवा अव्यक्त हो सकती है तथा यह वास्तविक रूप से सुस्पष्ट अथवा परिसंपत्तियों की क्षमता की वास्तविक स्पष्टता की सारभूत प्रस्तुति से युक्त होनी चाहिए। यदि आपूर्तिकर्ता के पास सारभूत प्रतिस्थापन अधिकार है तो परिसंपत्ति अभिचिन्हित नहीं की जाती है;
- कंपनी के पास उपयोग की पूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पत्ति के उपयोग से आर्थिक लाभ प्राप्त होने का सारभूत अधिकार है; तथा
- कंपनी को परिसम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग का अधिकार है। कंपनी के पास यह अधिकार तब होता है जब इसके पास निर्णय निर्धारण के अधिकार होते हैं, जो परिसंपत्ति के उपयोग के उद्देश्य में कैसे और किस लिए जैसी प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए काफी संगत होते हैं। बहुत ही कम मामलों में जब कैसे और किस लिए जैसे परिसम्पत्ति के उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं तो कम्पनी को परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार तब होता है जब:
 - कंपनी के पास परिसम्पत्ति के प्रचालन का अधिकार हो; अथवा
 - कंपनी परिसंपत्ति की निर्दिष्ट करे कि उसे पूर्व निर्धारित कैसे और किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सके।

किसी अनुबंध, जिसमें पट्टा घटक है, के पुनःमूल्यांकन के प्रारंभ में कंपनी अपने संबद्ध एकल मूल्यों के आधार पर पट्टे के अनुबंध के प्रत्येक घटक के लिए प्रतिफल का निर्धारण करती है। तथापि, भूमि एवं भवन के पट्टों, जिनमें वह पट्टेदार है, के लिए कंपनी ने कोई अलग गैर-पट्टा संघटक का चयन न करने का निर्णय लिया है तथा पट्टा एवं गैर-पट्टा संघटकों को एकल पट्टा घटक के रूप में माना जाता है।

i. पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टा प्रारंभ होने की तिथि को कंपनी द्वारा परिसम्पत्ति एवं पट्टा दायित्व के उपयोग के अधिकार को मान्यता दी जाती है। परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें पट्टा दायित्व का प्रारंभिक मापन, कम्पनी द्वारा वहन की गई कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, पट्टा समाप्त होने के समय परिसम्पत्ति का विखंडन करने तथा हटाए जाने की लागतों के कोई अनुमान, तथा पट्टा प्रारंभ तिथि को पट्टा भुगतानों के समायोजित अग्रिम शामिल हैं।

राज्य सरकार से उपयोग के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) तथा सहायता और पुनर्वास के साथ-साथ भूमि से विस्थापितों को हटाए जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर किए गए खर्च अथवा जलप्लावन के अंतर्गत आने वाली मौजूदा सुविधाओं के स्थान पर तथा जहां परियोजना के उद्देश्य से ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण भूमि के अधिग्रहण की एक पूर्व विशिष्ट शर्त है, का लेखांकन उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति के रूप में किया जाता है।

उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति का अनुवर्ती मूल्यहास पट्टा प्रारम्भ तिथि से परिसंपत्ति के अधिकार के उपयोग के अंत से पूर्व उपयोग्यता काल अथवा पट्टा अवधि समाप्त होने पर सीधी रेखा आधार पर उपयोग के अधिकार से युक्त परिसंपत्ति के लिए किया जाता है। उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण संपत्ति और उपस्कर के लिए उपयोग में लाए जाने वाले समान आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों में से अक्षमता हानियों, यदि कोई हो, को कम करके आवधिक रूप से न्यून किया जाता है तथा इसका समायोजन पट्टा देयता के निश्चित पुनःमापन के लिए किया जाता है। हानि का आकलन उपर्युक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 19.0 में दिए गए अनुसार इंस एस 36-परिसंपत्तियों की हानि के सिद्धांतों का प्रयोग करके किया जाता है।

पट्टा देयता का प्रारंभिक मापन प्रारंभ तिथि को चुकता न किए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य में से पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दर अथवा यदि इस दर का निर्धारण त्वरित रूप में नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी की वृद्धिशील ऋण दर को घटाकर किया जाता है। सामान्यतः कम्पनी छूट दर के लिए अपनी वृद्धिशील ऋण दर का उपयोग करती है।

पट्टा भुगतानों में निम्नलिखित से युक्त पट्टा देयता का मापन शामिल है:-

- मूलभूत नियत भुगतान सहित नियत भुगतान;
- परिवर्तनीय पट्टा भुगतान, जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, का प्रारंभिक मापन उनके प्रारंभ की तिथि के सूचकांक अथवा दर के उपयोग से किया जाता है;
- अवशेष मूल्य गारंटी के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां; तथा
- किसी क्रय विकल्प के अंतर्गत उपयोग में लाया जाने वाला मूल्य जिसके उपयोग प्रति कंपनी औचित्यपरक रूप में आश्वस्त है, वैकल्पिक नवीकरण अवधि के पट्टा भुगतान, यदि कम्पनी विस्तार के विकल्प के उपयोग के प्रति औचित्यपरक कारणों से आश्वस्त हैं तथा कालावधि से पूर्व पट्टा समापन के जुर्माने जिनके प्रति कंपनी पट्टे का पूर्व समापन न किए जाने के प्रति आश्वस्त है।

पट्टे की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्मापन तब किया जाता है जब किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भावी पट्टे के भुगतान में कोई परिवर्तन हो, यदि कंपनी के अनुमान में एक अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने की संभावित राशि में परिवर्तन हो, अथवा यदि कंपनी अपने आकलन में यह परिवर्तन करती है कि क्या यह एक खरीद, विस्तार अथवा समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी अथवा जब एक पट्टा अनुबंध संशोधित किया गया है, और उस स्थिति में पट्टा संशोधन को एक अलग पट्टे के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है, जिसमें पट्टा देयता का संशोधन की प्रभावी तारीख को संशोधित छूट दर का प्रयोग करके संशोधित पट्टा भुगतानों में छूट देकर संशोधित पट्टे की अवधि के आधार पर पुनर्मापन किया गया है।

जब पट्टा देयता का मापन इस विधि से किया जाता है तो उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहनीय राशि के संबंध में अनुवर्ती समायोजन किया जाता है अथवा यदि उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहनीय राशि कम होकर शून्य हो गई है तो इसे लाभ एवं हानि विवरण में रिकार्ड किया जाता है।

कंपनी निवेश संपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाली अपनी उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्तियों की प्रस्तुति एक अलग रेखा मद के उपयोग से तुलन-पत्र में करती है।

कंपनी ने उन अल्प-कालिक अवधियों की उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता न देने का निर्धारण किया है जिनकी पट्टा अवधि 12 माह अथवा उससे कम है तथा पट्टों का परिसंपत्ति मूल्य न्यून है। कंपनी इन पट्टों से संबद्ध पट्टा भुगतानों को सीधी रेखा आधार पर पट्टा अवधि में व्यय के रूप में मान्यता देती है।

ii. पट्टाकार के रूप में कंपनी

जब कंपनी पट्टाकार के रूप में कार्य करती है, तो कंपनी पट्टे के प्रारंभ में यह निर्धारण करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा अथवा कोई प्रचालनरत पट्टा है। किसी पट्टे का वित्त के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब उसके संबंध में कंपनी द्वारा ऐसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी सारभूत जोखिम एवं प्रतिफल पट्टाधारक को अंतरित किए जाते हैं। पट्टे का वर्गीकरण प्रचालनरत पट्टे के रूप में तब होता है जब ऐसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी सारभूत जोखिम एवं प्रतिफल पट्टाधारक को अंतरित नहीं किए जाते हैं।

वित्त पट्टे की प्रकृति वाले निहित पट्टों हेतु, पावर स्टेशन में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। न्यूनतम पट्टा प्राप्तियों की पहचान संविदा राशियों (31 मार्च, 2009 तक सीईआरसी टैरिफ विनियम 2004-09 के अनुसार और आस्थगित आय के रूप में मानी गई मान्यताप्राप्त मूल्यहास के निमित्त अग्रिम (एएडी) सहित) से निहित पट्टा प्राप्तियों को अलग करके की जाती है। प्रत्येक पट्टा प्राप्ति को प्राप्य तथा वित्त पट्टा आय (प्रचालनों से राजस्व का भाग बनने वाली) के बीच आवंटित की जाती है ताकि बकाया प्राप्य पट्टे पर एक स्थिर दर को प्राप्त किया जा सके।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी नियमित रूप से अनुमानित गैर-गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा करती है और पट्टा प्राप्यों पर संभावित ऋण हानियों के लिए प्रावधान को मान्यता देते हुए भारतीय लेखांकन मानक 109-वित्तीय दस्तावेजों की हानि अपेक्षाओं को लागू करती है।

वित्त पट्टा आय का परिकलन ऋण-हानि वित्तीय परिसंपत्तियों, जिनके लिए ब्याज आय का परिकलन उनकी परिशोधन लागत (अर्थात् हानि प्रावधान की कटौती के बाद) के संदर्भ में किया जाता है, को छोड़कर, पट्टा प्राप्यों की सकल वहनीय राशि के संदर्भ में किया जाता है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टे अथवा गैर-पट्टे के घटक होते हैं तो कंपनी अनुबंध के प्रतिफल के निर्धारण के लिए भारतीय लेखांकन मानक 115 – 'ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व' काक लागू करती है।

प्रचालनरत पट्टों या निहित प्रचालन पट्टों के मामले में, प्रचालनरत पट्टे से पट्टा आय को राजस्व में पट्टा अवधि पर पट्टे वाली परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। संबंधित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में शामिल किया जाता है तथा उनके आर्थिक जीवनकाल में इनका मूल्यहास किया जाता है।

24.0 व्यवसाय संयोजन

व्यवसाय संयोजनों का लेखांकन अधिग्रहण की तिथि को अधिग्रहण लेखांकन विधि के उपयोग से किया गया है जो कंपनी को नियंत्रण के अंतरित किए जाने की तिथि है। अधिग्रहण के अंतर्गत अंतरित किए गए प्रतिफल तथा अभिचिन्हित अधिग्रहित परिसंपत्तियों एवं स्वीकृत देयताओं को मान्यता अधिग्रहण की तिथि को उनके उचित मूल्य पर की जाती है। साख का प्रारंभिक मापन, अधिग्रहित अभिचिन्हितयोग्य परिसंपत्तियों एवं स्वीकृत देयताओं के निवल से अधिक प्रतिफल का अंतरण किए जाने के कारण, लागत पर किया जाता है। जब निवल अभिचिन्हितयोग्य अधिगृहीत परिसंपत्तियों एवं स्वीकृत देयताओं का उचित मूल्य, निवल परिसंपत्तियों एवं आकस्मिक देयताओं का उचित मूल्य पर पुनःमूल्यांकन करने के पश्चात, अंतरित प्रतिफल से अधिक होता है तो अतिरिक्त की स्वीकृति पूंजी आरक्षित के रूप में की जाती है। अधिग्रहण से संबंधित लागतों को व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

25.0 पूर्व अवधि की वास्तविक त्रुटियां

पूर्व अवधि की वास्तविक त्रुटियों को पश्चगामी प्रभाव से त्रुटि होने वाले पूर्व अवधि के प्रस्तुत किए गए विवरणों में तुलनात्मक राशि को पुनः उल्लिखित कर ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत नवीनतम अवधि से पहले हुई हो तो नवीनतम अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देयताओं तथा इक्विटी के प्रारंभिक शेषों को तब पुनः उल्लिखित किया जाता है जब तक कि यह अव्यवहार्य न हो और ऐसे मामले में तुलनात्मक सूचना को व्यवहार्य नवीनतम तिथि से संदर्शी रूप से नई लेखांकन नीति को लागू करते हुए समायोजित किया जाता है।

26.0 प्रति शेयर अर्जन

- (क) प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।
- (ख) प्रति इक्विटी शेयर कम आंके गए अर्जन की गणना प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन निकालने के लिए लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही सभी कम किए गए संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।
- (ग) प्रति शेयर आधारभूत और कम किए गए अर्जन को आस्थगित लेखा शेष में संचलन के अतिरिक्त अर्जित राशि का उपयोग करके भी प्रस्तुत किया जाता है।

27.0 नकदी प्रवाह का विवरण

क) नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाहों के विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन हेतु नकदी तथा नकदी-समतुल्यों में हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के पास आमंत्रण पर धारित जमा, अन्य अल्पावधि, अत्यधिक नकदी निवेश जिनकी मूल परिपक्वता 3 माह या उससे कम की हैं जो नकदी की ज्ञात राशियों में तत्काल परिवर्तनशील हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के कम महत्वपूर्ण जोखिम के अध्वधीन हैं तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि, तुलन-पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु बैंक ओवरड्राफ्ट को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत "ऋणों" में दर्शाया गया है।

- ख) नकदी प्रवाह के विवरण को भारतीय लेखांकन मानक 7 "नकदी प्रवाहों के विवरण" में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

28.0 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों तथा देयताओं को वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

क) कोई परिसंपत्ति तब वर्तमान है जब यह—

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त किए जाने या बिक्री अथवा उपभोग किए जाने की मंशा प्रत्याशित है
- मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित है
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् 12 माह के भीतर प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, अथवा
- नकदी या नकदी समतुल्य जब तक कि विनिमय किए जाने से प्रतिबंधित न हो अथवा रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह पश्चात् किसी दायित्व के निपटान के लिए इन्हें लिया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ख) किसी देयता को तब वर्तमान माना जाता है जब वह:

- सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान हेतु अपेक्षित है
- इसे मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन हेतु धारित किया गया है
- यह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् 12 माह के भीतर निपटाए जाने हेतु देय है, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम 12 माह हेतु देयता के निपटान को आस्थगित करने का एक बिना शर्त अधिकार है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

29.0 विविध

- क) समान मदों की प्रत्येक वास्तविक श्रेणी को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति या कार्यवाही मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गैर-वास्तविक न हों।

ख) मार्गस्थ वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यों किन्तु प्रमाणित नहीं के लिए देयताओं का प्रावधान कंपनी द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति लम्बित होने पर नहीं किया जाता है।

(IV) हाल की लेखांकन घोषणाएं: जारी किए गए लेकिन अभी प्रभावी नहीं मानक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 23 मार्च, 2022 को अधिसूचित कंपनियों (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2022 की अधिसूचना जारी की है, जो कतिपय भारतीय लेखांकन मानकों में संशोधन करती है, तथा 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी है। प्रमुख संशोधनों और उनके कंपनी पर प्रभाव का सार नीचे दिया गया है:

(i) भारतीय लेखांकन मानक 16 – इच्छित उपयोग से पूर्व आय

यह संशोधन लाभ और हानि के विवरण में परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित मदों की निवल बिक्री आय के आधिक्य का मिलान करने वाली कंपनी को प्रतिबंधित करता है। इसके बजाय, इसे संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद की लागत के भाग के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष आरोप्य लागत से घटाया जाएगा।

कंपनी यह अपेक्षा नहीं करती है कि संशोधन का वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

(ii) भारतीय लेखांकन मानक 37 – भारी अनुबंध – एक अनुबंध को पूरा करने की लागत

ये संशोधन निर्धारित करते हैं कि अनुबंध की "पूरा करने की लागत" में "अनुबंध की प्रत्यक्ष संबंधित लागत" शामिल है। अनुबंध की प्रत्यक्ष संबंधित लागत, दोनों अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागतें (उदाहरण: प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री) और अनुबंध की प्रत्यक्ष संबंधित लागत की अन्य लागतों का आवंटन हैं।

यह संशोधन अनिवार्य रूप से एक स्पष्टीकरण की प्रकृति में है और कंपनी यह अपेक्षा नहीं करती है कि संशोधन का वित्तीय विवरणों पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ेगा।

(iii) भारतीय लेखांकन मानक 103: कारोबार संयोजन

इस संशोधन में यह उल्लेख किया गया है कि अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के भाग के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु, अर्जित पहचान योग्य परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानकों (वैचारिक कार्यवाहियों) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वैचारिक कार्यवाहियों में प्रदान की गई परिसंपत्ति और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। अतः, अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के भाग के रूप में उन लागतों को मान्यता नहीं देता है। इसके बजाय, अधिग्रहणकर्ता अन्य भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार अपने संयोजन के बाद के वित्तीय विवरणों में उन लागतों को मान्यता देता है।

इन संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है।

(iv) भारतीय लेखांकन मानक 109 – भारतीय लेखांकन मानक (2021) में वार्षिक सुधार

यह संशोधन स्पष्ट करता है कि एक कंपनी में कौन-से शुल्क शामिल हैं, जब यह आकलन करने के लिए कि क्या वित्तीय दायित्व को अमान्य करना है अथवा नहीं, भारतीय लेखांकन मानक 109 के "दस प्रतिशत" परीक्षण को लागू करता है।

कंपनी यह अपेक्षा नहीं करती है कि संशोधन का वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्याक			मूल्यहास			निवल ब्याक		
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को
भूमि-फ्रीहोल्ड (देखें टिप्पणी 2.1.1 तथा 2.1.2)	405.40	730.10	0.05	(0.27)	1135.18	-	-	-	1,135.18
सड़कें और पुल	309.01	4.00	1.15	(1.49)	310.37	76.14	11.64	87.36	223.01
भवन	2,252.69	23.53	0.11	(8.71)	2267.40	484.77	77.71	562.45	1,704.95
रेलवे साइडिंग्स	13.06	-	-	-	13.06	13.06	-	13.06	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वाटर कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	15,767.74	83.87	2.55	(37.64)	15811.42	4,802.34	650.98	5,453.95	10,357.47
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	7,819.44	158.45	13.24	10.71	7975.36	2,352.98	338.07	2,707.87	5,267.49
संयंत्र तथा मशीनरी – सब-स्टेशन	54.14	1.79	0.30	0.31	55.94	15.31	2.39	17.87	38.07
संयंत्र तथा मशीनरी – पारेषण लाइनें	70.62	0.84	0.08	(0.03)	71.35	25.35	2.98	28.30	43.05
संयंत्र तथा मशीनरी – अन्य	39.24	0.73	0.25	(0.03)	39.69	13.75	2.11	15.71	23.98
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	52.32	1.43	0.50	-	53.25	26.19	3.32	29.40	23.85
जल आपूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेंज	59.06	3.94	-	(0.17)	62.83	12.56	2.50	15.06	47.77
विद्युतीय संस्थापनाएं	17.14	3.39	0.05	-	20.48	2.30	0.88	3.16	17.32
वाहन	23.30	4.22	0.49	-	27.03	9.39	1.29	10.51	16.52
विमान/नौकाएं	1.93	0.05	0.01	-	1.97	0.58	0.14	0.72	1.25
फर्नीचर और फिक्सचर	37.49	1.67	0.34	-	38.82	13.37	2.07	15.30	23.52
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	49.87	7.00	1.56	0.12	55.43	34.18	6.19	39.37	16.06
संचार उपस्कर	13.21	0.80	0.53	-	13.48	4.21	0.60	4.58	8.90
कार्यालय उपस्कर	116.70	9.35	3.25	-	122.80	41.28	6.86	46.64	76.16
कुल	27,102.36	1,035.16	24.46	(37.20)	28,075.86	7,927.76	1,109.73	9,051.31	19,024.55
विगत वर्ष	28,694.70	254.86	52.20	(1,795.00)	27,102.36	7,225.94	1,219.68	7,927.76	19,174.60

टिप्पणी :-

2.1.1 कंपनी के नाम पर धारित न की गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख के संबंध में प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध-1 के रूप में दिया गया है।

2.1.2 फ्रीहोल्ड भूमि में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा 100 रुपए प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही 8 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 8 हेक्टेयर) भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एलडीएचसीएल के मध्य एक पट्टा करार किया गया है।

2.1.3 सेवा-II, किशनगंगा, चमेरा-III, तीस्ता लो डैम-III, उड़ी-II और तीस्ता लो डैम-IV पावर स्टेशनों के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के कारण, इन पावर स्टेशनों पर किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

2.1.4 ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की सूचना हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 34(9) देखें।

2.1.5 परिसम्पत्तियों की हानि से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(18) देखें।

2.1.6 परिसम्पत्तियों के सकल ब्लॉक के समायोजन में शामिल विदेशी विनिमय दर अंतर निम्नानुसार है:-

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपये में)	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपये में)
सड़कें और पुल	(1.22)	(1.03)
भवन	(8.63)	(7.29)
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	(38.73)	(32.76)
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	(10.07)	(8.52)
संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	(0.08)	(0.07)
जल आपूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेंज	(0.04)	(0.04)
कुल	(58.77)	(49.71)

2.1.7 परिसम्पत्तियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास के अनुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध-II में दिया गया है।

टिप्पणी 2.1 का अनुलग्नक-I:- 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी के नाम पर अधारित अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व का विलेख:-

तुलन-पत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहनीय मूल्य (करोड़ रुपये में)	के नाम में धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रमोटर/निदेशक का संबंधी अथवा प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	वह तारीख/वर्ष, जबसे संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम में धारित नहीं होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर - फ्रीहोल्ड भूमि	भूमि (1458.45 हेक्टेयर)	6.51	हिंद सरकार (भारत सरकार)	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन हेतु, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (7.0844 हेक्टेयर)	36.07	विभिन्न पक्षकार	नहीं	27.09.2021	भूमि एनएचपीसी पार्वती-II के कब्जे में है। कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (4.69 हेक्टेयर)	6.33	विभिन्न पक्षकार	नहीं	14.07.2008	तीस्ता-V पावर स्टेशन हेतु कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (0.09 हेक्टेयर)	0.01	प्रेम शेयर्सिंग लेच्चा	नहीं	31.03.2000	रंगित पावर स्टेशन के संपत्ति के वर्तमान स्वामी का निधन हो गया है। स्वामित्व विलेख का निष्पादन लंबित है।
	भूमि (0.10 हेक्टेयर)	0.0004	विभिन्न पक्षकार	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (74.95 हेक्टेयर)	0.00	भारत सरकार 74.04 हेक्टेयर और निजी भूमि 0.87 हेक्टेयर	नहीं	जनवरी, 1978 से	बैरास्यूल पावर स्टेशन में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध-II संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास			निवल ब्लाक			
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	405.40	730.10	0.05	(0.27)	1,135.18	-	-	-	1,135.18	405.40
सड़कें और पुल	402.23	4.00	1.91	(1.48)	402.84	169.36	11.64	(1.17)	179.83	232.87
भवन	2,966.45	23.53	0.44	(8.71)	2,980.83	1,198.53	77.71	(0.36)	1,275.88	1,767.92
रेलवे साइडिंग्स	31.98	-	-	-	31.98	31.98	-	-	31.98	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	21,464.61	83.87	7.78	(38.73)	21,501.97	10,499.21	650.98	(5.69)	11,144.50	10,965.40
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	10,726.38	158.45	16.08	(10.89)	10,857.86	5,259.92	338.07	(7.62)	5,590.37	5,466.46
संयंत्र तथा मशीनरी – सब-स्टेशन	105.41	1.79	0.37	(0.02)	106.81	66.58	2.39	(0.23)	68.74	38.83
संयंत्र तथा मशीनरी – पारेषण लाइनें	97.59	0.84	0.10	(0.03)	98.30	52.32	2.98	(0.05)	55.25	45.27
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	54.88	0.73	0.71	(0.03)	54.87	29.39	2.11	(0.61)	30.89	25.49
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	109.93	1.43	4.81	-	106.55	83.80	3.32	(4.42)	82.70	26.13
जलापूर्ति प्रणाली / नालियां और सीवरज	68.81	3.94	0.01	(0.16)	72.58	22.31	2.50	-	24.81	46.50
विद्युतीय संस्थापनाएं	18.33	3.39	0.08	-	21.64	3.49	0.88	(0.05)	4.32	14.84
वाहन	32.90	4.22	1.48	-	35.64	18.99	1.29	(1.16)	19.12	13.91
विमान / नौकाएं	2.17	0.05	0.07	-	2.15	0.82	0.14	(0.06)	0.90	1.35
फर्नीचर और फिक्सचर	61.40	1.67	0.62	-	62.45	37.28	2.07	(0.42)	38.93	24.12
कम्प्यूटर और सहायक	76.23	7.00	6.14	0.03	77.12	60.54	6.19	(5.67)	61.06	15.69
संचार उपस्कर	18.76	0.80	1.23	-	18.33	9.76	0.60	(0.93)	9.43	9.00
कार्यालय उपस्कर	170.34	9.35	7.13	-	172.56	94.92	6.86	(5.38)	96.40	75.42
कुल	36,813.80	1,035.16	49.01	(60.29)	37,739.66	17,639.20	1,109.73	(33.82)	18,715.11	19,174.60
विगत वर्ष	38,607.69	254.86	63.47	(1,985.28)	36,813.80	17,138.93	1,219.68	(719.41)	17,639.20	19,174.60

टिप्पणी :-

परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत "भूमि - उपयोग का अधिकार" हेतु आकलित 10496.48 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 10494.51 करोड़ रूपए) राशि के भूमिगत कार्यों को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के संगत शीर्षों में शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास			निवल ब्लाक		
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	वर्ष के लिए	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि-फ्रीहोल्ड (देखें टिप्पणी 2.1.1 तथा 2.1.2)	392.37	13.64	0.30	(0.31)	405.40	-	-	405.40	392.37
सड़कें और पुल	312.02	4.41	0.11	(7.31)	309.01	65.65	11.66	232.87	246.37
भवन	2,404.26	31.38	0.52	(182.43)	2252.69	440.45	76.13	1,767.92	1,963.81
रेलवे साइडिंग्स	16.57	-	-	(3.51)	13.06	16.57	-	13.06	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	16,737.99	19.77	0.17	(989.85)	15767.74	4,330.75	748.75	10,965.40	12,407.24
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	8,313.65	147.22	47.24	(594.19)	7819.44	2,198.82	350.85	5,466.46	6,114.83
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	56.01	1.16	0.55	(2.48)	54.14	13.65	2.38	38.83	42.36
संयंत्र तथा मशीनरी - पारेषण लाइनें	71.08	1.11	-	(1.57)	70.62	21.90	4.04	45.27	49.18
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	36.19	3.68	0.19	(0.44)	39.24	11.93	1.95	25.49	24.26
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	54.42	2.49	0.08	(4.51)	52.32	23.86	3.69	26.13	30.56
जलापूर्ति प्रणाली / नालियां और सीवर प्रणाली	55.36	5.17	0.04	(1.43)	59.06	10.50	2.31	46.50	44.86
विद्युतीय संस्थापनाएं	16.17	1.18	-	(0.21)	17.14	1.61	0.71	14.84	14.56
वाहन	22.75	1.40	0.41	(0.44)	23.30	8.31	1.34	13.91	14.44
विमान / नौकाएं	1.91	0.17	0.05	(0.10)	1.93	0.47	0.14	1.35	1.44
फर्नीचर और फिक्सचर	37.81	1.74	0.24	(1.82)	37.49	11.78	2.14	24.12	26.03
कम्प्यूटर और सहायक	45.42	7.67	1.33	(1.89)	49.87	30.04	6.40	15.69	15.38
संचार उपस्कर	12.23	1.23	0.17	(0.08)	13.21	3.70	0.65	9.00	8.53
कार्यालय उपस्कर	108.49	11.44	0.80	(2.43)	116.70	35.95	6.54	75.42	72.54
कुल	28,694.70	254.86	52.20	(1,795.00)	27,102.36	7,225.94	1,219.68	19,174.60	21,468.76
विगत वर्ष	28,660.92	386.17	30.98	(1.82)	28,694.70	5,720.23	1,541.74	21,468.76	

टिप्पणी:-

2.1.1 कंपनी के नाम पर धारित न की गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख के संबंध में प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध-1 में दिया गया है।

2.1.2 फ्रीहोल्ड भूमि में लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा 100 रुपए प्रतिवर्ष के किराए पर उपयोग की जा रही 8 हैक्टेयर (पिछले वर्ष 8 हैक्टेयर) भूमि शामिल है जिसके लिए एनएचपीसी तथा एलडीएचसीएल के मध्य एक पट्टा करार किया गया है।

2.1.3 सकल ब्लॉक और मूल्यद्वारा के समायोजन में टीएलडी-III पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत पट्टा प्राप्तियों के रूप में मान्यताप्राप्त और पीपीई से विमान्यकृत राशि का समायोजन शामिल है, जिसे भारतीय लेखांकन मानक 116-पट्टों के तहत वित्त पट्टे के रूप में लेखांकित किया गया है। (टिप्पणी 34(16)(ख) देखें)

2.1.4 सेवा-II, किशनगंगा, चमेरा-III, तीस्ता लो डैम-III, उडी-II और तीस्ता लो डैम-IV पावर स्टेशनों के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।

2.1.5 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास साम्य रेहन/गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की सूचना हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 34(9) देखें।

2.1.6 परिसम्पत्तियों की हानि से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(18) देखें।

2.1.7 परिसम्पत्तियों के सकल ब्लॉक के समायोजन में शामिल विदेशी विनिमय दर अंतर निम्नानुसार है:-

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपये में)	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपये में)
सड़कें और पुल	(1.03)	-
भवन	(7.29)	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	(32.76)	-
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	(8.52)	-
संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	(0.07)	-
जल आपूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेंज	(0.04)	-
कुल	(49.71)	-

2.1.8 परिसम्पत्तियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यद्वारा के अनुसार सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्करा (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध-II में दिया गया है।

टिप्पणी 2.1 का अनुबंध-I:- 31 मार्च, 2021 को कंपनी के नाम पर आधारित अचल परिसंपत्तियों का स्वामित्व विलेख :-

तुलन-पत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहनीय मूल्य (करोड़ रुपये में)	के नाम में धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रमोटर/निदेशक का संबंधी अथवा प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	वह तारीख/वर्ष, जबसे संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम में धारित नहीं होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर - फ्रीहोल्ड भूमि	भूमि (1458.45 हेक्टेयर)	6.51	हिंद सरकार (भारत सरकार)	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (7.0844 हेक्टेयर)	36.07	विभिन्न पक्षकार	नहीं	27.09.2021	भूमि एनएचपीसी पार्वती-II के कब्जे में है। कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (4.69 हेक्टेयर)	6.33	विभिन्न पक्षकार	नहीं	14.07.2008	तीस्ता-V पावर स्टेशन के कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (0.09 हेक्टेयर)	0.01	प्रेम शेयरिंग लेप्पा	नहीं	31.03.2000	रंगित पावर स्टेशन के संबंध में, संपत्ति के वर्तमान स्वामी का निधन हो गया है। स्वामित्व विलेख का निष्पादन लंबित है।
	भूमि (0.10 हेक्टेयर)	0.0004	विभिन्न पक्षकार	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (74.95 हेक्टेयर)	0.00	भारत सरकार 74.04 हेक्टेयर और निजी भूमि 0.87 हेक्टेयर	नहीं	जनवरी, 1978 से	बैरास्पूल पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध-। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का अतिरिक्त प्रकटन

विवरण	सकल ब्याक				मूल्यहास				निवल ब्याक	
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि-फ्रीहोल्ड	392.37	13.64	0.30	405.40	-	-	-	-	405.40	392.37
सड़कें और पुल	405.63	4.41	0.14	402.23	159.26	11.66	(1.56)	169.36	232.87	246.37
भवन	3,130.33	31.38	0.52	2,966.45	1,166.52	76.13	(44.12)	1,198.53	1,767.92	1,963.81
रेलवे साइडिंग्स	36.10	-	-	31.98	36.10	-	(4.12)	31.98	-	-
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	22,543.91	19.77	0.18	21,464.61	10,136.67	748.75	(386.21)	10,499.21	10,965.40	12,407.24
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	11,293.72	147.22	53.88	10,726.38	5,178.89	350.85	(269.82)	5,259.92	5,466.46	6,114.83
संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	107.52	1.16	0.72	105.41	65.16	2.38	(0.96)	66.58	38.83	42.36
संयंत्र तथा मशीनरी - पारेषण लाइनें	98.27	1.11	-	97.59	49.09	4.04	(0.81)	52.32	45.27	49.18
संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	52.50	3.68	0.81	54.88	28.24	1.95	(0.80)	29.39	25.49	24.26
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	112.59	2.49	0.49	109.93	82.03	3.69	(1.92)	83.80	26.13	30.56
जलापूर्ति प्रणाली / नालियां और सीवरेंज	65.16	5.17	0.03	68.81	20.30	2.31	(0.30)	22.31	46.50	44.86
विद्युतीय संस्थापनाएं	17.37	1.18	-	18.33	2.81	0.71	(0.03)	3.49	14.84	14.56
वाहन	32.71	1.40	0.77	32.90	18.27	1.34	(0.62)	18.99	13.91	14.44
विमान / नौकाएं	2.15	0.17	0.05	2.17	0.71	0.14	(0.03)	0.82	1.35	1.44
फर्नीचर और फिक्सचर	62.08	1.74	0.36	61.40	36.05	2.14	(0.91)	37.28	24.12	26.03
कम्प्यूटर और सहायक	73.29	7.67	2.60	76.23	57.91	6.40	(3.77)	60.54	15.69	15.38
संचार उपस्कर	17.94	1.23	0.33	18.76	9.41	0.65	(0.30)	9.76	9.00	8.53
कार्यालय उपस्कर	164.05	11.44	2.29	170.34	91.51	6.54	(3.13)	94.92	75.42	72.54
कुल	38,607.69	254.86	63.47	36,813.80	17,138.93	1,219.68	(719.41)	17,639.20	19,174.60	21,468.76
विगत वर्ष	38,595.53	386.17	39.13	38,607.69	15,654.84	1,541.74	(21.80)	17,138.93	21,468.76	

टिप्पणी :-

उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत "भूमि - उपयोग का अधिकार" हेतु आकलित 10494.51 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 10491.91 करोड़ रूपए) राशि के भूमिगत कार्यों को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के संगत शीर्षों में शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.2: चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2022 को
सड़कें और पुल	8.28	11.87	0.42	4.42	16.15
भवन	921.72	206.28	0.39	27.39	1,101.00
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	5,581.94	962.06	(2.14)	78.22	6,463.64
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,658.90	129.46	(0.09)	100.25	2,688.02
संयंत्र तथा मशीनरी – सब-स्टेशन	2.41	1.74	-	0.42	3.73
संयंत्र तथा मशीनरी – पारेषण लाइनें	2.38	1.02	-	0.30	3.10
संयंत्र तथा मशीनरी – अन्य	1.67	1.76	-	2.70	0.73
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेज	1.65	2.36	-	3.78	0.23
कम्प्यूटर	-	0.48	-	0.48	-
कार्यालयी उपस्कर	-	0.13	0.24	0.24	0.13
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही परिसंपत्तियां	11.24	30.75	-	30.37	11.62
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	182.02	18.12	-	-	200.14
निर्माण पर आरोप्य व्यय (टिप्पणी 32 और 2.2.9 देखें)	9,359.51	1,569.61	1.98	20.57	10,910.53
उप जोड़	18,731.72	2,935.64	0.80	269.14	21,399.02
घटाएं: चल रहे पूंजीगत कार्य के लिए किया गया प्रावधान (टिप्पणी 2.2.3 देखें)	954.58	7.47	-	-	962.05
उप जोड़ (क)	17,777.14	2,928.17	0.80	269.14	20,436.97
निर्माण भंडार	75.75	61.87	(0.48)	-	137.14
घटाएं: निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	0.33	0.02	(0.08)	-	0.27
उप जोड़ (ख)	75.42	61.85	(0.40)	-	136.87
कुल (क + ख)	17,852.56	2,990.02	0.40	269.14	20,573.84
विगत वर्ष	16,097.65	2,039.04	(94.12)	190.01	17,852.56

टिप्पणी:-

2.2.1 (क) 31 मार्च, 2022 को सीडब्ल्यूआईपी का एजिंग शेड्यूल

(करोड़ रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	की अवधि में सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	2,896.08	1,917.55	1,247.18	14,513.03	20,573.84
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	2,896.08	1,917.55	1,247.18	14,513.03	20,573.84

2.2.1 (ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निर्धारित सीडब्ल्यूआईपी का समापन शेड्यूल

(करोड़ रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	की अवधि में सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
पार्वती-II	9,147.00	-	-	-	9,147.00
सुबानसिरी लोअर परियोजना	7,189.75	3,289.47	-	-	10,479.22
कुल	16,336.75	3,289.47	-	-	19,626.22

2.2.2 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) में वर्ष के दौरान पूंजीकृत ऋण लागत के निमित्त 1029.14 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 996.87 करोड़ रुपये) शामिल है। (टिप्पणी-32 भी देखें)

- 2.2.3 चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 156.27 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 138.52 करोड़ रुपये) के सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार सहित 1234.97 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1192.72 करोड़ रुपये) का संचयी व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रुपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित हैं, जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी विकासकर्ता को सौंपने का निर्णय लिया गया है। तथापि, परियोजना को सौंपने और उस पर किए व्यय की वसूली लम्बित होने तक, पर्याप्त सावधानी के रूप में खाते में यह राशि पहले ही उपलब्ध करवाई गई है। कंपनी के पास परियोजनाओं से संबंधित 1191.45 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1149.20 करोड़ रुपये) के शेष में से, 918.48 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 911.06 करोड़ रुपये) की राशि, जिसमें अनिश्चितताएं शामिल हैं और 272.97 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 238.14 करोड़ रुपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित हैं जिन्हें स्वीकृति मिलने की तर्कसंगत निश्चितता है, को अग्रणीत किया जाता है। (टिप्पणी 34(24), 34(25), 34(26) और 34(27) भी देखें)
- 2.2.4 सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते, इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा खर्च की गई राशि की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को लेखांकित किया गया है। सियांग लोअर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडिल (सुबानसिरी बेसिन में) निजी विकासकर्ता को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लेखाओं के निपटान से उत्पन्न होने वाली देयता, यदि कोई हो तो संबंधित यह निजी विकासकर्ता से वसूली योग्य है।
- 2.2.5 परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार के तहत वर्गीकृत “भूमि – उपयोग का अधिकार” संबंधी सृजित 2469.60 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2317.10 करोड़ रुपये) राशि के भूमिगत कार्यों को चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 2.2.6 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास साम्य गिरवी रखी गई। गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(9) देखें।
- 2.2.7 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निर्माणाधीन परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय हेतु समय की अवधि में संशोधन होते हैं क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती हैं और कुछ परियोजनाओं में आकलन से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते, किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में अग्रणीत किया जाता है।
- 2.2.8 परिसंपत्तियों की हानियों से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(18) देखें।
- 2.2.9 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) में सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्य पर व्यय के लिए 158.50 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसके निमित्त भारत सरकार से 74.07 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्राप्त अनुदान को ‘अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों’ (टिप्पणी-19.1) के अंतर्गत मान्यता दी गई है और परियोजना के उपयोगी जीवनकाल में व्यवस्थित आधार पर परियोजना के चालू होने के बाद लाभ और हानि के विवरण में परिशोधित किया जाएगा।

टिप्पणी सं. 2.2: चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2021 को
सड़कें और पुल	7.13	5.56	-	4.41	8.28
भवन	929.54	45.71	(21.58)	31.95	921.72
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	5,031.26	612.96	(47.81)	14.47	5,581.94
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,650.57	106.17	(12.09)	85.75	2,658.90
संयंत्र तथा मशीनरी – सब-स्टेशन	-	2.41	-	-	2.41
संयंत्र तथा मशीनरी – पारेषण लाइनें	1.52	1.13	-	0.27	2.38
संयंत्र तथा मशीनरी –अन्य	0.49	2.34	-	1.16	1.67
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेज	2.95	3.51	-	4.81	1.65
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही परिसंपत्तियां	15.02	34.02	(3.96)	33.84	11.24
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	162.02	21.78	(0.31)	1.47	182.02
निर्माण पर आरोप्य व्यय (टिप्पणी 32 देखें)	8,028.63	1,348.08	(5.32)	11.88	9,359.51
उप जोड़	16,829.13	2,183.67	(91.07)	190.01	18,731.72
घटाएं: चल रहे पूंजीगत कार्य के लिए किया गया प्रावधान (टिप्पणी 2.2.3 देखें)	820.78	144.63	(10.83)	-	954.58
उप जोड़ (क)	16,008.35	2,039.04	(80.24)	190.01	17,777.14

विवरण	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2021 को
निर्माण भंडार	90.65		(14.90)		75.75
घटाएं: निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.35		(1.02)		0.33
उप जोड़ (ख)	89.30	-	(13.88)	-	75.42
कुल (क + ख)	16,097.65	2,039.04	(94.12)	190.01	17,852.56
विगत वर्ष	14,898.11	1,503.81	(16.58)	287.69	16,097.65

टिप्पणी:-

2.2.1 (क) 31 मार्च, 2021 को सीडब्ल्यूआईपी का एजिंग शेड्यूल

(करोड़ रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	की अवधि में सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	1,990.83	1,318.12	1,023.44	13,520.17	17,852.56
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	1,990.83	1,318.12	1,023.44	13,520.17	17,852.56

2.2.1 (ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निर्धारित सीडब्ल्यूआईपी का समापन समय

(करोड़ रुपये में)

सीडब्ल्यूआईपी	की अवधि में सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
पार्वती-II	-	8,455.18			8,455.18
सुबानसिरी लोअर परियोजना	3.49	5,168.93	3,289.47		8,461.89
कुल	3.49	13,624.11	3,289.47	-	16,917.07

2.2.2 निर्माण पर आरोग्य व्यय (ईएसी) में वर्ष के दौरान पूँजीकृत ऋण लागत के निमित्त 996.87 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 661.79 करोड़ रुपये) शामिल है। (टिप्पणी-32 भी देखें)

2.2.3 चल रहे पूँजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 138.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 119.54 करोड़ रुपये) के सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार सहित 1192.72 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1141.05 करोड़ रुपये) का संचयी व्यय शामिल है। इसमें से 43.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रुपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित हैं, जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी विकासकर्ता को सौंपने का निर्णय लिया गया है। तथापि, परियोजना को सौंपने और उस पर किए व्यय की वसूली लम्बित होने तक, पर्याप्त सावधानी के रूप में बहियों में यह राशि पहले ही उपलब्ध करवाई गई है। कंपनी के पास परियोजनाओं से संबंधित 1149.20 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1097.53 करोड़ रुपये) के शेष में से, 911.06 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 777.26 करोड़ रुपये) की राशि, जहाँ अनिश्चितताएं जुड़ी हुई हैं और 238.14 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 320.27 करोड़ रुपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित हैं जिन्हें स्वीकृति मिलने की तर्कसंगत निश्चितता है, को अग्रणीत किया जाता है। (टिप्पणी 34(24), 34(25), 34(26) और 34(27) भी देखें)

2.2.4 सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते, इन परियोजनाओं पर कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को लेखांकित किया गया है। सियांग लोअर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडिल (सुबानसिरी बेसिन में) निजी विकासकर्ता को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लेखाओं के निपटान से उत्पन्न होने वाली देयता, यदि कोई हो, संबंधित निजी विकासकर्ता से वसूलीयोग्य है।

2.2.5 परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार के तहत वर्गीकृत "भूमि - उपयोग का अधिकार" संबंधी सृजित 2317.10 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2234.15 करोड़ रुपये) राशि के भूमिगत कार्यों को चल रहे पूँजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.2.6 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास साम्य गिरवी रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(9) देखें।

2.2.7 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निर्माणाधीन परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय में समय की अवधि में संशोधन होते हैं क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती हैं और कुछ परियोजनाओं में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते, किए गए व्यय को चल रहे पूँजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में अग्रणीत किया जाता है।

2.2.8 परिसम्पत्तियों की हानियों से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(18) देखें।

2.2.9 नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के बाद, कंपनी ने वर्ष के दौरान बैरास्पूल पावर स्टेशन की यूनिट 1 को चालू और पूँजीकृत किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.3 उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्याक		मूल्यांश		निवल ब्याक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि - पट्टाधारित (टिप्पणी 2.3.1(क) देखें)	311.94	4.09	0.45	0.24	315.82	267.57
पट्टे के अधीन भवन	5.40	0.41	0.73	-	5.08	2.35
वाहन	4.40	4.97	-	-	9.37	1.26
भूमि - उपयोग का अधिकार (टिप्पणी 2.3.1(ख) देखें)	1,524.95	45.64	-	1.86	1,572.45	1,481.74
कुल	1,846.69	55.11	1.18	2.10	1,902.72	1,752.92
वित्त वर्ष	1,904.18	3.04	18.12	(42.41)	1,846.69	1,752.92

टिप्पणी:-

2.3.1 (क) कंपनी के नाम पर धारित न की गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख के संबंध में प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध-I के रूप में दिया गया है।

(ख) भूमि-उपयोग के अधिकार में वह वन भूमि शामिल है जिसे राज्य वन विभाग ने केवल परियोजना द्वारा उपयोग के लिए डायवर्ट किया है।

2.3.2 परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(18) देखें।

2.3.3 परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएपी के तहत संचित मूल्यमहास के अनुसार उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध-II में दिए गए हैं।

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुबंध-31 मार्च, 2022 को कंपनी के नाम पर धारित न की गई लीज होल्ड भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख/पट्टा विलेख/स्यूटेशन

तुलन-पत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहीन मूल्य (करोड़ रुपये में)	के नाम में धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रमोटर/निदेशक का संबंधी अथवा प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	वह तारीख/वर्ष, जबसे संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम में धारित नहीं होने का कारण
परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार - लीजहोल्ड भूमि	भूमि (122.92 हेक्टेयर)	140.86	जम्मू-कश्मीर सरकार के जो एनएचपीसी के नियंत्रणाधीन	नहीं	24.03.2011	किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में भूमि के दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (28.13 हेक्टेयर)	18.53	सरकारी भूमि	नहीं	2006-2011	उरी-II पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (219.56 हेक्टेयर)	6.15	सरकारी भूमि	नहीं	1984 से	दुलहस्ती पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (175.40 हेक्टेयर)	3.21	सरकारी भूमि	नहीं	24.05.2021	सौर परियोजना गंजम के संबंध में। पट्टा कवर प्रक्रियाधीन है।

तुलन-पत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहीनय मूल्य (करोड़ रुपये में)	के नाम में धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रमोटर/निदेशक का संबंधी अथवा प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	वह तारीख/वर्ष, जबसे संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम में धारित नहीं होने का कारण
	भूमि (3.99 हेक्टेयर)	0.27	जेकेपीडीसी	नहीं	31.07.2003	जुटक पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (7.72 हेक्टेयर)	0.19	जेकेपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू व कश्मीर)	नहीं	2000 से	सेवा-II पावर स्टेशन के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मामला जेकेपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू-कश्मीर) के साथ नियमित पत्राचार के अधीन है। संबंधित राज्य विभाग से एनओसी अभी भी प्रतीक्षित है।
	भूमि (11.32 हेक्टेयर)	0.15	सरकारी भूमि	नहीं	1991-92	उरी-I पावर स्टेशन के संबंध में मामला न्यायालय / राज्य राजस्व प्राधिकरण में लंबित है।
	भूमि (0.34 हेक्टेयर)	0.06	सरकारी भूमि	नहीं	30.09.2010	निम्नो बाजगो पावर स्टेशन के संबंध में एनएचपीसी के पक्ष में स्वामित्व विलेख के निष्पादन के लिए पट्टा विलेख का प्रारूप तहसीलदार, लेह को प्रदान किया गया है।
	भूमि (1.56 हेक्टेयर)	0.02	सरकारी भूमि	नहीं	1984	चमेरा-I पावर स्टेशन के संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
	भूमि (2.72 हेक्टेयर)	0.00	सरकारी भूमि	नहीं	2004	सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुबंध-II उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां

उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक		मूल्यहास		निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि - पट्टाधारित	325.09	4.09	0.45	(0.02)	328.71	267.57
पट्टे के अधीन भवन	5.40	0.41	0.73	-	5.08	2.35
वाहन	4.40	4.97	-	-	9.37	1.26
भूमि-उपयोग का अधिकार	1,552.04	45.64	-	-	1,597.68	1,481.74
कुल	1,886.93	55.11	1.18	(0.02)	1,940.84	1,752.92
विगत वर्ष	1,946.54	3.04	18.12	(44.53)	1,886.93	1,752.92

टिप्पणी सं. 2.3 उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक		मूल्यहास		निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि - पट्टाधारिता (टिप्पणी 2.3.1(क) देखें)	315.44	-	-	(3.50)	311.94	33.65
पट्टे के अधीन भवन	21.27	1.47	17.34	-	5.40	2.38
वाहन	3.44	1.57	0.61	-	4.40	1.93
भूमि - उपयोग का अधिकार (टिप्पणी 2.3.1(ख) देखें)	1,564.03	-	0.17	(38.91)	1,524.95	39.24
कुल	1,904.18	3.04	18.12	(42.41)	1,846.69	77.20
विगत वर्ष	14.90	636.87	0.37		1,904.18	27.32
						(0.10)
						77.20
						1,826.98

टिप्पणी:-

2.3.1 (क) कंपनी के नाम पर धारित न की गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख के संबंध में प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध-I के रूप में दिया गया है।

(ख) भूमि-उपयोग के अधिकार में वह वन भूमि शामिल है जिसे राज्य वन विभाग ने केवल परियोजना द्वारा उपयोग के लिए डायवर्ट किया है।

2.3.2 परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित सूचना के लिए एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(18) देखें।

2.3.3 सकल ब्लॉक और मूल्यहास के समायोजन में टीएलडी-III पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत पट्टा प्राप्ति के रूप में मान्यताप्राप्त और पीपीई से विमान्यकृत राशि के लिए समायोजन शामिल है, जिसे भारतीय लेखांकन मानक 116-पट्टों के तहत वित्त पट्टे के रूप में लेखांकित किया गया है। (टिप्पणी 34(16)(ख) देखें)

2.3.4 परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएएपी के तहत संचित मूल्यमहास के अनुसार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध-II में दिए गए हैं।

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुबंध-I 31 मार्च, 2021 को कंपनी के नाम पर धारित न की गई लीज होल्ड भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख/पट्टा विलेख/म्यूटेशन

तुलन-पत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहनीय मूल्य (करोड़ रुपये में)	के नाम में धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रमोटर/निदेशक का संबंधी अथवा प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	वह तारीख/वर्ष, जबसे संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम में धारित नहीं होने का कारण
परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार - लीजहोल्ड भूमि	भूमि (122.92 हेक्टेयर)	140.86	जम्मू-कश्मीर सरकार के जो एनएचपीसी के नियंत्रणाधीन	नहीं	24.03.2011	किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में भूमि के दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (28.13 हेक्टेयर)	18.53	सरकारी भूमि	नहीं	2006-2011	उरी-II पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।
	भूमि (219.56 हेक्टेयर)	6.15	सरकारी भूमि	नहीं	1984 से	दुलहस्ती पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।

तुलन-पत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहीनय मूल्य (करोड़ रुपये में)	के नाम में धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रमोटर/निदेशक का संबंधी अथवा प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	वह तारीख/वर्ष, जबसे संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम में धारित नहीं होने का कारण
	भूमि (175.40 हेक्टेयर)	3.21	सरकारी भूमि	नहीं	24.05.2021	सौर परियोजना गंजम के संबंध में पट्टा कसार प्रक्रियाधीन है।
	भूमि (7.72 हेक्टेयर)	0.19	जेकेपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू व कश्मीर)	नहीं	2000 से	सेवा-II पावर स्टेशन के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मामला जेकेपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू-कश्मीर) के साथ नियमित पत्राचार के अधीन है। संबंधित राज्य विभाग से एनओसी अभी भी प्रतीक्षित है।
	भूमि (11.32 हेक्टेयर)	0.15	सरकारी भूमि	नहीं	1991-92	उरी-I पावर स्टेशन के संबंध में मामला न्यायालय/राज्य राजस्व प्राधिकरण में लंबित है।
	भूमि (0.34 हेक्टेयर)	0.06	सरकारी भूमि	नहीं	30.09.2010	निम्नो बाजगो पावर स्टेशन के संबंध में एनएचपीसी के पक्ष में स्वामित्व विलेख के निष्पादन के लिए पट्टा विलेख का प्रारूप तहसीलदार, लेह को प्रदान किया गया है।
	भूमि (1.56 हेक्टेयर)	0.02	सरकारी भूमि	नहीं	1984	चमेरा-I पावर स्टेशन के संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
	भूमि (2.72 हेक्टेयर)	0.00	सरकारी भूमि	नहीं	2004	सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुबंध-II उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां

उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लाक		मूल्यहास		निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि - पट्टाधारित	328.85	-	-	(3.76)	325.09	47.06
पट्टे के अधीन भवन	21.27	1.47	17.34	-	5.40	2.38
वाहन	3.44	1.57	0.61	-	4.40	1.93
भूमि-उपयोग का अधिकार	1,592.98	-	0.17	(40.77)	1,552.04	68.19
कुल	1,946.54	3.04	18.12	(44.53)	1,886.93	119.56
विगत वर्ष	14.90	636.87	0.37	(0.01)	1,946.54	27.32
					(10.85)	134.01
					25.30	1,752.92
					(0.10)	1,826.98

(करोड़ रूपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास			निवल ब्लॉक		
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
कुल	4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
विगत वर्ष	4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई राशि

विवरण		31.03.2022 को	31.03.2021 को
किराया आय	शून्य	शून्य	शून्य
किराया आय सृजित करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनात्मक व्यय	शून्य	शून्य	शून्य
किराया आय सृजित न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनात्मक व्यय	शून्य	शून्य	शून्य
		31.03.2022 को	31.03.2021 को
		78-90	72-87

2.4.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

2.4.3 निवेश संपत्ति में वह फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी की सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण, कंपनी संपत्ति के भावी उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर-निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। प्रकट किया गया उचित मूल्य कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियमावली, 2017 के नियम (2) के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है और इसे उचित मूल्यांकन के स्तर-II में माना गया है।

टिप्पणी सं. 2.4 निवेश संपत्ति

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास		निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 वर्ष के लिए	31.03.2021 को
भूमि - फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	-	-	4.49
कुल	4.49	-	-	-	-	-	4.49
विगत वर्ष	4.49	-	-	-	-	-	4.49

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई राशि

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
किराया आय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
किराया आय सृजित करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनात्मक व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
किराया आय सृजित न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनात्मक व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.4.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

2.4.3 निवेश संपत्ति में वह फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे कंपनी की सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण, कंपनी संपत्ति के भावी उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर-निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर निकाला गया है तथा इसे उचित मूल्यांकन के स्तर-II में माना गया है।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	सकल ब्लाक			परिशोधन		निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 वर्ष के लिए	31.03.2022 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	15.59	4.23	-	-	19.82	12.07	16.71
कुल	15.59	4.23	-	-	19.82	12.07	16.71
विगत वर्ष	10.96	5.03	0.17	(0.23)	15.59	10.24	12.07

टिप्पणी :-

2.5.1 परिसम्पत्तियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएपी के तहत संचित मूल्यमहास के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध-II में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.5 का अनुबंध-। अमूर्त परिसंपत्तियां अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक			परिशोधन			निवल ब्लाक				
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2021 को	
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	52.87	4.23	0.05	(0.08)	56.97	49.35	4.63	(0.12)	53.86	3.11	3.52
कुल	52.87	4.23	0.05	(0.08)	56.97	49.35	4.63	(0.12)	53.86	3.11	3.52
विगत वर्ष	48.59	5.03	0.47	(0.28)	52.87	47.87	2.22	(0.74)	49.35	3.52	

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक		परिशोधन				निवल ब्लाक		
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2020 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	10.96	5.03	0.17	(0.23)	15.59	10.24	2.22 (0.39)	12.07	3.52 0.72
कुल	10.96	5.03	0.17	(0.23)	15.59	10.24	2.22 (0.39)	12.07	3.52 0.72
विगत वर्ष	943.52	0.66	0.03		10.96	36.86	0.95 (0.03)	10.24	0.72

टिप्पणी:-

2.5.1 परिसम्पत्तियों के सकल ब्लॉक तथा पूर्ववर्ती जीएपी के तहत संचित मूल्यहास के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन इस टिप्पणी के अनुबंध-। में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.5 का अनुबंध-। अमूर्त परिसंपत्तियां अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक		परिशोधन			निवल ब्लाक					
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	48.59	5.03	0.47	(0.28)	52.87	47.87	2.22	(0.74)	49.35	3.52	0.72
कुल	48.59	5.03	0.47	(0.28)	52.87	47.87	2.22	(0.74)	49.35	3.52	0.72
विगत वर्ष	1,010.24	0.66	0.17		48.59	103.58	0.95	(0.17)	47.87	0.72	

टिप्पणी सं. 3.1: गैर-वर्तमान निवेश

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपये में)
क उद्धृत इक्विटी दस्तावेज – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर कारपोरेट निकाय				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त) (10/- रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	12000000	98.70	12000000	93.30
कुल (क)		98.70		93.30
ख अनुद्धृत इक्विटी दस्तावेज – लागत पर				
(i) सहायक कम्पनियों (पूर्णतः प्रदत्त)				
– एनएचडीसी लिमिटेड (टिप्पणी सं. 34(8) देखें) (1000/-रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	10024200	1002.42	10024200	1002.42
– लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (टिप्पणी सं. 34(8) और 34(17) देखें) (10/- रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	103342309	103.34	98902309	98.90
– बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (टिप्पणी 34(8) और 34(17) देखें) (10/- रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	84220893	84.22	16263500	16.26
– लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (टिप्पणी 34(8) और 34(17) देखें) (10/- रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	1440500000	1440.50	970500000	970.50
– जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (टिप्पणी 34(8) और 34(17) देखें) (10/- रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	281486,000	281.49	-	-
– रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (टिप्पणी 34(8) और 34(17) देखें) (10/- रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	136140000	136.14	-	-
(ii) संयुक्त उद्यम (पूर्णतः प्रदत्त)				
– चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (टिप्पणी 34(8) और 34(17) देखें) अंकित मूल्य पर अधिग्रहित (10/- रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य) प्रत्येक 10.27 रुपये के मूल्य पर अधिग्रहित (10/- रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य) (टिप्पणी 3.1.5 देखें)	1835371286 4080000	1835.37 4.19	1287850000 -	1287.85 -
– नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड (टिप्पणी 34(8) और 34(18) देखें) (10/- रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	30400000	30.40	30400000	30.40
उप-जोड़ (ख)		4918.07		3406.33
घटाएं: निवेश के मूल्य में हानि (टिप्पणी सं 3.1.6 देखें)		14.07		-
कुल (ख)		4904.00		3406.33
ग उद्धृत ऋण दस्तावेज – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर				

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपये में)
(क) सरकारी प्रतिभूतियां (टिप्पणी 3.1.2 और 3.1.4 देखें)				
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 27 मार्च, 2024 (10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	150000	158.43	150000	162.28
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 15 सितंबर, 2024 (10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	12380	13.12	12380	13.37
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 21 सितंबर, 2027 (10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	57000	61.82	57000	63.04
8.26 प्रतिशत भारत सरकार 02 अगस्त, 2027 (10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	17940	19.39	17940	19.78
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 15 फरवरी, 2032 (10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	35000	38.20	35000	39.26
8.32 प्रतिशत भारत सरकार 02 अगस्त, 2032 (10000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	34000	37.17	34000	38.24
उप जोड़ (क)		328.13		335.97
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और निगमित कंपनी के बांड				
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बाण्ड 15.11.2032 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	120	13.79	120	13.79
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बाण्ड 27.03.2027 (1000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	100000	12.23	100000	12.50
8.48 एनएचएआई कर मुक्त 22.11.2028 (10,00,000/- रूपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	473	57.49	473	59.79
उप जोड़ (ख)		83.51		86.08
कुल (ग) (क + ख)		411.64		422.05
कुल (क + ख + ग)		5414.34		3921.68

- 3.1.1 (i) उद्धृत निवेश की समग्र राशि और बाजार मूल्य 510.34 515.35
(ii) अनुद्धृत निवेश की समग्र राशि 4904.00 3406.33
- 3.1.2 174.31 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 165.50 करोड़ रूपए) लागत पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिपक्व हो रहे बांड के कुल चुकौती मूल्य के 15 प्रतिशत होते हुए 174.31 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 165.42 करोड़ रूपए) के प्रति प्रतिभूति के रूप में निर्धारित किया गया है।
- 3.1.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार यथा अपेक्षित निवेश के ब्यौरे उपर्युक्त टिप्पणी सं. 3.1 के अंतर्गत प्रकट किये गये हैं।
- 3.1.4 ऋण दस्तावेजों के संबंध में उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य, जिसके लिए पिछला उद्धरण उपलब्ध नहीं है, उसे फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरीवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित मूल्य के आधार पर माना गया है।
- 3.1.5 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, एनएचपीसी ने संयुक्त उद्यम भागीदारों में से एक, मैसर्स पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड से 12 मई, 2021 की स्थिति के अनुसार सीवीपीपीपीएल की 2% इक्विटी शेयरों की राशि की शेयरधारिता के अधिग्रहण के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। के सीवीपीपीपीएल के 40,80,000 शेयरों (प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपये) के अधिग्रहण के लिए मैसर्स पीटीसी (इंडिया) लिमिटेड को 4.19 करोड़ रुपये का खरीद प्रतिफल का भुगतान कर दिया गया है। सीवीपीपीपीएल के शेयर एनएचपीसी को आर्बिट्रिट कर दिए गए हैं और लागत पर मान्यता दी गई है।
- 3.1.6 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड में किए गए निवेश के संबंध में 14.07 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की हानि का प्रावधान किया है।

टिप्पणी संख्या 3.2 गैर-वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिशोधित लागत पर		
क. संबद्ध पक्षकार को ऋण (उस पर ब्याज सहित) – अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित * और #		
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड (टिप्पणी 34(8) एवं 3.2.1 देखें)	17.48	18.40
ख कर्मचारियों को ऋण (टिप्पणी 3.2.1 देखें और टिप्पणी 3.2.2 देखें)		
– अच्छे माने गए – प्रतिभूतित	137.27	108.55
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	59.92	56.70
उप-जोड़	197.19	165.25
ग अरुणाचल प्रदेश सरकार को ब्याज सहित ऋण (टिप्पणी 3.2.2 एवं 3.2.4 देखें) [#]		
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	802.92	736.62
उप-जोड़	802.92	736.62
कुल	1,017.59	920.27

* चुकोती का ब्यौरा:- दिनांक 11.05.2018 को 6.00 करोड़ रुपये और दिनांक 31.03.2021 को वार्षिक 10% की दर से 12.40 करोड़ रुपये दिए गए थे। ऋण की अदायगी दिनांक 31.10.2022 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में की जा सकती है। ब्याज दिनांक 30.04.2021 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर को अर्धवार्षिक देय है।

व्यावसायिक प्रयोजन के लिए प्रदत्त ऋणों को दर्शाता है।

3.2.1 ऋण की प्रकृति में वे ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	शून्य	शून्य
ऋण की प्रकृति में वे ऋण और अग्रिम जो बिना किसी शर्त अथवा चुकोती की अवधि का उल्लेख किए बिना हैं।	शून्य	शून्य
3.2.2 कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से बकाया	0.34	0.06
3.2.3 अरुणाचल प्रदेश सरकार के ऋण में निम्नलिखित शामिल है:		
– मूलधन	225.00	225.00
– ब्याज	577.92	511.62
3.2.4 ऋण वे गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, जिनसे कंपनी को निर्धारित अथवा परिवर्तनशील ब्याज आय प्राप्त होती है। वहनीय मूल्य दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम में परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है।		
3.2.5 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) के अनुसार अपेक्षित ऋणों का विवरण उपरोक्त टिप्पणी 3.2 के तहत प्रकट किया गया है।		
3.2.6 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।		

टिप्पणी संख्या 3.3 गैर-वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क जमा		
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	23.19	23.00
उप-जोड़	23.19	23.00
ख 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा राशि (टिप्पणी 3.3.3 देखें)	0.35	0.35
ग पट्टा किराया प्राप्य (वित्त पट्टा) (टिप्पणी 34(16)(ख) देखें)	2,435.91	2,563.17
घ भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए वसूलीयोग्य राशि (टिप्पणी 3.3.1 और 11(I) देखें)	2,017.20	2,017.20
ङ निम्नलिखित पर प्रोद्भूत ब्याज:		
– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	-	0.05
च बाजार परिसंपत्ति का व्युत्पन्न चिह्न	22.35	18.21
छ लंबित आवंटन के साथ शेयर अनुप्रयोग राशि – सहायक/संयुक्त उद्यम (टिप्पणी 3.3.2 देखें)	3.78	318.29
कुल	4,502.78	4,940.27

3.3.1 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों की देय राशि के संबंध में टिप्पणी संख्या 16.3.1 देखें।

3.3.2 लंबित आवंटन युक्त शेयर अनुप्रयोग राशि में निम्नलिखित सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनी में शेयर पूंजी के अभिदान के निमित्त अंशदान शामिल हैं:-

(करोड़ रुपये में)

सहायक कंपनी	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (शेयर आवंटन की तारीख 18 अप्रैल, 2021)	-	28.14
जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (शेयर आवंटन की तारीख 6 मई, 2021)	-	165.00
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (शेयर आवंटन की तारीख 21 अप्रैल, 2021)	-	25.00
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (शेयर आवंटन की तारीख 13 अप्रैल, 2022)	2.22	-
रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (शेयर आवंटन की तारीख 1 अप्रैल, 2022)	1.56	-
संयुक्त उद्यम कंपनी		
क. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (शेयर आवंटन की तारीख 5 अप्रैल, 2021)	-	100.15
कुल	3.78	318.29

3.3.3 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशियों में 0.35 करोड़ रुपये का एफडीआर शामिल है जिसे कंपनी द्वारा विद्युत कनेक्शन लेने के लिए जारी बैंक गारंटी के निमित्त 100% मार्जिन राशि प्रदान करने के लिए लिया गया है।

3.3.4 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।

टिप्पणी संख्या 4 गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	726.90	-
घटाएं: वर्तमान कर के लिए प्रावधान	719.74	-
गैर-वर्तमान कर (टिप्पणी संख्या 23 देखें)	2.36	-
कुल	9.52	-

टिप्पणी सं. 5 : अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. पूंजी अग्रिम		
— अच्छे माने गए — प्रतिभूतित	64.07	56.70
— अच्छे माने गए — अप्रतिभूतित		
— बैंक गारंटी के बदले	150.04	154.00
— अन्य	370.90	175.79
घटाएं: लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र में बुक किए गए व्यय	19.28	19.18
— संदिग्ध माने गए — अप्रतिभूतित	6.07	6.07
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 5.1 देखें)	6.07	6.07
उप जोड़	565.73	367.31
ख. पूंजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम		
i) जमा		
— अच्छे माने गए — अप्रतिभूतित	51.15	49.35
— संदिग्ध माने गए — अप्रतिभूतित	-	-
घटाएं: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 5.2 देखें)	-	-
उप जोड़	51.15	49.35
ii) अन्य अग्रिम		
— अच्छे माने गए — अप्रतिभूतित	3.06	0.24
उप जोड़	3.06	0.24
ग. प्रोद्भूत ब्याज		
अन्य		
— अच्छे माने गए	1.44	2.52
उप जोड़	1.44	2.52
घ. अन्य		
i) पूंजीगत कार्यों के निमित्त मध्यस्थता निर्णयों के लिए अग्रिम (अप्रतिभूतित)		
ठेकेदारों को जारी — बैंक गारंटी के बदले	1,140.40	1,140.45
ठेकेदारों को जारी — अन्य	34.61	34.61
न्यायालय में जमा किए गए	1,420.48	1,383.31
उप जोड़	2,595.49	2,558.37
ii) आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां/व्यय		
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	260.15	356.93
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	224.43	173.83
उप जोड़	484.58	530.76
iii) कर्मचारी को दिए गए अग्रिमों पर आस्थगित लागत	52.51	52.16
कुल	3,753.96	3,560.71
5.1 संदिग्ध अग्रिमों हेतु भत्ते		
प्रारंभिक शेष	6.07	10.20
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	4.13
अंतिम शेष	6.07	6.07
5.2 संदिग्ध जमा हेतु भत्ते		
प्रारंभिक शेष	0.04	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.04
अंतिम शेष	-	-
5.3 वर्ष के अंत में निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से देय अग्रिम	शून्य	शून्य
5.4 उन फर्मों अथवा निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिनमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है	शून्य	शून्य
5.5 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।		

टिप्पणी सं. 6 : वस्तु सूची

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(लागत अथवा निवल वसूली मूल्य के न्यूनतम पर मूल्यांकित)		
भंडार तथा कलपुर्जे	130.26	128.38
भंडार परगमन में/लंबित निरीक्षण	0.12	0.63
खुले औजार	2.48	2.03
रद्दी मालसूची	1.15	1.88
घटाएं: अप्रचलन तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 6.1 देखें)	3.71	8.50
कुल	130.30	124.42
6.1 अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	8.50	7.75
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी संख्या 6.1.1 देखें)	0.60	0.83
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित (टिप्पणी संख्या 6.1.2 देखें)	5.39	0.08
अंतिम शेष	3.71	8.50
6.1.1 वर्ष के दौरान, निवल वसूलीयोग्य मूल्य (एनआरवी) को पश्चलेखित वस्तु सूची और लाभ तथा हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गई।	0.60	0.83
6.1.2 पूर्ववर्ती वर्ष में बुक की गई और वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित वस्तु सूची के अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	5.39	0.08

टिप्पणी सं. 7 : वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – व्यापार प्राप्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
– व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित (टिप्पणी संख्या 7.2, 7.3, 7.4 और 7.7 देखें)	2,660.17	3,173.82
– व्यापार प्राप्य – बिल न किए गए – अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित (टिप्पणी संख्या 7.4 और 7.5 देखें)	1,961.31	1,358.67
– व्यापार प्राप्य – प्रभावित ऋण (टिप्पणी संख्या 7.2, 7.3 और 7.4 देखें)	35.33	33.76
घटाएं – व्यापार प्राप्य हेतु हानि प्रावधान (टिप्पणी संख्या 7.1 देखें)	35.33	33.76
कुल	4,621.48	4,532.49
7.1 व्यापार प्राप्यों के लिए हानि प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	33.76	37.71
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	3.95	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	2.38	3.95
अंतिम शेष	35.33	33.76
7.2 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण अथवा फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें क्रमशः कंपनी का कोई निदेशक, भागीदार अथवा निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य
7.3 कंपनी की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों तथा अन्य संबंधित पक्षों द्वारा देय ऋण।	17.60	10.37
7.4 व्यापार प्राप्तियों का समय बढ़ने की अनुसूची के लिए अनुबंध— की टिप्पणी संख्या—7 देखें।		

7.5 निम्न के कारण प्राप्य दर्शाता है:

जल उपयोग प्रभार	11.32	64.89
मार्च माह के लिए बिल न की गई बिक्री	585.16	481.59
एमईए बिक्री	6.11	7.12
2009-14 के लिए एनएपीएफ में संशोधन – सेवा-II पावर स्टेशन	32.97	49.52
प्रतिभूति व्यय सहित नए विनियम 2019-24 के अनुसार एफसी बिल और वसूलीयोग्य का प्रभाव	1,071.80	760.02
दर संशोधन – टीएलडीपी-III पावर स्टेशन	-	(157.12)
पुनःवित्तपोषण और बांड इश्यू व्ययों के कारण बचत	(23.22)	(23.33)
आस्थगित कर कार्यान्वयन सहित कर समायोजन	15.94	55.81
ऊर्जा की कमी	212.20	63.85
विदेशी विनियम दर अंतर	44.78	51.92
अन्य	4.25	4.40
कुल	1,961.31	1,358.67

7.6 वर्तमान व्यापार प्राप्यों की अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनकी वहनीय राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।

7.7 विभिन्न बैंकों से बिलों में छूट के माध्यम से परिसमाप्त 1323.90 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 726.03 करोड़ रुपये) की राशि के व्यापार प्राप्यों को बिल छूट करारों की शर्तों के अनुसार विमान्यकृत किया गया है, जिसके अनुसार कंपनी संबंधित लाभार्थियों से चूक के मामले में क्रेडिट हानियों के लिए बैंकों को क्षतिपूर्ति की गारंटी देती है। रियायती बिलों के संबंध में मान्यताप्राप्त देयताओं की टिप्पणी 20.1.1 देखें।

7.8 शेषों की पुष्टि हेतु एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 7 का अनुबंध-I:

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रुपये में)

विवरण	बिल न की गई	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए व्यापार प्राप्य देय और बकाया:					कुल
			6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए	1,961.31	55.82	2,126.43	432.95	24.03	19.09	1.85	4,621.48
(ii) विवादित व्यापार प्राप्य – प्रभावित ऋण	-	-	-	-	-	-	35.33	35.33
कुल	1,961.31	55.82	2,126.43	432.95	24.03	19.09	37.18	4,656.81

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रुपये में)

विवरण	बिल न की गई	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए व्यापार प्राप्य देय और बकाया:					कुल
			6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए	1,358.67	-	2,534.50	454.88	150.13	33.22	1.09	4,532.49
(ii) विवादित व्यापार प्राप्य – प्रभावित ऋण	-	-	-	-	-	-	33.76	33.76
कुल	1,358.67	-	2,534.50	454.88	150.13	33.22	34.85	4,566.25

टिप्पणी सं. 8: वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – नकदी और नकदी समतुल्य

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क बैंकों के पास शेष		
अनुसूचित बैंकों के पास		
i) चालू खाते में	937.78	145.56
ख हस्तगत नकदी (टिप्पणी सं. 8.1 देखें)	-	0.01
कुल	937.78	145.57

8.1 इसमें हस्तगत स्टाम्प शामिल हैं

- 0.01

टिप्पणी सं. 9: वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. 3 माह से अधिक और 12 माह तक की मूल परिपक्वता के लिए बैंक जमा (टिप्पणी संख्या 9.1 देखें)	86.76	655.81
ख जमा – भुगतान न किया गया लाभांश	47.54	23.47
ग. जमा – भुगतान न किया गया ब्याज	87.17	87.14
घ. बैंकों के पास अन्य अभिनिर्धारित शेष (टिप्पणी संख्या 9.2 देखें)	1.46	1.97
कुल	222.93	768.39
9.1 इसमें ऐसे शेष शामिल हैं जो अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों हेतु धारित हैं और कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।	86.76	155.81
9.2 इसमें ऐसे शेष शामिल हैं जो कंपनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं		
(i) अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित	0.87	1.41
(ii) माननीय उच्च न्यायालय सिविकम के आदेश के अनुसरण में सृजित एनएचपीसी आपातकालीन राहत निधि	0.59	0.56

टिप्पणी सं. 10: वित्तीय परिसंपत्ति – वर्तमान – ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. संबंधित पक्षकार को ऋण (उस पर ब्याज सहित) – अप्रतिभूतित (अच्छे माने गए)* – नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड (टिप्पणी सं. 34(8) और 10.1 देखें)	1.34	0.42
घटाएं: संदिग्ध उपार्जित ब्याज के लिए क्षति प्रावधान (टिप्पणी सं. 10.3 देखें)	0.42	-
उप जोड़	0.92	0.42
ख. कर्मचारियों को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित) (टिप्पणी संख्या 10.2 देखें)		
– ऋण प्राप्य – अच्छे माने गए – प्रतिभूतित	17.47	14.30
– ऋण प्राप्य – अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	37.29	33.36
– ऋण प्राप्य, जिनसे ऋण जोखिम में काफी वृद्धि हुई है	0.01	0.01
घटाएं: ऐसे ऋणों के लिए हानि प्रावधान, जिनसे ऋण जोखिम में काफी वृद्धि हुई है (टिप्पणी संख्या 10.4 देखें)	0.01	0.01
उप जोड़	54.76	47.66
कुल	55.68	48.08

* चुकौती का ब्यौरा:– दिनांक 11.05.2018 को 6.00 करोड़ रुपये और दिनांक 31.03.2021 को वार्षिक 10% की दर से 12.40 करोड़ रुपये दिए गए थे। ऋण की अदायगी दिनांक 31.10.2022 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में की जा सकती है। ब्याज दिनांक 30.04.2021 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर को अर्धवार्षिक देय है।

* व्यावसायिक प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए ऋणों को दर्शाता है।

10.1 ऋण की प्रकृति में वे ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	शून्य	शून्य
ऋण की प्रकृति में वे ऋण और अग्रिम जो बिना किसी शर्त अथवा चुकौती की अवधि का उल्लेख किए बिना हैं।	शून्य	शून्य
10.2 कंपनी के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों से बकाया (टिप्पणी संख्या 34(8) देखें)	0.08	0.22
10.3 संदिग्ध उपार्जित ब्याज के लिए हानि प्रावधान	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.42	-
अंतिम शेष	0.42	-
10.4 ऐसे ऋणों के लिए हानि प्रावधान, जिनसे ऋण जोखिम में काफी वृद्धि हुई है		
प्रारंभिक शेष	0.01	0.01
अंतिम शेष	0.01	0.01

- 10.5** ऐसी फॉर्मों अथवा निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम राशि, जिनमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य है शून्य शून्य
- 10.6** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार यथापेक्षित ऋणों के विवरणों को उपरोक्त टिप्पणी संख्या 10 के तहत प्रकट किया गया है।
- 10.7** शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 11: वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – अन्य

(करोड़ रुपए में)		
विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. जमा		
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	0.36	0.36
उप जोड़	0.36	0.36
ख. प्राप्य राशि	741.80	922.14
घटाएं – संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 11.1 देखें)	282.62	275.15
उप जोड़	459.18	646.99
ग. सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य (टिप्पणी सं. 11.3 और 34(8) देखें)	55.92	47.82
घ. विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य	78.71	121.97
ङ. प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा) (टिप्पणी सं. 34(16)(ख) देखें)	119.31	101.29
च. बैंक जमा पर प्रोद्भूत ब्याज आय (टिप्पणी सं. 11.2 देखें)	0.68	0.25
छ. लाभार्थी से वसूलीयोग्य ब्याज	10.55	141.42
ज. निवेश (बॉण्ड) पर प्रोद्भूत ब्याज	2.53	2.53
झ. भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों पर वसूलीयोग्य राशि (टिप्पणी सं. 3.3(घ) देखें)		
– प्रोद्भूत ब्याज	4.49	4.49
कुल	731.73	1,067.12
11.1 संदिग्ध वसूली हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	275.15	285.72
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	9.03	8.50
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	1.38	17.56
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.18	1.51
अंतिम शेष	282.62	275.15
11.2 अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित शेष राशि पर अर्जित ब्याज शामिल है और कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।	0.11	0.16
11.3 सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य में किरू और कवार जलविद्युत परियोजनाओं पर किये गये पूंजीगत व्यय के निमित्त कंपनी का दावा शामिल है जिन्हें मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन और पीटीसी इंडिया लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को अंतरित किया गया है।		
11.4 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(13) देखें।		

टिप्पणी सं. 12: वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रुपए में)		
विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
क. स्रोत पर काटे गए कर सहित अग्रिम आय कर	1,340.04	2,784.04
ख. घटाएं: वर्तमान कर के लिए प्रावधान	1,218.67	2,620.11
निवल वर्तमान कर परिसंपत्तियां (क-ख)	121.37	163.93
वापसी योग्य आय कर	1.80	1.80
कुल	123.17	165.73

टिप्पणी सं. 13: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. पूंजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम		
क) जमा		
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित	27.68	25.67
– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूतित	84.89	74.79
घटाएं: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान (टिप्पणी सं 13.1 देखें)	84.89	74.79
उप जोड़	27.68	25.67
ख) संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (टिप्पणी सं 13.7 देखें)		
– अच्छे माने गए – प्रतिभूतित	0.38	-
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित		
– बैंक गारंटी के प्रति	0.66	1.02
– अन्य	44.23	28.74
घटाएं: लंबित उपयोग प्रमाणपत्र के लिए बुक किया गया व्यय	17.45	12.41
– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूतित	45.52	45.52
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं 13.2 देखें)	45.52	45.52
उप जोड़	27.82	17.35
ग) अन्य अग्रिम – कर्मचारी		
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूतित (टिप्पणी सं 13.6 देखें)	0.80	0.67
उप जोड़	0.80	0.67
घ) प्रोद्भूत ब्याज:		
अन्य		
– अच्छे माने गए	1.67	1.32
उप जोड़	1.67	1.32
ख. अन्य		
क) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06	37.06
घटाएं: पश्चलेखन की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं 13.3 देखें)	37.06	37.06
उप जोड़	-	-
ख) पश्च लेखन स्वीकृति/लंबित जांच हेतु प्रतीक्षित हानियां	12.32	8.47
घटाएं: लंबित जांच/पश्चलेखन की प्रतीक्षा वाली/स्वीकृति की हानियां हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं 13.4 देखें)	12.32	8.47
उप जोड़	-	-
ग) पूर्वप्रदत्त व्यय	144.65	177.45
घ) कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत	11.65	9.29
ड) आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव		
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	44.02	50.03
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	6.36	4.56
च) अधिशेष/अप्रचलित परिसंपत्तियां (टिप्पणी सं 13.8 देखें)	6.81	10.82
उप जोड़	213.49	252.15
छ) प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट	77.24	28.78
घटाएं: प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट के लिए प्रावधान (टिप्पणी सं 13.5 देखें)	44.63	13.54
उप जोड़	32.61	15.24
ज) अन्य (टेकदारों को जारी सामग्री के संबंध में मुख्यतः)	137.07	59.68
कुल	441.14	372.08
13.1 संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	74.79	0.01
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	10.10	74.78
अंतिम शेष	84.89	74.79

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
13.2 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (संविदाकार और आपूर्तिकर्ता)		
प्रारंभिक शेष	45.52	45.52
अंतिम शेष	45.52	45.52
13.3 सियांग अपर परियोजना के संबंध में पश्चलेखन स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	37.06	37.06
अंतिम शेष	37.06	37.06
13.4 लंबित जांच/पश्चलेखन प्रतीक्षा वाली/स्वीकृति की हानियाँ हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	8.47	11.45
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	6.28	0.21
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	2.22	0.18
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.21	3.01
अंतिम शेष	12.32	8.47
13.5 प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट के लिए प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	13.54	-
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	31.09	13.54
अंतिम शेष	44.63	13.54
13.6 वर्ष के अंत में निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय ऋण तथा अग्रिम	शून्य	शून्य
13.7 उन फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम, जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य
13.8 निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्य तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कम पर दर्शाया गया है।		
13.9 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(13) देखें।		

टिप्पणी सं. 14 : विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(क) सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष		
प्रारंभिक शेष	3,470.59	3,470.59
अंतिम शेष	3,470.59	3,470.59
(ख) तृतीय वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन		
प्रारंभिक शेष	570.58	570.58
वर्ष के दौरान समायोजन (लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से) (टिप्पणी सं. 31 देखें)	(116.53)	-
वर्ष के दौरान समायोजन (अन्य व्यापक आय के माध्यम से) (टिप्पणी सं. 30.2 देखें)	2.33	-
अंतिम शेष	456.38	570.58
(ग) किशनगंगा पावर स्टेशन: टैरिफ के अनतिक्रम के कारण अंतरीय मूल्यहास		
प्रारंभिक शेष	563.11	367.60
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	198.35	195.51
अंतिम शेष	761.46	563.11
(घ) मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर		
प्रारंभिक शेष	1.72	0.02
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	(0.17)	1.70
अंतिम शेष	1.55	1.72
(ङ) 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूलीयोग्य आस्थगित कर के लिए समायोजन		
प्रारंभिक शेष	1,453.56	1,529.02
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	49.52	75.46
अंतिम शेष	1,404.04	1,453.56

(च) 2014-2019 और उससे आगे की टैरिफ अवधि के लिए आस्थगित कर देयताओं के लिए समायोजन

प्रारंभिक शेष	843.37	837.09
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	10.72	6.28
अंतिम शेष	854.09	843.37
अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ+च)	6,948.11	6,902.93
घटाएं: विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आस्थगित कर	(290.28)	(306.68)
जोड़ें: लाभार्थियों से वसूलीयोग्य आस्थगित कर	(290.28)	(306.68)
आस्थगित कर का निवल विनियामक आस्थगित लेखा शेष	6,948.11	6,902.93

14.1 एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(18) और 34(22) देखें।

टिप्पणी संख्या 14.2: विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
एमएटी क्रेडिट		
प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	1,313.27	-
अंतिम शेष	1,313.27	-

14.2.1 एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(18) और 34(22) देखें।

टिप्पणी संख्या 15.1: इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
प्राधिकृत शेयर पूंजी (सममूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	15000000000	15,000.00	15000000000	15,000.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों (सममूल्य प्रति शेयर 10/-रुपए)	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03

15.1.1 अवधि के शुरू में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान:

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
प्रारंभिक शेष	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03
अंतिम शेष	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03

15.1.2 कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर उनके लिए घोषित लाभांश प्राप्त करने के भी पात्र हैं। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमानी राशियों का वितरण करने के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

15.1.3 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए शेयर:

	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	संख्या	(प्रतिशत) में	संख्या	(प्रतिशत) में
— भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95%	7126772676	70.95%
— भारतीय जीवन बीमा निगम	704952213	7.02%	762090767	7.59%

15.1.4 तुलन पत्र की तारीख से तत्काल पूर्व के पांच वर्षों के दौरान 10 रुपये प्रत्येक के 21,42,85,714 इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की गई।

15.1.5 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95	शून्य

15.1.6 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95	शून्य

टिप्पणी सं. 15.2: अन्य इक्विटी

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(i) पूंजी मोचन आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2,255.71	2,255.71
तुलन-पत्र की तारीख को	2,255.71	2,255.71
(ii) बांड मोचन आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,641.95	1,948.38
घटाएं: अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन से अंतरण	275.70	306.43
तुलन-पत्र की तारीख को	1,366.25	1,641.95
(iii) सामान्य आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	9,724.72	9,724.72
तुलन-पत्र की तारीख को	9,724.72	9,724.72
(iv) अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	7,808.95	5,877.69
जोड़ें - वर्ष के दौरान लाभ	3,537.71	3,245.06
जोड़ें - वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	15.57	(43.16)
जोड़ें - बांड मोचन आरक्षित से अंतरण	275.70	306.43
घटाएं: लाभांश (अंतिम और अंतरिम)	1,667.48	1,577.07
तुलन-पत्र की तारीख को	9,970.45	7,808.95
(v) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - ऋण दस्तावेज		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	45.41	42.18
जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	(8.21)	3.23
तुलन-पत्र की तारीख को	37.20	45.41
(vi) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - इक्विटी दस्तावेज		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	81.34	34.21
जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	5.40	47.13
तुलन-पत्र की तारीख को	86.74	81.34
कुल	23,441.07	21,558.08

15.2.1 आरक्षित की प्रकृति तथा प्रयोजन

- (i) पूंजी मोचन आरक्षित** - यदि शेयरों की पुनः खरीद मुक्त आरक्षित से किया जाए तो कंपनी को वितरण योग्य लाभ से एक पूंजी मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित है। इस प्रकार पुनः खरीद किए गए शेयरों के कल्पित मूल्य को पूंजी मोचन आरक्षित में अंतरित किया जाना अपेक्षित है।
- (ii) बांड मोचन आरक्षित** - कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के अनुसार, कंपनी के लिए बांडों के मोचन का उद्देश्य उपलब्ध लाभों से बांड मोचन रिजर्व सृजित करना था। कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियमावली, 2019 कंपनी को बांड मोचन आरक्षित के सृजन से छूट देती है। संशोधन नियमावली, 2019 में आगे यह निर्धारित है कि कंपनी द्वारा डिबेंचर मोचन आरक्षित में जमा की गई राशि का उपयोग डिबेंचर के मोचन के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। तदनुसार, यद्यपि 31.03.2019 तक सृजित बांड मोचन आरक्षित को अग्रणीत किया गया है और उनका वर्ष के दौरान मोचित किए गए बांडों के लिए आगे उपयोग किया गया, आरक्षित में कोई अतिरिक्त प्रोद्भवन नहीं किया गया है।
- (iii) सामान्य आरक्षित**: सामान्य आरक्षित राशि का उपयोग समय-समय पर विनियोजन के प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ के अंतरण के लिए किया गया है क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरित करके सृजित किया गया है।
- (iv) अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन**: अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन सामान्यतः कंपनी की संचित आय के अवितरित लाभ/राशि को दर्शाता है और इसमें परिभाषित हितलाभ दायित्वों संबंधी लाभ/हानि का पुनः मापन शामिल है।
- (v) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - ऋण दस्तावेज** - कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण दस्तावेजों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को प्रतिधारित आय में तब अंतरित करती है जब संगत ऋण प्रतिभूतियों का निपटान किया जाता है।
- (vi) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - इक्विटी दस्तावेज** - कंपनी ने इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेजों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को प्रतिधारित आय में तब अंतरित करती है जब संगत इक्विटी प्रतिभूतियों का निपटान किया जाता है।

टिप्पणी सं. 16.1: वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – उधारियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिशोधित लागत पर		
क – प्रतिभूतित ऋण		
– बाण्ड	14,517.90	15,679.99
– सावधि ऋण		
– बैंकों से	2,500.00	-
– अन्य से (वित्तीय संस्थान)	158.00	316.00
ख – अप्रतिभूतित ऋण		
– सावधि ऋण		
– बैंकों से	930.25	-
– भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	3,686.39	3,654.28
– अन्य से (विदेशी मुद्रा में)	1,374.07	1,580.72
कुल	23,166.61	21,230.99

16.1.1 ऋण प्रसविदाएं – पूंजीगत प्रबंधन के संबंध में टिप्पणी संख्या 33(3) देखें।

16.1.2 मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण।

टिप्पणी सं. 16.1.2

(करोड़ रुपए में)

टिप्पणी सं. 16.1.2 मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(क) बॉण्ड (अपरिवर्तनीय और गैर-संचयी) – प्रतिभूतित		
i) कर मुक्त बॉण्ड – 3ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2 व 5) देखें) (प्रत्येक 1,000/- रुपए के 8.67 प्रतिशत प्रति वर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07
ii) कर मुक्त बॉण्ड – 3बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2 व 5) देखें) (प्रत्येक 1,000/- रुपए के 8.92 प्रतिशत प्रति वर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62
iii) बॉण्ड – यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (1 व 6) देखें) (प्रत्येक 10,00,000/- रुपए के 8.24 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर-संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	540.00	540.00
iv) बॉण्ड – यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (1 व 6) देखें) (प्रत्येक 10,00,000/- रुपए के 8.17 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर-संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	360.00	360.00
v) कर मुक्त बॉण्ड – 2ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2 व 5) देखें) (प्रत्येक 1,000/- रुपए के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12
vi) कर मुक्त बॉण्ड – 2बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2 व 5) देखें) (प्रत्येक 1,000/- रुपए के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61
vii) बाण्ड-एसी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (12) देखें) (6.86 प्रतिशत प्रति वर्ष प्रत्येक 10,00,000/- रुपए के 15 वर्षीय प्रतिभूतित गैर-संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बाण्ड, 10 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/10वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रुप से अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रुपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.02.2027 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	1,500.00

[illegible]

टिप्पणी सं. 16.1.2 मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
xvii) बाण्ड-एक्स सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2) देखें) (प्रत्येक 10,00,000/- रुपए के 8.65 प्रतिशत प्रति वर्ष के 10 वर्षीय प्रतिभूतित गैर-संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बाण्ड, जो 7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनयोग्य) (7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनयोग्य 1500 करोड़ रुपये की राशि के बांड इश्यू, जो 08.02.2023 से प्रारंभ होंगे)	1,500.00	1,500.00
xviii) बाण्ड - टी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(1 व 6) देखें) (प्रत्येक 12,00,000/- रुपए के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित गैर-संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बाण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/12वां भाग शामिल है) (12.07.2019 से प्रारंभ 1474.92 करोड़ रुपये के 12 समान वार्षिक किश्तों में मोचनयोग्य बांड इश्यू राशि। दिनांक 31.03.2022 को प्रत्येक 122.91 करोड़ रुपये की 9 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	1,106.19	1,229.10
xix) बाण्ड - आर-3 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2) देखें) (प्रत्येक 10,00,000/- रुपए के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित गैर-संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/10वां भाग शामिल है) (11.02.2019 से प्रारंभ 892.00 करोड़ रुपये के 10 समान वार्षिक किश्तों में मोचनयोग्य बांड इश्यू राशि। (दिनांक 31.03.2022 को प्रत्येक 89.20 करोड़ रुपये की 6 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	535.20	624.40
xx) बाण्ड - एस-2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(6) देखें) (प्रत्येक 12,00,000/- रुपए के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित गैर-संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/12वां भाग शामिल है) (26.11.2018 से प्रारंभ 660.00 करोड़ रुपये के 12 समान वार्षिक किश्तों में मोचनयोग्य योग्य बांड इश्यू राशि। दिनांक 31.03.2022 को प्रत्येक 55.00 करोड़ रुपये की 8 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	440.00	495.00
xxi) बाण्ड-डब्ल्यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(8) देखें) (प्रत्येक 50,00,000/- रुपए के 6.91 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्षीय प्रतिभूतित गैर-संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य करयोग्य बाण्ड, 5 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन हिस्से और बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2018 से प्रारंभ 1500 करोड़ रुपये के प्रत्येक की 5 समान वार्षिक किश्तों में मोचनयोग्य योग्य बांड इश्यू राशि। दिनांक 31.03.2022 को 300 करोड़ रुपये की अंतिम किश्त बकाया है)	300.00	600.00
xxii) बाण्ड - वी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2) देखें) (प्रत्येक 5,00,000/- रुपए के 6.84 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्षीय प्रतिभूतित गैर-संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य कर योग्य बाण्ड जिनमें 5 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग शामिल है) (775 करोड़ रुपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 24.01.2018 से प्रारंभ होगी।)	-	155.00
xxiii) बाण्ड - क्यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(3 व 6) देखें) (प्रत्येक 12,00,000/- रुपए के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर-संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/12वां भाग शामिल है) (1266.00 करोड़ रुपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.3.2016 से प्रारंभ है। 31.03.2022 के अनुसार प्रत्येक 105.50 करोड़ रुपए की 5 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	527.50	633.00
xxiv) बाण्ड - आर-2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2) देखें) (प्रत्येक 12,00,000/- रुपए के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर-संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य बाण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग में बाण्ड के अंकित मूल्य का 1/12वां भाग शामिल है) (382.08 करोड़ रुपए की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2016 से प्रारंभ है। 31.03.2022 के अनुसार प्रत्येक 31.84 करोड़ रुपए की 5 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)	159.20	191.04

टिप्पणी सं. 16.1.2 मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
xxv) बॉण्ड – पी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2, 4 व 5) देखें) (प्रत्येक 10,00,000/- रुपये के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूतित मोचनयोग्य गैर-संचयी अपरिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड जिसे 10 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा।) (2000 करोड़ रुपये की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जाएगी जो 01.2.2016 से प्रारंभ है। 31.03.2022 के अनुसार प्रत्येक 200 करोड़ रुपये की 3 वार्षिक किस्तें बकाया हैं।)		600.00	800.00
xxvi) बॉण्ड –एस1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(6) देखें) (प्रत्येक 10,00,000/- रुपये के 8.49 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूतित चुकौती योग्य गैर-संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य कर योग्य बॉण्ड जिसमें 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले प्रत्येक पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग शामिल है।) (365 करोड़ रुपये की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जाएगी जो 26.11.2015 से प्रारंभ है। 31.03.2022 के अनुसार प्रत्येक 36.50 करोड़ रुपये की 3 वार्षिक किस्तें बकाया हैं।)		109.50	146.00
xxvii) बॉण्ड –आर1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2) देखें) (8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूतित गैर-संचयी अपरिवर्तनीय चुकौती योग्य मोचनयोग्य कर योग्य बॉण्ड जिसमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/- रुपये हैं और जिसमें 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन हिस्सों तथा बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले प्रत्येक पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूलधन भाग शामिल है।) (82.20 करोड़ रुपये की बाण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जाएगी जो 11.2.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2022 को प्रत्येक 6.85 करोड़ रुपये की 4 वार्षिक किस्तें बकाया हैं।)		27.40	34.25
कुल बॉण्ड		15,679.99	16,782.79
घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं		1,162.09	1,102.80
बांड – वर्तमान परिपक्वताओं का निवल (क)		14,517.90	15,679.99
(ख) सावधि ऋण – प्रतिभूतित (बैंक)			
	i) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2 व 3) देखें) (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 5.39% प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (संशोधित आरबीआई नीति सहित रेपो 4.00% जमा 1.39% व्यापक) पर दिनांक 01.12.2031 तक 5.4348 करोड़ रुपये प्रत्येक की 92 समान मासिक किस्तों में पुनर्भुगतानयोग्य।)	500.00	-
	ii) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(12, 13 व 14) देखें) (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 5.66% प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (संशोधित तिमाही सहित 3 माह का ट्रेजरी बिल 3.73% जमा 1.93% व्यापक) पर दिनांक 01.10.2031 तक प्रत्येक 21.7391 करोड़ रुपये की 92 समान मासिक किस्तों में पुनर्भुगतानयोग्य।)	2,000.00	-
	कुल सावधि ऋण – बैंक (प्रतिभूतित)	2,500.00	-
घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं		-	-
सावधि ऋण – वर्तमान परिपक्वताओं का बैंक निवल (ख)		2,500.00	-
(ग) सावधि ऋण – अन्य से (प्रतिभूतित)			
	i) भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (3 व 7) देखें) (9.118 प्रतिशत प्रति वर्ष की स्थिर ब्याज दर पर प्रत्येक 79 करोड़ रुपये की 4 समान छमाही किस्तों में 31.10.2023 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	316.00	474.00
	कुल सावधि ऋण-अन्य पक्षकार (प्रतिभूतित)	316.00	474.00
	घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं	158.00	158.00
सावधि ऋण – अन्य वर्तमान परिपक्वताओं का निवल (ग)		158.00	316.00
(घ) सावधि ऋण-बैंकों से (अप्रतिभूतित)			
	i) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (चमेरा-I पावर स्टेशन की इक्विटी पर रिटर्न का प्रतिभूतिकरण) (टिप्पणी सं. 34(28) देखें) (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 5.24% प्रति वर्ष (3 माह का ट्रेजरी बिल अर्थात संशोधित तिमाही सहित 3.71% जमा 1.53% व्यापक) की फ्लोटिंग ब्याज दर पर दिनांक 29.02.2032 तक 120 मासिक किस्तों में पुनर्भुगतानयोग्य और पावर स्टेशन के लिए एनएचपीसी द्वारा बुक की गई आय का 5% पिछले 12 माह की अवधि के लिए माध्यमिक ऊर्जा इकाइयों की बिक्री के निमित्त वितरण माह सहित पूर्ण की गई प्रत्येक 12 माह की अवधि के अगले माह की समाप्ति पर एचडीएफसी को भुगतान किया जाएगा।) (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, 119 मासिक किस्तें बकाया हैं।)	1,010.01	-

टिप्पणी सं. 16.1.2 मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कुल सावधि ऋण-बैंकों से (अप्रतिभूतित)		1,010.01	-
घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं		79.76	-
सावधि ऋण – बैंकों से (अप्रतिभूतित) वर्तमान परिपक्वताओं का निवल (घ)		930.25	-
(ङ) भारत सरकार से सावधि ऋण (अप्रतिभूतित)			
भारत सरकार से ऋण (उचित मूल्य पर)			
i) निम्नो-बाजगो पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से गैर-छूटशुदा राशि के संबंध में प्रत्येक 29.09 करोड़ रुपये की 18 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)		433.63	429.13
ii) चूटक पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (2.50 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6ठे वर्ष अर्थात 01.02.2019 से गैर-छूटशुदा राशि के संबंध में प्रत्येक 23.11 करोड़ रुपये की 24 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।) (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक 23.11 करोड़ रुपये की 20 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)।		405.82	424.01
iii) किशनगंगा पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से गैर-छूटशुदा राशि के संबंध में प्रत्येक 377.429 करोड़ रुपये की 10 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से अर्थात 24.05.2029 से वार्षिक आधार पर देय होगा)		2,870.05	2,824.25
कुल सावधि ऋण – सरकार (अप्रतिभूतित)		3,709.50	3,677.39
घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं		23.11	23.11
सावधि ऋण – वर्तमान परिपक्वता का अन्य पक्षकार निवल (ङ)		3,686.39	3,654.28
(च) सावधि ऋण – अन्यो से – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूतित)			
i) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी माग-I (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(15) देखें) (31.03.2022 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.01.2026 तक 7.60 करोड़ रुपये प्रत्येक की 8 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)		60.80	81.44
ii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी माग-II (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(15) देखें) (31.03.2022 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.12.2027 तक 24.93 करोड़ रुपये प्रत्येक की 12 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)		299.19	374.06
iii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी माग-III (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(15) देखें) (31.03.2022 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.03.2034 तक 18.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 24 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)		441.98	513.12
iv) एमयूएफजी बैंक लिमिटेड, सिंगापुर (6 माह चक्रवृद्धि संदर्भ दर (सीएस+टन+ 0.75 प्रतिशत की परिवर्तनशील दर पर 25.07.2024 को एक ही किश्त में पुनर्भुगतान योग्य। ऋण का बचाव 0.931 प्रतिशत (भारतीय रुपये) प्रति वर्ष की केवल कूपन विनिमय नियत दर पर तथा 0.90 रुपये की जेपीवाई स्ट्राइक कीमत सहित 6.25 प्रतिशत (भारतीय रुपये) प्रति वर्ष की मांग फैलाव कूपन नियत दर पर किया जाता है)		674.00	721.30
कुल सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूतित)		1,475.97	1,689.92
घटाएं वर्तमान परिपक्वताएं		101.90	109.20
सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूतित) (च)		1,374.07	1,580.72
सकल जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ+च)		23,166.61	21,230.99

16.1.2.ख प्रतिभूति का विवरण

- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के उड़ी-I। पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के पार्वती-II। जल विद्युत परियोजना की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन एवं बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
- पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित कंपनी के तीस्ता लो डैम-III। पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
- उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी के धौलीगंगा पावर स्टेशन की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन और प्रभार रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।

5. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के चमेरा-III पावर स्टेशन की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन और बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
6. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के पार्वती-III पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन और बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
7. सिक्किम राज्य में अवस्थित कंपनी के तीस्ता-V पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूतित।
8. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के पार्वती-II परियोजना की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले सामयिक रेहन और बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूति सृजन और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित।
9. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्वती-II परियोजना की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के प्रति बंधक और रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूति सृजन और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के किशनगंगा पावर स्टेशन की चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के बदले रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित।
10. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्वती-II परियोजना, पार्वती-III पावर स्टेशन, चमेरा-II पावर स्टेशन तथा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित धौलीगंगा पावर स्टेशन की चल तथा अचल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के प्रति साम्य बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन।
11. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के चमेरा-II पावर स्टेशन की चल तथा अचल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के प्रति साम्य बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन।
12. असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की सुबानसिरी लोअर परियोजना की चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन।
13. पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित कंपनी के टीएलडीपी-IV पावर स्टेशन की चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन।
14. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के उड़ी-II पावर स्टेशन की चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति सृजन।
15. उपरोक्त क्रमांक च(i), च(ii) और च(iii) पर उल्लिखित ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं।

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – पट्टा देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पट्टा देयताएं (टिप्पणी संख्या 34(16)(क) देखें)	12.88	10.23
कुल	12.88	10.23

टिप्पणी सं. 16.3 वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – अन्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय (टिप्पणी संख्या 16.3.1 देखें)		
— मूलधन	2,017.20	2,017.20
प्रतिधारण राशि	70.84	37.14
कुल	2,088.04	2,054.34

16.3.1 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) योजना हेतु भारत सरकार की वित्तपोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनी ने डिबेंचर (बांड) के रूप में 10,00,000/- रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के साथ अप्रतिभूतित गैर-संचयी अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य, करयोग्य "भारत सरकार के पूर्णतः सेवित बांड – सीरीज-I" के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 2017.20 करोड़ रुपये की समग्र राशि जुटाई है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 21.01.2019 और 11.03.2019 के पत्र के साथ पठित विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 12.03.2019 के पत्र के तहत, भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बांडों के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान अनुमानित देयताओं के अनुसार विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके किया जाएगा। तदनुसार, ऐसे बांडों की राशि और बांधधारकों को देय ब्याज की राशि उपरोक्तानुसार वित्तीय देयता के रूप में प्रतीत हो रही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से कंपनी द्वारा वसूलीयोग्य राशि भी टिप्पणी संख्या 3.3(घ) के तहत गैर-वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य के तहत "भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीयोग्य राशि" के रूप में दर्शाई गई है।

कंपनी द्वारा बांधधारकों को भुगतान किए गए ब्याज को "वित्तीय परिसंपत्तियों" के तहत भारत सरकार से वसूलीयोग्य माना जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एकत्रित भारत सरकार पूर्णतः सेवित बांडों का ब्यौरा इस प्रकार है:

भारत सरकार पूर्णतः सेवित बांड-I सीरीज:

8.12	प्रत्येक 10,00,000/- रुपये के 8.12% अर्द्धवार्षिक, 10 वर्ष अप्रतिभूतित गैर-संचयी, मोचनयोग्य, अपरिवर्तनीय कर योग्य बांड, (मोचन की तारीख-22.03.2029 एक बार में ही)	2,017.20	2,017.20

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान – गैर वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क) कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
i) दीर्घावधिक हितलाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया प्रावधान)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	6.85	7.17
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	19.60	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.58	0.32
अंतिम शेष	25.87	6.85
ख) अन्य		
i) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1.37	1.43
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	0.01
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.10	0.21
छूट की समाप्ति	0.14	0.14
अंतिम शेष	1.41	1.37
ii) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	19.09	18.57
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.23	1.03
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	0.85
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.08
छूट की समाप्ति	0.38	0.42
अंतिम शेष	19.70	19.09
iii) प्रावधान – अन्य		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1.07	0.49
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	0.73
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	0.15
अंतिम शेष	1.07	1.07
कुल	48.05	28.38

17.1 प्रावधानों के संबंध में सूचना एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(21) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 आस्थगित कर देयताएं (निवल) – गैर वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आस्थगित कर देयता		
क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, उपयोग का अधिकार, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	4,049.40	4,012.53
ख) एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	22.69	25.19
ग) अन्य मदें	2.24	(0.05)
आस्थगित कर देयता	4,074.33	4,037.67
घटाएं – समायोजन प्रावधानों के अनुसरण में समायोजित आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
क) कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋण, वस्तु-सूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	437.67	411.79
ख) अन्य मदें	57.30	36.52
ग) एमएटी ऋण पात्रता (टिप्पणी सं. 18.3 देखें)	1,478.62	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	1,973.59	448.31
आस्थगित कर देयता (निवल)	2,100.74	3,589.36

- 18.1 आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियों) में संचलन टिप्पणी 18.1 के अनुबंध में दिया गया है।
- 18.2 कर कानून (संशोधित) अध्यादेश 2019 द्वारा घोषित आय कर अधिनियम 1961 की धारा 115बीए के प्रावधानों के अनुसार और 1 अप्रैल, 2019 से लागू तथा 11 दिसंबर, 2019 को अधिनियमित कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2019 के रूप में प्रख्यापित, घरेलू कंपनियों के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट कुछ छूटों/कटौतियों (नई कर व्यवस्था) को छोड़ कर रियायती दरों पर आय कर के भुगतान करने का विकल्प है। कंपनी के पास 31 मार्च, 2021 तक 2424.58 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2379.94 करोड़ रुपये) का न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) ऋण अप्रयुक्त पड़ा है और कुछ पावर स्टेशनों से विद्युत उत्पादन से अपने लाभ के संबंध में कर कटौती का लाभ उठा रही है। उसी के मद्देनजर, वर्तमान तथा आस्थगित कर मान्यता के लिए मौजूद कर संरचना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। धारा 115बीए के अंतर्गत विकल्प का उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्णय, कर कटौती उपलब्ध न होने पर तथा एमएटी क्रेडिट की वास्तविक समाप्ति पर लिया जाएगा।
- 18.3 वर्ष के दौरान, कंपनी के पास उपलब्ध कुल 2424.58 करोड़ रुपये के एमएटी क्रेडिट (पिछले वर्ष 2379.94 करोड़ रुपये) में से 1478.62 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य) के एमएटी क्रेडिट को मान्यता दी है, क्योंकि भावी आय कर देयता के समायोजन की उपलब्धता के रूप में भावी आर्थिक लाभों में वृद्धि होने की संभावना है। उपर्युक्त में से, 1313.27 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) की राशि को विनियामक आस्थगन लेखा (क्रेडिट) शेष के माध्यम से लाभार्थियों को देय के रूप में मान्यता दी गई है। (टिप्पणी 14.2 देखें)।

टिप्पणी संख्या 18.1 का अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2021-22

आस्थगित कर देयता में संचलन

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2021 को प्रभार/(क्रेडिट)	4,012.53	25.19	(0.05)	4,037.67
— लाभ और हानि के विवरण में	36.87	(1.38)	2.29	37.78
— अन्य व्यापक आय में	-	(1.12)	-	(1.12)
31 मार्च, 2022 को	4,049.40	22.69	2.24	4,074.33

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

विवरण	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋणों, वस्तुसूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	अन्य मदें	मैट ऋण	कुल
01 अप्रैल, 2021 को प्रभार/(क्रेडिट)	411.79	36.52	-	448.31
— लाभ और हानि के विवरण में	25.88	20.78	1,478.62	1,525.28
— अन्य व्यापक आय में	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को	437.67	57.30	1,478.62	1,973.59

वित्तीय वर्ष 2020-21

आस्थगित कर देयता में संचलन

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2020 को प्रभार/(क्रेडिट)	3,980.45	42.98	(6.36)	4,017.07
— लाभ और हानि के विवरण में	32.08	-	6.31	38.39
— अन्य व्यापक आय में	-	(17.79)	-	(17.79)
31 मार्च, 2021 को	4,012.53	25.19	(0.05)	4,037.67

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य मदें	कुल
01 अप्रैल, 2020 को (प्रभार)/क्रेडिट	358.61	17.27	375.88
— लाभ और हानि के विवरण में	53.18	19.25	72.43
— अन्य व्यापक आय में	-	-	-
31 मार्च, 2021 को	411.79	36.52	448.31

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अग्रिम में प्राप्त आय — मूल्यहास के प्रति अग्रिम	787.84	836.10
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	40.13	41.37
सरकार से सहायता अनुदान — आस्थगित आय (टिप्पणी सं. 19.1 देखें)	1,198.19	1,157.32
कुल	2,026.16	2,034.79
19.1 सरकार से सहायता अनुदान — आस्थगित आय		
प्रारंभिक शेष (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	1,190.52	1,187.61
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	74.07	35.17
घटाएं: लाभ एवं हानि के विवरण में अंतरित (टिप्पणी सं 24.2 देखें)	33.20	32.26
अंतिम शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान) (टिप्पणी सं 19.1.1 देखें)	1,231.39	1,190.52
सरकार से सहायता अनुदान — आस्थगित आय (वर्तमान) — (टिप्पणी सं 21 देखें)	33.20	33.20
सरकार से सहायता अनुदान — आस्थगित आय (गैर-वर्तमान)	1,198.19	1,157.32
19.1.1 अनुदान में निम्नलिखित शामिल हैं:		
(i) चुटक पावर स्टेशन, निम्नो बाजगो पावर स्टेशन और किशनगंगा पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों के उचित मूल्यांकन को सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित किया गया है।	1,135.17	1,167.32
(ii) सुबानसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के लिए निचले संरक्षण उपायों हेतु भारत सरकार से प्राप्त निधियों को सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित किया गया है।	74.07	-
(iii) तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त निधियों तथा रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियों को सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित किया गया है।	22.15	23.20
कुल	1,231.39	1,190.52

टिप्पणी सं. 20.1 ऋण – वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क	अन्य ऋण		
	बैंक से – प्रतिभूतित (टिप्पणी सं 20.1.1 देखें)	1,323.90	726.03
ख	दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी सं 20.1.2 देखें)		
	– बॉण्ड	1,162.09	1,102.80
	– सावधि ऋण – बैंक – प्रतिभूतित	79.76	-
	– सावधि ऋण – वित्तीय संस्थान – प्रतिभूतित	158.00	158.00
	– अप्रतिभूतित – सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	23.11	23.11
	– अन्य – अप्रतिभूतित (विदेशी मुद्रा में)	101.90	109.20
	उप-जोड़ (ख)	1,524.86	1,393.11
	कुल	2,848.76	2,119.14

20.1.1 बैंक से 1323.90 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 726.03 करोड़ रुपये) का सुरक्षित ऋण, व्यापार प्राप्यों से भुनाए गए बिलों के कारण लाभार्थियों द्वारा बैंकों को देय राशि के लिए है। बिल छूट के माध्यम से परिसमाप्त व्यापार प्राप्यों की निरंतर मान्यता संबंधी टिप्पणी 7.7 देखें।

20.1.2 मोचन, ब्याज की दर, चुकौती की शर्तें तथा प्रतिभूति के ब्यौरों के संबंध में ब्योरा टिप्पणी संख्या 16.1.2 में प्रकट किया गया है।

टिप्पणी सं. 20.2 पट्टा देयताएं – वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	पट्टा देयताओं की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी सं. 34(16)(क) देखें)	2.27	2.42
	कुल	2.27	2.42

टिप्पणी सं. 20.3 व्यापार देय – वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय (टिप्पणी सं 20.3.1 देखें)	23.12	30.79
	सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	166.45	167.48
	कुल	189.57	198.27

20.3.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में प्रकटन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के निमित्त बकाया देयताएं 23.12 30.79

व्यापार प्राप्य के अंतर्गत विविध लेनदारों का प्रकटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत यथा परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के बारे में कंपनी के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यम के व्यापार देयों के संबंध में प्रकटन की आवश्यकता टिप्पणी संख्या 34(15) में दी गई है।

20.3.2 व्यापार देय राशियों की बड़ी हुई अनुसूची के लिए टिप्पणी संख्या 20.3 का अनुबंध-1 देखें।

20.3.3 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।

टिप्पणी संख्या 20.3 का अनुबंध-

31 मार्च, 2022 के अनुसार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	बिल न किया गया	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए देय और बकाया व्यापार भुगतान योग्य:				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	7.69	-	13.94	1.04	0.25	0.11	23.03
(ii) अन्य	30.59	3.61	101.01	9.68	6.27	15.29	166.45
(iii) विवादित देय - बकाया	-	-	0.04	-	0.05	-	0.09
कुल	38.28	3.61	114.99	10.72	6.57	15.40	189.57

31 मार्च, 2021 के अनुसार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	बिल न किया गया	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए देय और बकाया व्यापार भुगतान योग्य:				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	1.99	0.63	27.32	0.43	0.37	0.01	30.75
(ii) अन्य	10.79	4.53	113.81	14.59	6.39	17.37	167.48
(iii) विवादित देय - बकाया	-	-	-	0.04	-	-	0.04
कुल	12.78	5.16	141.13	15.06	6.76	17.38	198.27

टिप्पणी सं. 20.4 अन्य वित्तीय देयताएं - वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को छोड़कर पूंजीगत कार्य/आपूर्तियों के निमित्त देयता	399.43	397.67
पूंजीगत कार्य/आपूर्तियों के निमित्त देयता - सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (टिप्पणी सं 20.4.1 देखें)	6.59	7.73
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विरुद्ध दायित्व	10.54	2.97
ऋणों पर प्रोद्भूत किन्तु देय न होने वाला ब्याज	636.10	660.72
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के निमित्त देय ब्याज (टिप्पणी सं 16.3.1 और 11(1) देखें)	4.49	4.49
बयाना राशि जमा/प्रतिधारण राशि	233.65	319.06
सहायक कंपनियों को देय (टिप्पणी 34(8) देखें)	2.99	2.14
अदा न किया गया लाभांश (टिप्पणी सं 20.4.2 देखें)	24.64	23.47
अदा न किया गया ब्याज (टिप्पणी सं 20.4.2 देखें)	0.54	0.50
कर्मचारियों को देय	26.68	26.74
अन्य को देय	25.07	87.48
कुल	1,370.72	1,532.97

20.4.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में प्रकटन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के निमित्त बकाया देयताएं (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए देयता सहित)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के निमित्त बकाया ब्याज

व्यापार प्राप्य के अंतर्गत विविध लेनदारों का प्रकटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत यथा परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के बारे में कंपनी के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यम के व्यापार देयों के संबंध में यथापेक्षित अतिरिक्त प्रकटन टिप्पणी संख्या 34(15) में दिया गया है।

20.4.2 "अदा न किया गया लाभांश" और "अदा न किया गया ब्याज" में वे राशियां शामिल हैं जिनका इक्विटी शेयर/बॉण्ड के निवेशकों/धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशि को अंतरित कर दिया गया है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में भुगतान के लिए कोई राशि बकाया नहीं है।

20.4.3 शेर्षों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम)	48.25	48.25
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	1.42	1.60
जल उपयोग प्रभार देय	103.42	165.28
भुगतान योग्य सांविधिक देय	138.80	132.91
संविदा देयताएं – जमा कार्य	6.30	7.53
संविदा देयताएं – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य	112.54	144.09
ग्राहकों और अन्य से अग्रिम	66.77	32.99
सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय (टिप्पणी 19.1 देखें)	33.20	33.20
कुल	510.70	565.85

21.1 शेषों की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(13) देखें।

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान – वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
i) दीर्घावधिक हितलाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया प्रावधान)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1.08	1.13
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1.77	0.51
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1.09	0.56
अंतिम शेष	1.76	1.08
ii) निष्पादन संबंधित वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	446.28	361.10
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	233.85	266.07
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	384.34	180.89
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	31.86	-
अंतिम शेष	263.93	446.28
घटाएं: भुगतान किया गया अग्रिम	0.39	93.09
अग्रिम का अंतिम शेष निवल	263.54	353.19
ख. अन्य		
i) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	109.16	109.16
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	25.64	-
समायोजन	22.71	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	9.47	-
अंतिम शेष	148.04	109.16
ii) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	98.69	124.31
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.10	0.20
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	22.90	25.65
छूट की समाप्ति	-	0.17
अंतिम शेष	75.89	98.69
iii) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	148.18	54.11
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	21.02	147.24
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	82.64	49.12
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.39	4.05
अंतिम शेष	85.17	148.18

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
iv) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	16.18	16.03
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.17	0.88
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.88	0.87
छूट की समाप्ति	0.05	0.14
अंतिम शेष	13.52	16.18
v) मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	368.45	353.20
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	6.26	0.09
समायोजन	-	15.34
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	27.26	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	15.68	0.18
अंतिम शेष	331.77	368.45
vi) प्रावधान – अन्य		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	158.05	209.12
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	100.11	20.28
समायोजन	(22.71)	(15.34)
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	18.93	0.88
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.46	55.13
अंतिम शेष	216.06	158.05
कुल	1,135.75	1,252.98

22.1 प्रावधानों के संबंध में सूचना एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(21) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार वर्तमान कर देयता	716.74	581.27
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	725.73	714.17
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(716.74)	(578.70)
वर्तमान कर देयता का अंतिम शेष (क)	725.73	716.74
घटाएं: स्रोत पर कर कटौती सहित वर्तमान अग्रिम कर (ख)	728.09	681.74
निवल वर्तमान कर देयताएं (क-ख)	(2.36)	35.00
(उपरोक्त टिप्पणी सं. 12 के तहत प्रकट किया गया है)	2.36	-
कुल	-	35.00

टिप्पणी सं. 24.1: प्रचालनों से राजस्व

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रचालनात्मक राजस्व		
क		
बिक्रियां (टिप्पणी संख्या 24.1.1 और 24.1.2 देखें)		
विद्युत की बिक्री	6,815.67	6,300.23
मूल्यहास के प्रति अग्रिम – वर्ष के दौरान पश्चलेखित	48.25	48.38
निष्पादन आधारित प्रोत्साहन	750.28	762.90
उप-जोड़ (i)	7,614.20	7,111.51

विवरण		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
घटाएं:			
विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण बिक्री समायोजन		44.02	50.03
टैरिफ समायोजन (टिप्पणी संख्या 24.1.2 देखें)		34.70	-
विद्युत उत्पादन से आय – चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित)		53.81	34.73
उपभोक्ताओं को छूट		30.12	16.31
उप जोड़ (ii)		162.65	101.07
उप जोड़ (क) = (i+ii)		7,451.55	7,010.44
ख	वित्त पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 34(16)(ख) देखें)	344.95	371.62
ग	प्रचालनात्मक पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 34(16)(ग) देखें)	384.07	712.00
घ	निविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व		
	निविदा आय	0.02	0.06
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	46.14	38.46
	उप जोड़ (घ)	46.16	38.52
ङ	विद्युत व्यापार से राजस्व		
	विद्युत की बिक्री	45.76	218.52
	घटाएं: उपभोक्ताओं को छूट	0.91	2.04
	उप जोड़ (ङ)	44.85	216.48
	उप जोड़-I (क+ख+ग+घ+ङ)	8,271.58	8,349.06
च.	अन्य प्रचालनात्मक राजस्व		
	स्वयं सृजित वीईआर/आरईसी की बिक्री से आय	52.70	1.92
	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) संबंधी आय	3.61	2.96
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज – टैरिफ का संशोधन	25.91	152.64
	उप जोड़-II	82.22	157.52
	कुल (I+II)	8,353.80	8,506.58
24.1.1	विद्युत की बिक्री में निम्नलिखित शामिल हैं:—		
	(i) वर्ष 2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर देयता के संबंध में लाभार्थी से सीधे वसूली गई/वसूली योग्य राशि और वर्ष के दौरान व्यवहार में लाई गई राशि	76.13	116.00
	(ii) विगत वर्षों की बिक्रियां	288.68	290.99
24.1.2	टैरिफ समायोजन:— केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह है कि वर्तमान टैरिफ अवधि में टैरिफ निर्धारण के लिए विचार की गई पूंजी लागत टैरिफ अवधि के अंत में सही होने पर होगी, जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ में वृद्धि अथवा कमी हो सकती है। तदनुसार, उल्लिखित राशि वर्ष के दौरान बहियों में दी गई है।	34.70	Nil
24.1.3	बिल न किए गए राजस्व राशि को बिक्रियों में शामिल किया गया है।	1,184.50	886.15

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क)	ब्याज आय		
	— एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – गैर कर योग्य	5.67	5.67
	— एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – कर योग्य	25.82	25.79

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
— अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	66.30	60.82
— जमा खाता	28.81	25.38
— कर्मचारी ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	29.00	14.20
— संविदाकारों को अग्रिम	17.34	15.56
— अन्य	0.19	17.27
ख) लाभांश आय		
— सहायक कंपनियों से लाभांश (टिप्पणी सं. 34.8 देखें)	292.71	283.68
— लाभांश — अन्य	9.00	9.00
ग) अन्य गैर-प्रचालनात्मक आय (उस आय पर सीधे ही आरोप्य व्यय का निवल)		
विलंब भुगतान अधिभार	229.00	532.81
व्यापार में रुकावट के कारण हानि की वसूली (टिप्पणी संख्या 34(23) देखें)	161.86	-
बीमा दावे से आय	21.34	138.64
पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/हानि प्रावधान/प्रावधान (टिप्पणी संख्या 24.2.1 देखें)	28.56	23.48
संविदाकार को जारी सामग्री		
(i) संविदाकारों को जारी सामग्री के कारण बिक्री	255.19	89.42
(ii) वसूलीयोग्य आधार पर संविदाकारों को जारी सामग्री की लागत	(421.41)	(174.89)
(iii) संविदाकार को जारी सामग्री के कारण समायोजन	166.22	85.47
सहायता अनुदान का परिशोधन (टिप्पणी संख्या 19.1 देखें)	33.20	32.26
विनिमय दर परिवर्तन (निवल)	49.28	34.21
व्युत्पन्न संबंधी बाजार से बाजार लाभ	4.14	-
अन्य	45.38	34.02
उप जोड़	1,047.60	1,252.79
घटाएं — निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	20.97	93.33
घटाएं — ग्राहक/संविदादाता से अग्रिम/जमा तथा जमा कार्यों के प्रति अंतरित	0.45	3.48
कुल	1,026.18	1,155.98
24.2.1 पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/हानि प्रावधानों/प्रावधानों का ब्यौरा		
क) अप्रचलन और वस्तु सूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	5.37	0.08
ख) व्यापार प्राप्ति के लिए हानि प्रावधान	2.38	3.95
ग) अशोध्य एवं संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान	-	0.04
घ) संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु प्रावधान	0.18	1.51
ङ) प्रतीक्षित पश्चलेखन स्वीकृत परियोजना व्ययों के लिए प्रावधान	-	4.88
च) लंबित जांच/प्रतीक्षित पश्चलेखन/स्वीकृति हानियों हेतु प्रावधान	0.21	3.01
छ) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्ययों हेतु प्रावधान	1.38	3.97
ज) मध्यस्थता अवार्ड/न्यायालयी मामलों के संबंध में प्रावधान	15.68	-
झ) अन्य	3.36	6.04
कुल	28.56	23.48

टिप्पणी सं. 25.1: विद्युत की खरीद – व्यापार

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
विद्युत की खरीद	45.49	216.71
घटाएं: आपूर्तिकर्ता से छूट	0.91	4.34
कुल	44.58	212.37

टिप्पणी सं. 25.2: उत्पादन व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
जल उपयोग प्रभार	823.21	835.02
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	18.18	19.78
उप-जोड़	841.39	854.80
घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	0.15	0.43
कुल	841.24	854.37

टिप्पणी सं. 26: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और मजदूरी	1,334.57	1,398.16
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान (टिप्पणी संख्या 26.4 देखें)	292.71	201.79
कर्मचारी कल्याण व्यय	96.08	71.36
उप जोड़	1,723.36	1,671.31
घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	282.58	277.40
कुल	1,440.78	1,393.91

26.1 कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों के निमित्त पट्टों के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 34(16)(क) में दिए गए हैं।

26.2 भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है:

(i) कर्मचारी भविष्य निधि के निमित्त

(ii) कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना के निमित्त

26.3 मजदूरी एवं वेतन में भारतीय लेखांकन मानक 116 "पट्टों" के अनुसार अल्पावधि पट्टों पर व्यय शामिल हैं।

26.4 "कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952" के तहत कंपनी को ट्रस्ट को किसी भी हानि हेतु भविष्य निधि की प्रतिपूर्ति करना अपेक्षित है। तदनुसार, कंपनी ने ब्याज-असर वाली प्रतिभूतियों में भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा किए गए कुछ निवेशों की हानि के कारण अस्थायी आधार पर मान्यता प्राप्त व्यय के लिए 49.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य) को मान्यता दी है, जिसमें अतिदेय ब्याज भी शामिल है।

26.5 कर्मचारी लाभ व्यय में कंपनी के अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों में लगे कर्मचारियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 0.33 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

टिप्पणी सं. 27: वित्त लागत

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं का ब्याज		
बॉण्ड	1,289.19	1,285.14
सावधि ऋण	51.47	66.63
विदेशी ऋण	23.47	26.50
भारत सरकार ऋण	70.73	70.64
अल्पावधि ऋण	5.40	2.13
पट्टा देयताएं	1.11	1.10
भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण समाप्ति पर छूट	55.22	49.69
उप जोड़	1,496.59	1,501.83
ख. अन्य कर्ज लागत		
मांग फौलाव/कूपन विनिमय	43.91	43.64
बॉण्ड निर्गम/सेवा व्यय	1.16	1.93
विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	11.62	13.59
अन्य वित्त प्रभार	0.66	0.59
छूट की समाप्ति – प्रावधान और वित्तीय देयताएं	4.45	4.21
उप जोड़	61.80	63.96
ग. आय कर पर ब्याज	2.50	2.57
कुल (क+ख+ग)	1,560.89	1,568.36
घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	1,029.14	996.87
कुल	531.75	571.49

टिप्पणी सं.: 28 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
मूल्यहास – संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1,109.73	1,219.68
मूल्यहास – परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	24.42	25.30
परिशोधन – अमूर्त परिसंपत्तियां	4.63	2.22
विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण मूल्यहास समायोजन (टिप्पणी संख्या 19 और 5(घ)(ii) देखें)	4.95	(1.22)
उप जोड़	1,143.73	1,245.98
घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	17.51	17.33
कुल	1,126.22	1,228.65

टिप्पणी सं. 29: अन्य व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	मरम्मत तथा अनुरक्षण		
	— भवन	66.10	65.36
	— मशीनरी	63.21	64.76
	— अन्य	170.41	150.63
ख.	अन्य व्यय		
	किराया (टिप्पणी 29.3 देखें)	15.61	18.25
	भाड़े का प्रभार	31.77	24.79
	दरें और कर	15.95	14.46
	बीमा	264.78	197.66
	सुरक्षा व्यय	412.86	385.38
	विद्युत प्रभार	42.54	42.91
	यात्रा एवं वाहन	13.11	8.97
	वाहनों पर खर्च	6.48	6.00
	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	15.32	14.71
	विज्ञापन एवं प्रचार	4.24	4.59
	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.85	0.99
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	3.53	3.88
	परामर्शी प्रभार — देशीय	11.03	10.21
	लेखा परीक्षा खर्च (टिप्पणी सं. 29.2 देखें)	2.02	1.96
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/ पर्यावरण पर खर्च	0.33	5.78
	डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्यों पर व्यय (टिप्पणी 29.4 देखें)	158.50	-
	कंपनी से गैर-संबंधित भूमि पर व्यय	14.68	10.42
	परिसंपत्तियों के संबंध में हानि (निवल)	12.55	8.69
	बीमित परिसंपत्तियों के संबंध में हानियां	21.77	148.61
	दान	1.00	-
	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (टिप्पणी सं. 34(14) देखें)	105.29	79.63
	निदेशकों को बैठक शुल्क	0.14	0.05
	लाभार्थी को ब्याज	33.92	3.80
	स्वतः उत्पन्न वीईआर/आरईसी संबंधी व्यय	8.04	-
	प्रशिक्षण व्यय	4.21	4.16
	सीईआरसी/आरएलडीसी/आरपीसी/आईईएक्स/ पीएक्सआईएल को	9.70	12.20
	याचिका शुल्क/पंजीकरण शुल्क/अन्य शुल्क		
	केन्द्रीय विद्यालय के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	7.62	6.25
	अन्य विद्यालयों के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	0.35	0.51
	अतिथि गृह/ट्रांजिट छात्रावास के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	22.22	21.80
	डीजी सेट के प्रचालनात्मक व्यय — आवासीय को छोड़कर	7.03	6.40
	व्युत्पन्न के वास्तविक मूल्य में परिवर्तन	-	15.50
	अन्य सामान्य व्यय	42.74	30.39
	उप जोड़	1,589.90	1,369.70
	घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	283.90	170.49
	उप जोड़ (i)	1,306.00	1,199.21

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ग. प्रावधान/क्षति हेतु प्रावधान		
व्यापार प्राप्ति के लिए छूट	3.95	-
अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	10.11	74.78
अशोध्य तथा संदिग्ध वसूली योग्य हेतु प्रावधान	5.94	0.03
संदिग्ध ब्याज के लिए छूट	0.42	-
भण्डार तथा कलपुर्जों/निर्माण भंडारों के लिए प्रावधान	0.58	0.83
निवेश के मूल्य में कमी के निमित्त छूट	14.07	-
परियोजना व्ययों/चल रहे पूंजीगत कार्यों के लिए प्रावधान	7.47	144.63
लंबित जांच हानियों/प्रतीक्षित पश्चलेखन/ संस्वीकृति के लिए प्रावधान	0.03	0.21
प्राप्य माल एवं सेवा कर इनपुट के लिए प्रावधान	31.09	13.54
उप जोड़	73.66	234.02
घटाएं: निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	31.11	13.62
उप जोड़ (ii)	42.55	220.40
कुल (i+ii)	1,348.55	1,419.61

29.1 पट्टों के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 34(16)(क) में दिए गए हैं।

(करोड़ रुपये में)

लेखा परीक्षा व्ययों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
i) सांविधिक लेखा-परीक्षक		
लेखा-परीक्षक के रूप में		
लेखा-परीक्षा शुल्क	0.73	0.73
कर लेखा-परीक्षा शुल्क	0.21	0.21
अन्य क्षमता में		
कराधान मामले	0.01	0.01
अन्य मामले/ सेवाएं	0.57	0.63
खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.26	0.08
ii) लागत लेखा परीक्षक		
लेखा-परीक्षा शुल्क	0.19	0.20
iii) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लेखापरीक्षक		
लेखा-परीक्षा शुल्क	0.04	0.10
खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.01	-
कुल लेखापरीक्षा व्यय	2.02	1.96

29.3	किराये में भारतीय लेखांकन मानक 116 "पट्टों" के अनुसार निम्नलिखित व्यय शामिल हैं		
(i)	एक माह अथवा उससे कम अवधि के पट्टों को छोड़कर अल्पावधि पट्टों पर व्यय	10.66	13.71
(ii)	निम्न मूल्य परिसंपत्तियों के दीर्घावधि पट्टे पर व्यय	-	0.02
(iii)	पट्टा देयताओं के मापन में शामिल नहीं किए गए परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	4.96	4.51
29.4	सुबानसिरी लोअर परियोजना में किए गए डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्यों पर 158.50 करोड़ रुपये के व्यय को निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) के रूप में पूंजीकृत किया गया है (टिप्पणी 2.2.9 देखें)।		

टिप्पणी सं.: 30.1 कर व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्तमान कर		
वर्तमान कर के लिए प्रावधान	723.23	714.17
पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन	3.00	-
कुल वर्तमान कर व्यय	726.23	714.17
आस्थगित कर		
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		
— अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	(40.15)	(52.82)
— एमएटी ऋण पात्रता के कारण समायोजन	(1,478.62)	-
आस्थगित कर देयताओं में वृद्धि (कमी)		
— अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	31.27	18.78
कुल आस्थगित कर व्यय (हितलाभ)	(1,487.50)	(34.04)
निवल आस्थगित कर	(1,487.50)	(34.04)
कुल	(761.27)	680.13
30.1.1 कर व्यय और भारत की घरेलू दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित आय कर से पूर्व लेखांकन लाभ/हानि	4,089.71	3,925.19
लागू कर दर (प्रतिशत)	34.9440	34.9440
गणना किए गए कर व्यय	1,429.11	1,371.62
उन राशियों के कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती योग्य नहीं हैं (कर योग्य)		
गैर कटौती योग्य कर व्यय	42.42	31.50
कर छूट आय	(1.98)	(1.98)
कर प्रोत्साहन (80—1 कटौती)	(625.10)	(797.75)
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	(1,478.62)	183.10
धारा 80डी के तहत कटौती	(130.10)	(102.27)
पूर्ववर्ती अवधियों से संबंधित समायोजन	3.00	(4.09)
लाभ एवं हानि के विवरण में सूचित आय कर व्यय	(761.27)	680.13
30.1.2 इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त राशियां		
रिपोर्टिंग अवधि में उत्पन्न होने वाले समेकित वर्तमान तथा आस्थगित कर जिन्हें निवल लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्यता नहीं दी गई है परंतु सीधे ही इक्विटी में डेबिट/(क्रेडिट) किया गया है:		
वर्तमान कर	शून्य	शून्य
आस्थगित कर	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
30.1.3 कर हानियां तथा क्रेडिट		
(i) अप्रयुक्त कर हानियां जिनके लिए किसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है	शून्य	शून्य
संभावित कर हितलाभ 30 प्रतिशत की दर से	शून्य	शून्य
(ii) कंपनी को भविष्य में उपलब्ध एमएटी क्रेडिट का ब्यौरा लेकिन लेखाबहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है (टिप्पणी सं. 30.1.5 देखें)	945.96	2,379.94

30.1.4 मान्यता प्रदान न किए गए अस्थायी अंतर	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
सहायक कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर जिनके लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता नहीं प्रदान की गई है		
अवितरित आय	शून्य	शून्य
उपरोक्त अस्थायी अंतरों से संबंधित मान्यता न दी गई आस्थगित कर देयताएं	शून्य	शून्य

30.1.5 कंपनी को भविष्य में उपलब्ध न्यूनतम कर समायोजन (एमएटी) क्रेडिट का ब्यौरा लेकिन लेखाबहियों में गणना नहीं की गई है।
(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
	राशि	समाप्ति का वर्ष	राशि	समाप्ति का वर्ष
2021-22	-	-	-	-
2020-21	-	-	183.10	2035-36
2019-20	-	-	156.02	2034-35
2018-19	-	-	696.15	2033-34
2017-18	-	-	210.11	2032-33
2016-17	-	-	11.59	2031-32
2015-16	-	-	177.01	2030-31
2014-15	46.81	2029-30	46.81	2029-30
2013-14	481.84	2028-29	481.84	2028-29
2012-13	291.72	2027-28	291.72	2027-28
2008-09	125.59	2023-24	125.59	2023-24
कुल	945.96		2379.94	

भविष्य में कंपनी को पूर्वोक्त उपलब्ध एमएटी क्रेडिट के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को निकट भविष्य में प्रत्यावर्तन की अनिश्चितता को देखते हुए मान्यता नहीं दी गई है।

टिप्पणी सं.: 30.2 अन्य व्यापक आय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
(क) रोजगारपश्च निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं का पुनः मापन	14.62	(61.93)
घटाएं: रोजगारपश्च निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं के पुनः मापन पर आय कर	5.11	(21.64)
रोजगारपश्च निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं का पुनः मापन (कर का निवल)	9.51	(40.29)
घटाएं: निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं पर कर के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन	(3.73)	2.87
— विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन — रोजगारपश्च निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं का पुनः मापन	2.33	-
रोजगारपश्च निर्धारित हितलाभ बाध्यताओं (कर का निवल) और विनियामक आस्थगित लेखा शेषों का पुनः मापन (क)	15.57	(43.16)
(ख) इक्विटी दस्तावेज में निवेश	5.40	47.13
घटाएं: इक्विटी दस्तावेज पर आय कर	-	-
उप जोड़ (ख)	5.40	47.13
कुल (i) + (क) + (ख)	20.97	3.97
(ii) मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाएगा		
— ऋण दस्तावेज में निवेश	(10.71)	4.21
घटाएं: ऋण दस्तावेज में निवेश पर आय कर	(2.50)	0.98
जोड़ (ii)	(8.21)	3.23
कुल = (i) + (ii)	12.76	7.20

टिप्पणी सं.: 31 विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
निम्नलिखित के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन:		
(i) तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार मजदूरी संशोधन	(116.53)	-
(ii) किशनगंगा पावर स्टेशन: टैरिफ के अनतिक्रम के कारण मूल्यह्रास	198.35	195.51
(iii) मौद्रिक मदों के संबंध में विनिमय अंतर	(0.17)	1.70
(iv) 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूलीयोग्य आस्थगित करके निमित्त समायोजन	(49.52)	(75.46)
(v) 2014-2019 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूलीयोग्य आस्थगित करके निमित्त समायोजन	10.72	6.28
(vi) एमएटी क्रेडिट	(1,313.27)	-
कुल = (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	(1,270.42)	128.03
विनियामक आस्थगित लेखाओं पर कर का प्रभाव		
घटाएं:- विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आस्थगित कर	13.56	24.18
जोड़ें - लाभार्थियों से वसूलीयोग्य आस्थगित कर	13.56	24.18
कुल	(1,270.42)	128.03

31.1 एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 14 और 14.2 देखें।

टिप्पणी सं.: 32 वर्ष हेतु चल रहे पूंजीगत कार्य का भाग बनने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क. उत्पादन व्यय		
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	0.15	0.43
उप जोड़	0.15	0.43
ख. कर्मचारी हितलाभ व्यय		
वेतन एवं मजदूरी	146.07	138.90
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	21.83	20.08
कर्मचारी कल्याण व्यय	6.55	6.17
उप जोड़	174.45	165.15
ग. वित्त लागत		
निम्नलिखित पर ब्याज: (टिप्पणी संख्या 2.2.2 देखें)		
बॉण्ड	950.35	911.05
विदेशी ऋण	7.18	6.64
सावधि ऋण	25.22	32.97
	982.75	950.66
ब्याज लागत पर समायोजन के रूप में माना गया विनिमय अंतर	-	2.16
हेजिंग लेन-देनों के संबंध में हानि	43.91	41.47
ईएसी में व्ययों का अंतरण - प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि पर ब्याज - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	1.81	1.35
ईएसी में व्ययों का अंतरण - एफसी ऋणों पर ब्याज - प्रभावी ब्याज समायोजन	0.47	0.92
उप जोड़	1,028.94	996.56

विवरण		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
घ.	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	14.80	15.14
	उप जोड़	14.80	15.14
ड.	अन्य व्यय		
	मरम्मत एवं अनुरक्षण		
	— भवन	9.01	7.31
	— मशीनरी	2.09	1.05
	— अन्य	27.87	10.29
	किराया और हायर प्रभार	9.31	8.05
	दरें और कर	2.42	2.07
	बीमा	12.39	9.95
	प्रतिभूति व्यय	28.57	26.89
	विद्युत प्रभार	4.37	4.58
	यात्रा एवं वाहन	1.94	1.43
	वाहनों पर व्यय	0.79	0.76
	टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	1.86	1.71
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.42	0.35
	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार:		
	— स्वदेशी	4.13	4.58
	क्षतिपूर्ति वनरोपण/जल संग्रहण क्षेत्र उपाय/पर्यावरणीय व्ययों पर व्यय	0.29	0.42
	डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्यों के कार्यों पर व्यय (टिप्पणी 29.4 देखें)	158.50	-
	कंपनी से गैर-संबंधित भूमि पर व्यय	1.06	-
	परिसंपत्तियां/पश्चलेखित दावे	0.09	75.96
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.04	-
	अन्य सामान्य व्यय	8.89	6.55
	उप जोड़	274.04	161.95
च.	प्रावधान	31.11	13.62
	उप जोड़	31.11	13.62
छ.	निगम कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
	अन्य आय	(0.55)	(0.43)
	अन्य व्यय	9.86	8.54
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	108.13	112.25
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	2.71	2.19
	वित्त लागत	0.20	0.31
	उप जोड़	120.35	122.86
ज.	घटाएं: प्राप्तियां और वसूलियां		
	विद्युत उत्पादन से आय – चालू किए जाने से पूर्व	53.81	34.73
	ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	17.34	15.53
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	0.03
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयताएं	0.43	1.85
	विविध प्राप्तियां	2.65	75.49
	उप जोड़	74.23	127.63
	कुल (क+ख+ग+घ+ड+च+छ-ज) (टिप्पणी संख्या 2.2 देखें)	1,569.61	1,348.08

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय दस्तावेज और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटन

(1) उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय दस्तावेज

वित्तीय परिसंपत्तियां			टिप्पणियां		31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को			(करोड़ रूपए में)
					लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	
गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां											
(i) गैर-वर्तमान निवेश											
क) इक्विटी दस्तावेज में (उद्धृत)			3.1			98.70			93.30		
ख) ऋण दस्तावेज (सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में – उद्धृत			3.1			411.64			422.05		
						510.34			515.35		
उप जोड़											
(ii) ऋण											
क) संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा.) लिमिटेड) को ऋण			3.2				17.48			18.40	
ख) कर्मचारी			3.2				197.19			165.25	
ग) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)			3.2				802.92			736.62	
(iii) अन्य											
जमा			3.3				23.19			23.00	
– ब्याज सहित पट्टा प्राप्य			3.3				2,435.91			2,563.17	
– भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीयोग्य			3.3				2,017.20			2,017.20	
– शेयर अनुप्रयोग राशि लंबित आवंटन			3.3				3.78			318.29	
– व्युत्पन्न बाजार से बाजार परिसंपत्ति			3.3			22.35		18.21			
– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोदभूत ब्याज सहित)			3.3				0.35			0.40	
						22.35	510.34	5,498.02	18.21	515.35	5,842.33
कुल गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां											
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां											
(i) व्यापार प्राप्य			7				4,621.48			4,532.49	
(ii) नकदी और नकदी समतुल्य			8				937.78			145.57	
(iii) नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष			9				222.93			768.39	

वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणियां	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
(iv) ऋण	10						
— कर्मचारी ऋण				54.76			47.66
— संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड) को ऋण (हानि प्रावधान का निवल)				0.92			0.42
(v) अन्य (पट्टा प्राप्य को छोड़कर)	11			612.42			965.83
(vi) अन्य (ब्याज सहित पट्टा प्राप्य)	11			119.31			101.29
कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां				6,569.60			6,561.65
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		22.35	510.34	12,067.62	18.21	515.35	12,403.98
वित्तीय देयताएं	टिप्पणियां	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
(i) दीर्घावधि ऋण	16.1			23,166.61			21,230.99
(ii) पट्टा देयताओं की दीर्घावधि परिपक्वताएं	16.2			12.88			10.23
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देयों सहित)	16.3			2,088.04			2,054.34
(iv) उधार — दीर्घावधिक उधारों की वर्तमान परिपक्वताओं सहित अल्पावधिक	20.1			2,848.76			2,119.14
(v) पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं	20.2			2.27			2.42
(vi) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित व्यापार देय	20.3			189.57			198.27
(vii) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं							
क) ऋण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.4			636.10			660.72
ख) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं	20.4			734.62			872.25
कुल वित्तीय देयताएं				29,678.85			27,148.36

ख) उचित मूल्य मापन

(i) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत उपलब्ध करवाने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय दस्तावेजों को इंड एस-113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है:

स्तर-1: स्तर -1 स्तर में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी दस्तावेज और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी दस्तावेज जिनका व्यापार मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज तथा मनी मार्केट में किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर-2: सक्रिय बाजार में व्यापार न किए जाने वाले वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो प्रत्यक्ष बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और कंपनी विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम विश्वास करता है। यदि किसी दस्तावेज के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकते योग्य हैं तो दस्तावेज स्तर-2 में शामिल किया जाता है।

स्तर-3: यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान प्रत्यक्ष बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो दस्तावेज को स्तर-3 में शामिल किया जाता है। स्तर-3 में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य सामान्य रूप से स्वीकृत कीमत प्रवाह मॉडल के साथ निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष वर्तमान बाजार लेन-देनों और समान दस्तावेजों के डीलर उद्धरण से कीमतों का उपयोग करके नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित है। इसमें व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्तियां/देयताएं, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम पर ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

विवरण		टिप्पणी सं.			31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को			(करोड़ रुपए में)
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3				
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां											
(i) निवेश –											
– इक्विटी दस्तावेजों में (उद्धृत)		3.1	98.70			93.30					
– ऋण दस्तावेजों (सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में – उद्धृत		3.1	411.64			422.05					
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां											
(i) व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति (मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय)		3.3		22.35					18.21		
कुल			510.34	22.35	-	515.35			18.21	-	

टिप्पणी:

'इन दस्तावेजों के संबंध में नवीनतम उद्धृत बाजार दर के अभाव में, दरों को फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेसिटेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएडीए) के तहत निकाला गया है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को परिशिोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर-आवर्ती उचित मूल्य मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गई वे वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया है:

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को			(करोड़ रुपए में)
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	
वित्तीय परिसंपत्तियां								
(i) ऋण								
क) कर्मचारी	3.2		257.88				216.86	

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को	
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2
ख) संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड) को ऋण	3.2		17.48		18.40	
ग) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.2		802.92		736.62	
(ii) अन्य						
— जमा	3.3			23.19		23.00
— 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3		0.35		0.40	
— भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीयोग्य	3.3	2,017.20			2,017.20	
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		2,017.20	1,078.63	23.19	2,017.20	972.28
वित्तीय देयताएं						
वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1, 20.1 और 20.4	18,245.84	3,847.01	2,991.21	19,083.09	2,207.18
पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि और अल्पावधि परिपक्वताएं	16.2 और 20.2			15.15		12.65
अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देयों सहित)	16.3	2,017.20		76.95	2,017.20	42.12
कुल वित्तीय देयताएं		20,263.04	3,847.01	3,083.31	21,100.29	2,207.18
						2,936.15

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताओं का उचित मूल्य

विवरण	टिप्पणी सं.	(करोड़ रूपए में)		
		31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को
		वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि
वित्तीय परिसंपत्तियां				उचित मूल्य
(i) ऋण				
कर्मचारी	3.2	197.19	257.88	165.25
संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड) को ऋण	3.2	17.48	17.48	18.40
अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.2	802.92	802.92	736.62
(ii) अन्य				
जमा	3.2	23.19	23.19	23.00
— 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3	0.35	0.35	0.40

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
		वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
— भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीयोग्य	3.3	2,017.20	2,017.20	2,017.20	2,017.20
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		3,058.33	3,119.02	2,960.87	3,012.48
वित्तीय देयताएं					
वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1, 20.1 और 20.4	25,327.57	25,084.06	23,284.82	24,171.65
पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि और अल्पावधि परिपक्वताएं	16.2 और 20.2	15.15	15.15	12.65	12.65
अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय सहित)	16.3	2,088.04	2,094.15	2,054.34	2,059.32
कुल वित्तीय देयताएं		27,430.76	27,193.36	25,351.81	26,243.62

टिप्पणी:-

- वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी समतुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहनीय राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।
- उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहनीय राशि उनके उचित मूल्य के समान है।

(घ) उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए मूल्यांकन तकनीक और प्रयुक्त प्रक्रिया

- कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक संगत आंकड़ों का उपयोग करते हुए करती है। वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं—
 - एकसमान दस्तावेजों के लिए उद्धृत बाजार कीमत अथवा डीलर उद्धरण का उपयोग।
 - शेष वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।
- स्तर - 3 पर वर्गीकृत वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर कंपनी के बकाया ऋणों, अधीनस्थ ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋणों को छोड़कर, की भारित औसत दर पर आधारित है।
- बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा लेन-देन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके माना जाता है जहां दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई ऐसी लेन-देन लागतें वास्तविक होती हैं।

(2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रदर्शन	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, परिशोधित लागत पर मापे गए व्यापार प्राप्त और वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्त	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
लिक्विडिटी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. नियत दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्तपोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम – प्रतिभूति मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम – विदेशी विनिमय	भारतीय राष्ट्रीय रुपये में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय

ऋण जोखिम ढांचा

कंपनी के क्रियाकलाप इसे विभिन्न जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं। कंपनी ने पर्याप्त प्रणालियों और पद्धतियों का विकास करके ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र अवसंरचना प्रदान करने हेतु कंपनी की सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल की है।

कंपनी अपने वित्तीय दस्तावेजों के उपयोग से निम्नलिखित जोखिमों का सामना करती है:

i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय दस्तावेज या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। कंपनी को अपने प्रचालनात्मक क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्त/पट्टे वाली परिसंपत्तियों) और अपने वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के पास जमा शामिल हैं, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ii) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वर्तमान तथा भावी नकदी एवं सहायक दायित्वों को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगी।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं – मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करता है। कंपनी के टैरिफ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभारों (एफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं – 1. इक्विटी पर आय (आरओई), 2. मूल्यहास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उपर्युक्त के अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर और कर भी टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर अंतर और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूलीयोग्य हैं और ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते।

(ख) ऋण जोखिम

कंपनी अपने प्रचालनात्मक क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्त) और अपने वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं, से ऋण जोखिम के संपर्क में आती है।

व्यापार प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व तथा पट्टा प्राप्य

कंपनी व्यापार के सामान्य चालन में ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। कंपनी ग्राहकों के भुगतान ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। बकाया प्राप्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। कंपनी व्यापार प्राप्यों के संबंध में जोखिम संकेन्द्रण का मूल्यांकन अत्यधिक निम्न के रूप में करता है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकरण हैं और ये वृहद स्वतंत्र बाजारों में प्रचालन करते हैं। बकाया राजस्व मुख्यतः रिपोर्टिंग तारीख पर बिल नहीं किए गए परन्तु पूरा किए गए कार्यों हेतु मुआवजे पर कंपनी के अधिकार हैं तथा वास्तव में समान प्रकार की संविदाओं के लिए व्यापार प्राप्यों के रूप में समान जोखिम विशेषताओं से संबंधित है।

कंपनी के पट्टा प्राप्य विद्युत क्रय करारों के संबंध में हैं जिन्हें टिप्पणी संख्या 34 में संदर्भित किए गए अनुसार इंड एस 116 – “पट्टों” के अनुसार वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत क्रय करार किसी एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए हैं और पट्टे वाली परिसंपत्तियों अर्थात् पावर स्टेशनों की पीपीई पर ब्याज आय तथा मूलधन की वसूली का मूल्यांकन उसी आधार पर किया जाता है जिन्हें व्यापार प्राप्यों हेतु लगाया जाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

कर्मचारी ऋण: कंपनी ने कर्मचारियों को कंपनी की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन-पत्र की तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली नियत किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन पूर्व के आंकड़ों का मूल्यांकन करता है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करता।

अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण: कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु कंपनी तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऋण दिया है। ऋण का मापन परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण राज्य में चालू की जाने वाली पहली जल विद्युत परियोजना से राज्य सरकार के निशुल्क विद्युत के हिस्से से वसूलीयोग्य है। प्रबंधन ऋण पर किसी चूक की संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करता।

वित्तीय दस्तावेज और नकदी जमा:

कंपनी बैंकों के पास शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रैक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है। सामान्यतः शेषों को उन बैंकों के पास रखा जाता है जिनसे कंपनी ने ऋण भी लिया है। कंपनी अधिशेष नकदी को अनुसूचित बैंकों के पास अल्पावधि जमा में निवेश करती है। कंपनी के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के पास हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधीकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

कंपनी द्वारा जारी कारपोरेट गारंटी:-

कंपनी ने बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल), एनएचपीसी लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी को 1.20 प्रतिशत और लागू जीएसटी के गारंटी शुल्क के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत 213.25 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा के पक्ष में एचडीएफसी बैंक के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। इस गारंटी से कंपनी का एक्सपोजर बीएसयूएल द्वारा बैंक को देय किसी भी ब्याज, कमीशन, शुल्क आदि सहित उक्त क्रेडिट सुविधा के तहत बकाया मूलधन होगा। हालांकि, रिपोर्ट की तारीख पर प्रबंधन अनुषंगी द्वारा चूक की किसी भी संभावना की परिकल्पना नहीं करता है।

(i) ऋण जोखिम का प्रदर्शन

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहनीय राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियाँ (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर-वर्तमान निवेश (सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को छोड़कर)	510.34	515.35
ऋण-गैर वर्तमान (ब्याज सहित)	1,040.78	943.27
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	2,017.55	2,017.60
नकदी और नकदी समतुल्य	937.78	145.57
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	222.93	768.39
ऋण – वर्तमान	55.68	48.08
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे को छोड़कर)	612.42	965.83
कुल (क)	5,397.48	5,404.09

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	4,621.48	4,532.49
पट्टा प्राप्य (ब्याज सहित)	2,555.22	2,664.46
कुल (ख)	7,176.70	7,196.95
कुल (क+ख)	12,574.18	12,601.04

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियाँ हेतु प्रावधान:-

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी भुगतान व्यवहार में परिवर्तनों पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का मूल्यांकन करती है और मामला दर मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली में चूक तब होती है जब प्रबंधन के विचार में वसूली के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद प्राप्यों की वसूली की महत्वपूर्ण संभावना नहीं होती है। चूंकि कंपनी के पावर स्टेशन और लाभार्थी भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, अतः भौगोलिक रूप से ऋण जोखिम का कोई संकेंद्रण नहीं है।

यह कंपनी मुख्य रूप से थोक उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करतह है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली राज्य यूटिलिटीयां शामिल हैं। कंपनी के पास भारत सरकार, आरबीआई तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय करारों (टीपीए) द्वारा समर्थित साख पत्र (एलसी) के रूप में एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है, जो 2001-02 के दौरान भारत सरकार द्वारा सेबी की बकाया राशि का एकमुश्त निपटान जारी करने के बाद, अक्टूबर, 2016 तक वैध था। भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए इस टीपीए के विस्तार को अनुमोदित किया। अधिकांश राज्यों ने इन टीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं तथा शेष राज्यों द्वारा हस्ताक्षर करना प्रक्रिया में हैं। टीपीए के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहकों के लिए पिछले 12 महीनों हेतु कंपनी की औसत मासिक बिलिंग का 105 प्रतिशत शामिल करने के लिए साख-पत्र की स्थापना करना अपेक्षित है। टीपीए में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी राज्य यूटिलिटी द्वारा वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक हुई है तो बकाया राशि की कटौती राज्य की केंद्रीय योजना सहायता से की जा सकती है तथा संबंधित सीपीएसयू को भुगतान की जा सकती है। इसमें बकाया राशि का भुगतान न करने तथा साख पत्रों की गैर-स्थापना के संदर्भ में कंपनी द्वारा विद्युत के विनियमन का भी प्रावधान है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 कंपनी को विलंब भुगतान अधिभार हेतु लाभग्राहियों से बिल जुटाने की अनुमति देते हैं जो कंपनी के भुगतान में विलंब के कारण उत्पन्न होने वाली राशि के समय मूल्य हेतु पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि लाभग्राही मुख्यतः राज्य सरकारें/राज्य की वितरण कंपनियां हैं और व्यापार प्राप्य हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए, कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य के मूल्य में किसी क्षति या व्यापार प्राप्यों की वसूली में विलंब के कारण धन के समय मूल्य में क्षति हेतु कोई परिकल्पना नहीं करती है। तथापि, कंपनी प्रचालनरत परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तनों पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्यों का मूल्यांकन करती है और मामला-दर-मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानियों का प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी व्यापार प्राप्य की गैर-वसूली के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का पुनर्मिलान

इस अवधि के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु छूट में संचलन निम्नवत था:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	व्यापार प्राप्य	निवेश	वसूलीयोग्य दावा	ऋण	कुल
01.04.2020 को शेष	37.71	-	285.72	0.01	323.44
हानि छूट में परिवर्तन	(3.95)	-	(10.57)	-	(14.52)
01.04.2021 को शेष	33.76	-	275.15	0.01	308.92
हानि छूट में परिवर्तन	1.57	14.07	7.47	-	23.11
31.03.2022 को शेष	35.33	14.07	282.62	0.01	332.03

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, कंपनी विश्वास करती है कि किन्हीं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे प्रावधानों की राशियां काफी नहीं हैं।

(ग) लिक्विडिटी जोखिम

विवेकसम्मत लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है।

- i) कंपनी का उद्देश्य नकदी तथा सहायक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के इष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। कंपनी निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करती है। ऋण तथा आंतरिक प्रोद्भवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थी:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिवर्तनशील दर पर	1,425.00	475.00
कुल	1,425.00	475.00

ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएं:

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2022 को

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1 व 20.1	27,080.91	2,848.76	4,337.53	5,321.14	14,573.48
पट्टा दायित्व	16.2 व 20.2	24.13	2.27	4.39	3.01	14.46
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 व 20.4	3,476.56	1,371.41	12.04	6.41	2,086.70
व्यापार देय	20.3	189.57	189.57	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		30,771.17	4,412.01	4,353.96	5,330.56	16,674.64

31 मार्च, 2021 को

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1 व 20.1	24,423.60	2,119.14	3,161.38	4,160.14	14,982.94
पट्टा दायित्व	16.2 व 20.2	24.06	2.42	4.29	1.87	15.48
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 व 20.4	3,605.36	1,533.69	11.32	7.40	2,052.95
व्यापार देय	20.3	198.27	198.27	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		28,251.29	3,853.52	3,176.99	4,169.41	17,051.37

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार-पश्चात लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहनीय मूल्य और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों में संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण की संगत मद की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तनों का प्रभाव है। कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

(i) ब्याज बाजार जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से कंपनी का खुलासा मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ कंपनी की दीर्घावधि ऋण

दायित्वों से संबंधित है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश ऋणों को नियत दर पर बनाए रखने की है। कंपनी के नियत दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करती है। सीईआरसी टैरिफ विनियमों के तहत टैरिफ समायोजन के माध्यम से वसूली के माध्यम से कंपनी को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनशीलता के लिए भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
	भारित औसत ब्याज दर (%)	(करोड़ रुपए में)	भारित औसत ब्याज दर (%)	(करोड़ रुपए में)
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय रुपए)	5.64	3,510.01	-	-
नियत दर ऋण (भारतीय रुपए)	7.87	19,705.49	7.89	20,934.19
नियत दर ऋण (एफसी)	1.38	1,475.97	1.41	1,689.92
कुल		24,691.47		22,624.11

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ या हानि, ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उधार से उच्च/निम्न ब्याज व्यय के प्रति संवेदनशील है। कंपनी के अधिकांशतः ऋण नियत ब्याज दर पर होते हैं। परिवर्तनशील दर उधार के मामले में ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के कारण कंपनी के लाभ और हानि के विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है।

(ii) बाजार दर बेंचमार्क सुधार दर:

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 688.75 करोड़ रुपये की बकाया विदेशी मुद्रा (जेपीवाई) ऋण राशि को दिनांक 25.07.2024 को एकबारगी किश्त में ही 6 माह की फ्लोटिंग दर (लिबोर + 0.75%) से चक्रवृद्धि संदर्भ दर (अर्थात टीओएनए + सीएएस)+0.75: में अंतरित कर दिया है।

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार में बदलाव के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कंपनी के बैंक उधार की संविदात्मक शर्तों में संशोधन किया गया है और संविदात्मक नकदी प्रवाह के निर्धारण के लिए नया आधार आर्थिक रूप से परिवर्तन से पहले के आधार के बराबर है।

कंपनी ने इंड एस 109 में व्यावहारिक समीचीन का विकल्प चुना है अर्थात नकदी प्रवाह प्रवाह में परिवर्तन जो प्रत्यक्ष सुधार के लिए अपेक्षित हैं, को फ्लोटिंग ब्याज दर में परिवर्तन के रूप में माना जाना चाहिए, जो ब्याज की बाजार दर में संचलन के समान है।

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाली कुल बकाया राशि 688.75 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, मूलधन और ब्याज के कारण जोखिम की कुल राशि का बचाव व्युत्पन्न दस्तावेजों द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, ब्याज दर बेंचमार्क सुधारों के कारण कंपनी के लाभ और हानि के विवरण पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ii) मूल्य जोखिम:

(क) प्रदर्शन

मूल्य जोखिम से कंपनी का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण दस्तावेजों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में कंपनी का निवेश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और स्टॉक एक्सचेंज में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण दस्तावेजों में कंपनी के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन-पत्र में गैर-वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) मूल्य जोखिम संवेदनशीलता

इक्विटी दस्तावेजों में निवेश हेतु (आईओबी तथा पीटीसी के इक्विटी शेयरों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेश:				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	8.62%	8.50	1.54	1.43

संवेदनशीलता को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में उद्धृत शेयर मूल्यों में छमाही उतार-चढ़ाव के पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर निकाला गया है।

ऋण दस्तावेज में निवेश हेतु (सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बॉण्ड में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु कंपनी की इक्विटी पर ऋण दस्तावेजों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	प्रतिशत परिवर्तन	ऋण दस्तावेजों के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	ऋण दस्तावेजों के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)
सरकारी प्रतिभूतियां	0.61	2.01	1.11	3.77
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कर मुक्त बाण्ड	1.42	1.20	2.14	1.88

(iii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) विदेशी मुद्रा प्रदर्शन:

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के प्रदर्शन को भारतीय राष्ट्रीय रुपये में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वित्तीय देयताएं		
विदेशी मुद्रा ऋण		
जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन लि. (जेपीवाई)	801.97	968.62
एमयूएफजी बैंक (जेपीवाई)	674.00	721.30
अन्य वित्तीय देयताएं	49.77	48.91
विदेशी मुद्रा से निवल प्रदर्शन (देयताएं)	1,525.74	1,738.83

उपरोक्त में से, एमयूएफजी बैंक से ऋण का बचाव व्युत्पन्न दस्तावेज द्वारा किया जाता है। विनिमय अंतर के कारण शेष प्रदर्शन लाभ/(हानि), टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। इसलिए, ऐसे प्रदर्शन के संबंध में मुद्रा जोखिम अधिक काफी नहीं होगा।

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहनीय लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण: इक्विटी अनुपात को विहित करते हैं। तदनुसार, कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करती है।

कंपनी ऋण: इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण: इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है:

गियरिंग अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(क) कुल ऋण (करोड़ रुपए में)	28,047.72	25,379.98
(ख) कुल पूंजी (करोड़ रुपए में)	33,486.10	31,603.11
गियरिंग अनुपात (क/ख)	0.84	0.80

टिप्पणी: कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन हेतु, पूंजी में निर्गत पूंजी और आरक्षित शामिल हैं। कुल ऋण में दीर्घावधिक ऋण और उनकी वर्तमान परिपक्वता अवधि सहित पट्टा देयताएं, अल्पावधिक उधार और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय शामिल हैं।

(ख) ऋण प्रसंविदाएं:

प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के अंतर्गत, कंपनी के लिए निम्नलिखित वित्तीय प्रसंविदाओं का अनुपालन अपेक्षित है—

1. कंपनी क्रेडिट रेटिंग एएए को बनाए रखेगी और यदि रेटिंग नीचे आती है तो ब्याज की दर एएए रेटिंग से नीचे वाले प्रत्येक स्तर हेतु 25 आधार बिंदु तक बढ़ जाएगी।
2. निवल मूल्य की तुलना में ऋण 2:1 से अधिक नहीं होगा।
3. ब्याज कवरेज अनुपात 2 गुना से अधिक होगा और इसकी गणना ((निवल लाभ + निवल नकदी व्यय + देय ब्याज – गैर नकदी आय)/देय ब्याज) के रूप में की जाएगी।
4. कंपनी का सकल ऋण सेवा कवरेज अनुपात ऋण की मुद्रा के दौरान 1.25 गुना से कम नहीं होगा।
5. कंपनी में सरकार की धारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
6. समरूप आधार पर 1:1.33 कवरेज के साथ परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार।

(ग) लाभांश: (टिप्पणी सं. 15.2 देखें)

वर्ष के दौरान कंपनी ने उक्त ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन किया है।

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(i) इक्विटी शेयर		
0.35 रूपए के पूर्णतः प्रदत्त शेयर का वर्ष 2020–21 हेतु अंतिम लाभांश सितम्बर, 2021 में अनुमोदित और अक्टूबर, 2021 में अदा किया गया (31 मार्च, 2019 को – वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 0.32 भारतीय रूपए पूर्णतः प्रदत्त शेयर)	351.58	321.44
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु 1.31 रूपए (31 मार्च, 2021 – 1.25 रूपए) प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतरिम लाभांश	1,315.90	1255.63
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता न दिया गया लाभांश		
उपर्युक्त लाभांशों के अतिरिक्त, वर्ष के अंत से निदेशकों ने 0.50 रूपए (31 मार्च, 2021 – 0.35 रूपए) प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयरों के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। प्रस्तावित लाभांश आगामी एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्वधीन है।	502.25	351.58

टिप्पणी सं. 33(4): अनुपात

31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	विवरण	गणक	विभाजक	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	% भिन्नता	भिन्नता के कारण
(क)	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्ति	वर्तमान देयताएं	1.20	1.27	-5.27	
(ख)	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.84	0.80	4.30	
(ग)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	3.62	3.03	19.68	
(घ)	इक्विटी पर आय अनुपात (% में)	कर अदायगी के पश्चात लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	10.87	10.55	3.06	
(ङ)	मालसूची कारोबार अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	औसत मालसूची	62.59	65.71	-4.75	
(च)	व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	औसत देनदार	1.81	1.65	10.05	

क्रम सं.	विवरण	गणक	विभाजक	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2031	% भिन्नता	भिन्नता के कारण
(छ)	व्यापार देय कारोबार अनुपात	खरीद	औसत व्यापार देय	5.16	4.46	15.72	
(ज)	निवल पूंजी कारोबार अनुपात	प्रचालनों से राजस्व	कार्यशील पूंजी	6.92	5.61	23.50	यह वृद्धि, कार्यशील पूंजी में कमी के कारण हुई है।
(झ)	निवल लाभ अनुपात (% में)	निव लाभ	प्रचालनों से राजस्व	42.35	38.15	11.01	
(ञ)	नियोजित पूंजी पर आय (% में)	ब्याज और कर पूर्व आय	नियोजित पूंजी (कुल परिसंपत्ति-वर्तमान देयताएं)	7.19	7.43	-3.13	
(ट)	निवेश पर आय – उद्धृत निवेश (% में)						
	(i) उद्धृत इक्विटी	निवेशों से सृजित आय	समय भारित औसत निवेश	15.43	120.85	-87.23	यह कमी निवेश के बाजार मूल्य में कमी के कारण हुई है।
	(ii) उद्धृत ऋण दस्तावेज			4.95	8.52	-41.90	यह कमी निवेश के बाजार मूल्य में कमी के कारण हुई है।
	(iii) सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश (अनुद्धृत)			5.12	8.76	-41.55	यह कमी, एनएचडीसी लिमिटेड में दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार एनएचपीसी की धारिता के मूल्य में कमी और अन्य सहायक कंपनियों, जो अभी तक वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं कर पाई हैं, में एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा इक्विटी अंशदान के कारण आई है।

टिप्पणी संख्या – 34 : लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटन:-

जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है, वहां तक आकस्मिक देयताएं-

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकर नहीं किया गया है:

(i) पूंजीगत कार्य

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विचलन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल सौंपे जाने में विलंब आदि के कारण निष्क्रियता प्रभारों के संबंध में कंपनी के प्रति कुल **10240.95 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **10099.97 करोड़ रुपये**) के दावे दर्ज किए हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं अथवा मध्यस्थता अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें अद्यतित तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरुद्ध मध्यस्थता फैसलों के प्रति **6040.86 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **5772.52 करोड़ रुपये**) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना के आधार पर **418.63 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **412.91 करोड़ रुपये**) के प्रावधान को मान्यता दी है और **9546.17 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **9480.36 करोड़ रुपये**) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता के रूप में लगाया है अर्थात् वह राशि जिसके लिए कंपनी को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में, निपटान में किसी बहिर्वाह की संभावना को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में, कुछ भूतपूर्व भू-स्वामियों ने विभिन्न प्राधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष **260.87 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **238.30 करोड़ रुपये**) की राशि के उच्चतर मुआवजे हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक, कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना के आधार पर **43.86 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **3.26 करोड़ रुपये**) की राशि प्रदान की है और आकस्मिक देयता की राशि के रूप में **217.01 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **235.04 करोड़ रुपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्वाह को संभाव्य नहीं माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष **1905.72 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **923.22 करोड़ रुपये**) की राशि के विवादित आय कर/बिक्री कर/सेवा कर/जल उपकर/हरित ऊर्जा उपकर/अन्य कर/शुल्क मामले लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक, कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना के आधार पर **17.52 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **17.52 करोड़ रुपये**) की राशि प्रदान की है और **704.29 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **645.25 करोड़ रुपये**) को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जा रहा है क्योंकि संसाधनों के बहिर्वाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में, निपटान में किसी बहिर्वाह की संभावना को काफी कम माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **765.02 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **777.54 करोड़ रुपये**) के हैं। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक, कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना के आधार पर **102.24 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **92.49 करोड़ रुपये**) की राशि प्रदान की है और आकस्मिक देयता की राशि के रूप में **653.45 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **679.97 करोड़ रुपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्वाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में, निपटान में किसी बहिर्वाह की संभावना को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को दावे	दावों के प्रति आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2022 को आकस्मिक देयता	31.03.2021 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/ (कटौती)	01.04.2021 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	पूँजीगत कार्य	10,240.95	418.63	9,546.17	9480.36	65.81	751.88
2.	भूमि मुआवजा मामले	260.87	43.86	217.01	235.04	(18.03)	27.65
3.	विवादित कर मामले	1,905.72	17.52	704.29	645.25	59.04	2.59
4.	अन्य	765.02	102.24	653.45	679.97	(26.52)	88.39
	कुल	13,172.56	582.25	11,120.92	11040.62	80.30	870.51

(ख) सेवा मामलों और अन्यो के संबंध में लंबित मामलों, जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं उपरोक्त में शामिल नहीं हैं।

(ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में बर्हिवाह से संबंधित अनिश्चितता को सुनिश्चित करना/प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

(घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के निमित्त कंपनी को **462.67 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **469.82 करोड़ रुपये**) की प्रतिपूर्ति की संभावना है।

(ङ) (i) पूँजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति **1140.40 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **1140.45 करोड़ रुपये**) की राशि का भुगतान, दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के नीति आयोग के कार्यालय ज्ञापन सं. 14070/14/2016-पीपीपीएयू के माध्यम से जारी निदेशों के अनुपालन में, जो ऐसे मामलों हेतु है जहां मध्यस्थता अधिकरणों ने संविदाकारों के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे फैसलों/आदेशों को कंपनी द्वारा न्यायालय में फिर से चुनौती दी गई/चुनौती दी जा रही है। इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों (टिप्पणी संख्या 5 भी देखें) के तहत दर्शाया गया है।

(ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के लिए न्यायालय के आदेश के अनुसार **1656.11 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **1568.68 करोड़ रुपये**) की राशि मामलों के प्रतिवाद के लिए दी गई/न्यायालय में जमा की गई/प्रदत्त है और इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर-वर्तमान/वर्तमान परिसंपत्तियों/दावेदारों की अन्य देयताओं के विरुद्ध समायोजित के तहत दर्शाया गया है।

(च) प्रबंधन यह आशा नहीं करता कि उक्त दावे/दायित्व (जो मुकदमेबाजी के अधीन हैं), अन्त में जब समाप्त होंगे तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालनों के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई वास्तविक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।

(छ) दिनांक 31.03.2022 को आकस्मिक देयता के एजेंसी-वार ब्यौरों की श्रेणी निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को दावे	दावों के प्रति आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2022 को आकस्मिक देयता	31.03.2021 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि (+)/कटौती (-)	01.04.2021 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1	केन्द्र सरकार के विभाग	1,257.17	0.83	72.43	71.82	0.61	-
2	राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	688.97	46.01	642.36	586.85	55.51	5.85
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)	137.94	101.87	7.19	15.59	(8.40)	9.49
4	अन्य	11,088.48	433.54	10,398.94	10,366.36	32.58	855.17
	कुल	13,172.56	582.25	11,120.92	11,040.62	80.30	870.51

2. आकस्मिक परिसंपत्तियां – कंपनी के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं:

(क) कंपनी द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे:

कंपनी ने अन्य निकायों के दावों के प्रति 1067.90 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 971.12 करोड़ रुपये) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका मध्यस्थता अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें मध्यस्थता निर्णयों के प्रति उस पर अद्यतन तदनुसूची ब्याज सहित 26.74 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 28.16 करोड़ रुपये) के प्रति दावे शामिल हैं।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार, 828.50 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 841.22 करोड़ रुपये) की कुल राशि के दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतर्वाह की कोई संभावना बहुत कम है। तथापि, इन दावों को मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) विलंब भुगतान अधिभार:

सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों) विनियम 2014-19/2019-24 लाभग्राहियों को बिल प्रस्तुत किए जाने की तिथि से निर्दिष्ट दिवसों से अधिक के भुगतान में विलंब के मामले में उत्पादक कंपनी द्वारा विलंब भुगतान अधिभार को लगाए जाने का प्रावधान करता है। लाभार्थियों से अंतिम संग्रहण में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के मद्देनजर, प्रबंधन द्वारा किए गए आकलन के अनुसार 25.61 करोड़ रुपये (पूर्व वर्ष 60.94 करोड़ रुपये) की राशि नहीं मानी गई है।

(ग) पावर स्टेशनों के संबंध में मान्यता प्रदान न की गई सीमा तक राजस्व:

वर्ष 2019-24 के लिए याचिका शुल्क के कारण टैरिफ आदेश सभी पावर स्टेशनों के संबंध में लंबित हैं। प्रबंधन ने आकलन किया है कि टैरिफ संशोधन के कारण 7.26 करोड़ रुपये (पूर्व वर्ष में 4.93 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त राजस्व लगने की संभावना है जिसे उसके अनुमोदन के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण नहीं माना गया है।

(घ) व्यापार बाधा हानि:

पावर स्टेशनों के संबंध में व्यापार बाधा हानि के कारण बीमा दावे तब देय होते हैं जब अंतिम एकत्रीकरण की कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो। प्रबंधन ने इस संबंध में 192.71 करोड़ रुपये (पूर्व वर्ष में 417.57 करोड़ रुपये) के दावे का मूल्यांकन किया है जिसे नहीं माना गया है। दावों के पावर स्टेशन-वार ब्यौरे एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(23) में दिए गए हैं।

(ङ) अन्य मामले

अन्य विविध मामलों, जिनमें न्यायालय में लंबित मामलों, परिसमापन हानि, पूर्व कर्मचारियों से देय राशि आदि के संबंध में नीति आयोग के दिशानिर्देशों/न्यायालयी आदेशों के अनुसार जमा राशि पर ब्याज शामिल है, के कारण दावों में प्रबंधन द्वारा अनुमानित 826.00 करोड़ रुपये (पूर्व वर्ष 553.04 करोड़ रुपये) को मान्यता नहीं दी गई है।

3. प्रतिबद्धताएं (जिनका उस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है):

क) पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (चल रहे पूंजीगत कार्य सहित)	2130.30	3263.38
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	0.85	0.02
	कुल	2131.15	3263.40

ख) कंपनी की 31 मार्च, 2022 के अनुसार सहायक कंपनियों में अतिरिक्त निवेश के निमित्त 1344.47 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1414.47 करोड़ रुपये) की प्रतिबद्धताएं हैं।

ग) कंपनी की 31 मार्च, 2022 के अनुसार संयुक्त उद्यम निकायों में अतिरिक्त निवेश के निमित्त 762.19 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 807.27 करोड़ रुपये) की प्रतिबद्धताएं हैं।

4. कंपनी द्वारा बीएसयूएल को जारी कॉर्पोरेट गारंटी के संबंध में प्रतिबद्धता: वर्ष के दौरान, कंपनी ने बैंक द्वारा एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल) को संस्वीकृत 213.25 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा के समर्थन में एचडीएफसी बैंक के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है, जिसके लिए 1.20% का

गारंटी शुल्क और लागू जीएसटी प्रभारित जा रहा है। गारंटी से कंपनी का ऋण जोखिम बीएसयूएल द्वारा बैंक को देय किसी भी ब्याज, कमीशन, शुल्क आदि सहित उक्त ऋण सुविधा के तहत बकाया मूलधन होगा। तदनुसार, 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ऋण जोखिम **60.19 करोड़ रुपये** (31 मार्च, 2021% शून्य) है। बीएसयूएल से प्राप्य गारंटी शुल्क के रूप में मान्यता प्राप्त आय **0.03 करोड़ रुपये** (31 मार्च, 2021% शून्य) है।

5. भारतीय लेखांकन मानक 115 – “ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व” के अनुसार प्रकटन

(क) वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति

राजस्व का अधिकांश हिस्सा: कंपनी के राजस्व में विद्युत बिक्री, व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री, परामर्श तथा अन्य सेवाएं शामिल हैं। प्रमुख क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार है:—

(क) विद्युत की बिक्री से राजस्व

कंपनी का अधिकांश राजस्व विद्युत की बिक्री से आता है। कंपनी थोक उपभोक्ताओं मुख्यतः राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटीयों तथा राज्यों में प्रचानात्मक निजी डिस्कॉमों को बिजली की बिक्री करती है। विद्युत की बिक्री आमतौर पर लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुरूप होती है।

विद्युत की बिक्री हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित हैं:—

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
विद्युत की बिक्री	कंपनी लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार के आधार पर विद्युत की बिक्री के लिए संविदा से राजस्व की पहचान करती है, जो पावर स्टेशनों के संपूर्ण जीवनकाल, अर्थात् 40 वर्ष, के लिए है। विद्युत अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों द्वारा लागू सीमा तक यथासंशोधित 5 वर्षों की टैरिफ अवधि के लिए सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के आधार पर विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को लेखांकित किया जाता है। पावर स्टेशनों के संबंध में, जहां टैरिफ दरें सीईआरसी द्वारा अपने आदेशों में अभी अनुमोदित की जानी हैं/अनंतिम रूप से अनुमोदित हैं, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरों को अपनाया है। एक बार लाभार्थी को बिजली पहुंचाने के बाद विद्युत की बिक्री से राजस्व को मान्यता दी जाती है। लाभार्थियों को समय-समय पर और नियमित आधार पर बिल दिया जाता है।

(ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य (परियोजनाएं और परामर्शक)

कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए परामर्श और परियोजना निष्पादन एवं अनुरक्षण संविदा करती है। सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् डिजाइन तथा इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति, परियोजना प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण, विनिर्माण प्रबंधन, विद्युत संयंत्रों का प्रचालन एवं अनुरक्षण, ग्रामीण सड़क परियोजनाएं और ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं में प्रदान की जाती हैं।

परामर्शी एवं अन्य सेवाओं हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित हैं:—

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परामर्शी सेवाएं	कंपनी समय में परामर्शी सेवाओं के लिए संविदा से राजस्व का पहचान करती है क्योंकि उपभोक्ता कंपनी द्वारा एक साथ प्रदान किए गए हितलाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है। संविदा के अंतर्गत अंतरित परिसंपत्तियों (प्रदेय, रिपोर्ट आदि) का कंपनी के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और कंपनी को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का अधिकार है। परामर्श सेवाओं से राजस्व संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा की शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।
ग्रामीण सड़क परियोजना / ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना	कंपनी समय में योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों से राजस्व की पहचान करती है क्योंकि परिसंपत्तियों का कंपनी के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और कंपनी को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का अधिकार है। योजना से राजस्व संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा की शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।

(ग) विद्युत का व्यापार

कंपनी उत्पादन कंपनियों से विद्युत खरीदती है और इसे डिस्कॉमों को बेचती है। करारों की प्रकृति, जोखिम तथा रिवाइड प्रोफाइल के आधार पर, कंपनी एजेंट के रूप में या प्रमुख के रूप में विद्युत के व्यापार से राजस्व का हिसाब करती है।

व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित हैं:-

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री	कंपनी समय में व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री के लिए संविदा से राजस्व की पहचान करती है क्योंकि उपभोक्ता कंपनी द्वारा एक साथ प्रदान किए गए हितलाभों को लाभों को प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है। व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री से राजस्व की गणना हेतु टैरिफ करार के शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा में निहित शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।

(ख) राजस्व का विभाजीकरण

निम्नलिखित तालिका में, राजस्व का विभाजन उत्पादन और सेवाओं की प्रकृति, भौगोलिक बाजार और राजस्व मान्यता का समय द्वारा किया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए विद्युत का उत्पादन (वित्त एवं प्रचालनात्मक पट्टों के तहत वर्गीकृत राजस्व सहित)		परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य		विद्युत का व्यापार		अन्य	कुल	
भौगोलिक बाजार	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2021
भारत	8,180.57	8,094.06	45.57	38.36	44.85	216.48	82.22	157.52	8,353.21
अन्य			0.59	0.16	-	-	-	-	0.59
कुल	8,180.57	8,094.06	46.16	38.52	44.85	216.48	82.22	157.52	8,353.80
राजस्व मान्यता का समय:									
समय के साथ स्थानांतरित उत्पाद और सेवाएं	8,180.57	8,094.06	46.16	38.52	44.85	216.48	82.22	157.52	8,353.80
बेची गई यूनिटें (एमयू)	21377	21281	-	-	-	-	-	-	21377

(ग) संविदा शेष

व्यापार प्राप्त, बिल न किये गये राजस्व और जमा कार्य एवं संविदा देयताओं के लिए उपभोक्ताओं/ग्राहकों से अग्रिम – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	वर्तमान	वर्तमान
व्यापार प्राप्त (बिल न किया गया सहित)	4,621.48	4,532.49
संविदा देयताएं – जमा कार्य	6.30	7.53

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	वर्तमान	वर्तमान
संविदा देयताएं – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य	112.54	144.09
उपभोक्ताओं और अन्यो से अग्रिम	66.77	32.99

कंपनी ने प्रारंभिक संविदा देयताओं से शून्य (पूर्व वर्ष शून्य) के राजस्व को मान्यता दी है।

(घ) शेष निष्पादन दायित्वों पर आबंटित लेन-देन कीमत कंपनी के प्रचालनों पर न तो लागू है और न ही वास्तविक है।

(ङ) इंड एस 115 “ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व” के अनुसार लागू किए गए व्यावहारिक उपाय:

- कंपनी ने शेष निष्पादन दायित्वों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की है, जिनकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है और जहां राजस्व मान्यता प्राप्त है, जो अब तक पूर्ण किए गए निकाय के निष्पादन के उपभोक्ता के मूल्य के साथ मेल खाती है।
- कंपनी के पास सामान्य व्यापार में कोई संविदा नहीं है जहां ग्राहक को वादा किए गए वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक है। तदनुसार, लेन-देन के मूल्य को केवल धन मुद्रा के समय मूल्य के लिए समायोजित किया गया है, जहां ऐसी मुद्रा का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

(च) कंपनी ने ग्राहक के साथ संविदा प्राप्त करने की कोई वृद्धिशील लागत नहीं व्यय की है और इसलिए ऐसी लागत के लिए किसी संपत्ति को मान्यता नहीं दी है।

6. वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) का प्रभाव निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	एफईआरवी के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	(49.28)	(34.21)
(ii)	पीपीई की वहनीय राशि में समायोजित राशि	(58.77)	(49.71)
(iii)	विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में मानी गई राशि	(0.17)	(1.70)

7. प्रचालन खंड:

क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालनात्मक पट्टों से आय सहित) कंपनी का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन अर्थात् संविदाएं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य और विद्युत व्यापार कार्य “प्रचालन खंड” संबंधी इंड एस-108 के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं।

ख) कंपनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

ग) प्रमुख उपभोक्ताओं के संबंध में सूचना: निम्नलिखित उपभोक्ताओं से 4895.89 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 4987.24 करोड़ रुपये) का राजस्व नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निकाला जाता है:

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उपभोक्ता से राजस्व		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उपभोक्ता से राजस्व	
		राशि (करोड़ रुपये में)	कुल राजस्व का %	राशि (करोड़ रुपये में)	कुल राजस्व का %
1	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	1702.31	20.38%	1463.35	17.20%
2	विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार/जेके पावर कारपोरेशन लिमिटेड	1535.71	18.38%	1452.30	17.07%
3	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	819.76	9.81%	1302.30	15.31%
4	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	838.11	10.03%	769.29	9.04%
	कुल	4895.89	58.60%	4,987.24	58.62%

घ) बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व: कंपनी भारत में अधिवासित है। बाहरी ग्राहकों से इसके राजस्व की राशि नीचे दिए अनुसार है:
(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बाहरी उपभोक्ता से राजस्व	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1	नेपाल	0.59	-
2	भूटान	-	0.16
	कुल	0.59	0.16

टिप्पणी : उक्त में विदेशी मुद्रा में शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

8. भारतीय लेखांकन मानक-24 “संबंधित पक्ष प्रकटन” के अंतर्गत प्रकटन:

(क) संबंधित पक्षकारों की सूची

(i) सहायक कंपनियां:

कंपनियों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत
लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	भारत
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	भारत
दिनांक 31.03.2021 से जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल)	भारत
रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (दिनांक 01.06.2021 से) (आरएचपीसीएल)	भारत

(ii) संयुक्त उद्यम

कंपनियों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	भारत
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टर प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल)	भारत

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1	श्री अभय कुमार सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार (दिनांक 03.12.2021 से 02.03.2022 तक)
2	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक) (दिनांक 02.12.2021 से पद पर नहीं रहे)
3	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी); निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार (दिनांक 03.03.2022 से 31.03.2022 तक)
4	श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
5	श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)
6	श्री तन्मय कुमार	सरकारी नामिती निदेशक (संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय) (दिनांक 13.09.2021 से पद पर नहीं रहे)
7	श्री रघुराज माधव राजेंद्रन	सरकारी नामिती निदेशक (संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय) (दिनांक 16.09.2021 को नियुक्त किए गए)

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
8	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 15.11.2021 को नियुक्त किए गए)
9	डॉ. अमित कंसल	स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 21.11.2021 को नियुक्त किए गए)
10	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 30.11.2021 को नियुक्त की गई)
11	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 01.12.2021 को नियुक्त किए गए)
12	श्रीमती रुपा देब	कंपनी सचिव (दिनांक 24.09.2021 को नियुक्त की गई)
13	श्री सौरभ चक्रवर्ती	कंपनी सचिव (दिनांक 24.09.2021 से पद पर नहीं रहे)

(iv) रोजगार-पश्चात हितलाभ योजनाएं :

संबंधित पक्षकार का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण ट्रस्ट	भारत

(v) संयुक्त नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों अथवा कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव

कंपनी बहुसंख्यक शेयरों के धारण के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है। कंपनी ने सरकार से संबंधित कंपनियों के लिए उपलब्ध छूट हेतु आवेदन किया है और भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है। अतः ऐसे लेन-देनों के पक्षकार-वार ब्यौरे नहीं दिए गए हैं क्योंकि ये लेन-देन सामान्य वाणिज्यिक शर्तों पर साधारण व्यापार प्रक्रिया में नहीं लिए जाते हैं और महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं।

क्रम सं.	सरकार का नाम	एनएचपीसी के साथ संबंध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण वाले शेयरधारक
2	विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और अन्य सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियां (बीएचईएल, आईओसीएल, पोसोको, सेल, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, दामोदर वैली कारपोरेशन, पीजीसीआईएल, आरईसी, बीएसएनएल, ईईएसएल, केवी, बॉमर लॉरी एंड कंपनी लि., आदि)	उसी सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा नियंत्रित कंपनियां जिनका एनएचपीसी में नियंत्रण है

(ख) संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेन-देन किए गए एवं शेष रहे:

(i) सहायक कंपनियों के साथ लेन-देन एवं उनके पास शेष :

(करोड़ रुपये में)		
सहायक कंपनियों के साथ लेन-देन	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं		
• एनएचडीसी	0.01	0.03
• बीएसयूएल	0.03	-
• एलडीएचसीएल	1.28	1.29
• एलटीएचपीएल	10.34	14.92

सहायक कंपनियों के साथ लेन-देन	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
• जेपीसीएल	5.87	-
• आरएचपीसीएल	4.89	-
कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश		
• एनएचडीसी	292.71	283.68
कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान (शेयर अनुप्रयोग राशि सहित)		
• बीएसयूएल	39.82	39.40
• एलडीएचसीएल	6.66	8.61
• एलटीएचपीएल	445.00	75.00
• जेपीसीएल	116.49	165.00
• आरएचपीसीएल	137.70	-
निम्नलिखित में प्रतिनियुक्ति पर/नियुक्त कर्मचारियों की लागत की प्रतिपूत		
• एनएचडीसी	2.05	1.91
• बीएसयूएल	0.17	0.17
• एलडीएचसीएल	0.30	0.03
• एलटीएचपीएल	1.80	1.28
• जेपीसीएल	0.69	-
• आरएचपीसीएल	0.70	-

(करोड़ रुपये में)

सहायक कंपनियों के पास शेष	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
प्राप्य/(भुगतान योग्य) – अप्रतिभूतित		
• एनएचडीसी	(0.76)	(0.86)
• बीएसयूएल	(0.05)	(0.07)
• एलडीएचसीएल	0.24	(0.01)
• एलटीएचपीएल	1.02	2.94
• जेपीसीएल	3.40	-
• आरएचपीसीएल	5.78	-
इक्विटी में निवेश (शेयर अनुप्रयोग राशि सहित)		
• एनएचडीसी	1002.42	1002.42
• बीएसयूएल	84.22	44.40
• एलडीएचसीएल	105.56	98.90
• एलटीएचपीएल	1440.50	995.50
• जेपीसीएल	281.49	165.00
• आरएचपीसीएल	137.70	-
निम्नलिखित को दी गई कारपोरेट गारंटी:		
बीएसयूएल (टिप्पणी 34(4) देखें)	60.19	-

(ii) संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं		
सीवीपीपीएल	33.22	23.33
कंपनी द्वारा इक्विटी अंशदान (शेयर अनुप्रयोग राशि सहित)		
सीवीपीपीएल	451.56	500.00
निम्नलिखित में प्रतिनियुक्ति पर/नियुक्त कर्मचारियों की लागत की प्रतिपूत		
सीवीपीपीएल	2.95	2.81
कंपनी द्वारा निम्नलिखित को दिया गया ऋण		
एनएचपीटीएल	-	12.40
कंपनी द्वारा निम्नलिखित से लिए गए ऋण पर ब्याज:		
एनएचपीटीएल	-	0.60

(करोड़ रुपये में)

संयुक्त उद्यमों के पास शेष	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
प्राप्य (अप्रतिभूतित)		
सीवीपीपीएल	60.89	54.07
इक्विटी में निवेश		
सीवीपीपीएल	1839.56	1388.00
एनएचपीटीएल	30.40	30.40
निम्नलिखित से प्राप्य ऋण एवं अग्रिम (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		
एनएचपीटीएल	18.82	18.82

(iii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ किए गए लेन-देन और उनके पास शेष:

(करोड़ रुपये में)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रतिपूर्ति	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	5.11	4.48
रोजगार-पश्चात हितलाभ	0.49	0.92
अन्य दीर्घावधिक हितलाभ	0.09	0.78
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ अन्य लेन-देन	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क	0.14	0.05
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.09	0.03
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के पास शेष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारी ऋण के कारण प्राप्य	0.42	0.28

(iv) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाओं में लेन-देन और शेष

(करोड़ रुपये में)

रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं	कंपनी द्वारा अंशदान (रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाओं से प्रतिदेय का निवल)		रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाओं में शेष प्राप्य/ (भुगतान योग्य)	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	320.61	360.79	(53.54)	-
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह आश्वासन निधि	78.53	(82.92)	7.78	58.14
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास	(37.39)	33.81	5.60	95.26
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना न्यास	5.39	5.93	(0.43)	(0.48)
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना न्यास	182.83	136.72	(40.35)	(51.16)
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण न्यास	14.78	(8.09)	4.98	49.51

(v) सरकार के वे महत्वपूर्ण लेन-देन जिनका कंपनी में नियंत्रण है (अर्थात केंद्र सरकार)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
भारत सरकार को विदेशी ऋणों पर गारंटी शुल्क	11.62	13.59
कंपनी द्वारा भुगतान किये गये अधीनस्थ ऋणों पर ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	70.73	70.64
विद्युत मंत्रालय के अधिदेश पर जारी और भारत सरकार को प्रदत्त 8.12 प्रतिशत एनएचपीसी भारत सरकार पूर्णतः सेवित बांड पर प्राप्त ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	163.80	163.58
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	40.75	19.20
कंपनी द्वारा सामानों (विद्युत) की बिक्री	25.47	25.70
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	1183.04	1118.90
कंपनी द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	-	65.31
कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाएं	0.45	-

(vi) केंद्र सरकार के पास बकाया शेष और गारंटियां:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
केंद्र सरकार के पास शेष (जिनका कंपनी में नियंत्रण है)		
सरकार को भुगतानयोग्य ऋण (अधीनस्थ ऋण) (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	4831.02	4854.05
प्राप्य – विद्युत मंत्रालय के अधिदेश पर जारी और भारत सरकार को प्रदत्त 8.12 प्रतिशत एनएचपीसी भारत सरकार पूर्णतः सेवित बांड (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	2021.69	2021.69
भुगतानयोग्य (अप्रतिभूतित)	-	-
प्राप्य (अप्रतिभूतित)	54.55	19.24
सरकार से प्राप्त गारंटी (विदेशी मुद्रा उधार के निमित्त)	801.97	968.62

(vii) सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों के साथ लेन-देन जिनका कंपनी में नियंत्रण है

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
संपत्ति/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	29.35	17.68
निर्माण सामग्री, भंडार आदि की खरीद	460.03	169.65
कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाएं	572.42	494.51
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	0.59	0.81
कंपनी द्वारा बनाई गई वस्तुओं/वस्तु सूची की बिक्री	72.76	73.11
बीमा दावों के निमित्त कंपनी द्वारा दावे का निपटान/प्राप्त की गई राशि	105.20	8.16

(viii) सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों के पास शेष जिनका कंपनी में नियंत्रण है

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
(i)	(ii)	(iii)
भुगतानयोग्य	50.73	86.87
प्राप्य	178.24	156.25

(ग) संबंधित पक्षकार लेन-देनों के संबंध में अन्य टिप्पणियां

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देनों की निबंधन एवं शर्तें

- क. राज्य सरकारों के साथ तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ लेन-देन तात्कालिकता, उपयुक्तता अथवा अन्य कारणों से एकल निविदा आधार पर प्रोपाइटीरी मर्चें के लिए मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) से कल-पुर्जों/सेवाओं की खरीद करने के कुछ मामलों को छोड़कर, खुली निविदाओं के विरुद्ध एक पारदर्शी कीमत वसूली प्रक्रिया के माध्यम से बिना किसी संबंध के आधार पर (केंद्र सरकार से रियायती दर पर प्राप्त अधीनस्थ ऋण को छोड़कर) बाजार की शर्तों पर किया जाता है। इस प्रकार की एकल निविदा खरीद उसी/समान मर्चों के उपलब्ध कीमत आंकड़ों के प्रति निर्धारित कीमतों से मोलभाव की प्रक्रिया के माध्यम से भी की जाती है।
- ख. एनएचपीटीएल को दिये गये **18.40 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **18.40 करोड़ रुपये**) के अप्रतिभूतित ऋण पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है और उसे वार्षिक आधार पर जोड़ा जाता है।
- ग. इस कंपनी द्वारा सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों को दी गई परामर्श सेवा आम तौर पर नामांकन आधार पर उन शर्तों, निबंधनों और सिद्धांतों पर होती है जो अन्य पक्षकारों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं के लिए लागू होती हैं।
- घ. सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम कंपनी के बकाया शेष 31.03.2022 को अप्रतिभूतित होते हैं और इसका निपटान बैंकिंग लेन-देन के माध्यम से होता है। ऋण को छोड़कर ये शेष ब्याज मुक्त होते हैं। हानि का आकलन संबंधित पक्षकार की प्रत्येक वित्तीय स्थिति एवं बाजार, जिसमें संबंधित पक्षकार प्रचालन करता है, की जांच करने के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, एनएचपीटीएल को अप्रतिभूतित ऋण पर अर्जित ब्याज के लिए प्रावधान किया गया है।
- ङ. रोजगार-पश्चात हितलाभ योजनाओं में अंशदान ट्रस्टों से प्रतिदाय का निवल होता है।

(ii) संयुक्त उद्यम कंपनियों में अतिरिक्त निवेश के लिए प्रतिबद्धताओं का प्रकटन टिप्पणी 34(3) में किया गया है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा, लघु जलविद्युत और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए दिनांक 16.02.2022 को एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एनआरईएल में कोई निवेश नहीं है।

9. प्रतिभूति का विवरण: ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में रेहन/गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों की वहनीय राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
प्रथम प्रभार			
1	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	9777.30	9,763.04
2	चल रहे पूंजीगत कार्य	11690.91	10,782.38
3	वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य	1065.49	1,155.07
	कुल	22533.70	21,700.49

10. भारतीय लेखांकन मानक-19 “कर्मचारी लाभों” के तहत प्रकटन

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं—

(i) **सामाजिक सुरक्षा योजना:** अनुकंपा नियुक्ति की पूर्व की योजना के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो दिनांक 01.06.2007 से लागू है। कंपनी प्रति माह प्रति कर्मचारी के लिए एक समान अंशदान भी करती है। इसके कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में शोकसंतप्त परिवार की देखभाल एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति **2.70 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **2.96 करोड़ रूपए**) के व्यय को मान्यता दी गई है।

(ii) **कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस):** कंपनी में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान करता है। कंपनी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि से भविष्य निधि, उपदान ट्रस्ट तथा आरईएचएस में अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान करती है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) के प्रति **98.13 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **96.69 करोड़ रूपए**) के व्यय को मान्यता दी गई है।

(ख) **परिभाषित हितलाभ योजनाएं:** कंपनी के निम्नलिखित परिभाषित रोजगार-पश्चात दायित्व हैं:

(क) योजनाओं का विवरण—

(i) **भविष्य निधि:** यह कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से एक पृथक ट्रस्ट में भविष्य निधि में नियत अंशदान जमा कराती है, जो निधियों का निवेश अनुमत्य प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के दौरान, निधि में अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण पर आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है वह इस निधि में नियत अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

(ii) **उपदान:** कंपनी की एक निर्धारित हितलाभ उपदान योजना है। उपदान की उच्चतम सीमा का निर्धारण उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 ग अंतिम आहरित मूल वेतन+महंगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी उच्चतम सीमा **0.20 करोड़ रूपए** है। तथापि, औद्योगिक महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होने पर उपदान की ऐसी अधिकतम सीमा 25% तक बढ़ जाएगी। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और कंपनी का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्ट में अंशदान देना है।

(iii) **सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):** कंपनी की एक सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और/अथवा उनके जीवन-साथी (पति/पत्नी) और दिवंगत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पात्र आश्रित बच्चों को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा नियत उच्चतम सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। आरईएचएस के लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और कंपनी का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्ट में अंशदान देने का है।

- (iv) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते:** कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, शिपिंग का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में, मृतक कर्मचारी का परिवार भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- (v) **अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह:** कंपनी की नीति है कि वह अधिवर्षिता पर कर्मचारियों को 10,000/- रुपये मूल्य का स्मृतिचिन्ह भेंट करे। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- (vi) **एनएचपीसी कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना:** एनएचपीसी लिमिटेड ने दिनांक 01.04.2021 से "एनएचपीसी कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना" की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी की स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में कर्मचारी को और कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उसके परिवार को मौद्रिक सहायता एवं समर्थन प्रदान करना है, बशर्ते कि कर्मचारी की स्थायी पूर्ण विकलांगता/मृत्यु, जैसा भी मामला हो, कंपनी की सेवा करते समय हो। मृत्यु/स्थायी पूर्ण विकलांगता के कारण कंपनी की सेवा से एक कर्मचारी के अलग होने पर, लाभार्थी कर्मचारी द्वारा अंतिम रूप से आहरित एक माह के मूल वेतन और डीए के 50% के बराबर मासिक भुगतान तथा एचआरए, बाल शिक्षा भत्ता, आदि सहित अन्य लाभों का पात्र है, बशर्ते कि लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त राशि कंपनी में जमा करे। योजना के लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटन

- (i) **भविष्य निधि:** वर्ष 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपये में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii=(i)-(ii)
2021-22			
दिनांक 01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	2994.16	3002.27	(8.11)
वर्तमान सेवा लागत	90.54	-	90.54
ब्याज व्यय/(आय)	231.17	234.35	(3.18)
कुल	321.71	234.35	87.36
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	12.03	(12.03)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.35)	-	(0.35)
अनुभव (लाभ)/हानियां	(14.14)	-	(14.14)
कुल	(14.49)	12.03	(26.52)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	90.54	(90.54)
- योजना प्रतिभागी	263.01	263.01	-
हितलाभ का भुगतान	(574.47)	(574.47)	-
दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष	2989.92	3027.73	(37.81)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2020-21			
दिनांक 01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	2870.09	2884.12	(14.03)
वर्तमान सेवा लागत	97.13	-	97.13
ब्याज व्यय/(आय)	240.10	240.10	-
कुल	337.23	240.10	97.13
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	(3.76)	3.76
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.09	-	0.09
अनुभव (लाभ)/हानियां	2.07	0.00	2.07
कुल	2.16	(3.76)	5.92
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	97.13	(97.13)
- योजना प्रतिभागी	315.69	315.69	-
हितलाभ का भुगतान	(531.01)	(531.01)	-
दिनांक 31.03.2021 को अंतिम शेष	2994.16	3002.27	(8.11)

वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2989.92	2994.16
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3027.73	3002.27
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	(37.81)	(8.11)
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	(37.81)	(8.11)

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी का बीमांकित मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित 37.81 करोड़ रुपये के निवल अधिशेष के प्रति योजना से प्रतिदाय या योजना में भविष्य के निम्न अंशदान के रूप में लाभों पर कोई अधिकार नहीं होता है। तदनुसार, कंपनी ने अधिशेष को परिसंपत्ति के रूप में तथा अन्य व्यापक आय में बीमांकित लाभों को मान्यता प्रदान नहीं की है क्योंकि ये भविष्य निधि ट्रस्ट से संबंधित हैं न कि कंपनी से।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है –

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव			
			अनुमानों में वृद्धि		अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
छूट दर	0.50%	0.50%	0.007%	0.006%	0.007%	0.006%
		तक कमी		तक वृद्धि		

- (ii) **उपदान:** दिनांक 31.03.2022 तथा 31.03.2021 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
दिनांक 01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	602.75	650.34	(47.59)
वर्तमान सेवा लागत	16.06	-	16.06
विगत सेवा लागत	33.75	-	33.75
ब्याज व्यय / (आय)	39.48	42.60	(3.12)
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	89.29	42.60	46.69
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय / (आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	2.36	(2.36)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	0.09	-	0.09
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	(16.51)	-	(16.51)
अनुभव (लाभ) / हानि	(9.91)	-	(9.91)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(26.33)	2.36	(28.69)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	(29.33)	29.33
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(96.53)	(99.56)	3.03
दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष	569.18	566.40	2.78

उस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए जिसके तहत औद्योगिक महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होने पर उपदान की उच्चतम सीमा 25% तक बढ़ जाती है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार वर्तमान औद्योगिक महंगाई भत्ता 30% है, दिनांक 01.01.2027 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में बीमाकिक मूल्यांकन के लिए उपदान की सीमा 0.23 करोड़ रुपये करने पर विचार किया गया है।

(करोड़ रुपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2020-21			
दिनांक 01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	644.12	673.86	(29.74)
वर्तमान सेवा लागत	16.03	-	16.03
ब्याज व्यय / (आय)	43.67	45.69	(2.02)
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	59.70	45.69	14.01

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2020-21			
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	(4.13)	4.13
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.89)	-	(0.89)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	9.03	-	9.03
अनुभव (लाभ)/हानि	(7.83)	-	(7.83)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.31	(4.13)	4.44
अंशदान :-			
— नियोक्ता	-	52.88	(52.88)
— योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(101.38)	(117.96)	16.58
दिनांक 31.03.2020 को अंतिम शेष	602.75	650.34	(47.59)

लाभ और हानि के विवरण/निर्माण पर आरोप्य व्यय में मान्य कुल राशि और उपर्युक्त प्रकट की गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्य कुल राशि प्रोद्भूत मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कंपनी की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में पदस्थापित एनएचपीसी के कर्मचारियों के संदर्भ में सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से/को प्राप्य (भुगतान योग्य) के रूप में लेखांकित 1.36 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.84 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है।

वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	569.18	602.75
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	566.40	650.34
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	2.78	(47.59)
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	2.78	(47.59)

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित हितलाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है:

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन			परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव			
				अनुमानों में वृद्धि		अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
छूट दर	0.50%	0.50%	तक कमी	3.38%	3.23%	तक वृद्धि	3.60%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	तक वृद्धि	0.44%	0.40%	तक कमी	0.52%

(iii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) : दिनांक 31.03.2022 तथा 31.03.2021 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
	2021-22		
दिनांक 01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	948.36	1043.88	(95.52)
वर्तमान सेवा लागत	16.73	-	16.73
ब्याज व्यय/(आय)	62.12	68.37	(6.25)
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	78.85	68.37	10.48
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	7.01	(7.01)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(56.46)	-	(56.46)
अनुभव (लाभ)/हानि	73.19	-	73.19
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	16.73	7.01	9.72
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	(67.30)	67.30
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(45.57)	(47.73)	2.16
दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष	998.37	1004.23	(5.86)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
	2020-21		
दिनांक 01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	842.87	978.64	(135.77)
वर्तमान सेवा लागत	16.79	-	16.79
ब्याज व्यय/(आय)	57.15	66.06	(8.91)
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	73.94	66.06	7.88
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	5.63	(5.63)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	29.31	-	29.31
अनुभव (लाभ)/हानि	36.17	-	36.17
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	65.48	5.63	59.85

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2020-21			
अंशदान :-			
— नियोक्ता	-	(6.45)	6.45
— योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(33.93)	-	(33.93)
दिनांक 31.03.2021 को अंतिम शेष	948.36	1043.88	(95.52)

लाभ और हानि के विवरण/निर्माण पर आरोप्य व्यय में मान्य कुल राशि और उपर्युक्त प्रकट की गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्य कुल राशि प्रोद्भूत मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कंपनी की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में पदस्थापित एनएचपीसी के कर्मचारियों के संदर्भ में सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से/को प्राप्त (भुगतान योग्य) के रूप में लेखांकित 1.22 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.04 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है।

वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	998.37	948.36
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1004.23	1043.88
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	(5.86)	(95.52)
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	(5.86)	(95.52)

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है:

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन			परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव			
				अनुमानों में वृद्धि		अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
छूट दर	0.50%	0.50%	तक कमी	6.67%	6.68%	6.71%	6.74%
चिकित्सा	0.50%	0.50%	तक वृद्धि	6.73%	6.75%	6.69%	6.70%
लागत दर							

(iv) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते:** दिनांक 31.03.2022 तथा 31.03.2021 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2021-22			
दिनांक 01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	4.83	-	4.83
वर्तमान सेवा लागत	0.19	-	0.19
ब्याज व्यय/(आय)	0.32	-	0.32
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.51	-	0.51

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
	2021-22		
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.17)	-	(0.17)
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	0.19	-	0.19
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.02	-	0.02
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.84)	-	(0.84)
दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष	4.52	-	4.52

(करोड़ रुपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
	2020-21		
दिनांक 01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	4.93	-	4.93
वर्तमान सेवा लागत	0.21	-	0.21
ब्याज व्यय/(आय)	0.33	-	0.33
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.54	-	0.54
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.09	-	0.09
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.37)	-	(0.37)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(0.28)	-	(0.28)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.36)	-	(0.36)
दिनांक 31.03.2021 को अंतिम शेष	4.83	-	4.83

लाभ और हानि के विवरण/निर्माण पर आरोप्य व्यय में मान्य कुल राशि और उपर्युक्त प्रकट की गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्य कुल राशि प्रोद्भूत मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कंपनी की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में पदस्थापित एनएचपीसी के कर्मचारियों के संदर्भ में सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से/को प्राप्य (भुगतान योग्य) के रूप में लेखांकित 0.03 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.01 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारत मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है:

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव					
			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी		
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	4.34%	3.98%	इससे वृद्धि	4.75%	4.43%
लगत वृद्धि	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	5.00%	4.53%	इससे कमी	4.44%	4.13%

- (v) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को स्मृति-चिन्ह: दिनांक 31.03.2022 तथा 31.03.2021 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
	2021-22		
दिनांक 01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	3.12	-	3.12
वर्तमान सेवा लागत	0.11	-	0.11
ब्याज व्यय/(आय)	0.20	-	0.20
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.31	-	0.31
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.08)	-	(0.08)
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.20)	-	(0.20)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(0.28)	-	(0.28)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.43)	-	(0.43)
दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष	2.72	-	2.72

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
	2020-21		
दिनांक 01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	3.38	-	3.38
वर्तमान सेवा लागत	0.13	-	0.13
ब्याज व्यय/(आय)	0.23	-	0.23
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.36	-	0.36

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2020-21			
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.05	-	0.05
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.16)	-	(0.16)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(0.11)	-	(0.11)
अंशदान :-			
— नियोक्ता	-	-	-
— योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.51)	-	(0.51)
दिनांक 31.03.2021 को अंतिम शेष	3.12	-	3.12

लाभ और हानि के विवरण/निर्माण पर आरोप्य व्यय में मान्य कुल राशि और उपर्युक्त प्रकट की गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्य कुल राशि प्रोद्भूत मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कंपनी की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में पदस्थापित एनएचपीसी के कर्मचारियों के संदर्भ में सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से/को प्राप्य (भुगतान योग्य) के रूप में लेखांकित **शून्य रूपए** (पिछले वर्ष **0.01 करोड़ रूपए**) की राशि शामिल है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है:

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव					
			अनुमानों में वृद्धि				अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
छूट दर	0.50%	0.50%	तक कमी	3.20%	3.19%	तक वृद्धि	3.36%	3.36%

(vi) एनएचपीसी कर्मचार परिवार आर्थिक पुर्नवास योजना : दिनांक 31.03.2022 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2021-22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2021-22			
दिनांक 01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	0.84	-	0.84
विगत सेवा लागत	16.68	-	16.68
ब्याज व्यय/(आय)	-	-	-
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	17.52	-	17.52

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
	2021-22		
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	-	-	-
अंशदान :-			
— नियोक्ता	-	-	-
— योजना प्रतिभागी	3.08	-	3.08
हितलाभ भुगतान	(0.20)	-	(0.20)
दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष	20.40	-	20.40

लाभ और हानि के विवरण में मान्य कुल राशि और उपर्युक्त प्रकट की गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्य कुल राशि प्रोद्भूत मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है:

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव			
			अनुमानों में वृद्धि		अनुमानों में कमी
	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	तक वृद्धि	2.78%	तक कमी	2.93%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	तक कमी	1.79%	तक वृद्धि	1.75%

(ग) परिभाषित हितलाभ योजनाएं: महत्वपूर्ण अनुमान: बीमांकिक अनुमान:

विवरण	दिनांक 31.03.2022 को	दिनांक 31.03.2021 को
छूट दर	7.00%	6.55%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%

(घ) योजनागत परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

भविष्य निधि:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1808.81	-	1808.81	59.74
कारपोरेट बॉण्ड	1035.78	-	1035.78	34.21
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	75.85	-	75.85	2.51
नकदी और नकदी समतुल्य		45.54	45.54	1.50
प्रोद्भूत ब्याज	61.74	-	61.74	2.04
कुल	2982.18	45.54	3027.72	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1,745.52	-	1,745.52	58.19
कारपोरेट बॉण्ड	1,048.17	-	1,048.17	34.94
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	62.60	-	62.60	2.09
नकदी और नकदी समतुल्य	-	79.01	79.01	2.63
प्रोद्भूत ब्याज	64.63	-	64.63	2.15
कुल	2920.92	79.01	2,999.93	100.00

उपदान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	566.38	566.38	100.00
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.01	0.01	-
कुल	-	566.39	566.39	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	650.33	650.33	100.00
नकदी और नकदी समतुल्य	-	-	-	-
कुल	-	650.33	650.33	100.00

सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	-	-	-	-
कारपोरेट बॉण्ड	424.01	-	424.01	42.22
एलआईसी योजना	-	564.81	564.81	56.24
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.02	0.02	-
प्रोद्भूत ब्याज	15.38	-	15.38	1.54
कुल	439.39	564.83	1004.22	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड्स	-	-	-	-
कारपोरेट बॉण्ड्स	497.81	-	497.81	47.74
एलआईसी योजना	-	528.49	528.49	50.69
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.01	0.01	-
प्रोद्भूत ब्याज	16.36	-	16.36	1.57
कुल	514.17	528.50	1,042.67	100.00

(ड) **जोखिम प्रदर्शन:** अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, यह कंपनी कई जोखिमों का सामना करती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

जोखिम प्रदर्शनों का विवरण:

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित है, जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होते हैं। अतः कंपनी नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों का सामना करती है —

- क) वेतन वृद्धि — वास्तविक वेतन वृद्धि योजना की देयता में वृद्धि करेगी। वेतन में वृद्धि दर अनुमान में वृद्धि भावी मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।
- ख) निवेश जोखिम — यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश लाभ देयता को प्रभावित कर सकता है।
- ग) छूट दर — बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना की देयता में वृद्धि कर सकती है।
- घ) मृत्यु तथा निशक्तता — मूल्यांकन में अनुमानित से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा निशक्तता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
- ड) निकासी — वास्तविक निकासी अनुमानित निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना के देयता को प्रभावित कर सकती है।

(च) **परिभाषित लाभ देयता और नियोजित अंशदान :** वित्तपोषण स्तरों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाती है और वर्तमान अंशदान दर मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 30 प्रतिशत है। कंपनी यह मानती है कि पिछली मूल्यांकन तिथि को निर्धारित अंशदान दरें सहमत अवधि पर कमी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं और नियमित अंशदान, जो सेवा लागतों पर आधारित हैं, उनमें महत्वपूर्ण ढंग से वृद्धि नहीं होगी।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु परिभाषित हितलाभ योजनाओं में अपेक्षित अंशदान **135.41 करोड़ रुपए** है।

परिभाषित लाभ दायित्वों की भारित औसत अवधि **10.49 वर्ष** है (2020–2021 – 10.39 वर्ष)।

छूट न दी गई परिभाषित हितलाभ योजनाओं का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है:

भविष्य निधि (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि) का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	0–1 वर्ष के मध्य	1–5 वर्ष के मध्य	5–10 वर्ष के मध्य	10 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2022	490.13	877.54	588.36	1033.89	2989.92
31.03.2021	528.87	921.05	570.54	973.69	2994.15

उपदान (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि), रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट), सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते और स्मृतिचिन्ह तथा एनएचपीसी कर्मचारी परिवार आर्थिक पुर्नवास योजना का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष के मध्य	2-5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
दिनांक 31.03.2022					
उपदान	78.88	62.28	113.01	315.00	569.17
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	43.38	45.99	201.89	707.11	998.37
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते	0.56	0.47	0.93	2.56	4.52
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.41	0.35	0.62	1.35	2.73
एनएचपीसी कर्मचारी परिवार आर्थिक पुर्नवास योजना	0.80	0.82	2.56	16.22	20.40
कुल	124.03	109.91	319.01	1,042.24	1,595.19
दिनांक 31.03.2021					
उपदान	90.80	74.66	139.80	297.49	602.75
रोजगार पश्चात चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	34.93	41.11	147.53	698.14	921.71
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते	0.61	0.53	1.09	2.60	4.83
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.48	0.39	0.73	1.52	3.12
कुल	126.82	116.69	289.15	999.75	1,532.41

(ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ (अवकाश लाभ):** कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश (ईएल) सेवा के दौरान नकदीकरण योग्य भी होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन अवकाश से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मानी जाती है। बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान व्यय **62.09 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष **64.15 करोड़ रुपये**) माना गया है।

11. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय तथा कल-पुर्जों की खपत का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	23.47	26.50
	ii) अन्य विविध मामले	6.43	5.26
ख)	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कल-पुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) स्वदेशी	18.18	19.78

12. प्रति शेयर अर्जन :-

क) प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

विवरण	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रूपए) – मूल और कम किया गया	4.79	3.10
विनियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रूपए) – मूल और कम किया गया	3.52	3.23
प्रति शेयर समान मूल्य (रूपये)	10	10

ख) प्रति शेयर अर्जन के परिकलन में प्रयुक्त आय का मिलान:

विवरण	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय से पूर्व किंतु कर पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	4808.13	3117.03
कर पश्चात निवल लाभ तथा अंश के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय (करोड़ रुपए में)	3537.71	3245.06

ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलान:

विवरण	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
विभाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	10045034805	10045034805

13. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटन निम्नवत है:

(क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, ऋण (कर्मचारियों के अलावा), पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम, व्यापार प्राप्य, संविदाकारों को अग्रिम, व्यापार भुगतानयोग्य तथा नीचे (ख) में दिए गए को छोड़कर संविदाकारों से जमा/बयाना राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, मिलान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अध्यक्षीन हैं। वसूली योग्य दावों में भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाओं के संबंध में दावे भी शामिल हैं।

(ख) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, जमा, ऋण (कर्मचारियों के अलावा), संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री के संबंध में 0.05 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के बकाया शेषों हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में 31 दिसम्बर, 2021 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2021 के अनुसार शेषों की पुष्टि और साथ ही साथ 31.03.2022 को बकाया राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	दिनांक 31.12.2021 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	दिनांक 31.03.2022 को बकाया राशि
व्यापार प्राप्य (बिल न किए गए को छोड़कर)*	3258.71	3009.95	2639.29
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, ऋण, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम	2525.99	904.89	2458.29
व्यापार/अन्य देय	664.16	106.77	634.19
प्रतिभूति जमा/देय प्रतिधारण राशि	307.76	43.12	322.29

* व्यापार प्राप्यों में लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज और ग्राहकों से अग्रिम के निवल के कारण प्राप्य शामिल हैं।

ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला कोई समायोजन अपेक्षित नहीं होगा।

14. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन (टिप्पणी सं 29 देखें)

(i) किए गए व्ययों के विभिन्न शीर्षों के तहत सीएसआर व्यय का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों वाले व्ययों के शीर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1	स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता	22.77	13.69
2	शिक्षा एवं कौशल विकास	35.59	38.09
3	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	0.48	0.09
4	पर्यावरण	0.28	0.92
5	कला एवं संस्कृति	-	0.10
6	खेल-कूद	-	0.02
7	ग्रामीण विकास	6.10	3.39
8	स्वच्छ विद्यालय अभियान	5.59	-
9	स्वच्छ भारत अभियान	0.56	3.74
10	आपदा प्रबंधन	0.06	0.86
11	केंद्र सरकार के फंड में अंशदान (पीएम केयर्स फंड में अंशदान सहित)	30.00	15.00
12	प्रशासनिक ओवर हेड	3.86	3.73
कुल राशि		105.29	79.63

(ii) अन्य प्रकटन

(क) वर्ष के दौरान नकद में भुगतान किए गए और व्यय की प्रकृति सहित नकद में अभी भुगतान किए जाने हेतु किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

उद्देश्य	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		
	नकद में भुगतान (क)	नकदी में अभी भुगतान किए जाने हेतु (ख)	कुल (क+ख)	नकद में भुगतान (क)	नकदी में अभी भुगतान किए जाने हेतु (ख)	कुल (क+ख)
(i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	6.68	4.60	11.28	9.87	1.55	11.42
(ii) उपरोक्त (i) को छोड़कर किसी प्रयोजन हेतु	88.28	5.73	94.01	66.79	1.42	68.21
कुल	94.96	10.33	105.29	76.66	2.97	79.63

(ख) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 105.29 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से कुल 10.33 करोड़ रुपये की राशि संबंधित पक्षकारों को अभी भुगतान की जानी है, जो देयताओं से संबंधित लेखाओं के संगत शीर्ष में शामिल है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर के निमित्त खर्च किए जाने हेतु अपेक्षित राशि 65.45 करोड़ रुपये (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत के आधार पर) (पूर्व वर्ष 59.43 करोड़ रुपये) है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर पर 105.29 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।

(iv) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 20.20 करोड़ रुपये की व्यय की गई अतिरिक्त खर्च को समायोजित करने के बाद) के दौरान सीएसआर पर 60.04 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च की है, जो अगले तीन वित्तीय वर्षों में अग्रेषित करने के लिए उपलब्ध है।

(v) निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर के निमित्त कुल 138.78 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था।

15. प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना की सीमा तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना के साथ पठित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित प्रकटन निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2022 को	दिनांक 31.03.2021 को
(i)	मूलधन तथा उस पर देय ब्याज जो तुलन-पत्र की तारीख को किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त रहता है		
	क) व्यापार प्राप्य:		
	— मूलधन (टिप्पणी सं. 20.3 देखें)	23.12	30.79
	— ब्याज	-	-
	ख) अन्य:		
	— मूलधन (टिप्पणी सं. 20.4 देखें)	7.41	8.07
	— ब्याज	-	-
(ii)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार, क्रेता द्वारा दिए गए ब्याज की राशि वर्ष के दौरान नियत दिवस के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित	-	-
(iii)	भुगतान करने में विलंब के वर्ष के लिए देय ब्याज तथा भुगतान योग्य राशि (जो दे दी गई है, परंतु वर्ष के दौरान नियत दिवस के बाद), परंतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित ब्याज जोड़े बिना	-	-
(iv)	तुलन-पत्र की तारीख को प्रोद्भूत ब्याज और अप्रदत्त शेष राशि	-	-
(v)	शेष देय ब्याज की राशि तथा परवर्ती वर्षों में भी देय राशि, उस तारीख तक जब उपर्युक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत काटे जाने वाले व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए दी गई है	-	-

16. भारतीय लेखांकन मानक-116 "पट्टे" के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटन

(क) कंपनी पट्टेदार के रूप में

(i) इंड एस-116 के अनुसार पट्टों का सुधार:

कंपनी इस बात का आकलन करती है कि अनुबंध किए जाते समय क्या अनुबंध में लीज शामिल है। कंपनी उन सभी लीज प्रबंधों में, जिनमें वह पट्टाधारी है, उपयोग अधिकार आस्ति और संबंधित लीज देयता का निर्धारण करती है, केवल लघु अवधि लीजों को छोड़कर (12 महीने या इससे कम अवधि के लीज) और कम मूल्य की आस्तियां (जैसे, टैबलेट और व्यक्तिगत उपयोग के कंप्यूटर, छोटे-मोटे कार्यालय फर्नीचर और टेलीफोन)। इन लीजों के लिए कंपनी लीज भुगतान को लीज अवधि तक संचालनगत व्यय मानती है, जब तक कि कोई अन्य प्रणालीबद्ध आधार टाइम पैटर्न में, जिसमें कि लीज पर दी गई आस्तियों से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है, अधिक उपयुक्त न हो।

आरंभ में लीज देयता लीज भुगतानों, जिनका भुगतान आरंभ होने की तिथि पर नहीं किया गया हो, के मौजूदा मूल्यों पर, लीज में तय दर से डिस्काउंट करते हुए, मापी जाती है। यदि यह दर निर्धारित नहीं की गई है तो कंपनी अपनी क्रमिक बढ़ती हुई उधारी दर का उपयोग करती है।

कंपनी ने इंड एस-116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किये थे:-

- क. समान अंतिम तिथि के साथ समान आर्थिक पर्यावरण में समान परिसंतियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की।
- ख. उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों की पहचान न करके तथा प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख को 12 माह से कम पट्टा अवधि वाली पट्टों देयताओं पर छूट लागू की।

- ग. प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो तो उसे छोड़कर, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की मान्यता की तारीख परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का मापन।
- घ. यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने या समाप्त करने का विकल्प शामिल है तो पट्टे की शर्त निर्धारित करते समय दूरदर्शिता का प्रयोग किया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पट्टा देयताओं पर लागू की गई भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 6.20% है।

(ii) **पट्टे की प्रकृति:** कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में हैं:

- (क) 3-4 माह से 3 साल तक की अवधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु निरस्तीकरण योग्य पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत परिसर।
- (ख) कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों हेतु पट्टे पर परिसर जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।
- (ग) परियोजनाओं और/अथवा प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई।
- (घ) वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालन पट्टों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते।

(iii) राशि को अल्पावधि, निम्न मूल्य और परिवर्तनशील पट्टे के संबंध में लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में निम्नानुसार मान्यता दी गई है:

		(करोड़ रुपये में)	
क्रम सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
1	अल्पावधि पट्टों पर व्यय	10.92	14.70
2	निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टों पर व्यय	-	0.02
3	परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों को पट्टा देयताओं के पुनर्मापन में शामिल नहीं किया गया है	4.96	4.51

(iv) दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्धता **4.26 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष 3.72 करोड़ रुपये) है।

(v) वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं में संचलन निम्नानुसार है:

		(करोड़ रुपये में)	
विवरण		31.03.2022	31.03.2021
प्रारंभिक शेष		12.65	13.91
पट्टा देयताओं में वृद्धि		5.19	2.61
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत वित्त लागत		1.11	1.10
घटाएं: पट्टा देयताओं का भुगतान		3.80	4.97
अंतिम शेष		15.15	12.65

(ख) **वित्त पट्टा – पट्टादाता के रूप में कंपनी**

वित्त पट्टे के रूप में पावर स्टेशन

कंपनी ने दो पावर स्टेशनों नामतः निम्नो बाजगो और चुटक पावर स्टेशन से उत्पादित समस्त विद्युत की बिक्री हेतु एकल लाभार्थी, विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर के साथ इन पावर स्टेशनों के नियत जीवनकाल की पर्याप्त अवधि के लिए पट्टा व्यवस्था की है। इन समझौतों के अंतर्गत, उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित कीमतों पर समूचे उत्पादन को खरीदने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से पारस्परिक रूप से सहमत टैरिफ पर 35 वर्षों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए टीएलडीपी-III पावर स्टेशन द्वारा उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत लेने के लिए मैसर्स डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के साथ पूरक पीपीए किया है। कंपनी द्वारा व्यवस्थाओं की मूल्यांकन किया गया और वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (वर्तमान तथा गैर-वर्तमान) में प्राप्य पट्टे शामिल हैं जो कंपनी द्वारा किए गए निहित वित्त पट्टा समझौतों पर प्राप्य भावी पट्टा किराए के वर्तमान मूल्य को दर्शाते हैं।

कंपनी ने वर्ष के दौरान **344.95 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष 371.62 करोड़ रुपये) की "वित्त पट्टे से आय" अर्जित की।

निम्नलिखित तालिका 31.03.2022 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले छूट न दिए गए पट्टा भुगतान दर्शाते हुए, पट्टा प्राप्य का परिपक्वता विश्लेषण निर्धारित करती है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
छूट न दिया गया पट्टा भुगतान प्राप्य:		
एक वर्ष से कम	448.92	445.11
एक से दो वर्ष	449.37	448.93
दो से तीन वर्ष	441.50	449.37
तीन से चार वर्ष	394.94	441.50
चार से पांच वर्ष	298.09	394.94
पांच वर्ष से अधिक	6,727.79	7025.84
कुल छूट न दिया गया पट्टा भुगतान प्राप्य:	8,760.60	9205.69
जोड़ें: गैर-गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	382.48	381.12
घटाएं: अर्जित न की गई वित्त आय	6,587.86	6922.35
पट्टे में निवल निवेश	2,555.22	2664.46
पट्टे में निवल निवेश सहित छूट दिया गया गैर-गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	6.98	6.08

वित्त पट्टों में निवल निवेश की वहनीय राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
प्रारंभिक शेष	2,664.46	1,436.22
वर्ष के दौरान वृद्धि / (कमी)	19.25	1,293.32
वर्ष के लिए वित्त पट्टे से आय	344.95	371.62
घटाएं: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	473.44	436.70
अंतिम शेष	2,555.22	2,664.46

(ग) प्रचालन पट्टा – कंपनी पट्टादाता के रूप में

कंपनी ने टीएलडीपी-IV पावर स्टेशन से विद्युत की बिक्री हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर से 3 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत की बिक्री हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) के साथ 3 वर्ष की अवधि हेतु विद्युत क्रय करार (पीपीए) किया है। जेवीवीएनएल के साथ विद्युत क्रय करार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो गया है और पीपीए का विस्तार प्रक्रियाधीन है, तथापि उपभोक्ता के लिए विद्युत शेड्यूल की जा रही है। पीपीए के अनुसार, उपभोक्ता इन पावर स्टेशनों के पूरे आउटपुट को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित कीमतों पर खरीदने के लिए बाध्य हैं तथा इसे प्रचालनात्मक पट्टा व्यवस्था के रूप में मान्यता दी गई है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान **384.07 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **712.00 करोड़ रुपये**) की "प्रचालनात्मक पट्टे से आय" अर्जित की। निम्नलिखित तालिका विद्युत क्रय करार के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले छूट न दिए गए पट्टा भुगतान दर्शाते हुए, पट्टा भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण निर्धारित करती है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
एक वर्ष से कम	312.21	-
एक से दो वर्ष	312.21	-
दो से तीन वर्ष	312.21	-
तीन से चार वर्ष	312.21	-
चार से पांच वर्ष	320.10	-
पांच वर्ष से अधिक	1280.41	-
कुल	2849.35	-

17. इंड एस 27 – “पृथक वित्तीय विवरणों” के तहत प्रकटन

(क) सहायक कंपनियों में ब्याज

कंपनियों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान	प्रमुख कार्यकलाप	को स्वामित्व के ब्याज का अनुपात	
			31.03.2022	31.03.2021
एनएचपीसी लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	51.08%	51.08%
लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	74.83%	74.92%
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	86.67%	74.00%
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड #	भारत	विद्युत उत्पादन	100.00%	100.00%
जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड ##	भारत	विद्युत उत्पादन	100.00%	100.00%
रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) (दिनांक 01.06.2021 से) ###	भारत	विद्युत उत्पादन	73.53%	-

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 7 दिसंबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 और आमेलन योजना (योजना) में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के अनुसार अन्य सांविधिक प्रावधानों के तहत लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के एनएचपीसी लिमिटेड के साथ विलय/आमेलन को अनुमोदित किया है। इस योजना को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी सहित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के पास उनके अनुमोदन और मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 24 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में भारत सरकार के अनुमोदन के अधधीन कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के एनएचपीसी लिमिटेड के साथ विलय की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

एनएचपीसी लिमिटेड ने जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) के साथ क्रमशः 51:49 की इक्विटी भागीदारी के साथ “रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक नई सहायक कंपनी बनाई है, जिसे दिनांक 01.06.2021 को निगमित किया गया था।

(ख) संयुक्त उद्यमों में ब्याज:

कंपनियों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान	प्रमुख कार्यकलाप	को स्वामित्व के ब्याज का अनुपात	
			31.03.2022	31.03.2021
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड	भारत	ऑनलाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधा	20.00%	20.00%
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड #	भारत	विद्युत उत्पादन	55.13%	51.93%

कंपनी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीसी (49 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) (49 प्रतिशत) और पीटीसी (2 प्रतिशत) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी) में पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) की 2 प्रतिशत इक्विटी लेने के लिए विद्युत मंत्रालय के अपने दिनांक 12.05.2021 के पत्र के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त किया है। पीटीसी को 4.19 करोड़ रुपये का खरीद मूल्य दिनांक 25.05.2021 को जारी कर दिया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 551.71 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जबकि जेकेपीडीसी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) में 309.15 करोड़ रुपये का निवेश किया है, पीटीसी के शेयरों के अधिग्रहण और अतिरिक्त इक्विटी निषेचन के कारण सीवीपीपीपीएल में कंपनी की हिस्सेदारी दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 51.93 प्रतिशत से दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 55.13 प्रतिशत तक बढ़ गई है। प्रमोटर करार में लंबित संशोधन और अन्य अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए, सीवीपीपीपीएल वर्तमान में लागू संयुक्त उद्यम करार के अनुसरण में अन्य संयुक्त उद्यमों के साथ संयुक्त नियंत्रण होने के कारण संयुक्त उद्यम बना रहा।

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का मापन “पृथक वित्तीय विवरणों” संबंधी इंड एस 27 के प्रावधानों के अनुसार लागत पर किया जाता है।

18. भारतीय लेखांकन मानक 36 के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि में किसी निकाय के लिए प्रत्येक तुलन पत्र पर यह आकलन करना होता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत हो तब निकाय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना अपेक्षित है। यदि संभावित हानि के संबंध में घाटे का कोई संकेत न हो, तब इस मानक में किसी उपक्रम के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह वसूली योग्य राशि का औपचारिक अनुमान लगाए।

प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि इस कंपनी की प्रत्येक परियोजना/पावर स्टेशन सबसे छोटा पहचान योग्य परिसंपत्ति समूह है जो सतत उपयोग से नकदी के अंतर्प्रवाहों का सृजन करता है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्ति समूह से नकदी के अंतर्प्रवाहों से व्यापक तौर पर स्वतंत्र है और तदनुसार नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) के रूप में नामित किए जाने के योग्य है। इन सीजीयू पर लागू हानि संबंधी संकेतकों का आकलन किया गया है और ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन का यह मत है कि इस कंपनी पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के प्रौद्योगिकीय, आर्थिक अथवा कानूनी परिवेश, जिसमें कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम प्रचालन करते हैं, में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन इस वर्ष के दौरान नहीं हुआ है अथवा न ही निकट भविष्य में होने की आशा है। इसमें टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विनियमों जहां कोई प्रमुख संशोधन नहीं हुए हैं जिनका इन सीजीयू से भावी नकदी प्रवाह पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, शामिल हैं। ऐसा कोई साक्ष्य आंतरिक रिपोर्टिंग से उपलब्ध नहीं है जो यह संकेत देता हो कि सीजीयू का आर्थिक कार्य निष्पादन आशा से बदतर है अथवा होगा।

इसके अलावा, इस कंपनी के सात सीजीयू और एक सहायक कंपनी के दो सीजीयू का आकलन 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार हानि के लिए किया गया था। इस कंपनी के सीजीयू का चयन प्रति मेगावाट पूंजीगत लागत, टैरिफ आदि जैसे मानदंड के आधार पर किया गया था और इसमें कंपनी की दो प्रमुख निर्माण परियोजनाओं, एक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन और 100 मेगावाट क्षमता से अधिक वाले हाल ही में शुरू किए गए चार पावर स्टेशन शामिल हैं। इन सीजीयू में से, एक में पहचान की गई पूंजी लागत के भाग के रूप में टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर भी विचार हानि के आकलन के लिए सीजीयू की वहनीय राशि के साथ किया गया है। सहायक कंपनी के संबंध में, दोनों प्रचालनात्मक पावर स्टेशनों पर हानि के आकलन के लिए विचार किया गया है।

हानि का विश्लेषण प्रत्येक सीजीयू के लिए विशिष्ट जोखिमों के लिए समायोजित लागू सीईआरसी विनियमों तथा पूंजी परिसंपत्ति कीमत निर्धारण मॉडल, जो मुद्रा के समय मूल्य का बाजार आकलन दर्शाता है, के आधार पर नकदी के प्रवाह संबंधी अनुमानों के अनुसार सीजीयू की वसूली योग्य राशि की माप कर उपयोग में मूल्य परिचालन के आधार पर किया गया था।

इस मूल्यांकन के आधार पर, ऐसा कोई महत्वपूर्ण संकेतक नहीं है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, संयुक्त उद्यम कंपनियों में से एक नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल), जिसके निमित्त वर्ष के दौरान 30.40 करोड़ रुपये के मूल निवेश की तुलना में 14.07 करोड़ रुपये का हानि प्रावधान किया गया है, में निवेश की हानि को छोड़कर, विनियामक आस्थगित लेखा शेष तथा सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में उसके निवेश सहित कंपनी के सीजीयू की अग्रेणीत राशि में हानि दर्शाए। इसके अतिरिक्त, एनएचपीटीएल के पास 18.40 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है, जिसके निमित्त दिनांक 31.03.2021 तक अर्जित ब्याज के रूप में 0.42 करोड़ रुपये की राशि का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1.67 करोड़ रुपये की राशि के पूर्वोक्त ऋण पर अर्जित ब्याज को वसूली में महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण मान्यता नहीं दी गई है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हानि के लिए परीक्षित कंपनी की परियोजनाओं/पावर स्टेशनों तथा उसकी सहायक कंपनियों के संबंध में कोई हानि नहीं है।

19. जल विद्युत नीति, 2008 के अनुसार, किसी परियोजना के चालू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) को 100 यूनिट विद्युत मुहैया करवाई जानी है। पीएएफ के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना अभी जारी की जानी है। चूंकि पीएएफ को मुहैया कराई जाने वाली विद्युत राज्य सरकार को निःशुल्क विद्युत से कटौती करके निकाली जानी है, इसका कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
20. रोजगार के दौरान और रोजगार बाद कर्मचारी लाभों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को सितंबर, 2020 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। तथापि, संहिता किस तिथि से लागू होगी इसे अधिसूचित नहीं किया गया है। कंपनी संहिता लागू होने के बाद इसके प्रभावों का आकलन करेगी और संहिता के प्रभावी हो जाने के वर्ष में संबंधित प्रभावों को लेखांकित करेगी।
21. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 देखें)

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब कंपनी यह प्रत्याशा करती है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक

परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर-पूर्व-दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

- (ii) कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान (परिभाषित अंशदान और परिभाषित हितलाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार टिप्पणी संख्या 34 की क्रम सं 10 पर प्रकट किया गया है)।

क) कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान:

लेखे में कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के निमित्त अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों के आधार पर इस संबंध में कंपनी के नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

ख) तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधान:

कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार पूर्व में मान्यता दी गई थी।

- (iii) अन्य प्रावधान

क) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान:

टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान को अनुमानित आधार पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2014-19/2019-24 की अवधि हेतु टैरिफ के अनुमोदन/ट्रूइंग-अप के लंबित होने पर, बिल किए गए टैरिफ के पुनः आकलन पर लाभग्राहियों को संभावित प्रतिदाय के प्रति किया गया है।

ख) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान:

पार्वती-II तथा पार्वती-III में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को आजीविका सहायता हेतु राज्य सरकार के परामर्श से और एनएचपीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार अंतिम रूप दिए गए विशेष वित्तीय पैकेज के प्रति लेखे में औसत मुद्रास्फीति हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है। पैकेज के अनुसार, भुगतान की औपचारिकताएं लम्बित होने तक, प्रत्येक पीएएफ के एक पात्र व्यक्ति को निम्नलिखित वर्षों हेतु मासिक किश्त आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार, जो भी अधिक हो, के अनुसार अकुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य आजीविका सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी:

- रोजगार हेतु पात्र पीएएफ की अधिवर्षिता की तिथि तक।
- ऐसे पीएएफ जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं बची है परन्तु जिन्हें रोजगार हेतु शामिल नहीं किया गया है, 2000 दिवस हेतु।
- शेष सभी पीएएफ को 1000 दिवस हेतु।

ग) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान:

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु गैर-चालू राशि के मामले में छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे प्रावधानों को संबंधित राज्य सरकार प्राधिकरणों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के किए जाने पर समायोजित किया जाता है।

घ) बीमाकृत परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्ययों हेतु प्रावधान:

मेगा तथा निर्माणाधीन संयंत्र और मशीनरी पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकृत क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार हेतु प्रबंधन अनुमानों के आधार पर लेखे में प्रावधान को मान्यता दी गई है। प्रावधान का उपयोग परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के प्रति वास्तविक व्यय को वहन किए जाने के निमित्त किया जाना है।

ड) मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान:

इसमें मध्यस्थता निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके तथा न्यायालय में आगे चुनौती दिए गए संविदाकार के दावों के संबंध में संभावित बहिर्प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह मामले के निर्णय के आधार पर होगा।

च) प्रावधान-अन्य-इसमें निम्नलिखित के प्रति किए गए प्रावधान शामिल हैं :-

- संभावित बहिर्प्रवाह के प्रति प्रबंधन के आकलन के आधार पर संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित कर मांगे और अन्य मामले। प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा।
- कंपनी द्वारा सेवाएं उपयोग किए जा रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन।
- वर्ष 2014-19 की अवधि हेतु टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूले गए अधिक टैरिफ पर लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान जहां वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर प्रस्तावित पूंजीगत लागत के आधार पर सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु ली गई पूंजीगत लागत अथवा प्रस्तावित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, व्यय की गई वास्तविक पूंजीगत लागत से अधिक होता है।
- अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए गृह निर्माण अग्रिम के ब्याज के प्रति छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।
- अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर विद्युत की बिक्री हेतु उपभोक्ताओं को छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।
- कर्मचारी भविष्य निधि न्यास द्वारा कतिपय ब्याज वाले वित्तीय दस्तावेजों में उन पर प्रोद्भूत, परंतु प्राप्त नहीं ब्याज सहित, निवेश की हानि के लिए प्रावधान।

22. भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा (आरडीए) शेष के सृजन संबंधी प्रकटीकरण :

कंपनी प्रमुखतः जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में लगी हुई है। कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है जैसी अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा की लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा मुहैया करवाने की उसकी लागत तथा एक उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु कंपनी को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा पहले ही स्वीकार किए गए किए जा चुके व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने हेतु प्रस्तावित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रस्तावित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर वह बाध्यकारी हो।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित किसी अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा किसी दायित्व (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनके मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होते हैं और विनियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी नोट के अनुसार किसी विनियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू विनियामक ढांचे के अंतर्गत विनियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई विनियामक किसी निकाय को दर आधार में उसके द्वारा स्व-निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियां को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें अन्यथा लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता हो।

01.04.2016 से ऐसी दर नियंत्रित मदों का लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 114 "विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार किया जाना है। भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण पूर्ववर्ती जीएएपी को माना जाएगा।

(क) सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

सुबानसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बाधित थे और मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लंबित था। तथापि, परियोजना पर तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी था।

31 जुलाई, 2019 के अपने आदेश में, माननीय एनजीटी ने माना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन में पक्षपात करने वाले आवेदकों की याचिकाओं में कोई औचित्य नहीं है और तदनुसार, एनजीटी के समक्ष लंबित सुबानसिरी लोअर परियोजना के विरुद्ध मामलों को खारिज कर दिया गया है। अक्टूबर, 2019 से परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) के मतानुरूप 2735.61 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2735.61 करोड़ रुपये तक) की ऋण लागत, 1427.67 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष तक 1427.67 करोड़ रुपये) के कर्मचारी हितलाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय, 30 सितंबर, 2019 तक व्यय की गई 322.60 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष तक 322.60 करोड़ रुपये) की अन्य आय के निवल को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान फिर से शुरू कर दिया गया है, 01.10.2019 से व्यय की गई ऋण लागत, कर्मचारी हितलाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय (अन्य आय का निवल) को निर्माण पर आरोप्य व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट के अनुसार लेखांकन को अपनाया था जो "विनियामक परिसंपत्ति" और तदनुसूची "विनियामक आय" की मान्यता को अनुमति देता है जिसमें ऐसे व्यय को वसूल करने का अधिकार है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है, परन्तु फिर भी विनियामक से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की योजना है।

चूंकि भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है और यह पूर्ववर्ती जीएएपी को "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पणी के रूप में मान्यता देता है, कंपनी ने विनियामक आस्थगित लेखा शेष हेतु लेखांकन नीति को जारी रखा है।

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त तिमाही के लिए और उस वर्ष तक, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में कुल विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष नीचे दिए गए अनुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित विनियामक परिसंपत्ति	31.03.2022 तक
ऋण लागत	2509.67
कर्मचारी हितलाभ व्यय	628.73
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	54.86
अन्य व्यय	562.83
अन्य आय	(285.50)
कुल	3470.59

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 के दौरान कोई भी विनियामक आस्थगित लेखा शेष मान्य नहीं किया गया।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार परियोजना की परिसंपत्तियों की वहनीय राशि में उसमें मान्यता प्राप्त विनियामक आस्थगित लेखा शेषों सहित इस परियोजना के चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल 10479.22 करोड़ रुपये की राशि को कोई क्षति नहीं हुई है।

परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) के पश्चात, सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखाओं में पड़ी शेष राशि को मूल्यह्रास के अनुपात में परियोजना के जीवनकाल अर्थात् 40 वर्षों पर सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों का पालन करते हुए परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा।

वर्ष 2019–2024 के लिए टैरिफ विनियम सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। मौजूदा टैरिफ विनियमों (2014–19), उधार की पूंजी में परिणत का अधिकार देना एवं अनियंत्रण किए जाने योग्य कारकों, जिनमें अप्रत्याशित घटनाएं जैसे टैरिफ विनियम 2014–19 के अनुसार रुकावट/अस्थायी रूप से व्यापार रोकने संबंधी आदेश शामिल हैं, के अलावा, नए विनियमों में अप्रत्याशित घटनाओं में से एक के रूप में परियोजनाओं के लिए सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब भी शामिल है। तदनुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियमों में प्रतिकूल परिवर्तन सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में मान्यताप्राप्त आरडीए शेषों की भावी वसूली के जोखिम के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में संभवतः नहीं है।

कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित ऋण शेष की भावी वसूली को प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

क) मांग जोखिम: विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास द्वारा की जाएगी। तदनुसार, यह सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित है जो भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करती हैं जैसे परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए लागत और आवश्यक रिटर्न को कवर करने वाली दर पर दीर्घावधि विद्युत खरीद करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जाने में कठिनाई।

ख) विनियामक जोखिम: टैरिफ विनियमों में आगे यह प्रावधान है कि यदि विलंब उत्पादक कंपनी पर आरोप्य नहीं है बल्कि अनियंत्रणीय कारकों के कारण है, आईडीसी को उचित विवेकसम्मत जांच के पश्चात अनुमेय किया जा सकता है। विवेकसम्मत जांच के पश्चात व्यय की अस्वीकार्यता से लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मात्रा प्रभावित हो सकती है।

(ख) केंद्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक यूनिट (सीपीएसयू) के तीसरे वेतन संशोधन के कारण मान्यता दिए गए व्यय के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष :

आईडीए वेतनमान के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित सीपीएसयू के कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी, 2017 से संशोधित किया गया है। जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, 01.01.2017 से मूल वेतन, मंहगाई भत्ता और भत्तों में वृद्धि करने के अलावा, उपदान को 01.01.2017 से मौजूदा 0.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 0.20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन कार्यान्वित किया गया है।

कारणों के विवरण सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2014 के साथ पठित सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014–19 में यह प्रावधान है कि प्रचालनात्मक पावर स्टेशनों के वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि का प्रभाव टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अवधि 2004–09 के दौरान, सीईआरसी ने 31.12.2006 के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनी के कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) के 50 प्रतिशत तक वेतन संशोधन (01.01.2007 से) के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि की लाभार्थियों से वसूली को बारह समान मासिक किश्तों में अनुमेय किया था। सीईआरसी द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2019 को अधिसूचित शुद्धिपत्र के साथ पठित वर्ष 2019–2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम में यह भी प्रावधान है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वेतन संशोधन की वसूली की जाए।

भारतीय लेखांकन मानक-114-“विनियामक आस्थगित लेखा” के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, वेतन/उपदान सीमा के संशोधन के कारण कर्मचारी लाभों (केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारियों और सीआईएसएफ कार्मिकों सहित) पर अतिरिक्त व्यय को, 31 मार्च, 2019 तक लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य व्यापक आय में प्रभारित किए जाने की सीमा तक “विनियामक आस्थगित लेखा शेष” के रूप में **631.90 करोड़ रुपये** को मान्यता प्रदान की गई है। एक बार इस संबंध में सीईआरसी के साथ समक्ष दायर याचिकाओं को मंजूरी मिलने के बाद लाभार्थियों को बिलिंग के माध्यम से यह शेष राशि वापस मिल जाएगी।

टैरिफ अवधि 2014–19 के विपरीत, जहां वेतन संशोधन के आरडीए शेषों को इस उम्मीद के साथ बनाया गया था कि सीईआरसी उसके अनुसरण में टैरिफ में उसी की अनुमति देगा, जिसकी वित्तीय वर्ष 2009 के दौरान वेतन संशोधन के लिए पहले अनुमति दी गई थी, टैरिफ विनियम 2019–24 वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय की विशिष्ट रूप से वसूली करने की अनुमति देता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 से तीसरी पीआरसी के कारण अतिरिक्त व्यय को तदनुसारी व्यापार प्राप्यों के साथ राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

वर्तमान वर्ष के दौरान, प्रबंधन ने प्रबंधन मूल्यांकन पर आधारित 1 जनवरी, 2017 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के तीसरे वेतन संशोधन संबंधी अतिरिक्त व्यय के संबंध में **61.32 करोड़ रुपये** के पूर्वोक्त विनियामक आस्थगित लेखा (डेबिट) शेष की वसूली और गैर-मान्यता प्राप्त हिस्से का वसूली योग्यता के रूप में पुनर्मूल्यांकन किया है। इस प्रकार गैर-मान्यता प्राप्त राशि को पूर्वव्यापी रूप से पुनःउल्लिखित किया गया है और संगत प्रकटन टिप्पणी 35 में दिया गया है।

वित्तीय विवरण में 31.03.2022 तक मान्यता प्रदान किए गए कुल आरडीए ऋण शेष नीचे दिए अनुसार हैं:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	दिनांक 01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	570.58
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	-
ग	वर्ष के दौरान प्रयुक्त एकत्रित राशि (-)	114.20
घ	लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय तथा अन्य व्यापक आय (ख+ग)	(114.20)
ङ	दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष (क+घ)	456.38

हालांकि, कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता विनियामक जोखिम के अध्वधीन है क्योंकि ऐसे व्यय को आम तौर पर सीईआरसी द्वारा विवेकसम्मत जांच के बाद ही किए जाने की अनुमति दी जाती है। विवेकसम्मत जांच के बाद व्यय की अस्वीकार्यता से लाभार्थियों से वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मात्रा पर प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी की वर्तमान सीईआरसी विनियम 2019-24 की अवधि के दौरान तीसरे वेतन संशोधन के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की वहनीय राशि को वसूल करने की आशा है।

(ग) किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ के अनतिक्रम के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014/19-2019-24 के अनुसार, किसी पावर स्टेशन की पूंजीगत लागत पर मूल्यह्रास टैरिफ के संघटकों में से एक है। मूल्यह्रास को 12 वर्षों की आरंभिक प्रचालन अवधि में टैरिफ विनियम 2014-19/2019-24 में दी गई दरों के अनुसार बहियों में प्रभारित किया जाता है और उसके बाद शेष मूल्यह्रास को शेष 23/28 वर्षों में समान रूप से रखा जाता है ताकि मूल्यह्रास के द्वारा पावर स्टेशन की पूंजी लागत का 90 प्रतिशत वसूला जा सके। टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार, जल पावर स्टेशन का प्रचालनात्मक जीवनकाल 40 वर्ष है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार, उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ का भी निर्धारण विनियम में उल्लिखित मानदंडों के विचलन में किया जा सकता है, बशर्ते विचलन में मानदंडों के आधार पर परियोजना के उपयोगी जीवनकाल पर समान स्तर पर किये हुए टैरिफ विनियमों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर परिकलित समान किये हुए शुल्क से अधिक न हो। 2019-2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियमों जिन्हें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है, में समान प्रावधान हैं।

किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 17 मई, 2018), कंपनी ने आरंभिक दस वर्षों में कमतर टैरिफ निर्धारित कर तथा उसके बाद 1 से 10 वर्षों तक 1.5 प्रतिशत मूल्यह्रास द्वारा शेष 25 वर्षों तक तथा 11 से 40 वर्ष तक 2.5 प्रतिशत मूल्यह्रास प्रभारित कर किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ में अनतिक्रम किया है और इस प्रकार से पावर स्टेशन की पूंजी लागत का कुल 90 प्रतिशत अनतिक्रम हुआ है। प्रचालन के आरंभिक वर्षों में टैरिफ को कम करने के उद्देश्य से इस अनतिक्रम को सीईआरसी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

किशनगंगा पावर स्टेशन में टैरिफ के निर्धारण के लिए मूल्यह्रास दरों का अनतिक्रम सीईआरसी द्वारा अनुमोदित पावर स्टेशन के टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ के रूप में वाणिज्यिक प्रचालन और वसूली के प्रथम 12 वर्षों के दौरान खाते में प्रभारित उच्चतर मूल्यह्रास (सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार) के रूप में अत्यधिक असंतुलन को पैदा करता है। हालांकि, प्रथम 12 वर्षों के दौरान कमतर वसूली की प्रतिपूर्ति खाते में प्रभारित मूल्यह्रास की तुलना में टैरिफ के माध्यम से मूल्यह्रास की उच्चतर वसूली के द्वारा पावर स्टेशन के प्रचालनात्मक जीवनकाल की शेष अवधि के दौरान की जाएगी। आरंभिक वर्षों में टैरिफ कम करने के उद्देश्य से लागतों की वसूली को टालना तथा बाद के वर्षों में इसकी वसूली यह दर्शाता है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वर्तमान लागतों की वसूली करने के अधिकार के रूप में परिसंपत्ति मौजूद है और ऐसे अधिकार को लागू किया जा सकता है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 "विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, टैरिफ विनियम, 2019-24 के अनुसार लाभ और हानि लेखा के विवरण में प्रभारित मूल्यह्रास और टैरिफ के रूप में अनुमति दिया गया मूल्यह्रास और जिसकी अवधियों में लाभार्थियों से वसूले जाने वाले के बीच अंतर की पहचान पावर स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। वाणिज्यिक प्रचालन के जीवनकाल के प्रथम 12 वर्षों के दौरान

सृजित आरडीए शेष राशियों को पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवनकाल के दौरान अर्थात् 28 वर्षों की अवधि के दौरान टैरिफ के संघटक के रूप में उच्च मूल्यह्रास के माध्यम से लाभार्थियों से वसूला जाएगा।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में मान्यताप्राप्त विनियामक परिसंपत्ति (+)/देयता (-) नीचे दी गई है:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	दिनांक 01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	563.11
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति+)/देयता (-)	198.35
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	198.35
ङ	दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष (क+घ)	761.46

कंपनी का किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में दीर्घावधि विद्युत कय करार है। चूंकि, टैरिफ के अनतिक्रम को सीईआरसी द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है, अतः कंपनी किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की वसूलनीयता के संबंध में किसी महत्वपूर्ण जोखिम पर विचार नहीं करती है।

हालांकि, खाते में मूल्यह्रास प्रभार और टैरिफ के माध्यम से उसकी वसूली सीईआरसी द्वारा यथाअनुमत पावर स्टेशन की पूंजी लागत पर निर्भर है, किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की वसूली विनियामक जोखिम के अध्यधीन होगी। समय और लागत आधिक्य आदि के कारण व्यय सहित पावर स्टेशन पर वास्तविक पूंजी व्यय का अनुमोदन सीईआरसी द्वारा विवेकसम्मत जांच के अध्यधीन है। विवेकसम्मत जांच के बाद व्यय की अनुमति न देना लाभार्थियों से वसूल किए जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की मात्रा को प्रभावित कर सकता है।

(घ) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

भारतीय लेखांकन मानक 23 – “उधार लागत” के अनुसार, ब्याज लागतों के सामयोजन के रूप में मानी गई सीमा तक विदेशी मुद्रा ऋण पर उधार लागत की अनुमति निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत किए जाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 21 – “विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव” में यह प्रावधान है कि जिन दरों पर इस अवधि के दौरान अथवा पूर्व के वित्तीय विवरणों में आरंभिक मान्यता पर उन्हें रूपांतरित किया गया था, से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों के निपटान अथवा रूपांतरण के कारण होने वाले विनिमय अंतर की पहचान उस अवधि में लाभ और हानि में की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न होंगे।

भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा 13कक – “भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना” में यह प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाली दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रूपांतरण के कारण विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए अपनाई गई मौजूदा लेखांकन नीति जारी रह सकती है। तदनुसार, 01.04.2016 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाली अवधियों के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में मानी गई सीमा तक उधार पर विनिमय अंतर को छोड़कर मौद्रिक मदों के रूपांतरण/निपटान के कारण होने वाले सभी विनिमय अंतरों को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाना है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार, विनिमय जोखिम अंतर के कारण किसी लाभ अथवा हानि को परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत के भाग के रूप में तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर वसूला जाएगा। इसके अलावा, सीईआरसी ने टैरिफ आदेशों में पूंजी लागत के भाग के रूप में निर्माण अवधि के दौरान हुए विनिमय अंतरों की अनुमति दी है।

मान्यता के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 114-“विनियामक आस्थगित लेखा” के प्रावधानों को देखते हुए, और वसूलनीयता के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19, लाभ और हानि में प्रभारित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रूपांतरण/निपटान के कारण विनिमय अंतरों की पहचान 01.04.2016 से “विनियामक आस्थगित लेखा शेष” के रूप में की जा रही है। इन शेषों का समायोजन उस वर्ष से किया जाता है जिसमें वह परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा उन्हें भुगतान योग्य होंगे।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उन्हें भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (-) नीचे दी गई हैं:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	दिनांक 01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	1.72
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (-))	(0.17)
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	(0.17)
ङ	दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष (क+घ)	1.55

2019-2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत के भाग के रूप में और टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार पावर स्टेशन की ओएंडएम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर विदेशी विनियम दर परिवर्तन की वसूलनीयता के संबंध में विनियम टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए भी जारी रखे गए हैं। तदनुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियम में प्रतिकूल परिवर्तन संभवतः विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनियम अंतरों के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष राशियों की भावी वसूली के जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं हो सकता है।

हालांकि, विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता मांग जोखिम के अध्यधीन है क्योंकि विनियामक आस्थगित निकासी/जमा शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के रूप में होगी। तदनुसार, वह दीर्घावधि पीपीए आदि पर हस्ताक्षर करने में दिक्कत जैसे भारत में बिजली की बिक्री पर प्रभाव डालने वाले सामान्य जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है।

(ङ) लाभार्थियों से वसूली योग्य/लाभार्थियों को भुगतानयोग्य आस्थगित कर के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, टैरिफ अवधि 2004-09 के लिए होने वाली आय के कारण उत्पन्न होने वाले आस्थगित कर, चालू कर, के रूप में उसी वर्ष में लाभार्थियों से वसूली योग्य है, जिस वर्ष में वह होता है। टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए आस्थगित कर भुगतान किए गए वास्तविक कर के आधार पर प्रभावी कर दर से इक्विटी पर लाभ को छोड़कर वसूली योग्य है। 31 मार्च, 2018 तक, भविष्य के वर्षों में लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था और उसे आरडीए के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

इस प्रथा की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआई की ईएसी) के मत के आधार पर की गई थी। इस प्रकार का आस्थगित लेखा शेष, जो आईसीएआई की ईएसी के अनुसार कटौती योग्य अस्थायी अंतर नहीं है जिसके फलस्वरूप भारतीय लेखांकन मानक 12 के अंतर्गत आस्थगित कर परिसंपत्ति होता है बल्कि भारतीय लेखांकन मानक 114 के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की परिभाषा पूरा करता है।

तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विनियामक आस्थगित लेखा शेष के रूप में आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में पूर्व में प्रस्तुत 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर और टैरिफ अवधि 2014-19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन को वर्गीकृत किया है।

सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार, पूर्ववर्ती टैरिफ विनियम 2014-19 में यथा प्रदत्त वर्तमान कर और आस्थगित कर की वसूली के तरीके में कोई अंतर नहीं है।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (-) नीचे दी गई हैं:

टैरिफ अवधि 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर के संबंध में:

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष
क	दिनांक 01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	1453.56
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (-))	-
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	49.52
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	(49.52)
ङ	दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष (क+घ)	1404.04

आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन के संबंध में (2014-19 और उसके बाद की टैरिफ अवधि के संबंध में):

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष
क	दिनांक 01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	843.37
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (-))	10.72
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	10.72
ङ	दिनांक 31.03.2022 को अंतिम शेष (क+घ)	854.09

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट के कारण विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष:

वर्ष के दौरान, कंपनी ने एमएटी क्रेडिट पात्रता के कारण प्रबंधन अनुमान के आधार पर 1478.62 करोड़ रुपये की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी है कि भविष्य में लेखाबहियों में मान्यता प्राप्त एमएटी क्रेडिट की राशि का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, टैरिफ अवधि 2004-09 के लिए आय सृजित करने से उत्पन्न आस्थगित कर वर्ष में लाभार्थियों से वसूली योग्य होती है जो वर्तमान कर के समान होती है। टैरिफ अवधि 2014-19 और 2019-24 के लिए आस्थगित कर भुगतान किए गए वास्तविक कर के आधार पर प्रभावी कर दर द्वारा इक्विटी पर आय को जोड़कर वसूली योग्य है।

तदनुसार, भविष्य में उपयोग किए जाने वाले एमएटी क्रेडिट के संबंध में 1313.27 करोड़ रुपये की विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष राशि को मान्यता दी गई है और आगे लाभार्थियों को अंतरित कर दी गई है।

भविष्य की अवधि में लाभार्थियों को देय एमएटी क्रेडिट के संबंध में मान्यता प्राप्त विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष
क	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	-
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्तियां (+)/देयताएं (-))	1313.27
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	1313.27
ङ	31.03.2022 को अंतिम शेष (क+घ)	1313.27

टैरिफ अवधि 2004-2009 तक वसूली योग्य/भुगतान योग्य आस्थगित कर के कारण मान्यताप्राप्त विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता, 2014-19 और एमएटी क्रेडिट की मान्यता से संबंधित टैरिफ अवधि के संबंध में आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन कंपनी के भावी प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन पर निर्भर है। इसके अलावा, चूंकि विनियामक आस्थगित लेखा शेष विगत टैरिफ अवधियों से संबंधित हैं, अतः वसूलनीयता भी सीईआरसी के विनियामक जोखिम के अध्यधीन है जो भावी टैरिफ विनियमों में ऐसे शेषों की वसूली की अनुमति देता है।

23. (i) उड़ी-II पावर स्टेशन जहां दुर्घटनावश 20.11.2014 को आग लग गई थी, जिसके कारण उत्पादन बंद हो गया था, उससे जून, जुलाई, तथा अगस्त, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और

उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर हैं। दिनांक 31.03.2022 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त की गई प्रतिदाय की निवल राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	शेष प्राप्य	
				31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
व्यापार बाधा हानि	202.98	74.01	-	128.97*	128.97*

* टिप्पणी 34 के पैरा 2(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मानी गई आय शून्य है (आज की तारीख तक संचित शून्य है)।

- (ii) सेवा-II पावर स्टेशन जिसका हेड रेस टैनेल (एचआरटी) 25 सितंबर, 2020 को भू-स्खलन के कारण नष्ट हो गया था। अब नुकसान की बहाली पूरी हो चुकी है और पावर स्टेशन प्रचालन में है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर हैं। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नवत है:

(करोड़ रुपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त की गई/प्राप्त की जाने वाली राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	शेष प्राप्य	
				31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	50.80	9.19	2.54	39.07	38.00
व्यापार बाधा हानि	225.60	161.86	-	63.74*	274.60*
कुल	276.40	171.05	2.54	102.81	312.60

* टिप्पणी 34 के पैरा 2(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मानी गई आय 161.86 करोड़ रुपये है (आज की तारीख तक संचित 161.86 करोड़ रुपये है)।

- (iii) दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार पावर स्टेशनों (ऊपर 23(i) तथा (ii) में प्रकट किए गए उड़ी-II और सेवा-II के प्रमुख दावों के अतिरिक्त) के संबंध में बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त की गई राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	शेष प्राप्य	
				31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	99.97	22.68	38.60	38.69	44.74
व्यापार बाधा हानि	-	-	-	-	14.00*
कुल	99.97	22.68	38.60	38.69	58.74

* टिप्पणी 34 के पैरा 2(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

24. निदेशक मंडल ने 20.03.2014 को हुई अपनी बैठक में चर्चा की कि बरसर जल विद्युत परियोजना की व्यवहार्यता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने बरसर परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा जांच हेतु वित्तपोषण उपलब्ध करवाने के लिए पहल की थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार निधियों को उपलब्ध करवाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) से संपर्क किया गया था। दिनांक 27.04.2015 को जल संसाधन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में उनके प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का कंपनी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीईए को प्रस्तुत की गई थी और **226.78 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष **226.78 करोड़ रुपये**) के किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त पूर्व-सावधानी के तौर पर, पूर्वोक्त व्यय के संबंध में पूर्ववर्ती वर्षों में प्रावधान किया गया है और इसे लेखाबहियों में जारी रखा गया है।
25. कोटलीभेल-1ए, कोटलीभेल-1बी और कोटलीभेल-1II परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित उन 24 जल विद्युत परियोजनाओं में से ऐसी तीन परियोजनाएं हैं जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.08.2013 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इन परियोजनाओं को अगले आदेश तक पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न किए जाने के लिए और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच करने के लिए निदेश दिए गए हैं। इन परियोजना के भविष्य पर निर्णय लंबित होने तक, 31.03.2022 तक कोटलीभेल-1ए, कोटलीभेल-1बी और कोटलीभेल-1II परियोजनाओं के संबंध में क्रमशः **278.11 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष **274.35 करोड़ रुपये**), **42.95 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष **42.95 करोड़ रुपये**) और **51.42 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष **51.42 करोड़ रुपये**) की राशि के लिए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त पूर्व-सावधानी के तौर पर, 31.03.2022 तक इन राशियों हेतु कुल **372.48 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष **368.72 करोड़ रुपये**) की राशि का प्रावधान लेखाबहियों में किया गया है।
26. तवांग चरण-I और चरण-II जलविद्युत परियोजनाओं पर **237.15 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष **233.68 करोड़ रुपये**) की राशि के व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, स्वीकृतियों की प्राप्ति में विलंब, भूमि अधिग्रहण में कठिनाई और इन परियोजनाओं से जुड़ी समग्र अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, इन परियोजनाओं में पर्याप्त सावधानी के तौर पर दिनांक 31.03.2022 तक **237.15 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **233.68 करोड़ रुपये**) के खर्च का प्रावधान किया गया है।
27. (क) धौलीगंगा इंटरमीडिएट, चुंगर चाल और खरमोली लुमटी टुली जलविद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन अस्थायी रूप से स्थगित रखा गया है। इन परियोजनाओं को उत्तराखंड सरकार को सौंपे जाने का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक, 31.03.2022 तक **35.70 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष **35.70 करोड़ रुपये**) की राशि को किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किया जा रहा है। तथापि, पर्याप्त पूर्व-सावधानी के रूप में लेखाबहियों में **35.70 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष **35.70 करोड़ रुपये**) का प्रावधान किया गया है।
- (ख) गोरीगंगा-IIIए परियोजना की पूंजीगत लागत और अनुकूल टैरिफ को कम करने के उपायों का पता लगाया जा रहा है। उस पर निर्णयों के लंबित रहने तक, 31.03.2022 तक **46.37 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **46.18 करोड़ रुपये**) के लिए गए व्यय की राशि को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त पूर्व-सावधानी के तौर पर, लेखाबहियों में **46.37 करोड़ रुपये** (पूर्व वर्ष **46.18 करोड़ रुपये**) का प्रावधान किया गया है।
28. एनएचपीसी द्वारा चमेरा पावर स्टेशन-I के इक्विटी पर आय (आरओई) के प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटन: वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने **1016.39 करोड़ रुपये** की राशि के लिए नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन के तहत चमेरा-I पावर स्टेशन के इक्विटी पर आय (आरओई) के प्रतिभूतिकरण के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ करार किया है, जो 10 वर्षों की अवधि में बैंक को निम्नलिखित तरीके में भुगतानयोग्य है:
- (क) नियत संघटक: 5.24 प्रतिशत की छूट दर **10.90 करोड़ रुपये** प्रति माह (31 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार 3-माह का टी-बिल 3.71 प्रतिशत जमा 1.53 प्रतिशत व्यापक)। छूट दर बेंचमार्क दर के आधार पर प्रत्येक तीन माह में संशोधित की जाएगी। ऐसा पहला संशोधन अप्रैल, 2022 के पहले दिन और उसके बाद हर तीन महीने में होगा।
- (ख) परिवर्तनीय संघटक: वार्षिक रूप से देय, पावर स्टेशन की द्वितीयक ऊर्जा के कारण राजस्व का 5 प्रतिशत।
- प्रतिभूतिकरण पर प्राप्त राशि को प्रारंभ में इंड एस 109 के अनुसार उचित मूल्य पर वित्तीय देयता (उधार) के रूप में मान्यता दी गई है। ब्याज व्यय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार वित्त लागत के तहत मान्यता दी गई है।

29. सेबी (सूचियन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची-V द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटन:

(क) ऋणों की प्रकृति में ऋण एवं अग्रिम

- (i) सहायक कंपनियां: शून्य (पिछले वर्ष शून्य)
(ii) संयुक्त उद्यम कंपनियां:

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	के अनुसार बकाया शेष		वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
	31.03.2022	31.03.2021	2021-22	2020-21
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा.) लि.	18.82	18.82	18.82	18.82

(iii) उन फर्मों और कंपनियों को जिनमें निदेशक का हित है: शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

ख. एनएचपीसी के हिस्से में कर्जदारों (जिनका विवरण ऊपर दिया गया है) द्वारा निवेश : शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

30. जलविद्युत पावर स्टेशनों के संबंध में कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्रों के मात्रात्मक ब्यौरे:

क्रम सं.	विवरण	मात्रा (संख्या में)	
		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रारंभिक शेष	6930932	3525556
2	वर्ष के दौरान जारी किए गए/बनाए गए	138595	5141442
3	वर्ष के दौरान बिक्री	4632688	1736066
4	अंतिम शेष	2436839	6930932

अंतिम वसूली में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के कारण, दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास उपलब्ध कार्बन क्रेडिट के अंतिम शेष को लेखांकित नहीं किया गया है।

31. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की अपेक्षा के अनुसार "वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से उधार" के संबंध में प्रकटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

तिमाही	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूति के ब्यौरे	लेखाबहियों के अनुसार राशि	तिमाही रिटर्न/विवरण में सूचित किए गए अनुसार राशि	अंतर की राशि	वास्तविक विसंगतियों के कारण
जून, 2021	भारतीय स्टेट बैंक	विद्युत की बिक्री के लिए देनदार (बिल न किए गए देनदारों को छोड़कर)	3940.50	3940.50	-	-
सितंबर, 2021	भारतीय स्टेट बैंक	विद्युत की बिक्री के लिए देनदार (बिल न किए गए देनदारों को छोड़कर)	3423.68	3423.68	-	-
दिसंबर, 2021	भारतीय स्टेट बैंक	विद्युत की बिक्री के लिए देनदार (बिल न किए गए देनदारों को छोड़कर)	3249.07	3249.07	-	-
मार्च, 2022	भारतीय स्टेट बैंक	विद्युत की बिक्री के लिए देनदार (बिल न किए गए देनदारों को छोड़कर)	2686.52	2686.52	-	-

32. **बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध के बारे में प्रकटीकरण :** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की अपेक्षा के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन कंपनियों के साथ शेष राशि के संबंध में प्रकटीकरण निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2022 के अनुसार बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए	31 मार्च, 2021 को बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए
किशन सिंह एण्ड कंपनी प्रा. लि.	प्राप्य	0.22	-	0.22	-
के एस ट्रेडर्स प्रा. लि.	देय	-	-	0.17	-
आरएमएस इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	देय	0.02	-	0.02	-
रतन चंद एण्ड संस प्रा. लि.	देय	-	-	0.06	-
भगवती हार्डवेयर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	देय	-	-	0.01	-
एम एम एन्टरप्राइसेस प्रा. लि.	देय	-	-	0.02	-
रॉयल बायोटेक प्रा. लि.	देय	0.03	-	0.01	-
भैभव कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	देय	-	-	0.01	-
सृष्टि डेवलपर्स प्रा. लि.	देय	-	-	0.08	-
एवरेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	देय	-	-	0.15	-
आर के बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रा. लि.	देय	0.13	-	0.13	-
मैसर्स रोल्टामैक्स पोर्ट – टेक प्रा. लि.	देय	0.02	-	0.02	-
स्टार इन्फोर्मेटिक्स प्रा. लि.	देय	-	-	0.02	-
टोटल सॉल्यूशंस प्रा. लि.	देय	0.02	-	-	-
वाइटललिक वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेस प्रा. लि.	बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर	0.01	-	0.01	-
राइटिंग नेटवर्क इंडिया प्रा. लि.	बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर	-	-	0.01	-
क्वांटम सिक्योरीटीज प्रा. लि.	बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर	0.01	-	0.00	-

टिप्पणी: 37 बंद कंपनियों के साथ बकाया शेष, जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं, के बारे में रिपोर्ट नहीं किया गया है।

33. वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी की ओर से सांविधिक अवधि से परे कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ किसी प्रभार या संतुष्टि के पंजीकरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।
34. कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यवर्तियों") सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई(यों) को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है या उनमें कोई ऋण या निवेश नहीं किया गया है (चाहे उधार ली गई राशि से या शेयर या प्रीमियम से या किसी धनराशि के किसी अन्य स्रोत या प्रकार से) जिसमें यह समझ शामिल है कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, मध्यवर्ती कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष को उधार देगी या उसमें निवेश करेगी।

कंपनी को किसी भी पक्षकार (पक्षकारों) (वित्त-पोषण पक्षकार) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह समझ भी शामिल है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

35. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य उधारदाताओं द्वारा स्वेच्छाचारी डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया है।

36. कोविड-19 का प्रभाव

कंपनी के राजस्व का प्राथमिक स्रोत जलविद्युत का उत्पादन और बिक्री है। कोविड-19 के प्रकोप और हाल ही में इसके मामलों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप, भारत सरकार और/या राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की घोषणा की है जिससे सामान्य रूप से व्यापार प्रभावित हुआ है। बिजली की आपूर्ति एक आवश्यक सेवा है और रन-ऑफ-दि-रिवर (आरओआर) परियोजनाओं के लिए अनिवार्य प्रचालन की स्थिति को देखते हुए और तालाब और भंडारण परियोजनाओं के साथ आरओआर के मामले में आरएलडीसी द्वारा संभव सीमा तक शेड्यूलिंग पर विचार करते हुए, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर कोविड-19 का कोई भौतिक प्रभाव नहीं है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न चालू और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का वहन मूल्य या कंपनी के ऋण को चुकाने की क्षमता उत्पन्न होने की आशा है।

तथापि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 और 16 मई, 2020 के निर्देशों के अनुरूप, कंपनी ने अंतिम उपभोक्ताओं को खाते में डालने के लिए डिस्कॉम और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली विभागों को **185 करोड़ रुपये** की एकमुश्त छूट दी है। उक्त छूट को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वित्तीय विवरण में "असाधारण मद" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

निर्माणाधीन सर्वेक्षण/जांच और सर्वेक्षण के अधीन परियोजनाओं के संबंध में, प्रबंधन मांग में किसी बड़े पैमाने पर संकुचन की उम्मीद नहीं रखता, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना पोर्टफोलियो में कमी हो सकती है। कंपनी के ऋण दस्तावेजों के लिए मांग में कोई संकुचन नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्याशित भावी पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार की लागत में वृद्धि हो सकती है।

4621.48 करोड़ रुपये राशि के व्यापार प्राप्य, परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं, जिनका अनुमानित उधार हानि पद्धति के उपयोग करके हानि भत्ते के प्रावधान पर विचार किया गया। कंपनी के लाभार्थी अधिकांश राज्य वितरण कंपनियां हैं तथा भारत सरकार द्वारा इन लाभार्थियों के लिए आत्मनिर्भर भारत विशेष आर्थिक तथा व्यापक पैकेज के अंतर्गत घोषित लिक्विडिटी प्रदान करने पर विचार करते हुए, कंपनी व्यापार प्राप्यों की वसूली में ऋण जोखिम की किसी वृद्धि का अनुमान नहीं लगाती है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों के एक महत्वपूर्ण भाग को स्तर-1 में वर्गीकृत किया गया है तथा इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य जो मुख्य रूप से एक सक्रिय बाजार के रूप में चिह्नित लिक्विड इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करता है जो कोविड-19 से उत्पन्न अनिश्चितताओं के कारक हैं। दिनांक 31 मार्च, 2022 को नकदी तथा नकदी समतुल्य, बैंक जमाओं और बैंकों के पास निर्धारित शेषों के रूप में परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय संपत्तियों के संबंध में, कंपनी ने आकलन किया है कि प्रतिपक्ष ऋण जोखिम में कोई वृद्धि नहीं हुई है। स्तर-2 और स्तर-3 में वर्गीकृत अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, प्रबंधन प्रतिपक्ष की प्रोफाइल के आकलन के आधार पर ऋण जोखिम में किसी वृद्धि की आशा नहीं रखता है, जिनमें से अधिकांश या तो कंपनी या राज्य सरकार/केंद्र सरकार के निकायों के कर्मचारी हैं।

तदनुसार, प्रबंधन का विचार है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहनीय राशि में हानि का अनुमान लगाने के कोई कारण नहीं हैं। इसी तरह, कंपनी द्वारा आस्थगित कर परिसंपत्तियों/विनियामक आस्थगित लेखाशेषों तथा आस्थगित कर देयता की तुलना में विनियामक आस्थगित लेखाशेषों की वसूलनीयता के संबंध में कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं है।

इंड एस 116- पट्टों के संबंध में, पट्टे की शर्तों में कोई परिवर्तन उन मामलों में अनुमानित नहीं है, जहां कंपनी संविदा के लिए पट्टेदार के रूप में है। इसके अतिरिक्त, एकल लाभार्थी सहित विद्युत स्टेशनों के संबंध में सन्निहित पट्टों के मामले में, पट्टों की शर्तों में कोई छूट प्रस्तावित नहीं है।

आकलन के अनुसार, कंपनी की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों सहित, कंपनी के अन्य देनदारों से प्राप्त राशियों के संबंध

में ऋण जोखिम में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, अन्य निकायों के साथ की गई परामर्शी संविदाएं (मुख्य रूप से कंपनी की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के साथ) कोई भार नहीं है क्योंकि कंपनी की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम भी समान प्रकार के व्यापार में हैं।

प्रबंधन के आंकलन के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न वर्तमान तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के वहनीय मूल्य सहित कंपनी की अवधारणाओं के विषयों में वृद्धि की संभावना सहित कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर कोविड-19 का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 का प्रभाव, यदि कोई हो, महामारी का वास्तविक प्रभाव भावी घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। कंपनी स्थितियों के परिवर्तन की निगरानी करना जारी रखेगी और उसी को विचारार्थ अथवा क्रिस्टलीकरण पर लिया जाएगा।

37. जहां कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः कंपनीबद्ध/पुनः कथित किया गया है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

रूपा देब
कंपनी सचिव

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08645380

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 006591एन/एन500377

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 302137ई

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 003824एन

भुवनेश महेश्वरी
साझेदार
सदस्यता सं. 088155

आर.के. नंदा
साझेदार
सदस्यता सं. 510574

मनुश्री बिंदल
साझेदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 25 मई, 2022

एकल वित्तीय विवरणियाँ पर टिप्पणी सं 35

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, पिछली अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ मदों के संबंध में पूर्वव्यापी प्रभाव से पुनर्वर्गीकरण/पुनर्कथन किए गए हैं। तदनुसार, इंड एस 1 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, कंपनी ने पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत में अर्थात 01.04.2020 को तीसरा तुलन-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रमुख पुनर्कथन/पुनर्वर्गीकरण को निम्नानुसार समझाया गया है:-

(क) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए और 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार पुनर्कथित एकल वित्तीय विवरणियाँ

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए और 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार पुनर्कथित एकल तुलन-पत्र

		(करोड़ रुपए में)							
विवरण		एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या	टिप्पणी	31 मार्च, 2021 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2021 के अनुसार (पुनः कथन)	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार (पुनः कथन)
परिसंपत्तियां									
(1)	गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां								
क)	संपत्ति, संग्रंत्र और उपकरण	2.1	35.1 (क)	19,163.61	10.99	19,174.60	21,463.33	5.43	21,468.76
ख)	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2	35.1 (ख)	17,754.48	98.08	17,852.56	16,097.65	-	16,097.65
ग)	उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	2.3		1,752.92	-	1,752.92	1,826.98	-	1,826.98
घ)	निवेश संपत्ति	2.4		4.49	-	4.49	4.49	-	4.49
ङ)	अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5		3.52	-	3.52	0.72	-	0.72
च)	वित्तीय परिसंपत्तियां								
	1) निवेश	3.1		3,921.68	-	3,921.68	3,400.74	-	3,400.74
	2) ऋण	3.2	35.1 (ग)	943.27	(23.00)	920.27	798.65	(22.45)	776.20
	3) अन्य	3.3	35.1 (ग)	4,917.27	23.00	4,940.27	3,435.91	22.45	3,458.36
छ)	गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4		-	-	-	138.90	-	138.90
	अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	5		3,560.71	-	3,560.71	3,035.41	-	3,035.41
कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां				52,021.95	109.07	52,131.02	50,202.78	5.43	50,208.21
वर्तमान परिसंपत्तियां									
(2)	वर्तमान परिसंपत्तियां								
क)	मालसूची	6		124.42	-	124.42	118.24	-	118.24
ख)	वित्तीय परिसंपत्तियां								
	1) व्यापार प्राप्य	7	35.1 (ग)	3,206.02	1,326.47	4,532.49	3,585.12	2,146.83	5,731.95
	2) नकदी और नकदी तुल्य	8		145.57	-	145.57	8.87	-	8.87

विवरण	एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या	टिप्पणी	31 मार्च, 2021 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2021 के अनुसार (पुनः कथन)	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार (पुनः कथन)
3) नकदी और नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9		768.39	-	768.39	380.25	-	380.25
4) ऋण	10	35.1 (ग)	48.44	(0.36)	48.08	46.03	(0.48)	45.55
5) अन्य	11	35.1 (ग), (घ) और (च)	2,386.12	(1,319.00)	1,067.12	2,932.96	(2,146.35)	786.61
ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12		165.73	-	165.73	127.14	-	127.14
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13		372.08	-	372.08	375.91	-	375.91
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां			7,216.77	7.11	7,223.88	7,574.52	-	7,574.52
(3) नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	14	35.1 (ख) और (ड)	7,063.31	(160.38)	6,902.93	6,836.22	(61.32)	6,774.90
कुल परिसंपत्तियां			66,302.03	(44.20)	66,257.83	64,613.52	(55.89)	64,557.63
इक्विटी और देयताएं								
(1) इक्विटी								
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1		10,045.03	-	10,045.03	10,045.03	-	10,045.03
(ख) अन्य इक्विटी	15.2	35.1 (क) और (ड)	21,602.28	(44.20)	21,558.08	19,938.78	(55.89)	19,882.89
कुल इक्विटी			31,647.31	(44.20)	31,603.11	29,983.81	(55.89)	29,927.92
(2) देयताएं								
गैर-वर्तमान देयताएं								
(क) वित्तीय देयताएं								
1) ऋण	16.1	35.1 (ग)	21,241.22	(10.23)	21,230.99	20,889.74	(11.08)	20,878.66
2) पट्टा देयताएं	16.2	35.1 (ग)	-	10.23	10.23		11.08	11.08
3) अन्य वित्तीय देयताएं	16.3		2,054.34	-	2,054.34	2,059.23	-	2,059.23
प्रावधान	17		28.38	-	28.38	27.66	-	27.66
(ख) विलंबित कर देयताएं (निवल)	18		3,589.36	-	3,589.36	3,641.19	-	3,641.19
(घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19	35.1 (घ)	2,034.60	0.19	2,034.79	2,082.65	-	2,082.65
कुल गैर वर्तमान देयताएं			28,947.90	0.19	28,948.09	28,700.47	-	28,700.47

विवरण	एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या	टिप्पणी	31 मार्च, 2021 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2021 के अनुसार (पुनः कथन)	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार (पुनः कथन)
(3) वर्तमान देयताएं								
(क) वित्तीय देयताएं								
(1) ऋण	20.1	35.1 (ग)	726.03	1,393.11	2,119.14	714.31	1,616.95	2,331.26
1क) पट्टा देयताएं	20.2	35.1 (ग)	-	2.42	2.42	-	2.83	2.83
(2) देय व्यापार	20.3							
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		35.1 (ख)	30.94	(0.15)	30.79	18.85	-	18.85
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया देय		35.1 (ख) और (घ)	170.40	(2.92)	167.48	285.41	(3.86)	281.55
(3) अन्य वित्तीय देयताएं	20.4	35.1 (ग) और (ख)	2,925.62	(1,392.65)	1,532.97	2,880.07	(1,615.92)	1,264.15
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21		565.85	-	565.85	802.44	-	802.44
(ग) प्रावधान	22		1,252.98	-	1,252.98	1,228.16	-	1,228.16
(घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23		35.00	-	35.00	-	-	-
कुल वर्तमान देयताएं			5,706.82	(0.19)	5,706.63	5,929.24	-	5,929.24
कुल इक्विटी और देयताएं			66,302.03	(44.20)	66,257.83	64,613.52	(55.89)	64,557.63

(ख) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए पुनःकथित लाभ और हानि का एकल विवरण

				(करोड़ रुपए में)	
विवरण	एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या	टिप्पणीयां	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार (पुनः कथन)
आय					
1) प्रचालनों से राजस्व	24.1		8,506.58	-	8,506.58
2) अन्य आय	24.2	35.1 (ख) और (घ)	1,150.81	5.17	1,155.98
द्वितीय वर्ष;			9,657.39	5.17	9,662.56
0 ; ;					
1) विद्युत का क्रय - व्यापार	25.1		212.37	-	212.37
2) उत्पादन व्यय	25.2		854.37	-	854.37
3) कर्मचारी लाभ व्यय	26	35.1 (ख)	1,409.26	(15.35)	1,393.91
4) वित्त लागतें	27	35.1 (ख)	649.59	(78.10)	571.49
5) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	35.1 (क) और (ख)	1,234.50	(5.85)	1,228.65
6) अन्य व्यय	29	35.1 (ख)	1,425.89	(6.28)	1,419.61
कुल व्यय			5,785.98	(105.58)	5,680.40
अपवादजनक मदों, नियामक विलंबित लेखा शेष और कर से पूर्व लाभ					
अपवादजनक मदें	34(36)		3,871.41	110.75	3,982.16
			185.00	-	185.00
नियामक विलंबित लेखा, शेष तथा कर से पूर्व लाभ			3,686.41	110.75	3,797.16
कर व्यय	30.1				
1) वर्तमान कर			714.17	-	714.17
2) आयकर के लिए समायोजन			(34.04)	-	(34.04)
कुल कर व्यय			680.13	-	680.13
नियामक विलंबित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व वर्ष के लिए लाभ			3,006.28	110.75	3,117.03
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	31		227.09	(99.06)	128.03

विवरण	एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या	टिप्पणीयां	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार (पहले सूचित किए गए अनुसार)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार (पुनः कथन)
वर्ष के लिए लाभ (क)			3,233.37	11.69	3,245.06
अन्य व्यापक आय (ख)	30.2				
(1) लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत न किए जाने वाली मदें (कर का निवल)					
(क) रोजगार पश्चात निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन			(40.29)	-	(40.29)
घटाएं : निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर कर के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन			2.87	-	2.87
उप जोड़ (क)			(43.16)	-	(43.16)
(ख) इक्विटी लिखत में निवेश			47.13	-	47.13
उप जोड़ (ख)			47.13	-	47.13
कुल उप जोड़ (1) = (क) + (ख)			3.97	-	3.97
(2) लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत की जाने वाली मदें (कर का निवल)					
— ऋण लिखत में निवेश			3.23	-	3.23
कुल (2)			3.23	-	3.23
अन्य व्यापक आय (ख) = (1 + 2)			7.20	-	7.20
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय = (क + ख) (इसमें वर्ष के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय शामिल हैं)			3,240.57	11.69	3,252.26
प्रति शेयर अर्जन (मूल और डाइल्यूटेड)	34(12)	35.1 (ज)			
(इक्विटी शेयर, 10/- रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)			2.99	0.11	3.10
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन से पूर्व			3.22	0.01	3.23
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन के पश्चात					

(ग) 31 मार्च, 2021 के अनुसार इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
अन्य इक्विटी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणीयां	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय			कुल
		पूँजी मौचन आरक्षित	बाण्ड मौचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/ प्रतिधारित आय	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत	
1 अप्रैल, 2020 को शेष		2,255.71	1,948.38	9,724.72	5,933.58	42.18	34.21	19,938.78
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्ववधि त्रुटियां	35.1 (क) और (ड)	-	-	-	(55.89)	-	-	(55.89)
1 अप्रैल, 2020 को पुनर्कथित शेष		2,255.71	1,948.38	9,724.72	5,877.69	42.18	34.21	19,882.89
वर्ष हेतु लाभ		-	-	-	3,245.06	-	-	3,245.06
अन्य व्यापक आय		-	-	-	(43.16)	3.23	47.13	7.20
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय		-	-	-	3,201.90	3.23	47.13	3,252.26
बाण्ड मौचन आरक्षित से अंतरित राशि		-	(306.43)	-	306.43	-	-	-
लाभभांश					(1,577.07)			(1,577.07)
31 मार्च, 2021 को शेष		2,255.71	1,641.95	9,724.72	7,808.95	45.41	81.34	21,558.08

35.1 महत्वपूर्ण भूतलक्षी पुनर्कथन निम्नानुसार वर्णित किया गया है:-

- क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में तदनुसूची वृद्धि के साथ पूर्व के वर्षों के दौरान प्रभारित अधिक मूल्यदास का प्रतिलोमन।
- ख) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसरण में प्रथम कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान निर्माण परियोजनाओं में उपगत उधार और अन्य लागतों के संबंध में पिछले वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त विनियामक आस्थगन लेखा (डेबिट) की 99.06 करोड़ रुपए की शेष राशि का प्रतिलोमन और इसे प्रगतिशील पूंजीकृत कार्य के रूप में मान्यता।
- ग) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में संशोधनों के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के आंकड़ों में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण परिवर्तन किए गए हैं:

विवरण	पूर्व वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 के अनुसार
सुरक्षा जमा - गैर वर्तमान	वित्तीय आस्तियां - गैर वर्तमान - ऋण (टिप्पणी सं. 3.2)	वित्तीय आस्तियां - गैर वर्तमान - अन्य (टिप्पणी सं. 3.3)	23.00	22.45
सुरक्षा जमा - वर्तमान	वित्तीय आस्तियां - वर्तमान - ऋण (टिप्पणी सं. 10)	वित्तीय आस्तियां - वर्तमान - अन्य (टिप्पणी सं. 11)	0.36	0.48
बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य	वित्तीय आस्तियां - वर्तमान - अन्य (टिप्पणी सं. 11)	वित्तीय आस्तियां - वर्तमान - प्राप्य व्यापार (टिप्पणी सं. 7)	1,358.67	2,146.83
वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - पट्टा देयताएं	वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - ऋण (टिप्पणी सं. 16.1)	वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - पट्टा देयताएं (टिप्पणी सं. 16.2)	10.23	11.08
वित्तीय देयताएं - वर्तमान - पट्टा देयताएं	वित्तीय देयताएं - वर्तमान - अन्य (टिप्पणी सं. 20.4)	वित्तीय देयताएं - वर्तमान - पट्टा देयताएं (टिप्पणी सं. 20.2)	2.42	2.83
दीर्घावधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	वित्तीय देयताएं - वर्तमान - अन्य (टिप्पणी सं. 20.4)	वित्तीय देयताएं - वर्तमान - ऋण (टिप्पणी सं. 20.1)	1,393.11	1,616.95

- घ) व्यापार प्राप्यों के अंतर्गत पूर्व में वर्गीकृत विद्युत व्यापार व्यवसाय से विलंबित भुगतान अधिभार के प्रति प्राप्यों को "वर्तमान वित्तीय संपत्ति-अन्य" के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- ङ) प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर वसूली की क्षमता के रूप में केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के तीसरे वेतन संशोधन पर अतिरिक्त व्यय के संबंध में विनियामक आस्थगित खाते (डेबिट) की शेष राशि 61.32 करोड़ रुपए का आंशिक प्रतिलोमन 1 जनवरी, 2017 से।
- च) वित्तीय आस्तियों - अन्य में तदनुसूची वृद्धि के साथ पिछले वर्ष से संबंधित अन्य आय की मान्यता-अन्य में 7.11 करोड़ रुपए की वृद्धि।
- छ) पूर्व में व्यापार देय के रूप में वर्गीकृत सीएसआर कार्यों के कारण देयता को वित्तीय देयताओं- अन्य के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- ज) वर्ष 2020-21 के लिए प्रति शेयर मूल और डाइलुटेड आय को भी पुनर्कथित किया गया है। विनियामक आस्थगन लेखा शेष में संचलन से पहले प्रति शेयर मूल और डाइलुटेड आय में 0.11 रुपए और विनियामक आस्थगन लेखा शेष में संचलन के बाद 0.01 रुपए प्रति शेयर की वृद्धि हुई है।
- झ) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (उद्धरण) में पुनर्कथन का प्रभाव।

क्रम सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष में सूचित आंकड़े	पुनः कथन	31.03.2021 को समाप्त वर्ष में पुनर्कथित आंकड़े
1	प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	4,509.80	17.11	4,526.91
2	निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(1,507.34)	(97.80)	(1,605.14)
3	वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(2,865.76)	80.69	(2,785.07)
	नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/ (कमी) (1+2+3)	136.70	-	136.70

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

रूपा देब
कंपनी सचिव

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08645380

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के. जी. सोमानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

भुवनेश महेश्वरी
साझेदार
सदस्यता सं. 088155

आर.के. नंदा
साझेदार
सदस्यता सं. 510574

मनुश्री बिंदल
साझेदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान : फरीदाबाद
तिथि : 25 मई, 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मत

हमने एनएचपीसी लिमिटेड (इसके बाद इसमें 'धारक कंपनी' कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी एवं उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ "समूह" कहा गया है) जिनमें इसके संयुक्त उद्यमों में समूह के निवल लाभ का हिस्सा शामिल है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र, लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) के समेकित विवरण के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, इक्विटी में परिवर्तनों के समेकित विवरण और उस समय समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां (इसके बाद इसमें 'समेकित वित्तीय विवरण कहा गया है) शामिल है।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण यथापेक्षित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 यथा संशोधित (इंड एस) के साथ पाठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप 31 मार्च 2022 को समूह और इसके संयुक्त उद्यमों के कार्यों की स्थिति और लाभ, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों और उसके नकदी प्रभाव की भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

मत का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुरूप किया है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट की समेकित वित्तीय विवरणी खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्वों में भी आगे स्पष्ट किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप हम ग्रुप से स्वतंत्र हैं और साथ ही उन नैतिक अपेक्षाओं के कारण भी जो इस निमित्त बनाए गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुरूप पूरी की है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण और अन्य लेखाकारों को परीक्षण क्रम में उपलब्ध लेखापरीक्षा प्रमाण नीचे अन्य विषय खंड में दिया गया है और यह समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षण मत के लिए आधार उपलब्ध कराने में पर्याप्त और समुचित है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेगत विवेक में मौजूदा अवधि की समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व के हैं। इन मामलों पर समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा और उन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में पूरी तरह ध्यान दिया गया है और हम इन मामलों में कोई अपनी पृथक राय उपलब्ध नहीं कराते हैं।

हमने नीचे वर्णित मामलों पर अपनी रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में विचार किया है। हमने इन मामलों से संबंधित जिम्मेदारियों सहित अपनी रिपोर्ट के समेकित इंड-एस वित्तीय विवरणी खंड में लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व में वर्णित जिम्मेदारियों को पूरा किया है। इसके अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की गलत बयानी के जोखिमों के अनुमान पर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप प्रदर्शन भी शामिल हैं। हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और अन्य लेखाकारों द्वारा संपन्न प्रक्रियाओं के परिणाम जो हमारे द्वारा लेखापरिक्षित नहीं हैं, जैसा कि उन्होंने प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दावा किया है, इसमें वे प्रक्रियाएं भी शामिल हैं जो मुद्दों के समाधान के लिए की गई हैं और वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। नीचे दिए गए प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उल्लिखित किए गए हैं और ये कंपनी की दो सब्सिडियरी के संबंध में ग्रुप के समेकित वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं। अन्य घटकों के वैधानिक लेखापरीक्षकों ने संबंधित कंपनी की वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट में कोई प्रमुख लेखापरीक्षा मुद्दा नहीं उठाया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के तहत नीचे दिए गए आंकड़े और संदर्भ, जब तक खासतौर पर, अन्य विशेष संदर्भ में उल्लिखित नहीं

हों, केवल धारक कंपनी के हैं जब तक कि अन्य सभी घटकों के मामले में ये आंकड़े वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किए गए हों।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का समाधान
1. विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष और लंबित टैरिफ अधिसूचना लंबित होने के चलते राजस्व का प्रोद्भवन कंपनी की प्रचालन गतिविधियां सेवा विनियमों की लागत के अध्वधीन हैं, जिसके द्वारा उत्पादित बिजली के लिए प्रभारित टैरिफ स्वीकार्य पूंजी और अन्य लागत और व्ययों तथा इसके प्रति निर्धारित रिटर्न पर आधारित है। कंपनी अपने ग्राहकों को पूर्व-अनुमोदित/अनंतिम टैरिफ के आधार पर इनवॉइस करती है जो टूडिंग अप के अध्वधीन है। कंपनी राजस्व को विनियामक के साथ सहमत पूर्व-अनुमोदित/अनंतिम टैरिफ दरों के आधार पर ग्राहकों को इनवॉइस की गई राशि के रूप में मान्यता प्रदान करती है। चूंकि कंपनी इक्विटी पर एक निश्चित रिटर्न की पात्र है, विनियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजस्व और पात्रता के बीच के अंतर को विनियामक परिसंपत्तियों/देनदारियों के रूप में मान्यता दी गई है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, धारक कंपनी ने 6948.11 करोड़ रुपये (31 मार्च 2021 तक 6902.93 करोड़ रुपये) के विनियामक आस्थगित लेखा नामे शेष को मान्यता प्रदान की है जैसाकि धारक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 14 में दर्शाया गया है। इसमें कार्य बाधित होने की तारीख अर्थात 16.12.2011 से 30.09.2019 तक की अवधि के लिए सुबानसिरी लोअर परियोजना से संबंधित ब्याज लागत और अन्य आरोप्य व्ययों के कारण 3470.59 करोड़ रुपये तक की कुल राशि शामिल है जैसाकि समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(23क) में दर्शाया गया है। कंपनी की अनुषंगी कंपनियों में से एक, एनएचडीसी लिमिटेड के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा भी इस तरह के मामलों सूचित किए गए हैं। इसी तरह के मामले विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष टैरिफ विनियमों और पिछले टैरिफ आदेशों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और ये विनियामकों द्वारा सत्यापन और अनुमोदन के अध्वधीन हैं। विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष को लागू विनियामक ढांचे के तहत विनियामक की वास्तविक या अपेक्षित कार्रवाई के परिणामस्वरूप भावी आर्थिक लाभ की संभावना के संबंध में अनुमानों और मान्यताओं के आधार पर बिना छूट के आधार पर मान्यता प्राप्त है और इसलिए इसकी वसूली टैरिफ विनियमों और संबंधित अनुमोदनों और अधिसूचनाओं पर निर्भर करती है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर विनियामक आस्थगित खाता ऋण शेष के मूल्य की तर्कसंगतता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, में जो निम्नलिखित शामिल हैं : - आय के प्रोद्भवन और इसके प्रति वसूली योग्य राशि निर्धारण के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता और डिजाइन को समझना और इसका परीक्षण करना। - सीईआरसी विनियमों के अनुरूप वसूली योग्य राशि प्राप्त करना और मान्य करना तथा प्रबंधन द्वारा ऐसे आकलनों के लिए लागू किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर इसकी तर्कसंगतता का आकलन, परीक्षण और मूल्यांकन करना। - इंड एस 114 के प्रावधानों के अनुप्रयोग का आकलन करना, आईसीएआई द्वारा विनियामक आस्थगित शेष के संदर्भ में जारी दर विनियमन गतिविधियों के लेखांकन पर मार्गदर्शी टिप्पणी। - उपरोक्त में सीईआरसी दिशा-निर्देशों का मूल्यांकन और कंपनी द्वारा पहले किए गए दावों की स्वीकृति तथा प्रबंधन द्वारा विभिन्न आधारों पर अस्वीकृति और व्यापार माहौल में लिए गए निर्णयों और तत्संबंधी अनुपालन की तर्कसंगतता। - सुबानसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना के मामले में नकदी उत्पादन इकाई, टिप्पणी 34 (19) के मूल्य तक पहुंचने में प्रबंधन द्वारा विचारित विभिन्न धारणाओं का मूल्यांकन करना तथा निर्माणाधीन परियोजना के मौजूदा मूल्य के संदर्भ में पर्याप्तता तथा नियामक आस्थगित खातों के अंतर्गत अधिशेष का आकलन करना। - इस संदर्भ में कंपनी द्वारा अपनाई गई मापन नीतियां और मान्य राशि की पर्याप्तता और तर्कसंगतता तथा इनके संबंध में किए गए स्पष्टीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा की गई।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का समाधान
उपर्युक्त के अनुसार किए गए प्रोद्भवन उस व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हैं जिसमें कंपनी प्रचालन रत है। विशेष अधिसूचना और दर निर्धारण के अभाव में यह प्रबंधन की मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित होता है जो सीईआरसी द्वारा टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने और परियोजना का परिचालन शुरू होने पर निर्भर करता है।	
2. परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) तथा जारी पूंजीगत कार्य की मौजूदा राशि का क्षति आकलन प्रत्येक जलविद्युत उत्पादन संयंत्र को कंपनी की नकदी उत्पादन इकाईयां माना गया है। क्षति संकेतकों और तत्संबंधी आवश्यकताओं का आकलन परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा जारी पूंजीगत कार्य के संदर्भ में किया गया है जैसा कि टिप्पणी 34(19) में दिया गया है। यह आकलन किया गया कि वर्ष के दौरान कंपनी पर प्रतिकूल असर डालने वाला कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ या निकट भविष्य में कंपनी के प्रौद्योगिकीगत, आर्थिक या विधिक वातावरण में इसके होने की संभावना नहीं है जिसमें यह प्रचालन करती है। आकलन के आधार पर कंपनी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कोई महत्वपूर्ण क्षति संकेतक या कंपनी के सीजीयू के संदर्भ में कोई क्षति वर्ष 2020-21 के दौरान नहीं हुई है। उपरोक्त आकलन के आधार पर कंपनी द्वारा क्षति आकलन का कोई प्रावधान जरूरी नहीं माना गया। सुबानसिरी लोअर परियोजना के संदर्भ में नियामक आस्थगित खाता शेष सहित कुछ परिसंपत्तियों की मौजूदा राशि का औचित्य प्रमाणित करने के लिए किए गए क्षति प्रबंध, जैसा कि उपरोक्त पैरा 1 में दर्शाया गया है, कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है। एनडीएचसी लिमिटेड और बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल) के सांविधिक लेखापरीक्षाओं द्वारा भी इसी प्रकार के मामलें सूचित किए गए हैं। क्षति आकलन में नकदी उत्पादन इकाईयों (सीजीयू) के उपयोग मूल्य का आकलन शामिल हैं और इसमें भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमान, उत्पादन पूर्वानुमान, मात्रा पूर्वानुमान, मूल्य और छूट दर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय आवश्यक होते हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम किसी सीजीयू का प्रावधान नहीं किए जाने की तर्कसंगतता तय करते हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं: • इंड एस 36 के अनुरूप कंपनी और क्षति संकेतकों (या उनके विपरीत) को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी कारणों का मूल्यांकन। • वसूली योग्य राशि के निर्धारण के लिए सीजीयू के संदर्भ में प्रयुक्त क्षति मूल्यांकन मॉडलों की समीक्षा में, इस संदर्भ में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त प्रमुख अनुमानों के विश्लेषण के आधार निम्नलिखित, ये घटक शामिल हैं: — मूल्यांकन के लिए पूर्वानुमान के संबंध में सततता बनाए रखना और किसी भी घटक के संभावित प्रभाव का आकलन करना; — मॉडल में प्रयुक्त मूल्य मान्यताएं; — नकदी प्रवाह अनुमान या छूट दर में सीजीयू के लिए संभावित जोखिमों का पता लगाना; — पूंजी की भारित औसत लागत अवधारणा/अनुमान तथा प्रचलित में मूल्य निकालने के लिए छूट की दर; • परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकारी नीति और अनुमोदन, निदेशक मंडल के निर्णय और इस संबंध में किए गए प्रयास और उपायों की समीक्षा। • निर्माण पूरा होने की समयावधि, उत्पादन मात्रा और परिणामी राजस्व के लिए उसके अपेक्षित टैरिफ के आधार पर प्रबंधन के अनुमानों पर विश्वास किया गया है।
3. ठेकेदारों के दावों के प्रति आकस्मिक देयताएं— समेकित वित्तीय विवरणों की (टिप्पणी 34.2 (क) (i)) धारक कंपनी पर संविदाकारों द्वारा पूंजीगत राशियों के प्रति दर्ज किए गए विभिन्न दावे 10240.95 करोड़ रुपए के हैं जिसमें से इसके लिए 418.63 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा 9546.17 करोड़ रुपए का प्रकटीकरण आकस्मिक देयता के तहत किया गया है और शेष दावों के संबंध में, किसी भी बहिर्वाह की संभावना को दूरस्थ माना जाता है। इसमें मध्यस्थता और/या न्यायालय के समक्ष ऐसे मामले शामिल हैं जिनका निर्णय कंपनी के विरुद्ध	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम आकस्मिक देयताओं की उपयुक्तता तय करते हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं : • विधि विभागों से मामलों की स्थिति और इस बारे में उनका दृष्टिकोण प्राप्त करना; • अनुबंध की निबंधन एवं शर्तों तथा अब तक किए गए प्रावधान की पर्याप्तता के लिए प्रबंधन के विचारों तथा मांगों के संदर्भ में उपलब्ध नहीं कराई गई शेष राशि का मूल्यांकन करना;

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का समाधान
किया गया है। इसके अलावा, समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34 (2) (ड.) (i) और (ii) में संदर्भित कुछ मामलों में नीति आयोग के निर्देशों या न्यायालय के आदेश के अनुसार कतिपय राशियों का भुगतान/जमा किया गया है। कंपनी की एक सब्सिडियरी, एनएचडीसी लिमिटेड के मामले में आकस्मिक देयता में उल्लिखित ऐसे दावे की राशि 241.34 करोड़ रुपए है (526.05 करोड़ रुपए की कुल घोषित आकस्मिक देयता में से)। कंपनियों के खिलाफ किए गए दावे महत्वपूर्ण हैं। ये मध्यस्थता न्यायालय या अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हैं और इनका संभावित असर हो सकता है। देयता की संभावना के बारे में प्रबंधन के आकलन पर अपेक्षित प्रावधान/स्पष्टीकरण आधारित हैं।	• प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श तथा संबंधित मामलों में हुए पत्राचार दिए गए ज्ञापनों और टिप्पणियों की समीक्षा करना। • समान मामलों पर विधिक मतों तथा निर्णयों और इन से उत्पन्न होने वाली देयताओं की संभाव्यता पर विश्वास किया गया है। इंड एस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण के औचित्य और पर्याप्तता की समीक्षा की गयी।
4. परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण तथा निर्माण पूर्व चरण के अंतर्गत 31.03.2022 तक हुआ व्यय। समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 2.2.3 में दिए गए अनुसार धारक कंपनी के संदर्भ में 1234.97 करोड़ रुपए का व्यय परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए किया गया है। इसमें परियोजनाओं की ब्याज, प्रशासनिक और अन्य लागत शामिल हैं। इस राशि में से 962.00 करोड़ (वर्ष के दौरान 7.42 करोड़ रुपए शामिल) रुपए मंजूरी, परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मंजूरीयां एवं अनुमोदनों संदर्भ में अनिश्चितता को देखते हुए उपलब्ध कराए गए हैं, शेष 272.97 करोड़ रुपए जारी पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रेणीत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जारी पूंजीगत कार्यों में वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जहां सक्रिय निर्माण गतिविधियां अभी शुरू की जानी है। परियोजनाओं का परित्याग किए जाने तक, ब्याज, प्रशासनिक और अन्य लागत पूंजीकृत की जाती हैं, हालांकि जहां प्रबंधन के मतानुसार परियोजनाओं को क्रियान्वित किए जाने में अनिश्चितताओं का अनुमान है वहां संबंधित प्रावधान किये गए हैं। संबंधित परियोजनाओं के शुरू न होने की स्थिति में सर्वेक्षण और अन्वेषण पर व्यय राशि और निर्माण से पूर्व व्यय की गई/आवंटित राशि जारी पूंजीगत कार्य के रूप में अग्रसरित किए जाने के लिए मान्य नहीं होगी।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम सर्वेक्षण और अन्वेषण परियोजनाओं पर हुए व्यय की राशि की वहनीयता के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, में निम्नलिखित शामिल है : • प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सर्वेक्षणाधीन परियोजनाओं और अन्वेषण चरण की स्थिति प्राप्त की गयी और उन्हें स्थगित रखने के कारण प्राप्त किए गए। • (क) सर्वेक्षण और अन्वेषण परियोजनाओं और प्रावधानों के लिये अपनायी गयी नीति/कंपनी की व्यवसाय-प्रकृति के अनुसार ऐसे व्यय को बटुटे खाते में डालने, (ख) निर्माण पूर्व चरण के अंतर्गत परियोजना तथा उधारी और अन्य लागत के तहत आवंटन और इसके अनुरूप आवंटन व्यय के लेखापरीक्षण के लिये प्रबंधन द्वारा लागू उपायों की संचालन प्रभावकारिता और डिजाइन को समझना और जांचना। • परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने में अनिश्चितताओं और विलंब के बावजूद पूंजीगत कार्य के तहत ऐसी परियोजनाएं जारी रखने के प्रबंधन के औचित्य और भविष्य में इनके अनुमानित आर्थिक उपयोग का मूल्यांकन करना। • संबंधित परियोजना के प्रत्येक मामले में स्थान, आकार और प्रकृति के अनुरूप अपेक्षित सामान्य अवधि के प्रबंधन के दावे और परियोजना के निर्माणाधीन और निर्माणपूर्व चरण की अवधि का मूल्यांकन करना। • विषय तकनीकी होने तथा उस उद्योग की प्रकृति जिसमें वह कंपनी परिचालन कर रही है, के ट्रेडमार्क से जुड़े होने के कारण, प्रबंधन के दावे पर निर्भरता रखी गयी है।
5. मैट क्रेडिट को मान्यता चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, धारक कंपनी ने इसे उपलब्ध 2424.58 करोड़ रुपये के मैट क्रेडिट की वसूली का आकलन किया है। इस तरह के आकलन के आधार पर, मैट क्रेडिट की राशि के रूप में 1478.62 करोड़ रुपये के मैट क्रेडिट पात्रता से संबंधित आस्थगित कर संपत्ति को मान्यता दी है	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम अप्रयुक्त न्यूनतम वैकल्पिक कर जमा को मान्य नहीं किये जाने के औचित्य के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे है, में निम्नलिखित शामिल है: • आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की वहन राशि के आकलन और कराधान से संबंधित कंपनी के नियंत्रण की संचालन प्रभावकारिता को समझना और जांचना।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें	प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का समाधान
जिसका उपयोग धारक कंपनी द्वारा भावी वर्षों में आयकर के कम बहिर्वाह के रूप में भावी वर्षों में किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, धारक कंपनी ने समान मान्यताप्राप्त मैट क्रेडिट के संबंध में 1313.27 करोड़ रुपये की राशि को मान्यता दी गई है, जो वह राशि है, जिसे सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार भविष्य में लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। मैट क्रेडिट पात्रता से संबंधित इस आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर इस तरह की पात्रता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त भविष्य कर योग्य लाभ सृजन पर निर्भर करती है। इसके प्रति मैट क्रेडिट और विनियामक आस्थगन (क्रेडिट) शेष की मान्यता आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार अनुमत समय-सीमा के भीतर ऐसे कर क्रेडिटों की वसूली-योग्यता पर विचार करते हुए मैट क्रेडिट पात्रता की मान्यता के लिए भविष्य के करयोग्य लाभों के पूर्वानुमान में इसकी तात्त्विकता और निर्णय की आवश्यकता को देखते हुए क्रेडिट की वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए राशि महत्वपूर्ण है। इस संबंध में प्रासंगिक प्रकटीकरण समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 20.0(ख) के साथ पठित टिप्पणी संख्या 14.2, 18, 30.1, 31, 34(22) (ड.) में प्रदान किए गए हैं।	- अप्रयुक्त मैट जमा और वर्तमान वर्ष में घटनाक्रम, यदि कोई हो तो, पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीति, इस नीति में अपेक्षित परिवर्तन पर प्रबंधन की सहमति की समीक्षा। - कंपनी द्वारा तैयार आंतरिक पूर्वानुमान और भावी कर योग्य आय की संभावना के आधार पर कंपनी को विधिक रूप से उपलब्ध कर जमा पात्रता का मूल्यांकन। - निरंतरता और अनिश्चितता के लिए अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा तथा मान्यताप्राप्त मैट क्रेडिट के उपयोग की संभावना के एक युक्तियुक्त परिमाण का आकलन करने और विवेक के सिद्धांत की समीक्षा। - विनियामक व्यवस्था, जिसके तहत कंपनी संचालित होती है, से संबंधित निहितार्थ की समीक्षा और कंपनी द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के संबंध में उत्पादन गतिविधि से उत्पन्न होने वाले मैट क्रेडिट और दिए गए वर्तमान विनियामक उपबंधों और प्रयोज्यता की अवधि के तहत वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव। - वित्तीय विवरणों में किये गये स्पष्टीकरण की पर्याप्तता और औचित्य का मूल्यांकन।

वित्तीय विवरणों और इन पर लेखापरीक्षक रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य सूचनाएं

अन्य सूचनाओं के लिये धारक कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में दी गयी सूचना शामिल है लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरणियां, एकल वित्तीय विवरणियां और लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं हैं। आशा है कि अन्य जानकारी हमें इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध करा दी जायेगी।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के बारे में, हमारा दायित्व सूचना उपलब्ध हो जाने पर उपर निर्दिष्ट अन्य सूचना को पढ़ना, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, या गैर लेखापरीक्षित संयुक्त उपक्रम की प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणों से, जहां तक कि इसका संबंध इन कंपनियों से हो, इसकी तुलना करना है, और ऐसा करने में अन्य लेखापरीक्षकों/प्रबंधन के अभिप्रमाणन कार्य पर भरोसा रखना और यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना, समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा क्रम में प्राप्त हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या महत्वपूर्ण रूप से गलत दर्ज है। अन्य सूचना, जहां तक यह सबसिडियरी और संयुक्त उपक्रमों से संबंधित है, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित या प्रबंधन से अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणों से मालूम कर ली जाती है।

यदि यह हमारे द्वारा किये गये कार्य पर आधारित है तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना की महत्वपूर्ण रूप से गलतबयानी हुई है, और हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करने की जरूरत है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन का दायित्व

इन एकीकृत वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में दर्ज मामलों के लिये धारक कंपनी का निदेशक

मंडल उत्तरदायी है। ये विवरण, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखापरीक्षा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, मामलों की समेकित स्थिति (वित्तीय स्थिति), समेकित लाभ-हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इक्विटी में समेकित बदलाव और संयुक्त उपक्रमों सहित समूह के समेकित नकदी प्रवाह की सत्य और सही जानकारी देते हैं।

समूह में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त उपक्रमों के संबंधित निदेशक मंडल के दायित्वों में ये भी शामिल हैं – समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों की परिसंपत्तियों की रक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और इनकी रोकथाम के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखापरीक्षा रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग विवेकपूर्ण और तर्कसंगत निर्णय और आकलन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की तैयारी, क्रियान्वयन और प्रबंधन, जो सच्ची और सही जानकारी देने वाले और किसी मूर्त गलतबयानी से मुक्त, चाहे ये धोखाधड़ी के कारण हुए हों या त्रुटिवश, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड्स की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से लागू थे, और धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिये प्रयुक्त किये गये हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त उपक्रमों के संबंधित निदेशक मंडल इन गतिविधियों के लिये – एक सक्रिय कंपनी के रूप में रहने की समूह की क्षमताओं के आकलन, जारी उद्यम के संबंधित व्यवहार्य मामलों को स्पष्ट करने और लेखांकन के जारी आधार का उपयोग करने का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, जबतक कि प्रबंधन इसे लिक्विडेट करने या संचालन रोकने का निर्णय नहीं लेता, या ऐसा करने के लिए अलावा कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध न हो।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त उपक्रमों के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिये भी उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बात के लिये पूरी तरह आश्वस्त होना है कि समेकित वित्तीय विवरणियां किसी बड़ी गलतबयानी से पूरी तरह मुक्त हैं या नहीं, चाहे ये धोखाधड़ी के कारण हों या भूल के कारण, इन जोखिमों के प्रति प्रभावी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और लागू करना तथा लेखा प्रमाण जारी करना जो हमारे मत का आधार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त और उचित हो। तर्क सम्मत आश्वासन ऊच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखाओं (एसए) के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा से हमेशा गलतबयानी का पता लगेगा ही। गलतबयानी धोखाधड़ी या भूल के कारण भी हो सकती है और तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है जब व्यक्तिगतरूप से या सामूहिक रूप से यह इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये जाने वाले उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय पर असर डालते हैं।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेहवाह बनाये रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:—

- समेकित वित्तीय विवरणों के प्रभावित वाली बड़ी गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और उसका आकलन करना, चाहे ये धोखाधड़ी की वजह से हों या त्रुटि की वजह से, इन जोखिमों के लिये प्रभावी लेखांकन प्रक्रियाएं डिजाइन करना और इसे लागू करना और लेखा प्रमाण जारी करना जो हमारे मत का आधार उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के कारण होने वाली गलतबयानी का पता न लग पाने का जोखिम, भूल के कारण होने वाली गलतबयानी से कहीं अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में साठ-गांठ, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी कर प्रस्तुत करना या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- ऐसी लेखांकन प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिये जो परिस्थितियों में उचित हों, लेखांकन से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हम यह मत व्यक्त करने के लिये भी उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है या नहीं, और ऐसे नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता कैसी है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और प्रबंधन के संबंधित स्पष्टीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखापरीक्षण के लिये चालू कंपनी आधार का उपयोग करने की प्रबंधन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष लेना और प्राप्त लेखांकन प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या चालू कंपनी के रूप में जारी रहने की संयुक्त उपक्रमों सहित समूह की कार्यक्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकने वाली, घटनाओं या स्थितियों से जुड़ी कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है। यदि हम निष्कर्ष

निकालते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित स्पष्टीकरण की लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इस ओर ध्यान दिलाना होता है या यदि इस प्रकार का स्पष्टीकरण अपर्याप्त है तो हमें अपना मत संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित हैं। हालांकि भविष्य की घटनाएं समूह या इसके संयुक्त उपक्रमों को चालू कंपनी के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं।

- स्पष्टीकरणों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु, रूपरेखा तथा समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना और यह भी देखना कि क्या वित्तीय विवरणियां लेन-देन और घटनाओं की निष्पक्ष प्रस्तुति का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में मत व्यक्त करने के लिये समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों में व्यवसाय गतिविधियों की वित्तीय सूचना के बारे में पर्याप्त समुचित लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना। समेकित वित्तीय विवरणों में, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, शामिल ऐसी व्यवसाय गतिविधियों की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, निगरानी और प्रदर्शन के लिये हम उत्तरदायी हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी गतिविधियों के लिये, जिनका लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने किया है, उनके निर्देशन, निगरानी और प्रदर्शन के लिये वे लेखापरीक्षक ही जिम्मेदार होते हैं, हम केवल अपने लेखापरीक्षा मत के लिये ही जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का महत्व उसके पड़ सकने वाले प्रभाव से हैं जो व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर यह संभावना उत्पन्न करता है कि इससे समेकित वित्तीय विवरणों के किसी जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक फैसले प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) अपने लेखापरीक्षण के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्यों के परिणामों के मूल्यांकन, और (2) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी चिन्हित गलतबयानी के प्रभाव के मूल्यांकन के लिये मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित आंतरिक नियंत्रण में किसी त्रुटि सहित लेखांकन के नियोजित कार्यक्षेत्र और समय के बारे में तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्राप्ति के बारे में उन लोगों से संपर्क करते हैं जिन्हें मूल कंपनी के प्रशासन का प्रभार सौंपा गया है।

हम प्रशासन प्रभारियों को ब्योरा भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में अपेक्षित सभी नैतिक दायित्वों का पालन किया है और उन्हें संबंधों और अन्य मामलों की जानकारी उपलब्ध करायी है जो हमारी स्वतंत्रता पर और जहां व्यवहार्य हो संबंधित सुरक्षा उपायों पर भी असर डाल सकते थे।

प्रशासन प्रभारियों को संप्रेषित मामलों में से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो मौजूदा समय की समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यधिक महत्व के थे और इस प्रकार मुख्य लेखा मामले हैं। हम अपने लेखांकन रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जबतक कि कानून या विनियम इनके सार्वजनिक स्पष्टीकरण पर रोक न लगाते हों, या जब अत्यधिक विरल परिस्थिति में हम निश्चित करते हों कि जनहित में यह मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं लिया जाना चाहिये।

अन्य मामले

1. हमने उन छह सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं किया है, जिनकी वित्तीय विवरणियां अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के तहत 31 मार्च 2022 को कुल परिसंपत्तियों, और कुल निवल परिसंपत्तियां तथा उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिये कुल राजस्व, और निवल नकदी इनप्लो/(आउट प्लो) दर्शाती हैं।

(करोड़ रुपए में)

सहायक कंपनी का नाम	31 मार्च 2022 को कुल परिसंपत्तियां	31 मार्च 2022 को निवल परिसंपत्तियां	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिये कुल राजस्व	निवल नकदी इनप्लो/(आउटप्लो)
एनएचडीसी लिमिटेड	7711.88	5644.67	1085.29	(80.20)
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एनडीएचसी लिमिटेड)	162.03	160.21	0.02	0.76
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	185.81	95.03	0.94	(28.36)

लैंको तीस्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	1543.52	1480.96	-	(26.41)
जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड	325.74	304.16	0.70	72.59
रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	303.37	186.27	2.09	136.81
कुल	10232.35	7871.30	1089.04	75.19

2. समेकित इंड एस समेकित विवरणों में संयुक्त उपक्रम के संदर्भ में निवल लाभ का समूह भाग भी शामिल है, जो 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिये अन्य व्यापक आय सहित उन वित्तीय विवरणों पर आधारित है जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हमने नहीं किया है :

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिये निवल लाभ में समूह का हिस्सा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिये अन्य व्यापक आय में समूह का हिस्सा	समूह का हिस्सा – कुल
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)	2.58	-	2.58

3. ऊपर पैरा 1 और 2 में दिए गए वित्तीय विवरण अन्य लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षित हैं जिनकी रिपोर्टें हमें प्रबंधन द्वारा सौंपी गयी है और समेकित वित्तीय विवरणों में हमारा मत, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और एक संयुक्त उपक्रम के संदर्भ में शामिल राशि और स्पष्टीकरण से संबंधित है, पूरी तरह अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर निर्भर है।
4. समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिये अन्य व्यापक आय सहित संयुक्त उपक्रम के निवल लाभ का ग्रुप शेयर भी शामिल है, उन वित्तीय विवरणों के आधार पर जिनकी लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है:

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिये निवल लाभ में समूह का हिस्सा	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिये अन्य व्यापक आय में समूह का हिस्सा	समूह का हिस्सा – कुल
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	(3.97)	-	(3.97)

यह वित्तीय जानकारी गैर लेखापरीक्षित है और प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गयी है और समेकित वित्तीय विवरणों में हमारा मत, जहां तक वह उपर्युक्त शामिल राशि और स्पष्टीकरण से संबंधित है, पूरी तरह अन्य लेखाकारों की रिपोर्ट पर निर्भर है। हमारे मत में और प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ये वित्तीय सूचनाएं ग्रुप के लिये वास्तविक नहीं हैं।

इसके अलावा, धारक कंपनी ने निगमन के बाद से लगातार नकद घाटे के कारण एनएचपीटीएल में 30.40 करोड़ रुपये निवेश के प्रति वर्ष के दौरान 14.07 करोड़ रुपये का हानि प्रावधान किया।

5. एनएचडीसी लिमिटेड और बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड को छोड़कर उपर्युक्त घटकों के अन्य लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखा रिपोर्ट में प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर प्रतिवेदित नहीं किया है।
6. जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में "वित्तीय विवरणों और उनपर लेखापरीक्षक रिपोर्ट से अतिरिक्त सूचनाएं" लेखापरीक्षक रिपोर्ट में प्रतिवेदित नहीं की गयी हैं।

इसके अभाव में हम इन मामलों को सभी कंपनियों के लिये शामिल करने में असमर्थ हैं।

7. 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण धारक कंपनी के तत्कालीन संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किए गए हैं। इनमें से दो पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा कंपनी थी जिसने 10 जून 2021 की रिपोर्ट द्वारा अपना अपरिवर्तित मत व्यक्त किया है। इन वित्तीय विवरणों के उद्देश्य से शामिल आंकड़ों और अन्य सूचनाओं पर भरोसा किया गया।

सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रम की वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखाकारों द्वारा किये गये कार्य और सौंपी गयी रिपोर्ट पर हमारे विश्वास और अन्य मामले के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणों में हमारा मत, जो कि उपरोक्त पैरा 1 से 7 में दिया गया है, परिवर्तित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 3 की अपेक्षानुसार, पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की अन्य वित्तीय सूचना पर विचार करते हुए और हमारे अपने लेखांकन के आधार पर, जैसा कि उपर के पैराग्राफ "अन्य मामले" में उल्लिखित है, हम व्यवहार्य सीमा तक प्रतिवेदित करते हैं, कि:

- क. उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर आवश्यक समझी गयी वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए।
- ख. हमारे मत में समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित और विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा बही रखी गयीं, जैसाकि इन लेखा बही और अन्य लेखाकारों की रिपोर्ट के परीक्षण से प्रतीत होता है।
- ग. इस रिपोर्ट में परीक्षित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन संबंधी समेकित विवरणी और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी, समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से प्रबंधित लेखा बही के अनुरूप हैं;
- घ. हमारे मत में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणियां अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा परीक्षण मानकों के अनुरूप हैं;
- ङ. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है;
- च. समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता के संदर्भ में "अनुलग्नक क" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें, जोकि उस धारक कंपनी, सहायक कंपनियों, और संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय रिपोर्ट पर आधारित है जिनका लेखापरीक्षा किया गया है। हमारी रिपोर्ट ग्रुप और इसके संयुक्त उपक्रमों की उपयुक्तता और संचालन प्रभावकारिता पर अपरिवर्तित मत व्यक्त करती है; और
- छ. कंपनी (लेखा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 और कंपनी (लेखा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम 2014 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार है :
 1. समेकित वित्तीय विवरण समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय स्थिति के बारे में लंबित याचिकाओं के प्रभाव को स्पष्ट करता है – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34 पैरा 2 देखें।
 2. समूह और इसके संयुक्त उपक्रम को व्युत्पन्न अनुबंध सहित दीर्घावधि के अनुबंधों में कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। इसलिये इस संदर्भ में प्रावधान करने की जरूरत समूह और इसके संयुक्त उपक्रमों के लिये व्यवहार्य नहीं है।
 3. समूह और उसके संयुक्त उद्यमों द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण कोष में आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।
 4. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(ई) के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।
 - 5.क. प्रबंधन ने यह कहा है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, धारक कंपनी या उसकी अनुषंगियों या भारत में निगमित उसकी अनुषंगियों द्वारा कोई भी निधि नहीं दी गई है या ऋण नहीं दिया गया है या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) या किसी अन्य

व्यक्तियों या संस्थाओं में शामिल संयुक्त उद्यम, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यवर्ती") भी शामिल हैं, जिसमें यह समझ भी अन्तर्निहित है, चाहे वे लिखित रूप में दर्ज हों या अन्यथा, और यह कि संस्थाएं:

- धारक कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों या भारत में निगमित इसके संयुक्त उद्यम द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरीके से ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेंगी या
- अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेंगी।

ख. प्रबंधन ने यह कहा है, कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, धारक कंपनी या इसकी सहायक कंपनियों या भारत में निगमित इसके संयुक्त उद्यम द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं ("वित्त-पोषण पक्षकार") से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें यह समझ अन्तर्निहित है कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, धारक कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों या भारत में निगमित उसके संयुक्त उद्यम:

- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, इसकी ओर से या वित्त-पोषण पक्षकारों की ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देंगे या निवेश करेंगी या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेंगी।

ग. ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप खंड (5)(क) और (5)(ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई तात्विक गलत बयानी की गई है।

6. धारक कंपनी और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

ज) अधिनियम की धारा 143(11) के निबंधनों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 (XXI) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जिसे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए, और कंपनी और उसकी अनुषंगियों के लिए जारी सीएआरओ रिपोर्टों और समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संयुक्त उद्यम के आधार पर, जिसके लिए सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू है, हम सूचित करते हैं कि इन सीएआरओ रिपोर्टों में कोई अर्हता या प्रतिकूल टिप्पणी शामिल नहीं है।

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

भुवनेश महेश्वरी
साझेदार
सदस्यता सं. 088155
यूडीआईएन: 22088155एजेओवीएसवी7615

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 25 मई, 2022

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

आर.के. नंदा
साझेदार
सदस्यता सं. 510574
यूडीआईएन: 22510574एजेओएसजेक्यू1075

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 25 मई, 2022

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

मनुश्री बिंदल
साझेदार
सदस्यता सं. 517316
यूडीआईएन: 22517316एजेओवीआरएक्स6658

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 25 मई, 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध “क”

(“अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं संबंधी” हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुच्छेद (च) में संदर्भित)

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (1) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को, और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ, हमने एनएचपीसी लिमिटेड (जिसे यहां बाद में “धारक कंपनी” कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनियों, जो उक्त तिथि तक भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारक कंपनी, उसकी सहायक कंपनियाँ और उसके संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, से संबंधित निदेशक मंडल, कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में तय किए गए आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। कंपनी ने ये मानदंड इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के बारे में जारी गाइडेंस नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए तैयार किए हैं। इन जिम्मेदारियों में ऐसे उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उन्हें लागू करना और उनका अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने, इसके लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करने सहित, इसका व्यवस्थित और कुशल कार्य-व्यापार संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालन कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के बारे में आईसीएआई द्वारा जारी गाइडेंस नोट और आईसीएआई द्वारा जारी एवं अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझे गए उन लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की सीमा तक प्रयोज्य हैं और आईसीएआई द्वारा जारी ये दोनों मानदंड आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं। उन मानकों और गाइडेंस नोट के तहत यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस तरह से बनाए और उस पर अमल करें जिससे इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित किए गए हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में ऐसी निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनसे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में इन नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के संदर्भ में जोखिम का आकलन करना, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। प्रक्रियाओं का चयन, वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई महत्वपूर्ण गलत बयानी सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है।

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षा के दौरान, हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए और अन्य लेखापरीक्षकों को उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए, जिनका उल्लेख नीचे अन्य मामलों से संबद्ध पैरा में किया गया है, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एसएस) सहित आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए

जा रहे हैं, और (3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान का समय पर पता लगाने या उनकी रोकथाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों से ऊपर मिलीभगत या उसके द्वारा अधिकारों का अनुचित इस्तेमाल शामिल है, और त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है और यह संभव है कि उसका पता न चल सके। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियां या प्रक्रियाओं के संदर्भ में अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारी राय में, हमें प्राप्त सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनियां और इसके संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, सभी में महत्वपूर्ण संदर्भों में, समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में तय किए गए आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने संबंधी ये मानदंड 31 मार्च, 2022 को प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जो आईसीएआई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए तैयार किए गए थे।

अन्य मामले

- वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह छह सहायक कंपनियों से संबंधित है, भारत में निगमित उन कंपनियों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर आधारित है।
- संयुक्त उद्यम चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के मामले में, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू नहीं है, जबकि एक अन्य संयुक्त उद्यम, नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा नहीं हुई है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उक्त रिपोर्ट जहां तक यह भारत में निगमित दो संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी या तो लेखापरीक्षित नहीं है या फिर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्टिंग उन पर लागू नहीं होती है। समूह के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय, जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है, प्रभावित नहीं होती है क्योंकि ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी समूह और इसके संयुक्त उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

निष्पादित कार्य और सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण और अन्य मामलों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर हमारा विश्वास, जैसा कि ऊपर पैरा (i) से (iii) में उल्लेख किया गया है, के संदर्भ में, समेकित वित्तीय विवरण के बारे में हमारी राय संशोधित नहीं है।

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

भुवनेश महेश्वरी
साझेदार
सदस्यता सं. 088155
यूडीआईएन: 22088155एजेओवीएसवी7615

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 25 मई, 2022

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

आर.के. नंदा
साझेदार
सदस्यता सं. 510574
यूडीआईएन: 22510574एजेओएसजेक्यू1075

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 25 मई, 2022

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

मनुश्री बिंदल
साझेदार
सदस्यता सं. 517316
यूडीआईएन: 22517316एजेओवीआरएक्स6658

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 25 मई, 2022

31 मार्च, 2022 के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	1 अप्रैल, 2020 को
परिसंपत्तियां				
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियां				
क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2.1	19,191.08	19,338.23	21,635.76
ख) प्रगतिधीन पूंजीगतकार्य	2.2	22,521.90	19,166.79	17,180.41
ग) उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	2.3	2,626.25	2,647.01	2,766.31
घ) निवेश संपत्ति	2.4	4.49	4.49	4.49
ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5	3.28	3.52	0.72
च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	2.6	0.51	0.17	-
छ) इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित निवेश	2.7.1	1,876.16	1,326.89	933.53
ज) वित्तीय परिसंपत्तियां				
1) निवेश	3.1	510.34	515.35	464.13
2) ऋण	3.2	1,044.10	944.16	796.26
3) अन्य	3.3	9,389.28	8,983.32	7,598.72
झ) गैर चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	20.39	9.92	153.29
ञ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	5	4,001.84	3,593.70	3,049.20
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां		61,189.62	56,533.55	54,582.82
(2) चालू परिसंपत्तियां				
क) माल-सूची	6	140.44	133.69	126.62
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
1) प्राप्य व्यापार	7	5,175.84	5,133.42	6,172.63
2) नकदी और नकदी तुल्य	8	1,314.67	447.27	42.17
3) नकदी तथा नकदी तुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	9	643.68	1,809.55	1,651.10
4) ऋण	10	61.04	52.51	51.01
5) अन्य	11	901.66	1,238.37	946.93
ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	145.79	188.32	175.11
घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	13	463.03	386.76	397.01
कुल चालू परिसंपत्तियां		8,846.15	9,389.89	9,562.58
(3) नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	14	7,248.73	7,203.55	7,075.53
कुल परिसंपत्तियां और नियामक लेखा डेबिट शेष		77,284.50	73,126.99	71,220.93
इक्विटी तथा देयताएं				
(1) इक्विटी				
क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	10,045.03	10,045.03	10,045.03
ख) अन्य इक्विटी	15.2	24,875.95	23,008.27	21,284.12
कंपनी के स्वामियों को आरोप्य कुल इक्विटी		34,920.98	33,053.30	31,329.15
ग) गैर-नियंत्रक हित	15.3	2,862.87	2,835.32	2,777.71
कुल इक्विटी		37,783.85	35,888.62	34,106.86

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	1 अप्रैल, 2020 को
(2) देयताएं				
गैर-चालू देयताएं				
क) वित्तीय देयताएं				
1) ऋण	16.1	23,226.61	21,230.99	20,878.66
1क) पट्टा देयताएं	16.2	17.46	12.28	13.14
2) अन्य वित्तीय देयताएं	16.3	2,098.97	2,055.25	2,060.29
ख) प्रावधान	17	54.29	29.69	55.56
ग) विलंबित कर देयताएं (निवल)	18	2,442.44	3,845.88	3,859.22
घ) अन्य गैर-चालू देयताएं	19	3,037.85	3,097.47	3,199.47
कुल गैर-चालू देयताएं		30,877.62	30,271.56	30,066.34
(3) चालू देयताएं				
क) वित्तीय देयताएं				
1) ऋण	20.1	2,848.76	2,119.14	2,331.26
1क) पट्टा देयताएं	20.2	3.12	2.83	3.34
2) देय व्यापार	20.3			
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		30.37	36.04	19.10
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय		183.74	173.82	297.56
3) अन्य वित्तीय देयताएं	20.4	1,577.12	1,580.87	1,303.17
ख) अन्य चालू देयताएं	21	607.90	681.70	902.44
ग) प्रावधान	22	1,340.74	1,573.61	1,442.94
घ) चालू कर देयताएं (निवल)	23	14.56	35.02	-
कुल चालू देयताएं		6,606.31	6,203.03	6,299.81
(4) नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष	14.2	2,016.72	763.78	747.92
कुल इक्विटी तथा देयताएं		77,284.50	73,126.99	71,220.93
समेकित वित्तीय विवरण की संलग्न टिप्पणियां	1-35			

टिप्पणी : ऊपर दिए गए 31 मार्च, 2021 और 1 अप्रैल, 2020 के आंकड़ें पुनःकथित हैं (टिप्पणी सं.-35)।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

रूपा देब
कंपनी सचिव

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08645380

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

भुवनेश महेश्वरी
साझेदार
सदस्यता सं. 088155

आर.के.नंदा
साझेदार
सदस्यता सं. 510574

मनुश्री बिंदल
साझेदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 25 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
i) प्रचालनों से राजस्व	24.1	9,188.78	9,647.89
ii) अन्य आय	24.2	964.06	1,062.97
कुल आय		10,152.84	10,710.86
व्यय			
i) विद्युत की खरीद – व्यापार	25.1	44.58	212.37
ii) उत्पादन व्यय	25.2	844.12	857.55
iii) कर्मचारी लाभ व्यय	26	1,554.76	1,520.28
iv) वित्त लागत	27	532.28	572.00
v) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	1,190.30	1,292.46
vi) अन्य व्यय	29	1,557.97	1,683.14
कुल व्यय		5,724.01	6,137.80
असाधारण मदों, दर नियंत्रित क्रियाकलापों और कर पूर्व लाभ		4,428.83	4,573.06
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यम के निवल लाभ का अंश	2.7.2	(1.39)	(5.49)
असाधारण मदें	34(38)	-	185.00
दर नियंत्रित क्रियाकलापों और कर पूर्व लाभ		4,427.44	4,382.57
कर व्यय	30.1		
i) वर्तमान कर		915.69	919.75
ii) विलंबित कर		(1,472.67)	(24.89)
कुल कर व्यय		(556.98)	894.86
वर्ष हेतु विनियामक विलंबित लेखा शीर्ष में निवल संचलन से पूर्व लाभ		4,984.42	3,487.71
विनियामक विलंब लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	31	(1,210.09)	112.17
वर्ष हेतु लाभ (क)		3,774.33	3,599.88
अन्य व्यापक आय (ख)	30.2		
(1) मदें जिन्हें लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
मदें जिन्हें लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)		8.28	(40.08)
घटाएं – निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर कर के संबंध में विनियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन		(3.07)	2.75
– विनियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन – रोजगार पश्च निर्धारित लाभ बाध्यताओं का पुनः मापन		2.33	-
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का अंश	2.7.3	-	-
उप जोड़ (क)		13.68	(42.83)
(ख) इक्विटी लिखत में निवेश		5.40	47.13
उप जोड़ (ख)		5.40	47.13
कुल (1) + (क) + (ख)		19.08	4.30

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
(2) मर्दे जिन्हें लाभ अथवा हानि को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
— ऋण लिखत पर निवेश		(8.22)	3.23
कुल (2)		(8.22)	3.23
अन्य व्यापक आय (ख) + (1+2)		10.86	7.53
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क + ख) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय सहित)		3,785.19	3,607.41
निम्न को आरोप्य लाभ :			
मूल कंपनी के स्वामी		3,523.57	3,271.78
गैर-नियंत्रक हित		250.76	328.10
		3,774.33	3,599.88
निम्नलिखित को आरोप्य अन्य व्यापक आय :			
मूल कंपनी के स्वामी		11.79	7.37
गैर-नियंत्रक हित		(0.93)	0.16
		10.86	7.53
निम्नलिखित को आरोप्य कुल व्यापक आय :			
मूल कंपनी के स्वामी		3,535.36	3,279.15
गैर-नियंत्रक हित		249.83	328.26
		3,785.19	3,607.41
स्वामियों को आरोप्य निम्नलिखित से उत्पन्न कुल व्यापक आय			
चालू प्रचालनों से		3,535.36	3,279.15
बंद प्रचालनों से		-	-
		3,535.36	3,279.15
“प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा तनुकृत)	34(14)		
(इक्विटी शेयर, 10 रुपये प्रत्येक का अंकित मूल्य)”			
विनियामक विलंबित लेखा शीर्ष में संचलन से पूर्व		4.71	3.15
विनियामक विलंबित लेखा शीर्ष में संचलन के पश्चात		3.51	3.26
समेकित वित्तीय विवरण की संलग्न टिप्पणियां	1-35		

टिप्पणी : ऊपर दिए गए 31 मार्च 2021 के आंकड़ें पुनःकथित हैं (टिप्पणी सं.-35)।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

रूपा देब
कंपनी सचिव

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08645380

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

भुवनेश महेश्वरी
साझेदार
सदस्यता सं. 088155

आर.के.नंदा
साझेदार
सदस्यता सं. 510574

मनुश्री बिंदल
साझेदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 25 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
विनियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन सहित वर्ष हेतु कर पूर्व लाभ	3,217.35	4,494.75
घटाएं : विनियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन	(1,210.09)	112.17
कर पूर्व लाभ	4,427.44	4,382.58
जोड़े :		
मूल्यह्रास और परिशोधन	1,190.30	1,292.45
वित्त लागत (ईएसी का निवल)	532.33	571.99
प्रावधान (हानि)	42.58	285.22
टैरिफ समायोजन (हानि)	94.37	58.37
विनिमय दर अंतर के कारण बिक्री समायोजन	44.02	50.03
परिसंपत्तियों की बिक्री/बट्टे खाते में डाले गए पर हानि/(लाभ)	13.88	9.06
	1,917.48	2,267.12
	6,344.92	6,649.70
घटाएं :		
पश्च लेखित मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	52.60	52.73
प्रावधान (निवल लाभ)	45.57	21.82
लाभांश आय	9.00	9.00
विलंब भुगतान अधिभार सहित ब्याज आय	528.82	804.28
विनिमय दर अंतर (लाभ)	49.28	34.21
अन्य समायोजन	13.03	(1.00)
उचित मूल्य समायोजन	1.34	(0.40)
सरकारी अनुदानों का परिशोधन	97.26	96.04
संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ/(हानि) का अंश (इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित)	(1.39)	(5.49)
	795.51	1,011.19
प्रचालनशील परिसंपत्तियों तथा देयताओं के समायोजन से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों का नकदी प्रवाह	5,549.41	5,638.51
प्रचालनशील परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन :		
माल-सूची	(6.88)	(7.16)
प्राप्य व्यापार	(42.41)	1,812.71
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	908.15	(1,533.05)
अन्य वित्तीय देयताएं एवं प्रावधान	(413.10)	(113.11)
विनियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष	1,313.27	
	1,759.03	159.39
कर पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	7,308.44	5,797.90
घटाएं : अदा किया गया कर	836.65	728.11
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	6,471.79	5,069.79

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (वर्ष हेतु प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाले निर्माण पर आरोप्य व्यय सहित) – अनुदान का निवल	(5,014.48)	(2,058.26)
परिसंपत्तियों की बिक्री	2.78	0.25
निवेश/बॉण्ड/बैंक जमा के लिए वसूली/(भुगतान)	17.91	80.19
संयुक्त उद्यम में निवेश (आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)	(451.56)	(500.00)
निवेश की बिक्री से प्राप्य	-	(0.28)
लाभांश आय	9.00	9.00
विलंब भुगतान अधिभार सहित ब्याज आय	470.32	861.96
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	(4,966.03)	(1,607.14)
ग. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
गैर-नियंत्रक ब्याज से इक्विटी प्राप्तियां	59.38	-
अदा किया गया लाभांश (गैर-नियंत्रक ब्याज सहित)	(1,947.84)	(1,848.80)
दीर्घावधि ऋण से प्राप्तियां	3,576.39	2,315.31
अल्पावधि ऋण से प्राप्तियां	597.87	11.72
ऋण की चुकौती	(1,398.18)	(2,116.14)
ब्याज तथा वित्त प्रभार	(1,521.02)	(1,413.92)
पट्टा देयता की मूलधन चुकौती	(3.48)	(4.37)
पट्टा देयता पर ब्याज की चुकौती	(1.46)	(1.35)
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	(638.36)	(3,057.55)
घ. नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	867.40	405.10
नकदी तथा नकदी तुल्य (प्रारंभिक शेष)	447.27	42.17
नकदी तथा नकदी तुल्य (अंतिम शेष)	1,314.67	447.27

नकदी प्रवाह के विवरण की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- नकदी तथा नकदी तुल्य में हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट तथा बैंक शेष शामिल है जिसमें तीन माह से कम के मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा को भी शामिल किया गया है। नकदी तथा नकदी तुल्य का ब्यौरा निम्नवत है :

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
बैंकों के साथ शेष		
अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाते में	1009.82	231.31
- जमा खाते में	304.85	215.95
(3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाले जमा)		
हस्तगत नकदी	-	0.01
नकदी और नकदी तुल्य	1314.67	447.27

- वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह में ब्याज तथा वित्त प्रभार में अवधि के दौरान निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के कारण वर्ष के दौरान पूंजीकृत 993.62 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 840.53 करोड़ रुपये) की ऋण लागत की राशि शामिल है।

3. 31.3.2022 की स्थिति के अनुसार न लिए गए ऋण की राशि – 1578.25 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 475.00 करोड़ रुपये) है।
4. कंपनी ने 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के कारण नकदी में 111.17 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 95.99 करोड़ रुपए) की राशि का व्यय किया है।

5. निवल ऋण मिलान (करोड़ रुपये में)

	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
ऋण (चालू और गैर-चालू)	26711.66	24010.85
पट्टा देयता	20.59	15.10
कुल	26732.25	24025.95

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		
	*ऋण (चालू और गैर-चालू)	पट्टा देयता	कुल	*ऋण (चालू और गैर-चालू)	पट्टा देयता	कुल
1 अप्रैल को प्रारंभिक निवल ऋण	24010.85	15.10	24,025.95	23,853.01	16.35	23869.36
ऋणों से प्राप्तियां	4174.26	-	4,174.26	2,327.03	-	2327.03
ऋणों/पट्टा देयता की चुकौती	(1,398.18)	(3.48)	(1,401.66)	(2,116.14)	(4.36)	(2,120.50)
अदा किया गया ब्याज	(1,521.02)	(1.46)	(1,522.48)	(1,413.92)	(1.35)	(1,415.27)
अन्य गैर-नकद संचलन :						
– पट्टा देयता में वृद्धि	-	8.97	8.97	-	3.11	3.11
– विदेशी मुद्रा समायोजन	(58.77)	-	(58.77)	(49.71)	-	(49.71)
– ब्याज और वित्त प्रभार	1497.78	1.46	1,499.24	1,432.67	1.35	1,434.02
– उचित मूल्य समायोजन	6.74	-	6.74	(22.09)	-	(22.09)
31 मार्च को समाप्त निवल ऋण	26711.66	20.59	26,732.25	24,010.85	15.10	24,025.95

* ऋणों के लिए टिप्पणी सं. 16.1, 20.1 और 20.4 (उद्धरण) देखें।

6. नकदी प्रवाह के उक्त विवरण को इंड एस 7—“नकदी प्रवाह विवरण” में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुरूप तैयार किया गया है।
7. जहां-कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

रूपा देब
कंपनी सचिव

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08645380

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

भुवनेश महेश्वरी
साझेदार
सदस्यता सं. 088155

आर.के.नंदा
साझेदार
सदस्यता सं. 510574

मनुश्री बिंदल
साझेदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 25 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रुपए में)
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	15.1	10,045.03
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	15.1	10,045.03

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय (ओसीआई) की मदें		कुल	अनियंत्रित व्याज (एनसीआई)	एनसीआई के परचात कुल
	पूंजी आरक्षित	पूंजी मौचन आरक्षित	बाण्ड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/ प्रतिधारित आय	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत		
1 अप्रैल, 2021 को शेष वर्ष हेतु लाभ	64.08	2,255.71	1,641.95	11,544.83	7,374.95	45.41	81.34	23,008.27	2,835.32
अन्य व्यापक आय					3,523.57			3,523.57	250.76
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय					14.61	(8.22)	5.40	11.79	(0.93)
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों को जारी करना	-	-	-	-	3,538.18	(8.22)	5.40	3,535.36	249.83
प्रतिधारित आय से अंतरण								-	57.89
अनियंत्रित व्याज से संव्यवहार					(0.20)			(0.20)	0.20
बॉण्ड मोचन आरक्षित से अधिशेष/प्रतिधारित आय में अंतरित राशि			(275.70)		275.70			-	-
अदा किया गया लाभांश					(1,667.48)			(1,667.48)	(280.37)
31 मार्च, 2021 को शेष	64.08	2,255.71	1,366.25	11,544.83	9,521.15	37.19	86.74	24,875.95	2,862.87
									27,738.82

आरक्षित की प्रकृति और प्रयोजन के लिए टिप्पणी सं. 15.2.1 देखें।

रूपा देव
कंपनी सचिव

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 25 मई, 2022

भुवनेश महेश्वरी
साझेदार

सदस्यता सं. 088155

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08645380

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

आर.के. नंदा
साझेदार

सदस्यता सं. 510574

अमय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

मनुश्री बिंदल
साझेदार

सदस्यता सं. 517316

31 मार्च, 2021 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि (करोड़ रूपए में)
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	15.1	10,045.03
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	15.1	10,045.03
ख. अन्य इक्विटी		(करोड़ रूपए में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय		अनियंत्रित ब्याज (एनसीआई) कुल	एनसीआई के पश्चात कुल
	पूँजी आरक्षित	पूँजी मौचन आरक्षित	वाण्ड मौचन आरक्षित	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/प्रतिधारित आय	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत
1 अप्रैल, 2020 को शेष	40.93	2,255.71	1,948.38	3.61	11,544.83	5,414.27	42.18	34.21
वर्ष हेतु लाभ						3,271.78		21,284.12
अन्य व्यापक आय						(42.99)		328.10
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय						3,228.79		7.37
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों को जारी करना								0.16
व्यापार अधिग्रहण पर पूंजीगत आरक्षित (लिखें टिप्पणी 34(33))	23.15							328.26
प्रतिधारित आय से अंतरण								3,607.41
अनियंत्रित ब्याज से संव्यवहार						0.69		-
बॉण्ड मौचन आरक्षित से अधिशेष/प्रतिधारित आय में अंतरित राशि			(306.43)			306.43		-
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से अंतरित राशि				(3.61)		1.84		-
अदा किया गया लाभार्थ						(1,577.07)		1.77
31 मार्च, 2021 को शेष	64.08	2,255.71	1,641.95	-	11,544.83	7,374.95	45.41	81.34
								23,008.27
								2,835.32
								25,843.59

आरक्षित की प्रकृति और प्रयोजन के लिए टिप्पणी सं. 15.2.1 देखें।
उपरोक्त 31 मार्च, 2021 और 1 अप्रैल 2020 के आकड़े पुनर्कथित हैं (देखें टिप्पणी सं. — 35)।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

रूप देव
कंपनी सचिव

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08645380

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

मुवनेश महेश्वरी
साझेदार
सदस्यता सं. 088155

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 25 मई, 2022

अमय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

मनुश्री बिंदल
साझेदार
सदस्यता सं. 517316

टिप्पणी सं. 1 : समूह सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(1) रिपोर्टिंग इंटिटी

एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") भारत में अधिवासित और शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी है। कंपनी के शेयर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं और इनका कारोबार होता है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 है।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण (सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में संदर्भित) और इसके संयुक्त उद्यमों में समूह के अधिकार शामिल हैं। समूह मुख्य रूप से विद्युत का उत्पादन एवं विभिन्न विद्युत यूटिलिटीयों को थोक बिजली की बिक्री में कार्यरत है। अन्य व्यवसाय जिसमें कंपनी कार्यरत है, उनमें परियोजना प्रबंधन/निर्माण अनुबंध को परामर्शी सेवा प्रदान करना और विद्युत व्यापार है।

(2) तैयारी का आधार

(क) अनुपालन का विवरण

ये समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और तत्संबंधी पूर्ववर्ती संशोधन के तहत अधिसूचित लेखांकन की संग्रहण प्रणाली और भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुपालन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधान और विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू प्रावधान के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा 25 मई, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

(ख) मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं :

- कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजना परिसंपत्ति।

उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा टिप्पणी संख्या 33 में की गई है।

ऐतिहासिक लागत में नकदी या नकदी समतुल्य समकक्षों की राशि है या उनके अधिग्रहण के समय संपत्ति प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रतिफल का उचित मूल्य या दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, या नकदी या नकदी समतुल्य की क्षतिपूर्ति की राशि व्यापार की सामान्य स्थिति में दायित्व को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

(ग) नए और संशोधित मानकों को लागू करना

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जो मौजूदा भारतीय लेखा मानकों में कुछ संशोधन लाए हैं। इन संशोधनों का प्रभाव नीचे दिए अनुसार प्रकट किया जाता है:

(i) **ब्याज दर बेंचमार्क सुधार – चरण 2 : इंड एस 109, इंड एस 107 और इंड एस 116 में संशोधन** : कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 ने इंड एस 109 "वित्तीय लिखत" के अंतर्गत ब्याज दर बेंचमार्क सुधारों के संबंध में कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। परिणामी संशोधन इंड एस 107-वित्तीय लिखत-प्रकटीकरण और इंड एस 116-पट्टों में भी किए गए हैं। तथापि, समूह के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ii) इंड एस 116 : कोविड-19 संबंधित किराया रियायत

एमसीए ने 30 जून 2021 से 30 जून 2022 को या पहले मूल रूप से देय पट्टा भुगतानों में कमी के लिए राहत को लागू करने के प्रयोजनार्थ पट्टेदारों हेतु शर्त को अद्यतन करने के लिए 30 जून 2021 से आगे इंड एस 116 कोविड-19 संबंधित किराया रियायतों में एक संशोधन जारी किया। संशोधन 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि पर लागू है। यदि किसी पट्टेदार ने अभी तक इस संशोधन के जारी होने से पहले जारी करने के लिए वित्तीय विवरणों को मंजूरी नहीं दी है, तो इसे 1 अप्रैल, 2020 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। इन संशोधनों का समूह के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iii) इंड एस 105, इंड एस 16 और इंड एस 28 में संशोधन

“वसूलीयोग्य राशि” की परिभाषा को इस तरह संशोधित किया गया है कि “किसी संपत्ति के उचित मूल्य में से अधिक से अधिक बेचने की लागत और उपयोग में इसका मूल्य” शब्दों को “किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य के उच्च से कम निपटान की लागत और उपयोग में इसका मूल्य” से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इंड एस 105, इंड एस 16 और इंड एस 28 में परिणामी संशोधन किए गए हैं।

इन संशोधनों का समूह के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iv) अन्य मानकों में संशोधन/आशोधन या तो लागू नहीं होते हैं या ये वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालते हैं।

(घ) कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण संबंधी मुद्रा

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि समूह की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि जहां इंगित किया गया हो।

(ङ) समेकन का आधार

क) सहायक कंपनियां

- i) सहायक कम्पनी ऐसी इंटिटी है जिस पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी संगठन को उस समय नियंत्रित करता है जब उसका कामकाज उसके समक्ष उजागर होता है, या उस पर समूह का अधिकार होता है और संगठन की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उसके रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक कंपनियों को उस तारीख से पूरी तरह से समेकित कर दिया जाता है जिस दिन से समूह को नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है। इस तरह के नियंत्रण समाप्त होने की तारीख से वे असमेकित हो जाती हैं।
- ii) समूह संपत्ति, देनदारियों, इक्विटी, आय और व्यय की वस्तुओं को एक साथ जोड़कर, मूल समूह और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन दर लाइन आधार पर जोड़ता है। प्रत्येक सहायक कम्पनी में मूल समूह के निवेश की वहन राशि और प्रत्येक सहायक कम्पनी की इक्विटी के मूल समूह के हिस्से को समाप्त कर दिया जाता है। समूह कंपनियों के बीच लेन-देन पर अंतर-कंपनी लेनदेन, शेष राशि और अप्राप्त लाभ समाप्त हो जाते हैं। समूह की कंपनियों के बीच लेन-देन पर अप्राप्त हानियों को भी समाप्त कर दिया जाता है, जब तक कि लेन-देन हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं करता है। सहायक कंपनियों की लेखा नीतियां समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।
- iii) गैर-नियंत्रित हितों को अधिग्रहण की तिथि पर अधिग्रहीत की शुद्ध पहचान योग्य संपत्ति के उनके आनुपातिक हिस्से पर मापा जाता है। परिणाम और सहायक कंपनियों की इक्विटी में गैर-नियंत्रित हितों को समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण में अलग से दिखाया गया है।
- iv) किसी सहायक कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण का नुकसान नहीं होता है, को इक्विटी लेनदेन के रूप में माना जाता है।
- v) यदि समूह किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो यह परिसंपत्तियों, देनदारियों, किसी भी गैर-नियंत्रित हितों की वहन राशि और इक्विटी में दर्ज संचयी अंतरण के अंतर को अमान्य कर देता है। पूर्व सहायक कंपनी में रखे गए किसी भी ब्याज को नियंत्रण खो जाने की तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि होती है।

ख) संयुक्त उपक्रम

- i) संयुक्त उपक्रम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति का अधिकार होता है। संयुक्त उपक्रमों में हितों को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है और उसके बाद इक्विटी पद्धति का उपयोग करके हिसाब में लिया जाता है।
- ii) लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेशों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद निवेशक की शुद्ध संपत्ति को समूह के हिस्से में अधिग्रहण के बाद परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है। अधिग्रहण के बाद के लाभ या हानि में समूह का हिस्सा और निवेशक की अन्य व्यापक आय को समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में शामिल किया गया है। संयुक्त उपक्रमों से प्राप्त या प्राप्त होने वाले लाभांश

- को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।
- iii) जब कोई संयुक्त उपक्रम में समूह के हिस्से की हानि किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य सहित संगठन में अपने निवेश के बराबर या उससे अधिक हो जाती है, तो समूह आगे के नुकसान को मान्यता नहीं देता है, जब तक कि संयुक्त उपक्रम की ओर से किए गए दायित्वों को पूरा नहीं किया या भुगतान नहीं किया गया है।
 - iv) समूह और उसके संयुक्त उपक्रमों के बीच लेनदेन पर अप्राप्त लाभ को इन संगठनों में समूह के हित की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है। समूह और उसके संयुक्त उपक्रमों के बीच लेन-देन पर अप्राप्त हानियों को भी इन संगठनों में समूह के हित की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है जब तक कि लेन-देन में हस्तांतरित संपत्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं किया जाता है। जहां संयुक्त उपक्रमों की लेखा नीतियां, समूह की नीतियों से भिन्न होती हैं, समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और घटनाओं के लिए उपयुक्त समायोजन किए जाते हैं।
 - v) संयुक्त उपक्रम में कम हिस्सेदारी होने पर कोई लाभ या हानि हो, लेकिन फिर भी संयुक्त नियंत्रण बनाए रखना, को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।
 - vi) जब कोई संयुक्त उपक्रम में निवेश नहीं रह जाता है और प्रतिधारित ब्याज एक वित्तीय परिसंपत्ति है, तो समूह लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त अग्रणीत राशि में परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर प्रतिधारित ब्याज को मापता है। प्रतिधारित ब्याज का उचित मूल्य वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रतिधारित ब्याज के लिए लेखांकन के उद्देश्य से प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी राशि को लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

च) अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

इंड-एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, आंकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखा नीतियों को लागू करने और संपत्ति, देनदारियों, आय, व्यय और संबंधित प्रकटीकरण के रिपोर्ट किए गए मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें आकस्मिक संपत्ति और आकस्मिक देनदारियां बैलेंस शीट की तारीख पर शामिल हैं। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने जाने वाले अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी जो वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, को निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है:

महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान

क) पट्टे

समूह यह मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था इंड-एएस 116, की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टा होने के योग्य है। कोई भी अनुबंध पट्टा होता है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी अवधि के लिए किसी पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो कोई भी संगठन यह आकलन करेगी कि उपयोग की अवधि के दौरान, ग्राहक के पास निम्नलिखित दोनों हों :

क) पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग से पर्याप्त रूप से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार तथा

ख) पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार।

किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए, ग्राहक को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना आवश्यक है। ग्राहक को उपयोग की अवधि के दौरान किसी पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है, यदि ग्राहक को यह निर्देशित करने का अधिकार है कि उपयोग की अवधि के दौरान संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है।

समूह पट्टे की अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में भी महत्वपूर्ण निर्णय का भी उपयोग करता है।

समूह पट्टे की अवधि को पट्टे की बिना रद्द करने योग्य अवधि के रूप में पट्टा मद को निर्धारित करता है, यह दोनों अवधि को एक साथ यदि समूह उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से आश्वस्त है, तो पट्टे का विस्तार करने के विकल्प द्वारा शामिल की गई अवधि और पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा शामिल की गई अवधि, यदि समूह उस विकल्प का प्रयोग नहीं करने के लिए उचित रूप से आश्वस्त है, निर्धारित करता है। यह आकलन करने में कि क्या समूह पट्टे का विस्तार करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उचित रूप से आश्वस्त है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो यह उन सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है जो समूह के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का निर्माण करते हैं। इसमें पट्टे की अवधि का विस्तार करने का विकल्प का उपयोग करने अथवा पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग नहीं करना है। पट्टे की बिना रद्द करने योग्य अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो समूह पट्टे की अवधि को संशोधित करता है।

छूट की दर आम तौर पर मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे के लिए या समान विशेषताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए विशिष्ट वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

समूह लाभार्थियों के साथ बिजली खरीद समझौते करता है। एक एकल लाभार्थी के साथ अंतर्निहित पट्टे की प्रकृति में बिजली खरीद समझौते (पीपीए) जहां न्यूनतम पट्टा अवधि पावर स्टेशन के आर्थिक जीवन के बड़े हिस्से के लिए है और न्यूनतम पट्टा भुगतान राशि को वित्त पट्टे के रूप में पावर स्टेशन के सभी उचित मूल्य पर विचार किया जाता है। अन्य अंतर्निहित पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में माना जाता है।

वित्त पट्टे की प्रकृति में अंतर्निहित पट्टों के लिए, पावर स्टेशन में निवेश को प्राप्य पट्टे के रूप में मान्यता दी गई है। न्यूनतम पट्टे के भुगतान की पहचान शेष अनुबंध राशियों से अंतर्निहित पट्टों के भुगतानों को अलग करके की जाती है। प्रत्येक पट्टे की रसीद को प्राप्य और वित्त पट्टे की आय के बीच आवंटित किया जाता है ताकि प्राप्य पट्टे के बकाया पर रिटर्न की निरंतर दर प्राप्त हो सके।

परिचालन पट्टा या अंतर्निहित परिचालन पट्टे के मामले में, परिचालन पट्टे से पट्टे की आय को पट्टे की अवधि के दौरान संरेखन रेखा के आधार पर राजस्व में मान्यता दी जाती है। संबंधित पट्टे पर दी गई संपत्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन-पत्र में शामिल किया गया है।

ख) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त परिसंपत्तियां

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त परिसंपत्तियां अनेक कारकों पर निर्भर करती है। इनमें पुराने पड़ जाने का असर, मांग, प्रतिस्पर्धा, और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति की स्थिरता) तथा परिसंपत्ति से भविष्य में अनुमानित नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिये आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल है।

विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग में लायी जाने वाली परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमों से निर्धारित होता है जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II के भाग बी में उल्लिखित है, सिवाय निर्माण संयंत्र और मशीनरी और कंप्यूटर तथा कंप्यूटर से जुड़ी चीजों के, जिनका निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II में उल्लिखित उपयोगी जीवनकाल के अनुसार है और मोबाइल फोन जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार होता है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य और अमूर्त परिसंपत्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य और अमूर्त परिसंपत्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि अनुमानों और आकलनों पर आधारित होती है, विशेष रूप से बाजार का अनुमानित स्वरूप और बिजली संयंत्रों से जुड़ा भावी नकदी प्रवाह। इन अनुमानों में किसी भी बदलाव का, वापस मिल सकने योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है जो क्षति में बदल सकता है।

घ) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ योजनाएं

कर्मचारियों के लिये लाभ देयताओं का मापन बीमांकित मान्यताओं के आधार पर होता है जिसमें मृत्यु और आहरण दरों के साथ साथ छूट दरों में भविष्य के बदलावों से संबंधित मान्यताएं, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न की अनुमानित दर शामिल है। समूह का मानना है कि इन देयताओं के मापन के लिये प्रयुक्त मान्यताएं उपयुक्त हैं और प्रलेखित हैं। हालांकि इन मान्यताओं में किसी बदलाव का परिणामी गणना पर प्रभाव पड़ सकता है।

ड) राजस्व

समूह इंड एस 115— ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के सिद्धांतों के अनुसार सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर बिजली विक्रय से राजस्व दर्ज करता है। हालांकि जहां शुल्क दरें अभी अनुमोदित की जानी हैं, वहां व्यवहार्य सीईआरसी टैरिफ विनियमों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी दरें अपनायी जाती हैं। इसके अलावा जहां लागत अनुमानों की समीक्षा के कारण शुल्क समीक्षा लंबित है, शुल्क की संगणना सीईआरसी टैरिफ विनियम के तहत निर्धारित मानकों और विधियों के आधार पर की जाती है और सीईआरसी को आवेदन देने और अनुमोदन मिलने के बाद कि मान्य राजस्व में कोई नकारात्मक समायोजन नहीं होगा, राजस्व की अनुमानित राशि मान्य की जाती है।

च) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को मान्य करने में इंड एस 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों' के अनुसार आकलन किये गये हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के संभावित आउटप्लो के संबंध में प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है। यह अनुमान निम्नलिखित अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकता है।

छ) दर विनियमित परिसंपत्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि

समूह की संचालन गतिविधियां सेवा लागत विनियमों के अधीन हैं जिससे उत्पादित बिजली के लिये प्रभारित शुल्क अनुमति योग्य लागतों पर आधारित होता है जैसे — ब्याज लागत, ड्रास, परिचालन और रखरखाव और नियत रिटर्न। आईसीएआई (पहले जीएपी) और इंड एस 114— 'नियामक आस्थगित खाता' किसी कंपनी को दर आधार में स्व निर्मित पीपीई या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत का एक हिस्सा सम्मिलित करने की अनुमति देता है, जिस राशि को अन्यथा इंड एस के अनुसार लाभ हानि विवरणी में व्यय के रूप में मान्य किया जाता। समूह का अनुमान है कि वित्तीय विवरणियों में मान्य नियामक आस्थगित खातों के मद मौजूदा सीईआरसी शुल्क विनियम 2019-24 के अनुसार वसूली योग्य हैं। हालांकि इस राशि का वापस मिल सकना सीईआरसी द्वारा शुल्क को अंतिम रूप देने और/या मौजूदा अवधि के बाद सीईआरसी शुल्क विनियमों में बदलाव के अधीन है।

ज) व्यापार प्राप्यों की क्षति

व्यापार प्राप्यों के लिये ऐतिहासिक जमा हानि अनुभवों पर विचार करते हुए समूह लाभार्थियों से प्राप्यों के मूल्य में न तो क्षति की परिकल्पना करता है और न ही व्यापार प्राप्यों की मान्यता में विलंब के कारण धन के समय मूल्य को लेकर हानि की, सिवाय पहले से प्रावधान की गयी सीमा तक।

झ) संयुक्त उपक्रमों में निवेश

निवेश लागत पर और समूह के आकलन के अनुसार किया गया है, ऐसे निवेशों पर क्षति का कोई संकेत नहीं है। मान्यता में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

ञ) वसूली योग्य बीमा दावा

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा जारी पूंजीगत कार्य में किसी नुकसान के संदर्भ में बीमा दावों की वसूली योग्य राशि बीमा पॉलिसी के नियम और शर्तों आंकलन और अनुमानों पर आधारित है।

ट) आय कर

आय कर के लिये प्रावधान के निर्धारण में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों में भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि/वसूली गयी राशि शामिल है।

(III) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार, जैसा कि नीचे दिया गया है, वित्तीय विवरणियों में दी गयी सभी अवधियों में लगातार लागू किया गया है। ये लेखांकन नीतियां इस तरह तय की गयी हैं जिनसे लेनदेन, अन्य संदर्भ और स्थितियों, जिनपर ये लागू होती हैं, के बारे में संबद्ध और विश्वसनीय सूचना के साथ वित्तीय विवरणियां उपलब्ध होती हैं। यदि इन नीतियों को लागू किये जाने का प्रभाव महत्वपूर्ण न हो तो इन्हें अपनाये जाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।

31 मार्च, 2015 तक संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश परिसंपत्तियां तुलन पत्र में इंडियन जीएपी के अनुसार दर्शायी जाती थी। समूह ने इंड एस 101 द्वारा दी गयी छूट प्राप्त करने का निर्णय लिया, "पहली बार इंड एस अपनाने" पर इंड एस में ट्रांजिशन की तिथि (1 अप्रैल 2015) को पूर्व राशि को डीमड लागत मानी गयी। इस

प्रकार पूर्ववर्ती जीएपी के अनुसार 1 अप्रैल, 2015 को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश परिसंपत्तियों की वहनीय राशि, इंड एस में आने के बाद बनाये रखी गयी।

1.0 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

- क) पीपीई का कोई भी मद तभी परिसंपत्ति के रूप में मान्य होता है जब संभावना हो कि भविष्य में इससे जुड़ा आर्थिक लाभ समूह को जायेगा और मद की लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकेगा।
- ख) आरंभ में पीपीई का मापन, जहां अपेक्षित हो हटाये जाने या बहाल किये जाने की लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण लागत पर होता है। इस लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर सीधे होने वाला व्यय भी शामिल है। उन मामलों में जहां ठेकेदारों के साथ बिल का समायोजन लंबित है लेकिन परिसंपत्ति, प्रबंधन की अपेक्षानुसार तैयार है और परिचालन के लिये उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर किया जाता है, जो मध्यस्थता/अदालती मामले निपटाने से उत्पन्न स्थितियों सहित आवश्यक समायोजन के अधीन होता है।
- ग) पावर स्टेशन का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पूरा हो जाने के बाद पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण पर हुआ व्यय, मान्य किये जाते समय संबंधित परिसंपत्ति के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। मौजूदा परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिये अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और प्रतिस्थापित तथा सक्रिय उपयोग से हटा/सेवामुक्त कर दी गयी परिसंपत्तियां अमान्य कर दी जाती हैं।
- घ) आरंभिक मान्यता के बाद संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संचित ह्रास/परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होते हैं।
- ङ) जमा, किया गया भुगतान/देयताएं, क्षतिपूर्ति के लिये अस्थायी रूप से सृजित, (अदालत द्वारा अधिनिर्णय की तिथि तक बढ़ाये गये मुआवजे पर ब्याज सहित), अधिगृहीत भूमि से संबंधित पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर व्यय सहित पुनर्वास और पुनर्स्थापना तथा अन्य व्यय भूमि की लागत माने जाते हैं।
- च) वे परिसंपत्तियां जिनपर समूह का नियंत्रण है, समूह के नियंत्रण में नहीं आने वाली भूमि पर सृजित होने के बावजूद, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल मानी जायेंगी।
- छ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मान्यता मापदण्ड पूरा करने वाले, तैयार रखे गये और सेवारत उपकरण पूंजीकृत किये जाते हैं।
- ज) स्पेयर पार्ट (संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गये), जो मान्यता मापदण्ड की शर्तें पूरी करते हैं, पूंजीकृत किये जाते हैं। उन स्पेयर पार्ट की वहनीय राशि, जो प्रतिस्थापित किये गये हैं, अमान्य कर दी जाती है, जब उनके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं हो। अन्य स्पेयर पार्ट भंडार के हिस्से के रूप में "स्टोर और स्पेयर" माने जाते हैं।
- झ) यदि प्रतिस्थापित पार्ट या पूर्व निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है तो समान नये पार्ट/निरीक्षण की अनुमानित राशि एक संकेत के रूप में इस्तेमाल की जाती है कि मौजूदा पार्ट/निरीक्षण की लागत तब क्या रही होगी, जब उसे अधिगृहीत किया गया था या निरीक्षण किया गया था।
- ञ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के किसी मद को उसके निस्तारण पर अमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। परिसंपत्ति को अमान्य किये जाने पर होने वाला कोई लाभ या हानि को (निवल निस्तारण और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में संगणित) लाभ और हानि विवरणी में शामिल की जाती है जब परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.0 जारी पूंजीगत कार्य (सीडबल्यूआईपी)

- क) निर्माण के तहत परिसंपत्तियों पर होने वाला व्यय (परियोजना सहित) सीडबल्यूआईपी के अंतर्गत लागत पर वहनीय होता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क और गैर वापसी योग्य कर (व्यापार छूट और रियायत को घटाने के बाद), सर्वे और परियोजनाओं की जांच गतिविधियों में हुआ व्यय, स्थल तैयारी लागत, आरंभिक आपूर्ति और संचालन व्यय, स्थापन और समायोजन लागत, इत्यादि सहित परिसंपत्तियों का खरीद मूल्य शामिल होता है।
- ख) कर्मचारी लाभ, पेशेवर शुल्क, साझा जन सुविधाओं के रखरखाव और उन्नयन पर होने वाला व्यय, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों में ह्रास, निर्माण के दौरान प्रभारित ब्याज और अन्य लागत, जो सीधे तौर पर परिसंपत्ति को स्थल तक लाने और प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट संचालन के लिये सक्षम बनाने में आयी हो, "निर्माण में हुए व्यय" के तहत संचित किया जाता है और बाद में परियोजना चालू होने पर भूमि और बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर

प्रणालीबद्ध आधार से आवंटित कर दी जाती है। चालू होने से पहले की निवल आय/व्यय सीधे संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

- ग) सुविधाओं के सृजन पर होने वाला पूंजीगत व्यय, जिसपर समूह का सीधा नियंत्रण नहीं है लेकिन जो परियोजना के निर्माण के लिये मुख्य रूप से आवश्यक हैं, "निर्माण में हुए व्यय" के तहत संचित किया जाता है और "जारी पूंजीगत कार्य" के अंतर्गत वहनीय होता है और बाद में इंड एस 16— "परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर" में "आरोप्यता" और "मापन इकाई" को ध्यान में रखते हुए परियोजना चालू होने पर भूमि और बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर प्रणालीबद्ध आधार से आवंटित कर दिया जाता है। परियोजना पूरी होने के बाद हुआ इस प्रकार का व्यय लाभ और हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

3.0 निवेश परिसंपत्ति

निवेश परिसंपत्तियां आरंभ में लेन-देन लागत सहित लागत पर मापी जाती हैं। आरंभिक मान्यता के बाद निवेश परिसंपत्तियां लागत से संचित द्वास और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो तो घटाने के बाद वहन की जाती है।

निवेश परिसंपत्तियों को उनके निस्तारण या स्थायी रूप से उपयोग से हटाने के बाद और भविष्य में उनके निस्तारण से किसी भी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहने पर अमान्य किया जाता है। अमान्यता अवधि में निवल निस्तारण और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

निवेश परिसंपत्ति से या इसमें स्थानांतरण केवल तभी किया जाता है जब उपयोग में परिवर्तन हो और यह प्रमाणों से समर्थित हो।

4.0 अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

- क) अनुसंधान पर खर्च को उसे व्यय में प्रभारित किया जाता है। विकास पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह व्यय विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभों की संभावना हो और समूह विकास कार्य पूरा करने तथा परिसंपत्ति के उपयोग या बिक्री के लिये इच्छुक हो और उसके पास इसके लिये पर्याप्त संसाधन हों।
- ख) अलग से अधिगृहीत की गयी अमूर्त परिसंपत्तियां आरंभिक मान्यता के आधार पर लागत पर मापी जाती हैं। लागत में प्रत्यक्ष रूप से किया गया कोई भी व्यय शामिल होता है जो परिसंपत्ति को उसके लक्षित उपयोग के लिये तैयार करने के उद्देश्य से आवश्यक हो। आरंभिक मान्यता के बाद अमूर्त परिसंपत्तियां संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होती हैं।
- ग) बाद में किया गया व्यय परिसंपत्ति की वहनीय राशि में वृद्धि के रूप में मान्य किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय लागत से प्राप्त होने वाला भविष्य का आर्थिक लाभ समूह को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकेगी।
- घ) अमूर्त परिसंपत्ति के किसी मद को उसके निस्तारण पर अमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य किये जाने से होने वाले लाभ या हानि का मापन निवल निस्तारण और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे परिसंपत्ति के अमान्य होने पर लाभ-हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

5.0 विदेशी मुद्रा लेन-देन

- क) विदेशी मुद्रा में लेन देन आरंभ में क्रियाशील मुद्रा स्थल दर पर, लेन-देन के मान्यता के लिये पहली बार पात्र होने की तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत मौद्रिक मदें उस तिथि पर लागू कार्यशील मुद्रा विनिमय दरों पर बदली जाती हैं।
- ख) 1 अप्रैल, 2004 से पहले हुए लेनदेन में पीपीई/जारी पूंजीगत कार्य से संबंधित विनिमय अंतर संबंधित पीपीई/जारी पूंजीगत कार्य के वहनीय लागत से समायोजित किया जाता है।
- ग) 31 मार्च, 2016 से पहले हुए सौदों में विदेशी मुद्रा उधारी के लेनदेन होने वाला विनिमय अंतर, जो सीईआरसी टैरिफ विनियम के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूले जाने योग्य या उन्हें भुगतान योग्य है, "आस्थगित विदेशी मुद्रा विचलन वसूली योग्य/भुगतान योग्य खाता" में मान्य किया जाता है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिसमें यह वापस लिया गया/भुगतान किया गया।
- घ) 01.04.2016 को या इसके बाद विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत मौद्रिक मदों के समायोजन/विनिमय से होने वाला विनिमय अंतर

जो सीईआरसी टैरिफ विनियम के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूले जाने योग्य या उन्हें भुगतान योग्य है, निर्माण अवधि के दौरान "विनियामक आस्थगित खाता शेष" के रूप में मान्य किया जाता है और उस वर्ष से जिसमें यह लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूले जाने योग्य हुआ, समायोजित किया जाता है।

- ड.) किसी विदेशी मुद्रा में पिछली ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी जाने वाली गैर मौद्रिक मदें लेन देन की तिथि पर लागू विनिमय दर पर बदली जाती हैं। जहां समूह ने विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्राप्त किया हो या भुगतान किया हो, संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या इसके अंश) की आरंभिक मान्यता पर उपयोग के लिये विनिमय दर के निर्धारण के उद्देश्य से लेन देन की तिथि वह तिथि होगी जब समूह आरंभ में गैर मौद्रिक परिसंपत्ति या अग्रिम की प्राप्ति या भुगतान से उत्पन्न गैर मौद्रिक देयता को मान्य करता है।

6.0 विनियामक आस्थगित खाते

- क) जहां किसी परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान किए गए व्यय की किसी वस्तु को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, यानी इंड-एएस के अनुसार प्रासंगिक पीपीई की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं है, लेकिन सीईआरसी द्वारा इसे भविष्य में शुल्क के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति दी गई है, तो ऐसे में इसे वसूली करने के अधिकार के तहत "विनियामक आस्थगित खाता शेष" के रूप में मान्यता दी गई है।
- ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय को "विनियामक आस्थगित खाता शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ग) ये विनियामक आस्थगित खाता शेष उस वर्ष से समायोजित किए जाते हैं जिसमें वे लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय होते हैं।
- घ) विनियामक आस्थगित खाता शेष का मूल्यांकन प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतर्निहित गतिविधियां मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और यह संभावना है कि इस तरह के बैलेंस से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ संगठन को देय होंगे। यदि इन मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, तो विनियामक आस्थगित खाता शेष राशि को अमान्य कर दिया जाता है।
- ड) प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में हानि के लिए विनियामक आस्थगित खाता शेष राशि की जांच की जाती है।

7.0 उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरण करने के लिए भुगतान किया जाएगा। आम तौर पर प्रारंभिक मान्यता पर, लेन-देन की कीमत उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण है।

परन्तु, समूह जब यह निर्धारित करता है कि लेन-देन की कीमत उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो वह अन्य बातों के अलावा उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों, और जिनमें उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हो तथा संबंधित पर्यवेक्षणीय जानकारी का अधिकतम और अपर्यवेक्षणीय जानकारी का न्यूनतम उपयोग किया गया हो।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियों, जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया गया हो, को उचित मूल्य अनुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण न्यूनतम स्तर की जानकारी पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 – समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य है।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अवलोकन योग्य नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, समूह यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके अनुक्रम में स्तरों के बीच स्थानान्तरण हुआ है या नहीं।

8.0 संयुक्त उपक्रमों में निवेश

संयुक्त उपक्रमों के इक्विटी शेयरों में निवेश का लेखांकन इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए की जाती है।

9.0 संयुक्त उपक्रमों में निवेश के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ कोई भी परिसंपत्ति शामिल होती है जो नकद है, किसी अन्य संगठन का इक्विटी लिखत या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का अनुबंधित अधिकार या वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान-प्रदान करने के लिए, जो इस शर्त के अधीन कि संभावित रूप से समूह के अनुकूल हो। किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब और केवल तभी मान्यता दी जाती है जब समूह लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

समूह की वित्तीय परिसंपत्ति में नकद और नकद समतुल्य, बैंक बैलेंस, कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, व्यापार प्राप्तियां, कर्मचारियों को ऋण, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

(क) वर्गीकरण

समूह अपनी वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है :

- परिशोधन लागत पर,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर, और
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर।

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए संगठन का व्यवसाय मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधित नकदी प्रवाह की विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों के लिए, लाभ और हानि या तो लाभ और हानि के विवरण में या अन्य व्यापक आय के तहत दर्ज किए जाते हैं। ऋण उपकरण में निवेश के लिए, यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है। इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश के लिए प्रारंभिक मान्यता के समय कोई अपरिवर्तनीय चुनाव किया है।

(ख) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही उन वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, के अधिग्रहण संबंधी लेनदेन लागत को वित्तीय संपत्ति के मूल्य में शामिल किया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

समूह व्यापार से होने वाली उन प्राप्तियों को उनके लेन देन मूल्य पर मापता है, यदि व्यापार से होने वाली प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक सम्मिलित नहीं होता है।

(ग) पूर्ववर्ती मापन

परिशोधन लागत पर ऋण लिखत

निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर किसी 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधन की लागत पर मापा जाता है:

- ऐसी परिसंपत्ति को किसी व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य अनुबंधित नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और
- परिसंपत्ति की अनुबंधित शर्तें नकदी प्रवाह की निर्दिष्ट तारीखों पर तय की जाती हैं, जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का एकमात्र भुगतान हैं।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में ब्याज की आय में शामिल किया गया है। क्षति से होने वाले नुकसान को लाभ

और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत (एफवीटीओसीआई)

किसी 'ऋण दस्तावेज' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बशर्ते निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य दो तरह से, यानी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और
- परिसंपत्ति के अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह में मूलधन और ब्याज का पूर्ण भुगतान (एसपीपीआई) शामिल है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर संबंधी ऋण दस्तावेजों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में उचित मूल्य संचालनों को मान्यता दी गई है। परन्तु, समूह लाभ और हानि के विवरण में ब्याज से आय, हानि की क्षतिपूर्ति, उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि की पहचान करता है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज की आय को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

इक्विटी निवेश :

सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार के लिए धारित इक्विटी दस्तावेज, यदि कोई हों, को लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी उपकरणों को समूह एफवीटीओसीआई के समान ही वर्गीकृत करता है। समूह इस तरह के चुनाव एक साधन द्वारा साधन के आधार पर करता है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत सभी इक्विटी दस्तावेजों में उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। लाभ और हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का बाद में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं है। परन्तु, समूह संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकता है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को अन्य आय के रूप में लाभ और हानि विवरण में तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का समूह का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखत, यदि कोई हों, को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

व्यापार प्राप्तियां :

किसी महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक वाले व्यापार प्राप्तिओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

घ) मान्यता समाप्त करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी समाप्त की जाती है जब :

- समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं, या
- वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए समूह अनुबंधात्मक अधिकार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए किसी अनुबंधात्मक दायित्व को मानता है।

जहां समूह ने किसी परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया हो, तो समूह मूल्यांकन करता है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है। जहां समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया है, वहां वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त नहीं की जाती है।

जहां समूह ने न तो किसी वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को काफी हद तक बरकरार रखा है, तो ऐसी स्थिति में यदि समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण अपने पास नहीं रखा है, तो वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है। जहां समूह वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखता है, वहां परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

मान्यता समाप्त होने पर, अग्रसारित की जाने वाली राशि और प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ड) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड-एएस 109 के अनुसार, समूह निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के बारे में हानि का पता लगाने और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मॉडल लागू करता है :

- वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं।
- वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के अनुसार मापा जाता है।
- इंड एस 115—राजस्व के तहत ग्राहकों के साथ अनुबंधों से अनुबंध परिसंपत्तियां और व्यापार प्राप्य।
- इंड एस 116 पट्टों के अंतर्गत लीज प्राप्य।

इंड एस 116 और इंड एस 115 के दायरे के भीतर लेनदेन के परिणामस्वरूप अनुबंध परिसंपत्तियों, पट्टा प्राप्यों और व्यापार प्राप्यों पर प्रारंभिक स्वीकृति से, आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के आधार पर हानि क्षति प्रावधान की स्वीकृति के लिए समूह इंड एस 109 'वित्तीय दस्तावेज' के तहत अनुमत 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि क्षति का पता लगाने के लिए, समूह यह आकलन करता है कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि क्षति के लिए 12-महीने के ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, अगर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। ऋण जोखिम में वृद्धि और हानि क्षति का आकलन करने के लिए, समूह दस्तावेज-दर-लिखत आधार पर ऋण जोखिम विशेषताओं का मूल्यांकन करता है। यदि, बाद की अवधि में, दस्तावेज की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो संगठन 12-महीने के ईसीएल के आधार पर हानि क्षति भत्ते की पहचान करने के लिए पूर्वस्थिति में आ जाती है। इस अवधि के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि/उलटाव की राशि को लाभ-हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता दी गई है।

10.0 माल-सूची

सूचियों में मुख्य रूप से स्टोर और स्पेयर पार्ट्स शामिल होते हैं जिनका उपयोग संपदा, संयंत्र और उपकरणों के रखरखाव के लिए किया जाता है और लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) में जो भी कम हो उस पर मूल्यांकित किया जाता है। लागत के भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके निर्धारित की जाती है और एनआरवी व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है, जिसमें बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतों को घटाया जाता है।

स्क्रेप का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य के लिए इन्वेंटरी के किसी राइट-डाउन की राशि और उसके सभी नुकसान को उस अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें राइट-डाउन या हानि होती है।

11.0 लाभांश

शेयरधारकों को देय अंतिम लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें क्रमशः समूह के शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

12.0 वित्तीय देनदारियां

समूह की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य इकाई को नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति की सुपुर्दगी या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व हैं, जो समूह के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं।

समूह की वित्तीय देनदारियों में ऋण तथा उधार, व्यापार तथा अन्य भुगतान शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में लेनदेन लागत निकालकर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर जिम्मेदार होती हैं और बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर आंकलन कर वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर मुनाफा (लेन-देन लागत का शुद्ध) और उचित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को, यदि कोई अन्य मानक उधार की अवधि के दौरान प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए इस तरह के

समावेशन की अनुमति देता है तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि या लाभ-हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उधार को वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि समूह के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटान को बिना शर्त स्थगित करने का अधिकार न हो।

ख) बाद के मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ – हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की परिशोधित राशि में तब मान्यता दी जाती है जब कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की तब अनुमति देता है, जब देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है और ऐसा ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना ईआईआर के अभिन्न अंग— शुल्क या लागत और अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ – हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) मान्यता रद्द करना

यदि देयता के तहत दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है या वह समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देयता को अमान्य कर दिया जाता है। जब मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता को अमान्य कर नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित परिशोधित राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दिया गया है।

घ) वित्तीय दस्तावेजों की भरपाई

यदि स्वीकृत राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों का मूल्य पाने के लिए और देनदारियों का निपटान करने के लिए शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा है तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में दिखाया जाता है।

ड) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज

विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिमों को रोकने और हेज के रूप में नामित नहीं होने वाले, समूह द्वारा धारित व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज का लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर हिसाब लगाया जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ – हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

13.0 सरकारी अनुदान

क) बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है तथा मापा जाता है और सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक स्वीकृत राशि तथा प्राप्ति के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है। ऋण को बाद में वित्तीय देनदारियों पर लागू लेखा नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को शुरु में आस्थगित आय के रूप में और बाद में परिसंपत्ति की उपयोगी अवधि पर व्यवस्थित आधार पर लाभ – हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और समूह अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा तब परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सरकार से मौद्रिक अनुदान को शुरु में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है। इस प्रकार मान्यता प्राप्त आस्थगित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि पर लाभ – हानि विवरण में परिशोधित किया जाता है।

ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ – हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें संगठन संबंधित उन लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देती है जिनके लिए अनुदान का प्रतिपूर्ति करने का इरादा है।

14.0 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब ग्रुप के पास किसी बीती घटना के आधार पर कानूनी या तर्कसंगत दायित्व हो और उसे निपटाने के लिए आर्थिक लाभ शामिल करने के संसाधनों की आवश्यकता हो और दायित्व का सही-सही अनुमान लगाया जा सके। ये प्रावधान तुलन पत्र की तारीख में दायित्व निपटाने की आवश्यक राशि जुटाने के अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं। प्रावधान की राशि पूरी तरह या आंशिक तौर पर किसी तीसरे

पक्ष से मिलने की उम्मीद होती है, तो उस अपेक्षित राशि को परिसंपत्ति माना जाता है, बशर्ते यह पक्का हो कि प्रतिपूर्ति हासिल हो जाएगी और इस प्राप्य राशि का सही अनुमान लगाया जा सकता हो। किसी प्रतिपूर्ति के प्रावधान से संबंधित व्यय लाभ और हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की परिशोधित राशि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते किसी अन्य मानक के तहत ऐसा वित्तीय समावेशन करने की व्यवस्था हो।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधान का मौजूदा कर-पूर्व-कर दर का उपयोग करके अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है जो देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो कुछ समय बाद प्रावधान में इस वृद्धि को वित्तीय लागत दायित्व मान लिया जाता है।

- ख) आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और उसकी पुष्टि केवल एक या उससे अधिक भावी घटनाओं जो पूरी तरह से ग्रुप के नियंत्रण में नहीं होती हैं के होने या न होने से होगी। जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभ बाहर भेजने की आवश्यकता होगी या राशि का अनुमान सही रूप से नहीं लगाया जा सकता वहां दायित्व को तब तक आकस्मिक देयता मान लिया जाता है जब तक आर्थिक लाभों के बाहर जाने की संभावना खत्म न हो जाये। आकस्मिक देयताओं का खुलासा प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है और इनमें समायोजन किया जाता है ताकि इनमें प्रबंधन के वर्तमान अनुमान दर्शाए जा सकें।
- ग) आकस्मिक संपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उभर कर सामने आती हैं और इनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या न होने से होगी जो ग्रुप के नियंत्रण में नहीं होती हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है, जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की संभावना होती है। वित्तीय विवरणों में विकास समुचित रूप से परिलक्षित होता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है।

15.0 राजस्व मान्यता एवं अन्य आय

ग्रुप का राजस्व ऊर्जा की बिक्री और व्यापार, परियोजना प्रबंधन/निर्माण ठेकों/परामर्श सेवाओं और अन्य आय से प्राप्त होता है। अन्य आय से मिलने वाले राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि से ब्याज, अन्य कॉर्पोरेट निकायों में इक्विटी निवेश से लाभांश, बांड में निवेश से ब्याज, विलंबित भुगतान के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, स्क्रेप की बिक्री, अन्य विविध आय स्रोत आदि शामिल होते हैं।

क) विद्युत बिक्री से राजस्व की प्राप्ति

- राजस्व उस समझौते के आधार पर आंका जाता है जो ग्राहक के साथ हुए अनुबंध में निर्दिष्ट होता है या जिसके उत्पादों और सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है लेकिन तीसरे पक्ष की ओर से वसूल की गई राशि इसमें शामिल नहीं होती। राजस्व को ग्रुप तब स्वीकार करता है, जब वह किसी ग्राहक को उत्पादों या सेवाओं का नियंत्रण सौंपता है।
- विद्युत की बिक्री से मिलने वाले राजस्व का हिसाब सुनवाई ट्राइब्यूनल के आदेशों द्वारा विद्युत के लिए लागू सीमा तक संशोधित सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 के तहत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। लेकिन, पावर स्टेशन की वित्तीय/परिचालन लीज से प्राप्त राशि इसमें नहीं जोड़ी जाती। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में जहां तत्कालिक/अंतिम टैरिफ को अधिसूचित किया जाना बाकी है या जहां प्रोत्साहन/दंडात्मक कार्यवाही सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमों के अनुसार देय/प्रभारित हैं, राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां ऐसी अत्यधिक संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। इसमें लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली छूट राजस्व की राशि से काट ली जाती है।
- ग्राहकों को समय-समय पर नियमित रूप से बिल भेजा जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विद्युत की बिक्री से होने वाले राजस्व में ग्राहकों को की गई बिक्री से होने वाली आय की राशि भी शामिल होती है जिसका बिल अभी तक नहीं भेजा गया है। (बिल नहीं की गई राजस्व)।
- विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विनियम दर के बदलावों के मुताबिक वसूली/वापसी और आयकर की वसूली को नियामक मानदंडों के अनुसार वार्षिक आधार पर मान्यता दी जाती है। 31 मार्च 2009 तक मान्यता प्राप्त वस्तुओं पर विलम्बित कर की वसूली का हिसाब उसी समय लगाया गया, जब वह प्राप्त कर लिया गया।

- v) क्षेत्रीय ऊर्जा खाते (आरईए) को अंतिम रूप देते समय किये जाने वाले समायोजन, जो कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, उसी वर्ष से प्रभावी होते हैं।
- vi) मूल्यहास पर अग्रिम (एएडी) को 31 मार्च 2009 तक बकाया आय माना जाता है, जो पावर स्टेशनों के कारोबारी संचालन की तारीख से 12 साल की अवधि के बाद शेष उपयोगी कार्यकाल के लिए संरेखन आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है।

ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण ठेकों/परामर्श सेवाओं से राजस्व

- i) परियोजना प्रबंधन/निर्माण ठेकों/परामर्श सेवाओं से प्राप्त राजस्व को ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट प्राप्ति के आधार पर मापा जाता है या इसके सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद होती है लेकिन इसमें तीसरे पक्ष से होने वाली वसूली शामिल नहीं होती। गुप आदान प्रक्रिया के आधार पर राजस्व को मान्यता देता है। इस प्रक्रिया में उस विशेष दायित्व की पूर्ति के लिए कुल अपेक्षित लागतों को विशेष दायित्व की पूर्ति के लिए किए गए व्यय लागतों के आधार पर राजस्व को मान्यता दिया जाता है।
- ii) अनुबंध संशोधन, यदि कोई हो तो उसका हिसाब तब लिया जाता है जब अनुबंध में शामिल पक्ष अनुमोदित अनुबंध के दायरे या मूल्य (या दोनों) में कोई परिवर्तन करते हैं जो या तो नया बनता है या अनुबंध की पार्टियों के मौजूदा अधिकारों तथा दायित्वों को बदलता है। अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण एकल विक्रय मूल्य पर आधारित है? अनुबंध संशोधनों को एकल आधार पर दर्ज किया जाता है, अनुबंध का दायरा तब बढ़ता है जब उसके अंतर्गत दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं या अनुबंध की लागत उस राशि से बढ़ जाती है। विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को दर्शाने के लिए उस लागत में उपयुक्त समायोजन किया जाता है। जोड़ी गई सेवाएं, जो अलग प्रकार की नहीं हैं, को संचयी कैच अप आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जबकि जो अलग प्रकार की सेवाएं हैं, को अनुपातिक रूप से हिसाब में लिया जाता है। इसे या तो अलग अनुबंध के रूप में, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत एकल बिक्री मूल्य पर लगाई जाती है या मौजूदा अनुबंध को समाप्त करके अथवा एक नए अनुबंध का निर्माण करके यदि एकल बिक्री मूल्य पर मूल्य नहीं लगाई जाती है।

ग) विद्युत की बिक्री से होने वाली आय

- i) विद्युत बेचने से होने वाली आय में अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि तय किया जा सके कि समूह को प्रमुख भागीदार की भूमिका निभानी है या एजेंट की तरह काम करना है। यदि ग्राहक को पहुंचाने से पहले विद्युत समूह के नियंत्रण में आ जाती है तो वह उसका मालिक या प्रमुख भागीदार बन जायेगा। नियंत्रण हो जाने का संकेत इस बात से मिलता है कि विद्युत उपलब्ध कराने का जिम्मा मुख्य रूप से समूह का हो जायेगा और ऐसे में विद्युत की कीमत तय करने का अधिकार भी उसे ही मिल जायेगा और इस प्रक्रिया से जुड़े जोखिम भी समूह ही झेलेगा। लेकिन, यदि विद्युत ग्राहक तक पहुंचने से पहले उसका नियंत्रण समूह के हाथ में नहीं आ पाता तो वह एजेंट की भूमिका में आ जायेगा। उस हालत में सप्लायर से विद्युत लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने का दायित्व समूह का रहेगा।
- ii) समूह के प्रमुख भागीदार (मालिक) होने की स्थिति में सही प्रकार दायित्व पूरा करने पर आबंटित कीमत को राजस्व या आय माना जायेगा।
- iii) जहां समूह विद्युत पहुंचाने के अनुबंध में एजेंट की भूमिका निभाता है वहां सप्लायर को विद्युत की लागत का भुगतान करने के बाद बचने वाली राशि ही उसकी आय मानी जाएगी। इस तरह के लेनदेन से बचने वाली परिसंपत्तियां या देयताएं शामिल नहीं की जातीं।

घ) अन्य आय

- i) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- ii) सभी ऋण लेखों के लिए या तो परिशोधन लागत पर या फिर आय के अन्य व्यापक माध्यम से उचित मूल्य पर इसे मापा जाता है, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित जीवनकाल में भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि से उपयुक्त छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, समूह वित्तीय साधन की सभी अनुबंध शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानियों को हिसाब में नहीं जोड़ता है।

- iii) विद्युत कारोबार के अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले ब्याज/अधिभार सहित ग्राहकों से वसूली योग्य ब्याज/अधिभार और ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों पर क्षतिपूर्ति/ब्याज को मान्यता दी जाती है और यह तब माना जाता है जब इसकी अत्यधिक संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन भविष्य में नहीं होगा।

16. कर्मचारी लाभ

i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है और उन्हें प्रदान की गई सेवा से संबंधित किसी परिसंपत्ति की परिशोधित राशि में खर्च या शामिल किया जाता है, बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता हो।

अल्पावधि प्रदर्शन से संबंधित नकद बोनस के तहत भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि के लिए किसी दायित्व को मान्यता दी जाती है यदि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए समूह का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का विश्वसनीय तरीके से आकलन किया जा सकता है।

ii) निर्धारित अंशदान योजनाएं

निर्धारित अंशदान योजना सेवानिवृत्ति-परवर्ती लाभ योजना है जिसके तहत कोई संस्था अलग-अलग न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने का उसका कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। निर्धारित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है या किसी परिसंपत्ति की परिशोधित राशि में शामिल किया जाता है बशर्ते कोई अन्य मानक उस अवधि में ऐसे समावेशन की अनुमति देता है जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पूर्व अंशदान को उस सीमा तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जहां तक कि नकद वापसी या भविष्य के भुगतानों में कमी की सुविधा उपलब्ध हो। निर्धारित अंशदान योजना में योगदान, जो उस अवधि के अंत के बाद 12 महीने से अधिक समय तक देय है जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं, के संदर्भ में उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना (ईडीसीएसएस) और अलग-अलग ट्रस्टों के माध्यम से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में माना जाता है।

iii) निर्धारित लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजना निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त एक रोजगार-परवर्ती लाभ योजना है। समूह की ग्रेच्युटी योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर स्मृति चिन्ह प्रदान करना, कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना आदि परिभाषित लाभ योजनाओं में शामिल हैं। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/मृत्यु भत्ता और सेवानिवृत्ति पर स्मृति चिन्ह के अलावा इन सभी योजनाओं को अलग-अलग ट्रस्टों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में कमी करता है।

भविष्य निधि योजना के संबंध में, तुलन पत्र में किसी देयता को उस समय मान्यता दी जाती है जब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से अधिक हो। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य से अधिक योजनागत संपत्ति के उचित मूल्य के किसी भी अधिशेष को किसी परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि कंपनी को योजना से रिफंड के रूप में या योजना के अंशदान में कमी के रूप में कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। निर्धारित लाभ दायित्व की वार्षिक गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर

छूट दर को लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की परिशोधित राशि में शामिल की जाती है बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता हो।

पुनर्मापन लाभ (भविष्य निधि योजना के मामले को छोड़कर) और अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल होते हैं।

iv) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

समूह की अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ दीर्घावधि कर्मचारी लाभ कहलाते हैं। दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में समूह का निवल दायित्व भविष्य के लाभों की वह राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के बदले में अर्जित की है। लाभ का वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए उसमें छूट दी जाती है, और किसी भी संबंधित आस्ति का उचित मूल्य उसमें से कम कर दिया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथि समूह के दायित्वों की शर्तों के अनुसार होती है। इसकी गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल करते हुए की जाती है। योजना में अंशदान और बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है या किसी परिसंपत्ति की परिशोधित राशि में शामिल किया जाता है बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन को उस अवधि में शामिल करने की अनुमति देता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

v) सेवा समापन लाभ

अनुग्रह राशि के भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं पर नोटिस वेतन के रूप में सेवा समापन लाभों पर किए गए व्यय उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्शाए जाते हैं, जिस वर्ष में उन्हें अंजाम दिया गया हो।

17.0 उधारी लागत

उधारी लागत में निम्नांकित शामिल हैं (क) इंड एस 109 – “वित्तीय लिखत” में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का इस्तेमाल करते हुए आकलित ब्याज व्यय (ख) वित्तीय लीजों को इंड एस 116– ‘लीज’ के अनुसार वित्तीय प्रभावी के रूप में मान्यता दी जाती है और ग) विदेशी मुद्रा उधारी से उत्पन्न विनिमय अंतरों को ब्याज लागत के समायोजन की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

क्वालिफाइंग परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधारी लागत को तब तक ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियां अपने वांछित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती हैं। क्वालिफाइंग परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो अपने वांछित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। अन्य सभी उधार लागतें उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे होती हैं।

जब कंपनी विशेष रूप से किसी क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से धन उधार लेती है, तो उधार लेने की लागत पूंजीकृत होती है। जब कंपनी आमतौर पर धन उधार लेती है और कोई क्वालिफाइंग संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, तो उधार लेने की लागत के पूंजीकरण की गणना उन सभी ऋणों की भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है जो वर्ष के दौरान बकाया हैं और क्वालिफाइंग परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण या स्थापना के लिए उपयोग किए जाते हैं। परंतु, किसी क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष रूप से की गई उधार लागत को तब तक इस गणना से बाहर रखा जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने संबंधी सभी आवश्यक गतिविधियां पूरी नहीं हो जाती हैं।

क्वालिफाइंग आस्तियों पर उनके व्यय की लंबित उधारी के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय को पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों में से घटा दिया जाता है।

उधार लेने की लागत का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब क्वालिफाइंग परिसंपत्ति को उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं।

अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

18.0 मूल्यहास और परिशोधन

क) वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) में संवर्धन/कमी के कारण हुए मूल्यहास की गणना उस

तारीख से/उस तारीख तक यथानुपात आधार पर की जाती है जब तक संपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध होती है।

- ख) (i) समूह की परिचालन इकाइयों की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास की गणना पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंत से पांच साल पहले तक पूंजीकृत की जाती है और उसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। इसका आकलन, नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति का इस्तेमाल करते हुए प्रत्यक्ष संरेखित विधि से किया जाता है।
- (ii) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंतिम पांच वर्षों के दौरान पूंजीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास सीईआरसी टैरिफ विनियमों/आदेशों के अनुसार जीवन विस्तार की अवधि के लिए, सम्पत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाने की तारीख से, प्रत्यक्ष संरेखित विधि से प्रभारित किया जाता है।
- (iii) जहां नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण किसी पावर स्टेशन के जीवन और/या दक्षता में वृद्धि होती है, उस पर व्यय के साथ-साथ इसकी असंशोधित मूल्यहास राशि को संशोधित/शेष उपयोगी जीवन पर प्रत्यक्ष संरेखित विधि से प्रभारित किया जाता है।
- ग) (i) समूह की परिचालन इकाइयों के अलावा अन्य की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पुरानी और प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यहास, नीति संख्या 18.0(घ) में निर्दिष्ट संपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रभारित किया जाता है।
- (ii) परिचालन इकाइयों के अलावा अन्य पीपीई की पुरानी और प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यहास तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक संपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष संरेखित पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जाता है।
- घ) (i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में दिए गए उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है :
- निर्माण संयंत्र और मशीनरी
 - कंप्यूटर और सहायक उपकरण
- (ii) प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यहास तीन साल की अवधि में 1 रुपए के अवशिष्ट मूल्य के आधार पर प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।
- (iii) प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम/उपकरण पर मूल्यहास पच्चीस वर्षों की अवधि में 10 प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य के साथ प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है।
- ङ) अस्थायी निर्माण पर मूल्यहास अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में रुपए 1/— डब्ल्यूडीवी मान कर, पूर्ण रूप से (शत प्रतिशत) मूल्यहास किया जाता है।
- च) रुपए 5000/— या उससे कम लेकिन रुपए 750/— से अधिक मूल्य की संपत्ति का मूल्यहास, रुपए 1/— डब्ल्यूडीवी मान कर, उस वर्ष के दौरान, पूर्ण रूप से किया जाता है जिसमें संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।
- छ) कम मूल्य की वस्तुएं, जो संपत्ति (अचल संपत्ति को छोड़कर) की प्रकृति की हैं और जिनका मूल्य रुपए 750/— तक है, पूंजीकृत नहीं की जाती हैं और उन्हें उपयोग के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।
- ज) सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली का पालन करते हुए, परिचालन इकाइयों की लीजहोल्ड भूमि, लीज की अवधि या 40 वर्ष जो भी कम हो, में परिशोधित की जाती है।
- झ) लीजहोल्ड भूमि और इकाइयों के भवनों के संचालन इकाइयों के अलावा, पट्टे की अवधि या 40 वर्ष जो भी कम हो, पर परिशोधन किया जाता है।
- ञ) लीजहोल्ड भूमि पर बनाए गए पीपीई के लिए मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक, संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध लीज अवधि के अनुसार उस तारीख से मूल्यहास प्रदान किया जाता है, जिससे ऐसी संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है अथवा ऐसी सम्पत्ति के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार मूल्य हास प्रदान किया जाता है।
- ट) उपयोग के अधिकार वाली भूमि का परिशोधन टैरिफ निर्धारण के लिए अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 30 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

- ठ) 'अमूर्त संपत्ति' के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन, उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन वित्तीय वर्षों, इनमें जो भी पहले हो, के लिए प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के अनुसार किया जाता है, जो इसे प्राप्त करने के वर्ष से प्रारंभ होता है।
- ड) जहां वर्ष के दौरान विनिमय उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, मध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटारे, दायित्वों में परिवर्तन या इसी तरह के घटकों के कारण दीर्घकालिक देनदारियों में वृद्धि/कमी की वजह से मूल्यह्रास योग्य संपत्ति की लागत में बदलाव आया है, वहां ऐसी परिसम्पत्तियों के बकाया असंशोधित हिस्से का मूल्यह्रास सीईआरसी शुल्क विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दर और पद्धति से किया जाता है।
- ढ) संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए हिस्से-पुर्जे, जिन्हें पूंजीकृत किया गया हो और ऐसी वस्तुओं की वहन राशि में जोड़ा गया हो, का मूल्यह्रास उनके शेष उपयोगी जीवन के लिए, सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति के अनुसार किया जाता है।
- ण) प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार मूल्यह्रास किए जाने की स्थिति में, उपयोगी जीवन, मूल्यह्रास की विधि और परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से समायोजित की जाती है।

19.0 वस्तु सूची को छोड़ कर गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

- क) समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर, मूल्यांकन करता है कि क्या किसी परिसम्पत्ति की हानि होने की आशंका है। ऐसा कोई संकेत विद्यमान होने, अथवा किसी परिसंपत्ति की वार्षिक हानि के परीक्षण की आवश्यकता पड़ने पर, समूह परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसम्पत्ति अथवा उसकी नकदी सृजित करने वाली यूनिट—(सीजीयू) के उच्चतर मूल्य में से निपटान मूल्य और उपयोग मूल्य घटा कर तय की जाती है। किसी पृथक परिसम्पत्ति का वसूली योग्य मूल्य तब तक निर्धारित नहीं किया जाता, जब तक कि वह समूह की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप में स्वतंत्र रूप से नकदी प्रवाह सृजित न करती हो। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को क्षतिग्रस्त समझा जाता है और उसे वसूली योग्य राशि के समान मान कर बड़े खाते में डाल दिया जाता है। परिणामी हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।
- ख) उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, परिसम्पत्ति से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उसके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जिससे परिसम्पत्ति के सामयिक मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और विशिष्ट जोखिम का पता चलता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर की कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।
- ग) परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच पर व्यय के मामले में, यदि ऐसी परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया जाता है, तो उस पर किए गए व्यय को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें तत्संबंधी निर्णय लिया गया हो।
- घ) यदि सर्वेक्षण और जांच के तहत कोई परियोजना उपयुक्त प्राधिकारी के आदेश/न्यायालय के निर्णय से स्थगित रहती है, तो ऐसी परियोजनाओं पर किए गए किसी भी खर्च के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया जाता है। यह प्रावधान अदालत के आदेश/निषेध की तारीख से परियोजनाओं को स्थगित रखने की अवधि तक किया जाता है, परंतु, इस प्रकार किया गया प्रावधान पूर्वोक्त आदेश/निषेध के निरसन पर उलट दिया जाता है।
- ड) पूर्व अवधियों में मान्य हानि का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके, कि उसके नुकसान में कोई कमी हुई अथवा, उसकी पूरी तरह भरपाई हो गई। यदि वसूली योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए किए गए आकलन से किसी परिवर्तन का पता चलता है, तो हानि की स्थिति पलट दी जाती है। हानि की स्थिति को उसी सीमा तक पलटा जाता है, जो कोई हानि न होने की स्थिति में किसी परिसम्पत्ति के लिए वहन मूल्य के समान, मूल्यह्रास या परिशोधन के निवल के रूप में निर्धारित की गई हो।

20.0 आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, इस मामले में कर को सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में भी मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि पर लागू कर कानूनों और पिछले वर्षों में देय कर के किसी भी समायोजन के आधार पर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अनुमानित कर है। कर योग्य लाभ, लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए लाभ से भिन्न होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो अन्य वर्षों (अस्थायी अंतर) में कर योग्य या कटौती योग्य होते हैं और इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य (स्थायी अंतर) नहीं होते हैं।

ख) आस्थगित कर

- i) आस्थगित कर को समूह के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिशोधित राशियों और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है और तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करने के लिए इसे हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, और आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए मान्यता दी जाती है, जहां तक कि यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानि और अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। यदि अस्थायी अंतर किसी परिसंपत्ति या लेन-देन में देयता की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है, तो ऐसी संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है जो लेनदेन के समय न तो कर योग्य लाभ या हानि और न ही लेखांकन लाभ या नुकसान को प्रभावित करता है।
- ii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की परिशोधित राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक कम कर दिया जाता है, जहां तक यह संभावना रहती है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होने से यह अस्थायी अंतर का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की संभावना है जिसमें देयता का निपटारा किया गया हो, या संपत्ति हासिल की गई हो। यह निपटारा उन कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है जो तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित हों या स्थायी रूप से अधिनियमित हों। आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से प्रवाहित होंगे जिस तरह से समूह अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिशोधित राशि की वसूली या निपटान के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर अपेक्षा करता है।
- iv) आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता दी जाती है।
- v) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर देनदारियों के प्रति वर्तमान कर परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो कर योग्य आय पर लगाए गए करों से संबंधित होती हैं इकाई या विभिन्न कर योग्य संस्थाएं जहां शुद्ध आधार पर शेष राशि का निपटान करने का इरादा है।
- vi) आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते को वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर की सीमा तक क्रेडिट / डेबिट किया जाता है जो बाद की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा बनता है और टैरिफ के एक घटक इक्विटी (आरओई) पर रिटर्न की गणना को प्रभावित करता है।
- vii) आस्थगित कर देनदारियों को सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की परिशोधित राशि और कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर के लिए मान्यता नहीं दी जाती है, जहां समूह अस्थायी मतभेदों के उत्क्रमण के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभावना है कि निकट भविष्य में अंतर में उलट नहीं होगा।

- viii) जब आयकर व्यवहार के संबंध में अनिश्चितता होती है, तो कंपनी यह आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकरण अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार कर सकता है। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है, तो कर योग्य आय, कर आधार और अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट पर अनिश्चितता के प्रभाव का हिसाब लगाया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को ऐसी पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है, जो प्रत्येक मामले में, अनिश्चितता के परिणाम को सर्वोत्तम रूप से अर्थात् सर्वाधिक संभावित परिणाम या अनुमानित मूल्य के रूप में दर्शाती है। प्रत्येक मामले के लिए, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए, या किसी अन्य या कई अन्य अनिश्चित कर व्यवहारों के साथ संयोजन के रूप में, उस दृष्टिकोण के आधार पर जो अनिश्चितता के समाधान का सबसे अच्छा समाधान करता है।

21.0 तृतीय पक्ष से क्षतिपूर्ति

वस्तुओं की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तीसरे पक्ष से मुआवजे के भुगतान के लिए संबंधित दावे और बाद में संपत्ति/सूची की कोई भी खरीद या निर्माण अलग-अलग आर्थिक घटनाएं हैं और इनका अलग से हिसाब लगाया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं के लिए बीमा कंपनियों सहित तीसरे पक्ष से मुआवजा या अन्य मदों के लिए जो क्षतिग्रस्त, लापता या छूट गए थे, मुआवजे के प्राप्य होने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया गया है। लाभ की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा दावों का हिसाब वसूली की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

22.0 खंड रिपोर्टिंग

- क) इंड एस 108 – प्रचालन सेगमेंट के अनुसार, सेगमेंट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रचालन सेगमेंट की पहचान समूह के प्रबंधन द्वारा सेगमेंट को संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। 108 के अर्थ में निदेशक मंडल सामूहिक रूप से समूह का “मुख्य संचालन निर्णय निर्माता” या “सीओडीएम” है।
- ख) विद्युत उत्पादन समूह की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि है। अन्य संचालन जैसे, अनुबंध, परियोजना प्रबंधन, परामर्श कार्य और बिजली का व्यापार इंड एस-108 के अनुसार कोई रिपोर्ट योग्य खंड नहीं बनाते हैं।
- ग) समूह का एकल भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

23.0 पट्टे

किसी अनुबंध के शुरु में समूह यह आकलन करता है कि कोई अनुबंध स्वयं एक लीज है या उसमें कोई लीज निहित है। यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो वह स्वयं लीज होता है, अथवा उसमें कोई लीज निहित होता है। क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, यह जानने के लिए समूह निम्नांकित आकलन करता है कि :

- अनुबंध में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है – यह स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है और उसे भौतिक रूप से अलग होना चाहिए या भौतिक रूप से अलग संपत्ति की पूरी क्षमता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि आपूर्तिकर्ता के पास वास्तविक प्रतिस्थापन अधिकार है, तो परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती है।
 - समूह को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभों को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने का अधिकार है; तथा
 - समूह को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है। समूह के पास यह अधिकार तब होता है जब उसके पास निर्णय लेने के ऐसे अधिकार होते हैं जो यह बदलने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक होते हैं कि संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। दुर्लभ मामलों में जहां संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसके बारे में निर्णय पूर्व निर्धारित है, तो समूह को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने के निम्नांकित अधिकार होते हैं :
- समूह को संपत्ति के संचालन का अधिकार है; या
 - समूह ने परिसंपत्ति को इस तरह से डिजाइन किया है जो पूर्व निर्धारित करता है कि इसका उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

स्थापना के समय या किसी अनुबंध के पुनर्मूल्यांकन पर जिसमें एक लीज घटक होता है, समूह अनुबंध में प्रत्येक लीज घटक को उनके सापेक्ष एकल कीमतों के आधार पर प्रतिफल आवंटित करता है। हालांकि, भूमि और इमारतों के लीज के लिए, जिसमें यह एक पट्टेदार है, समूह ने गैर-लीज घटकों को अलग नहीं करने और लीज और गैर-लीज घटकों के लिए एक एकल लीज घटक के रूप में खाते का चुनाव किया है।

i) समूह एक पट्टेदार के रूप में :

समूह लीज प्रारंभ तिथि पर सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार और लीज देयता को पहचानता है। सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन शुरू में लागत पर किया जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी लीज भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष व्यय और किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति को तोड़ने या हटाने अथवा किसी अंतर्निहित परिसम्पत्ति या स्थल, जिस पर वह स्थित है, को पुनर्स्थापित करने की लागत शामिल है। इसमें से प्राप्त किए गए किसी प्रोत्साहन की राशि को घटाया जाता है।

राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत और पुनर्वास पर किए गए व्यय और साथ ही भू-विस्थापितों के लिए वैकल्पिक सुविधाओं के निर्माण अथवा डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मौजूदा सुविधाओं के बदले नई सुविधाओं का निर्माण, विशेष रूप से जहां परियोजना के प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण में ऐसी सुविधाओं का निर्माण पूर्व शर्त रही हो, पर किए जाने वाले व्यय परिसम्पत्ति के इस्तेमाल के अधिकार के अंतर्गत हिसाब में लिए जाएंगे।

इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसम्पत्ति का बाद में प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति से मूल्य ह्रास किया जाता है। यह मूल्यह्रास इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि का उपयोग प्रारंभ किए जाने की तारीख से उसके उपयोगी जीवन के अंत तक या लीज अवधि के अंत तक किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जैसे संपत्ति और उपकरणों के मामले में किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को समय पर क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, से कम किया जाता है, और पट्टा देयता के कुछ पुनर्मापों के लिए समायोजित किया जाता है। हानि का आकलन इंड-एएस 36— संपत्ति की हानि के सिद्धांतों का उपयोग करके किया जाता है जैसा कि ऊपर महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 19.0 में दिया गया है।

लीज देयता को प्रारंभ में लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या, यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो समूह की वृद्धिशील उधार दर पर आकलन किया जाता है। आम तौर पर, समूह अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग डिस्काउंट दर के रूप में करता है।

लीज देयता के मापन में शामिल लीज भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं :

- मूलतः नियत भुगतानों सहित नियत भुगतान।
- परिवर्तनीय लीज भुगतान जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करता है, का मापन शुरू होने की तारीख के अनुसार सूचकांक या दर का उपयोग करके किया जाता है।
- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली संभावित राशि; तथा
- खरीद विकल्प के तहत अधिकार मूल्य, जिसका इस्तेमाल समूह द्वारा किए जाने की युक्तिसंगत संभावना हो, वैकल्पिक नवीनीकरण अवधि में लीज भुगतान, यदि समूह द्वारा विस्तार विकल्प का प्रयोग निश्चित तौर पर किया जाना हो, और लीज की जल्दी समाप्ति के लिए दंड, यदि समूह का लीज को बीच में ही पहले समाप्त नहीं करने के बारे में युक्तिसंगत संभावना हो।

लीज की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्माप तब किया जाता है जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के लीज के भुगतान में कोई परिवर्तन होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि के समूह के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है, या यदि समूह खरीद, विस्तार या समाप्ति के विकल्प के प्रयोग के अपने आकलन में परिवर्तन करता है, या जब लीज अनुबंध संशोधित किया जाता है, और लीज संशोधन को एक अलग पट्टे के रूप में नहीं माना जाता है, तो ऐसी स्थितियों में लीज की देयता को संशोधित लीज शर्तों के आधार पर पुनर्मूल्यांकित की जाती है और इसमें संशोधन की प्रभावी तारीख से संशोधित डिस्काउंट दर पर संशोधित लीज भुगतान में डिस्काउंट दिया जाता है।

जब लीज की देयता को इस तरह पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, तो इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसम्पत्ति के वहन मूल्य

में समनुरूप समायोजन किया जाता है अथवा ऐसी परिसम्पत्ति का वहन मूल्य शून्य हो जाने पर उसे लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

समूह अधिकार के उपयोग वाली ऐसी परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करता है जो तुलनपत्र में पृथक समान मद की परिभाषा के दायरे में निवेश संपत्ति की परिभाषा में नहीं आते हैं।

समूह ने 12 महीने या उससे कम की अल्पावधि लीजों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों की लीजों को उपयोग के अधिकार की संपत्ति के रूप में मान्यता न देने का विकल्प अपनाया है। समूह इन लीजों से सम्बद्ध लीज भुगतानों को लीज अवधि के लिए प्रत्यक्ष संरेखन आधार पर एक व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii) समूह एक पट्टादाता के रूप में :

समूह जब पट्टादाता के रूप में कार्य करता है, तो वह पट्टे के शुरु में निर्धारित करता है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा। किसी पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में उस समय वर्गीकृत किया जाता है जब वह किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। किसी पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जबकि वह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

वित्तीय पट्टे के रूप में एम्बेडेड पट्टों के लिए, पावर स्टेशन में निवेश को लीज प्राप्य के रूप में मान्यता दी गई है। न्यूनतम पट्टा प्राप्तियों की पहचान अनुबंध राशियों से एम्बेडेड पट्टा राशियों को अलग करके की जाती है (सीईआरसी टैरिफ विनियम 2004-09 के अनुसार 31 मार्च 2009 तक मूल्यहास के प्रति अग्रिम (एएडी) सहित और आस्थगित आय के रूप में मान्य)। प्रत्येक लीज से प्राप्ति को प्राप्य और वित्तीय लीज आय के बीच आवंटित किया जाता है जो प्रचालन से राजस्व का हिस्सा बनती है ताकि लीज प्राप्य बकाया पर लाभ की सतत दर प्राप्त हो सके।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी नियमित रूप से अनुमानित गैर-गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा करती है और पट्टा प्राप्तियों पर आशंकित क्रेडिट हानियों के लिए भत्ते को मान्यता देते हुए इंड-एएस 109- वित्तीय साधनों की हानि की अपेक्षाओं को लागू करती है।

क्रेडिट-हानि वित्तीय परिसंपत्तियों, जिसके लिए ब्याज आय की गणना उनकी परिशोधन लागत (यानी हानि भत्ते की कटौती के बाद) के संदर्भ में की जाती है, को छोड़ कर, वित्त पट्टा आय की गणना लीज प्राप्तियों की सकल वहन राशि के संदर्भ में की जाती है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर-पट्टा घटक शामिल हैं, तो समूह अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करने के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंधों से इंड-एएस 115- राजस्व लागू करता है।

ऑपरेटिंग लीज या एम्बेडेड ऑपरेटिंग लीज के मामले में, ऑपरेटिंग लीज से लीज आय को लीज अवधि में राजस्व में मान्यता दी जाती है ताकि लीज की गई संपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाया जा सके। संबंधित पट्टे पर दी गई संपत्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में शामिल किया जाता है और इसके आर्थिक जीवन पर मूल्यहास किया जाता है।

24.0 व्यापार संयोजन

सहायक कंपनियों और व्यवसायों के अधिग्रहण को अधिग्रहण की तारीख के अनुसार अधिग्रहण लेखांकन पद्धति का उपयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है। अधिग्रहण की तारीख समूह को नियंत्रण स्थानांतरित करने की तारीख है। प्रत्येक व्यावसायिक संयोजन में हस्तांतरित प्रतिफल का मापन अधिग्रहण की तारीख को निर्दिष्ट परिसंपत्ति के समग्र उचित मूल्य, समूह द्वारा पूर्ववर्ती मालिकों पर किया गया व्यय और नियंत्रण हासिल करने के दौरान अदा किया गया इक्विटी ब्याज, यदि कोई हो, को ध्यान में रख कर किया जाता है। अधिगृहीत पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को उनके अधिग्रहण की तारीख पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है (कुछ परिसंपत्तियों और देनदारियों को छोड़कर जिन्हें लागू मानक के अनुसार मापा जाना आवश्यक है) और गैर-नियंत्रित ब्याज को शुरु में अधिग्रहणकर्ता की निवल पहचान योग्य संपत्तियों की हिस्सेदारी के अनुपात में गैर-नियंत्रित ब्याज के रूप में मान्यता दी जाती है। अधिग्रहण संबंधी लागत को समेकित लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

गुडविल को शुरु में लागत पर मापा जाता है, जो अर्जित की गई पहचान योग्य परिसंपत्तियों, ग्रहण की गई देनदारियों और मान्यता प्राप्त आकस्मिक देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य में समूह के हित में हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक राशि है।

जहां अधिगृहीत पहचान योग्य आस्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों का उचित मूल्य हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक है, शुद्ध संपत्ति और आकस्मिक देनदारियों के उचित मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन के बाद, अतिरिक्त को समेकन पर पूंजी आरक्षित

के रूप में मान्यता दी जाती है।

सामान्य नियंत्रण वाली संस्थाओं में हितों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक संयोजनों को ब्याज पद्धति के पूलिंग का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हस्तांतरित किसी भी प्रतिफल और अधिग्रहीत इकाई की परिसंपत्तियों और देनदारियों के कुल ऐतिहासिक वहन मूल्यों के बीच के अंतर को शेयरधारक की इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

यदि व्यापार संयोजन चरणों में प्राप्त किया जाता है, तो अधिग्रहण की तारीख में अधिग्रहण में पहले से धारित इक्विटी ब्याज के मूल्य को अधिग्रहण की तारीख में उचित मूल्य पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इस तरह के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि या ओसीआई के विवरण में उपयुक्त रूप में मान्यता दी जाती है।

25.0 पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियाँ

पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व की उस अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को तब तक पुनर्कथित किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, उस स्थिति में, नई लेखा नीति को संभावित रूप से लागू करने के लिए तुलनात्मक जानकारी को शीघ्रतम व्यावहारिक तारीख से समायोजित किया जाता है।

26.0 प्रति शेयर आय

- क) वित्तीय वर्ष के दौरान समूह के इक्विटी शेयरधारकों को हुए शुद्ध लाभ या हानि को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना की जाती है।
- ख) प्रति इक्विटी शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना समूह के इक्विटी शेयरधारकों को हुए निवल लाभ या हानि को प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन व्युत्पत्ति के लिए माने गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों, की भारित संख्या भी, जो सभी डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के बाद जारी किए जा सकते हैं, से विभाजित करके की जाती है।
- ग) प्रति इक्विटी शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय को नियामक आस्थगन लेखा शेष में संचलन को छोड़ कर अर्जित राशियों का उपयोग करते हुए भी प्रस्तुत किया जाता है।

27.0 नकदी प्रवाह विवरण

क) नकद और नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समतुल्य के अंतर्गत हस्त गत नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ कॉल पर रखी गई जमा राशि, अन्य अल्पकालिक जमा, तीन महीने या उससे कम मूल परिपक्वता अवधि वाले अत्यधिक तरल निवेश, जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। परन्तु, तुलन पत्र प्रस्तुत करने के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट वर्तमान देनदारियों के तहत "उधारी" के भीतर दिखाए जाते हैं।

- ख) नकदी प्रवाह विवरण, इंड एस 7-‘नकदी प्रवाह विवरण’, में निर्धारित परोक्ष विधि के अनुसार, तैयार किया जाता है।

28.0 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

समूह, वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करता है।

- क) निम्नांकित स्थिति में कोई परिसंपत्ति वर्तमान समझी जाती है :

- जिसके सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की संभावना हो
- मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन के लिए धारित
- जिसके रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की संभावना हो, या
- नकदी या नकदी समतुल्य, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमित्त किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख) निम्नांकित स्थिति में कोई देयता वर्तमान समझी जाती है :

- जिसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटान किए जाने की संभावना है।
- वह मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन से धारित किया गया हो।
- वह रिपोर्टिंग अवधि के 12 महीने के अंदर निपटान किया जाना हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता का निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

29.0 विविध

क) समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण मद को वित्तीय विवरण में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। अलग प्रकार या प्रकृति की मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है, बशर्ते वे महत्वहीन न हों।

ख) पारगमन में माल संबंधी देयताओं/निष्पादित परंतु प्रमाणित न किए गए पूंजी कार्यों के लिए, समूह द्वारा निरीक्षण और मंजूरी के लंबित रहते, कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(IV) हालिया लेखांकन घोषणाएं : जारी परन्तु अभी तक प्रवृत्त नहीं हुए मानक

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 23 मार्च, 2022 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 अधिसूचित किए हैं, जो कुछ भारतीय लेखा मानकों में संशोधन करते हैं और 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हैं। प्रमुख संशोधनों का सारांश और समूह पर इसके प्रभाव नीचे दिए गए हैं :

(i) इंड एस 16 – आशयित उपयोग से पूर्व आगम

संशोधन लाभ और हानि के विवरण में परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता को पहचानने वाली इकाई को प्रतिबंधित करता है। इसके स्थान पर, इसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष उत्तरदायी लागत से घटाया जाएगा।

समूह को ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि संशोधन का वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

(ii) इंड एस 37 – दुर्भर संविदा – संविदा पूर्ति की लागत

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि संविदा को “पूरा करने की लागत” में “वह लागत जो सीधे संविदा से संबंधित है” शामिल है। वह लागत जो सीधे संविदा से संबंधित है, संविदा को पूरा करने की वृद्धिशील लागत (उदाहरण: प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री) और अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे संविदा को पूरा करने, दोनों ही से संबंधित है।

यह संशोधन अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण की प्रकृति में है और समूह को ऐसी आशा नहीं है कि वित्तीय विवरणों में संशोधन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

(iii) इंड एस 37 – व्यवसाय संयोजन

संशोधन में कहा गया है कि अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के भाग के रूप में मान्यता हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचानयोग्य परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों को भारतीय लेखा मानकों (अवधारणात्मक ढांचे) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी अवधारणात्मक ढांचे में प्रदान की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। इसलिए, अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के भाग के रूप में उन लागतों को मान्यता प्रदान नहीं करता है। इसके स्थान पर, अधिग्रहणकर्ता अन्य भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार अपने संयोजन के बाद के वित्तीय विवरणों में उन लागतों को मान्यता देता है।

इन संशोधनों का समूह के वित्तीय विवरणों पर कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं है।

(iv) इंड एस 109 – इंड एस (2021) में वार्षिक सुधार

संशोधन स्पष्ट करता है कि किसी इकाई में कौन-सी फीस शामिल है, जब यह आकलन करने के लिए कि क्या वित्तीय दायित्व को अमान्य करना है या नहीं, इंड एस 109 के “दस प्रतिशत” परीक्षण पर लागू होती है।

समूह को ऐसी आशा नहीं है कि संशोधन का वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल खंड			मूल्यहास			निवल खंड	
	01 अप्रैल 2021 को	वर्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2022 को	वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
भूमि – फ्रीहोल्ड (देखें टिप्पणी 2.1.1 और 2.1.2)	414.01	737.41	0.05	(0.26)	1,151.11	-	-	414.01
सड़के तथा पुल	309.41	4.00	1.15	(1.47)	310.79	11.66	87.48	233.17
भवन	2,255.73	23.53	0.10	(8.71)	2,270.45	77.81	562.88	1,770.63
रेलवे साइडिंग	13.06	-	-	-	13.06	-	13.06	-
जलीय कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुगंग)	16,003.01	83.87	2.55	(37.63)	16,046.70	657.19	5,545.25	11,115.60
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	7,819.45	158.45	13.24	10.70	7,975.36	338.07	2,707.95	5,466.38
संयंत्र और मशीनरी – सबस्टेशन	54.17	1.78	0.31	0.31	55.95	2.39	17.88	38.86
संयंत्र और मशीनरी – ट्रांसमिशन लाइनें	70.99	0.84	0.08	(0.03)	71.72	2.99	28.30	45.64
संयंत्र और मशीनरी – अन्य	39.28	0.79	0.24	(0.03)	39.80	2.11	15.74	25.52
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	52.38	1.52	0.51	-	53.39	3.34	29.42	26.18
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेंज	59.06	3.94	-	(0.17)	62.83	2.50	15.07	46.49
विद्युत संस्थापनाएं	17.20	3.39	0.06	-	20.53	0.88	3.15	14.89
वाहन	23.40	4.22	0.51	-	27.11	9.39	10.51	14.01
विमान/नौकाएं	1.93	0.05	0.01	-	1.97	0.14	0.72	1.35
फर्नीचर एवं फिक्सचर	37.98	2.21	0.34	-	39.85	2.12	15.43	24.51
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	50.36	7.88	1.59	0.12	56.77	6.39	39.74	16.00
संचार उपकरण	13.24	0.82	0.53	-	13.53	0.61	4.59	9.03
कार्यालय उपकरण	117.43	10.26	3.29	-	124.40	7.10	47.07	75.96
कुल	27,352.09	1,044.96	24.56	(37.17)	28,335.32	1,116.59	9,144.24	19,338.23
गत वर्ष	28,940.11	259.30	52.32	(1,795.00)	27,352.09	1,227.36	8,013.86	21,635.76

टिप्पणी :-

2.1.1 कंपनी के नाम पर धारित न होने वाली अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख के संबंध में प्रकटीकरण इस टिप्पणी के अनुबंध-। के रूप में संलग्न है।

2.1.2 फ्री होल्ड भूमि में 8 हेक्टेयर भूमि (पिछले वर्ष 8 हेक्टेयर) जिसका उपयोग लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)- (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा 100 रुपए प्रतिवर्ष के किराये पर किया जा रहा है, जिसके लिये एनएचपीसी लिमिटेड और एलडीएचसीएल के बीच लीज समझौता किया गया है।

2.1.3 सेवा-II, किशनगंगा, चमेरा-III, तीस्ता लो डैम-III, उड़ी-II, और तीस्ता लो डैम-4 पावर स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) के लंबित अनुमोदन को देखते हुए इन पावर स्टेशनों पर हुए पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण पर विचार किया गया है।

2.1.4 बैंक उधारियों के लिये सुरक्षा के रूप में बैंको के पास बंधक/रेहन रखे गयी गैर चालू परिसंपत्तियों की जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी संख्या 34 (11) देखें।

2.1.5 परिसंपत्तियों की क्षति से संबंधित जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(19) देखें।

2.1.6 परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक में समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर निम्नवत हैं :

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपये में)	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपये में)
सड़के तथा पुल	(1.22)	(1.03)
भवन	(8.63)	(7.29)
जलीय कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	(38.73)	(32.73)
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	(10.07)	(8.52)
संयंत्र और मशीनरी – सबस्टेशन	(0.08)	(0.07)
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेज	(0.04)	(0.04)
कुल	(58.77)	(49.68)

2.1.7 पूर्ववर्ती जीएपी के तहत संचित द्वासा और परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक के अनुसार परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटीकरण इस टिप्पणी के अनुबंध-2 के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

टिप्पणी संख्या 2.3 का अनुबंध-1 :- 31 मार्च, 2022 को कंपनी के नाम पर धारित न होने वाली अचल संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व विलेख

तुलन-पत्र में संगत लाइन मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपए में)	निम्नलिखित के नाम पर धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का संबंधी या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि/वर्ष से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने के कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण – फ्रीहोल्ड भूमि	भूमि (1458.45 हैक्टेयर)	6.51	हिंद सरकार (भारत सरकार)	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन के संबंध में भूमि के दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है।
	भूमि (7.0844 हैक्टेयर)	36.07	विभिन्न पक्षकार	नहीं	27.09.2021	भूमि एनएचपीसी पार्वती-II के कब्जे में है। कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को निष्पादित किया जाना बाकी है।
	भूमि (4.69 हैक्टेयर)	6.33	विभिन्न पक्षकार	नहीं	10.04.2008	तीस्ता-V पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है।
	भूमि (0.09 हैक्टेयर)	0.01	प्रेम शेरिंग लेपचा	नहीं	31.03.2000	रंगित पावर स्टेशन के संबंध में, संपत्ति के वर्तमान स्वामी की मृत्यु हो गई है। स्वामित्व विलेख का निष्पादन लंबित है।
	भूमि (0.10 हैक्टेयर)	0.0004	विभिन्न पक्षकार	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन के संबंध में भूमि के दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है।
	भूमि (74.95 हैक्टेयर)	0.00	भारत सरकार – 74.08 हैक्टेयर और निजी भूमि – 0.87 हैक्टेयर	नहीं	जनवरी 1978 से	बैरास्थूल पावर स्टेशन के संबंध में भूमि के दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध – 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अतिरिक्त ब्योरा

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल खंड			मूल्यहास			निवल खंड		
	01 अप्रैल 2021 को	वर्धन	कटौती	समायोजन	31 मार्च 2022 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	414.01	737.41	0.05	(0.26)	1,151.11	-	-	1,151.11	414.01
सड़कें तथा पुल	402.74	4.00	1.91	(1.47)	403.36	169.57	11.66	180.05	233.17
भवन	2,969.86	23.53	0.43	(8.70)	2,984.26	1,199.23	77.81	1,276.69	1,770.63
रेलवे साइडिंग	31.98	-	-	-	31.98	31.98	-	31.98	-
जलीय कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	21,840.52	83.87	7.79	(38.73)	21,877.87	10,724.92	657.19	11,376.42	11,115.60
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	10,726.38	158.45	16.08	(10.90)	10,857.85	5,260.00	338.07	5,590.44	5,466.38
संयंत्र और मशीनरी– सबस्टेशन	105.41	1.78	0.37	(0.02)	106.80	66.55	2.39	68.73	38.86
संयंत्र और मशीनरी– ट्रांसमिशन लाइनें	97.97	0.84	0.10	(0.02)	98.69	52.32	2.99	55.27	45.65
संयंत्र और मशीनरी– अन्य	54.94	0.79	0.71	(0.04)	54.98	29.42	2.11	30.92	25.52
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	110.71	1.52	4.88	(0.01)	107.34	84.53	3.34	83.37	26.18
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेंज	68.80	3.94	0.01	(0.16)	72.57	22.31	2.50	24.81	46.49
विद्युत संस्थापनाएं	18.38	3.40	0.08	-	21.70	3.49	0.88	4.32	14.89
वाहन	33.39	4.22	1.67	-	35.94	19.38	1.29	19.34	14.01
विमान/नौकाएं	2.16	0.05	0.06	-	2.15	0.81	0.14	0.90	1.35
फर्नीचर एवं फिक्सचर	61.99	2.21	0.62	0.02	63.60	37.48	2.12	39.18	24.51
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	76.92	7.88	6.29	0.03	78.54	60.92	6.39	61.51	16.00
संचार उपकरण	18.80	0.82	1.24	-	18.38	9.77	0.61	9.44	9.03
कार्यालय उपकरण	171.33	10.26	7.25	0.01	174.35	95.38	7.10	97.02	75.95
कुल	37,206.29	1,044.97	49.54	(60.25)	38,141.47	17,868.06	1,116.59	18,950.39	19,191.08
गत वर्ष	38,995.89	259.30	63.61	(1,985.29)	37,206.29	17,360.13	1,227.36	17,868.06	21,635.76

विवरणात्मक टिप्पणी :-

परिसंपत्तियों के उपयोग अधिकार के तहत वर्गीकृत “भूमि उपयोग अधिकार” पर सृजित 10496.48 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 10494.51 करोड़) का भूमिगत कार्य परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंधित मदों के तहत शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल खंड				मूल्यहास		निवल खंड	
	01 अप्रैल 2020 को	वर्धन	कटौती	समायोजन 31 मार्च 2021 को	01 अप्रैल 2020 को	वर्ष के लिए समायोजन 31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
भूमि – फ्रीहोल्ड (देखें टिप्पणी 2.1.1 और 2.1.2)	398.08	16.54	0.30	(0.31)	414.01	-	414.01	398.08
सड़के तथा पुल	312.38	4.45	0.11	(7.31)	309.41	65.73	233.17	246.65
भवन	2,407.30	31.38	0.52	(182.43)	2,255.73	440.77	1,770.63	1,966.53
रेलवे साइडिंग	16.57	-	-	(3.51)	13.06	16.57	-	-
जलीय कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	16,973.26	19.77	0.17	(989.85)	16,003.01	756.14	4,887.41	12,564.83
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	8,313.65	147.22	47.24	(594.18)	7,819.45	2,198.82	5,466.38	6,114.83
संयंत्र और मशीनरी – सबस्टेशन	56.02	1.16	0.55	(2.46)	54.17	13.65	38.86	42.37
संयंत्र और मशीनरी – ट्रांसमिशन लाइने	71.08	1.48	-	(1.57)	70.99	21.89	45.64	49.19
संयंत्र और मशीनरी – अन्य	36.21	3.70	0.19	(0.44)	39.28	11.93	25.52	24.28
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	54.46	2.52	0.08	(4.52)	52.38	23.87	26.18	30.59
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेंज	55.37	5.17	0.04	(1.44)	59.06	10.51	46.49	44.86
विद्युत संस्थापनाएं	16.18	1.23	-	(0.21)	17.20	1.62	14.89	14.56
वाहन	22.79	1.46	0.41	(0.44)	23.40	8.31	14.01	14.48
विमान/नौकाएं	1.91	0.17	0.05	(0.10)	1.93	0.47	1.35	1.44
फर्नीचर एवं फिक्सचर	38.02	2.04	0.26	(1.82)	37.98	11.83	24.51	26.19
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	45.68	7.99	1.41	(1.90)	50.36	30.19	16.00	15.49
संचार उपकरण	12.26	1.23	0.17	(0.08)	13.24	3.70	9.03	8.56
कार्यालय उपकरण	108.89	11.79	0.82	(2.43)	117.43	36.06	75.96	72.83
कुल	28,940.11	259.30	52.32	(1,795.00)	27,352.09	7,304.35	8,013.86	21,635.76

टिप्पणी :-

2.1.1 कंपनी के नाम पर धारित न होने वाली अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख के संबंध में प्रकटीकरण इस टिप्पणी के अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है।

2.1.2 फ्री होल्ड भूमि में 8 हेक्टेयर भूमि (पिछले वर्ष 8 हेक्टेयर) जिसका उपयोग लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कार्पोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)- (एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) द्वारा 100 रुपए प्रतिवर्ष के किराये पर किया जा रहा है, जिसके लिये एनएचपीसी लिमिटेड और एलडीएचसीएल के बीच लीज समझौता किया गया है।

2.1.3 सकल ब्लॉक और द्वास समायोजन में टीएलडी-III पावर स्टेशन के संदर्भ में पीपीई से गैरमान्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत लीज प्राप्य के रूप में मान्य राशि का समायोजन शामिल है, जिसे इंड एस-116 लीज के तहत वित्तीय लीज के रूप में लेखांकित किया गया है। (टिप्पणी 4(18) (ख) (II) देखें।

2.1.4 सेवा-II, किशनगंगा, चमेरा-III, तीस्ता लो डैम-III, उड़ी-II, और तीस्ता लो डैम-4 पावर स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) के लंबित अनुमोदन को देखते हुए इन पावर स्टेशनों पर हुए पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण पर विचार किया गया है।

2.1.5 बैंक उधारियों के लिये सुरक्षा के रूप में बैंको के पास बंधक/रेहन रखे गयी गैर चालू परिसंपत्तियों की जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी संख्या 34 (11) देखें।

2.1.6 परिसंपत्तियों की क्षति से संबंधित जानकारी के लिये समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(19) देखें।

2.1.7 परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक में समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर निम्नवत हैं :

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपए में)	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए (करोड़ रुपए में)
सड़के तथा पुल	(1.03)	-
भवन	(7.29)	-
जलीय कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	(32.73)	-
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	(8.52)	-
संयंत्र और मशीनरी - सबस्टेशन	(0.07)	-
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेज	(0.04)	-
कुल	(49.68)	-

2.1.8 थंगल ग्राम प्राधिकरण द्वारा थंगल गांव में 3835 वर्ग फुट की एक जमीन एनएचपीसी लिमिटेड को अंशदान के रूप में दी गई। यह जमीन वहां बनाये गए अस्थायी शेड के साथ लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी) को निगमित किए जाते ही सौंप दी गई। यह जमीन समूह के अधिकार में है लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं लगाया गया है।

2.1.9 पूर्ववर्ती जीएपी के तहत संचित द्वास और परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक के अनुसार परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटीकरण इस टिप्पणी के अनुबंध-2 के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

टिप्पणी संख्या 2.3 का अनुबंध-1 :- 31 मार्च, 2021 को कंपनी के नाम पर धारित न होने वाली अचल संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व विलेख

तुलन-पत्र में संगत लाइन मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	निम्नलिखित के नाम पर धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का संबंधी या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि/वर्ष से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने के कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण – फ्रीहोल्ड भूमि	भूमि (1458.45 हैक्टेयर)	6.51	हिंद सरकार (भारत सरकार)	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन के संबंध में भूमि के दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है।
	भूमि (98.38 हैक्टेयर)	24.90	निजी पक्षकार	नहीं	वित्तीय वर्ष 2020-21 से	दिबांग परियोजना के संबंध में भूमि अंतरण प्रक्रियाधीन है।
	भूमि (4.69 हैक्टेयर)	6.33	विभिन्न पक्षकार	नहीं	10.04.2008	तीस्ता-V पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है।
	भूमि (12.94 हैक्टेयर)	0.36	निजी पक्षकार	नहीं	18.07.2002	सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में, भूमि वापस भू-स्वामियों को लौटाए जाने की प्रक्रिया में है।
	भूमि (0.09 हैक्टेयर)	0.01	प्रेम शेरिंग लेपचा	नहीं	31.03.2000	रंगित पावर स्टेशन के संबंध में, संपत्ति के वर्तमान स्वामी की मृत्यु हो गई है। स्वामित्व विलेख का निष्पादन लंबित है।
	भूमि (0.10 हैक्टेयर)	0.0004	विभिन्न पक्षकार	नहीं	1987 से	सलाल पावर स्टेशन के संबंध में भूमि के दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है।
	भूमि (74.95 हैक्टेयर)	0.00	भारत सरकार – 74.08 हैक्टेयर और निजी भूमि – 0.87 हैक्टेयर	नहीं	जनवरी 1978 से	बैराज्यूल पावर स्टेशन के संबंध में भूमि के दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है।

टिप्पणी सं. 2.1 का अनुबंध – 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अतिरिक्त ब्यौरा

विवरण	सकल खंड			मूल्यहास			निवल खंड	
	01 अप्रैल 2020 को	वर्धन	कटौती	समायोजन	31.03.2021 को	वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	398.08	16.54	0.30	(0.31)	414.01	-	414.01	398.08
सड़कें तथा पुल	406.10	4.45	0.14	(7.67)	402.74	11.68	233.17	246.65
भवन	3,133.74	31.38	0.52	(194.74)	2,969.86	76.14	1,770.63	1,966.53
रेलवे साइडिंग	36.10	-	-	(4.12)	31.98	-	-	-
जलीय कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	22,919.83	19.77	0.18	(1,098.90)	21,840.52	756.14	11,115.60	12,564.83
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	11,293.72	147.22	53.88	(660.68)	10,726.38	350.94	5,466.38	6,114.83
संयंत्र और मशीनरी- सबस्टेशन	107.52	1.16	0.72	(2.55)	105.41	2.38	38.86	42.37
संयंत्र और मशीनरी- ट्रांसमिशन लाइनें	98.27	1.48	-	(1.79)	97.96	4.06	45.64	49.19
संयंत्र और मशीनरी- अन्य	52.53	3.70	0.81	(0.48)	54.94	1.96	25.52	24.28
निर्माण संयंत्र और मशीनरी	113.35	2.52	0.50	(4.66)	110.71	3.69	26.18	30.59
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवरेंज	65.16	5.17	0.04	(1.49)	68.80	2.31	46.49	44.86
विद्युत संस्थापनाएं	17.37	1.23	-	(0.22)	18.38	0.71	14.89	14.56
वाहन	33.14	1.46	0.77	(0.44)	33.39	1.34	14.01	14.48
विमान/नौकाएं	2.15	0.17	0.05	(0.11)	2.16	0.14	1.35	1.44
फर्नीचर एवं फिक्सचर	62.39	2.04	0.38	(2.06)	61.99	2.15	24.51	26.19
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	73.73	7.98	2.67	(2.12)	76.92	6.45	16.00	15.49
संचार उपकरण	17.99	1.23	0.34	(0.08)	18.80	0.65	9.03	8.56
कार्यालय उपकरण	164.72	11.80	2.31	(2.87)	171.34	6.62	75.96	72.83
कुल	38,995.89	259.30	63.61	(1,985.29)	37,206.29	1,227.36	17,868.06	21,635.76

विवरणात्मक टिप्पणी : -

2.1.1 परिसंपत्तियों के उपयोग अधिकार के तहत वर्गीकृत "भूमि उपयोग अधिकार" पर सृजित 10494.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 10494.91 करोड़) का भूमिगत कार्य परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंधित मदों के तहत शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं. 2.2 : चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	01.04.2021 के अनुसार	अभिवृद्धि	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2022 के अनुसार
सड़कें और पुल	63.47	77.08	0.41	5.53	135.43
भवन	1,036.25	227.36	0.38	29.24	1,234.75
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	6,298.23	1,308.34	(2.13)	84.47	7,519.97
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,905.94	268.13	(0.67)	112.92	3,060.48
संयंत्र तथा मशीनरी — सब-स्टेशन	2.58	4.51	0.01	0.60	6.50
संयंत्र तथा मशीनरी — ट्रांसमिशन लाइनें	6.94	5.18	-	0.30	11.82
संयंत्र तथा मशीनरी — अन्य	1.67	1.76	-	2.70	0.73
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवर प्रणाली	1.90	2.36	-	3.78	0.48
कम्प्यूटर	-	0.48	-	0.48	-
कार्यालय उपकरण	-	0.13	0.24	0.24	0.13
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य परिसंपत्तियां	11.68	31.33	(0.01)	31.10	11.90
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	203.54	25.56	-	-	229.10
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	15.95	-	-	-	15.95
निर्माण पर आरोप्य व्यय (टिप्पणी सं 32 देखें)	9,497.73	1,640.67	1.96	20.57	11,119.79
उप जोड़	20,045.88	3,592.89	0.19	291.93	23,347.03
घटाएं : पूंजीकृत कार्य प्रगति पर है। (टिप्पणी सं 2.2.3 देखें)	954.58	7.47	-	-	962.05
उप जोड़ (क)	19,091.30	3,585.42	0.19	291.93	22,384.98
निर्माण भंडार	75.81		61.37		137.18
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	0.32		(0.06)		0.26
उप जोड़ (ख)	75.49		61.43		136.92
कुल (क + ख)	19,166.79	3,585.42	61.62	291.93	22,521.90
गत वर्ष	17,180.41	2,287.04	(94.08)	206.58	19,166.79

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

2.2.1 (क) 31 मार्च 2022 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की जीवनकाल अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआई में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	3,547.06	1,959.30	2,185.13	14,830.41	22,521.90
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	3,547.06	1,959.30	2,185.13	14,830.41	22,521.90

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2022 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में पूर्ण किया जाना है				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
पार्वती-II	9,147.00	-	-	-	9,147.00
सुबानसिरी लोअर परियोजना	7,189.75	3,289.47	-	-	10,479.22
कुल	16,336.75	3,289.47	-	-	19,626.22

- 2.2.2 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) में ऋण लागत के निमित्त शामिल **1029.25 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **997.08 करोड़ रुपये**) को अवधि के दौरान पूंजीकृत किया गया है (टिप्पणी सं 32 भी देखें)।
- 2.2.3 सीडब्ल्यूआईपी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर **1234.97 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **1192.720 करोड़ रुपये**) का संचयी व्यय शामिल है और यह सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत होने वाली परियोजनाओं पर सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभारों के **156.27 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **138.52 करोड़ रुपये**) सहित है। इसमें से, **43.52 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **43.52 करोड़ रुपये**) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी विकासकर्ता को सौंपने का निर्णय लिया गया था। तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए गए व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त पूर्व-सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही उपलब्ध करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित **1191.45 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **1149.20 करोड़ रुपये**) के शेष में से, **272.97 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **238.14 करोड़ रुपये**) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में उपलब्ध करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और **272.97 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **238.14 करोड़ रुपये**) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें परिशोधित किया गया है (टिप्पणी सं 34(25), 34(26), 34(27) और 34(28) भी देखें)।
- 2.2.4 सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा निपटान लंबित रहते, इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को लेखाओं में लिया गया है। सियांग लोअर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासकर्ता को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लेखाओं के निपटान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंधित निजी विकासकर्ता से वसूल की जाएगी।
- 2.2.5 “भूमि – उपयोग का अधिकार” पर सृजित, **2469.60 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **2317.10 करोड़ रुपये**) राशि के भूमिगत कार्य चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल हैं।
- 2.2.6 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(11) देखें।
- 2.2.7 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते हैं क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती हैं और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। इसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते, किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) में अग्रणीत किया गया है।
- 2.2.8 परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध में सूचना के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(19) देखें।
- 2.2.9 निर्माण (ईएसी) के कारण हुए व्यय में सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्य पर व्यय के कारण हुए **158.50 करोड़ रुपये** शामिल हैं, जिसके प्रति भारत सरकार से **74.07 करोड़ रुपये** की अनुदान राशि प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्राप्त अनुदान को ‘अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों’ (टिप्पणी-19.1) के अंतर्गत मान्यता दी गई है और इसे परियोजना के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर परियोजना के चालू होने के बाद लाभ और हानि के विवरण में परिशोधित किया जाएगा।

टिप्पणी सं. 2.2 : चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	01.04.2020 के अनुसार	अभिवृद्धि	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2021 के अनुसार
सड़कें और पुल	54.75	13.13	-	4.41	63.47
भवन	1,002.82	91.85	(21.21)	37.21	1,036.25
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	5,637.89	719.63	(44.82)	14.47	6,298.23
उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,839.91	165.00	(9.69)	89.28	2,905.94
संयंत्र तथा मशीनरी — सब-स्टेशन	-	2.58	-	-	2.58
संयंत्र तथा मशीनरी — ट्रांसमिशन लाइनें	6.15	6.61	-	5.82	6.94
संयंत्र तथा मशीनरी — अन्य	0.49	2.34	-	1.16	1.67
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी और सीवर प्रणाली	2.95	3.76	-	4.81	1.90
संस्थापना की प्रतीक्षा कर रही अन्य परिसंपत्तियां	18.13	35.98	(6.36)	36.07	11.68
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	183.05	22.27	(0.31)	1.47	203.54
प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	15.95	-	-	-	15.95
निर्माण पर आरोप्य व्यय (टिप्पणी सं 32 देखें)	8,149.77	1,368.52	(8.68)	11.88	9,497.73
उप जोड़	17,911.86	2,431.67	(91.07)	206.58	20,045.88
घटाएं : पूंजीकृत कार्य प्रगति पर है। (टिप्पणी सं 2.2.3 देखें)	820.78	144.63	(10.83)	-	954.58
उप जोड़ (क)	17,091.08	2,287.04	(80.24)	206.58	19,091.30
निर्माण भंडार	90.67		(14.86)		75.81
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	1.34		(1.02)		0.32
उप जोड़ (ख)	89.33		(13.84)		75.49
कुल (क + ख)	17,180.41	2,287.04	(94.08)	206.58	19,166.79
गत वर्ष	15,036.80	2,454.43	(14.12)	296.70	17,180.41

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

2.2.1 (क) 31 मार्च 2021 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की जीवनकाल अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआई में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर	2,230.82	2,257.15	1,027.93	13,650.89	19,166.79
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	2,230.82	2,257.15	1,027.93	13,650.89	19,166.79

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2021 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
पार्वती-II	-	8,455.18	-	-	8,455.18
सुबानसिरी लोअर परियोजना	3.49	5,168.93	3,289.47	-	8,461.89
कुल	3.49	13,624.11	3,289.47	-	16,917.07

- 2.2.2 निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी) में ऋण लागत के निमित्त शामिल 997.08 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 661.87 करोड़ रुपये) को अवधि के दौरान पूंजीकृत किया गया है (टिप्पणी सं 32 भी देखें)।
- 2.2.3 सीडब्ल्यूआईपी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत परियोजनाओं पर 1192.720 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1141.05 करोड़ रुपये) का संचयी व्यय शामिल है और यह सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत होने वाली परियोजनाओं पर सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभारों के 138.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 119.54 करोड़ रुपये) सहित है। इसमें से, 43.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 43.52 करोड़ रुपये) की राशि सुबानसिरी अपर परियोजना से संबंधित है, जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निजी विकासकर्ता को सौंपने का निर्णय लिया गया था। तथापि, परियोजना को सौंपने और इस पर किए गए व्यय की वसूली लम्बित होने तक पर्याप्त पूर्व-सावधानी के तौर पर बहियों में यह राशि पहले ही उपलब्ध करवाई गई है। कंपनी के पास होने वाली परियोजनाओं से संबंधित 1149.20 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1097.53 करोड़ रुपये) के शेष में से, 911.06 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 777.26 करोड़ रुपये) की राशि को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में उपलब्ध करवाया गया है जहाँ अनिश्चितताएं शामिल हैं और 238.14 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 320.27 करोड़ रुपये) अन्य परियोजनाओं से संबंधित है जहाँ स्वीकृति प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता है तथा उन्हें अग्रेणीत किया गया है (टिप्पणी सं 34(25), 34(26), 34(27) और 34(28) भी देखें)।
- 2.2.4 सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा निपटान लंबित रहते, इन परियोजनाओं पर कंपनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को लेखाओं में लिया गया है। सियांग लोअर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासकर्ता को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लेखाओं के निपटान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंधित निजी विकासकर्ता से वसूल की जाएगी।
- 2.2.5 “भूमि – उपयोग का अधिकार” पर सृजित, 2317.10 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2324.15 करोड़ रुपये) राशि के भूमिगत कार्य चालू पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल हैं।
- 2.2.6 संबंधित ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में बैंकों के पास रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की जानकारी हेतु टिप्पणी सं. 34(11) देखें।
- 2.2.7 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते हैं क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती हैं और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। इसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते, किए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) में परिशोधित किया गया है।
- 2.2.8 परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध में सूचना के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 34(19) देखें।
- 2.2.9 नवीकरण और आधुनिकीकरण के पश्चात, कंपनी ने वर्ष के दौरान बैरास्यूल पावर स्टेशन की यूनिट-1 को चालू तथा पूंजीकृत किया गया।

टिप्पणी संख्या 2.3 परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास/परिशोधन			निवल ब्लाक		
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कमी	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि – लीजहोल्ड (टिप्पणी 2.3.1(क) देखें)	314.87	8.35	1.03	0.24	322.43	45.02	12.44	57.42	265.01
पट्टे के अधीन भवन	5.40	0.41	0.74	-	5.07	3.04	1.14	3.62	1.45
वाहन	4.40	4.96	-	-	9.36	3.15	1.57	4.72	4.64
भूमि – उपयोग का अधिकार (टिप्पणी 2.3.1(ख) देखें)	2,751.38	49.77	-	1.86	2,803.01	377.83	68.17	447.86	2,355.15
कुल	3,076.05	63.49	1.77	2.10	3,139.87	429.04	83.32	513.62	2,626.25
पिछले वर्ष	3,122.27	15.38	19.19	(42.41)	3,076.05	355.96	82.32	429.04	2,647.01
									-

टिप्पणी :

2.3.1 (क) कंपनी के नाम नहीं लीज होल्ड भूमि के लीज डीड के संबंध में प्रकटीकरण इस नोट के अनुबंध-1 में दिया गया है।

ख) भूमि-उपयोग के अधिकार में वन भूमि शामिल है जिसे राज्य वन विभाग द्वारा उपयोग के लिए विपणित किया गया है
2.3.2 परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित जानकारी हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(19) देखें।

2.3.3 संपत्ति के प्रयोग के अधिकार का प्रयोग का अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-II में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी संख्या 2.3 का अनुबंध-1:- 31 मार्च, 2022 को कंपनी के नाम पर धारित न होने वाली पट्टाधारी भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख/पट्टा विलेख

तुलन-पत्र में संगत लाइन मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (मानद लागत पर) (करोड़ रुपए में)	निम्नलिखित के नाम पर धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का संबंधी या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि/वर्ष से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने के कारण
उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति - पट्टाधारी भूमि	भूमि (122.93 हैक्टेयर)	140.86	जम्मू और कश्मीर सरकार - एनएचपीसी के कब्जे के अधीन	नहीं	24.03.2011	किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में भूमि के दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है।
	भूमि (28.13 हैक्टेयर)	18.53	सरकारी भूमि	नहीं	2006-2011	उड़ी-II पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को निष्पादित किया जाना बाकी है।
	भूमि (219.56 हैक्टेयर)	6.15	सरकारी भूमि	नहीं	1984 से	दुलहस्ती पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है।
	भूमि (175.40 हैक्टेयर)	3.21	सरकारी भूमि	नहीं	24.05.2011	सौर परियोजना गंजम के संबंध में, पट्टा समझौता प्रक्रियाधीन है।
	भूमि (3.99 हैक्टेयर)	0.27	जेकेपीडीसी	नहीं	31.07.2003	चूटक पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है।
	भूमि (7.72 हैक्टेयर)	0.19	जेकेपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू और कश्मीर)	नहीं	2000 से	सेवा-II पावर स्टेशन के संबंध में, अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मामला जेकेपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू-कश्मीर) के साथ नियमित पत्राचार के अधीन है, संबंधित राज्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभी भी प्रतीक्षित है।
	भूमि (11.32 हैक्टेयर)	0.15	सरकारी भूमि	नहीं	1991-92	उड़ी-I पावर स्टेशन के संबंध में, मामला न्यायालय/राज्य राजस्व प्राधिकरण में लंबित है।
	भूमि (0.34 हैक्टेयर)	0.06	सरकारी भूमि	नहीं	30.09.20210	निम्नो बाजगो पावर स्टेशन के संबंध में, एनएचपीसी के पक्ष में हक विलेख के निष्पादन के लिए तहसीलदार, लेह को हक विलेख का मसौदा प्रदान किया गया है।
	भूमि (1.56 हैक्टेयर)	0.02	सरकारी भूमि	नहीं	1984	चमेरा-1 पावर स्टेशन के संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
	भूमि (2.72 हैक्टेयर)	0.00	सरकारी भूमि	नहीं	2004	सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को निष्पादित किया जाना बाकी है।

टिप्पणी संख्या 2.3 परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार का अनुबंध-1
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यह्रास/परिशोधन			निवल ब्लाक		
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कमी	समयोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए समयोजन	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि – लीजहोल्ड पट्टे के अधीन भवन वाहन	328.02	8.35	1.03	(0.02)	335.32	58.17	12.44	70.31	265.01
	5.40	0.41	0.74	-	5.07	3.04	1.14	3.62	1.45
	4.40	4.96	-	-	9.36	3.15	1.57	4.72	4.64
भूमि – उपयोग का अधिकार	3,102.04	49.77	-	-	3,151.81	728.49	68.17	796.66	2,355.15
कुल	3,439.86	63.49	1.77	(0.02)	3,501.56	792.85	83.32	875.31	2,626.25
पिछले वर्ष	3,488.20	15.38	19.19	(44.53)	3,439.86	721.89	82.32	792.85	2,647.01

टिप्पणी संख्या 2.3 परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक		मूल्यहास/परिशोधन		निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि - लीजहोल्ड (टिप्पणी 2.3.1(क) देखें)	317.39	-	-	(3.50)	313.89	33.79
पट्टे के अधीन भवन	22.34	2.45	18.41	-	6.38	2.76
वाहन	3.44	1.57	0.61	-	4.40	1.94
भूमि - उपयोग का अधिकार (टिप्पणी 2.3.2(ख) देखें)	2,779.10	11.36	0.17	(38.91)	2,751.38	317.47
कुल	3,122.27	15.38	19.19	(42.41)	3,076.05	355.96
पिछले वर्ष	16.22	683.35	0.37	-	3,122.27	-
					85.04	(0.10)
					355.96	2,766.31

टिप्पणी :

2.3.1 (क) कंपनी के नाम नहीं की गई लीज होल्ड भूमि के लीज डीड के संबंध में प्रकटीकरण इस नोट के अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) भूमि-उपयोग के अधिकार में वन भूमि शामिल है जिसे राज्य वन विभाग द्वारा उपयोग के लिए विपथित/परिवर्तित किया गया है।

2.3.2 परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित जानकारी हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(19) देखें।

2.3.3 सकल ब्लॉक और मूल्यहास के समायोजन में परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार से मान्यता समाप्त की गई राशि और टीएलडी-11। विद्युत स्टेशन के संबंध में वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत पट्टा प्राप्ति के रूप में मान्यताप्राप्त राशि के लिए समायोजन शामिल है, जिसे इंड-एएस 116-पट्टों के अंतर्गत वित्त पट्टे के रूप में हिसाब में लिया जाता है। (टिप्पणी 34 (18) (ख) देखें।

2.3.4 परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का प्रयोग का अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-11 में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी संख्या 2.3 का अनुबंध-1:- 31 मार्च, 2021 को कंपनी के नाम पर धारित न होने वाली लीज होल्ड भूमि के संबंध में स्वामित्व विलेख/पट्टा विलेख

तुलन-पत्र में संगत लाइन मद	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (मानद लागत पर) (करोड़ रुपए में)	निम्नलिखित के नाम पर धारित स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का संबंधी या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि/वर्ष से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने के कारण
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति – लीज होल्ड भूमि	भूमि (122.93 हैक्टेयर)	140.86	जम्मू और कश्मीर सरकार – एनएचपीसी के कब्जे के अधीन	नहीं	24.03.2011	किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में भूमि के दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है।
	भूमि (28.13 हैक्टेयर)	18.53	सरकारी भूमि	नहीं	2006-2011	उड़ी-II पावर स्टेशन के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को निष्पादित किया जाना बाकी है।
	भूमि (219.56 हैक्टेयर)	6.15	सरकारी भूमि	नहीं	1984 से	दुलहस्ती पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है।
	भूमि (175.40 हैक्टेयर)	3.21	सरकारी भूमि	नहीं	24.05.2011	सौर परियोजना गंजम के संबंध में, पट्टा समझौता प्रक्रियाधीन है।
	भूमि (3.99 हैक्टेयर)	0.27	जेकेपीडीसी	नहीं	31.07.2003	चूटक पावर स्टेशन के संबंध में, दस्तावेजों को कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना बाकी है।
	भूमि (7.72 हैक्टेयर)	0.19	जेकेपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू और कश्मीर)	नहीं	2000 से	सेवा-II पावर स्टेशन के संबंध में, अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मामला जेकेपीडीसी और एसडीएम, बानी (जम्मू-कश्मीर) के साथ नियमित पत्राचार के अधीन है, संबंधित राज्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभी भी प्रतीक्षित है।
	भूमि (11.32 हैक्टेयर)	0.15	सरकारी भूमि	नहीं	1991-92	उड़ी-I पावर स्टेशन के संबंध में, मामला न्यायालय/राज्य राजस्व प्राधिकरण में लंबित है।
	भूमि (0.34 हैक्टेयर)	0.06	सरकारी भूमि	नहीं	30.09.2021	निम्नो बाजगो विद्युत स्टेशन के संबंध में, एनएचपीसी के पक्ष में हक विलेख के निष्पादन के लिए तहसीलदार, लेह को हक विलेख का मसौदा प्रदान किया गया है।
	भूमि (1.56 हैक्टेयर)	0.02	सरकारी भूमि	नहीं	1984	चमेरा-I पावर स्टेशन के संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
	भूमि (2.72 हैक्टेयर)	0.00	सरकारी भूमि	नहीं	2004	सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में, कंपनी के पक्ष में दस्तावेजों को निष्पादित किया जाना बाकी है।

टिप्पणी संख्या 2.3 परिसंपत्तियों के उपयोग संबंधी अधिकार का अनुबंध-II
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार का अतिरिक्त प्रकटन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्याक		मूल्यहास/परिशोधन		निवल ब्याक	
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि कटौती	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	31.03.2021 को
भूमि – लीजहोल्ड	330.80	0.98	-	(3.76)	328.02	47.20
पट्टे के अधीन भवन	22.34	1.47	18.41	-	5.40	2.76
वाहन	3.44	1.57	0.61	-	4.40	1.94
भूमि – उपयोग का अधिकार	3,131.62	11.36	0.17	(40.77)	3,102.04	669.99
कुल	3,488.20	15.38	19.19	(44.53)	3,439.86	721.89
पिछले वर्ष	16.22	683.35	0.37	-	3,488.20	-
					85.04	(0.10)
					721.89	2,766.31
					2,647.01	2,766.31

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक		मूल्यहास			निवल ब्लॉक			
	01.04.2021 को	वृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2022 को	01.04.2021 को	वर्ष के लिए समायोजन	31.03.2022 को	31.03.2021 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
कुल	4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	4.49
पिछले वर्ष	4.49	-	-	-	4.49	-	-	4.49	-

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई राशि

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

(करोड़ रुपये में)

31.03.2022 को	31.03.2021 को
78.90	72.87

2.4.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

2.4.3 निवेश संपत्ति में फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे समूह की सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण, समूह संपत्ति के भावी उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर-निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। प्रकट किया गया उचित मूल्य कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम (2) के तहत परिभाषित मूल्यांकन प्रक्रिया एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है और इसे उचित मूल्यांकन पदानुक्रम का स्तर-1 पर माना जाएगा।

टिप्पणी संख्या 2.4 निवेश संपत्ति

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक		मूल्यहास		निवल ब्लाक	
	01.04.2020 को	वृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि – फ्रीहोल्ड	4.49	-	-	4.49	-	4.49
कुल	4.49	-	-	4.49	-	4.49
पिछले वर्ष	4.49	-	-	4.49	-	4.49

2.4.1 निवेश संपत्ति हेतु लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की गई राशि

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
किराया आय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य
किराया आय उत्पन्न न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	शून्य	शून्य

(करोड़ रुपये में)

2.4.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

31.03.2021 को	72.87
31.03.2020 को	53.58

2.4.3 निवेश संपत्ति में फ्री-होल्ड भूमि शामिल होती है जिसे समूह की सामान्य व्यापार आवश्यकताओं हेतु खरीदा गया था। तथापि, व्यापार योजनाओं में परिवर्तन के कारण, समूह संपत्ति के भावी उपयोग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय लेखांकन मानक 40, निवेश संपत्ति उदाहरण के द्वारा यह प्रावधान करता है कि वर्तमान में गैर-निर्धारित भावी उपयोग के लिए रखी गई किसी भूमि को पूंजी वृद्धि हेतु धारित माना जाएगा और अतः इसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.4.4 मूल्यांकन प्रक्रिया

उक्त भूमि को वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। तथापि, निवेश संपत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर निकाला गया है तथा उचित मूल्यांकन अनुक्रम के स्तर-2 पर माना जाएगा।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक		परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कटौती	31.03.2022 को	वर्ष के लिए समायोजन	01.04.2021 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	15.61	4.47	-	20.08	4.71	12.09	16.80	3.28
कुल	15.61	4.47	-	20.08	4.71	12.09	16.80	3.52
पिछले वर्ष	10.98	5.03	0.17	15.61	2.22	10.26	12.09	3.52

2.5.1 अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-I में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुबंध-I

अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटीकरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक		परिशोधन				निवल ब्लाक	
	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	कटौती	31.03.2022 को	वर्ष के लिए समायोजन	01.04.2021 को	31.03.2022 को	31.03.2021 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	52.90	4.47	0.05	57.24	4.71	49.38	53.96	3.28
कुल	52.90	4.47	0.05	57.24	4.71	49.38	53.96	3.52
पिछले वर्ष	48.62	5.03	0.47	52.90	2.22	47.90	49.38	3.52

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक		परिशोधन				निवल ब्लाक				
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2020 को	
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	10.98	5.03	0.17	(0.23)	15.61	10.26	2.22	(0.39)	12.09	3.52	0.72
कुल	10.98	5.03	0.17	(0.23)	15.61	10.26	2.22	(0.39)	12.09	3.52	0.72
पिछले वर्ष	2,113.82	0.66	0.03	-	10.98	257.92	0.96	0.04	10.26	0.72	

2.5.1 अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटन परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अनुसार है और पूर्ववर्ती जीएपी के अंतर्गत संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 में उपलब्ध करवाए गए अनुसार है।

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुबंध-1

अमूर्त परिसंपत्तियों का अतिरिक्त प्रकटीकरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	सकल ब्लाक			परिशोधन				निवल ब्लाक			
	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	कटौती	समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2020 को	
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	48.62	5.03	0.47	(0.28)	52.90	47.90	2.22	(0.74)	49.38	3.52	0.72
कुल	48.62	5.03	0.47	(0.28)	52.90	47.90	2.22	(0.74)	49.38	3.52	0.72
पिछले वर्ष	2,504.12	0.66	0.17	(6.40)	48.62	648.22	0.96	(0.18)	47.90	0.72	

टिप्पणी सं. 2.6 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	01.04.2021 को	अभिवृद्धि	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2022 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	0.17	0.47	-	0.13	0.51
कुल	0.17	0.47	-	0.13	0.51
पिछले वर्ष	-	0.17	-	-	0.17

2.6.1 (क) 31 मार्च 2022 के अनुसार विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	0.47	0.04	-	-	0.51
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	0.47	0.04	-	-	0.51

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2022 के अनुसार विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की पूर्णता अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	निम्नलिखित अवधि में पूर्ण किया जाना है				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 2.6 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	01.04.2020 को	अभिवृद्धि	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2021 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर		0.17			0.17
कुल	-	0.17	-	-	0.17
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

2.6.1 (क) 31 मार्च 2021 के अनुसार विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की जीवनकाल अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	0.15	0.02	-	-	0.17
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	0.15	0.02	-	-	0.17

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2021 के अनुसार विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की पूर्णता अनुसूची

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	निम्नलिखित अवधि में पूर्ण किया जाना है				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 2.7.1 : इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित निवेश

संयुक्त उद्यमों में हित

नीचे सूचीबद्ध किए गए निकायों की शेयर पूंजी में पूर्णतः इक्विटी शेयर शामिल हैं जो सीधे समूह द्वारा धारित हैं। अधिनिगमन या पंजीकरण का देश ही उनके व्यापार का प्रमुख स्थान है, और स्वामित्व हित का अनुपात उनके द्वारा धारित मताधिकार के अनुपात के समान है।

(करोड़ रुपये में)

निकाय का नाम और संबंध	व्यापार का स्थान	लेखांकन पद्धति	स्वामित्व ब्याज का प्रतिशत		वहनीय राशि	
			31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल), संयुक्त उद्यम	भारत	इक्विटी पद्धति	20.00%	20.00%	14.24	18.22
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीएल), संयुक्त उद्यम	भारत	इक्विटी पद्धति	55.13%	51.93%	1861.92	1308.67
कुल इक्विटी लेखांकित निवेश					1,876.16	1,326.89

टिप्पणी सं. 2.7.2 : इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ/(हानि) का हिस्सा

(करोड़ रुपये में)

निकाय का नाम	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	(3.97)	(3.85)
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीएल)	2.58	(1.64)
कुल	(1.39)	(5.49)

टिप्पणी सं. 2.7.3 : इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का हिस्सा

(करोड़ रुपये में)

निकाय का नाम	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल),	-	-
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीवीपीपीएल)	-	-
कुल	-	-

व्याख्यात्मक टिप्पणी:

संयुक्त उद्यमों हेतु सारबद्ध वित्तीय सूचना

नीचे दी गई सारणियां समूह के संयुक्त उद्यमों हेतु सारबद्ध वित्तीय जानकारी उपलब्ध करवाती हैं। प्रकट की गई सूचना संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशि को प्रदर्शित करती है। इन्हें इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निकाय द्वारा किए जाने वाले समायोजनों को प्रदर्शित करने के लिए संशोधित किया गया है, जिसमें लेखांकन नीतियों में अंतर हेतु अधिग्रहण तथा संशोधन के समय किए गए उचित मूल्य समायोजन शामिल हैं।

1. सारबद्ध तुलन-पत्र

(करोड़ रुपये में)

विवरण	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीएल	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
वर्तमान परिसंपत्तियां				
नकदी और नकदी समतुल्य	2.58	4.09	394.33	197.55
अन्य परिसंपत्तियां	3.15	5.54	739.53	389.56
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	5.73	9.63	1,133.86	587.11
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	328.61	332.96	3,252.45	2,469.46
कुल परिसंपत्तियां (क)	334.34	342.59	4,386.31	3,056.57

	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीएल	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं (व्यापार देयताओं के अतिरिक्त)	65.60	62.23	131.05	48.92
अन्य देयताएं	9.69	2.47	147.81	225.53
कुल वर्तमान देयताएं	75.29	64.70	278.86	274.45
गैर-वर्तमान देयताएं				
वित्तीय देयताएं (देय व्यापार के अतिरिक्त)	185.19	186.29	211.91	2.66
अन्य देयताएं	2.66	0.52	405.18	6.47
कुल गैर-वर्तमान देयताएं	187.85	186.81	617.09	9.13
कुल देयताएं (ख)	263.14	251.51	895.95	283.58
निवल परिसंपत्तियां (क-ख)	71.20	91.08	3,490.36	2,772.99
घटाएं : आवंटन लंबित प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	100.00	243.88
आवंटन लंबित प्राप्त शेयर आवेदन राशि के समायोजन के पश्चात निवल परिसंपत्ति	71.20	91.08	3,390.36	2,529.11

2. वहनीय राशियों का मिलान

(करोड़ रुपये में)

विवरण	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीएल	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	91.08	110.32	2,529.11	1,832.60
वर्ष हेतु लाभ	(20.03)	(19.23)	4.67	(3.19)
अन्य व्यापक आय	-	(0.01)	-	-
इक्विटी अंशदान	-	-	856.67	699.70
अन्य इक्विटी में समायोजन (प्रारंभिक)	0.15	-	-	-
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	71.20	91.08	3,390.45	2,529.11
समूह का अंश (प्रतिशत में)	20.00%	20.00%	55.13%	51.93%
समूह का अंश	14.24	18.22	1869.23	1313.47
साख / (पूँजीगत आरक्षित)	-	-	(2.46)	(0.99)
वहनीय राशि	14.24	18.22	1,866.77	1,312.48
घटाएं : अंतः समूह लेन-देन पर लाभ	-	-	4.85	3.81
निवल वहनीय राशि	14.24	18.22	1,861.92	1,308.67

3. लाभ एवं हानि का सारबद्ध विवरण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	एनएचपीटीएल		सीवीपीपीएल	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
राजस्व	14.65	15.38	-	-
ब्याज आय	0.38	0.15	31.39	17.63
मूल्यहास और परिशोधन	8.51	8.33	1.05	1.00
ब्याज व्यय	19.18	18.91	0.03	0.03
अन्य व्यय	7.36	7.54	17.84	15.35
आय कर व्यय	-	-	7.90	4.43
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	-	-	0.10	0.01
सतत प्रचालनों से लाभ	(20.02)	(19.25)	4.67	(3.17)
वर्ष हेतु लाभ	(20.02)	(19.25)	4.67	(3.17)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	(20.02)	(19.25)	4.67	(3.17)

टिप्पणी सं. 3.1 : गैर-वर्तमान निवेश

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या (यूनिटों में)	राशि (करोड़ रुपये में)
क. उद्धृत इक्विटी लिखत – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर कारपोरेट निकाय पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त) (10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)	12,000,000	98.70	12,000,000	93.30
कुल (क)		98.70		93.30
ख. (क) उद्धृत ऋण लिखत – अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर सरकारी प्रतिभूतियां (टिप्पणी 3.1.2 और 3.1.4 देखें)				
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट्स इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 27 मार्च 2024 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	150,000	158.43	150,000	162.28
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 15 सितंबर 2024 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	12,380	13.12	12,380	13.37
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 21 सितंबर 2027 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	57,000	61.82	57,000	63.04
8.26 प्रतिशत भारत सरकार 02 अगस्त 2027 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	17,940	19.39	17,940	19.78
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 15 फरवरी 2032 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	35,000	38.20	35,000	39.26
8.32 प्रतिशत भारत सरकार 02 अगस्त 2032 (10000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	34,000	37.17	34,000	38.24
उप जोड़ (क)		328.13		335.97
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कारपोरेट्स के बांड्स				
7.41 प्रतिशत आईआईएफसीएल कर मुक्त बाण्ड 15 नवंबर 2032 (10,00,000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	120	13.79	120	13.79
8.12 प्रतिशत आरईसी कर मुक्त बाण्ड 27 मार्च 2027 (1000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	100,000	12.23	100,000	12.50
8.48 एनएचएआई कर मुक्त 22 नवंबर 2028 (10,00,000/- रुपए प्रत्येक का प्रति यूनिट मूल्य)	473	57.49	473	59.79
उप जोड़ (ख)		83.51		86.08
कुल (ग) (क + ख)		411.64		422.05
कुल (क + ख)		510.34		515.35

- 3.1.1 उद्धृत निवेशों की समग्र राशि और बाजार मूल्य 510.34 515.35
- 3.1.2 174.31 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 165.50 करोड़ रुपये) की लागत पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को 174.31 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 165.42 करोड़ रुपये) की तुलना में प्रतिभूति के रूप में निर्धारित किया गया है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान परिपक्वता वाले डिबेंचर के कुल मोचन मूल्य का 15 प्रतिशत होता है।
- 3.1.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित निवेशों का विवरण ऊपर टिप्पणी 3.1 के तहत प्रकट किया गया है।
- 3.1.4 ऋण दस्तावेजों के संबंध में उद्धृत निवेश जिनके लिए अद्यतन उद्धरण उपलब्ध नहीं है, उन पर फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित मूल्य के आधार पर बाजार मूल्य पर विचार किया गया है।

टिप्पणी संख्या 3.2 गैर-वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिशोधित लागत पर		
क संबंधित पक्ष को ऋण – अच्छे माने गए – अप्रतिभूत * और # – नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड (टिप्पणी 34(8) और 3.2.1 देखें)	17.48	18.40
उप-जोड़	17.48	18.40
ख. कर्मचारियों को ऋण (टिप्पणी 3.2.1 और 3.2.2 देखें)		
– अच्छे माने गए – प्रतिभूत	162.58	130.43
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	61.12	58.71
उप-जोड़	223.70	189.14
ग अरुणाचल प्रदेश सरकार को ब्याज सहित ऋण (टिप्पणी 3.2.3 एवं 33(2)(ख) देखें)*		
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	802.92	736.62
उप-जोड़	802.92	736.62
कुल	1044.10	944.16

* पुनर्भुगतान का विवरण : 11.05.2018 को 6.00 करोड़ रुपए और 31.03.2021 को 12.40 करोड़ रुपए 10 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रदान किए गए थे। ऋण की अदायगी 31.10.2022 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में की जा सकती है। ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30.04.2021 से आरम्भ करते हुए किया जाएगा।

* व्यवसाय प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए ऋण का प्रतिनिधित्व करता है।

3.2.1 ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो मांग किए जाने पर चुकाने योग्य हैं।	—	—
ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जिनमें कोई शर्त या चुकौती की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है।	—	—
3.2.2 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय (टिप्पणी 34(10) देखें)।	0.34	0.06
3.2.3 अरुणाचल प्रदेश सरकार को व्यापारिक उद्देश्य से दिए गए ऋण शामिल हैं:		
– मूलधन	225.00	225.00
– ब्याज	577.92	511.62
3.2.4 ऋण गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, जिनसे कंपनी को निर्धारित अथवा परिवर्तनशील ब्याज आय प्राप्त होती है। वहन मूल्य दूसरे पक्ष के ऋण जोखिम में परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है।		
3.2.5 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के निबंधनों के अनुसार यथाअपेक्षित ऋणों का विवरण उपरोक्त टिप्पणी 3.2 के अधीन प्रकट किया गया है।		
3.2.6 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(17) देखें।		

टिप्पणी संख्या 3.3 गैर-वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. जमा		
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	25.16	25.14
उप जोड़	25.16	25.14
ख. 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (टिप्पणी 3.3.5 देखें)	1,187.84	554.32
ग. पट्टा किराया प्राप्य (टिप्पणी 34(18(ख)) देखें)	6,086.51	6,248.71
घ. भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए वसूलीयोग्य राशि (टिप्पणी 3.3.1 और 11(ज) देखें)	2,017.20	2,017.20
ङ. वसूलीयोग्य राशि (टिप्पणी 3.3.4 देखें)	10.38	-
च. ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज :		
– 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा	39.84	19.59

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
छ. व्युत्पन्न मार्क से बाजार परिसंपत्ति	22.35	18.21
ज. आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि – संयुक्त उद्यम (टिप्पणी 3.3.2 देखें)	-	100.15
कुल	9389.28	8983.32

3.3.1 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों की देय राशि के संबंध में टिप्पणी संख्या 16.3.1 देखें।

3.3.2 शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन में निम्नलिखित संयुक्त उद्यम कंपनी में शेयर पूंजी की सदस्यता के लिए कंपनी का अंशदान शामिल है:

– चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (शेयर आवंटन की तारीख – 5 अप्रैल 2021) – 100.15

3.3.3 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

3.3.4 2017–18 से 2020–21 की अवधि के लिए पीआरपी (परिशोधन लागत पर) के कारण कर्मचारियों से वसूल की जाने वाली राशि

3.3.5 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा में 0.35 करोड़ रुपए का एफडीआर शामिल है जिसे कंपनी द्वारा बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए जारी बैंक गारंटी के लिए 100 प्रतिशत मार्जिन धनराशि प्रदान करने के लिए लिया गया है।

टिप्पणी संख्या 4 गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	1,125.98	212.78
घटाएं : वर्तमान कर के लिए प्रावधान	1,108.93	212.66
गैर-वर्तमान कर (टिप्पणी संख्या 23 देखें)	3.34	9.80
कुल	20.39	9.92

टिप्पणी सं. 5 : अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. पूंजी अग्रिम		
– अच्छे माने गए – प्रतिभूत	145.12	57.92
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत		
– बैंक गारंटी के प्रति	267.47	165.45
– अन्य	405.39	182.46
घटाएं : लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र में बुक किए गए व्यय	19.28	19.18
– संदिग्ध माने गए – अप्रतिभूत	201.76	201.76
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 5.1 देखें)	201.76	201.76
उप जोड़	798.70	386.65
ख. पूंजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम		
i) जमा		
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	51.38	49.56
उप जोड़	51.38	49.56
ii) अन्य अग्रिम		
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	3.12	0.41
उप जोड़	3.12	0.41
ग. प्रोद्भूत ब्याज		
अन्य		
– अच्छे माने गए	1.44	2.59

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
घ. अन्य		
i) पूंजीगत कार्यों के संबंध में मध्यस्थता निर्णयों के लिए अग्रिम (अप्रतिभूत)		
ठेकेदारों को जारी – बैंक गारंटी के बदले	1,140.40	1,140.45
ठेकेदारों को जारी – अन्य	34.61	34.61
न्यायालय में जमा	1,420.48	1,383.31
उप जोड़	2,595.49	2,558.37
ii) आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां/व्यय		
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	260.15	356.93
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	224.42	173.83
उप जोड़	484.57	530.76
iii) कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर आस्थगित लागत	67.14	65.36
कुल	4,001.84	3,593.70
5.1 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	201.76	145.58
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	—	60.32
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	—	4.14
अंतिम शेष	201.76	201.76
5.2 संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	—	0.04
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	—	0.04
अंतिम शेष	—	—
5.3 वर्ष के अंत में निदेशकों और अन्य अधिकारियों से देय अग्रिम	—	—
5.4 ऐसी फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिनमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है	—	—
5.5 शेषों की पुष्टि के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।		

टिप्पणी सं. 6 : मालसूची

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(न्यून लागत अथवा निवल वसूली मूल्य पर मूल्यांकित)		
भंडार तथा कलपुर्जे	133.45	131.74
परिवहन/निरीक्षण के लिए लंबित भंडार	0.34	0.69
खुले औजार	2.48	2.03
रद्दी मालसूची	1.19	2.10
स्थल पर सामग्री	6.87	5.79
घटाएं : अप्रचलन तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 6.1 देखें)	3.89	8.66
कुल	140.44	133.69
6.1 अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	8.66	7.91
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी संख्या 6.1.1 देखें)	0.62	0.84
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	—	0.01
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित (टिप्पणी संख्या 6.1.2 देखें)	5.39	0.08
अंतिम शेष	3.89	8.66
6.1.1 वर्ष के दौरान, निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) को पश्चलेखित मालसूची और लाभ तथा हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की गई।	0.62	0.84
6.1.2 पूर्ववर्ती वर्ष में बुक की गई और वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित मालसूची के अप्रचलन और मूल्य में कमी हेतु प्रावधान।	5.39	0.08

टिप्पणी सं. 7 : वित्तीय परिसंपत्ति – वर्तमान – व्यापार प्राप्य

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
– व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए – अप्रतिभूत (टिप्पणी संख्या 7.2, 7.3, 7.4 और 7.7 देखें)	2,827.88	3,377.68
– व्यापार प्राप्य – बिल न किए गए – अच्छे माने गए – अप्रतिभूत (टिप्पणी संख्या 7.5 देखें)	2,347.96	1,755.74
– व्यापार प्राप्य – बाधित ऋण (टिप्पणी संख्या 7.2, 7.3 और 7.4 देखें)	35.33	33.76
घटाएं – व्यापार प्राप्य हेतु हानि प्रावधान (टिप्पणी संख्या 7.1 देखें)	35.33	33.76
कुल	5,175.84	5,133.42
7.1 व्यापार प्राप्यों के लिए हानि प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	33.76	37.71
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	3.95	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	2.38	3.95
अंतिम शेष	35.33	33.76
7.2 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों द्वारा अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अकेले-अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण अथवा फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें क्रमशः कंपनी का कोई निदेशक भागीदार अथवा निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य
7.3 कंपनी के संयुक्त उद्यमों तथा अन्य संबंधित पक्षों द्वारा देय ऋण।	5.65	6.24
7.4 व्यापार प्राप्यों की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी सं. 7 का अनुबंध–। देखें।		
7.5 निम्नलिखित के कारण प्राप्य को दर्शाते हैं		
जल उपयोग प्रभार	11.32	64.89
मार्च माह के लिए बिल न की गई बिक्री	672.78	561.09
2009–14 के लिए एनएपीएएफ में संशोधन – सेवा– II पावर स्टेशन एमईए बिक्री	32.97	49.52
	6.11	7.12
पुनः वित्त-पोषण के कारण बचत और बॉण्ड जारी किए जाने के व्यय	(23.22)	(23.33)
मूर्त रूप दिए गए विलंबित कर सहित कर समायोजन	15.94	55.81
ऊर्जा में कमी	469.66	292.48
विदेशी मुद्रा दर अंतर	44.78	51.92
दर संशोधन – टीएलडीपी – III पावर स्टेशन	-	(157.12)
सुरक्षा व्ययों सहित नए विनियम 2019–24 के अनुसार बिल किए गए तथा प्राप्य एएफसी का प्रभाव	1,121.39	821.77
अन्य	(3.77)	31.59
कुल	2,347.96	1,755.74

- 7.6 वर्तमान प्राप्तियों की अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनकी वहनीय राशि को उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।
- 7.7 विभिन्न बैंकों से बिलों में छूट के माध्यम से प्राप्त **1323.90 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **726.03 करोड़ रुपये**) की राशि के व्यापार प्राप्यों को बिल छूट समझौतों की शर्तों के अनुसार मान्यता नहीं दी गई है, जिसके अनुसार कंपनी संबंधित लाभार्थियों से चूक होने पर क्रेडिट हानियों के लिए बैंकों को क्षतिपूर्ति की गारंटी देती है। रियायती बिलों के संबंध में मान्यताप्राप्त देयताओं के संबंध में टिप्पणी 20.1.1 देखें।
- 7.8 शेषों की पुष्टि के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 7 का अनुबंध-।

31 मार्च, 2022 के अनुसार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	प्राप्य व्यापार देय और भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 महीने – 1 साल	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 साल से अधिक		
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे समझे गए	2,347.96	55.82	2,298.08	429.02	24.03	19.09	1.84	5,175.84
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	35.33	35.33
कुल	2,347.96	55.82	2,298.08	429.02	24.03	19.09	37.17	5,211.17

31 मार्च, 2021 के अनुसार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	प्राप्य व्यापार देया और भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने - 1 साल	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य — अच्छे समझे गए	1,755.74	-	2,738.67	454.56	150.13	33.22	1.09	5,133.41
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य — ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	33.76	33.76
कुल	1,755.74	-	2,738.67	454.56	150.13	33.22	34.85	5,167.17

टिप्पणी सं. 8 : वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – नकदी और नकदी समतुल्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. बैंकों के पास शेष		
अनुसूचित बैंकों के पास		
i) चालू खाते में	1,009.82	231.31
ii) जमा खाते में	304.85	215.95
(3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाले जमा)		
ख. हस्तगत नकदी (टिप्पणी सं. 8.1 देखें)	-	0.01
कुल	1,314.67	447.27

8.1 इसमें हस्तगत स्टाम्प शामिल हैं

- 0.01

टिप्पणी सं. 9 : वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. 3 माह से अधिक 12 माह तक की मूल परिपक्वता के लिए बैंक जमा (टिप्पणी संख्या 9.1 देखें)	507.52	1,696.97
ख. जमा — भुगतान न किया गया लाभांश	47.54	23.47
ग. जमा — भुगतान न किया गया ब्याज	87.16	87.14
घ. बैंकों के पास अन्य अभिनिर्धारित शेष (टिप्पणी संख्या 9.2)	1.46	1.97
कुल	643.68	1,809.55

	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
9.1	इसमें ऐसे शेष शामिल हैं, जोकि कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए रखे गए हैं और जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं	86.77	155.81
9.2	इसमें ऐसे शेष शामिल हैं, जो कि कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं		
(i)	कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे कार्यों हेतु रखे गए हैं।	0.87	1.41
(ii)	माननीय उच्च न्यायालय, सिविकम के आदेश के अनुसरण में सृजित एनएचपीसी आपातकालीन राहत निधि	0.59	0.56
(iii)	बैंक निक्षेपों में ओंकारेश्वर परियोजना के संबंध में भूमि के बदले भूमि के लिए विस्थापितों द्वारा जमा की गई राशि शामिल है, जो कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।	0.08	0.09
(iv)	बैंक जमा में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार बैंकों के पास ग्रहणाधिकार के तहत राशि शामिल है, जो कथित राशि में शामिल कंपनी के व्यवसाय के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है।	7.52	7.18

टिप्पणी सं. 10 : वित्तीय परिसंपत्ति – वर्तमान – ऋण

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क.	संबंधित पक्षकार को ऋण (उस पर ब्याज सहित) – अप्रतिभूत – (अच्छे माने गए) (टिप्पणी सं. 34(10) और 10(1)* देखें)		
	– नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड	1.34	0.42
	घटाएं : संदिग्ध प्रोद्भूत ब्याज के लिए हानि भत्ता (देखें टिप्पणी 10.3)	0.42	-
	उप जोड़	0.92	0.42
ख.	कर्मचारियों को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित) (टिप्पणी संख्या 10.2 देखें)		
	– ऋण प्राप्य – अच्छे माने गए – प्रतिभूत	20.50	16.86
	– ऋण प्राप्य – अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	39.62	35.23
	– ऋण प्राप्य, जिनसे ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई	0.01	0.01
	घटाएं : ऐसे ऋणों के लिए हानि भत्ता, जिनसे ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है (टिप्पणी संख्या 10.4 देखें)	0.01	0.01
	उप जोड़	60.12	52.09
	कुल	61.04	52.51

* पुनर्भुगतान का विवरण: 11.05.2018 को 6.00 करोड़ रुपए और 31.03.2021 को 12.40 करोड़ रुपए 10 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रदान किए गए थे। ऋण का पुनर्भुगतान 31.10.2022 से 20 समान अर्धवार्षिक किश्तों में किया जा सकता है। ब्याज 30.04.2021 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर को अर्धवार्षिक रूप से देय है। 0.92 करोड़ रुपए की वर्तमान परिपक्वता एक वर्ष के भीतर देय है।

* व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दिए गए ऋण का प्रतिनिधित्व करता है।

10.1	ऋण की प्रकृति के ऋण और अग्रिम जो मांग किए जाने पर चुकाने योग्य हैं।	शून्य	शून्य
	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए हैं।	शून्य	शून्य
10.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय। (टिप्पणी 34(10) देखें)	0.11	0.22
10.3	संदिग्ध प्रोद्भूत ब्याज के लिए हानि भत्ते	0.42	-
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.42	-
	अंतिम शेष	0.42	-

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
10.4 ऐसे ऋणों के लिए हानि भत्ता, जिनसे ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है प्रारंभिक शेष	0.01	0.01
अंतिम शेष	0.01	0.01
10.5 ऐसी फर्मों अथवा निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम राशि, जिनमें कंपनी का कोई निदेशक कंपनी का निदेशक अथवा सदस्य है	शून्य	शून्य
10.6 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार यथापेक्षित ऋणों के विवरणों को उपरोक्त टिप्पणी संख्या 10 के तहत प्रकट किया गया है।		
10.7 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।		

टिप्पणी सं. 11 : वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान – अन्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. जमा		
– अच्छे माने गए – अप्रतिभूत	0.36	0.36
उप जोड़	0.36	0.36
ख. प्राप्य राशि (टिप्पणी सं. 11.4 और 11.5 देखें)	809.80	977.65
घटाएं – संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं. 11.1 देखें)	282.65	275.18
उप जोड़	527.15	702.47
ग. संयुक्त उद्यमों से प्राप्य (टिप्पणी सं. 11.3 और 34(10) देखें)	55.24	44.02
घ. विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य	81.77	125.14
ङ. प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा) (टिप्पणी सं. 34(18)(ख) देखें)	185.32	166.84
च. बैंक जमा पर प्रोद्भूत ब्याज आय (टिप्पणी सं. 11.2 देखें)	34.25	51.11
छ. लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज	10.55	141.41
ज. निवेश (बॉण्ड) पर प्रोद्भूत ब्याज	2.53	2.53
झ. भारत सरकार द्वारा सेवित बांडों पर वसूलीयोग्य राशि (टिप्पणी सं. 3.3(घ) देखें)	4.49	4.49
– प्रोद्भूत ब्याज		
कुल	901.66	1,238.37
11.1 संदिग्ध वसूलीयोग्य हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	275.18	285.78
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	9.03	8.50
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	1.38	17.56
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.18	1.54
अंतिम शेष	282.65	275.18
11.2 इसमें ऐसे शेष शामिल हैं, जोकि अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित शेष पर प्रोद्भूत ब्याज शामिल है और यह कंपनी के व्यवसाय के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है।	0.11	0.16
11.3 संयुक्त उद्यम से प्राप्य में कीरू और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं पर किये गये पूंजीगत व्यय के निमित्त कंपनी का दावा शामिल है जिन्हें मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को अंतरित किया गया है।		
11.4 वसूलीयोग्य राशि में मध्य प्रदेश सरकार से देय 38.68 करोड़ रुपए (31.03.2021 को 40.70 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है। इसमें विस्थापितों से वसूलीयोग्य 0.03 करोड़ रुपए (31.03.2021 को 0.03 करोड़ रुपए) के डुप्लिकेट भुगतान भी शामिल हैं, जिनके लिए पहले ही प्रावधान किया जा चुका है।		
11.5 वसूलीयोग्य राशि में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए कर्मचारियों से वसूलीयोग्य पीआरपी के मद में 26.93 करोड़ रुपए (31.03.2021 को 13.49 करोड़ रुपए) की राशि भी शामिल है।		
11.6 समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं 34(17) देखें।		

टिप्पणी सं. 12 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
क स्रोत पर की गई कटौती सहित अग्रिम आय कर	1,340.23	2,784.07
ख घटाएं : वर्तमान कर के लिए प्रावधान	1,218.80	2,620.11
निवल वर्तमान कर परिसंपत्ति (क-ख)	121.43	163.96
आयकर प्रतिदाय	24.36	24.36
कुल	145.79	188.32

टिप्पणी सं. 13 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. पूंजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम		
क) जमा		
— अच्छे माने गए — अप्रतिभूत	29.10	27.23
— अच्छे माने गए — अप्रतिभूत	84.89	74.79
घटाएं : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान (टिप्पणी सं 13.1 देखें)	84.89	74.79
उप जोड़	29.10	27.23
ख) संविदाकार/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (टिप्पणी सं 13.7 देखें)		
— अच्छे माने गए — प्रतिभूत	0.38	-
— अच्छे माने गए — अप्रतिभूत		
— बैंक गारंटी के प्रति	0.66	1.02
— अन्य	47.85	30.20
घटाएं : लंबित उपयोग प्रमाणपत्र के लिए बुक किया गया व्यय	17.45	12.41
— संदिग्ध माने गए — अप्रतिभूत	61.93	61.93
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं 13.2 देखें)	61.93	61.93
उप जोड़	31.44	18.81
ग) अन्य अग्रिम — कर्मचारी		
— अच्छे माने गए — अप्रतिभूत (टिप्पणी सं 13.6 देखें)	0.88	0.81
— संदिग्ध माने गए — अप्रतिभूत	0.01	
उप जोड़	0.89	0.81
घ) निम्न पर प्रोद्भूत ब्याज :		
अन्य		
— अच्छे माने गए	6.90	1.32
उप जोड़	6.90	1.32
ख. अन्य		
क) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06	37.06
घटाएं : बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्ययों हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं 13.3 देखें)	37.06	37.06
उप जोड़	-	-
ख) बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति/लंबित जांच हेतु प्रतीक्षित हानियां	12.37	8.51
घटाएं : लंबित जांच/बट्टे खाते में डालने की प्रतीक्षा वाली/स्वीकृति की हानियों हेतु प्रावधान (टिप्पणी सं 13.4 देखें)	12.37	8.51
उप जोड़	-	-
ग) पूर्वप्रदत्त व्यय	154.74	187.56
घ) कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत	12.98	10.31

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ङ) आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव		
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	44.02	50.03
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	6.36	4.56
च) अधिशेष/अप्रचलित परिसंपत्तियां (टिप्पणी सं 13.8 देखें)	6.92	11.09
छ) प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट	77.24	29.09
घटाएं : प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट के लिए भत्ता (टिप्पणी सं 13.5 देखें)	44.63	13.54
उप जोड़	32.61	15.55
ज) अन्य (मुख्यतः ठेकेदारों को जारी सामग्री के संबंध में)	137.07	59.49
कुल	463.03	386.76
13.1 संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	74.79	0.01
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	10.10	74.79
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	0.01
अंतिम शेष	84.89	74.79
13.2 संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान (संविदाकार और आपूर्तिकर्ता)		
प्रारंभिक शेष	61.93	45.52
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	16.41
अंतिम शेष	61.93	61.93
13.3 बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित परियोजना व्यय हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	37.06	37.06
अंतिम शेष	37.06	37.06
13.4 जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने की प्रतीक्षा वाली/स्वीकृति की हानियाँ हेतु प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	8.51	11.49
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	6.28	0.21
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	2.21	0.18
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	0.21	3.01
अंतिम शेष	12.37	8.51
13.5 प्राप्य वस्तु एवं सेवा कर इनपुट के लिए अनुमेय		
प्रारंभिक शेष	13.54	-
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	31.09	13.54
अंतिम शेष	44.63	13.54
13.6 निदेशकों या अन्य अधिकारियों से वर्ष के अंत में देय ऋण तथा अग्रिम	शून्य	शून्य
13.7 फर्म या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम, जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या कोई सदस्य है।	शून्य	शून्य
13.8 निपटान हेतु धारित अधिशेष परिसंपत्तियों/अप्रचलित परिसंपत्तियों को बही मूल्य तथा निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर दर्शाया गया है।		
13.9 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं 34(17) देखें।		

टिप्पणी सं. 14 : विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष		
प्रारंभिक शेष	3,470.59	3,470.59
अंतिम शेष	3,470.59	3,470.59

विवरण		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ख	तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन		
	प्रारंभिक शेष	609.61	609.61
	वर्ष के दौरान समायोजन (लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से) (टिप्पणी सं 31 देखें)	(116.53)	-
	वर्ष के दौरान वर्धन (अन्य व्यापक आय के माध्यम से)	2.33	-
	अंतिम शेष	495.41	609.61
ग	किशनगंगा पावर स्टेशन: टैरिफ के अनतिक्रम के कारण अंतरीय मूल्यहास		
	प्रारंभिक शेष	563.11	367.60
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	198.35	195.51
	अंतिम शेष	761.46	563.11
घ	मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर		
	प्रारंभिक शेष	1.72	0.02
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	(0.17)	1.70
	अंतिम शेष	1.55	1.72
ङ	2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूली योग्य आस्थगित कर के प्रति समायोजन		
	प्रारंभिक शेष	1,715.15	1,790.61
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त (टिप्पणी सं 31 देखें)	49.52	75.46
	अंतिम शेष	1,665.63	1,715.15
च	2014-2019 की टैरिफ अवधि के लिए आस्थगित कर देयताओं के लिए समायोजन		
	प्रारंभिक शेष	843.37	837.09
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	10.72	6.28
	अंतिम शेष	854.09	843.37
छ	अंतिम शेष = (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	7,248.73	7,203.55
	घटाएं : विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आस्थगित कर	(280.39)	(296.79)
	जोड़ें : लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर	(280.39)	(296.79)
	आस्थगित कर का निवल विनियामक आस्थगित लेखा शेष	7,248.73	7,203.55

14.1 समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(19) और 34(23) देखें।

टिप्पणी सं 14.2 विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता		
प्रारंभिक शेष	763.78	747.92
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 31 देखें)	1,313.27	45.21
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	60.33	29.35
अंतिम शेष	2,016.72	763.78

14.2.1 समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(19) और 34(23) देखें।

टिप्पणी संख्या 15.1 : इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
प्राधिकृत शेयर पूंजी (प्रति शेयर अंकित मूल्य 10/-रुपए)	150000000000	15,000.00	150000000000	15,000.00
जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों (प्रति शेयर अंकित मूल्य 10/-रुपए)	10045034805	10,045.03	10045034805	10,045.03

15.1.1 रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान :

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
प्रारंभिक शेष	10045034805	100,450,348,050	10045034805	100,450,348,050
अंतिम शेष	10045034805	100,450,348,050	10045034805	100,450,348,050

15.1.2 कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर उनके लिए घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों का वितरण करने के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में है।

15.1.3 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की धारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए शेयर:

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	संख्या	(प्रतिशत) में	संख्या	(प्रतिशत) में
— भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95%	7126772676	70.95%
— भारतीय जीवन बीमा निगम	704952213	7.02%	762090767	7.59%

15.1.4 तुलन पत्र की तारीख से तत्काल पूर्व के पांच वर्षों के दौरान 10 रुपये प्रत्येक के 21,42,85,714 इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद की गई।

15.1.5 31 मार्च 2022 के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता :

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	अवधि के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95%	-

15.1.6 31 मार्च 2021 के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता :

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	अवधि के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	7126772676	70.95%	-

टिप्पणी सं. 15.2 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(i) पूंजी आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	64.08	40.93
जोड़े : वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (टिप्पणी सं 34(32) देखें)	-	23.15
तुलन-पत्र की तारीख पर	64.08	64.08

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ii) पूंजी मोचन आरक्षित	-	
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	2,255.71	2,255.71
तुलन-पत्र की तारीख तक	2,255.71	2,255.71
(iii) बांड मोचन आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,641.95	1,948.38
जोड़े : अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन में अंतरण	275.70	306.43
तुलन-पत्र की तारीख पर	1,366.25	1,641.95
(iv) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	3.61
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलेखित	-	3.61
तुलन-पत्र की तारीख तक	-	-
(v) सामान्य आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	11,544.83	11,544.83
तुलन-पत्र की तारीख तक	11,544.83	11,544.83
(vi) अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	7,374.95	5,414.27
जोड़ें - वर्ष के दौरान लाभ	3,523.57	3,271.78
जोड़ें - वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	14.61	(42.99)
जोड़ें - बॉण्ड मोचन आरक्षित से पश्चलेखित राशि	-	306.43
जोड़ें - बॉण्ड मोचन आरक्षित से अंतरण	275.70	-
जोड़ें - कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से पश्चलेखित राशि	-	1.84
घटाएं : लाभांश (अंतिम और अंतरिम) (टिप्पणी सं. 33(3)(ग) देखें)	1,667.48	1,577.07
जोड़ें - एनसीआई के साथ लेन-देन	(0.20)	0.69
तुलन-पत्र की तारीख पर	9,521.15	7,374.95
(vii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - ऋण दस्तावेज		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	45.41	42.18
जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	(8.22)	3.23
तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	37.19	45.41
(viii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) - इक्विटी दस्तावेज		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	81.34	34.21
जोड़ें - एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)	5.40	47.13
तुलन-पत्र तिथि के अनुसार	86.74	81.34
कुल	24,875.95	23,008.27

15.2.1 आरक्षित की प्रकृति तथा प्रयोजन

- पूंजी आरक्षित** : कंपनी ने वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यम से जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) और लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। इन कंपनियों की मोल-भाव खरीद पर लाभ को पूंजी रिजर्व में मान्यता दी गई है।
- पूंजी मोचन आरक्षित** : यदि शेयरों की पुनः खरीद को मुक्त आरक्षित से किया जाए तो कंपनी को वितरण योग्य लाभ से एक पूंजी मोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित है। इस प्रकार खरीद किए गए शेयरों के नामितिक मूल्य को पूंजी मोचन आरक्षित को अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

- (iii) **बॉण्ड मोचन आरक्षित** : कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के अनुसार, कंपनी के लिए बांडों के मोचन के उद्देश्य के लिए उपलब्ध लाभों से बांड मोचन आरक्षित सृजित करना अपेक्षित था। कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियमावली, 2019 से कंपनी को बांड मोचन आरक्षित के सृजन से छूट मिलती है। संशोधन नियमावली, 2019 में आगे यह निर्धारित है कि कंपनी द्वारा डिबेंचर मोचन आरक्षित में जमा की गई राशि का उपयोग डिबेंचर के मोचन के प्रयोजन के सिवाय अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। तदनुसार, यद्यपि 31.03.2019 तक बनाए गए बांड मोचन आरक्षित को अग्रेणीत किया गया है और वर्ष के दौरान मोचित किए गए बांडों के लिए आगे उपयोग किया जाएगा, आरक्षित में कोई अतिरिक्त प्रोद्भवन नहीं किया गया है।
- (iv) **सामान्य आरक्षित** : सामान्य आरक्षित राशि का उपयोग समय-समय पर विनियोजन के प्रयोजनों के लिए रखी गई आय से लाभ के अंतरण के लिए किया गया है क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरित करके सृजित किया गया है।
- (v) **अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन** : सामान्यतः अधिशेष/प्रतिधारित अर्जन कंपनी की संचयी आय की अवितरित लाभ/राशि को दर्शाता है और इसमें परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर लाभ/हानि का पुनः मापन शामिल है।
- (vi) **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – ऋण दस्तावेज** : कंपनी ने ऋण प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण दस्तावेजों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को लाभ एवं हानि के माध्यम से तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब संगत ऋण प्रतिभूतियों को विमान्य किया जाता है।
- (vii) **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) – इक्विटी दस्तावेज** : कंपनी ने इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता देने का विकल्प चुना है। यह परिवर्तन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेजों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी लाभ व हानि को दर्शाता है। कंपनी इस आरक्षित से राशियों को तब प्रतिधारित आय में अंतरित करती है जब इक्विटी प्रतिभूतियों को संगत विमान्य किया जाता है।

टिप्पणी सं. 15.3 : गैर-नियंत्रक हित (एनसीआई)

(करोड़ रुपए में)

सहायक कंपनी का नाम	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
एनएचडीसी लिमिटेड	2,761.56	2,791.90
लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	39.76	38.08
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा. लिमिटेड (बीएसयूएल)	12.66	5.34
लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	-	-
जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल)	-	-
रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) 01 जून, 2021 से	48.89	-
कुल	2,862.87	2,835.32

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

क) अन्य निकायों में हित

31 मार्च, 2022 के अनुसार समूह की सहायक कंपनियां नीचे दिए अनुसार हैं। जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो, उनकी शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर शामिल हैं जो सीधे समूह द्वारा धारित हैं, और स्वामित्व ब्याजों का अनुपात समूह द्वारा धारित मत अधिकारों के समान हैं। अधिनिगमन या पंजीकरण का देश ही उनके व्यापार का प्रमुख स्थान है।

(करोड़ रुपए में)

निकाय का नाम	व्यापार का स्थान/ अधिनिगमन का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व		गैर-नियंत्रक हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रधान क्रियाकलाप
		31 मार्च, 22 प्रतिशत	31 मार्च, 21 प्रतिशत	31 मार्च, 22 प्रतिशत	31 मार्च, 21 प्रतिशत	
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08	51.08	48.92	48.92	विद्युत उत्पादन
लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल)	भारत	74.83	74.92	25.17	25.08	विद्युत उत्पादन

निकाय का नाम	व्यापार का स्थान/ अधिनिगमन का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व		गैर-नियंत्रक हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रधान क्रियाकलाप
		31 मार्च, 22 प्रतिशत	31 मार्च, 21 प्रतिशत	31 मार्च, 22 प्रतिशत	31 मार्च, 21 प्रतिशत	
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत	86.67	74.00	13.33	26.00	विद्युत उत्पादन
लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल) (09.10.2019 से)	भारत	100.00	100.00	0.00	0.00	विद्युत उत्पादन
जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (31.03.2021 से) [#]	भारत	100.00	100.00	0.00	0.00	विद्युत उत्पादन
रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) (01 जून, 2021 से) ^{##}	भारत	73.53	0.00	26.47	0.00	विद्युत उत्पादन

एनएचपीसी लिमिटेड ने एनसीएलटी के माध्यम से 31.03.2021 को जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किया था।

एनएचपीसी लिमिटेड ने जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) के साथ क्रमशः 51:49 की इक्विटी भागीदारी के साथ “रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड” के नाम से एक नई अनुषंगी कंपनी का गठन किया है, जिसे 01.06.2021 को निगमित किया गया था।

ख) गैर-नियंत्रक हित (एनसीआई)

नीचे प्रत्येक सहायक कंपनी हेतु सारबद्ध वित्तीय सूचना दी गई है जिसके समूह में गैर-नियंत्रक हित है। प्रत्येक सहायक कंपनी हेतु प्रकट की गई राशियां अंतर-कंपनी समाप्ति से पूर्व की हैं।
(करोड़ रुपए में)

विवरण	एनएचडीसी लिमिटेड		लोकटक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कार्पोरेशन लिमिटेड		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा.लिमिटेड		लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल)		जलपावर कार्पोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (31.03.2021 से)		रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) (01.06.2021 से)	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
वर्तमान परिसंपत्तियां	1,310.51	2,078.31	1.85	1.69	18.39	46.82	15.19	45.31	73.27	0.14	178.34	-
वर्तमान देयताएं	358.70	473.57	1.82	2.43	15.47	14.12	51.58	12.38	19.50	0.15	117.10	-
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	951.81	1,604.74	0.03	(0.74)	2.92	32.70	(36.39)	32.93	53.77	(0.01)	61.24	-
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	6,100.73	5,630.34	160.18	152.62	167.42	15.97	1,528.34	1,004.92	252.47	188.17	125.03	-
विनियामक आस्थगित लेखा शेष	(402.81)	(463.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर-वर्तमान देयताएं	1,005.05	1,065.25	-	-	75.32	-	10.99	1.69	2.08	-	-	-
निवल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	4,692.87	4,101.94	160.18	152.62	92.10	15.97	1,517.35	1,003.23	250.39	188.17	125.03	-
निवल परिसंपत्तियां	5,644.68	5,706.68	160.21	151.88	95.02	48.67	1,480.96	1,036.16	304.16	188.16	186.27	-
मूल कंपनी से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	2.22	-	-	28.14	-	-	-	-	1.56	-
निवल गैर नियंत्रक ब्याज	2,761.56	2,791.90	39.76	38.08	12.66	5.34	-	-	-	-	48.89	-

ग) लाभ एवं हानि का सारबद्ध विवरण

विवरण	(करोड़ रुपए में)					
	एनएचडीसी लिमिटेड	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा.लिमिटेड	लैंको तीस्ता हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल)	जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (31.03.2021 से)	खले हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) (01.06.2021 से)
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
राजस्व	1,085.29	1,348.42	0.94	0.13	-	2.09
वर्ष हेतु लाभ / (हानि)	452.63	674.37	(0.70)	(0.13)	(0.21)	(0.43)
विनियामक आस्थगित आय	60.33	(9.74)	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय	(1.89)	0.33	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	511.07	664.96	(0.70)	(0.13)	(0.21)	(0.43)
एनसीआई को आवंटित लाभ	250.96	325.16	(0.09)	(0.03)	-	(0.11)
एनसीआई को अदा किया गया लाभांश (डीडीटी सहित)	280.37	-	-	-	-	-

घ) सारबद्ध नकदी प्रवाह

विवरण	एनएचवीसी लिमिटेड		लोकटक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड		बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्रा.लिमिटेड		लैंको तीस्ता हाईड्रो प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएचपीएल)		जलपावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) (31.03.2021 से)		स्तले हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) (01.06.2021 से)	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	332.62	577.55	-	0.35	(2.30)	(0.21)	(0.95)	(17.09)	(1.49)	-	2.99	-
निवेशात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	160.70	188.72	(7.56)	(9.02)	(133.10)	(1.62)	(469.36)	(34.32)	(42.40)	0.10	(52.88)	-
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(573.52)	(555.46)	8.31	8.61	107.04	35.80	443.90	75.00	116.49	-	186.70	-
नकदी तथा नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी)	(80.20)	210.81	0.75	(0.06)	(28.36)	33.97	(26.41)	23.59	72.60	0.10	136.81	-

टिप्पणी सं. 16.1 : वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिशोधित लागत पर		
क – प्रतिभूत ऋण		
– बाण्ड	14,517.90	15,679.99
– सावधि ऋण		
– बैंकों से	2,560.00	-
– अन्य से (वित्तीय संस्थान)	158.00	316.00
ख. – अप्रतिभूत ऋण		
– सावधि ऋण		
– बैंक से	930.25	-
– भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	3,686.39	3,654.28
– अन्य से (विदेशी मुद्रा में)	1,374.07	1,580.72
कुल	23,226.61	21,230.99

16.1.1 ऋण पारस्परिक संविदाएं – पूंजीगत प्रबंधन के संबंध में टिप्पणी संख्या 33(3) देखें।

16.1.2 मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण।

टिप्पणी सं. 16.1.2

(करोड़ रुपए में)

16.1.2.क मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(क) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनीय और गैर-संचयी) – प्रतिभूत		
i) कर मुक्त बॉण्ड – 3ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2 और 5) देखें) (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.67 प्रतिशत प्रति वर्ष के 20 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	336.07	336.07
ii) कर मुक्त बॉण्ड – 3बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2 और 5) देखें) (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.92 प्रतिशत प्रति वर्ष 20 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2033)	253.62	253.62
iii) बॉण्ड – यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (1 और 6) देखें) (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.24 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर-संचयी अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	540.00	540.00
iv) बॉण्ड – यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (1 और 6) देखें) (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.17 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर-संचयी अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 27.06.2031)	360.00	360.00
v) कर मुक्त बॉण्ड – 2ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2 और 5) देखें) (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	213.12	213.12
vi) कर मुक्त बॉण्ड – 2बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2 और 5) देखें) (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.79 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2028)	85.61	85.61

16.1.2.क मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
vii)	बॉण्ड-एसी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (12) देखें) (8.89 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 15 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड, 10 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.02.2027 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	1,500.00
viii)	बॉण्ड-एबी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (11) देखें) (6.80 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (750 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 24.04.2026 से प्रारंभ होगी।)	750.00	750.00
ix)	बॉण्ड-एए-1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(10) देखें) (6.89 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (500 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.03.2026 से प्रारंभ होगी।)	500.00	500.00
x)	बॉण्ड-एए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (10) देखें) (7.13 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2026 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	1,500.00
xi)	बॉण्ड-वाई-1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(9) देखें) (7.38 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (500 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 03.01.2026 से प्रारंभ होगी।)	500.00	500.00
xii)	बॉण्ड-वाई सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(9) देखें) (7.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (1500 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 5 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 07.10.2025 से प्रारंभ होगी।)	1,500.00	1,500.00
xiii)	कर मुक्त बॉण्ड – 1ए सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2 और 5) देखें) (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.18 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2023)	50.81	50.81
xiv)	कर मुक्त बॉण्ड – 1बी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2 और 5) देखें) (1,000/- रुपए प्रत्येक के 8.43 प्रतिशत प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर मुक्त बॉण्ड) (मोचन की तिथि 02.11.2023)	60.77	60.77

16.1.2.क मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
xv)	बॉण्ड-डब्ल्यू2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(8) देखें) (7.35 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2023 से प्रारंभ होने वाली 5 समान वार्षिक किश्तों में 750.00 करोड़ रूपए मोचनयोग्य राशि के बॉण्ड इश्यू)	750.00	750.00
xvi)	बॉण्ड-बी2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2) देखें) (7.52 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रूपए प्रत्येक के 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (06.06.2023 से 06.06.2027 तक 295.00 करोड़ रूपए प्रत्येक की 5 वर्षीय मोचन)	1,475.00	1,475.00
xvii)	बॉण्ड-एक्स सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2) देखें) (10,00,000/- रूपए प्रत्येक के 8.65 प्रतिशत प्रति वर्ष के 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड, जो 7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय) (7 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय 1500 करोड़ रुपये की राशि के बांड इश्यू, जो 08.02.2023 से प्रारंभ है।	1,500.00	1,500.00
xviii)	बॉण्ड - टी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (1 और 6) देखें) (12,00,000/- रूपए प्रत्येक के 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (12.07.2019 से प्रारंभ होने वाली 12 समान वार्षिक किश्तों में 1474.92 करोड़ रूपए की बॉण्ड इश्यू चुकौतीयोग्य है। 31.03.2022 को 122.91 करोड़ रूपए की 9 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	1,106.19	1,229.10
xix)	बॉण्ड - आर-3 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2) देखें) (10,00,000/- रूपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय मोचनीय योग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (11.02.2019 से प्रारंभ 892.00 करोड़ रुपये के 10 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय बांड इश्यू। दिनांक 31.03.2022 को 89.20 करोड़ रुपये की 6 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	535.20	624.40
xx)	बॉण्ड - एस-2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (6) देखें) (12,00,000/- रूपए प्रत्येक के 8.54 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (26.11.2018 से प्रारंभ 660.00 करोड़ रुपये के 12 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय योग्य बांड इश्यू। दिनांक 31.03.2022 को 55.00 करोड़ रुपये प्रत्येक की 8 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	440.00	495.00
xxi)	बॉण्ड-डब्ल्यू1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (8) देखें) (6.91 प्रतिशत प्रति वर्ष 50,00,000/- रूपए प्रत्येक के 5 वर्षीय प्रतिभूत चुकौतीयोग्य गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय करयोग्य बॉण्ड, 5 पृथक अंतरणीय चुकौतीयोग्य मूलधन हिस्से और बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5वां भाग होने वाले प्रत्येक पृथक रूप से अंतरणीय चुकौती योग्य मूल धनराशि सहित) (15.09.2018 से प्रारंभ 1500 करोड़ रुपये के प्रत्येक की 5 समान वार्षिक किश्तों में मोचनीय योग्य बांड इश्यू। दिनांक 31.03.2022 को 300 करोड़ रुपये की अंतिम वार्षिक किश्त बकाया हैं)	300.00	600.00
xxii)	बॉण्ड - वी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2) देखें) (5,00,000/- रूपए प्रत्येक के 6.84 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर-संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें 5 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/5 है) (24.01.2018 से प्रारंभ 775 करोड़ रुपये की बॉण्ड निर्गम राशि की 5 वार्षिक समान किश्तों में मोचनयोग्य।	-	155.00

16.1.2.क मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
xxiii) बॉण्ड – क्यू सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(4 व 8) देखें) (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर-संचयी अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूललघन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूललघन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (1266.00 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 12.3.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2022 के अनुसार 105.50 करोड़ रुपए प्रत्येक की 5 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)		527.50	633.00
xxiv) बॉण्ड – आर-2 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(2) देखें) (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत प्रति वर्ष 14 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर-संचयी अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूल धन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचनयोग्य मूललघन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (382.08 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.02.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2022 के अनुसार 31.84 करोड़ रुपए प्रत्येक की 5 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)		159.20	191.04
xxv) बॉण्ड – पी सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2, 4 और 5) देखें) (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत प्रति वर्ष 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनयोग्य गैर-संचयी अपरिवर्तनीय बॉण्ड जिनमें 10 वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना चाहिए।) (2000 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 01.2.2016 से प्रारंभ होगी। 31.03.2022 के अनुसार 200 करोड़ रुपए प्रत्येक की 3 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)		600.00	800.00
xxvi) बॉण्ड –एस1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (6) देखें) (8.49 प्रतिशत 10 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य गैर-संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 10,00,000/- रुपये हैं और जो 10 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूललघन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/10वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूललघन भाग वाला है।) (365 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 10 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 26.11.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2022 के अनुसार 36.50 करोड़ रुपए की 3 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।)		109.50	146.00
xxvii) बॉण्ड –आर1 सीरीज (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (2) देखें) (8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय प्रतिभूत चुकौती योग्य गैर-संचयी अपरिवर्तनीय कर योग्य बॉण्ड जिनमें प्रत्येक का मूल्य 12,00,000/- रुपये हैं और जो 12 पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूललघन हिस्सों तथा प्रत्येक बॉण्ड के अंकित मूल्य के 1/12वां हिस्सा शामिल होने वाले पृथक अंतरणीय चुकौती योग्य मूललघन भाग वाला है।) 82.20 करोड़ रुपए की बॉण्ड जारी किए जाने की राशि 12 समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएगी जो 11.2.2015 से प्रारंभ होगी। 31.03.2022 के अनुसार 6.85 करोड़ रुपए की 4 वार्षिक किश्तें बकाया हैं।		27.40	34.25
कुल बॉण्ड		15,679.99	16,782.79
घटाएं : वर्तमान परिपक्वता		1,162.09	1,102.80
बॉण्ड – वर्तमान परिपक्वता का निवल (क)		14,517.90	15,679.99
(ख) सावधि ऋण – प्रतिभूत (बैंक)			
i) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (टिप्पणी 16.1.2.ख (2 और 3) देखें) (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, 31.12.2031 तक 5.39 प्रतिशत प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (रेपो 4.00 प्रतिशत और आरबीआई नीति पुनर्निर्धारण पर 1.39 प्रतिशत विस्तारित) दर से 92 समान मासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है।)		500.00	-
ii) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (टिप्पणी 16.1.2.ख (12,13 और 142) देखें) (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, 01.10.2031 तक 5.66 प्रतिशत प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर (3 महीने का ट्रेजरी बिल 3.73 प्रतिशत और तिमाही पुनर्निर्धारण के साथ 1.93 प्रतिशत विस्तार) पर 21.7391 करोड़ रुपए की 92 समान मासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है।)		2,000.00	-

16.1.2.क मोचन, पुनर्भुगतान और प्रतिभूतियों का विवरण		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
iii)	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (टिप्पणी 16.1.2.ख(16) देखें) (13 वर्षों में त्रैमासिक आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से (2 साल के स्थगन के साथ) फ्लोटिंग ब्याज दर (आरबीआई रेपो दर और 2.48 प्रतिशत) पर पुनर्भुगतान किए जाए योग्य। ऋण बुंदेखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड द्वारा लिया गया है। कुल सावधि ऋण – बैंक (प्रतिभूत) घटाएं : वर्तमान परिपक्वता कुल सावधि ऋण – बैंक – वर्तमान परिपक्वता का निवल (ख)	60.00 2,560.00 - 2,560.00	 - - -
(ग)	सावधि ऋण – अन्य से (प्रतिभूत)		
i)	भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख (3 और 7) देखें) (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 9.118 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर के साथ 79 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 समान छमाही किश्तों में 31.10.2023 पुनर्भुगतान योग्य।) कुल सावधि ऋण-अन्य पक्षकार (प्रतिभूत) घटाएं : वर्तमान परिपक्वता सावधि ऋण – अन्य वर्तमान परिपक्वता का निवल (ग)	316.00 316.00 158.00 158.00	474.00 474.00 158.00 316.00
(घ)	सावधि ऋण – बैंकों से (अप्रतिभूत)		
i)	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (चमेरा-। पावर स्टेशन की इक्विटी पर प्रतिफल का प्रतिभूतीकरण) (टिप्पणी 34(29) देखें) (31.03.2022 तक 5.24 प्रतिशत प्रति वर्ष की फ्लोटिंग ब्याज दर पर 29.02.2032 तक 120 मासिक किश्तों में पुनर्भुगतान जा सकता है (3 महीने का ट्रेजरी बिल अर्थात 3.71 प्रतिशत और 1.53 प्रतिशत के विस्तार के साथ) और बिजली के लिए एनएचपीसी द्वारा बुक की गई आय का 5 प्रतिशत का प्रत्येक 12 महीने की अवधि के अगले महीने के अंत में संवितरण के महीने सहित पिछले 12 महीने की अवधि के लिए माध्यमिक ऊर्जा इकाइयों की बिक्री के बदले एचडीएफसी को भुगतान किया जाएगा। (31.03.2022 को 119 मासिक किश्तें बकाया हैं)। कुल सावधि ऋण – बैंकों से (अप्रतिभूत) घटाएं : वर्तमान परिपक्वता सावधि ऋण – बैंकों से (अप्रतिभूत) – वर्तमान परिपक्वता का निवल (घ)	1,010.01 1,010.01 79.76 930.25	- - - -
(ड)	भारत सरकार से सावधि ऋण (अप्रतिभूत) भारत सरकार से ऋण (उचित मूल्य पर)		
i)	निम्मो – बाज़गो पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष अर्थात 10.10.2025 से 29.09 करोड़ की 18 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।)	433.63	429.13
ii)	चूटक पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (2.50 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6ठे वर्ष अर्थात 01.02.2019 से 23.11 करोड़ रुपये की 24 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य।) (31.03.2022 को, 23.11 करोड़ रुपये प्रत्येक की 20 वार्षिक किश्तें बकाया हैं)	405.82	424.01
iii)	किशनगंगा पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 364.458 करोड़ रुपये की 10 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से अर्थात 24.05.2029 से वार्षिक आधार पर देय होगा) कुल सावधि ऋण – सरकार (अप्रतिभूत) घटाएं : वर्तमान परिपक्वता सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – वर्तमान परिपक्वता का निवल (घ)	2,870.05 3,709.50 23.11 3,686.39	2,824.25 3,677.39 23.11 3,654.28
(च)	सावधि ऋण – अन्यो से – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूत)		
i)	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ट्रान्च-1 (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(15) देखें) (31.03.2022 के अनुसार 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.01.2026 तक 7.60 करोड़ रुपये प्रत्येक की 8 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)	60.80	81.44

31 मार्च,
2021 को

ii)	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ट्रान्च-II (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(15) देखें)	299.19	374.06
	(31.03.2022 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.12.2027 तक 24.93 करोड़ रुपए प्रत्येक की 12 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)		
iii)	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ट्रान्च-III (टिप्पणी सं. 16.1.2.ख(15) देखें)	441.98	513.12
	(31.03.2022 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 20.03.2034 तक 18.42 करोड़ रुपए प्रत्येक की 24 समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य)		
iv)	एमयूएफजी बैंक लिमिटेड, सिंगापुर	674.00	721.30
	(6 माह चक्रवर्ती संदर्भ दर (सीएएस + टोना + 0.75 प्रतिशत) पर 25.07.2024 को एक ही किश्त में पुनर्भुगतान योग्य। ऋण का बचाव 0.931 प्रतिशत (भारतीय रुपये) प्रति वर्ष की केवल कूपन अदला-बदली नियत दर पर तथा 0.90 रुपये की जापानी येन की स्ट्राइक कीमत सहित 6.25 प्रतिशत (भारतीय रुपये) प्रति वर्ष की मांग फैलाव कूपन नियत दर पर किया जाता है)		
	कुल सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूत)	1,475.97	1,689.92
	घटाएं : वर्तमान परिपक्वताएं	101.90	109.20
	सावधि ऋण – अन्य पक्षकार – विदेशी मुद्रा (अप्रतिभूत) (च)	1,374.07	1,580.72
	सकल जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)	23,226.61	21,230.99

16.1.2.ख प्रतिभूति का विवरण

1. जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी-। पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
2. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्वती-। पावर स्टेशन की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
3. पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम-। पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
4. उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौलीगंगा पावर स्टेशन की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
5. कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन-। की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों (बही ऋण और भंडारों को छोड़कर) पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
6. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के पार्वती-। पावर स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
7. सिक्किम राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता-V पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
8. हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित में कंपनी की पार्वती-। परियोजना की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति साम्य बंधक तथा रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत सृजन और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित कंपनी के दुलहस्ती विद्युत स्टेशन की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत प्रक्रियाधीन है।
9. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्वती-। परियोजना की अचल तथा चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति बंधक/रेहन के माध्यम से प्रभार द्वारा प्रतिभूत सृजन और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के किशनगंगा विद्युत स्टेशन की चल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति रेहन के माध्यम से प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
10. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी की पार्वती-। परियोजना, पार्वती-। पावर स्टेशन, चमेरा-। पावर स्टेशन तथा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित धौलीगंगा पावर स्टेशन की चल तथा अचल परिसंपत्तियों (लेखा बही तथा भण्डारों के अतिरिक्त) के प्रति साम्य बंधक/रेहन के माध्यम से प्रभार द्वारा प्रतिभूत सृजन।
11. हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कम्पनी के चमेरा-। पावर स्टेशन की अचल और चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
12. असम और अरुणाचल राज्य में अवस्थित कम्पनी की सुबानसिरी लोअर परियोजना की अचल और चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
13. पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित कम्पनी के टीएलडीपी-IV पावर स्टेशन की अचल और चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
14. जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी के उड़ी-। पावर स्टेशन की अचल और चल परिसंपत्तियों (सिवाय लेखा बहियों तथा भण्डारों के) के प्रति समान बंधक/रेहन के माध्यम से समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
15. उपरोक्त क्रमांक च(i), च(ii) और च(iii) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत हैं।
16. ऋण बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी) की अचल/चल परिसंपत्तियों के प्रति रेहन द्वारा प्रतिभूत है। ऋण एनएचपीसी लिमिटेड से अप्रतिसंहरणीय और बिना शर्त कारपोरेट गारंटी द्वारा भी प्रतिभूत है।

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – पट्टा देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पट्टा देयताएं (टिप्पणी संख्या 34(18)(क) देखें)	17.46	12.28
कुल	17.46	12.28

टिप्पणी सं. 16.2 वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान – अन्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय (टिप्पणी संख्या 16.3.1 देखें)		
– मूलधन	2,017.20	2,017.20
प्रतिधारण राशि	81.77	38.05
कुल	2,098.97	2,055.25

16.2.1 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) योजना के लिए भारत सरकार की वित्तपोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने डिबेंचर (बांड) के रूप में 10,00,000/- रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के साथ अप्रतिभूत गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय मोचनीय, करयोग्य "भारत सरकार के पूर्णतः सेवित बांड – सीरीज-I" की निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 2017.20 करोड़ रुपये की समग्र राशि जुटाई है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 21.01.2019 और 11.03.2019 के पत्र के साथ पठित विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 12.03.2019 के पत्र के तहत भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बांडों के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान अनुमानित देयताओं के अनुसार विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके किया जाएगा। तदनुसार, ऐसे बांडों की राशि और बांडधारकों को देय ब्याज की राशि उपरोक्तानुसार वित्तीय देयता के रूप में प्रतीत हो रही है और साथ ही भारत सरकार से कंपनी द्वारा वसूलीय राशि भी टिप्पणी संख्या 3.3(ग) के तहत गैर-वर्तमान – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य के तहत "भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीय राशि" के रूप में दर्शाई गई है।

बॉण्ड धारकों को कंपनी द्वारा अदा किया जाने वाला ब्याज भारत सरकार से "वित्तीय परिसंपत्तियों" के अंतर्गत वसूलीयोग्य है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जुटाए गए भारत सरकार पूर्णतः सेवित बांडों का ब्यौरा इस प्रकार है:

भारत सरकार पूर्णतः सेवित बांड-I सीरीज:

8.12	प्रतिशत पर प्रत्येक 10,00,000/- रुपये के अर्द्धवार्षिक, 10 वर्ष अप्रतिभूत गैर-संचयी, मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय कर योग्य बांड, (मोचन की तारीख 22.03.2029)	2017.20	2017.20

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान – गैर वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
i) दीर्घावधि हितलाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	8.17	35.07
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	24.52	0.11
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.58	27.01
अंतिम शेष	32.11	8.17
ख. अन्य		
i) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1.37	1.43
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	0.01
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.10	0.21
छूट की समाप्ति	0.14	0.14
अंतिम शेष	1.41	1.37
ii) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	19.08	18.57
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.23	1.03

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	0.85
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.08
छूट की समाप्ति	0.39	0.41
अंतिम शेष	19.70	19.08
iii) प्रावधान – अन्य		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1.07	0.49
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	0.73
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	0.15
अंतिम शेष	1.07	1.07
कुल	54.29	29.69

17.1 टिप्पणी : प्रावधानों के संबंध में जानकारी समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(22) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 आस्थगित कर देयताएं (निवल) – गैर वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
आस्थगित कर देयता		
क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, उपयोग का अधिकार, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	4,049.39	4,012.53
ख) एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	22.69	25.19
ग) अन्य मर्दे	745.81	717.65
घ) अवितरित अर्जन	529.69	538.23
आस्थगित कर देयता	5,347.58	5,293.60
घटाएं – समायोजन प्रावधानों के अनुपालन में समायोजित आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
क) कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋण, माल-सूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	445.66	417.80
ख) अन्य मर्दे	57.80	36.52
ग) एमएटी ऋण पात्रता (टिप्पणी सं 18.2 और 18.4 देखें)	2,401.68	993.40
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2,905.14	1,447.72
आस्थगित कर देयता (निवल)	2,442.44	3,845.88

18.1 आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियों) में संचलन टिप्पणी 18.1 के अनुबंध में दिए गए अनुसार है।

18.2 एनएचडीसी लि., समूह की एक सहायक कंपनी द्वारा मैट क्रेडिट की मान्यता – सीईआरसी विनियम वार्षिक नियत लागत की वसूली का विश्वसनीय प्रमाण प्रदान करता है। इसलिए, उपरोक्त क्षतिपूर्ति से भावी कर योग्य आय पर मैट ऋण का परिणामी आंशिक उपयोग होगा। दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 923.06 करोड़ रुपये (गत वर्ष के दौरान 993.40 करोड़ रुपये) की मैट ऋण पात्रता को 70.34 करोड़ रुपये (गत वर्ष 29.35 करोड़ रुपये के मैट ऋण के उपयोग के पश्चात, वर्तमान वर्ष के दौरान 31 मार्च 2022 को अप्रयुक्त कर क्रेडिट के कारण आस्थगित कर संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। उपरोक्त में से, 703.45 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 763.78 करोड़ रुपए) की राशि को विनियामक आस्थगित ऋण शेष के रूप में मान्यता दी गई है (जैसा कि सीईआरसी विनियम 2019-24 के अनुसार प्रभावी कर दर पर आरओई के सकलीकरण के माध्यम से भविष्य के वर्षों में इसे विनियोजित/समायोजित किया जाना है) (टिप्पणी 14.2 देखें)।

18.3 आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खक के प्रावधानों के अनुसार कर कानून (संशोधित) अध्यादेश 2019 द्वारा घोषित तथा 11 दिसंबर, 2019 को कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 में अधिनियमित नियम 1 अप्रैल, 2019 से लागू होने हैं, घरेलू कंपनियों के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अनुसार कुछेक छूट/कटौतियों (नयी कर पद्धति) को छोड़कर रियायती दरों पर आय कर का भुगतान करने का विकल्प है। मूल कंपनी के पास 31 मार्च, 2022 तक 2424.58 करोड़ रुपये (गत वर्ष 2379.94 करोड़ रुपये) का न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) ऋण अप्रयुक्त पड़ा है और कुछ विद्युत स्टेशनों से विद्युत के उत्पादन से लाभ के संबंध में कर कटौती का लाभ उठा रही है। इस संबंध में वर्तमान तथा आस्थगित कर मान्यता के लिए मौजूदा कर संरचना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। धारा 115खक के अंतर्गत विकल्प का उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्णय, कर कटौती उपलब्ध न होने पर तथा एमएटी क्रेडिट की वास्तविक समाप्ति पर लिया जाएगा।

18.4 वर्ष के दौरान, मूल कंपनी ने कंपनी को उपलब्ध कुल एमएटी क्रेडिट 2424.58 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2379.94 करोड़ रुपए) में से 1478.62 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) के समायोजन को मान्यता प्रदान की है क्योंकि भावी आयकर देयता के प्रति उपलब्धता के रूप में भावी आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की संभावना थी। उपरोक्त में से, 1313.27 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) की राशि को विनियामक आस्थगन खाते (क्रेडिट) शेष के रूप में लाभार्थियों को देय माना गया है। टिप्पणी 14.2 भी देखें।

18.1 आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्तियों) में संचलन

वित्तीय वर्ष 2021-22

आस्थगित कर देयता में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	अवितरित अर्जन	कुल
01 अप्रैल, 2021 को प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)	4,012.53	25.19	717.65	538.23	5,293.60
— लाभ या हानि में	36.86	(1.38)	28.82	(8.54)	55.76
— ओसीआई में	-	(1.12)	(0.66)	-	(1.78)
31 मार्च, 2022 को	4,049.39	22.69	745.81	529.69	5,347.58

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋणों, मालसूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	अन्य मदें	मैट ऋण	कुल
01 अप्रैल, 2021 को प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)	417.80	36.52	993.40	1,447.72
— लाभ या हानि में	28.52	21.28	1,478.62	1,528.42
— वर्तमान कर प्रावधान के प्रति प्रयुक्त मैट क्रेडिट	-	-	(70.34)	(70.34)
— ओसीआई में	(0.66)	-	-	(0.66)
31 मार्च, 2022 को	445.66	57.80	2,401.68	2,905.14

वित्तीय वर्ष 2020-21

आस्थगित कर देयता में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	अन्य मदें	अवितरित अर्जन	कुल
01 अप्रैल, 2020 को प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)	3,980.45	42.98	695.61	514.46	5,233.50
— लाभ या हानि में	32.08	-	21.93	23.77	77.78
— ओसीआई में	-	(17.79)	0.12	-	(17.67)
31 मार्च, 2021 को	4,012.53	25.19	717.66	538.23	5,293.61

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में संचलन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	कर्मचारी हितलाभ योजना, संदिग्ध ऋणों, मालसूची तथा अन्य हेतु प्रावधान	अन्य मदें	मैट ऋण	कुल
01 अप्रैल, 2020 को प्रभारित/(क्रेडिट किया गया)	373.52	17.27	983.49	1,374.28
— लाभ या हानि में	44.17	19.25	9.91	73.33
— ओसीआई में	0.11	-	-	0.11
31 मार्च, 2021 को	417.80	36.52	993.40	1,447.72

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	अग्रिम में प्राप्त आय — मूल्यहास के प्रति अग्रिम	886.69	939.28
	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	40.13	41.37
	सरकार से सहायता अनुदान — आस्थगित आय (टिप्पणी सं. 19.1 देखें)	2,111.03	2,116.82
	कुल	3,037.85	3,097.47
19.1	सरकार से सहायता अनुदान — आस्थगित आय		
	प्रारंभिक शेष (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	2,227.30	2,278.41
	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	78.71	44.93
	घटाएं : लाभ एवं हानि के विवरण में अंतरित (टिप्पणी सं 24.2 देखें)	97.26	96.04
	अंतिम शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान) (टिप्पणी सं 19.1.1 देखें)	2,208.75	2,227.30
	सरकार से सहायता अनुदान — आस्थगित आय (वर्तमान) — (टिप्पणी सं 21 देखें)	97.72	110.48
	सरकार से सहायता अनुदान — आस्थगित आय (गैर-वर्तमान)	2,111.03	2,116.82
19.1.1	अनुदान में निम्नलिखित शामिल है :		
(i)	सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित चुटक पावर स्टेशन, निम्नो बाजगो पावर स्टेशन और किशनगंगा पावर स्टेशन से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन	1,135.17	1,167.32
(ii)	सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के संबंध में डाउनस्ट्रीम संरक्षण उपायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	74.07	-
(iii)	तमिलनाडु में 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान) तथा रुफटॉप सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	22.15	23.20
(iv)	मध्य प्रदेश सरकार से इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर पावर स्टेशनों के लिए प्राप्त अनुदान	963.34	1,023.28
(v)	राज्य में सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उन पर प्रोद्भूत ब्याज सहित प्राप्त निधियां (सहायता अनुदान)	14.02	13.50
	कुल	2,208.75	2,227.30

टिप्पणी सं. 20.1 ऋण — वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क	अन्य ऋण		
	बैंकों से — प्रतिभूत (टिप्पणी सं 20.1.1 देखें)	1,323.90	726.03
ख	दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता (देखें टिप्पणी 20.3.1)		
	— बाण्ड	1,162.09	1,102.80
	— सावधि ऋण — बैंक — अप्रतिभूत	79.76	-
	— सावधि ऋण — वित्तीय संस्थान — प्रतिभूत	158.00	158.00
	— अप्रतिभूत — सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	23.11	23.11
	— अन्य — अप्रतिभूत (विदेशी मुद्रा में)	101.90	109.20
	उप जोड़ (ख)	1,524.86	1,393.11
	कुल (क+ख)	2,848.76	2,119.14

20.1.1 1323.90 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 726.03 करोड़ रुपये) की राशि बैंक से प्रतिभूति ऋण व्यापार प्राप्ति के लिए आश्रय से लाभार्थियों के लिए छूट वाले बिलों द्वारा बैंक को देय राशि के लिए है। बिल छूट के माध्यम से परिसमाप्त व्यापार प्राप्ति की निरंतर मान्यता प्रदान करने से संबंधित टिप्पणी 7.7 देखें।

20.1.2 मोचन के संबंध में विवरण, ब्याज दर, पुनर्भुगतान की शर्तें और सुरक्षा के विवरण टिप्पणी संख्या-16.1.2 में प्रकट किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 20.2 पट्टा देयताएं – वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पट्टा देयताओं की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 34(18)(क) देखें)	3.12	2.83
कुल	3.12	2.83

टिप्पणी सं. 20.3 व्यापार देय – वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय	30.37	36.04
सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल बकाया देय	183.74	173.82
कुल	214.11	209.86

20.3.1 देय व्यापार की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी सं. 20.3 का अनुबंध –। देखें।

20.3.2 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 20.3 का अनुबंध-।

31 मार्च, 2022 के अनुसार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	देय भुगतान योग्य व्यापार और भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएमएमई	7.69	-	21.39	1.11	0.27	0.11	30.57
(ii) अन्य	47.66	3.61	100.90	9.73	6.27	15.29	183.46
(iii) विवादित देय – एमएमएमई	-	-	0.04	-	0.04	-	0.08
कुल	55.35	3.61	122.33	10.84	6.58	15.40	214.11

31 मार्च, 2021 के अनुसार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	देय भुगतान योग्य व्यापार और भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएमएमई	2.04	4.30	24.92	0.44	0.37	0.01	32.08
(ii) अन्य	15.61	9.39	117.75	9.66	7.95	17.38	177.74
(iii) विवादित देय – एमएमएमई	-	-	-	0.04	-	-	0.04
कुल	17.65	13.69	142.67	10.14	8.32	17.39	209.86

टिप्पणी सं. 20.4 अन्य वित्तीय देयताएं – वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को छोड़कर पूंजीगत कार्य/आपूर्तियों के प्रति देयता	583.87	432.15
पूंजीगत कार्य/आपूर्तियों के प्रति देयता – सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	12.59	12.97
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति देयता	14.89	3.43
(टिप्पणी सं. 20.4.1 और 20.4.2 देखें)		
ऋणों पर प्रोद्भूत किन्तु देय न होने वाला ब्याज	636.29	660.72

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में देय ब्याज (टिप्पणी सं 16.3.1 और 11(1) देखें)	4.49	4.49
धरोहर जमा राशि/प्रतिधारण राशि	247.44	328.13
अदा न किया गया लाभांश (टिप्पणी सं 20.4.1 देखें)	24.64	23.47
अदा न किया गया ब्याज (टिप्पणी सं 20.4.1 देखें)	0.54	0.50
कर्मचारियों को देय	27.15	27.21
अन्य को देय	25.22	87.80
कुल	1,577.12	1,580.87

20.4.1 "अदा न किया गया लाभांश" और "अदा न किया गया ब्याज" में वे राशियां शामिल हैं जिनका इक्विटी शेयर/बॉण्ड के निवेशकों/धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से, निवेशक शिक्षा और बचाव निधि में अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशि को अंतरित कर दिया गया है। निवेशक शिक्षा और बचाव निधि में भुगतान के लिए कोई राशि बकाया नहीं है।

20.4.2 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम)	52.60	52.60
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लेख से आस्थगित आय	1.42	1.60
देय जल उपयोग प्रभार	103.42	165.28
भुगतान योग्य सांविधिक देय	167.11	167.14
संविदा देयताएं – जमा कार्य	6.30	7.52
संविदा देयताएं – परियोजना प्रबंधन/परामर्श कार्य	112.54	144.09
ग्राहकों से अग्रिम और अन्य	66.79	32.99
सरकार से सहायता अनुदान – आस्थगित आय (टिप्पणी सं 19.1 देखें)	97.72	110.48
कुल	607.90	681.70

21.1 शेषों की पुष्टि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 34(17) देखें।

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान – वर्तमान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क) कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान		
i) दीर्घावधि हितलाभ हेतु प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया)		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1.09	2.38
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1.92	0.51
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1.09	1.80
अंतिम शेष	1.92	1.09
ii) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.22	0.34
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.01	0.12
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.13	-
अंतिम शेष	0.08	0.22

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
iii) उत्पादकता संबंधित वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	510.34	418.08
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	240.43	294.89
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	422.15	201.80
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	42.91	0.83
अंतिम शेष	285.71	510.34
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	0.39	111.86
अग्रिम का निवल उत्पादकता संबंधित वेतन/ प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	285.32	398.48
ख. अन्य		
i) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	202.08	155.92
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	85.31	49.69
समायोजन	22.71	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	89.61	3.53
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	6.24	-
अंतिम शेष	214.25	202.08
ii) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	145.23	157.48
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.10	15.48
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	23.07	27.56
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	0.17
अंतिम शेष	122.26	145.23
iii) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरूद्धार व्यय हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	148.18	54.11
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	21.02	147.24
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	82.64	49.12
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.39	4.05
अंतिम शेष	85.17	148.18
iv) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	16.16	16.01
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.17	0.88
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.87	0.87
छूट की समाप्ति	0.05	0.14
अंतिम शेष	13.51	16.16
v) मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में प्रावधान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	384.83	369.83
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	6.40	2.55
समायोजन	-	15.07
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	27.77	2.43
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	15.92	0.19
अंतिम शेष	347.54	384.83

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
vi) प्रावधान – अन्य		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	277.34	268.79
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	100.48	84.19
समायोजन	(22.71)	(15.10)
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	83.12	4.15
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.30	56.39
अंतिम शेष	270.69	277.34
कुल	1,340.74	1,573.61

22.1 प्रावधानों के संबंध में जानकारी समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 34(22) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार वर्तमान कर देयता	716.90	793.71
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	915.60	920.22
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रयुक्त मैट क्रेडिट	70.34	29.35
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(716.74)	(791.14)
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.16	-
वर्तमान कर देयता का अंतिम शेष (क)	845.26	893.44
घटाएं : स्रोत पर कर कटौती सहित वर्तमान अग्रिम कर (ख)	834.04	868.22
निवल वर्तमान कर देयताएं (क-ख)	11.22	25.22
(टिप्पणी सं. 4 के तहत प्रकट किया गया)	3.34	9.80
कुल	14.56	35.02

टिप्पणी सं. 24.1 : प्रचालनों से राजस्व

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रचालनात्मक राजस्व		
क. बिक्री (टिप्पणी संख्या 24.1.1 और 24.1.3 देखें)		
विद्युत की बिक्री	7,122.89	6,691.28
मूल्यहास के प्रति अग्रिम – वर्ष के दौरान पश्चलेखित	52.60	52.73
निष्पादन आधारित प्रोत्साहन	836.04	1,058.62
उप-जोड़ (i)	8,011.53	7,802.63
घटाएं :		
विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण बिक्री समायोजन	44.02	50.03
टैरिफ समायोजन (टिप्पणी संख्या 24.1.2 देखें)	94.37	58.37
विद्युत के उत्पादन से आय – चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित)	53.81	34.73
उपभोक्ताओं को छूट	30.12	18.11
उप जोड़ (ii)	222.32	161.24
उप जोड़ (क) = (i-ii)	7,789.21	7,641.39

विवरण		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ख	वित्त पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 34(18(ख) देखें)	865.51	899.08
ग	प्रचालनात्मक पट्टे से आय (टिप्पणी संख्या 34(18(ग) देखें)	384.07	712.00
घ	परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व		
	संविदा आय	0.02	0.06
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	22.90	21.36
	उप जोड़ (घ)	22.92	21.42
ङ	विद्युत व्यापार से राजस्व		
	विद्युत की बिक्री (छूट का निवल)	45.76	218.52
	घटाएं : उपभोक्ताओं को छूट	0.91	2.04
	उप जोड़ (ङ)	44.85	216.48
	उप जोड़ – I (क+ख+ग+घ+ङ)	9,106.56	9,490.37
च.	अन्य प्रचालनात्मक राजस्व		
	स्वयं सृजित वीईआर/आरईसी की बिक्री से आय	52.70	1.92
	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के संबंध में आय	3.61	2.96
	लाभग्राही राज्यों से ब्याज – टैरिफ का संशोधन	25.91	152.64
	उप जोड़-II	82.22	157.52
	कुल (I + II)	9,188.78	9,647.89
24.1.1	विद्युत की बिक्री में शामिल है:-		
	(i) वर्ष 2009 तक की अवधि से संबंधित आस्थगित कर देयता के संबंध में लाभार्थी से सीधे वसूली गई/वसूलनीय राशि और वर्ष के दौरान व्यवहार में लाई गई राशि	76.13	116.00
	(ii) पूर्व वर्ष की बिक्री	288.68	290.99
	(iii) विद्युत शुल्क तथा ऊर्जा विकास उपकर लाभग्राहियों से वसूली योग्य है और तदनुसार लाभग्राहियों को इसका बिल भेजा गया है:		
	— विद्युत शुल्क	0.43	19.15
	— ऊर्जा विकास उपकर	39.54	63.33
24.1.2	टैरिफ समायोजन :- दिनांक 21.02.2014 की अधिसूचना के तहत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान बहियों में उक्त राशि का प्रावधान किया गया है।	94.37	58.37
24.1.3	बिल न किए गए राजस्व का राशि को बिक्री में शामिल किया गया है।	1,229.86	920.40

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(करोड़ रूपए में)

विवरण		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क)	ब्याज आय		
	— एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – गैर कर योग्य	5.67	5.67
	— एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश – कर योग्य	25.82	25.79
	— अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	66.30	60.82
	— जमा खाता	128.44	134.72

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
— कर्मचारी ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	32.66	16.99
— संविदाकारों को अग्रिम	25.34	15.64
— अन्य	1.41	17.79
ख) लाभांश आय		
— लाभांश — अन्य	9.00	9.00
ग) अन्य गैर-प्रचालनात्मक आय (उस आय पर सीधे ही आरोप्य व्यय का निवल)		
विलंब भुगतान अधिभार	271.91	545.92
व्यापार बाधा के कारण हानि की वसूली (टिप्पणी 34(24) देखें)	161.86	-
बीमा दावे से आय	21.34	138.64
पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/हानि प्रावधान/प्रावधान (टिप्पणी संख्या 24.2.1 देखें)	46.01	23.48
संविदाकार को जारी सामग्री		
(i) संविदाकारों को जारी सामग्री के कारण बिक्री	255.19	89.42
(ii) वसूलीयोग्य आधार पर संविदाकारों को जारी सामग्री की लागत	(421.41)	(174.89)
(iii) संविदाकार को जारी सामग्री के कारण समायोजन	166.22	85.47
सहायता अनुदान का परिशोधन (टिप्पणी संख्या 19.1 देखें)	97.26	96.04
विनिमय दर परिवर्तन (निवल)	49.28	34.21
व्युत्पन्न संबंधी बाजार से बाजार लाभ	4.14	-
अन्य	48.33	44.47
उप जोड़	994.77	1,169.18
घटाएं — निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	30.09	102.24
घटाएं — ग्राहक/संविदादाता से अग्रिम/जमा तथा जमा कार्यों के प्रति अंतरित	0.45	3.48
घटाएं — अन्य आय से अनुदान का अंतरण	0.17	0.49
कुल	964.06	1,062.97
24.2.1 पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/हानि प्रावधानों/प्रावधानों का ब्यौरा		
क) अप्रचलन और मालसूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	5.39	0.08
ख) व्यापार प्राप्ति के लिए क्षति प्रावधान	2.38	3.95
ग) खराब और संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	0.04
घ) संदिग्ध चुकौतीयोग्य हेतु प्रावधान	0.18	1.51
ङ) पश्चलेखन स्वीकृति प्रतीक्षित परियोजना व्ययों के लिए प्रावधान	-	4.88
च) लंबित जांच/प्रतीक्षित पश्चलेखन/स्वीकृति हानियों हेतु प्रावधान	0.21	3.01
छ) पीआरपी/प्रोत्साहन/उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	11.05	-
ज) टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान	6.24	-
झ) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्ययों हेतु प्रावधान	1.39	3.97
ञ) माध्यम पंचाट/अदालती मामलों के संबंध में प्रावधान	15.68	-
ठ) अन्य	3.49	6.04
कुल	46.01	23.48

टिप्पणी सं. 25.1 : विद्युत की खरीद – व्यापार

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
विद्युत की खरीद	45.49	216.71
घटाएं : आपूर्तिकर्ता से छूट	0.91	4.34
कुल	44.58	212.37

टिप्पणी सं. 25.2 : उत्पादन व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
जल उपयोग प्रभार	823.21	835.02
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	21.06	22.96
उप जोड़	844.27	857.98
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	0.15	0.43
कुल	844.12	857.55

टिप्पणी सं. 26 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन और मजदूरी	1,451.40	1,516.96
भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान (टिप्पणी संख्या 26.4 देखें)	316.89	222.30
कर्मचारी कल्याण व्यय	111.95	78.83
उप जोड़	1,880.24	1,818.09
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	325.48	297.81
कुल	1,554.76	1,520.28
26.1 कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों के निमित्त पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पणी 34(18)(क) में दिए गए हैं।		
26.2 भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल हैं:		
(i) कर्मचारी भविष्य निधि के निमित्त	90.74	91.34
(ii) कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना के निमित्त	115.23	114.06
26.3 मजदूरी एवं वेतन इंड एस 116 "पट्टों" के अनुसार अल्पावधि पट्टों पर व्यय में शामिल हैं। (टिप्पणी 34(18क) देखें)	0.37	1.13
26.4 "कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952" कंपनी से अपेक्षा करता है कि वह विश्वास की किसी भी हानि के संबंध में भविष्य निधि न्यास को प्रतिपूर्ति की जाएगी। तदनुसार, कंपनी ने ब्याज वाली प्रतिभूतियों में भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा किए गए कुछ निवेशों में अतिदेय ब्याज सहित हानि के कारण अनंतिम आधार पर मान्यता प्राप्त व्यय के लिए 49.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) को मान्यता दी है।		
26.5 कर्मचारी लाभ व्यय में कंपनी के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 0.33 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।		

टिप्पणी सं. 27 : वित्त लागत

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज		
बॉण्ड	1,289.19	1,285.14
सावधि ऋण	51.66	66.63
विदेशी ऋण	23.47	26.50
भारत सरकार ऋण	70.73	70.64
अल्पावधि ऋण	5.40	2.13
पट्टा देयता	1.46	1.35
छूट समाप्त करना – भारत सरकार ऋण	55.22	49.69
उप जोड़	1,497.13	1,502.08
ख. अन्य ऋण लागत		
मांग फैलाव/कूपन अदला-बदली	43.91	43.64
बॉण्ड निर्गम/सेवा व्यय	1.16	1.93
विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	11.62	13.59
अन्य वित्त प्रभार	0.66	0.58
छूट समाप्त करना – प्रावधान और वित्तीय देयताएं	4.74	4.36
उप जोड़	62.09	64.10
ग. आय कर पर ब्याज	2.91	2.90
कुल (क+ख+ग)	1,562.13	1,569.08
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	1,029.85	997.08
कुल	532.28	572.00

टिप्पणी सं. : 28 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
मूल्यहास – संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1,116.59	1,227.36
मूल्यहास – परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार	83.32	82.32
परिशोधन– अमूर्त परिसंपत्तियां	4.71	2.22
विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण मूल्यहास समायोजन (टिप्पणी संख्या 19 और 5(घ)(ii) देखें)	4.95	(1.21)
उप जोड़	1,209.57	1,310.69
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	19.27	18.23
कुल	1,190.30	1,292.46

टिप्पणी सं. 29 : अन्य व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क. मरम्मत तथा अनुरक्षण		
– भवन	80.19	75.14
– मशीनरी	71.35	72.50
– अन्य	192.06	169.73

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ख. अन्य व्यय		
किराया	17.43	19.09
हायर प्रभार	36.83	29.41
दरें और कर	61.89	97.77
बीमा	278.61	211.49
सुरक्षा व्यय	434.53	403.79
विद्युत प्रभार	51.83	51.80
यात्रा एवं वाहन	14.62	9.81
वाहनों पर खर्च	6.84	6.31
टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	16.53	15.44
विज्ञापन एवं प्रचार	4.54	4.73
मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.98	1.14
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4.44	4.71
परामर्शी प्रभार – देशीय	16.96	14.21
लेखा परीक्षा खर्च	2.30	2.21
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/ पर्यावरण सुधार पर खर्च	14.43	5.78
डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्यों के कार्य पर व्यय (टिप्पणी 29.3 देखें)	158.50	-
कंपनी से गैर-संबंधित भूमि पर व्यय	14.76	14.15
परिसंम्पत्तियों पर हानि (निवल)	13.90	9.12
बीमा दावों से होने वाली हानियां	21.77	148.62
दान	1.00	-
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	125.35	99.46
निदेशकों को बैठक शुल्क	0.18	0.06
माध्यस्थम/अदालती मामलों पर ब्याज	0.65	0.74
लाभार्थी को ब्याज	53.30	3.80
स्वतः उत्पन्न वीईआर/आरईसी संबंधी व्यय	8.04	-
प्रशिक्षण व्यय	4.50	4.21
सीईआरसी/आरएलडीसी/आरपीसी/आईईएक्स/ पीएक्सआईएल को याचिका शुल्क/पंजीकरण शुल्क/अन्य शुल्क	10.52	13.13
केन्द्रीय विद्यालय के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	8.65	6.98
अन्य विद्यालयों के प्रचालनात्मक/चालन व्यय	0.35	0.51
अतिथि गृह/ट्रांजिट छात्रावास के प्रचालनात्मक/ चालन व्यय	24.76	23.72
डीजी सेट के प्रचालन व्यय – आवासीय के अतिरिक्त	7.27	6.83
व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	-	15.50
अन्य सामान्य व्यय	88.31	34.35
उप जोड़	1,848.17	1,576.24
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतर्गत	318.71	178.32
उप जोड़ (i)	1,529.46	1,397.92
ग. प्रावधान/हानि का प्रावधान		
व्यापार प्राप्ति के लिए क्षति प्रावधान	3.95	-

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
शोध तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	10.11	74.78
शोध तथा संदिग्ध चुकौती हेतु प्रावधान	5.94	0.03
संदिग्ध ब्याज हेतु प्रावधान	0.42	-
भण्डार तथा कलपुर्जों/निर्माण भंडारों के लिए प्रावधान	0.61	0.83
परियोजना व्यय के लिए प्रावधान	7.47	144.63
जांच/पश्चलेखन/स्वीकृति प्रतीक्षित लंबित हानियों के लिए प्रावधान	0.03	0.21
लाभार्थी को ब्याज	-	2.18
प्राप्त माल और सेवा कर इनपुट के लिए प्रावधान	-	13.54
अन्य	31.09	62.64
उप जोड़	59.62	298.84
घटाएं : निर्माण पर आरोप्य व्यय में अंतरित	31.11	13.62
उप जोड़ (ii)	28.51	285.22
कुल (i+ii)	1,557.97	1,683.14
29.1 पट्टों के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 34(18क) में दिए गए हैं।		
29.2 किराये में इंड एस 116 "पट्टों" के अनुसार निम्नलिखित व्यय में शामिल हैं		
(i) एक माह अथवा उससे कम अवधि के पट्टे के अतिरिक्त अल्पावधि पट्टे पर व्यय	12.20	14.39
(ii) निम्न मूल्य परिसंपत्तियों के दीर्घावधि पट्टे पर व्यय	-	0.02
(iii) पट्टा देयताओं के मापन में शामिल नहीं किए गए परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	5.41	4.67
29.3 सुबानसिरी लोअर परियोजना में किए गए डाउनस्ट्रीम संरक्षण कार्यों पर किए गए 158.50 करोड़ रुपये के व्यय को निर्माण के कारण व्यय (ईएसी) के रूप में पूंजीकृत किया गया है (टिप्पणी 2.2.9 देखें)।		

टिप्पणी सं. : 30.1 कर व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्तमान कर		
वर्तमान कर के लिए प्रावधान	912.69	919.88
पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन	3.00	(0.13)
कुल वर्तमान कर व्यय	915.69	919.75
आस्थगित कर		
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		
— अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	(43.31)	(47.70)
— मेट ऋण पात्रता के कारण समायोजन	(1,478.62)	(35.47)
आस्थगित कर देयताओं में कमी/(वृद्धि)		
— अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	57.80	34.51
— अवितरित अर्जन से संबंधित	(8.54)	23.77
कुल आस्थगित कर व्यय (हितलाभ)	(1,472.67)	(24.89)
निवल आस्थगित कर	(1,472.67)	(24.89)
कुल	(556.98)	894.86

30.1.1	कर व्यय और भारत की घरेलू दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का मिलान	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित आय कर से पूर्व लेखांकन लाभ/हानि	4,471.23	4,494.74
	लागू कर दर (प्रतिशत)	34.9440	34.9440
	गणना किए गए कर व्यय	1,562.43	1,570.64
	कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती योग्य न होने वाले (कर योग्य) राशियों का कर प्रभाव		
	गैर कटौती योग्य कर व्यय	67.27	54.53
	कर छूट आय	100.30	97.15
	कर प्रोत्साहन (80-1क कटौती)	(658.62)	(890.86)
	पूर्व की अवधि के वर्तमान कर हेतु समायोजन	3.00	(1.94)
	न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	(1,478.62)	143.84
	अवितरित लाभ	(8.54)	23.77
	धारा 80एम के अंतर्गत कटौती	(130.10)	(102.27)
	अन्य	(14.10)	-
	लाभ एवं हानि के विवरण में सूचित आय कर व्यय	(556.98)	894.86
30.1.2	इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त राशियां		
	रिपोर्टिंग अवधि में उत्पन्न होने वाले समेकित वर्तमान तथा आस्थगित कर जिन्हें निवल लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्यता नहीं दी गई है परंतु सीधे ही इक्विटी में डेबिट/(क्रेडिट) किया गया है:		
	वर्तमान कर	शून्य	शून्य
	आस्थगित कर	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य
30.1.3	कर हानियां तथा क्रेडिट		
	(i) अप्रयुक्त कर हानियां जिनके लिए किसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है	शून्य	शून्य
	संभावित कर हितलाभ 30 प्रतिशत की दर से	शून्य	शून्य
	(ii) कंपनी को भविष्य में उपलब्ध मैट क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है (टिप्पणी सं. 30.1.5 देखें)	945.95	2,382.61
30.1.4	मान्यता प्रदान न किए गए अस्थायी अंतर		
	सहायक कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर जिनके लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता नहीं प्रदान की गई है		
	अवितरित आय	शून्य	शून्य
	उपरोक्त अस्थायी अंतरों से संबंधित मान्यता न दी गई आस्थगित कर देयताएं	शून्य	शून्य
30.1.5	कंपनी को भविष्य में उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट का ब्यौरा जिसे बहियों में मान्यता प्रदान नहीं की गई है, नीचे दिया गया है:		

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
	राशि	समाप्ति का वर्ष	राशि	समाप्ति का वर्ष
2020-21	-	2035-36	183.10	2035-36
2019-20	-	2034-35	158.70	2034-35
2018-19	-	2033-34	696.15	2033-34
2017-18	-	2032-33	210.11	2032-33
2016-17	-	2031-32	11.59	2031-32

वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
	राशि	समाप्ति का वर्ष	राशि	समाप्ति का वर्ष
2015-16	-	2030-31	177.01	2030-31
2014-15	46.81	2029-30	46.81	2029-30
2013-14	481.84	2028-29	481.84	2028-29
2012-13	291.71	2027-28	291.71	2027-28
2008-09	125.59	2023-24	125.59	2023-24
कुल	945.95		2,382.61	

भविष्य में कंपनी को पूर्वोक्त उपलब्ध मेट क्रेडिट के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को निकट भविष्य में इसकी अनिश्चितता को देखते हुए मान्यता नहीं दी गई है।

टिप्पणी सं: 30.2 अन्य व्यापक आय

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
(क) रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	12.73	(61.60)
घटाएं : रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों के पुनर्मापन पर आस्थगित कर	4.45	(21.52)
रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन (कर का निवल)	8.28	(40.08)
घटाएं : परिभाषित लाभ दायित्वों पर कर के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन	(3.07)	2.75
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन – रोजगार पश्च परिभाषित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	2.33	-
उप-जोड़ (क)	13.68	(42.83)
(ख) इक्विटी लिखतों में निवेश	5.40	47.13
उप-जोड़ (ख)	5.40	47.13
कुल (i) + (क) + (ख)	19.08	4.30
(ii) मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		
ऋण लिखतों में निवेश	(10.72)	4.21
घटाएं : ऋण लिखतों में निवेश पर आय कर	(2.50)	0.98
कुल (ii)	(8.22)	3.23
कुल (i) + (ii)	10.86	7.53

टिप्पणी सं. : 31 विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन	(116.53)	-
(ii) किशनगंगा विद्युत स्टेशन: टैरिफ के अनतिक्रम के कारण मूल्यहास	198.35	195.51
(iii) मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	(0.17)	1.70
(iv) 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूलीय आस्थगित कर के निमित्त समायोजन	(49.52)	(75.46)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
(v) 2014-2019 और आगे तक की टैरिफ अवधि के लिए आस्थगित कर देयताओं के प्रति समायोजन	10.72	6.28
(vi) मेट क्रेडिट	(1,252.94)	(15.86)
कुल (क) + (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	(1,210.09)	112.17
विनियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव		
घटाएं :- विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आस्थगित कर	13.56	24.18
जोड़ें - लाभार्थियों से वसूलीय आस्थगित कर	13.56	24.18
कुल (ख)	-	-
कुल (क-ख)	(1,210.09)	112.17

31.1 समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 14 देखें।

टिप्पणी सं. : 32 वर्ष हेतु चल रहे पूंजीगत कार्य का भाग बनने वाला निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क. उत्पादन व्यय		
भंडार और कलपुर्जों का उपभोग	0.15	0.43
उप जोड़	0.15	0.43
ख. कर्मचारी हितलाभ व्यय		
वेतन एवं मजदूरी	182.09	156.82
भविष्य और अन्य निधियों में अंशदान	26.74	22.04
कर्मचारी कल्याण व्यय	8.52	6.70
उप जोड़	217.35	185.56
ग. वित्त लागत		
निम्नलिखित पर ब्याज : (टिप्पणी संख्या 2.2.2 देखें)		
बॉण्ड	950.35	911.05
विदेशी ऋण	7.18	6.64
सावधि ऋण	25.41	32.97
उप जोड़	982.94	950.66
ब्याज लागत पर समायोजन के संदर्भ में विनिमय अंतर	-	2.16
हेजिंग लेन-देनों पर हानि	43.91	41.47
ऋण पर गारंटी शुल्क	0.03	-
ईएसी में व्ययों का अंतरण - केन्द्र सरकार से ऋण पर ब्याज - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	1.81	-
ईएसी में व्ययों का अंतरण - सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि पर ब्याज - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	0.96	1.56
ईएसी में व्ययों का अंतरण - एफसी ऋणों पर ब्याज - प्रभावी ब्याज समायोजन	-	0.92
उप जोड़	46.71	46.11
घ. मूल्यहास और परिशोधन व्यय	16.55	16.04
उप जोड़	16.55	16.04
ड. अन्य व्यय		
मरम्मत एवं अनुरक्षण		

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
— भवन	11.40	8.52
— मशीनरी	2.09	1.05
— अन्य	28.66	10.68
किराया और हायर प्रभार	11.60	9.19
दरें और कर	2.89	2.40
बीमा	12.85	9.96
सुरक्षा व्यय	31.71	28.39
विद्युत प्रभार	4.80	4.71
यात्रा एवं वाहन	2.75	1.65
वाहनों पर व्यय	0.86	0.84
टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2.35	1.79
विज्ञापन एवं प्रचार	-	0.01
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.65	0.46
डिजाइन और परामर्शी प्रभार :		
— देशीय	7.79	6.37
क्षतिपूर्ति वनरोपण/जल संग्रहण क्षेत्र उपाय/पर्यावरणीय व्ययों पर व्यय	14.38	0.42
डाउनस्ट्रीम बचाव कार्यों के कार्यों पर व्यय (देखें टिप्पणी 29.3)	158.50	-
कंपनी से गैर-संबंधित भूमि पर व्यय	1.08	0.03
पश्चलेखित परिसंपत्तियां/दावे	0.11	76.01
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.04	-
अन्य सामान्य व्यय	14.34	6.93
विनिमय दर परिवर्तन (डेबिट)	-	0.37
उप जोड़	308.85	169.78
च. प्रावधान	31.11	13.62
उप जोड़	31.11	13.62
छ. कारपोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
अन्य आय	(0.55)	(0.43)
अन्य व्यय	9.86	8.54
कर्मचारी हितलाभ व्यय	108.13	112.25
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	2.72	2.19
वित्त लागत	0.20	0.31
उप जोड़	120.36	122.86
ज. घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां		
विद्युत उत्पादन से आय — चालू किए जाने से पूर्व	53.81	34.73
ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	25.07	15.61
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	0.03
पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयताएं	0.44	1.85
विविध प्राप्तियां	3.40	84.32
ईएसी को उचित मूल्य लाभ का अंतरण — सुरक्षा जमा	0.63	-
उप जोड़	83.35	136.54
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ-ज) (टिप्पणी संख्या 2.2 देखें)	1,640.67	1,368.52

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय दस्तावेज और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटन

(1) उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखित

वित्तीय परिसंपत्तियां		टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को		(करोड़ रुपए में)
			लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) गैर-वर्तमान निवेश							
	क) इक्विटी लिखतों में (उद्धृत)	3.1	-	98.70	-	93.30	-
	ख) ऋण लिखत (सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में — उद्धृत	3.1	-	411.64	-	422.05	-
			-	510.34	-	515.35	-
(ii) ऋण							
	क) संयुक्त उद्यम को ऋण (नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्रा. लिमिटेड)	3.2	-	-	17.48	-	18.40
	ख) कर्मचारी	3.2	-	-	223.70	-	189.14
	ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.2	-	-	802.92	-	736.62
(iii) अन्य							
	क) जमा	3.2	-	-	25.16	-	25.14
	ख) ब्याज सहित पट्टा प्राप्य	3.3	-	-	6,086.51	-	6,248.71
	ग) भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलीय	3.3	-	-	2,017.20	-	2,017.20
	घ) आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि	3.3	-	-	-	-	100.15
	ङ) व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति	3.3	22.35	-	-	18.21	-
	च) 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा सहित अन्य (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3	-	-	1,227.68	-	573.91
कुल गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां			22.35	510.34	10,400.65	18.21	9,909.27
वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
	(i) व्यापार प्राप्य	7			5,175.84		5,133.42
	(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	8			1,314.67		447.27
	(iii) नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	9			643.68		1,809.55
	(iv) ऋण	10					

विषय	वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
			लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
	क) कर्मचारी ऋण				60.12			52.09
	ख) संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्रा.) लिमिटेड) को ऋण (क्षति हानि का निवल)				0.92			0.42
	ग) जमा	11			0.36			0.36
	(v) अन्य (पट्टा प्राप्य को छोड़कर)	11			682.09			1,020.42
	(vi) अन्य (ब्याज सहित पट्टा प्राप्य)	11			219.57			217.95
	कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	8,097.25	-	-	8,681.48
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		22.35	510.34	18,497.90	-	515.35	18,590.75
वित्तीय देयताएं	विषय	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
			लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
	(i) दीर्घावधि ऋण	16.1			23,226.61			21,230.99
	(ii) पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	16.2			17.46			12.28
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉन्डों के लिए देयों सहित)	16.3			2,098.97			2,055.25
	(iv) ऋण – अल्पावधि, दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताओं सहित	20.1			2,848.76			2,119.14
	(v) पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं	20.2			3.12			2.83
	(vi) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित व्यापार देय	20.3			214.11			209.86
	(vii) अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं							
	क) ऋण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.4			636.29			660.72
	ख) अन्य वर्तमान देयताएं	20.4			940.83			920.15
	कुल वित्तीय देयताएं				29,986.15			27,211.22

ख) उचित मूल्य मापन

1) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत उपलब्ध करवाने हेतु समूह ने अपने वित्तीय दस्तावेजों को इंड एस-113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है:

स्तर-1 : स्तर -1 स्तर में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी दस्तावेज और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी दस्तावेज जिनका मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज तथा मनी मार्केट में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर-2 : सक्रिय बाजार में व्यापार न किए जाने वाले वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो प्रत्यक्ष बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी दस्तावेज के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो दस्तावेज स्तर-2 में शामिल किया जाता है।

स्तर-3 : यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान प्रत्यक्ष बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो दस्तावेज को स्तर-3 में शामिल किया जाता है। स्तर-3 में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य सामान्य रूप से स्वीकृत कीमत प्रवाह मॉडल के साथ निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष वर्तमान बाजार लेन-देनों और समान दस्तावेजों के डीलर उद्धरण से कीमतों का उपयोग करके नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्तियां/देयताएं, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम पर ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) निवेश –							
– इक्विटी दस्तावेजों में (उद्धृत)	3.1	98.70			93.30		
– ऋण दस्तावेजों (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में – उद्धृत	3.1	411.64			422.05		
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति (मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय)	3.3		22.35	-		18.21	-
कुल		510.34	22.35	-	515.35	18.21	-

(करोड़ रुपए में)

टिप्पणी :

* इन दस्तावेजों के संबंध में नवीनतम उद्धृत बाजार दर न होने पर, दरों को फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएडीए) के तहत निकाला गया है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर-आवर्ती उचित मूल्य मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया है:

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) ऋण							
क) कर्मचारी	3.2	284.39			240.74		

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
ख) संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्रा. लिमिटेड) को ऋण	3.2		17.48			18.40	
ग) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.2		802.92			736.62	
(ii) अन्य							
क) जमा	3.3			25.16			25.14
ख) 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3		1,227.68			573.91	
ग) भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलनीय	3.3	2,006.82			2,017.20		
घ) पीआरपी के कारण कर्मचारियों से प्राप्य दावे	3.3		10.54				
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		2,006.82	2,332.47	25.16	2,017.20	1,569.67	25.14
वित्तीय देयताएं							
वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1, 20.1 और 20.4	19,083.09	2,207.18	2,881.38	19,083.09	2,207.18	2,881.38
पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि और अल्पावधि परिपक्वताएं	16.2 और 20.2	-	-	20.58	-	-	27.39
अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देयों सहित)	16.3	2,006.82		98.25	2,017.20		43.09
कुल वित्तीय देयताएं		21,089.91	2,207.18	3,000.21	21,100.29	2,207.18	2,951.86

(ग) परियोजनागत लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताओं का उचित मूल्य

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
		वहनीय राशि	उचित मूल्य		वहनीय राशि	उचित मूल्य	
वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) ऋण							
क) कर्मचारी	3.2	223.70	284.39	189.14	240.74		
ख) संयुक्त उद्यम (नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्रा. लिमिटेड) को ऋण	3.2	17.48	17.48	18.40	18.40		
ग) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.2	802.92	802.92	736.62	736.62		
(ii) अन्य							
क) जमा	3.3	25.16	25.16	25.14	25.14		
ख) 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3	1,227.68	1,227.68	573.91	573.91		
ग) भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलनीय	3.3	2,017.20	2,017.20	2,017.20	2,017.20		
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		4,314.14	4,374.83	3,560.41	3,612.01		

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
		वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य
वित्तीय देयताएं					
(i) वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1, 20.1 और 20.4	25,387.76	25,144.25	23,284.82	24,171.65
(ii) पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि और अल्पावधि परिपक्वताएं	16.2 और 20.2	20.58	20.58	27.39	27.39
(iii) अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के लिए देय सहित)	16.3	2,098.97	2,105.07	2,055.25	2,060.29
कुल वित्तीय देयताएं		27,507.31	27,269.90	25,367.46	26,259.33

टिप्पणी :-

- वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी समतुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहनीय राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।
- उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहनीय राशि उनके उचित मूल्य के समान है।

(घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया

- समूह वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करता है। वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं—
 - उद्धृत बाजार मूल्य अथवा समान लिखतों हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग।
 - शेष वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।
- स्तर - 3 पर वर्गीकृत वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर समूह के बकाया ऋणों की भारित औसत दर पर आधारित है, सिवाय अधीनस्थ ऋण तथा विदेशी मुद्रा ऋण के।
- बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा लेन-देन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके दिया जाता है जहां दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई ऐसी लेन-देन लागत वास्तविक होती है।

(2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

समूह के क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में इस प्रकार बताती हैं:

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रदर्शन	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
लिक्विडिटी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. नियत दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्तपोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम – प्रतिभूतित मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम – विदेशी विनिमय	भारतीय राष्ट्रीय रुपये में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। मांग फ़ैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय

ऋण जोखिम ढांचा

समूह के क्रियाकलाप इसे विभिन्न जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं। समूह ने पर्याप्त प्रणालियों और पद्धतियों का विकास करके ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। समूह में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र अवसरचना प्रदान करने हेतु समूह की सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है। समूह के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए पूरी तरह निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

समूह अपने वित्तीय दस्तावेजों के उपयोग से निम्नलिखित जोखिमों का सामना करता है:

i) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय दस्तावेज या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। समूह को अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य/पट्टेवाली परिसंपत्तियों) और वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के पास जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ii) नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है कि समूह अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक दायित्वों को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगा।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं – मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

समूह एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करता है। समूह के टैरिफ को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं –

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यहास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये समूह की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते।

(ख) ऋण जोखिम

समूह अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य) और अपने वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं, से ऋण जोखिम के संपर्क में आता है।

व्यापार प्राप्य, बिल न किया गया राजस्व तथा पट्टा प्राप्य

समूह व्यापार के सामान्य चालन में ग्राहकों को ऋण का विस्तार करता है। समूह ग्राहकों के भुगतान ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करता है। बकाया उपभोक्ता प्राप्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। समूह प्राप्य व्यापारों के संबंध में जोखिम संकेन्द्रण का मूल्यांकन अत्यधिक निम्न के रूप में करता है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्यतः राज्य सरकार के प्राधिकरण हैं और यह एक अधिकांशतः स्वतंत्र बाजारों में प्रचालन करती है। बकाया राजस्व मुख्यतः रिपोर्टिंग तारीख पर बिल नहीं किए गए परन्तु पूरा किए गए कार्यों हेतु मुआवजे पर समूह के अधिकार तथा वास्तव में समान प्रकार की संविदा के लिए व्यापार प्राप्यों के रूप में समान जोखिम विशेषताओं से संबंधित है।

समूह द्वारा प्राप्य पट्टे विद्युत खरीद समझौतों के संबंध में है जिन्हें टिप्पणी संख्या 34 में संदर्भित किए अनुसार इंड एस 116 के अनुसार निहित वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत क्रय समझौते किसी एकल लाभार्थी को विद्युत की बिक्री के लिए है और ब्याज आय तथा पट्टे वाली परिसंपत्तियों पर मूलधन की वसूली अर्थात् विद्युत स्टेशनों की पीपीई का आकलन उसी आधार पर किया जाता है जिन्हें व्यापार प्राप्यों हेतु लगाया जाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :

कर्मचारी ऋण : समूह ने कर्मचारियों को समूह की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन-पत्र तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली स्थिर किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। ये ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण : समूह ने अरूणाचल प्रदेश सरकार को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु समूह तथा अरूणाचल प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ऋण दिया है। ऋण का मापन परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण राज्य में चालू की जाने वाली पहली जल विद्युत परियोजना से राज्य सरकार के निशुल्क विद्युत के अंश से वसूला जाना है। प्रबंधन को ऋण संबंधी चूक की कोई संभाव्यता नहीं दिखती।

वित्तीय लिखत और नकदी जमा :

समूह बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रैक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करता है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे समूह ने ऋण भी लिया है। समूह अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करता है। समूह के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के पास हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधीकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

कंपनी द्वारा जारी कारपोरेट गारंटी:-

कंपनी ने बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल), एनएचपीसी लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी को 1.20 प्रतिशत और लागू जीएसटी के गारंटी शुल्क के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत 213.25 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा के पक्ष में एचडीएफसी बैंक के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। इस गारंटी से कंपनी का एक्सपोजर बीएसयूएल द्वारा बैंक को देय किसी भी ब्याज, कमीशन, शुल्क आदि सहित उक्त क्रेडिट सुविधा के तहत बकाया मूलधन होगा। हालांकि, रिपोर्ट की तारीख पर प्रबंधन अनुषंगी द्वारा चूक की किसी भी संभावना की परिकल्पना नहीं करता है।

(i) ऋण जोखिम का प्रभाव

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहनीय राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता 12 का उपयोग करके मापा जाता है महीनों की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल)		
गैर-वर्तमान निवेश (सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा)	510.34	515.35
ऋण-गैर वर्तमान (ब्याज सहित)	1,069.26	969.30
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	3,244.88	2,591.11
नकदी और नकदी समतुल्य	1,314.67	447.27
नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	643.68	1,809.55
ऋण - वर्तमान	61.40	52.87
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे को छोड़कर)	682.09	1,020.42
कुल (क)	7,526.32	7,405.87

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	5,175.84	5,133.42
पट्टा प्राप्य (ब्याज सहित)	6,306.08	6,466.66
कुल (ख)	11,481.92	11,600.08
कुल (क+ख)	19,008.24	19,005.95

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियाँ हेतु प्रावधान:-

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

समूह भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का आकलन करता है और मामला दर मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करता है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली में चूक तब होती है जब प्रबंधन के विचार में वसूली के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद प्राप्यों की वसूली की महत्वपूर्ण संभावना नहीं होती है। चूंकि समूह के विद्युत स्टेशन और लाभार्थी भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, फिर भी भौगोलिक रूप से ऋण जोखिम का कोई संकेंद्रण नहीं है।

यह समूह मुख्य रूप से थोक उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करता है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली राज्य यूटिलिटीयां शामिल हैं। समूह के पास भारत सरकार, आरबीआई तथा व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच त्रिपक्षीय करारों (टीपीए) द्वारा समर्थित ऋण पत्र (एलसी) के रूप में एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है, जो 2001-02 के दौरान भारत सरकार द्वारा सेबी के बकाया राशि का एकमुश्त निपटान जारी करने के बाद, अक्टूबर, 2016 तक वैध था। भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए इस टीपीए के विस्तार को अनुमोदित किया। अधिकांश राज्यों ने इन टीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं तथा शेष राज्यों द्वारा हस्ताक्षर करने का कार्य जारी है। टीपीए के प्रावधानों के अनुसार, ग्राहकों के लिए पिछले 12 महीनों हेतु समूह की औसत मासिक बिलिंग का 105 प्रतिशत कवर करने के लिए साख-पत्र की स्थापना करना अपेक्षित है। टीपीए में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी राज्य यूटिलिटी द्वारा वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक हुई है तो बकाया राशि की कटौती राज्य की केंद्रीय योजना सहायता से की जा सकती है तथा संबंधित सीपीएसयू को भुगतान की जा सकती है। इसमें बकाया राशि का भुगतान न करने तथा साख पत्रों की गैर-स्थापना के संदर्भ में समूह द्वारा विद्युत के विनियमन का भी प्रावधान है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 समूह को विलंब भुगतान अधिभार हेतु लाभग्राहियों से बिल जुटाने की अनुमति देते हैं जो समूह के भुगतान में विलंब के कारण उत्पन्न होने वाली राशि के समय मूल्य हेतु पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि लाभग्राही मुख्यतः राज्य सरकारें/राज्य की वितरण कंपनियां हैं और प्राप्य व्यापार हेतु ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को देखते हुए कंपनी लाभग्राहियों से प्राप्य के मूल्य में किसी क्षति या प्राप्य व्यापारों को मूर्त रूप देने में विलंब के कारण धन के समय मूल्य में क्षति हेतु कोई परिकल्पना नहीं करती है। तथापि, समूह प्रचालन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तनों पर विचार करते हुए चालू आधार पर बकाया व्यापार प्राप्यों का आकलन करता है और मामला-दर-मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानियों का प्रावधान करती है। रिपोर्टिंग तिथि को समूह व्यापार प्राप्य की गैर-वसूली के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करता है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु भत्ते में संचलन निम्नवत था:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	व्यापार प्राप्य	वसूली योग्य राशि	ऋण	कुल
01.04.2020 को शेष	37.71	285.78	0.01	323.50
हानि भत्ते में परिवर्तन	(3.95)	(10.60)	-	(14.55)
01.04.2021 को शेष	33.76	275.18	0.01	308.95
हानि भत्ते में परिवर्तन	1.57	7.47	-	9.04
31.03.2022 को शेष	35.33	282.65	0.01	317.99

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, समूह का विश्वास है कि किन्हीं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे प्रावधानों की राशियां महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(ग) नकदी जोखिम

विवेकसम्मत नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है।

- i) समूह का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के इष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। समूह निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करता है। ऋण तथा आंतरिक प्रोद्भवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। समूह अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

समूह की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थी :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिवर्तनशील दर पर	1,425.00	475.00
कुल	1,425.00	475.00

ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएं:

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2022 को

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1 और 20.1	27,080.92	2,848.76	4,337.53	5,321.14	14,573.49
पट्टा दायित्व	16.2 और 20.2	30.86	3.12	7.51	4.14	16.09
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 और 20.4	3,701.41	1,581.51	15.05	18.15	2,086.70
व्यापार देय	20.3	214.11	214.11	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		31,027.30	4,647.50	4,360.09	5,343.43	16,676.28

31 मार्च, 2021 को

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2021 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1 और 20.1	24,423.60	2,119.14	3,161.38	4,160.14	14,982.94
पट्टा दायित्व	16.2 और 20.2	27.42	2.82	5.87	2.82	15.91
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 और 20.4	3,656.48	1,583.79	12.24	7.45	2,053.00
व्यापार देय	20.3	209.86	209.86	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		28,317.36	3,915.61	3,179.49	4,170.41	17,051.85

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार-पश्चात लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। समूह के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

(i) ब्याज बाजार जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से समूह का खुलासा मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ समूह की दीर्घावधि ऋण दायित्वों से संबंधित है। समूह की नीति अपने अधिकांश ऋणों को नियत दर पर बनाए रखने की है। समूह के नियत दरों पर ऋण को

परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, समूह अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करती हैं। समूह को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण समूह का जोखिम निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
	भारित औसत ब्याज दर (%)	(करोड़ रुपए में)	भारित औसत ब्याज दर (%)	(करोड़ रुपए में)
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रुपए)	5.64	3,510.01	-	-
नियत दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रुपए)	7.87	19,705.49	7.89	20,934.19
नियत दर ऋण (एफसी)	1.38	1,475.97	1.41	1,689.92
कुल		24,691.47		22,624.12

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ या हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋणों से उच्चतर/निम्नतर ब्याज व्ययों के प्रति संवेदनशील है। समूह के अधिकांशतः ऋण नियत दर पर होते हैं। यदि परिवर्तनशील दरें हैं तो ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के कारण समूह का लाभ और हानि विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह लाभार्थियों से टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य है।

(ii) ब्याज दर बेंचमार्क सुधार दर :

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 688.75 करोड़ रुपये की राशि का बकाया विदेशी मुद्रा (जेपीवाई) ऋण रूपांतरित किया जो 25.07.2024 को + 0.75 प्रतिशत की मिश्रित संदर्भ दर (अर्थात टोना+सीएएस) के प्रति 6 महीने की फ्लोटिंग दर (लिबोर + 0.75 प्रतिशत) के अनुसार एक किश्त में चुकाने योग्य था।

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार में परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कंपनी के बैंक उधार की संविदात्मक शर्तों में संशोधन किया गया है और संविदात्मक नकदी प्रवाह के निर्धारण के लिए तैयार किया गया नया आधार आर्थिक रूप से परिवर्तन से पूर्व आधार के सामान है।

कंपनी ने इंड एस 109 में व्यावहारिक समीचीन का विकल्प चुना है अर्थात नकदी प्रवाह में परिवर्तन जो ऐसे प्रवाह हैं जो सुधार के लिए सीधे आवश्यक हैं, और इन्हें फ्लोटिंग ब्याज दर में परिवर्तन के रूप में माना जाना चाहिए, जो ब्याज की बाजार दर में संचालन के समान है।

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार (आईबीओआर) से सीधे प्रभावित होने वाले एक्सपोजर की कुल बकाया राशि 688.75 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, मूलधन और ब्याज के कारण जोखिम की कुल राशि का बचाव व्युत्पन्न लिखतों द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, ब्याज दर बेंचमार्क सुधारों के कारण कंपनी के लाभ और हानि के विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ii) मूल्य जोखिम:

(क) संपर्क

मूल्य जोखिम से समूह का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण दस्तावेजों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में समूह का निवेश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण दस्तावेजों में समूह के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन-पत्र में गैर-वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) मूल्य जोखिम संवेदनशीलता

इक्विटी दस्तावेजों में निवेश हेतु (पीटीसी के इक्विटी शेयरों में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु समूह की इक्विटी पर इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेश:				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	8.62	8.50	1.54	1.43

संवेदनशीलता को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में उद्धृत शेयर मूल्यों में छमाही उतार-चढ़ाव के पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर निकाला गया है।

ऋण दस्तावेज में निवेश हेतु (सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बॉण्ड में निवेश)

नीचे दी गई तालिका वर्ष हेतु समूह की इक्विटी पर ऋण दस्तावेजों में निवेश के बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी के प्रभाव के सार को प्रस्तुत करती है :

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)	प्रतिशत परिवर्तन	इक्विटी के अन्य घटकों पर प्रभाव (करोड़ रुपए में)
निम्नलिखित के इक्विटी शेयरों में निवेश:				
सरकारी प्रतिभूतियां	0.61	2.01	1.11	3.77
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कर मुक्त बाण्ड	1.42	1.20	2.14	1.88

(iii) विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रभाव :

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति समूह के प्रभाव को भारतीय राष्ट्रीय रुपये में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वित्तीय देयताएं		
विदेशी मुद्रा ऋण		
जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन लि. (जेपीवाई)	801.97	968.62
एमयूएफजी बैंक (जेपीवाई)	674.00	721.30
अन्य वित्तीय देयताएं	49.77	48.91
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल प्रदर्शन (देयताएं)	1,525.74	1,738.83

उपरोक्त में से, एमयूएफजी बैंक से ऋण का बचाव व्युत्पन्न दस्तावेज द्वारा किया जाता है। विनिमय परिवर्तन के कारण शेष प्रदर्शन लाभ/(हानि), टैरिफ विनियम 2020-24 के अनुसार लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसलिए, ऐसे प्रदर्शन के संबंध में मुद्रा जोखिम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का समूह के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। इसलिए मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रकट नहीं किया गया है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

समूह के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण : इक्विटी अनुपात को विहित करते हैं। तदनुसार, समूह अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करता है।

समूह ऋण : इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करता है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण : इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है :

गियरिंग अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(क) कुल ऋण (करोड़ रुपए में)	28,113.15	25,382.44
(ख) कुल पूंजी (करोड़ रुपए में)	34,920.98	33,053.30
गियरिंग अनुपात (क/ख)	0.81	0.77

टिप्पणी : समूह के पूंजीगत प्रबंधन हेतु, पूंजी में निर्गत पूंजी और आरक्षित शामिल है। निवल ऋण में ब्याजधारी ऋण तथा उधार शामिल होते हैं।

(ख) ऋण प्रसंविदाएं :

प्रमुख ऋण सुविधाओं की शर्तों के अंतर्गत समूह द्वारा निम्नलिखित वित्तीय प्रसंविदाओं का अनुपालन अपेक्षित है:-

1. समूह क्रेडिट रेटिंग एए को बनाए रखेगा और यदि रेटिंग नीचे आती है तो ब्याज की दर एए रेटिंग से नीचे वाले प्रत्येक स्तर हेतु 25 आधार बिंदु तक बढ़ जाएगी।
2. निवल मूल्य की तुलना में ऋण 2:1 से अधिक नहीं होगा।
3. ब्याज कवरेज अनुपात 2 गुणा से अधिक होगा और इसकी गणना ((निवल लाभ + निवल नकदी व्यय + देय ब्याज - गैर नकदी आय)/देय ब्याज) के रूप में की जाएगी।
4. कंपनी का सकल ऋण सेवा कवरेज अनुपात ऋण की मुद्रा के दौरान 1.25 गुना से कम नहीं होगा।
5. कंपनी में सरकार की धारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
6. समरूप आधार पर 1:1.33 कवरेज के साथ परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार।
वर्ष के दौरान कंपनी ने उक्त ऋण प्रसंविदाओं का अनुपालन किया है।

(ग) लाभांश

विवरण	(करोड़ रुपए में)	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(i) इक्विटी शेयर		
0.35 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त शेयर पर वर्ष 2020-21 हेतु अंतिम लाभांश को सितम्बर 2021 में अनुमोदित और अक्टूबर 2021 में अदा किया गया (31 मार्च, 2020 को - वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु 0.32 भारतीय रुपए पूर्णतः प्रदत्त शेयर)	351.58	321.44
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु 1.31 रुपए प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर का अंतरिम लाभांश (31 मार्च, 2021 - 1.25 रुपए)	1,315.90	1,255.63
(i) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता न दिया गया लाभांश		
उक्त लाभांशों के अतिरिक्त, वर्ष के अंत से निदेशकों ने 0.50 रुपए (31 मार्च, 2021 - 0.35 रुपए) प्रति पूर्णतः प्रदत्त शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। प्रस्तावित लाभांश आगामी एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।	502.25	351.58

टिप्पणी संख्या – 34 : लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम कंपनियां निम्नानुसार हैं :

कंपनी का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात (प्रतिशत)	
		31.03.2022	31.03.2021
क. सहायक कंपनियां			
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51.08%	51.08%
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लि.)	भारत	74.83%	74.92%
बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)	भारत	86.67%	74.00%
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (09.10.2019 से)*	भारत	100.00%	100.00%
जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड** (31.03.2021 से)	भारत	100.00%	100.00%
रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन*** (01.06.2021 से) (आरएचपीसीएल)	भारत	73.53%	-
ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां			
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल)****	भारत	55.13%	51.93%
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)*****	भारत	20.00%	20.00%

* कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 और समामेलन की योजना (योजना) में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के अनुसार अन्य वैधानिक उपबंधों के अंतर्गत लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) के एनएचपीसी लिमिटेड के साथ विलय/समामेलन को मंजूरी दे दी है। इस योजना को कारपोरेट कार्य मंत्रालय सहित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों या किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी के पास उनके अनुमोदन और मंजूरी के लिए दायर किया जाएगा।

** कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों के अनुसार भारत सरकार के अनुमोदन के अध्वधीन जलपावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) के एनएचपीसी लिमिटेड के साथ विलय की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

*** एनएचपीसी लिमिटेड ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) के साथ क्रमशः 51:49 की इक्विटी भागीदारी के साथ "रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड" के नाम से एक नई अनुषंगी का गठन किया है, जिसे 01.06.2021 को निगमित किया गया था।

**** कंपनी विद्युत मंत्रालय के पत्र दिनांक 12.05.2021 द्वारा चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड/एनएचपीसी (49 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) (49 प्रतिशत) और पीटीसी (2 प्रतिशत) के मध्य एक संयुक्त उद्यम कंपनी, में पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) की 2 प्रतिशत इक्विटी के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है। पीटीसी को 4.19 करोड़ रुपए का क्रय प्रतिफल 25.05.2021 को जारी कर दिया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 551.71 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि जेकेपीडीसी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) में 309.15 करोड़ रुपए का निवेश किया है, पीटीसी के शेयरों के अधिग्रहण और अतिरिक्त इक्विटी निवेश के कारण सीवीपीपीपीएल में कंपनी की हिस्सेदारी 31 मार्च, 2021 को 51.93 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च, 2022 तक 55.13 प्रतिशत हो गई है।

प्रवर्तक के समझौते में लंबित आशोधनों और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान में लागू संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार, सीवीपीपीपीएल अन्य संयुक्त उद्यमों के साथ संयुक्त रूप से नियंत्रण के कारण एक संयुक्त उद्यम बना हुआ है।

***** वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाले आंकड़े इसकी लेखापरीक्षा के पूरा होने पर बदल सकते हैं।

2. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटन :-

जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है, वहां तक आकस्मिक देयताएं-

(क) समूह के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है :

(i) पूंजीगत कार्य

संवैदाकारों ने दर तथा मात्रा विचलन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभावों के चलते समूह के प्रति कुल **10482.29 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **10336.09 करोड़ रुपये**) के दावे दर्ज किए हैं। इन दावों का समूह द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/समूह में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित समूह के विरुद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति **6281.87 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **6003.27 करोड़ रुपये**) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर **418.63 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **412.91 करोड़ रुपये**) के प्रावधान को मान्यता दी है और **9787.51 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **9716.48 करोड़ रुपये**) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात् वह राशि जिसके लिए समूह को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बहिर्प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) भूमि मुआवजा मामले

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु **554.17 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **519.99 करोड़ रुपये**) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना के आधार पर **59.63 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **19.64 करोड़ रुपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **494.54 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **500.35 करोड़ रुपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है।

(iii) विवादित कर मांग

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित विवादित आयकर/बिक्री कर/सेवा कर/जल उपकर/हरित ऊर्जा उपकर/अन्य कर/शुल्क मामलों की राशि **1905.83 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **923.33 करोड़ रुपये**) है। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना के आधार पर **17.52 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **17.52 करोड़ रुपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और शेष दावों अर्थात् **704.40 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **645.36 करोड़ रुपये**) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बहिर्प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(iv) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे **772.20 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **888.41 करोड़ रुपये**) के हैं। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक समूह ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना के आधार पर **102.24 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **155.13 करोड़ रुपये**) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति **660.62 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **728.20 करोड़ रुपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बहिर्प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को दावे	दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2022 को आकस्मिक देयता	31.03.2021 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/ (कटौती)	01.04.2021 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1.	पूंजीगत कार्य	10482.29	418.63	9787.51	9716.48	71.03	756.93

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को दावे	दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2022 को आकस्मिक देयता	31.03.2021 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/ (कटौती)	01.04.2021 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
2.	भूमि मुआवजा मामले	554.17	59.63	494.54	500.35	(5.81)	29.71
3.	विवादित कर मामले	1905.83	17.52	704.40	645.36	59.04	2.59
4.	अन्य	772.20	102.24	660.62	728.20	(67.58)	130.57
	कुल	13714.49	598.02	11647.07	11590.39	56.68	919.80

- (ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।
- (ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बहिर्प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।
- (घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में समूह को **462.67 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **469.82 करोड़ रुपये**) की भरपाई होने की संभावना है।
- (ङ) (i) पूंजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति **1140.40 करोड़ रूपए** (पिछले वर्ष **1140.45 करोड़ रूपए**) की राशि का भुगतान उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति किया गया है, जो ऐसे मामलों हेतु है जहां मध्यम अधिकरणों ने मध्यस्थता कार्यवाहियों में संविदाकार के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे पंचाट/आदेशों को समूह द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, के लिए नीति आयोग के दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14070/14/2016-पीपीपीएयू के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 भी देखें)।
- (ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में **1657.55 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **1570.26 करोड़ रूपए**) मामलों के प्रतिवाद के लिए अदा किए गए हैं, जिन्हें अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों/वर्तमान परिसंपत्तियों/दावेदारों की अन्य देयताओं के विरुद्ध समायोजित में दर्शाया गया है।
- (च) कंपनी का प्रबंधन यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/दायित्व (जो मुकदमेबाजी के अधीन हैं), अन्त में जब समाप्त होंगे तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका समूह प्रचालनो के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।
- (छ) 31.03.2022 को आकस्मिक देयता के एजेंसी-वार ब्यौरों की श्रेणी निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	एजेंसी की श्रेणी	31.03.2022 को दावे	दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2022 को आकस्मिक देयता	31.03.2021 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/ (कटौती)	01.04.2021 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता में कमी
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)=(v)-(vi)	(viii)
1	केन्द्र सरकार के विभाग	1257.28	0.83	72.54	71.93	0.61	-
2	राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	696.08	46.01	649.47	634.01	15.46	47.03
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)	137.94	101.87	7.19	16.59	(9.40)	10.49
4	अन्य	11623.19	449.32	10917.87	10,867.86	50.01	862.28
	कुल	13714.49	598.03	11647.07	11,590.39	56.68	919.80

3. आकस्मिक परिसंपत्तियां – समूह के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं :

क) समूह द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे :

समूह ने अन्य निकायों के दावों के प्रति 1067.90 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 971.12 करोड़ रुपये) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका मध्यस्थता अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें मध्यस्थता निर्णयों के प्रति उस पर तदनुसूची अद्यतन ब्याज सहित 26.74 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 28.16 करोड़ रुपये) शामिल है।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार 828.50 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 841.22 करोड़ रुपये) की कुल राशि वाले दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतर्वाह की कोई संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। तदनुसार, इन दावों को मान्यता नहीं दी गई है।

ख) विलंब भुगतान अधिभार :

सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2014-19/2019-24 लाभग्राहियों को बिल प्रस्तुत किए जाने की तिथि से निर्दिष्ट दिवसों के अधिक के भुगतान में विलंब के मामले में उत्पादक समूह द्वारा विलंब भुगतान अधिभार को लगाए जाने का प्रावधान करता है। लाभग्राहियों को अंतिम एकत्रीकरण हेतु व्यापक अनिश्चितता के चलते प्रबंधन ने 25.61 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 60.94 करोड़ रुपये) का अनुमान लगाया है, जिसे मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

ग) विद्युत स्टेशनों के संबंध में मान्यता प्रदान न की गई सीमा तक राजस्व :

टैरिफ आदेश 2019-24 के लिए याचिका शुल्क के कारण टैरिफ आदेश सभी विद्युत स्टेशनों के संबंध में लंबित हैं। प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि 7.26 करोड़ रुपये (पूर्व वर्ष में 23.75 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त राजस्व टैरिफ संशोधन के कारण उत्पन्न होने की संभावना है जिसकी उसके अनुमोदन के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण पहचान नहीं की गई है।

घ) व्यापार बाधा हानि:

विद्युत स्टेशनों के संबंध में व्यापार बाधा हानि के कारण बीमा दावे तब देय होते हैं जब अंतिम एकत्रीकरण में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो। प्रबंधन ने व्यापार बाधा हानियों के कारण कुल 192.71 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 417.57 करोड़ रुपये) की राशि को संभाव्य माना है। दावों का विद्युत स्टेशन-वार ब्यौरा एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(24) में दिया गया है।

ङ) अन्य मामले

अन्य विविध मामलों के कारण दावों, जिसमें नीति आयोग के निर्देशों/अदालत में लंबित मामलों के संबंध में न्यायालय के आदेशों के अनुसार जमा की गई राशि पर ब्याज, परिसमाप्त क्षतियां, पूर्व कर्मचारियों से बकाया आदि शामिल है, जिसका प्रबंधन द्वारा 933.28 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 578.93 करोड़ रुपये) अनुमान लगाया गया है, को मान्यता नहीं दी गई है।

4. प्रतिबद्धताएं (जिनका प्रावधान नहीं किया गया है) :

क) पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (चल रहे पूंजीगत कार्य सहित)	9203.58	5751.27
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	33.09	16.22
	कुल	9236.67	5767.49

ख) कंपनी की 31 मार्च, 2022 के अनुसार संयुक्त उद्यम कंपनियों में अतिरिक्त निवेश के प्रति 762.19 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 807.26 करोड़ रुपये) की प्रतिबद्धताएं हैं।

5. कंपनी द्वारा बीएसयूएल को जारी कॉर्पोरेट गारंटी के संबंध में प्रतिबद्धता : वर्ष के दौरान, कंपनी ने बैंक द्वारा बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल), एनएचपीसी लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी को स्वीकृत 213.25 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा के समर्थन में एचडीएफसी बैंक के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। गारंटी से कंपनी का

एक्सपोजर बीएसयूएल द्वारा बैंक को देय किसी भी ब्याज, कमीशन, शुल्क आदि सहित उक्त क्रेडिट सुविधा के तहत बकाया मूलधन होगा। तदनुसार, 31 मार्च, 2022 तक एक्सपोजर 60.19 करोड़ रुपए (31 मार्च 2021: शून्य) है।

6. भारतीय लेखांकन मानक 115 – “ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व” के अनुसार प्रकटन

क. वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति

राजस्व का अधिकांश हिस्सा : समूह के राजस्व में विद्युत बिक्री, व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री, परामर्श तथा अन्य सेवाएं शामिल हैं। प्रमुख क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) विद्युत की बिक्री से राजस्व

समूह का प्रमुख राजस्व विद्युत की बिक्री से आता है। समूह विद्युत की बिक्री थोक उपभोक्ताओं, प्रमुखतः राज्य सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटीयों और राज्यों में प्रचालनात्मक निजी डिस्कॉमों को करता है। विद्युत की बिक्री आमतौर पर लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुरूप होती है।

विद्युत की बिक्री हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित हैं :-

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
विद्युत की बिक्री	समूह लाभार्थियों के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार के आधार पर विद्युत की बिक्री के लिए संविदा से राजस्व की पहचान करता है, जो विद्युत स्टेशनों के संपूर्ण जीवनकाल, अर्थात् 40 वर्ष, के लिए है। विद्युत अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों द्वारा लागू सीमा तक यथासंशोधित 5 वर्षों की टैरिफ अवधि के लिए सीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों के आधार पर विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को लेखांकित किया जाता है। विद्युत स्टेशनों के संबंध में, जहां टैरिफ दरें सीईआरसी द्वारा अपने आदेशों में अभी अनुमोदित की जानी हैं/अनंतिम रूप से अनुमोदित हैं, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों पर विचार करते हुए अनंतिम दरों को अपनाया है। एक बार लाभार्थी को बिजली पहुंचाने के बाद विद्युत की बिक्री से राजस्व को मान्यता दी जाती है। लाभार्थियों को समय-समय पर और नियमित आधार पर बिल दिया जाता है।

(ख) परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य (परियोजना और परामर्श कार्य)

परामर्श और अन्य सेवाओं हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित हैं :-

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परामर्शी सेवाएं	समूह समय-समय पर परामर्शी सेवाओं के लिए संविदा से राजस्व का पहचान करता है क्योंकि उपभोक्ता समूह द्वारा एक साथ प्रदान किए गए हितलाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है। संविदा के अंतर्गत अंतरित परिसंपत्तियों (प्रदेय, रिपोर्ट आदि) का समूह के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और समूह को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का अधिकार है। परामर्श सेवाओं से राजस्व संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा की शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।
ग्रामीण सड़क परियोजना / ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना	समूह समय में योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों से राजस्व की पहचान करता है क्योंकि परिसंपत्तियों का समूह के लिए कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और समूह को अब तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का अधिकार है। योजना से राजस्व संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा की शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।

(ग) विद्युत का व्यापार

समूह उत्पादन कंपनियों से विद्युत खरीदता है और इसे डिस्कॉमों को बेचता है। करारों की प्रकृति, जोखिम तथा रिवाइड प्रोफाइल के आधार पर, समूह एजेंट के रूप में या प्रमुख के रूप में विद्युत के व्यापार से राजस्व का हिसाब करता है।

व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री हेतु संविदाओं के अंतर्गत प्रकृति का ब्यौरा, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें निम्नलिखित हैं:-

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का समय तथा महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री	समूह समय-समय पर व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री के लिए संविदा से राजस्व की पहचान करता है क्योंकि उपभोक्ता समूह द्वारा एक साथ प्रदान किए गए हितलाभों को प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है। व्यापार के माध्यम से विद्युत की बिक्री से राजस्व की गणना हेतु टैरिफ करार के शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। राशियों का बिल संविदा में निहित शर्तों के अनुसार बनाया जाता है और अनुबंधित सहमत ऋण अवधि के भीतर देय होता है।

(ख) राजस्व का विभाजीकरण

निम्नलिखित तालिका में, राजस्व का विभाजन उत्पादन और सेवाओं की प्रकृति, भौगोलिक बाजार और राजस्व मान्यता का समय द्वारा किया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए विद्युत का उत्पादन (वित्त एवं प्रचालनात्मक पट्टों के तहत वर्गीकृत राजस्व सहित)		परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाएं/परामर्शी कार्य		विद्युत का व्यापार		अन्य	कुल	
भौगोलिक बाजार	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
भारत	9,038.79	9,252.47	22.33	21.26	44.85	216.48	82.22	157.52	9,188.19
अन्य	-	-	0.59	0.16	-	-	-	-	0.59
कुल	9,038.79	9,252.47	22.92	21.42	44.85	216.48	82.22	157.52	9,188.78
राजस्व मान्यता का समय									
निश्चित समयावधि में अंतरित उत्पाद और सेवाएं	9,038.79	9,252.47	22.92	21.42	44.85	216.48	82.22	157.52	9,188.78
बेची गई यूनिटें (एमयू)	24007	25494	-	-	-	-	-	-	24007

(ग) संविदा शेष

व्यापार प्राप्य, बिल न किये गये राजस्व और जमा कार्यों एवं संविदा देयताओं के लिए उपभोक्ताओं/ग्राहकों से अग्रिम – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को वर्तमान	31 मार्च, 2021 को वर्तमान
व्यापार प्राप्य (बिल न किये गए सहित)	5,175.84	5,133.42
संविदा देयताएं – जमा कार्य	6.30	7.52
संविदा देयताएं – परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य	112.54	144.09
उपभोक्ताओं से अग्रिम और अन्य	66.79	32.99

समूह ने प्रारंभिक संविदा देयताओं से **शून्य रुपए** (पूर्व वर्ष **शून्य रुपए**) के राजस्व को मान्यता दी है।

(घ) शेष निष्पादन दायित्वों पर आबंटित लेन-देन कीमत समूह के प्रचालनों पर न तो लागू है और न ही वास्तविक है।

(ङ) इंड एस 115 “ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व” के अनुसार लागू किए गए व्यावहारिक उपायः

- समूह ने शेष निष्पादन दायित्वों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की है, जिनकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है और जहां राजस्व मान्यता प्राप्त है, जो अब तक पूर्ण किए गए निकाय के निष्पादन के उपभोक्ता के मूल्य के साथ मेल खाती है।
- समूह के पास सामान्य व्यापार में कोई संविदा नहीं है जहां ग्राहक को वादा किए गए वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक है। तदनुसार, लेन-देन के मूल्य को केवल धन मुद्रा के समय मूल्य के लिए समायोजित किया गया है, जहां ऐसी मुद्रा का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

(च) समूह ने ग्राहक के साथ संविदा प्राप्त करने की कोई वृद्धिशील लागत नहीं व्यय की है और इसलिए ऐसी लागतों के लिए किसी संपत्ति को मान्यता नहीं दी है।

7. मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) ने एक संयुक्त उद्यम भागीदार होने के चलते सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के माध्यम से विभिन्न लेखों में योगदान दिया है जिसका ब्यौरा निम्नवत है (तुलन-पत्र की टिप्पणी संख्या 19 देखें)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संचलनः

इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) :-

(करोड़ रुपए में)

(क) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2021 तक संचयी	2021-22 के दौरान	31.03.2022 तक संचयी
i. परियोजना के निमित्त एनवीडीए द्वारा व्यय	1,375.67	2.97	1,378.64
ii. प्राप्त नकदी	672.83	-	672.83
iii. ओएसपी खाते से अंतरित राशि	8.56	-	8.56
(क) का कुल	2,057.06	2.97	2,060.03
(ख) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	660.00	-	660.00
ii. सिंचाई घटक	406.91	0.35	407.26
iii. एसएसपी घटक	519.95	0.46	520.41
iv. अधिक आर एंड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	422.57	2.57	425.14
v. विद्युत प्रभार और जलापूर्ति रख-रखाव प्रभार	5.04	-	5.04
vi. ओएसपी की इक्विटी	33.08	-	33.08
(ख) का कुल	2,047.55	3.38	2,050.93
(ग) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ख-क)	(9.51)	0.41	(9.10)

ओंकारेश्वर परियोजना (ओएसपी) :-

(करोड़ रुपए में)

(घ) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2021 तक संचयी	2021-22 के दौरान	31.03.2022 तक संचयी
i. परियोजना के निमित्त एनवीडीए द्वारा व्यय	127.76	0.18	127.94
ii. प्राप्त नकदी	655.41	3.00	658.41
iii. आईएसपी खाते से अंतरित राशि	33.08	-	33.08
(घ) का कुल	816.25	3.18	819.43

(घ) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2021 तक संचयी	2021-22 के दौरान	31.03.2022 तक संचयी
(ङ) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	300.16	-	300.16
ii. सिंचाई घटक	243.03	0.09	243.12
iii. अधिक आर एंड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	82.72	0.65	83.37
iv. आईएसपी खाते में अंतरित राशि	8.56	-	8.56
v. अतिरिक्त विशेष आर एंड आर पैकेज	231.99	-	231.99
(ङ) का कुल	866.46	0.74	867.20
(च) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ङ-घ)	50.21	(2.44)	47.77
(छ) कुल वसूलनीय राशि अर्थात (ग+च)	40.70	(2.03)	38.67

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आरक्षित में अनुदान का संचलन निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2021	अभिवृद्धि	कटौती	31.03.2022
1.	सहायता अनुदान के रूप में आईएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	200.79	0.35	12.63	188.51
2.	आईएसपीएस हेतु एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के निमित्त अनुपातिक आर्थिक सहायता	256.60	0.46	16.14	240.92
3.	आईएसपीएस के आर एंड आर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार का योगदान	238.33	2.57	16.71	224.19
4.	सहायता अनुदान के रूप में ओएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	115.35	0.09	5.82	109.62
5.	ओएसपीएस के आरएण्डआर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योगदान	212.23	0.65	12.78	200.10
	कुल	1,023.30	4.12	64.07	963.34

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संचलन :

इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) :-

(करोड़ रुपए में)

(क) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2020 तक संचयी	2020-21 के दौरान	31.03.2021 तक संचयी
i. परियोजना के निमित्त एनवीडीए द्वारा व्यय	1,370.72	4.95	1,375.67
ii. प्राप्त नकदी	669.71	3.12	672.83
iii. ओएसपी खाते से अंतरित राशि	8.56	-	8.56
(क) का कुल	2,049.00	8.07	2,057.06
(ख) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	660.00	-	660.00
ii. सिंचाई घटक	406.57	0.34	406.91

(क) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2020 तक संचयी	2020-21 के दौरान	31.03.2021 तक संचयी
iii. एसएसपी घटक	519.52	0.43	519.95
iv. अधिक आरएंडआर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	419.99	2.58	422.57
v. विद्युत प्रभार और जलापूर्ति रख-रखाव प्रभार	5.04	-	5.04
vi. ओएसपी की इक्विटी	33.08	-	33.08
(ख) का कुल	2,044.20	3.35	2,047.55
(ग) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ख-क)	(4.80)	(4.72)	(9.51)

ऑकारेश्वर परियोजना (ओएसपी) :-

(करोड़ रुपए में)

(घ) नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	31.03.2020 तक संचयी	2020-21 के दौरान	31.03.2021 तक संचयी
i. परियोजना के निमित्त एनवीडीए द्वारा व्यय	127.76	-	127.76
ii. प्राप्त नकदी	651.41	4.00	655.41
iii. आईएसपी खाते से अंतरित राशि	33.08	-	33.08
(घ) का कुल	812.25	4.00	816.25
(ङ) निम्नलिखित के कारण देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	300.16	-	300.16
ii. सिंचाई घटक	240.07	2.96	243.03
iii. अधिक आर एंड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	78.89	3.83	82.72
iv. आईएसपी खाते में अंतरित राशि	8.56	-	8.56
v. अतिरिक्त विशेष आर एंड आर पैकेज	232.86	(0.87)	231.99
(ङ) का कुल	860.54	5.92	866.46
(च) एनवीडीए से वसूलनीय राशि अर्थात (ङ-घ)	48.29	1.92	50.21
(छ) कुल वसूलनीय राशि अर्थात (ग+च)	43.49	(2.80)	40.70

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आरक्षित में अनुदान का संचलन निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2020	अभिवृद्धि	कटौती	31.03.2021
1.	सहायता अनुदान के रूप में आईएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	213.06	0.34	12.61	200.79
2.	आईएसपीएस हेतु एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के निमित्त अनुपातिक आर्थिक सहायता	272.28	0.43	16.11	256.60
3.	आईएसपीएस के आर एंड आर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार का योगदान	252.28	2.58	16.53	238.33
4.	सहायता अनुदान के रूप में ओएसपीएस में सिंचाई घटक के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुपातिक योगदान	118.19	2.96	5.80	115.35
5.	ओएसपीएस के आरएण्डआर के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योगदान	221.99	2.96	12.72	212.23
	कुल	1,077.79	9.27	63.76	1023.30

8. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) का प्रभाव निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	एफईआरवी के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	(49.28)	(34.21)
(ii)	विनियामक अंतर आस्थगित लेखा शेष में मानी गई राशि	(0.17)	1.70
(iii)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वहनीय राशि को जोड़ कर समायोजित राशि	(58.77)	(49.68)

9. प्रचालन खंड :

क) विद्युत उत्पादन (निहित वित्त/प्रचालन पट्टों से आय सहित) समूह का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है। अन्य प्रचालन अर्थात् संविदाएं, परियोजना प्रबंधन, परामर्शी कार्य और विद्युत व्यापार कारोबार "प्रचालन खंड" के संबंध में इंड एस-108 के अनुसार सूचना योग्य खंड नहीं बनते हैं।

ख) समूह का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी विद्युत स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

ग) प्रमुख उपभोक्ताओं के संबंध में सूचना: निम्नलिखित उपभोक्ताओं से 5754.09 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6145.65 करोड़ रुपये) का राजस्व नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निकाला जाता है:

क्रम सं.	उपभोक्ता का नाम	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उपभोक्ता से राजस्व		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उपभोक्ता से राजस्व	
		राशि (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व का प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व का प्रतिशत
1	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	1,702.31	18.53%	1463.35	15.17%
2	विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार/जेके पावर कारपोरेशन लिमिटेड	1,535.71	16.71%	1452.3	15.05%
3	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	819.76	8.92%	1302.3	13.50%
4	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	858.20	9.34%	1158.41	12.01%
5	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	838.11	9.12%	769.29	7.97%
	कुल	5,754.09	62.62%	6145.65	63.70%

घ) बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व : समूह भारत में अधिवासित है। बाहरी ग्राहकों से इसके राजस्व की राशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बाहरी उपभोक्ताओं से राजस्व	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु
1	नेपाल	0.59	-
2	भूटान	-	0.16
	कुल	0.59	0.16

टिप्पणी : उपरोक्त में विदेशी मुद्रा में शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

10. इंड एस-24 “संबंधित पक्ष प्रकटन” के अंतर्गत प्रकटन :

(क) संबंधित पक्षकारों की सूची :

(i) संयुक्त उद्यम :

कंपनियों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेट्री (प्राइवेट) लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	भारत
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टर प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल)	भारत

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1	श्री अभय कुमार सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार (03.12.2021 से 02.03.2022 तक)
2	श्री निखिल कुमार जैन	निदेशक (कार्मिक) (02.12.2021 से समाप्त)
3	श्री यमुना कुमार चौबे	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार (03.03.2022 से 31.03.2022 तक)
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
5	श्री विश्वजीत बासु	निदेशक (परियोजनाएं)
6	श्री तन्मय कुमार	सरकारी नामिति निदेशक (संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय) (13.09.2021 से समाप्त)
7	श्री रघुराज माधव राजेन्द्रन	सरकारी नामिति निदेशक (संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय) (16.09.2021 को नियुक्त)
8	डॉ. उदय सखाराम निर्गुडकर	स्वतंत्र निदेशक (15.11.2021 को नियुक्त)
9	डॉ. अमित कंसल	स्वतंत्र निदेशक (21.11.2021 को नियुक्त)
10	डॉ. रश्मि शर्मा रावल	स्वतंत्र निदेशक (30.11.2021 को नियुक्त)
11	श्री जीजी जोसफ	स्वतंत्र निदेशक (01.12.2021 को नियुक्त)
12	श्रीमती रूपा देब	कंपनी सचिव (24.09.2021 को नियुक्त)
13	श्री सौरभ चक्रवर्ती	कंपनी सचिव (24.09.2021 से समाप्त)

(iii) रोजगार-पश्चात हितलाभ योजनाएं :

संबंधित पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण ट्रस्ट	भारत

(iv) समूह पर संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली अन्य कंपनिया :

समूह बहुसंख्यक शेयरधारिता के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू)

है। समूह ने सरकार संबंधित निकायों हेतु उपलब्ध छूटों को लागू किया है और इंड एस 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। अतः ऐसे कारोबार के पक्ष-वार ब्यौरे को नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसे कारोबार व्यापार के सामान्य चालन में आम वाणिज्यिक शर्तों पर किए जाते हैं तथा इन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता।

क्रम सं.	सरकार का नाम	एनएचपीसी के साथ संबंध की प्रकृति
1	भारत सरकार	समूह पर नियंत्रण होने वाले शेयरधारक
2	मध्य प्रदेश की राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश (यूपीएनईडीए), मणिपुर और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (जेकेएसपीडीसी)	एनएचपीसी की सहायक कंपनियों में शेयरधारक (एनसीआई)
3	विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और अन्य सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियां (बीएचईएल, आईओसीएल, पोसको, सेल, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, दामोदर वैली कारपोरेशन, पीजीसीआईएल, आरईसी, बीएसएनएल, ईईएसएल, केवी, बॉमर लॉरी एंड कंपनी लि., आदि)	एनएचपीसी पर नियंत्रण होने वाली समान सरकार (केन्द्र सरकार) द्वारा नियंत्रित निकाय

(ख) संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेन-देन किए गए:

(i) संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन

(करोड़ रुपये में)		
विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं		
▪ सीवीपीपीपीएल	33.22	23.33
समूह द्वारा इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)		
▪ सीवीपीपीपीएल	451.56	500.00
प्रतिनियुक्ति/तैनाती पर होने वाले कर्मचारी की लागत की प्रतिपूर्ति		
▪ सीवीपीपीपीएल	2.95	2.81
समूह द्वारा दिया गया ऋण		
▪ एनएचपीटीएल	-	12.40
दिए गए ऋण पर ब्याज		
▪ एनएचपीटीएल	-	0.60

(करोड़ रुपये में)		
संयुक्त उद्यमों के साथ शेष राशि	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
प्राप्य (अप्रतिभूत)		
▪ सीवीपीपीपीएल	60.89	54.07
इक्विटी में निवेश		
▪ सीवीपीपीपीएल	1839.56	1388.00
▪ एनएचपीटीएल	30.40	30.40
निम्नलिखित से प्राप्य ऋण और अग्रिम (प्रोद्भूत ब्याज सहित)		
▪ एनएचपीटीएल	18.82	18.82

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संव्यवहार और शेष :

(करोड़ रुपये में)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिकर	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	5.11	4.48
रोजगार-पश्च हितलाभ	0.49	0.92
अन्य दीर्घावधिक हितलाभ	0.09	0.78

(करोड़ रुपये में)

केएमपी के साथ अन्य लेन-देन	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क एवं अन्य प्रतिपूर्तियां	0.14	0.05
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	0.09	0.03

केएमपी के साथ अन्य लेन-देन	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
कर्मचारी ऋण के कारण प्राप्य	0.42	0.28

(iii) रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं के साथ लेन-देन और शेष

(करोड़ रुपये में)

रोजगार पश्च हितलाभ योजनाएं	कंपनी द्वारा अंशदान (रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं से धन वापसी का निवल)		रोजगार पश्च हितलाभ योजनाओं के शेष से प्राप्य/ (देय)	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को	31.03.2021 को
कर्मचारी भविष्य निधि	326.68	366.38	(54.05)	(0.06)
कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि	78.61	(79.27)	9.10	58.89
सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना ट्रस्ट	(36.74)	34.44	1.03	94.7
कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	5.65	6.18	(0.45)	(0.5)
कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	190.28	144.70	(41.17)	(54.89)
कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण ट्रस्ट	19.64	19.84	2.06	45.20

(iv) उस सरकार के साथ लेन-देन जिसका समूह पर नियंत्रण है (अर्थात केंद्र सरकार)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
भारत सरकार को विदेशी ऋणों पर गारंटी शुल्क	11.62	13.59
समूह द्वारा अदा किए गए अधीनस्थ ऋणों पर ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	70.73	70.64

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
विद्युत मंत्रालय के आदेश पर जारी और भारत सरकार को भुगतान किए गए 8.12 प्रतिशत एनएचपीसी भारत सरकार पूर्णतः सेवा बांड (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	163.80	163.58
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	40.75	19.20
समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं (विद्युत) की बिक्री	25.47	25.70
वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश	1183.04	1118.90
समूह द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	-	65.31
समूह द्वारा प्राप्त सेवाएं	0.45	-
एमएनआरई से प्राप्त अनुदान	0.35	-

(v) केन्द्रीय सरकार के साथ बकाया शेष और गारंटियां

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
केन्द्र सरकार (जिसका कंपनी पर नियंत्रण है) के साथ शेष		
सरकार को देय ऋण (अधीनस्थ ऋण) (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	4831.02	4854.05
प्राप्य – विद्युत मंत्रालय के आदेश पर जारी और भारत सरकार को भुगतान किए गए 8.12 प्रतिशत एनएचपीसी भारत सरकार पूर्णतः सेवा बांड (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	2021.69	2021.69
प्राप्य (असुरक्षित)	54.55	19.24
सरकार से प्राप्त गारंटी (विदेशी मुद्रा ऋण के प्रति)	801.97	968.62

(vi) एनएचपीसी की अनुषंगी कंपनियों में अल्पसंख्यक हितधारकों के साथ संव्यवहार (अर्थात मणिपुर और मध्य प्रदेश राज्य सरकार, यूपीएनईडीए और जेकेएसपीडीसी) :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
समूह द्वारा संपत्ति/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	109.38	-
समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं (विद्युत) की बिक्री	919.03	1279.33
समूह द्वारा वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश	280.36	271.73
समूह द्वारा प्राप्त इक्विटी अंशदान	57.88	-
समूह द्वारा प्राप्त सेवाएं	11.76	9.10
समूह द्वारा प्राप्त अनुदान	4.12	9.27
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवा	-	21.80

(vii) एनएचपीसी की अनुषंगी कंपनियों में शेरधारकों के साथ शेष (अर्थात मणिपुर और मध्य प्रदेश राज्य सरकार, यूपीएनईडीए और जेकेएसपीडीसी) :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
(i)	(ii)	(iii)
प्राप्य	219.44	273.92
देय	136.46	0.23
इक्विटी अंशदान	1056.86	998.98

(viii) समूह पर नियंत्रण होने वाली सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ संव्यवहार :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
संपत्ति/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	29.35	17.87
निर्माण सामग्री, भंडार आदि की खरीद	460.36	169.65
समूह द्वारा प्राप्त सेवाएं	618.08	530.67
समूह द्वारा प्रदान की गई सेवा	0.59	0.81
समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं/माल-सूची की बिक्री	72.76	73.11
बीमा दावों के प्रति समूह द्वारा दावों का निपटान/प्राप्त राशि	105.20	8.16

(ix) समूह पर नियंत्रण होने वाली सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ शेष :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	(ii)	(iii)
सरकार जिसका इस समूह पर नियंत्रण है, द्वारा नियंत्रित निकायों के पास शेष		
▪ देय	52.73	88.42
▪ प्राप्य	208.27	163.89

(ग) संबंधित पक्षकार लेन-देनों के संबंध में अन्य टिप्पणियां

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन की निबंधन एवं शर्तें

क. राज्य सरकारों के साथ तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ लेन-देन तात्कालिकता, उपयुक्तता अथवा अन्य कारणों से एकल निविदा आधार पर प्रोपाइटी मर्दों के लिए मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) से कल-पुर्ज/सेवाएं प्राप्त करने के कुछ मामलों को छोड़कर खुली निविदाओं के विरुद्ध एक पारदर्शी कीमत वसूली प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र तथा बिना किसी संबंध के आधार पर (केंद्र सरकार से रियायती दर पर प्राप्त अधीनस्थ ऋण को छोड़कर) बाजार की शर्तों पर किया जाता है। इस प्रकार की एकल निविदा खरीद उसी/समान मर्दों की उपलब्ध कीमत आंकड़ों के प्रति निर्धारित कीमतों से मोलभाव की प्रक्रिया के माध्यम से भी की जाती है।

ख. एनएचपीटीएल को दिये गये 18.40 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 18.40 करोड़ रुपये) के प्रतिभूतिरहित ऋण पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है और उसे वार्षिक आधार पर जोड़ा जाता है।

ग. इस समूह द्वारा सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों को दी गई परामर्श सेवा आम तौर पर नामांकन आधार पर उन शर्तों, निबंधनों और सिद्धांतों पर होती है जो अन्य पक्षकारों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं के लिए लागू होते हैं।

घ. 31.03.2022 को संयुक्त उद्यम कंपनियों की देय बकाया राशि प्रतिभूतिरहित होती है और इसका भुगतान बैंकिंग लेन-देन के माध्यम से होता है। ऋण को छोड़कर इन शेष राशियों पर ब्याज नहीं लगता है। संबंधित पक्षकारों के पास की राशियों से संबंधित प्राप्त राशियों की किसी हानि को मान्यता नहीं दी गई है। हानि का आकलन संबंधित पक्षकार की वित्तीय स्थिति एवं बाजार, जिसमें संबंधित पक्षकार कार्य करता है, की जांच करने के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, एनएचपीटीएल को अप्रतिभूत ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज के लिए प्रावधान किया गया है।

ड रोजगार के बाद की लाभ योजनाओं में योगदान ट्रस्टों से कुल धनवापसी हैं।

- (ii) सहायक कंपनी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों में आगे निवेशों के लिए प्रतिबद्धताओं को टिप्पणी 34(4) में प्रकट किया गया है।
- (iii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने 16.02.2022 को नवीकरणीय ऊर्जा, लघु हाइड्रो और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) के नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी का गठन किया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एनआरईएल में कोई निवेश नहीं है।

11. प्रतिभूति के विवरण: उधार के लिए जमानत के रूप में गिरवी/बंधक रखी गई परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	प्रथम प्रभार		
1	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	9,790.32	9,763.04
2	पूंजीगत कार्य	11,813.08	10,782.38
3	वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य	1,200.68	1,155.07
	कुल	22,804.08	21,700.49

12. भारतीय लेखांकन मानक-19 के अंतर्गत "कर्मचारी लाभों" के संबंध में प्रकटीकरण

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

- (i) **सामाजिक सुरक्षा योजना :** अनुकंपा नियुक्ति की पूर्व की योजना के स्थान पर समूह की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो 01.06.2007 से प्रचालनशील है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान देती है। कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में शोकसंतप्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **2.94 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **3.20 करोड़ रुपए**) है।
- (ii) **कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) :** समूह में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। समूह मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देता है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष के दौरान कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **104.93 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष **104.55 करोड़ रुपए**) है।

(ख) **परिभाषित हितलाभ योजनाएं:** समूह के निम्नलिखित परिभाषित रोजगार-पश्चात दायित्व हैं:

(क) योजनाओं का विवरण

- (i) **भविष्य निधि:** यह समूह पूर्व-निर्धारित दरों से एक पृथक न्यास में भविष्य निधि में नियत अंशदान जमा कराता है, जो धन का निवेश अनुमत्य प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के दौरान, निधि में अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण पर आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। समूह का यह दायित्व है कि वह इस निधि में निर्धारित अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।
- (ii) **उपदान:** समूह की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। उपदान की उच्चतम सीमा का निर्धारण उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन ($15/26 \times$ अंतिम आहरित मूल वेतन+महंगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.20 करोड़ रुपये है। तथापि, उपदान

की ऐसी सीमा, औद्योगिक महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत तक बढ़ने पर यह 25 प्रतिशत बढ़ जाती है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देना है।

- (iii) **सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):** समूह की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और/अथवा उसके जीवन-साथी (पति/पत्नी) और दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रित बच्चों को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे समूह द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और समूह का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान देने का है।
- (iv) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता:** समूह के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिपिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में मृतक कर्मचारी का परिवार भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- (v) **अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह:** समूह की नीति है कि वह अधिवर्षिता पर कर्मचारियों को 10,000/- रुपये मूल्य का स्मृतिचिन्ह भेंट करे। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- (vi) **कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना:** समूह ने 01.04.2021 से "कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना" शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी की स्थायी पूर्ण अक्षमता के मामले में उस कर्मचारी को और कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उसके परिवार को मौद्रिक मदद और सहायता प्रदान करना है, बशर्ते स्थायी पूर्ण विकलांगता/मृत्यु जैसा भी मामला हो, उस समय घटित हुई हो जब कर्मचारी कंपनी की सेवा में हो। मृत्यु/स्थायी पूर्ण अक्षमता के कारण किसी कर्मचारी के समूह की सेवा से अलग होने पर, लाभार्थी कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित एक महीने के मूल वेतन और डीए के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक भुगतान और एचआरए सहित बाल शिक्षा भत्ता, आदि अन्य लाभों का हकदार है बशर्ते लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त राशि को समूह के पास जमा करता है। योजना के लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटन

- (i) **भविष्य निधि :** वर्ष 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2021-22			
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	3136.25	3144.22	(7.97)
समायोजन	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	96.48	-	96.48
ब्याज व्यय/(आय)	242.82	246.47	(3.65)
कुल	339.30	246.47	92.83
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज व्ययों/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	13.27	(13.27)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.41)	-	(0.41)
अनुभव (लाभ)/हानि	(13.96)	-	(13.96)
कुल	(14.37)	13.27	(27.64)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
अंशदान :-			
– नियोक्ता	-	96.48	(96.48)
– कर्मचारी के लिए गत वर्ष हानि हेतु अतिरिक्त अंशदान	-	-	-
– योजना प्रतिभागी	275.04	275.04	-
हितलाभ भुगतान	(584.70)	(584.70)	-
31.03.2022 को अंतिम शेष	3151.52	3190.78	(39.26)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2020-21			
01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	2987.17	2999.68	(12.51)
समायोजन	101.80	-	101.80
वर्तमान सेवा लागत	-	-	-
ब्याज व्यय/(आय)	250.39	240.10	10.29
कुल	352.19	240.10	112.09
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज व्ययों/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	8.40	(8.40)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.10	-	0.10
अनुभव (लाभ)/हानि	3.33	-	3.33
कुल	3.43	8.40	(4.97)
अंशदान :-			
– नियोक्ता	-	101.80	(101.80)
– कर्मचारी के लिए गत वर्ष हानि हेतु अतिरिक्त अंशदान	-	0.78	(0.78)
– योजना प्रतिभागी	327.09	327.09	-
हितलाभ भुगतान	(533.63)	(533.63)	-
31.03.2022 को अंतिम शेष	3136.25	3144.22	(7.97)

वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3151.52	3136.25
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3190.78	3144.22
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	(39.26)	(7.97)
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	(39.26)	(7.97)

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, समूह को बीमांकित मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित 7.97 करोड़ रुपये के निवल अधिशेष के प्रति योजना से प्रतिदाय लेने अथवा योजना में निम्न भावी अंशदान में हितलाभों का कोई अधिकार नहीं होता है। तदनुसार, समूह ने अधिशेष को परिसंपत्ति के रूप में तथा अन्य व्यापक आय में बीमांकित लाभों को मान्यता प्रदान नहीं की है क्योंकि ये भविष्य निधि न्यास से संबंधित हैं न कि समूह से।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमान में परिवर्तनों के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है–

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव			
			अनुमान में वृद्धि		अनुमान में कमी	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	0.007%	0.007%	इससे वृद्धि

(ii) **उपदान:** 31.03.2022 तथा 31.03.2021 को तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि को वर्ष 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2021-22			
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	631.80	680.11	(48.31)
वर्तमान सेवा लागत	17.72	-	17.72
पूर्व सेवा लागत	33.75	-	33.75
ब्याज व्यय/(आय)	41.38	44.55	(3.17)
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	92.85	44.55	48.30
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	2.61	(2.61)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.24	-	0.24
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(18.49)	-	(18.49)
अनुभव (लाभ)/हानि	(9.74)	-	(9.74)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(27.99)	2.61	(30.60)
अंशदान :-			
– नियोक्ता	-	(29.33)	29.33
– योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(96.81)	(99.56)	2.75
31.03.2022 को अंतिम शेष	599.85	598.38	1.47

उस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर उपदान की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाती है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 31.03.2022 को वर्तमान औद्योगिक महंगाई भत्ता 30 प्रतिशत है, तो 01.01.2027 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के बीमांकित मूल्यांकन के लिए 0.23 करोड़ रुपये की उपदान सीमा पर विचार किया गया है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2020-21			
01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	670.95	698.37	(27.42)
वर्तमान सेवा लागत	17.80	-	17.80
ब्याज व्यय/(आय)	45.49	45.69	(0.20)
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	63.29	45.69	17.60
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	(2.52)	2.52
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.87)	-	(0.87)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	9.79	-	9.79
अनुभव (लाभ)/हानि	(9.38)	-	(9.38)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(0.46)	(2.52)	2.06
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	56.53	(56.53)
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(101.98)	(117.96)	15.98
31.03.2021 को अंतिम शेष	631.80	680.11	(48.31)

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में दर्शाई गई कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत आकलित कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	599.85	631.80
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	598.38	680.11
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	1.47	(48.31)
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	1.47	(48.31)

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमान में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन			परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव			
				अनुमानों में वृद्धि		अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	3.46%	3.33%	इससे वृद्धि	3.70%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	0.53%	0.51%	इससे कमी	0.61%

(iii) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) : 31.03.2022 तथा 31.03.2021 को तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि को वर्ष 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2021-22			
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	959.29	1054.25	(94.96)
वर्तमान सेवा लागत	17.57	-	17.57
ब्याज व्यय / (आय)	62.83	69.05	(6.22)
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	80.40	69.05	11.35
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय / (आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	7.39	(7.39)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	0.08	-	0.08
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	(57.99)	-	(57.99)
अनुभव (लाभ) / हानि	78.95	-	78.95
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	21.04	7.39	13.65
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	(66.74)	66.74
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(45.81)	(47.73)	1.92
31.03.2022 को अंतिम शेष	1014.92	1016.22	(1.30)

(करोड़ रुपये में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2020-21			
01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	852.18	987.72	(135.54)
वर्तमान सेवा लागत	17.38	-	17.38
ब्याज व्यय / (आय)	57.78	66.06	(8.28)
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	75.16	66.06	9.10
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय / (आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	6.29	(6.29)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	(0.02)	-	(0.02)
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	29.63	-	29.63
अनुभव (लाभ) / हानि	36.37	-	36.37
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	65.98	6.29	59.69

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2020-21			
अंशदान :-			
— नियोक्ता	-	(5.82)	5.82
— योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(34.03)	-	(34.03)
31.03.2021 को अंतिम शेष	959.29	1054.25	(94.96)

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में आकलित कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
वित्तपोषित देयता का वर्तमान मूल्य	1014.92	959.29
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1016.22	1054.25
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	(1.30)	(94.96)
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	(1.30)	(94.96)

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ देयता की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ देयता पर प्रभाव					
			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी		
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	6.73%	6.72%	इससे वृद्धि	6.78%	6.79%
चिकित्सा लागत दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	6.80%	6.79%	इससे कमी	6.76%	6.74%

(iv) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते:** 31.03.2022 तथा 31.03.2021 को तुलन पत्र में चिन्हित राशि को वर्ष 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2021-22			
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	6.05	-	6.05
वर्तमान सेवा लागत	0.27	-	0.27
ब्याज व्यय/(आय)	0.40	-	0.40

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.67	-	0.67
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.26)	-	(0.26)
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	0.15	-	0.15
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(0.11)	-	(0.11)
अंशदान :-			
— नियोक्ता	-	-	-
— योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.84)	-	(0.84)
31.03.2022 को अंतिम शेष	5.77	-	5.77

(करोड़ रुपये में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2020-21			
01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	6.05	-	6.05
वर्तमान सेवा लागत	0.29	-	0.29
ब्याज व्यय/(आय)	0.41	-	0.41
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में चिन्हित कुल राशि	0.70	-	0.70
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.03	-	0.03
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.08	-	0.08
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	(0.45)	-	(0.45)
अन्य व्यापक आय में चिन्हित प्राप्त कुल राशि	(0.34)	-	(0.34)
अंशदान :-			
— नियोक्ता	-	-	-
— योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.36)	-	(0.36)
31.03.2021 को अंतिम शेष	6.05	-	6.05

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ देयता की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन			परिभाषित हितलाभ देयता पर प्रभाव				
				अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	4.76%	4.49%	इससे वृद्धि	5.10%	4.85%
लगत वृद्धि	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	5.32%	4.95%	इससे कमी	4.85%	4.62%

- (v) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को स्मृति-चिन्ह : 31.03.2022 तथा 31.03.2021 को तुलन पत्र में चिन्हित राशि को वर्ष 2021-22 तथा 2020-21 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
	2021-22		
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	3.21	-	3.21
वर्तमान सेवा लागत	0.12	-	0.12
ब्याज व्यय/(आय)	0.21	-	0.21
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.33	-	0.33
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(0.08)	-	(0.08)
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.19)	-	(0.19)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	(0.27)	-	(0.27)
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.44)	-	(0.44)
31.03.2022 को अंतिम शेष	2.83	-	2.83

(करोड़ रुपये में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2020-21			
01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	3.45	-	3.45
वर्तमान सेवा लागत	0.14	-	0.14
ब्याज व्यय/(आय)	0.24	-	0.24
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में चिन्हित कुल राशि	0.38	-	0.38
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.05	-	0.05
अनुभव (लाभ)/हानि	(0.16)	-	(0.16)
अन्य व्यापक आय में चिन्हित कुल राशि	(0.11)	-	(0.11)
अंशदान :-			
— नियोक्ता	-	-	-
— योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	(0.51)	-	(0.51)
31.03.2021 को अंतिम शेष	3.21	-	3.21

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ देयता की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ देयता पर प्रभाव					
			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी		
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	3.27%	3.25%	इससे वृद्धि	3.44%	3.43%

(vi) कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना : 31.03.2022 को तुलन पत्र में चिन्हित राशि को वर्ष 2021-22 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
2021-22			
01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	1.13	-	1.13

विवरण	देयता का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = (i) - (ii)
पिछली सेवा लागत	21.03	-	21.03
ब्याज व्यय / (आय)	-	-	-
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	22.16	-	22.16
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय / (आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ) / हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	-	-	-
अंशदान :-			
— नियोक्ता	-	-	-
— योजना प्रतिभागी	3.08	-	3.08
हितलाभ भुगतान	0.20	-	0.20
31.03.2022 को अंतिम शेष	25.44	-	25.44

लाभ और हानि / व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत चिन्हित कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण – भारित मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ देयता की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव				
	अनुमानों में परिवर्तन		अनुमानों में वृद्धि		अनुमानों में कमी
	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2022
छूट दर	0.50%	इससे कमी	2.89%	इससे वृद्धि	3.13%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	इससे वृद्धि	1.43%	इससे वृद्धि	1.40%

(ग) परिभाषित हितलाभ योजनाएं : महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकित अनुमान :

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
मूल कंपनी (एनएचपीसी) छूट दर	7.00%	6.55%
अनुषंगी कंपनी (एनएचडीसी)	7.14%	6.55%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%

(घ) योजनागत परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार है :

भविष्य निधि :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1,904.14	-	1,904.14	59.73
कारपोरेट बॉण्ड	1,091.12	-	1,091.12	34.23
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	80.78		80.78	2.53
नकदी और नकदी समतुल्य	-	46.70	46.70	1.46
प्रोद्भूत ब्याज	65.26	-	65.26	2.05
कुल	3,141.30	46.70	3,188.00	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण दस्तावेज				
सरकारी बॉण्ड	1820.46	-	1820.46	58.03
कारपोरेट बॉण्ड	1100.04	-	1100.04	35.07
निवेश निधियां				
म्युचुअल फंड	67.80	-	67.80	2.16
एलआईसी	-	-	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य	-	83.95	83.95	2.68
प्रोद्भूत ब्याज	64.63	-	64.63	2.06
कुल	3052.93	83.95	3136.88	100.00

उपदान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	598.35	598.35	100.00
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.02	0.02	-
कुल	-	598.37	598.37	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
निवेश निधियां				
एलआईसी योजना	-	680.10	680.10	100.00
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.01	0.01	-
कुल	-	680.11	680.11	100.00

सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	4.82	-	4.82	0.47
कारपोरेट बॉण्ड	430.52	-	430.52	42.38
एलआईसी योजना	-	564.81	564.81	55.59
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.09	0.09	0.01
प्रोद्भूत ब्याज	15.74	-	15.74	1.55
कुल	451.08	564.90	1,015.98	100.00

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021			
	उद्धृत	अनुद्धृत	कुल	% में
ऋण लिखत				
सरकारी बॉण्ड	4.72	-	4.72	0.45
कारपोरेट बॉण्ड	503.02	-	503.02	47.77
एलआईसी योजना	-	528.49	528.49	50.19
नकदी और नकदी समतुल्य	-	0.07	0.07	0.01
प्रोद्भूत ब्याज	16.74	-	16.74	1.59
कुल	524.48	528.56	1053.04	100.00

(ड) **जोखिम प्रदर्शन:** अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, यह समूह कई जोखिमों का सामना करता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जोखिम प्रदर्शनों का विवरण :

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित है, जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होते हैं। अतः समूह नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों का सामना करता है —

- वेतन वृद्धि — वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी। वेतन में वृद्धि दर अनुमान में वृद्धि भावी मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।
- निवेश जोखिम — यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं विसंगति और अंतिम मूल्यांकन तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाले परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश लाभ देयता को प्रभावित कर सकता है।
- छूट दर — बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना की देयता में वृद्धि कर सकती है।
- मृत्यु तथा निशक्तता — मूल्यांकन में अनुमानित से कम या अधिक होने पर मृत्यु तथा निशक्तता के वास्तविक मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
- निकासी — वास्तविक निकासी अनुमानित निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना देयता को प्रभावित कर सकती है।

(च) परिभाषित लाभ देयता और नियोजित अंशदान: वित्तपोषण स्तरों की निगरानी वार्षिक आधार पर की जाती है और वर्तमान अंशदान दर मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 30 प्रतिशत है। समूह यह मानता है कि पिछली मूल्यांकन तिथि को निर्धारित अंशदान दरें सहमत अवधि पर कमी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं और नियमित अंशदान, जो सेवा लागतों पर आधारित है, उनमें अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी।

मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु परिभाषित लाभ योजनाओं में प्रत्याशित अंशदान 145.81 करोड़ रुपये है।

परिभाषित लाभ दायित्वों की भारत औसत अवधि 10.49 वर्ष है (2020-2021 - 10.39 वर्ष)।

छूट न दी गई परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

भविष्य निधि (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि) का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	0-1 वर्ष के मध्य	1 - 5 वर्ष के मध्य	5 - 10 वर्ष के मध्य	10 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2022	499.94	885.14	604.77	1161.67	3151.52
31.03.2021	534.56	929.62	585.02	1087.05	3136.24

उपदान (एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान आश्वासन निधि), सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (एनएचपीसी लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना न्यास), सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता, स्मृतिचिन्ह और कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष के मध्य	2 - 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2022					
उपदान	80.41	63.48	115.38	340.55	599.82
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	43.59	46.22	202.81	722.31	1,014.93
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.57	0.52	1.00	3.69	5.78
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.41	0.35	0.63	1.43	2.82
एनएचपीसी कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना	0.94	0.96	3.01	20.52	25.43
कुल	125.92	111.53	322.83	1,088.50	1,648.78
31.03.2021					
उपदान	91.42	75.67	142.34	322.34	631.77
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	35.06	41.26	148.20	708.13	932.65
सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता	0.61	0.56	1.15	3.73	6.05
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह	0.48	0.40	0.73	1.59	3.20
कुल	127.57	117.89	292.42	1,035.79	1,573.67

(ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ (अवकाश हितलाभ):** समूह अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करता है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश (ईएल) सेवा के दौरान नकदीकरण योग्य भी होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन अवकाश से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमाकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमाकित मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त व्यय **65.01 करोड़ रुपए** (31 मार्च 2021 : **68.46 करोड़ रुपए**) है।

13. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय तथा कल-पुर्जों पर व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	23.47	26.50
	ii) अन्य विविध मामले	6.43	5.26
ख)	प्रचालनात्मक यूनिटों में उपभोग किए गए कल-पुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) देशीय	21.06	22.96

14. प्रति शेयर अर्जन:-

क) प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रुपए) – मूल और कम किया गया	4.71	3.15
विनियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रुपए) – मूल और कम किया गया	3.51	3.26
प्रति शेयर सम मूल्य (रुपये)	10	10

ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान :

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु विनियामक आय से पूर्व निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	4733.66	3159.61
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा विनियामक आय के पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	3523.57	3271.78

ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलान:

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या	10045034805	10045034805

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार प्रकटीकरण:

(करोड़ रुपए में)

समूह में निकायों के नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ एवं हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मूल कंपनी								
एनएचपीसी लिमिटेड								
31.03.2022	75.64	28578.31	86.27	3256.01	117.49	12.76	86.36	3268.77
31.03.2021	77.97	27978.64	82.20	2958.78	95.62	7.20	82.22	2965.98
सहायक कंपनियां								
एनएचडीसी								
31.03.2022	6.23	2353.43	7.18	270.55	(8.93)	(0.97)	7.13	269.58
31.03.2021	6.62	2376.55	8.87	318.80	2.26	0.17	8.85	318.97
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लिमिटेड)								
31.03.2022	0.30	115.12	-	0.01	-	-	-	0.01
31.03.2021	0.30	108.58	-	-	-	-	-	-
बुंदेलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल)								
31.03.2022	0.22	82.36	(0.02)	(0.61)	-	-	(0.02)	(0.61)
31.03.2021	0.12	43.33	(0.01)	(0.10)	-	-	(0.01)	(0.10)
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल)								
31.03.2022	3.90	1475.01	(0.01)	(0.20)	-	-	(0.01)	(0.20)
31.03.2021	2.87	1031.16	(0.01)	(0.21)	-	-	(0.01)	(0.21)
जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल)								
31.03.2022	0.80	303.63	(0.01)	(0.48)	-	-	(0.01)	(0.48)
31.03.2021	0.52	188.15	-	-	-	-	-	-
रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल)								
31.03.2022	0.36	136.96	(0.01)	(0.32)	-	-	(0.01)	(0.32)
31.03.2021	-	-	-	-	-	-	-	-
सभी सहायक कंपनियों में गैर-नियंत्रक ब्याज								
31.03.2022	7.58	2862.87	6.64	250.76	(8.56)	(0.93)	6.60	249.83
31.03.2021	7.90	2835.32	9.11	328.10	2.12	0.16	9.10	328.26
संयुक्त उद्यम (निवेश इक्विटी पद्धति के अनुसार)								
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)								
31.03.2022	0.04	14.24	(0.11)	(3.97)	-	-	(0.11)	(3.97)
31.03.2021	0.05	18.22	(0.11)	(3.85)	-	-	(0.11)	(3.85)
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्र.) लिमिटेड (सीवीपीपीएल)								
31.03.2022	4.93	1861.92	0.07	2.58	-	-	0.07	2.58
31.03.2021	3.65	1308.67	(0.05)	(1.64)	-	-	(0.05)	(1.64)
कुल								
31.03.2022	100.00	37783.85	100.00	3774.33	100.00	10.86	100.00	3785.19
31.03.2021	100.00	35888.62	100.00	3599.88	100.00	7.53	100.00	3607.41

16. संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिक देयताएं:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
क. आकस्मिक देयताएं	80.61	75.82
ख. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	5,100.29	5,192.83

17. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटन निम्नवत है:

- (क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम, व्यापार प्राप्य, संविदाकारों को अग्रिम, देय व्यापार तथा नीचे (ख) में दिए गए को छोड़कर संविदाकारों से जमा/धरोहर राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- (ख) व्यापार प्राप्य, देय भुगतान राशि, जमा, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु 0.05 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष से 31 दिसम्बर, 2021 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2021 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.03.2022 को बकाया निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.12.2021 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.12.2022 को बकाया राशि
व्यापार प्राप्य (बिल न किए गए को छोड़कर) *	4141.52	3181.16	2806.97
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम	2768.33	1080.68	2782.89
व्यापार/अन्य देय	690.34	108.46	850.68
प्रतिभूति जमा/देय प्रतिधारण राशि	322.06	49.16	350.80

* व्यापार प्राप्तियों में लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज और ग्राहकों से अग्रिम निवल के फलस्वरूप होने वाली प्राप्तियां शामिल हैं।

- (ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों के लिए ऐसे किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी जिसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव होता हो।

18. आईएनडी एस – 116 “पट्टे” के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण :

क) समूह पट्टाधारी के रूप में

(i) आईएनडी एस 116 के अनुसार पट्टों पर लेखा कार्रवाई :

समूह यह आकलन करता है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में ऐसा कोई अनुबंध है या इसमें पट्टा शामिल है। समूह अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की लीज अवधि के साथ पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की संपत्ति वाले पट्टों (जैसे टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर, कार्यालय फर्नीचर की छोटी वस्तुएं और टेलीफोन) को छोड़कर, उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिसमें वह पट्टेदार है, जिसके संबंध में उपयोग के लायक वस्तुएं और परवर्ती पट्टा देयता को मान्यता प्रदान करता है। इन पट्टों के लिए, समूह पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर एक परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देता है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस समय के पैटर्न का अधिक प्रतिनिधित्व न करता हो जिसमें पट्टे पर दी गई संपत्ति से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

पट्टा देयता का मापन प्रारंभ में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है जिसका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है एवं पट्टे में निहित दर का उपयोग द्वारा छूट दी जाती है। यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो समूह अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करता है।

समूह ने आईएनडी एस-116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किये हैं:-

- क. समान अंतिम तिथि को समान आर्थिक पर्यावरण में समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की।
- ख. उपयोग के लायक परिसंपत्तियों की पहचान न करने तथा प्रारंभिक आवेदन की तारीख को 12 माह से कम पट्टा अवधि वाली पट्टों देयताओं पर हेतु लागू की।
- ग. प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो तो उसे छोड़कर, प्रारंभिक आवेदन की तिथि को उपयोग के लायक परिसंपत्तियों का मापन किया।
- घ. यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने या समाप्त करने का विकल्प शामिल है तो पट्टे की अवधि निर्धारित करते समय दूरदर्शिता का प्रयोग किया।
- ङ. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निर्धारित पट्टा देयताओं पर लागू की गई भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 6.20 प्रतिशत है।

(ii) पट्टे की प्रकृति : समूह की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में हैं:

- (क) 3-4 माह से लेकर 3 साल तक की अवधि तक कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु परिसर जो निरस्तीकरण योग्य पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत हो।
- (ख) कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों हेतु पट्टे पर परिसर जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।
- (ग) परियोजनाओं और/अथवा प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई।
- (घ) वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालनात्मक पट्टों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते।

(iii) राशि को अल्पावधि, निम्न मूल्य और परिवर्तनीय पट्टे के संबंध में लाभ और हानि/निर्माण पर आरोप्य व्यय का विवरण निम्नवत है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
1	अल्पावधि पट्टों पर व्यय	12.57	15.52
2	निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे पर व्यय	-	0.02
3	परिवर्तनीय पट्टा भुगतान में शामिल नहीं होने वाली पट्टा देयताओं का पुनर्मापन	5.41	4.67

(iv) 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्धता 4.31 करोड़ रुपये (गत वर्ष 3.72 करोड़ रुपये) है।

(v) वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं में संचलन निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
प्रारंभिक शेष	15.11	16.48
पट्टा देयताओं में वृद्धि	8.96	3.00
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत वित्त लागत	1.46	1.35
घटाएं : पट्टा देयताओं का भुगतान	4.95	5.72
अंतिम शेष	20.58	15.11

(ख) वित्त पट्टा – समूह पट्टादाता के रूप में

समूह ने दो विद्युत स्टेशनों, निम्नो बाजगो पावर स्टेशन और चूटक पावर स्टेशन से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु एकल लाभार्थी पीडीडी जम्मू एवं कश्मीर और दो विद्युत स्टेशनों इन्दिरा सागर और ओंकारेश्वर विद्युत स्टेशनों से उत्पादित समूची विद्युत की बिक्री हेतु मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट समूह के साथ इन विद्युत स्टेशनों के अपेक्षित जीवनकाल की वास्तविक अवधि के लिए एक समझौता किया है। समझौतों के अंतर्गत उपभोक्ता केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उत्पादन को खरीदने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, समूह ने 1 अप्रैल, 2019 से पारस्परिक रूप से सहमत टैरिफ पर 35 वर्षों के शेष उपयोगी जीवन के लिए टीएलडीपी-III पावर स्टेशन द्वारा उत्पन्न संपूर्ण विद्युत के क्रय के लिए मैसर्स डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के साथ एक पूरक पीपीए निष्पादित किया है। कंपनी द्वारा इन व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है और इन्हें वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य वित्तीय संपत्तियों (वर्तमान और गैर-वर्तमान) में समूह द्वारा प्रविष्ट की गई एम्बेडेड वित्त पट्टा व्यवस्थाओं पर प्राप्य भावी पट्टा तथा रेंटल के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली पट्टा प्राप्तियां शामिल हैं।

समूह ने वर्ष के दौरान 865.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 899.08 करोड़ रुपये) की “वित्त पट्टे से आय” अर्जित की।

निम्नलिखित तालिका 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर प्राप्त होने वाले छूट न दिए गए पट्टा भुगतान दर्शाते हुए, पट्टा प्राप्य की परिपक्वता विश्लेषण निर्धारित करती है :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
गैर-छूट पट्टा भुगतान प्राप्य :		
एक वर्ष से कम	1,028.39	1,030.01
एक से दो वर्ष	1,018.28	1,023.46
दो से तीन वर्ष	999.86	1,013.52
तीन से चार वर्ष	942.74	995.28
चार से पांच वर्ष	835.34	938.34
पांच से अधिक वर्ष	16,343.59	17,135.81
कुल गैर-छूट पट्टा भुगतान प्राप्य:	21,168.19	22,136.42
जोड़ें : छूट दिए गए गैर-गारंटीबद्ध अवशिष्ट मूल्य	806.75	803.82
घटाएं : अर्जित न की गई वित्त आय	15,703.11	16,524.69
पट्टे में निवल निवेश	6,271.83	6,415.55
पट्टे में निवल निवेश में शामिल गैर-गारंटीबद्ध छूटसहित अवशिष्ट मूल्य	21.72	18.73

वित्त पट्टों में निवल निवेश की वहनीय राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
प्रारंभिक शेष	6,415.55	5,229.23
वर्ष के दौरान वृद्धि	49.36	1,331.31
वर्ष के लिए वित्त पट्टे से आय	865.51	899.08
घटाएं : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	1,058.59	1,044.07
अंतिम शेष	6,271.83	6,415.55

(ग) प्रचालनात्मक पट्टा – कंपनी पट्टादाता के रूप में

समूह ने टीएलडीपी-IV विद्युत स्टेशनों से विद्युत की बिक्री हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना, जैसलमेर से विद्युत की बिक्री हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) के साथ 3 वर्ष की अवधि हेतु एक करार किया है। जेवीवीएनएल के साथ बिजली खरीद समझौता 31 मार्च, 2019 को समाप्त

हो गया है और पीपीए का विस्तार प्रक्रियाधीन है, हालांकि बिजली ग्राहक के लिए दर निर्धारित की जा रही है। पीपीए के अनुसार, ग्राहक इन विद्युत स्टेशनों के पूरे आउटपुट को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों पर खरीदने के लिए बाध्य है और इसे प्रचालन पट्टा व्यवस्था के रूप में मान्यता दी गई है।

समूह ने वर्ष के दौरान **384.07 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **712.00 करोड़ रुपये**) की “प्रचालन पट्टे से आय” अर्जित की है। निम्नलिखित तालिका विद्युत क्रय करार के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होने वाले छूट न दिए गए पट्टा भुगतान दर्शाते हुए, पट्टा भुगतानों की परिपक्वता विश्लेषण निर्धारित करती है :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
एक वर्ष से कम	312.21	-
एक से दो वर्ष	312.21	-
दो से तीन वर्ष	312.21	-
तीन से चार वर्ष	312.21	-
चार से पांच वर्ष	320.10	-
पांच से अधिक वर्ष	1280.41	-
कुल	2849.35	-

19. भारतीय लेखांकन मानक 36 के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि में किसी निकाय के लिए प्रत्येक तुलन पत्र पर यह आकलन करना होता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत हो तब निकाय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना अपेक्षित है। यदि संभावित हानि के संबंध में घाटे का कोई संकेत न हो, तब इस मानक में किसी उपक्रम के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह वसूली योग्य राशि का औपचारिक अनुमान लगाए। प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि इस समूह की प्रत्येक परियोजना/पावर स्टेशन आकलन करने योग्य सबसे छोटी परिसंपत्ति समूह है जो सतत उपयोग से नकदी प्रवाह का सृजन करता है जो अन्य परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्ति समूहों से नकदी के प्रवाहों से व्यापक तौर पर स्वतंत्र है और तदनुसार नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) के रूप में नामित किए जाने के योग्य है। इन सीजीयू पर लागू हानि संबंधी संकेतकों का आकलन किया गया है और ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन का यह मत है कि इस समूह पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के प्रौद्योगिकीय, आर्थिक अथवा कानूनी परिवेश, जिसमें यह कार्य करता है, में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन इस वर्ष के दौरान नहीं हुआ है अथवा न ही निकट भविष्य में होने की आशा है। इसमें टैरिफ अवधि 2020-24 के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विनियम जहां कोई प्रमुख संशोधन नहीं हुए हैं जिनका इन सीजीयू से भावी नकदी प्रवाह पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, शामिल हैं। ऐसा कोई साक्ष्य आंतरिक रिपोर्टिंग में उपलब्ध नहीं है जो यह संकेत देता हो कि सीजीयू का आर्थिक कार्य निष्पादन आशा से बदतर है अथवा होगा।

इसके अलावा, इस समूह के नौ सीजीयू का आकलन 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार हानि के लिए किया गया था। इस समूह के सीजीयू का चयन प्रति मेगावाट पूंजीगत लागत, टैरिफ आदि जैसे मानदंड के आधार पर किया गया था और इसमें कंपनी की दो प्रमुख निर्माण परियोजनाओं और 100 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले, हाल ही में शुरू किए गए चार पावर स्टेशन शामिल हैं। इन सीजीयू में से, एक में पहचान की गई पूंजी लागत के भाग के रूप में टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष पर भी हानि का आकलन सीजीयू की वहन राशि के साथ किया गया है।

हानि का विश्लेषण प्रत्येक सीजीयू के लिए विशिष्ट जोखिमों के लिए समायोजित लागू सीईआरसी विनियमों तथा पूंजी परिसंपत्ति कीमत निर्धारण मॉडल, जो मुद्रा के समय मूल्य का बाजार आकलन दर्शाता है, के आधार पर नकदी के प्रवाह संबंधी अनुमानों के अनुसार सीजीयू की वसूली योग्य राशि की माप कर उपयोग में मूल्य परिचालन के आधार पर किया गया था।

इस आकलन के आधार पर, ऐसा कोई महत्वपूर्ण संकेतक नहीं है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस समूह के विनियामक आस्थगित लेखा शेषों सहित सीजीयू की वहनीय राशि की हानि को इंगित करेगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समूह की परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के संबंध में कोई हानि नहीं हुई है।

20. जल विद्युत नीति, 2008 के अनुसार किसी परियोजना के चालू होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु संबंधित वितरण लाइसेंस के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (पीएफ) को 100 यूनिट विद्युत की तदनुरूपी ऊर्जा उपलब्ध करवाई जानी है। पीएफ के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी अधिसूचना जारी की जानी

है। चूंकि, किसी विद्युत स्टेशन से कुल बिक्री योग्य ऊर्जा को डिजाइन ऊर्जा में से ऐसी निःशुल्क विद्युत की कटौती करके निकाला जाना है एवं इससे समूह के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

21. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('संहिता') रोजगार के दौरान कर्मचारी हितों और रोजगार के बाद कर्मचारी हितों से संबंधित है, जिसे सितंबर 2021 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। तथापि, उस तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया, जबसे यह संहिता प्रभावी होगा। समूह संहिता के प्रभाव का आकलन करेगा और संहिता के प्रभावी होने के वर्ष में किसी भी संबंधित प्रभाव को दर्ज करेगा।
22. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 देखें)।

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों की आवश्यकता दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित है और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब समूह यह प्रत्याशा करता है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन का समय मूल्य प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों में वर्तमान कर-पूर्व-दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

- (ii) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार टिप्पणी संख्या 34 के क्रम सं 12 पर प्रकट किया गया है)।

क) कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान :

लेखा में कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर समूह नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

ख) तृतीय वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधान :

कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार पूर्व में मान्यता दी गई थी।

(iii) अन्य प्रावधान

क) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान :

टैरिफ समायोजन प्रावधान को अनुमानित आधार पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2014-19/2019-24 की अवधि हेतु टैरिफ के अनुमोदन/समायोजन के लंबित होने पर बिल किए गए टैरिफ के पुनः आकलन पर लाभग्राहियों को संभावित धन वापसी के प्रति किया गया है।

ख) आजीविका सहायता हेतु प्रावधान :

पार्वती-II तथा पार्वती-III में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ) को आजीविका सहायता हेतु राज्य सरकार के परामर्श से और एनएचपीसी के निदेशक मंडल के अनुमोदित के अनुसार अंतिम रूप दिए गए विशेष वित्तीय पैकेज के प्रति लेख में औसत मुद्रास्फीति हेतु छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है। पैकेज के अनुसार, भुगतान की औपचारिकताएं लम्बित होने तक प्रत्येक पीएफ को निम्नलिखित अवधियों हेतु मासिक किश्त आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार, जो भी अधिक हो, के अनुसार अकुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य आजीविका सहायता मुहैया करवाई जाएगी :

- i) रोजगार हेतु पात्र पीएफ की अधिवर्षिता की तिथि तक।
- ii) ऐसे पीएफ जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं बची है परन्तु जिन्हें रोजगार हेतु शामिल नहीं किया गया है, 2000 दिवस हेतु।
- iii) शेष सभी पीएफ को 1000 दिवस हेतु।

ग) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान :

पर्यावरण, प्रतिपूरक वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु गैर-वर्तमान राशि के मामले में छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया था। ऐसे प्रावधानों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय किए जाने पर समायोजित किया जाता है।

घ) बीमित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्ययों हेतु प्रावधान :

मेगा नीति तथा निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी पॉलिसी के अंतर्गत बीमित क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार हेतु प्रबंधन अनुमानों के आधार पर लेखे में प्रावधान को मान्यता दी गई है। प्रावधान का उपयोग परिसंपत्तियों के पुनःप्राप्ति हेतु वास्तविक व्यय को वहन किए जाने के लिए किया जाना है।

ङ) मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान:

इसमें मध्यस्थता निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त तथा न्यायालय में चुनौती दिए गए संविदाकार के दावे में संभावित बाह्य प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए हैं। मामले के निर्णय के आधार पर प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह होगा।

च) प्रावधान – अन्य – इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं :-

- (i) कर मांग और अन्य मामले संभावित बहिर्प्रवाह प्रबंधन के आकलन के आधार पर है। संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित प्रावधान का उपयोग/बहिर्प्रवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा।
- (ii) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन जिनकी सेवाएं गुप द्वारा उपयोग की जा रही है।
- (iii) वर्ष 2014-19 की अवधि में टैरिफ विनियमों के अनुसार वसूले गए अधिक टैरिफ पर लाभग्राहियों को ब्याज हेतु प्रावधान जहां वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर प्रक्षेपित पूंजीगत लागत के आधार पर सीईआरसी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु ली गई पूंजीगत लागत अथवा प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, व्यय की गई वास्तविक पूंजीगत लागत से अधिक होता है।
- (iv) अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर कर्मचारियों को मुहैया करवाए गए गृह निर्माण अग्रिम के ब्याज के प्रति छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।
- (v) अनुमेय छूट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर विद्युत की बिक्री हेतु उपभोक्ताओं को छूट हेतु एकमुश्त प्रावधान।
- (vi) कतिपय ब्याज धारण करने वाले वित्तीय लिखतों, जिसमें उन पर प्रोद्भूत लेकिन अप्राप्य ब्याज शामिल है, में कर्मचारी भविष्य निधि न्यास द्वारा हुए निवेश हानि का प्रावधान।

23. भारतीय लेखांकन मानक 114 के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा (आरडीए) शेष के सृजन संबंधी प्रकटन :

समूह प्रमुखतः जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा प्रचालन में लगा हुआ है। समूह द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (टैरिफ) का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लागू सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमों के अंतर्गत किया जाता है। उक्त मूल्य (टैरिफ) ब्याज लागत, मूल्यह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें निर्धारित रिटर्न शामिल है, जो अनुमेय लागतों पर आधारित होता है। दर विनियमन के इस रूप को सेवा लागत विनियमों के रूप में जाना जाता है। ऐसे विनियमों का मुख्य उद्देश्य निकाय को वस्तु या सेवा उपलब्ध करवाने की लागत तथा उचित प्रतिफल को वसूल करने का अवसर प्रदान करना है।

इस प्रयोजन हेतु समूह को लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित अथवा सीईआरसी द्वारा स्वीकृत अथवा किए गए व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक किए जाने वाले प्रक्षेपित और लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय या टैरिफ वर्ष के दौरान व्यय किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय के आधार पर सीईआरसी को एक आवेदन देना अपेक्षित होता है। सीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ को उन उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) से वसूला जाता है जिन पर यह बाध्यकारी है।

उक्त दर विनियम लेखांकन ढांचे में यथा परिकल्पित अधिकार (परिसंपत्ति) अथवा दायित्व (देयता) के सृजन में परिणत होते हैं जो अन्य उद्योगों के मामले में नहीं होता। आईसीएआई ने दर विनियमित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन संबंधी एक परामर्शी नोट जारी किया है जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले निकायों पर लागू होता है जिनका मूल्य सेवा की लागत विनियमों के अधीन होता है और विनियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ उपभोक्ताओं (लाभग्राहियों) पर बाध्यकारी होता है। परामर्शी

नोट के अनुसार किसी विनियामक परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना हो (एक तर्कसंगत आश्वासन) कि इससे संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभ संबंधित निकाय को लागू विनियामक ढांचे के अंतर्गत विनियामक के वास्तविक या प्रत्याशित कृत्यों के परिणामस्वरूप प्राप्त हों और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

परामर्शी नोट में कुछ मामलों में यह भी प्रावधान है कि कोई विनियामक किसी निकाय को दर आधार में स्व-निर्मित (मूर्त) स्थिर परिसंपत्तियों या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को शामिल करने की अनुमति दे, ऐसी राशियां जिन्हें लेखांकन मानकों के अनुरूप लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया गया हो।

01.04.2016 से ऐसी दर नियंत्रित मदों का लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 114 (विनियामक आस्थगित लेखे" के अनुसार किया जाना है। भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजन हेतु "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पण पूर्ववर्ती जीएएपी को माना जाएगा।

(क) सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

सुबानसिरी लोअर परियोजना का निर्माण कार्य 16.12.2011 से बाधित था और मामला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में लंबित था। तथापि, परियोजना में तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य जारी थे।

31 जुलाई, 2019 के अपने आदेश में, माननीय एनजीटी ने माना कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन में पक्षपात करने वाले आवेदकों की याचिकाओं में कोई औचित्य नहीं है और तदनुसार, एनजीटी के समक्ष लंबित सुबानसिरी लोअर परियोजना के विरुद्ध मामलों को खारिज कर दिया गया है। अक्टूबर, 2020 से परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) के मतानुरूप 30 सितंबर, 2019 तक व्यय की गई 2735.61 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2735.61 करोड़ रुपये तक) की ऋण लागत, 1427.67 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष तक 1427.67 करोड़ रुपये) के कर्मचारी लाभ व्यय, मूल्यहास और अन्य व्यय, 322.60 करोड़ रुपये की अन्य आय के निवल (पिछले वर्ष तक 322.60 करोड़ रुपये) को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभावित किया गया है।

परियोजना में सक्रिय निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान फिर से शुरू कर दिया गया है, 01.10.2019 से व्यय की गई ऋण लागत, कर्मचारी हितलाभ व्यय, मूल्यहास और अन्य व्यय (अन्य आय का निवल) को निर्माण पर आरोप्य व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

समूह ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी परामर्शी नोट के अनुसार लेखांकन को अपनाया था जो "विनियामक परिसंपत्ति" और तदनुसूची "विनियामक आय" की मान्यता को अनुमति देता है जिसमें ऐसे व्यय को वसूल करने का अधिकार है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार संगत स्थिर परिसंपत्ति लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है, परन्तु विनियामक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभग्राहियों से वसूल किए जाने की योजना है।

चूंकि भारतीय लेखांकन मानक-114 में किसी निकाय को विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता, मापन, क्षति तथा विमान्य किए जाने हेतु पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीतियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है और यह पूर्ववर्ती जीएएपी को "दर नियंत्रित क्रियाकलापों हेतु लेखांकन" के संबंध में आईसीएआई मार्गदर्शी टिप्पणी के रूप में मान्यता देता है, समूह ने विनियामक आस्थगित लेखा शेष हेतु लेखांकन नीति को जारी रखा है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए और उस वर्ष तक, सुबानसिरी लोअर परियोजना का कुल विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेष निम्नवत हैं :

(करोड़ रुपये में)

निम्नलिखित के संबंध में सृजित विनियामक परिसंपत्तियां	31.03.2022 तक
ऋण लागत	2509.67
कर्मचारी हितलाभ व्यय	628.73
मूल्यहास और परिषोधन	54.86
अन्य व्यय	562.83
अन्य आय	(285.50)
कुल	3470.59

इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी विनियामक आस्थगन लेखा शेष को मान्यता नहीं दी गई है।

प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार, परियोजना की प्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत शामिल 10479.22 करोड़ रुपए की अग्रणीत राशि में कोई हानि नहीं है, जिसमें विनियामक आस्थगन खाता शेष शामिल है।

परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखाओं में पड़ी शेष राशि को मूल्यहास के अनुपात में परियोजना के जीवनकाल अर्थात 40 वर्षों में सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरों तथा पद्धतियों का पालन करते हुए परिशोधित/परिसमाप्त किया जाएगा।

वर्ष 2019-2024 के लिए टैरिफ विनियम सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। मौजूदा टैरिफ विनियमों (2014-19), उधार पूंजी में परिणत का अधिकार देना एवं अनियंत्रण कारकों, जिनमें अप्रत्याशित घटनाएं जैसे टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार रुकावट/अस्थायी रूप से व्यापार रोकने संबंधी आदेश शामिल हैं, के अलावा, नए विनियमों में अप्रत्याशित घटनाओं में से एक के रूप में परियोजनाओं के लिए सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब भी शामिल है। तदनुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियमों में प्रतिकूल परिवर्तन सुबानसिरी लोअर परियोजना में मान्यताप्राप्त आरडीए शेष की भावी वसूली जोखिम के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में संभवतः नहीं है।

कुछ जोखिम तथा अनिश्चितताएं सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित डेबिट शेष की भविष्य की वसूली को प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं :

क) मांग जोखिम: विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली टैरिफ के माध्यम से मूल्यहास द्वारा की जाएगी। तदनुसार, यह सामान्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं से प्रभावित है जो भारत में विद्युत की बिक्री को प्रभावित करती हैं जैसे परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए लागत और आवश्यक लाभ को कवर करने वाली दर पर दीर्घावधि विद्युत खरीद करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जाने में कठिनाई।

ख) विनियामक जोखिम: टैरिफ विनियमों में आगे यह प्रावधान है कि यदि विलंब उत्पादक समूह के कारण नहीं है बल्कि अनियंत्रणीय कारकों के कारण है, तो आईईडीसी को उचित विवेकसम्मत जांच के पश्चात अनुमेष किया जा सकता है। विवेकसम्मत जांच के पश्चात व्यय को अनुमेष न करने से विनियामक आस्थगित खाता शेष की वसूली प्रभावित हो सकती है।

(ख) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम यूनिट (सीपीएसयू) के तृतीय वेतन संशोधन के कारण मान्यता दिए गए व्यय के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष :

आईडीए वेतनमान के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों सहित सीपीएसयू के कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी, 2017 से संशोधित किया गया है। जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, 01.01.2017 से मूल वेतन, मंहगाई भत्ता और भत्तों में वृद्धि करने के अलावा, उपदान को 01.01.2017 से मौजूदा 0.10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 0.20 करोड़ रुपये किया गया है। सभी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन लागू किया गया है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2014-19, सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 में यह प्रावधान है कि प्रचालनात्मक विद्युत स्टेशन के वेतन संशोधन के कारण केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों और सीआईएसएफ कार्मिकों सहित कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि का प्रभाव टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अवधि 2004-09 के दौरान सीईआरसी ने 31.12.2006 के अनुसार याचिकाकर्ता समूह के कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) की 50 प्रतिशत तक वेतन संशोधन (1.1.2007 से) के कारण कर्मचारी लागत में वास्तविक वृद्धि की लाभार्थियों से वसूली को बारह समान मासिक किश्तों में अनुमेष किया था। वर्ष 2019-2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम जिसके साथ सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दिनांक 15 मार्च, 2019 का शुद्धिपत्र शामिल है, में यह भी प्रावधान है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में लाभार्थियों से वेतन संशोधन की वसूली की जाए।

भारतीय लेखांकन मानक-114-"विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2019 तक वेतन/उपदान सीमा के संशोधन के कारण कर्मचारी लाभों पर अतिरिक्त व्यय को लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य व्यापक आय पर प्रभारित किए जाने की सीमा तक 679.90 करोड़ रुपए की राशि को "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। एक बार इस संबंध में सीईआरसी के साथ समक्ष दायर याचिकाओं को मंजूरी मिलने के बाद लाभार्थियों को बिलिंग के माध्यम से यह शेष राशि वापस मिल जाएगी।

टैरिफ अवधि 2014-19 के विपरीत, जहां वेतन संशोधन के आरडीए शेषों को इस उम्मीद के साथ बनाया गया था कि सीईआरसी

उसके अनुसरण में टैरिफ में उसी की अनुमति देगा, जिसकी वित्तीय वर्ष 2009 के दौरान वेतन संशोधन के लिए पहले अनुमति दी गई थी, टैरिफ विनियम 2019-24 वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय की विशिष्ट रूप से वसूली करने की अनुमति देता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 से तीसरे पीआरसी के कारण अतिरिक्त व्यय को संबंधित व्यापार प्राप्तियों के साथ राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

चालू वर्ष के दौरान, प्रबंधन ने वसूली योग्यता के रूप में प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर 1 जनवरी, 2017 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के तीसरे वेतन संशोधन पर अतिरिक्त व्यय के संबंध में **61.32 करोड़ रुपए** के पूर्वोक्त विनियामक आस्थगित खाते (डेबिट) शेष की वसूली और गैर-मान्यता प्राप्त भाग का पुनर्मूल्यांकन किया है। इस प्रकार गैर-मान्यता प्राप्त राशि को पूर्वव्यापी रूप से पुनर्कथित किया गया है और प्रासंगिक प्रकटीकरण **टिप्पणी 35** में दिया गया है।

वित्तीय विवरण में 31.03.2022 तक मान्यता प्रदान किए गए कुल आरडीए ऋण शेष निम्नानुसार हैं

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	609.61
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (+)	-
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि (-)	114.20
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय (ख+ग)	(114.20)
ङ	31.03.2022 को अंतिम शेष (क+घ)	495.41

हालांकि, कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता विनियामक जोखिम के अध्वधीन है क्योंकि ऐसे व्यय को आम तौर पर सीईआरसी द्वारा विवेकसम्मत जांच करने के बाद ही किए जाने की अनुमति दी जाती है विवेकसम्मत जांच के बाद व्यय की अनुमति न देने से लाभार्थियों से वसूले जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष की मात्रा पर प्रभाव पड़ सकता है। समूह की वर्तमान सीईआरसी विनियम 2020-24 की अवधि के दौरान तीसरे वेतन संशोधन के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की वहनीय राशि को वसूल करने की आशा है।

(ग) किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ के अनतिक्रम के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19/2019-24 के अनुसार, किसी पावर स्टेशन की की पूंजीगत लागत पर मूल्यहास टैरिफ के संघटकों में से एक है। मूल्यहास को 12 वर्षों की आरंभिक प्रचालन अवधि में टैरिफ विनियम 2014-19/2019-24 में दी गई दरों के अनुसार बुक में प्रभारित किया जाता है और उसके बाद शेष मूल्यहास को शेष 23/28 वर्षों में समान रूप से रखा जाता है ताकि मूल्यहास के रूप में पावर स्टेशन की पूंजी लागत का 90 प्रतिशत वसूला जा सके। टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार, हाइड्रो पावर स्टेशन का प्रचालनात्मक जीवनकाल 40 वर्ष है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार, उत्पादक समूह द्वारा विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ का भी निर्धारण विनियम में उल्लिखित मानदंडों के विपथन में किया जा सके, बशर्ते विपथन में मानदंडों के आधार पर परियोजना के उपयोगी जीवनकाल पर समान स्तर पर किया हुआ टैरिफ विनियमों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर परिकलित समान किये हुए शुल्क से अधिक न हो। 2019-2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियमों, जिन्हें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है, में समान प्रावधान हैं।

किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 17 मई, 2018), समूह ने आरंभिक दस वर्षों में कमतर टैरिफ निर्धारित कर तथा उसके बाद 1 से 10 वर्षों तक 1.5 प्रतिशत हास द्वारा शेष 25 वर्षों तक तथा 11 से 40 वर्ष तक 2.5 प्रतिशत हास प्रभारित कर किशनगंगा पावर स्टेशन के टैरिफ में अनतिक्रम किया है और इस प्रकार से पावर स्टेशन की पूंजी लागत का कुल 90 प्रतिशत अनतिक्रम हुआ है। प्रचालन के आरंभिक वर्षों में टैरिफ को कम करने के उद्देश्य से इस अनतिक्रम को सीईआरसी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

किशनगंगा पावर स्टेशन में टैरिफ के निर्धारण के लिए मूल्यहास दरों का अनतिक्रम सीईआरसी द्वारा अनुमोदित पावर स्टेशन के टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ के रूप में वाणिज्यिक प्रचालन और वसूली के प्रथम 12 वर्षों के दौरान खाते में प्रभारित

उच्चतर मूल्यहास (सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार) के रूप में अत्यधिक असंतुलन को पैदा करता है। हालांकि, प्रथम 12 वर्षों के दौरान कमतर वसूली की प्रतिपूर्ति खाते में प्रभारित मूल्यहास की तुलना में टैरिफ के माध्यम से मूल्यहास की उच्चतर वसूली के द्वारा पावर स्टेशन के प्रचालनात्मक जीवनकाल के शेष अवधि के दौरान की जाएगी। आरंभिक वर्षों में टैरिफ कम करने के उद्देश्य से लागतों की वसूली को टालना तथा बाद के वर्षों में इसकी वसूली यह दर्शाता है कि टैरिफ के माध्यम से भविष्य में वर्तमान लागतों की वसूली करने के अधिकार के रूप में परिसंपत्ति मौजूद है और ऐसे अधिकार को लागू किया जा सकता है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 "विनियामक आस्थगित लेखा" के प्रावधानों को ध्यान में रखकर, टैरिफ विनियम, 2019-24 के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित मूल्यहास और टैरिफ के रूप में दी गई अनुमति मूल्यहास और बाद की अवधियों में लाभार्थियों से वसूले जाने वाले के बीच अंतर की पहचान पावर स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। वाणिज्यिक प्रचालन के जीवनकाल के प्रथम 12 वर्षों के दौरान सृजित आरडीए शेषों की वसूली पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवनकाल अर्थात् 28 वर्षों की अवधि के दौरान में टैरिफ के संघटक के रूप में उच्च मूल्यहास के माध्यम से लाभार्थियों से की जाएगी।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (-) नीचे दी गई है:

(रूपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	563.11
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति+)/देयता (-)	198.35
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	लाभ एवं हानि के विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	198.35
ङ	31.03.2022 को अंतिम शेष (क+घ)	761.46

समूह का किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में दीर्घावधि विद्युत खरीद करार है। चूंकि, टैरिफ के अनतिक्रम को पहले ही सीईआरसी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, अतः समूह किशनगंगा पावर स्टेशन के संबंध में सृजित विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता के संबंध में किसी महत्वपूर्ण जोखिम पर विचार नहीं करता है।

हालांकि, खाते में हास प्रभार और टैरिफ के माध्यम से उसकी वसूली सीईआरसी द्वारा यथा दी गई अनुमति पावर स्टेशन की पूंजी लागत पर निर्भर है, किशनगंगा पावर स्टेशन के मामले में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूली **विनियामक जोखिम** के अध्यधीन होगी। समय और लागत आधिक्य आदि के कारण व्यय सहित पावर स्टेशन पर वास्तविक पूंजी व्यय का अनुमोदन सीईआरसी द्वारा निर्णय लेने की तर्कसंगतता की जांच के अध्यधीन है। निर्णय लेने की तर्कसंगतता की जांच के बाद व्यय की अनुमति न देना लाभार्थियों से वसूल किए जाने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेष को प्रभावित कर सकता है।

(घ) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनियम अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

भारतीय लेखांकन मानक 23 – "उधार लागत" के अनुसार, ब्याज लागतों के सामयोजन के रूप में मानी गई सीमा तक विदेशी मुद्रा ऋण पर उधार लागत की अनुमति निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत किए जाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 21 – "विदेशी विनियम दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" में यह प्रावधान है कि जिन दरों पर इस अवधि के दौरान अथवा पूर्व के वित्तीय विवरणों में आरंभिक मान्यता पर उन्हें रुपांतरित किया गया था, से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों का निपटान अथवा रुपांतरण के कारण होने वाले विनियम अंतर की पहचान उस अवधि में लाभ और हानि में की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न होंगी।

भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा 13कक – "भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना" में यह प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाली दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण के कारण विनियम अंतरों के लेखांकन के लिए अपनाई गई मौजूदा लेखांकन नीति जारी रह सकती है। तदनुसार, 01.04.2016 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाली अवधियों के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के समायोजन के रूप में मानी गई सीमा तक उधार पर विनियम अंतर को

छोड़कर मौद्रिक मदों का रुपांतरण/निपटान के कारण होने वाले सभी विनिमय अंतरों को लाभ और हानि विवरणी में प्रभावित किया जाना है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार, विनिमय जोखिम अंतर के कारण कोई लाभ अथवा हानि को परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत के भाग के रूप में तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर वसूला जाएगा। इसके अलावा, सीईआरसी ने विगत टैरिफ आदेशों में पूंजी लागत के भाग के रूप में निर्माण अवधि के दौरान हुए विनिमय अंतरों की अनुमति दी है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 के प्रावधानों को देखते हुए, मान्यता के संबंध में "विनियामक आस्थगित लेखा" और वसूलनीयता के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19, लाभ और हानि को प्रभावित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण/निपटान के कारण विनिमय अंतरों की पहचान 01.04.2016 से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। इन शेष राशियों का समायोजन उस वर्ष से किया जाता है जिसमें वह परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा उन्हें भुगतान योग्य होगी।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (-) नीचे दी गई है:

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	1.72
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति+)/देयता (-)	(0.17)
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	-
घ	लाभ एवं हानि के विवरण में पहचान की गई विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	(0.17)
ङ	31.03.2022 को अंतिम शेष (क+घ)	1.55

2019-2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत और टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार पावर स्टेशन की ओएंडएम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर विदेशी विनिमय दर अंतर की वसूलनीयता के संबंध में विनियम टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए भी जारी रखी गई है। तदनुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियम में प्रतिकूल परिवर्तन संभवतः विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष राशियों की भावी वसूली के जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं हो सकता है।

हालांकि, विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता मांग जोखिम के अध्यधीन है क्योंकि विनियामक आस्थगित निकासी/जमा शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के रूप में होगा। तदनुसार, दीर्घ अवधि पीपीए आदि पर हस्ताक्षर करने में दिक्कत जैसे भारत में बिजली की बिक्री पर प्रभाव डालने वाले सामान्य जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है।

(ङ) लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर के कारण विनियामक आस्थगित लेखा शेष:

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, टैरिफ अवधि 2004-09 के लिए होने वाली आय के कारण उत्पन्न होने वाले आस्थगित कर, चालू कर, के रूप में उसी वर्ष में लाभार्थियों से वसूली योग्य है, जिस वर्ष में वह होता है। टैरिफ अवधि 2014-19 के लिए आस्थगित कर भुगतान किए गए वास्तविक कर के आधार पर प्रभावी कर दर से इक्विटी पर लाभ को छोड़कर वसूली योग्य है। 31 मार्च, 2018 तक, भविष्य के वर्षों में लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया था और उसे आरडीए के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

इस प्रथा की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआई की ईएसी) के मत के आधार पर की गई थी। इस प्रकार का आस्थगित लेखा शेष, जो आईसीएआई की ईएसी के अनुसार कटौती योग्य अस्थायी अंतर नहीं है जिसके फलस्वरूप भारतीय लेखांकन मानक 12 के अंतर्गत आस्थगित कर परिसंपत्ति होता हो बल्कि भारतीय लेखांकन मानक 114 के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष की परिभाषा पूरा करता है।

तदनुसार, समूह ने विनियामक आस्थगित लेखा शेष के रूप में आस्थगित कर देयता के समायोजन के रूप में पूर्व में प्रस्तुत 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर और टैरिफ अवधि 2014-19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन को पुनः वर्गीकृत किया है।

सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार, पूर्व के टैरिफ विनियम 2014-19 में यथा प्रदत्त वर्तमान कर और आस्थगित कर की वसूली के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं है।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्ति (+)/देयता (-) नीचे दी गई है:

विनियामक आस्थगित लेखा ऋण शेषों का संचलन :

(i) टैरिफ अवधि 2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर के संबंध में :

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	1715.15
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति+)/देयता (-)	-
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	49.52
घ	लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	(49.52)
ङ	31.03.2022 को अंतिम शेष (क+घ)	1665.63

(ii) आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर समायोजन (2014-19 और उसके बाद की टैरिफ अवधि के संबंध में) के संबंध में :

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	843.37
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति+)/देयता (-)	10.72
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	
घ	लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	10.72
ङ	31.03.2022 को अंतिम शेष (क+घ)	854.09

(iii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) क्रेडिट के कारण विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष:

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	763.78
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति+)/देयता (-)	1313.27
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित (-)/वापस की गई राशि (+)	60.33
घ	लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त विनियामक आय/(व्यय) (ख-ग)	1252.94
ङ	31.03.2022 को अंतिम शेष (क+घ)	2016.72

टैरिफ अवधि 2004-2009 तक वसूली योग्य आस्थगित कर के कारण मान्यता प्राप्त विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता/देयता तथा टैरिफ अवधि 2014-19 से संबंधित आस्थगित कर देयताओं के प्रति आस्थगित कर और मैट क्रेडिट की मान्यता से संबंधित समायोजन समूह के भावी प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन पर निर्भर है। इसके अलावा, चूंकि विनियामक

आस्थगित लेखा शेष विगत टैरिफ अवधियों से संबंधित हैं। अतः वसूलनीयता भी सीईआरसी के विनियामक जोखिम के अध्यधीन है जो भावी टैरिफ विनियमों में ऐसी शेष राशि की वसूली की अनुमति देता है।

- 24 (i)** उड़ी-II पावर स्टेशन जहां दुर्घटनावश 20.11.2014 को आग लग गई थी, जो उत्पादन के बंद होने में परिणत हुआ था, उसे जून, जुलाई, तथा अगस्त, 2015 माह के दौरान बहाल कर लिया गया है। पावर स्टेशन की परिसंपत्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम पालिसी के अंतर्गत कवर है। 31.3.2022 के अनुसार बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्रतिदाय की प्राप्त की गई निवल राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
व्यापार बाधा हानि	202.98	74.01	-	128.97*	128.97*

* टिप्पणी 34 के पैरा 3(घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय **शून्य** है (अद्यतन तिथि को संचयी **शून्य** करोड़ रुपये है)।

- (ii)** सेवा-II पावर स्टेशन, जहां 25 सितंबर, 2020 को भू-स्खलन के कारण हेड रेस टनल (एचआरटी) क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्षतियों को ठीक कर लिया गया है और वर्तमान में पावर स्टेशन प्रचालन में है। पावर स्टेशन की आस्तियां और उत्पादन की हानि मेगा जोखिम नीति के तहत कवर की जाती है। 31.03.2022 को बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(रुपए करोड़ में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि/ प्राप्त होने वाली राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	50.80	9.19	2.54	39.07	38.00
व्यापार बाधा हानि	225.60	161.86	-	63.74*	274.60*
कुल	276.40	171.05	2.54	102.81	312.60

* नोट संख्या 34 की टिप्पणी 3 (घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान व्यापार बाधा हानि के संबंध में मान्यता प्रदान की गई आय **161.86 करोड़ रुपए** (अद्यतन तिथि को संचित **161.86 करोड़ रुपए**) है।

- (iii)** 31.3.2022 के अनुसार पावर स्टेशनों (ऊपर 24 (i) और (ii) में प्रकट किए गए उड़ी-II और सेवा-II के प्रमुख दावों के अतिरिक्त) के संबंध में बीमा दावे की स्थिति निम्नानुसार है :

(रुपए करोड़ में)

दावों के विवरण	दर्ज किया गया अद्यतन दावा	प्राप्त राशि	आज की तारीख तक लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	प्राप्य शेष	
				31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
वास्तविक क्षति के निमित्त	99.97	22.68	38.60	38.69	44.74
व्यापार बाधा हानि	-	-	-	-	14.00*
कुल	99.97	22.68	38.60	38.69	58.74

* नोट संख्या 34 की टिप्पणी 3 (घ) में आकस्मिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

25. निदेशक मंडल ने 20.3.2014 को हुई अपनी बैठक में चर्चा की कि बरसर जलविद्युत परियोजना की अर्थक्षमता भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर करती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने बरसर परियोजना को अर्थक्षम बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा जांच हेतु वित्तपोषण उपलब्ध करवाने के लिए पहल की थी। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार निधियों को उपलब्ध करवाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय से संपर्क किया गया था। दिनांक 27.4.2015 को जल संसाधन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में उनके प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया था कि डीपीआर को तैयार करने हेतु निधियां जारी करने का एनएचपीसी का अनुरोध भारत सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। परियोजना पर अन्वेषण कार्य जारी है और **226.78 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **226.78 करोड़ रुपये**) का व्यय किया जा चुका है और इसे चल रहे पूंजीगत कार्य में अग्रेणीत किया गया है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के तौर पर इस राशि का प्रावधान लेखाबहियों में किया गया है।
26. कोटलीभेल-1ए, कोटलीभेल-1बी और कोटलीभेल-1II परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित उन 24 जलविद्युत परियोजनाओं में से ऐसी तीन परियोजनाएं हैं जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.8.2013 के आदेश के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निदेश दिया कि इन परियोजनाओं को अगले आदेश तक पर्यावरणीय/वन स्वीकृति प्रदान न की जाए और अलकनंदा तथा भागीरथी नदी बेसिन की जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव की जांच की जाए। परियोजना के भविष्य पर निर्णय लंबित होने तक 31.3.2022 तक कोटलीभेल-1ए, कोटलीभेल-1बी और कोटलीभेल-1II परियोजनाओं के संबंध में क्रमशः **278.11 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **274.35 करोड़ रुपये**), **42.95 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **42.95 करोड़ रुपये**) और **51.42 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **51.42 करोड़ रुपये**) की राशि के लिए गए व्यय को चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा गया है। तथापि, 31.03.2022 तक पर्याप्त सावधानी के तौर पर इन राशियों हेतु कुल **372.48 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **368.72 करोड़ रुपये**) की राशि हेतु लेखाबहियों में प्रावधान किया गया है।
27. तवांग चरण-I और चरण-II जलविद्युत परियोजनाओं पर किए गए व्यय **237.15 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **233.68 करोड़ रुपये**) को पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में आगे बढ़ाया गया है। तथापि, स्वीकृतियों की प्राप्ति में विलंब, भूमि अधिग्रहण में कठिनाई और इन परियोजनाओं से जुड़ी समग्र अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, इन परियोजनाओं में 31.03.2022 तक किए गए व्यय के लिए प्रचुर सावधानी के रूप में **237.15 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **233.68 करोड़ रुपये**) की राशि का प्रावधान लेखाओं में किया गया है।
28. क) धौलीगंगा इंटरमीडिएट, चुंगर चाल और खरमोली लुमटी टुली जलविद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन अस्थायी रूप से स्थगित रखा गया है। इन परियोजनाओं को उत्तराखंड सरकार को सौंपे जाने का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक, **35.70 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **35.70 करोड़ रुपये**) की राशि का 31.03.2022 तक हुए व्यय चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे लाया गया है। हालांकि, पर्याप्त पूर्व-सावधानी के रूप में खाता बुक में **35.70 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **35.70 करोड़ रुपये**) का प्रावधान किया गया है।
- (ख) गौरीगंगा-IIIए परियोजना की पूंजीगत लागत और अनुकूल टैरिफ को कम करने के उपायों का पता लगाया जा रहा है। उस पर निर्णयों के लंबित रहने तक, 31.03.2022 तक **46.37 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **46.18 करोड़ रुपये**) के लिए गए व्यय की राशि को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में आगे लाया गया है। तथापि, पर्याप्त पूर्व-सावधानी के रूप में, लेखाबहियों में **46.37 करोड़ रुपये** (पिछले वर्ष **46.18 करोड़ रुपये**) का प्रावधान किया गया है।
29. एनएचपीसी द्वारा चमेरा पावर स्टेशन-I के रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) के प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण : वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, समूह ने नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन के तहत स्टेशन **1016.39 करोड़ रुपये** की राशि के लिए चमेरा-I पावर स्टेशन के इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) के प्रतिभूतिकरण के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है जो बैंक को निम्नलिखित तरीके से 10 वर्षों की अवधि में पुनर्भुगतान योग्य है :
- (क) नियत घटक : **10.90 करोड़ रुपये** प्रति माह / 5.24 प्रतिशत छूट दर (31-जनवरी-2022 को 3 महीने का टी-बिल 3.71 प्रतिशत जिसमें 1.53 प्रतिशत का विस्तार शामिल है)। बेंचमार्क दर के आधार पर छूट दर हर तीन महीने में पुनः निर्धारित की जाएगी। पहला ऐसा पुनःनिर्धारण अप्रैल 2022 के पहले दिन और उसके बाद हर तीन महीने में किया जाएगा।
- (ख) परिवर्तनीय घटक : पावर स्टेशन की द्वितीयक ऊर्जा के कारण राजस्व का 5 प्रतिशत, प्रतिवर्ष देय।
- प्रतिभूतिकरण पर प्राप्त राशि को प्रारंभ में भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य पर एक वित्तीय देयता (उधार) के रूप में मान्यता दी गई है। प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार वित्त लागत के तहत ब्याज व्यय को मान्यता दी गई है।

30. वित्तीय वर्ष 2021-22 और उसके बाद के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिचालित समेकित समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कैपेक्स पर जानकारी (केवल समझौता ज्ञापन विवरण के सत्यापन के लिए) :-

पूँजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) किसी भी परिसंपत्ति के अधिग्रहण/जोड़ने के लिए किया गया व्यय है जो अचल परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगति पर पूँजीगत कार्य, अमूर्त संपत्ति इत्यादि) का भाग है। वर्ष के दौरान समूह द्वारा कैपेक्स के लिए किए गए पूँजीगत व्यय निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

निम्नलिखित द्वारा किया गया विवरण पूँजीगत व्यय	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वर्धन	1,044.96
प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य में परिवर्तन (अंतिम-प्रारंभिक)	3,355.11
एनएचपीसी (समेकित आधार)	63.49
उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों में वर्धन	4.47
अमूर्त परिसंपत्तियों में परिसंपत्ति वर्धन	0.34
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में परिवर्तन (अंतिम-प्रारंभिक)	412.15
पूँजीगत अग्रिमों में परिवर्तन (अंतिम-प्रारंभिक)	24.51
संयुक्त उद्यम कंपनी – सीवीपीपीपीएल (31.03.2022 को शेषधारिता के अनुपातिक अर्थात 55.13 प्रतिशत)	316.43
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वर्धन	9.67
प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य में परिवर्तन (अंतिम- प्रारंभिक)	72.37
उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों में वर्धन	
पूँजीगत अग्रिमों में परिवर्तन (अंतिम-प्रारंभिक)	
कुल	5,303.50

31. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची-V द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटीकरण :

(क) ऋणों के रूप में ऋण एवं अग्रिम

(i) संयुक्त उद्यम कंपनियां :

(रुपए करोड़ में)

कंपनी का नाम	निम्नलिखित को बकाया शेष		वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
	31.03.2022	31.03.2021	2021-22	2020-21
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (प्रा.) लि.	18.82	18.82	18.82	18.82

(ii) उन फर्मों और कंपनियों को जिनमें निदेशक का हित है : शून्य (पिछले वर्ष शून्य)।

(ख) एनएचपीसी के हिस्से में कर्जदारों (जिनका विवरण ऊपर दिया गया है) द्वारा निवेश : शून्य (पिछले वर्ष-शून्य)

32. जलविद्युत उत्पादक पावर स्टेशनों के संबंध में कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्रों के मात्रात्मक ब्यौरे :

क्रम सं.	विवरण	मात्रा (संख्या में)	
		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रारंभिक शेष	6930932	3525556
2	वर्ष के दौरान जारी/उत्पन्न	138595	5141442
3	वर्ष के दौरान बिक्री किए गए	4632688	1736066
4	अंतिम शेष	2436839	6930932

अंतिम वसूली में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के कारण, 31 मार्च, 2022 तक समूह के पास उपलब्ध कार्बन क्रेडिट के अंतिम शेष की गणना में नहीं लिया गया है।

33. भारतीय लेखांकन मानक 103 “व्यापार संयोजन” के अनुसार प्रकटीकरण :

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई अधिग्रहण नहीं किया गया था।

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिग्रहण :

जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (‘जेपीसीएल’) का अधिग्रहण : वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (‘एनसीएलटी’) ने 165.00 करोड़ रुपये की राशि पर जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीसीएल) के अधिग्रहण के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को अनुमोदित किया। इस आदेश के अनुसार, 165.00 करोड़ रुपये के खरीद मूल्य के भुगतान पर जेपीसीएल 31 मार्च, 2021 से 100 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी हिटों के साथ कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

(i) अधिग्रहण के लिए प्रमुख कारण

(क) कंपनी के व्यापार का विकास

(ख) बड़े पैमाने पर आंतरिक विशेषज्ञता और सिविकम राज्य में कंपनी की मजबूत उपस्थिति के कारण मितव्ययताएं प्राप्त करना और कम लागत पर परियोजना विकसित करना।

(ii) अंतरित धनराशि : समूह ने जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए नकद में क्रय धनराशि के रूप में 165.00 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

(iii) (क) अभिचिन्हित योग्य अधिग्रहित परिसंपत्तियां तथा स्वीकृत देयताएं: निम्नलिखित तालिका में अधिग्रहण की तारीख अर्थात् 31.03.2021 को अधिग्रहीत परिसंपत्तियों तथा स्वीकृत देयताओं की मान्यता राशि को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	राशि
परिसंपत्ति	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	3.17
चल रहे पूंजीगत कार्य	182.72
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	2.09
अन्य परिसंपत्तियां	0.23
नकदी एवं नकदी समतुल्य	0.10
कुल परिसंपत्तियां	188.31
कुल देयताएं	0.16
कुल अधिग्रहीत निवल अभिचिन्हित योग्य परिसंपत्तियां	188.15
घटाएं : क्रय राशि	165.00
पूंजी आरक्षित	23.15

(ख) समूह द्वारा व्यापार प्राप्यों और आकस्मिक देयताओं का अधिग्रहण नहीं किया गया था।

(iv) क्रय राशि – नकदी का बहिर्प्रवाह

(रूपए करोड़ में)

विवरण	राशि
नकद राशि	165.00
घटाएं : अधिग्रहीत नकदी एवं नकदी समतुल्य	0.10
नकदी का बहिर्प्रवाह – निवेशात्मक गतिविधियां	164.90

(v) **पूँजी आरक्षित** : एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को अंततः जेपीसीएल के लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसके बाद राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 103—व्यापार संयोजन के पैरा 36क की आवश्यकता को लागू किया है और व्यापार संयोजन को मोलभाव खरीद के रूप में वर्गीकृत करने के अंतर्निहित कारणों की समीक्षा की है। चूंकि कंपनी का निपटान दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक खुली बोली प्रणाली के माध्यम से किया गया था और अधिग्रहणकर्ता (एनएचपीसी) और अधिग्रहण होने वाले (जेपीसीएल) के बीच कोई पूर्व-मौजूदा संबंध नहीं था, वहां व्यापार संयोजन को सौदेबाजी की खरीद के रूप में वर्गीकृत करने के अंतर्निहित कारणों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तदनुसार, समूह ने **23.15 करोड़ रुपए** को मान्यता दी है, जो 'अन्य इक्विटी' के भीतर पूंजीगत आरक्षित के रूप में भुगतान किए गए प्रतिफल पर अर्जित शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्य से अधिक है।

(vi) **अधिग्रहण संबंधी लागतें** : समूह द्वारा **0.05 करोड़ रुपये** की अधिग्रहण संबंधी लागत विधि तथा व्यवसाय शुल्क पर व्यय की गई। इन लागतों को लाभ और हानि के विवरण में "अन्य व्यय" के अंतर्गत तथा नकदी प्रवाह के विवरण में प्रचालनात्मक क्रियाकलापों गतिविधियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(vii) **राजस्व एवं लाभ का अंशदान**

जेपीसीएल 31 मार्च, 2021 से 100 प्रतिशत वोटिंग इक्विटी हितों के साथ कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। कंपनी ने समूह के परिणाम में शून्य करोड़ रुपए का राजस्व और शून्य करोड़ रुपए का लाभ/हानि का योगदान दिया। चूंकि कंपनी ने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है, वर्ष 2020—21 के लिए समूह के कर पूर्व राजस्व और लाभ पर प्रभाव 1 अप्रैल 2020 को हुआ था, यह सुनिश्चित नहीं है।

34. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची—III की आवश्यकता के अनुसार "वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण" के संबंध में मूल कंपनी संबंधी प्रकटीकरण निम्नवत् हैं :

(रुपए करोड़ में)

तिमाही	बैंक का नाम	मुहैया करवाई गई प्रतिभूति का विवरण	लेखाबहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक रिटर्न/ विवरण में यथा सूचित राशि	अंतर की राशि	भौतिक विसंगति के लिए कारण
जून, 2021	भारतीय स्टेट बैंक	विद्युत की बिक्री के लिए देनदार (बिल न किए गए देनदारों को छोड़कर)	3940.50	3940.50	-	-
सितम्बर, 2021	भारतीय स्टेट बैंक		3423.68	3423.68	-	-
दिसम्बर, 2021	भारतीय स्टेट बैंक		3249.07	3249.07	-	-
मार्च, 2022	भारतीय स्टेट बैंक		2686.52	2686.52	-	-

35. **बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध के बारे में प्रकटीकरण** : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची—III की आवश्यकता के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन कंपनियों के साथ शेष राशि के संबंध में प्रकटीकरण निम्नलिखित है :

(रुपए करोड़ में)

बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2022 के अनुसार बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए	31 मार्च, 2021 को बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए
किशन सिंह एण्ड कंपनी प्रा. लि.	प्राप्य	0.22	-	0.22	-
के एस ट्रेडर्स प्रा. लि.	देय	-	-	0.17	-

बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2022 के अनुसार बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए	31 मार्च, 2021 को बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए
आरएमएस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	देय	0.02	-	0.02	-
रतन चंद एण्ड संस प्रा. लि.	देय	-	-	0.06	-
भगवती हार्डवेयर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	देय	-	-	0.01	-
एम एम एन्टरप्राइसेस प्रा. लि.	देय	-	-	0.02	-
रॉयल बायोटेक प्रा. लि.	देय	0.03	-	0.01	-
बैभव कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.	देय	-	-	0.01	-
सृष्टि डेवलपर्स प्रा. लि.	देय	-	-	0.08	-
एवरेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	देय	-	-	0.15	-
आर के बिल्डिंग सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	देय	0.13	-	0.13	-
मैसर्स रोल्टामैक्स पोर्ट – टेक प्रा. लि.	देय	0.02	-	0.02	-
स्टार इन्फोर्मेटिक्स प्रा. लि.	देय	-	-	0.02	-
टोटल सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	देय	0.02	-	-	-
वाइटललिक वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेस प्रा. लि.	बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर	0.01	-	0.01	-
राइटिंग नेटवर्क इंडिया प्रा. लि.	बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर	-	-	0.01	-
क्वांटम सिम्योरीटीज प्रा. लि.	बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर	0.01	-	-	-

टिप्पणी : 37 बंद कंपनियों के साथ बकाया शेष, जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं, के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

36. कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यवर्तियों") सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है या उनमें कोई ऋण या निवेश नहीं किया गया है (चाहे उधार ली गई राशि से या शेयर या प्रीमियम से या किसी धनराशि के किसी अन्य स्रोत या प्रकार से) जिसमें यह समझ शामिल है कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, मध्यवर्ती कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष को उधार देगी या उसमें निवेश करेगी।

कंपनी को किसी भी पक्षकार (पक्षकारों) (वित्त-पोषण पक्षकार) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह समझ भी शामिल है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

37. समूह को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य उधारदाताओं द्वारा स्वेच्छाचारी व्यतिक्रमी घोषित नहीं किया गया है।

38. कोविड-19 का प्रभाव

समूह के राजस्व का प्राथमिक स्रोत जलविद्युत का उत्पादन और बिक्री है। कोविड-19 के प्रकोप और हाल ही में इसके मामलों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप, भारत सरकार और/या राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की घोषणा की है जिससे सामान्य रूप से व्यापार प्रभावित हुआ है। बिजली की आपूर्ति एक आवश्यक सेवा है और रन-ऑफ-दि-रिवर (आरओआर) परियोजनाओं के लिए अनिवार्य प्रचालन की स्थिति को देखते हुए और तालाब और भंडारण परियोजनाओं के साथ आरओआर के मामले में आरएलडीसी द्वारा संभव सीमा तक शेड्यूलिंग पर विचार करते हुए, समूह के वित्तीय प्रदर्शन पर कोविड-19 का कोई भौतिक प्रभाव नहीं है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न चालू और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का वहन मूल्य या कंपनी के ऋण को चुकाने की क्षमता उत्पन्न होने की आशा है।

तथापि, कोविड-19 महामारी के कारण विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 और 16 मई, 2021 के निर्देशों के अनुरूप, समूह ने अंतिम उपभोक्ताओं को खाते में डालने के लिए डिस्कॉम और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली विभागों को 185 करोड़ रुपये की एकमुश्त छूट दी है। उक्त छूट को वित्तीय विवरण में "असाधारण मद" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

निर्माणाधीन सर्वेक्षण/जांच और सर्वेक्षण के अधीन परियोजनाओं के संबंध में, प्रबंधन मांग में किसी बड़े पैमाने पर संकुचन की उम्मीद नहीं रखता, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना पोर्टफोलियो में कमी हो सकती है। समूह के ऋण दस्तावेजों के लिए मांग में कोई संकुचन नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्याशित भावी पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार की लागत में वृद्धि हो सकती है।

5175.84 करोड़ रुपये राशि के व्यापार प्राप्य, परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं, जिनका अनुमानित उधार हानि पद्धति के उपयोग करके हानि भत्ते के प्रावधान पर विचार किया गया। समूह के लाभार्थी अधिकांश राज्य वितरण कंपनियां हैं तथा भारत सरकार द्वारा इन लाभार्थियों के लिए आत्मनिर्भर भारत विशेष आर्थिक तथा व्यापक पैकेज के अंतर्गत घोषित लिक्विडिटी प्रदान करने पर विचार करते हुए, समूह व्यापार प्राप्यों की वसूली में ऋण जोखिम की किसी वृद्धि का अनुमान नहीं लगाता है।

समूह की वित्तीय परिसंपत्तियों के एक महत्वपूर्ण भाग को स्तर-1 में वर्गीकृत किया गया है तथा इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य जो मुख्य रूप से एक सक्रिय बाजार के रूप में चिह्नित लिक्विड इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करता है जो कोविड-19 से उत्पन्न अनिश्चितताओं के कारक हैं। दिनांक 31 मार्च, 2022 को नकदी तथा नकदी समतुल्य, बैंक जमाओं और बैंकों के पास निर्धारित शेषों के रूप में परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय संपत्तियों के संबंध में, समूह ने आकलन किया है कि प्रतिपक्ष ऋण जोखिम में कोई वृद्धि नहीं हुई है। स्तर-2 और स्तर-3 में वर्गीकृत अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, प्रबंधन प्रतिपक्ष की प्रोफाइल के आकलन के आधार पर ऋण जोखिम में किसी वृद्धि की आशा नहीं रखता है, जिनमें से अधिकांश या तो समूह या राज्य सरकार/केंद्र सरकार के निकायों के कर्मचारी हैं।

तदनुसार, प्रबंधन का विचार है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहनीय राशि में हानि का अनुमान लगाने के कोई कारण नहीं हैं। इसी तरह, समूह द्वारा आस्थगित कर परिसंपत्तियों/विनियामक आस्थगित लेखा शेषों तथा आस्थगित कर देयता की तुलना में विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की वसूलनीयता के संबंध में कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं है।

भारतीय लेखांकन मानक 116 – पट्टों के संबंध में, पट्टे की शर्तों में कोई परिवर्तन उन मामलों में अनुमानित नहीं है, जहां कंपनी संविदा के लिए पट्टेदार के रूप में है। इसके अतिरिक्त, एकल लाभार्थी सहित विद्युत स्टेशनों के संबंध में सन्निहित पट्टों के मामले में, पट्टों की शर्तों में कोई छूट प्रस्तावित नहीं है।

आकलन के अनुसार, समूह के अन्य देनदारों से प्राप्य राशियों के संबंध में ऋण जोखिम में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न वर्तमान तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के वहनीय मूल्य सहित समूह की अवधारणाओं के विषयों में वृद्धि की संभावना सहित समूह के वित्तीय निष्पादन पर कोविड-19 का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 का प्रभाव, यदि कोई हो, महामारी का वास्तविक प्रभाव भावी घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। समूह स्थितियों के परिवर्तन की निगरानी करना जारी रखेगा और उसी को विचारार्थ अथवा क्रिस्टलीकरण पर लिया जाएगा।

39. जहां कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध/पुनः कथित किया गया है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

रूपा देब
कंपनी सचिव

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08645380

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

भुवनेश महेश्वरी
साझेदार
सदस्यता सं. 088155

आर.के. नंदा
साझेदार
सदस्यता सं. 510574

मनुश्री बिंदल
साझेदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान : फरीदाबाद

तारीख : 25 मई, 2022

टिप्पणी सं. 35 पर समेकित वित्तीय विवरणियां

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, पिछली अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ मदों के संबंध में पूर्वव्यापी प्रभाव से पुनर्वर्गीकरण/पुनर्कथन किए गए हैं। तदनुसार, भारतीय लेखांकन मानक 1 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, कंपनी ने पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत में अर्थात् 01.04.2020 को तीसरा तुलन-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रमुख पुनर्कथन/पुनर्वर्गीकरण को निम्नानुसार समझाया गया है :-

(क) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए और 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणियां 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए और 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार पुनर्कथित समेकित तुलन-पत्र

		(रूपए करोड़ में)				
विवरण	समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 के अनुसार (पहले सूचित किए गए)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार (पहले सूचित किए गए)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार (पुनः कथन)
परिसंपत्तियां						
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां						
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2.1 35.1 (क)	19,327.24	10.99	21,630.33	5.43	21,635.76
ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2 35.1 (ख)	19,067.91	98.88	17,180.41	-	17,180.41
ग) उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	2.3	2,647.01	-	2,766.31	-	2,766.31
घ) निवेश संपत्ति	2.4	4.49	-	4.49	-	4.49
ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5	3.52	-	0.72	-	0.72
च) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	2.6	0.17	-	-	-	-
छ) इविट्टी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित निवेश	2.7.1	1,326.89	-	933.53	-	933.53
वित्तीय परिसंपत्तियां						
ज) 1) निवेश	3.1	515.35	-	464.13	-	464.13
2) ऋण	3.2 35.1 (ग)	969.30	(25.14)	820.81	(24.55)	796.26
3) अन्य	3.3 35.1 (ग) और (छ)	8,958.18	25.14	7,567.27	31.45	7,598.72
झ) गैर वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	10.07	(0.15)	153.29	-	153.29
ञ) विलांबित कर परिसंपत्तियां (निवल)	18.1	-	-	-	-	-
ट) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	5	3,593.28	0.42	3,049.20	-	3,049.20
कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		56,423.41	110.14	54,570.49	12.33	54,582.82

विवरण	समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या	टिप्पणी	31 मार्च, 2021 के अनुसार (पहले सूचित किए गए)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव (पुनः कथन)	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार (पहले सूचित किए गए)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव (पुनः कथन)	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार (पुनः कथन)
(2) देयताएं							
गैर-वर्तमान देयताएं							
(क) वित्तीय देयताएं							
1) ऋण	16.1	35.1 (ग)	21,243.27	(12.28)	21,230.99	(13.14)	20,878.66
2) पट्टा देयताएं	16.2	35.1 (ग)	-	12.28	12.28	13.14	13.14
3) अन्य वित्तीय देयताएं	16.3		2,055.25	-	2,055.25	-	2,060.29
(ख) प्रावधान	17		29.69	-	29.69	-	55.56
(ग) विलंबित कर देयताएं (निवल)	18		3,852.00	(6.12)	3,845.88	-	3,859.22
(घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19	35.1 (घ)	3,097.28	0.19	3,097.47	-	3,199.47
कुल गैर वर्तमान देयताएं			30,277.49	(5.93)	30,271.56	-	30,066.34
(4) वर्तमान देयताएं							
(क) वित्तीय देयताएं							
(1) ऋण	20.1	35.1 (ग)	726.03	1,393.11	2,119.14	1,616.95	2,331.26
1क) पट्टा देयताएं	20.2	35.1 (ग)		2.83	2.83	3.34	3.34
(2) देयता व्यापार	20.3						
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		35.1 (ज)	36.19	(0.15)	36.04	(3.86)	19.10
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया देय		35.1 (ज)	177.19	(3.37)	173.82	3.86	297.56
(3) अन्य वित्तीय देयताएं	20.4	35.1 (ग) और (ज)	2,973.47	(1,392.60)	1,580.87	(1,620.29)	1,303.17
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21		681.70	-	681.70	-	902.44
(ग) प्रावधान	22		1,573.61	-	1,573.61	-	1,442.94
(घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23		35.02	-	35.02	-	-
कुल वर्तमान देयताएं			6,203.21	(0.18)	6,203.03	-	6,299.81
(4) नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष	14.2		757.66	6.12	763.78	-	747.92
कुल इक्विटी और देयताएं			73,157.05	(30.06)	73,126.99	(47.82)	71,220.93

(ख) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए पुनःकथित लाभ और हानि का समेकित विवरण

विवरण		31 मार्च, 2021 के अनुसार (पहले सूचित किए गए)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2021 के अनुसार (पुनः कथन)
		(रुपए करोड़ में)		
आय				
i)	प्रचालनों से राजस्व	24.1	9,647.89	9,647.89
ii)	अन्य आय	24.2	1,057.15	1,062.97
	कुल आय		10,705.04	10,710.86
व्यय				
i)	विद्युत का क्रय – व्यापार	25.1	212.37	212.37
ii)	उत्पादन व्यय	25.2	857.55	857.55
iii)	कर्मचारी लाभ व्यय	26	1,540.40	1,520.28
iv)	वित्त लागत	27	649.95	572.00
v)	मूल्यहास और परिषोधन व्यय	28	1,298.30	1,292.46
vi)	अन्य व्यय	29	1,690.22	1,683.14
	कुल व्यय		6,248.79	6,137.80
	अपवादजनक मदों, नियामक विलंबित लेखा शेष और कर से पूर्व लाभ		110.99	4,573.06
	इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का अंश	2.7.2	(5.49)	(5.49)
	अपवादजनक मदें	34(38)	185.00	185.00
	नियामक विलंबित लेखा, शेष तथा कर से पूर्व लाभ		116.81	4,382.57
	कर व्यय	30.1		
i)	वर्तमान कर		925.87	919.75
ii)	आयकर के लिए समायोजन		-	-
iii)	विलंबित कर	35.1 (ङ)	(24.89)	(24.89)
	कुल कर व्यय		900.98	894.86
	नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)			
	नियामक विलंबित लेखा शेष में निवल संचलन के पश्चात वर्ष के लिए लाभ	31	217.35	112.17
	सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (क)	35.1 (ङ)	3,582.13	3,599.88
			17.75	3,599.88

विवरण	समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या	टिप्पणी	31 मार्च, 2021 के अनुसार (पहले सूचित किए गए)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव	31 मार्च, 2021 के अनुसार (पुनः कथन)
बंद प्रचालनों से लाभ			-		
बंद प्रचालनों का कर व्यय			-		
अन्य व्यापक आय (ख)	30.2				
(1) लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत न किए जाने वाली मदें					
(क) रोजगार पश्चात् निर्धारित लाभ का पुनर्मापन			(40.08)	-	(40.08)
घटाएं : निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर कर के संबंध में नियामक विलंबित लेखा शेष में संचालन			2.75	-	2.75
उप जोड़ (क)					
(ख) इक्विटी लिखत में निवेश			(42.83)	-	(42.83)
			47.13	-	47.13
उप जोड़ (ख)			47.13	-	47.13
कुल उप जोड़ (1) = (क) + (ख)			4.30	-	4.30
(2) लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत की जाने वाली मदें					
— ऋण लिखत में निवेश			3.23	-	3.23
कुल (2)			3.23	-	3.23
अन्य व्यापक आय (ख) = (1 + 2)			7.53	-	7.53
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय = (क + ख)			3,589.66	17.75	3,607.41
निम्न को आरोप्य लाभ :					
स्वामी			3,257.00	14.78	3,271.78
गैर नियंत्रक हित			325.13	2.97	328.10
			3,582.13	17.75	3,599.88
निम्न को आरोप्य अन्य व्यापक आय :					
स्वामी			7.37	-	7.37
गैर नियंत्रक हित			0.16	-	0.16
			7.53	-	7.53
निम्न को आरोप्य कुल व्यापक आय :					
स्वामी			3,264.37	14.78	3,279.15
गैर नियंत्रक हित			325.29	2.97	328.26
			3,589.66	17.75	3,607.41
निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाली स्वामियों को आरोप्य कुल व्यापक आय :					
सतत प्रचालन			3,264.37	14.78	3,279.15
बंद प्रचालन			-	-	-
			3,264.37	14.78	3,279.15

विवरण	समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या	टिप्पणी	31 मार्च, 2021 के अनुसार (पहले सूचित किए गए)	पुनर्कथन/ पुनः वर्गीकरण का प्रभाव अनुसार (पुनः कथन)	31 मार्च, 2021 के अनुसार (पुनः कथन)
“प्रति शेयर अर्जन (मूल और तनुकृत) (इक्विटी शेयर, 10/- रूपए प्रत्येक का अंकित मूल्य) नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन से पूर्व नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन के पश्चात	34(14)	35.1 (ज)	3.03 3.24	0.12 0.02	3.15 3.26

ग. 31 मार्च, 2021 के अनुसार इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (पुनः कथन)

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी संख्या	राशि (रूपए करोड़ में)
1 अप्रैल, 2020 के अनुसार इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	15.1	10,045.03
31 मार्च, 2022 के अनुसार	15.1	10,045.03

(ख) अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)											
विवरण	आरक्षित और अधिशेष						अन्य व्यापक आय (ओसीआई) की मदें	कुल	गैर-नियंत्रक हित (एनसीआई)	एनसीआई के पश्चात कुल	
	पूँजी आरक्षित	पूँजी मौचन आरक्षित	बाण्ड मौचन आरक्षित	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/ प्रतिधारित आय					
1 अप्रैल, 2020 को शेष	40.93	2,255.71	1,948.38	3.61	11,544.83	5,466.04	42.18	34.21	21,335.89	2,773.76	24,109.65
पूर्वावधि त्रुटियों के कारण परिवर्तन						(51.77)			(51.77)	3.95	(47.82)
1 अप्रैल, 2020 को पुनर्कथित शेष	40.93	2,255.71	1,948.38	3.61	11,544.83	5,414.27	42.18	34.21	21,284.12	2,777.71	24,061.83
वर्ष हेतु लाभ						3,271.78			3,271.78	328.10	3,599.88
अन्य व्यापक आय						(42.99)	3.23	47.13	7.37	0.16	7.53
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय						3,228.79	3.23	47.13	3,279.15	328.26	3,607.41
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों को जारी करना									-	-	-
व्यापार अधिग्रहण पर पूंजीगत आरक्षित (देखें टिप्पणी 34(32))	23.15								23.15		23.15
प्रतिधारित आय से अंतरण						0.69			-	(0.69)	-
गैर-नियंत्रक हित के साथ संव्यवहार									0.69		-
बाण्ड मौचन आरक्षित से अधिशेष/प्रतिधारित आय में अंतरित राशि			(306.43)			306.43			-		-

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय (ओसीआई) की मदें	कुल	गैर-नियंत्रक हित (एनसीआई)	एनसीआई के परचात कुल
	पूँजी आरक्षित	पूँजी मौचन आरक्षित	वाण्ड मौचन आरक्षित	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि आरक्षित	अधिशेष/ प्रतिधारित आय			
अदा किया गया लाभांश					(1,577.07)	(1,577.07)	(271.73)	(1,848.80)
31 मार्च, 2021 को शेष	64.08	2,255.71	1,641.95	-	11,544.83	7,374.95	81.34	23,008.27
					45.41		2,835.32	25,843.59

35.1 तात्विक भूतलक्षी पुनर्कथन निम्नानुसार वर्णित किया गया है:-

- क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में तदनुरूपी वृद्धि के साथ पूर्व के वर्षों के दौरान प्रभारित अधिक मूल्यदास का प्रतिलोमन।
- ख) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार प्रथम कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान निर्माण परियोजनाओं में उपगत उधार और अन्य लागतों के संबंध में पिछले वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त विनियामक आस्थगन लेखा (डेबिट) की 99.06 करोड़ रुपए की शेष राशि का प्रतिलोमन और इसे प्रगति पर पूंजीकृत कार्य के रूप में मान्यता।
- ग) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में संशोधनों के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के आंकड़ों में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण परिवर्तन किए गए हैं :

विवरण	पूर्व वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 के अनुसार
सुरक्षा जमा - गैर वर्तमान	वित्तीय आस्तियां - गैर वर्तमान - ऋण (टिप्पणी सं. 3.2)	वित्तीय आस्तियां - गैर वर्तमान - अन्य (टिप्पणी सं. 3.3)	25.14	24.55
सुरक्षा जमा - वर्तमान	वित्तीय आस्तियां - वर्तमान - ऋण (टिप्पणी सं. 10)	वित्तीय आस्तियां - वर्तमान - अन्य (टिप्पणी सं. 11)	0.36	0.48
बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य	वित्तीय आस्तियां - वर्तमान - अन्य (टिप्पणी सं. 11)	वित्तीय आस्तियां - वर्तमान - प्राप्य व्यापार (टिप्पणी सं. 7)	1,755.74	2,589.41
वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - पट्टा देयताएं	वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - ऋण (टिप्पणी सं. 16.1)	वित्तीय देयताएं - गैर वर्तमान - पट्टा देयताएं (टिप्पणी सं. 16.2)	12.28	13.14
वित्तीय देयताएं - वर्तमान - पट्टा देयताएं	वित्तीय देयताएं - वर्तमान - अन्य (टिप्पणी सं. 20.4)	वित्तीय देयताएं - वर्तमान - पट्टा देयताएं (टिप्पणी सं. 20.2)	2.83	3.34
दीर्घावधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	वित्तीय देयताएं - वर्तमान - अन्य (टिप्पणी सं. 20.4)	वित्तीय देयताएं - वर्तमान - ऋण (टिप्पणी सं. 20.1)	1,393.11	1,616.95

घ) व्यापार प्राप्यों के अंतर्गत पूर्व में वर्गीकृत विद्युत व्यापार व्यवसाय से विलंबित भुगतान अधिभार के प्रति प्राप्यों को "वर्तमान वित्तीय संपत्ति-अन्य" के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

ड.) प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर 1 जनवरी, 2017 से वसूली की क्षमता के रूप में केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के तीसरे वेतन संशोधन पर अतिरिक्त व्यय के संबंध में विनियामक आस्थगित खाते (डेबिट) की शेष राशि 61.32 करोड़ रुपए का आंशिक प्रतिलोमन।

- च) वित्तीय आस्तियों – अन्य में तदनुरूपी वृद्धि के साथ पिछले वर्ष से संबंधित आय की मान्यता-अन्य में 7.11 करोड़ रुपए की वृद्धि।
- छ) वित्तीय परिसंपत्तियां-अन्य में तदनुरूपी वृद्धि के साथ कर्मचारियों से वसूलीयोग्य पीआरपी के कारण इक्विटी और गैर-नियंत्रित ब्याज में 31 मार्च 2020 को 8.07 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2021 को 5.42 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।
- ज) पूर्व में व्यापार देय के रूप में वर्गीकृत सीएसआर कार्यों के कारण देयता को वित्तीय देयताओं- अन्य के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- झ) वित्त वर्ष 2020-21 की आयकर विवरणी के लिए वास्तविक कर परिकलन के अनुसार कर परिकलन को पुनः प्रारंभ किया गया है।
- ञ) वर्ष 2020-21 के लिए प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय को भी पुनःप्रारंभ किया गया है। विनियामक आस्थगन लेखा शेष में संचलन से पहले प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय में 0.12 रुपए और विनियामक आस्थगन लेखा शेष में संचलन के बाद 0.02 प्रति रुपए शेयर की वृद्धि हुई है।
- ट) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (उद्धरण) में पुनर्कथन का प्रभाव।

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	क्रियाकलाप	31.03.2021 को विद्यमान आंकड़े	पुनः कथन/ पुनर्वर्गीकरण का प्रभाव	31.03.2021 को संशोधित आंकड़े
1	प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	5072.80	(3.01)	5069.79
2	निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(1530.16)	(76.98)	(1607.14)
3	वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(3137.54)	79.99	(3057.55)

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

रूपा देब कंपनी सचिव	राजेन्द्र प्रसाद गोयल निदेशक (वित्त) डीआईएन : 08645380	अमय कुमार सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन : 08646003
कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएन : 006591एन / एन500377	हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएन : 302137ई	कृते पी सी बिंदल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएन : 003824एन
भुवनेश महेश्वरी साझेदार सदस्यता सं. 088155	आर.के. नंदा साझेदार सदस्यता सं. 510574	मनुश्री बिंदल साझेदार सदस्यता सं. 517316

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 25 मई, 2022

फार्म एओसी-1

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप धारा(3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)
सहायक कंपनियों अथवा एसोसिएट्स कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं समाहित करने वाला विवरण
भाग "क" – सहायक कंपनियां

1	2	3	4	5	6
क्रम सं.	1	2	3	4	5
सहायक कंपनी का नाम	एनएचपीसी लिमिटेड	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
जिस तिथि से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया था	01-08-2000	23-10-2009	02-02-2015	09-10-2019	31-03-2021
संबंधित सहायक कंपनी हेतु रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	धारक कंपनी के समान (01.04.2021 – 31.03.2022)	धारक कंपनी के समान (01.04.2021 – 31.03.2022)	धारक कंपनी के समान (01.04.2021 – 31.03.2022)	धारक कंपनी के समान (01.04.2021 – 31.03.2022)	धारक कंपनी के समान (01.04.2021 – 31.03.2022)
विदेशी सहायक कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
शेयर पूंजी	1,962.58	138.09	97.17	1,440.50	281.49
आरक्षित तथा अधिशेष	3,682.09	22.11	(2.14)	40.46	22.68
कुल परिसंपत्तियां	7,711.88	162.03	185.81	1,543.52	325.74
कुल देयताएं	2,067.21	1.82	90.79	62.56	21.57
निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कारोबार	858.20	-	-	-	-
कराधान से पूर्व लाभ*	725.95	0.01	(0.88)	(0.20)	(0.35)
कराधान हेतु प्रावधान**	212.99	(0.01)	(0.17)	-	0.12
कराधान पश्चात लाभ	512.96	0.02	(0.71)	(0.20)	(0.48)
प्रस्तावित लाभांश	111.87	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	51.08%	74.83%	86.67%	100.00%	100.00%
					73.53%

* विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर आय सहित।

** कराधान हेतु प्रावधान में कर व्यय और विनियामक आस्थगित लेखा शेषों पर कर शामिल है।

*** एनएचपीसी लिमिटेड ने जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) के साथ क्रमशः 51:49 की इक्विटी भागीदारी के साथ "रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड" के नाम से एक नई अनुषंगी कंपनी का गठन किया है, जिसे 01.06.2021 को निगमित किया गया था।

टिप्पणियां :

- सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें अभी प्रचालन प्रारंभ करना है
 - लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
 - बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
 - लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड
 - जल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
 - रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया गया अथवा बेचा गया शून्य

भाग "ख" – संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

(रुपये करोड़ में)

संयुक्त उद्यम का नाम	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
1 नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तिथि	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021*
2 वह तिथि जब से संयुक्त उद्यम को अधिग्रहित किया गया	13.06.2011	22.05.2009
3 वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर संख्या	1,839,451,286	30,400,000
संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	1,839.56	30.40
धारिता प्रतिशत की सीमा	55.13%	20%
4 महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है, का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
5 संयुक्त उद्यम को समेकित न किए जाने के कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
6 नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता पर आरोप्य निवल मूल्य	1,924.29	14.24
7 वर्ष हेतु लाभ/(हानि)		
i समेकन में विचार किया गया	2.58	(3.97)
ii समेकन में विचार नहीं किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं

* प्रबंधन द्वारा नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमाणित खातों को 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समूह समेकन हेतु माना गया है।

टिप्पणियां:

- संयुक्त उद्यम के नाम जिन्हें अभी प्रचालन प्रारंभ करना है 1. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
- संयुक्त उद्यम के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया गया अथवा बिक्री की गई है शून्य

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

रूपा देब
कंपनी सचिव

राजेन्द्र प्रसाद गोयल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08645380

अभय कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08646003

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 006591एन/एन500377

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 302137ई

कृते पी सी बिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003824एन

भुवनेश महेश्वरी
साझेदार
सदस्यता सं. 088155

आर.के.नंदा
साझेदार
सदस्यता सं. 510574

मनुश्री बिंदल
साझेदार
सदस्यता सं. 517316

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : 25 मई, 2022



800 मेगावाट पार्वती-II परियोजना (हिमाचल प्रदेश) – मशीन हॉल का दृश्य



2000 मेगावाट सुबानसिरी लोअर परियोजना (अरुणाचल प्रदेश/असम) – निर्माणाधीन बांध

निम्न लिंकों पर एनएचपीसी को फॉलो करें :

 <https://www.facebook.com/NHPCIndiaLimited>

 <https://twitter.com/nhpcLtd>

 <https://www.instagram.com/nhpclimited>

 <https://www.kooapp.com/profile/nhpclimited>



45 मेगावाट निम्मो बाजगो पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर) – बांध



CIN L40101HR1975GOI032564

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003, हरियाणा (भारत) वेबसाइट : www.nhpcindia.com

NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad-121003, Haryana (India) Website : www.nhpcindia.com

फोन : 0129-2588110 फैक्स : 0129-2278018